



वार्षिक रिपोर्ट

2017-2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 (भारत)

उद्भव

प्राचीन भारत से आधुनिक भारत तक भारतीय इतिहास में उच्चतर शिक्षा का हमेशा से एक विशिष्ट स्थान रहा है। प्राचीन काल में, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा के प्रसिद्ध स्थल थे, जहां न केवल पूरे देश बल्कि कोरिया, चीन, बर्मा (अब म्यांमार), सिलोन (अब श्रीलंका), तिब्बत और नेपाल जैसे दूरस्थ देशों से भी विद्यार्थियों को आकर्षित करते रहे। आज, भारत विश्व के सबसे बड़े उच्चतर शिक्षा प्रणालियों में से एक का प्रबंधन करता है।

उच्चतर शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था वर्ष 1823 की माउंटस्टुआर्ट एलफिन्स्टोन की टिप्पणियों में दर्ज है, जिसमें अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान को पढ़ाने के लिए विद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया था। बाद में, लॉर्ड मैकाले ने वर्ष 1835 की अपनी टिप्पणियों में, “देश के निवासियों को बेहतर ढंग से अच्छा अंग्रेजी विद्वान” बनाने के प्रयासों की वकालत की। वर्ष 1854 के सर चार्ल्स वुड के पत्र, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का ‘मैग्ना कार्टा’ के रूप में जाना जाता है, ने प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालयी शिक्षा की एक उचित रूपरेखा तैयार करने की योजना बनाने की सिफारिश की। इसके माध्यम से स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा की एक सुसंगत नीति तैयार करने की योजना बनाई जानी थी। इसके पश्चात्, वर्ष 1857 में कोलकाता, बाम्बे (अब मुंबई) और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, तत्पश्चात् वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किया गया।

शिक्षा, संस्कृति, खेल और संबद्ध क्षेत्रों में जानकारी और सहयोग सांझा करके, विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1925 में अंतर्विश्वविद्यालय बोर्ड (जसे बाद में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के रूप में जाना जाने लगा) की स्थापना की गई।

देश में युद्ध उपरांत शिक्षा विकास पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड जिसे सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है के साथ ही भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का पहला प्रयास वर्ष 1944 में किया गया। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन की सिफारिश की, जिसका गठन वर्ष 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कामकाज की देखरेख करने के लिए किया गया था। वर्ष 1947 में समिति को उस समय मौजूदा विश्वविद्यालयों के साथ कार्य व्यवहार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था।

स्वतंत्रता के पश्चात् जल्द ही “भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा पर रिपोर्ट करने के लिए और उन सुधारों और विस्तारों का सुझाव देने के लिए जो वर्तमान और भविष्य की जरूरतों और देश की आकांक्षाओं के अनुरूप वांछनीय हो सकते हैं” डॉ एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। उन्होंने अनुशंसा की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन, यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मॉडल पर किया जाए जिसमें विख्यात शिक्षाविदों में से पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाए।

वर्ष 1952 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि सार्वजनिक निधियों से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा के संस्थानों को अनुदान सहायता के आवंटन से संबंधित सभी मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संदर्भित किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिनांक 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) का उद्घाटन किया।

तथापि, देश में विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानकों का समन्वय करने, निर्धारण करने तथा रखरखाव करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। पूरे देश में प्रभावी क्षेत्रवार कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बंगलुरु और दिल्ली में सात क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करके अपना परिचालन विकेंद्रीकृत किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है, जिसमें दो अतिरिक्त ब्यूरो 35 फिरोजशाह रोड तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण कैम्पस से भी चल रहे हैं।

वार्षिक रिपोर्ट

2017-2018



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 (भारत)

वेबसाइट : www.ugc.ac.in

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संरचना

- (1) आयोग में निम्नवत शामिल होंगे:-
 - (i) एक अध्यक्ष (ii) एक उपाध्यक्ष, और (iii) दस अन्य सदस्यगण, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (2) अध्यक्ष को ऐसे व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी न हों।
- (3) खंड (iii) की उप-धारा (1) में संदर्भित अन्य सदस्यगणों में से :-
 - (क) दो सदस्यों को केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके अधिकारियों में से चुना जाएगा; (ख) कम से कम चार सदस्यों को उन व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो चुने जाने के समय किसी विश्वविद्यालय के शिक्षक हों; और (ग) शेष सदस्यों को निम्नवत व्यक्तियों में से चुना जाएगा:- (i) जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी अथवा उद्योग में ज्ञान अथवा अनुभव हो; (ii) जो अभियांत्रिकी, विधिक, चिकित्सा या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे से संबंध हों, अथवा (iii) जो विश्वविद्यालय के कुलपति हों, अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हो परंतु केन्द्र सरकार के मतानुसार प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हों अथवा जिनकी उच्च अकादमिक योग्यता हो।

बशर्ते कि इस खंड के तहत चुने गए कम से कम आधे सदस्यगण ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी न हों।
- (4) उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथ ऐसे कर्तव्यों को निर्वहन करेंगे जो अध्यक्ष के लिए विहित की गई हों।
- (5) इस धारा के तहत की गई प्रत्येक नियुक्ति उस तिथि से प्रभावी होगी जब उसे केन्द्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा।

वर्ष 2017-18 के दौरान आयोग के सदस्यों की सूची

1	अध्यक्ष प्रो. वेद प्रकाश ^(%)	
2.	डॉ. वी. एस. चौहान (कार्यकारी) ^(*)	
3.	प्रो. धीरेन्द्र पाल सिंह ^(**)	
	सदस्यगण	
4.	श्री केवल कुमार शर्मा ^(@)	सचिव, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
5.	श्री आर. सुब्रह्मण्यम ^(&)	विशेष सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
6.	श्री प्रमोद कुमार दास	अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली-110001
7.	डॉ. वी. एस. चौहान ^(&&)	पूर्व निदेशक, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एण्ड बायोटेक्नॉलाजी (आईसीजीईबी), नई दिल्ली
8.	प्रो. इन्द्र मोहन कापाही ⁽⁺⁾	आचार्य, अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यालय, महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश
9.	प्रो. एम. जगदीश कुमार	कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
10.	प्रो. एम. रमेश चंद्र कुहाड़	कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, जंत-पाली, महेन्द्रगढ़, हरियाणा
11.	डॉ. जी. गोपाल रेड्डी	पूर्व संकाय अध्यक्ष, कला और सामाजिक विज्ञान संकाय, पालमपुर विश्वविद्यालय, तेलंगाना तथा पूर्व प्राचार्य ओस्मानिया विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हैदराबाद
12.	डॉ. (श्रीमती) सुषमा यादव	आचार्य, लोक नीति और अभिशासन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली
	सचिव	
13.	प्रो० (डॉ०) जसपाल सिंह संधु ⁽⁺⁺⁾	
14.	श्री पी० के० ठाकुर (कार्यकारी) ^(§)	
15.	प्रो० रजनीश जैन ^(§§)	

^(%) 03 अप्रैल, 2017 तक

^(*) 05 अप्रैल, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक

^(**) 01 जनवरी, 2018 से

^(@) 28 फरवरी, 2018 तक

^(&) 07 मार्च, 2018 से

^(&&) 31 दिसम्बर, 2017 तक

⁽⁺⁾ 26 जनवरी, 2018 तक

⁽⁺⁺⁾ 15 अगस्त, 2017 तक

^(§) 17 अगस्त, 2017 से 08 फरवरी, 2018 तक

^(§§) 09 फरवरी, 2018 से

© विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
दिसम्बर, 2018

सम्पादक मण्डल	
डॉ. (श्रीमती) पंकज मित्तल	अपर सचिव
श्री सुभाष चन्द्र	पूर्व-समन्वयक
डॉ. दीक्षा राजपूत	प्रकाशन अधिकारी

मुद्रक एवं प्रकाशक : सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
द्वारा मुद्रित और प्रकाशित।

डिजाइन एवं मुद्रण : चन्दू प्रेस, डी-97, शकरपुर, दिल्ली-110092
फोन : +91 9810519841, 011-22526936 | ई-मेल : chandupress@gmail.com

विषयसूची

	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	ix
कार्यकारी सारांश 2017–2018	1
1. परिचय	17
1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन	17
1.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ	20
1.3 प्रकाशन	27
1.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त	27
1.5 केन्द्रीय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जेसीआरसी)	66
1.6 वर्ष के दौरान आयोग द्वारा लिए गए मुख्य निर्णय	66
1.7 विशेष क्रियाकलाप/पहल	77
2. उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विकास के संबंध में आंकड़े	85
2.1 सकल नामांकन अनुपात	86
2.2 विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय	87
2.3 छात्र नामांकन	129
2.4 परिणाम/उत्तीर्ण छात्रों का ब्योरा	138
2.5 संकाय संख्या	140
3. विकास योजनाएं और विश्वविद्यालयों को सहायता	143
3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता	143
3.2 केन्द्रीय विश्वविद्यालय	143
3.3 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय	154
3.4 सम विश्वविद्यालय संस्थान	157
3.5 राज्य निजी विश्वविद्यालय	161
4. महाविद्यालयों को विकास और अनुरक्षण सहायता	163
4.1 महाविद्यालयों का विकास	163
4.2 वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त महाविद्यालय	163
4.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान	163
4.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा योजनावार अनुदान जारी किया जाना	164
4.5 दिल्ली के महाविद्यालय/बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों को अनुदान	177

5. गुणवत्ता और उत्कृष्टता	185
5.1 उत्कृष्टता की संभावना-शिक्षण और शोध	185
5.2 नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना	189
5.3 विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)	190
5.4 स्वायत्त महाविद्यालय	191
5.5 मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आसीसीबी)	191
5.6 राजभाषा का संवर्धन (हिंदी)	193
5.7 द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	193
5.8 शिक्षण और शोध हेतु मानव संसाधन के विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षा	198
5.9 यात्रा अनुदान	203
5.10 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी)	204
5.11 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र	219
5.12 विश्वविद्यालयों में खेल-कूद अवसंरचना और उपस्कर का विकास	222
6. शोध को प्रोत्साहन	223
6.1 शिक्षकों के लिए वृहद शोध परियोजनाएं	223
6.2 शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक	223
6.3 पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	224
6.4 शोध अध्येतावृत्तियाँ/कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ/रिसर्च एसोशियेटशिप (एम0फिल0/पी0एच0डी हेतु)	226
6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	235
6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियाँ	236
6.7 खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए निशुल्क शिक्षा योजना	240
6.8 विभिन्न शैक्षिक तथा शोध क्रियाकलापों हेतु शिक्षकों, विषय/विधा आधारित संघों को प्रोत्साहन देना	240
6.9 विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध कार्यक्रम	240
7. लिंग तथा सामाजिक समानता	244
7.1 भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास	244
7.2 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक छात्रों तथा निशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम	244
7.3 छात्र प्रवेश	249
7.4 छात्रावास निवासी	250

7.5	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) / अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अनुशिक्षण योजनाएं	252
7.6	उच्चतर शिक्षा में छात्र नामांकन का श्रेणी-वार संवितरण	252
7.7	निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं	253
7.8	विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ	254
7.9	विश्वविद्यालयों में सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशन की नीति के अध्ययन के लिए केन्द्रों की स्थापना	254
8.	प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा	255
8.1	विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र	255
8.2	भारतीय युग प्रवर्तक समाज चिंतक	256
9.	सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का समेकन	258
9.1	ई-गवर्नेंस	258
9.2	आईसीटी के माध्यम से ई-शिक्षण	258
9.3	लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)	260
9.4	लोक शिकायत	260
10.	कौशल विकास संबंधी पहल	261
10.1	नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन नेटवर्क (एनएफक्यूएस) के तहत विआ कौशल विकास योजनाएं	261
10.2	सामुदायिक महाविद्यालय/बी0वोक0 उपाधि कार्यक्रम/डीडीयू कौशल केन्द्र	262
11.	मुक्त और दूरस्थ शिक्षा	276
11.1	मुक्त और दूरस्थ शिक्षण/छात्र नामांकन	276

प्राक्कथन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) की वर्ष 1953 में स्थापना के साथ ही की वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन अनवरत रूप से किया जा रहा है।

वर्ष 2017-2018 की वार्षिक रिपोर्ट न केवल देश में उच्चतर शिक्षा स्तर को बनाए रखने तथा समन्वय स्थापित करने के लिए शीर्ष संस्था के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल को दर्शाती है, बल्कि यह उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता तथा समता आधारित विस्तार सुनिश्चित करने के उद्देश्य आरंभ की गई नई पहल पर भी प्रकाश डालती है।

मुझे आशा है कि इस वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए समस्त आंकड़े/जानकारियां शिक्षकों, छात्रों शोधकर्ताओं, प्रशासकों तथा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अन्य हितधारकों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी।

मैं इस अवसर पर आयोग के सभी सदस्यों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एजेन्डे को आगे ले जाने में उनके उदार सहयोग हेतु अत्यंत आभारी हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

मैं इस अवसर पर रिपोर्ट को इसके वर्तमान स्वरूप में तैयार करने के लिए मेरे सहयोगियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं, वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में डॉ. (श्रीमती) पंकज मित्तल, अपर सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; श्री सुभाष चंद्र, पूर्व समन्वयक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; डॉ. दीक्षा राजपूत, प्रकाशन अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, के अमूल्य योगदान तथा अथक प्रयासों हेतु विशेषरूप से धन्यवाद देता हूँ।

वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु में सुधार करने के लिए सुझावों का स्वागत है।

नई दिल्ली
दिसम्बर, 2018

प्रो० धीरेन्द्र पाल सिंह
अध्यक्ष

कार्यकारी सारांश : 2017–18

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 का कार्यकारी सारांश विश्वविद्यालयी शिक्षा के समन्वय, मानकों के निर्धारण तथा रखरखाव के अनिवार्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2017–18 में किए गए क्रियाकलापों को समाहित करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2017–18 में लागू की गई विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के तहत प्राप्त किए गए वास्तविक लक्ष्यों तथा इन पर हुए व्यय को विस्तार से दर्शाता गया है। सारांश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संरचना तथा भूमिका, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकीय विकास, वर्ष के दौरान लिए गए बड़े निर्णय, विभिन्न योजनाओं के तहत विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के वित्तीय परित्यय तथा कौशल शिक्षा सहित गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता, शोध, पहुंच तथा समानता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का संक्षेप में ब्योरा दिया गया है।

1. प्राक्कथन-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन

- आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 10 सदस्य (सचिव-शिक्षा सचिव- व्यय, तथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त/ नामनिर्देशित 8 अन्य सदस्य) होते हैं। सचिव आयोग के सचिवालय का मुखिया होता है जिसमें 426 कार्यरत कर्मचारिवृंद हैं जिनमें समूह 'क' के 76 अधिकारी, समूह 'ख' के 236 अधिकारी, समूह 'ग' के 105 कर्मचारी तथा जलपानगृह के 9 कर्मचारी शामिल हैं। कार्यरत कर्मचारिवृंदों में 32.16 प्रतिशत महिलाएं, 23.71 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 4.46 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 से देश में 7 क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर अपने कार्यकरण का विकेंद्रीकरण किया है।
- सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 16962 आवेदन तथा प्राप्त हुए हैं तथा 7982 का निपटान किया गया है। वर्ष 2017–18 के दौरान 2471 अपीलें प्राप्त हुईं जिनमें से 1158 अपीलों का सी0पी0आई0ओ0 तथा एफ0ए0ए0 द्वारा निपटान किया गया तथा आरटीआई शुल्क संग्रहण 48222/- रुपए रहा तथा अतिरिक्त शुल्क 41926/- रुपए रहा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सतर्कता प्रकोष्ठ को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 151 शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें से केन्द्रीय सतर्कता आयोग (04) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (14) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (15) अन्य (118) (विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त हुईं) और संवेदनशील स्वरूप की शिकायतों को जांच अधिकारी के समक्ष रखा गया और समिति की सिफारिशों के अनुरूप कार्यवाही आरंभ की गई। जांच समिति के निष्कर्षों तथा सतर्कता संबंधी स्थायी समिति (एससीवी) की सिफारिशों के आधार पर अगले आदेश तक एक महाविद्यालय को अनुदान जारी करने पर रोक लगा दी गई है तथा दो संकाय सदस्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई भी अनुदान प्राप्त करने पर रोक लगाकर कालीसूची में डाल दिया गया है।
- वर्ष 2017–18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भारत के विभिन्न न्यायालयों में दर्ज 1250 मामलों में प्रतिवादी बनाया गया और अधिवक्ताओं के बिल पर पिछले वर्ष के 178.00 लाख रुपए की तुलना में 152.50 लाख रुपए का व्यय हुआ।
- संसद डेस्क को वर्ष 2017–18 के दौरान पिछले वर्ष के 952 संसदीय प्रश्नों की तुलना में 685 प्रश्न प्राप्त हुए। 54 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर आश्वासन दिया गया तथा शेष का निपटान कर दिया गया।
- कदाचार रोधी प्रकोष्ठ मौजूदा जाली विश्वविद्यालयों तथा उपाधियों तथा उनकी बढ़ती संख्या की समस्या से निपटने के लिए उत्तरदायी है तथा उसने कुल 24 जाली संस्थानों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की है। 24 जाली संस्थानों के अतिरिक्त दो और विश्वविद्यालय यथा (1) भारतीय शिक्षा परिषद्, लखनऊ (2) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एण्ड मेनेजमेन्ट (आईआईपीएम) हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत मान्यता प्रदान नहीं की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समाचार पत्रों में जनसाधारण/ छात्रों की जागरूकता हेतु अकादमिक सत्र के आरंभ में छात्रों को जाली संस्थानों में प्रवेश प्राप्त न करने हेतु आगाह करते हुए एक नोटिस/ प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पदों तथा सेवाओं में आरक्षण के आदेशों को लागू करने हेतु एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की है।
- “कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न” से संबंधित दो मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आंतरिक शिकायत समिति के संज्ञान में लाया गया तथा दोनों मामलों में जांच पूर्ण की जा चुकी है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।
- वर्ष 2008 में स्थापित रैगिंग-रोधी प्रकोष्ठ, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मौजूद रैगिंग की समस्या के निराकरण के लिए उत्तरदायी है। सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को रैगिंग के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है। 12 भाषाओं में कॉल सेंटर सुविधाओं के साथ एक 24X7 राष्ट्रव्यापी निःशुल्क रैगिंग रोधी हेल्पलाइन 1800-180-5522 आरंभ की गई है। एक रैगिंग-रोधी वेब-पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष (2017-2018) के दौरान विभिन्न महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों से 997 शिकायतें प्राप्त हुईं और सम्बद्ध संस्थानों से शिकायतों पर कार्यवाही करने और की गई कार्यवाही की रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजने को कहा गया है। 983 शिकायतों के मामले में संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई, तथापि, शेष 14 मामलों में की गयी कार्यवाही रिपोर्ट प्रतीक्षित है और यदि उनसे कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है तो रैगिंग की समस्या के निवारण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 के अनुसार संगत दंडात्मक कार्यवाही आरंभ की जाएगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के विरुद्ध प्रचार अभियान आरंभ करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मीडिया प्रचार हेतु 4.79 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग के विरुद्ध प्रत्येक 30 सैकिंड की दो टीवीसी विकसित की हैं जिन्हें देशभर के स्टेशनों में डिजिटल सिनेमा में प्रचारित किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देशभर में राष्ट्रव्यापी एफएम रेडियो तथा कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों पर जिंगल भी प्रसारित किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग रोधी 4 प्रकार के पोस्टर डिजाईन तथा प्रकाशित भी किए हैं तथा उन्हें विश्वविद्यालय/संस्थानों तथा विनियामक निकायों के बीच वितरित भी किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता भी आरंभ की है तथा विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा और रैगिंग की समस्या के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाएगा।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लेखाओं का बेहतर रखरखाव करने तथा पारदर्शिता बनाए रखने हेतु कार्य कर रहा है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शून्य सहिष्णुता की नीति को लागू करने के लिए कैम्पसों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा लिंग संवेदनशीलता पैदा करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं।
- वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रकाशन ब्यूरो ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दस्तावेजों के प्रकाशन/मुद्रण पर 25.53 लाख रुपए व्यय किए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त — वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बजट और अनुदान-सहायता की प्राप्ति का ब्योरा निम्नवत है:

- सामान्य बजट शीर्ष के तहत 12467.01 करोड़ रुपए के आबंटन के समक्ष 12041.83 करोड़ रुपए के कुल अनुदान (राजस्व तथा पूंजीगत) प्राप्त हुए। 763.63 करोड़ रुपए की अव्ययित शेष राशि (वर्ष 2016-17) को वर्ष 2017-18 के दौरान उपयोग किया गया है।
- वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व और पूंजीगत (सामान्य) बजट के तहत मंत्रालयों से प्राप्त अनुदान निम्नवत थे: (1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य) 12041.83 करोड़ रुपए। (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली: 245.40 करोड़ रुपए। (3) जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली: 0.12 करोड़ रुपए। (4) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली: 124.85 करोड़ रुपए।
- प्राप्त किए गए 12805.46 करोड़ रुपए के राजस्व और पूंजीगत अनुदान (प्राप्त निधियां: 12041.83 करोड़ रुपए + वर्ष 2016-17 का अव्ययित शेष = 763.63 करोड़ रुपए), वर्ष 2017-18 के दौरान संस्थानों को 12450.87 करोड़ रुपए की अनुदान राशि

जारी की गई। 7315.93 करोड़ रुपए (58.76) प्रतिशत राशि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 2247.16 करोड़ रुपए (18.05 प्रतिशत) राशि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को जारी की गई, 610.28 करोड़ रुपए (4.90 प्रतिशत) राशि राज्य विश्वविद्यालयों को जारी की गई, 511.83 करोड़ रुपए (4.11 प्रतिशत) राशि सम विश्वविद्यालय संस्थानों को जारी की गई, 155.38 करोड़ रुपए (1.25 प्रतिशत) राशि राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को जारी की गई, 182.27 करोड़ रुपए (1.46 प्रतिशत) राशि अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों को जारी की गई, 188.99 करोड़ रुपए (1.52 प्रतिशत) राशि क्षेत्रीय केन्द्रों को जारी की गई, 1106.55 करोड़ रुपए (8.89 प्रतिशत) राशि छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान हेतु जारी की गई, 23.49 करोड़ रुपए (0.19 प्रतिशत) राशि प्रकीर्ण/विश्वविद्यालयेत्तर संस्थानों को जारी की गई, 5.19 करोड़ रुपए (0.04 प्रतिशत) राशि रैगिंग रोधी उपायों हेतु व्यय की गई, 103.79 करोड़ रुपए (0.83 प्रतिशत) राशि प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय) तथा (क्षेत्रीय कार्यालय) हेतु व्यय की गई।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों के पदों (समूह क, ख और ग) के लिए एक समान सेवा शर्तों के संपूर्ण ढांचे की सिफारिश करने के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) का गठन किया गया है। भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 02 जनवरी, 2018 के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 19-62/2017.सीयू/सीडीएन के माध्यम से अर्ध सरकारी संगठनों, स्वायत्त संगठनों, तथा सांविधिक निकाय, जिनकी स्थापना तथा वित्तपोषण तथा नियंत्रण केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है, में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग कार्यान्वित किया, जिसे सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली के महाविद्यालयों (54) तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को दिनांक 18 जनवरी, 2018 के पत्र संख्या एफ संख्या 11-1/2017 (सीयू) के सम्प्रेषित कर दिया है।
- वर्ष 2017-18 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 8 बैठकें हुईं तथा मानकों के रखरखाव; सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त संदर्भ; विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता कार्यक्रम तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को अनुदान से संबंधित मामलों पर बड़े निर्णय लिए गए जिन्हें अध्याय-1 (पृष्ठ 66 से पृष्ठ 76) में दिया गया है।

2. उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विकास : कुछ आँकड़े

- आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ज) और 12(झ) के तहत देश तथा अन्य देशों के विश्वविद्यालयों की शिक्षा से सम्बंधित मामलों में इस प्रकार की सूचना एकत्रित करने का अधिकार है, जैसा वह उचित समझता है तथा किसी विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी जानकारी प्रदान करना अपेक्षित होता है जो किसी विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के संबंध में आवश्यक हो। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समय से तथा गुणवत्तायुक्त आंकड़ें प्राप्त करने के लिए, जिनका मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में उच्चतर शिक्षा के समग्र स्थिति का आंकलन करने के लिए डाटाबेस तैयार करने हेतु उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारतीय सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया है।
- आंकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिए नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की मदद से एक प्रतिबद्ध पोर्टल (<http://aishe.gov.in>) विकसित किया गया है। पोर्टल तक पहुंच बनाने तथा डॉटा अपलोड करने के लिए सभी संस्थानों को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना और सांख्यिकीय ब्यूरो ने वर्ष 2014-15 से सीधे विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों से देश में विश्वविद्यालयी शिक्षा से जुड़े ऐसे सभी मामलों पर आंकड़े संग्रहित करना बंद कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में समय से तथा गुणवत्तायुक्त आंकड़े प्राप्त करने, उनके संकलन तथा प्राक्कलन का कार्य अखिल भारतीय आधार पर पोर्टल <http://aishe.gov.in> के माध्यम से कार्य किया जा रहा।
- स्वतंत्रता के समय उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में 2.1 लाख छात्रों के साथ देश में केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 महाविद्यालय थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो आंकड़े थे उनकी तुलना में अब डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों के मामले में यह संख्या 47.9 गुना हो चुकी है, महाविद्यालयों के संबंध में यह संख्या 82.02 गुना हो चुकी है और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत छात्रों का नामांकन 174.49 गुना हो चुका है।
- दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की संख्या 851 हो गई है (47 केन्द्रीय, 383 राज्य सार्वजनिक, 295 राज्य निजी, 123 सम विश्वविद्यालय, राज्य विधान के तहत तीन संस्थान) तथा

उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में 41012 महाविद्यालय (वर्ष 2017-18 की एआईएसअर्च की रिपोर्ट) स्थापित हुए (स्टैण्डालोन सस्थानों के अलावा)। जहां तक राज्यों में स्थापित विश्वविद्यालय का संबंध है, 77 विश्वविद्यालयों के साथ राजस्थान सूची में सबसे ऊपर है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश (75), तत्पश्चात् गुजरात (63) आदि हैं।

- रिपोर्टाधीन वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों की सूची में 23 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय तथा 34 राज्य निजी विश्वविद्यालय तथा एक सम विश्वविद्यालय संस्थान को सम्मिलित किया गया है। 15 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, 7 सम विश्वविद्यालयों तथा 2 राज्य निजी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया है।
- वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 41012 महाविद्यालय थे (संबद्ध-37977, संघटक-1550, स्नातकोत्तर/ऑफ कैम्पस केन्द्र-187, मान्यताप्राप्त केन्द्र-1298)।
- वित्त वर्ष 2017-18 के अंत तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों की कुल संख्या 11515 थी। इनमें अब तक धारा 2(च) के तहत मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश (2626), जिसके बाद महाराष्ट्र (1423), कर्नाटक (1009), तमिलनाडु (603), मध्य प्रदेश (553) और गुजरात (548) आदि में हैं।
- देश में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन दर (जीईआर) 25.8 प्रतिशत है जिसे 18 से 23 आयु वर्ग के लिए परिकलित किया गया है। पुरुष जनसंख्या के लिए जीईआर 26.3 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए यह 25.4 प्रतिशत है।
- शिक्षा सत्र 2017-18 के दौरान नियमित और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के समस्त पाठ्यक्रमों और स्तरों पर कुल छात्रों का नामांकन 366.42 लाख था जिसमें 174.38 लाख छात्राएँ थीं, जो कि समस्त नामांकन का 47.59 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश में छात्रों का सर्वाधिक नामांकन (64.55 लाख) रहा जिसके बाद महाराष्ट्र (41.31 लाख), तमिलनाडु (34.41 लाख) तथा पश्चिम बंगाल (20.35 लाख) इत्यादि रहे।
- प्रतिशत के संदर्भ में विभिन्न स्तरों पर छात्र नामांकन: स्नातकपूर्व (79.19 प्रतिशत), स्नातकोत्तर (11.23 प्रतिशत), शोध (0.53 प्रतिशत), डिप्लोमा/प्रमाणपत्र (8.51 प्रतिशत) तथा समेकित पाठ्यक्रमों से (0.54 प्रतिशत) रहा।
- वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 1284957 शिक्षकों में से लगभग 58 प्रतिशत पुरुष शिक्षक हैं तथा 42 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं।
- वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पी.एच.डी. तथा एम.फिल. पाठ्यक्रमों में क्रमशः 161412 तथा 34109 छात्र नामांकित हुए।
- वर्ष 2017-18 के दौरान क्रमशः 34400 तथा 28059 पी0एच0डी0 तथा एम0फिल0 शोध उपाधियां प्रदान की गईं। पी0एच0डी0 स्तर पर सबसे अधिक विज्ञान विषय में (8880) उपाधियां, तत्पश्चात् अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में (4907) उपाधियां प्रदान की गईं।
- प्रतिशत के संदर्भ में, महिला नामांकन लक्षद्वीप में सर्वाधिक रहा (78.99 प्रतिशत) उसके पश्चात् गोवा (55.66 प्रतिशत) रहा। परिशुद्ध संख्या में, उत्तर प्रदेश 31.47 लाख के आंकड़ों के साथ महिला नामांकन के मामले में शीर्ष पर रहा जिसके बाद महाराष्ट्र (18.60 लाख) तथा तमिलनाडु (17.02 लाख) आदि रहे।
- वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण में पहली बार व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। वर्ष 2017-18 के लिए शिक्षक सूचना प्ररूप (टीआईएफ) के माध्यम से जानकारी प्रदान करने वाले शिक्षकों की कुल संख्या 1284957 थी।

3. विश्वविद्यालयों को विकास और अनुरक्षण अनुदान

- केन्द्रीय, राज्यों और सम विश्वविद्यालयों को पहुंच को बढ़ाने, समानता को सुनिश्चित करने में, संगत शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता में सुधार करने, प्रशासन को प्रभावी बनाने, छात्रों हेतु सुविधाओं में वृद्धि करने, शोध सुविधाओं का संवर्धन करने और विश्वविद्यालयों की किन्हीं अन्य योजनाओं को सम्मिलित करते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए सामान्य विकास अनुदान

उपलब्ध कराया जा रहा है। सीमित संख्या में विश्वविद्यालयों को उनके शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर दोनों वर्गों में कर्मचारियों के वेतन के लिए आवर्ती व्यय का भुगतान करने, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, भवनों आदि के रखरखाव, और कुछ अनिवार्य भुगतानों जैसे करों, टेलीफोन, बिजली के बिल, डाक खर्च आदि के लिए अनुरक्षण अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और कुछ समविश्वविद्यालयों को पूंजीगत तथा अनुदान राजस्व (वेतन तथा आवर्ती अनुदान) दोनों का भुगतान किया जा रहा है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों को केवल योजनागत पूंजीगत अनुदान का ही भुगतान किया जा रहा है। निजी विश्वविद्यालयों को केवल शिक्षकों तथा छात्रों की योजनाओं के लिए ही अनुदान प्रदान किया जाता है।

- वर्ष 2017-18 के दौरान दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 47 थी। इनमें से सात विश्वविद्यालयों नामतः (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (iii) इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई (iv) सॉउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली (v) नालन्दा विश्वविद्यालय, बिहार, (vi) राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश और (vii) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान केवल 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वेतन, आवर्ती तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के तहत विकास अनुदान उपलब्ध कराया गया।
- वर्ष 2017-18 के दौरान 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वेतन, आवर्ती तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के तहत क्रमशः 455409.00 लाख रुपए, 145786.25 लाख रुपए तथा 76480.00 लाख रुपए का सामान्य विकास अनुदान उपलब्ध कराया गया।
- वर्ष 2017-18 के दौरान 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वेतन, आवर्ती तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के तहत क्रमशः 365.00 लाख रुपए, 12198.75 लाख रुपए तथा 33726.24 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान भी जारी किया गया।
- वर्ष 2017-18 के दौरान पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय को बाबा सतगुरु रामसिंह पीठ तथा हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय को स्वामी दयानंद सरस्वती पीठ की स्थापना करने के लिए 17.00 लाख रुपए का अनुदान जारी किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता और अनुशासन को बढ़ावा देने के माध्यम के रूप में योग के महत्व को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 44.00 लाख रुपए का अनुदान जारी किया गया।
- अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की स्थापना के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय को वर्ष 2017-18 के दौरान 58.84 करोड़ रुपए का कुल अनुदान जारी किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 31 मार्च, 2018 तक तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को उर्दू माध्यम के शिक्षकों के पेशेवर विकास हेतु केन्द्र की स्थापना के लिए 10.96 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया।
- वर्ष 2017-18 के दौरान प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण प्रदान करने के लिए क्षमता विस्तार योजना के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तीन संघटक महाविद्यालयों को 422.95 लाख रुपए तथा मणिपुर विश्वविद्यालय को 539.70 लाख रुपए के अनुदान को संस्वीकृत किया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा का विस्तार तथा उसे सुदृढ़ करने की योजना तैयार की है। वर्तमान में, 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय/विभाग हैं जो विभिन्न पूर्व-सेवाओं तथा अन्य अध्यापक शिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्र की स्थापना के लिए 9 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुमोदित किया है। वर्ष 2017-18 के दौरान, झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा गुरु घासी दास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, प्रत्येक को वेतन तथा आवर्ती शीर्ष के तहत 180 लाख रुपए का अनुदान जारी किया गया है।

- 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 35 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त किया है। शेष 5 विश्वविद्यालयों में से दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों यथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा पुदुचेरी विश्वविद्यालय के प्रत्यायन की अवधि पूर्ण हो चुकी है और उन्होंने इसके लिए नए सिरे से आवेदन किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय तथा झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने पहली बार प्रत्यायन हेतु आवेदन किया तथा महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी नया स्थापित विश्वविद्यालय है तथा यह प्रत्यायन हेतु पात्र नहीं है।
- वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छह विश्वविद्यालयों नामतः इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केन्द्रों की स्थापना तथा रक्षा अध्ययन केन्द्रों का राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केन्द्रों के रूप में उन्नयन करने को अनुमोदित किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 206.25 लाख रुपए का अनुदान जारी किया है।
- दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों के विधानों द्वारा अधिनियमित कानूनों के अंतर्गत 383 राज्य सरकारी और 295 राज्य निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों के लिए 16396.97 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है।
- वर्ष 2017-18 के दौरान सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत पूर्वोत्तर के राज्य विश्वविद्यालयों के लिए 314.18 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की गई थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014-15 के दौरान “स्वच्छ भारत- स्वस्थ भारत” नामक नई योजना आरंभ की है। इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय सामान्य विकास अनुदान का उपयोग करेंगे जिसे पहले ही राज्य विश्वविद्यालयों को आबंटित किया जा चुका है।
- वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजीगत अनुदान (वेतन शीर्ष) हेतु पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ को 4000.00 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।
- दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 123 सम विश्वविद्यालय थे। इनमें से 21 चिह्नित सम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विकास अनुदान तथा निर्धारित अनुरक्षण/ विशेष अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।
- वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्व/ पूंजीगत अनुदान विकास योजना (ब्लॉक अनुदान) के तहत 16 सम विश्वविद्यालयों को 6000.00 लाख रुपए की राशि जारी की।
- वर्ष 2017-18 के दौरान 10 सम विश्वविद्यालयों को राजस्व/ पूंजीगत अनुदान (अनुरक्षण अनुदान) के तहत 42118.15 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

4. महाविद्यालयों को विकास तथा अनुरक्षण सहायता

- महाविद्यालयों को विकास सहायता का बल, मूलभूत अवसंरचना का उन्नयन कर शिक्षण- ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को समर्थन देने पर रहा है। मौजूदा संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार तथा उन्हें मजबूत करने, स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण, यौक्तिकरण तथा विविधीकरण के माध्यम से स्तरों में सुधार करने, विशेषरूप से उन्हें करियर के अवसरों से जोड़ने पर बल दिया गया है। शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पर्याप्त सुविधाएँ मौजूद नहीं हैं, वहाँ पर भी नए महाविद्यालयों की स्थापना करना आयोग की एक प्राथमिकता है।
- दिनांक 31 मार्च, 2018 तक देश में 41012 महाविद्यालय थे। इनमें से, दिनांक 31 मार्च, 2018 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत केवल 11515 महाविद्यालयों अर्थात् 28.08 प्रतिशत को मान्यता प्राप्त है। कुल 11515 महाविद्यालयों में से मात्र 9362 महाविद्यालय ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। महाविद्यालय क्षेत्रक से संबद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सभी योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली और बंगलूरु में स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से होता है।

- वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने महाविद्यालय विकास सहायता योजना के अंतर्गत 401 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 32.49 करोड़ रुपए का कुल अनुदान जारी किया।
- दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 तक महाविद्यालयों को विकास सहायता योजना के तहत 5840 पात्र महाविद्यालयों को 783.90 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई।
- वर्ष 2017-18 के दौरान महिला छात्रावास के निर्माण की योजना के तहत 195 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों से 30.66 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 के दौरान 1971 महाविद्यालयों को 479.39 करोड़ रुपए का कुल अनुदान जारी किया गया।
- वर्ष 2017-18 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों ने 182 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को स्वायत्त महाविद्यालय की योजना के तहत 17.50 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 के दौरान 413 महाविद्यालयों को 192.82 करोड़ रुपए का कुल अनुदान जारी किया गया था।
- वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने शिक्षकों हेतु लघु शोध परियोजना स्कीम के तहत विज्ञान में 6.18 करोड़ रुपए तथा मानविकी में 4.74 करोड़ रुपए का अनुदान क्रमशः विज्ञान के 1052 तथा मानविकी के 1039 शिक्षकों को जारी किया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 के दौरान मानविकी और विज्ञान के 17161 शिक्षकों को 242.24 करोड़ रुपए का कुल अनुदान जारी किया गया।
- वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने संगोष्ठियों/परिसंवाद/कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के 407 प्रस्तावों को अनुमोदित किया तथा पात्र महाविद्यालयों को 1.48 करोड़ रुपए की राशि जारी की। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 के दौरान योजना के तहत 6559 महाविद्यालयों 79.10 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
- वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने संकाय विकास कार्यक्रम योजना के तहत 1245 लाभार्थियों (शिक्षकों) को 32.25 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 के दौरान योजना के तहत 7377 लाभार्थियों (शिक्षकों) को 183.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना करने का एक नीतिगत निर्णय लिया है जिसके लिए इसने प्रत्येक महाविद्यालय को आईक्यूएसी की स्थापना करने तथा उसे सुदृढ़ करने हेतु व्यय के लिए प्रारंभिक राशि (सीड मनी) के रूप में 3.00 लाख रुपए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों ने आईक्यूएसी के तहत 4690 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 139.16 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया।
- वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने महाविद्यालयों में खेल अवसंरचना तथा उपकरण विकास योजना के तहत 168 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 36.65 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 के दौरान 1078 महाविद्यालयों को 313.01 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन महाविद्यालयों को विशेष विरासत योजना का लाभ प्रदान कर रहा है जिन्होंने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं जिन्होंने न केवल उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अथाह योगदान दिया बल्कि देश के लंबे इतिहास के सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक ताने-बाने को बनाए रखने में अत्यधिक योगदान दिया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे विरासत वाले संस्थानों के योगदान को स्वीकार करता है तथा उन्हें पुरस्कृत करता है ताकि वे हमारी युवा पीढ़ी को शिक्षा के उचित मूल्यों के बारे में प्रोत्साहित करते रहें। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 के दौरान "महाविद्यालयों को विशेष विरासत योजना" के तहत 17 महाविद्यालयों को 10.19 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्देश्य दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों के लिए पाठक की सहायता से और शिक्षण और अधिगम सहायता सामग्री का उपयोग करके सहायता प्रदान करना है, इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पाठक भत्ते, ब्रेल पुस्तकों, रिकार्डेड सामग्रियों आदि के क्रय के लिए धनराशि उपलब्ध कराता है। वर्ष 2017-18 के दौरान 76 लाभार्थियों को 0.3386 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 के दौरान 267 लाभार्थियों को कुल 2.525 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया।

- वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने ऐसी योजनाओं के लिए 430 लाभार्थी महाविद्यालयों को एकमुश्त 'कैच-अप' अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, आमेलित योजनाओं, प्रतिबद्ध देयताओं के तहत स्वर्ण जयंती आयोजनों हेतु 21.54 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया जिन्हें बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंद कर दिया गया था।
- वर्ष 2017-18 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के 53 महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान के रूप में 204023.23 लाख रुपए के कुल राजस्व अनुदान उपलब्ध कराए गए और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार घटक महाविद्यालयों को 6138.64 लाख रुपए की राशि का भी भुगतान किया गया है।
- वर्ष 2017-18 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के 64 महाविद्यालयों को महिला छात्रावास, खेल-कूद अवसंरचना, भवन निर्माण तथा संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला आयोजित करने तथा दृष्टिबाधित शिक्षकों के लिए पाठक भत्ते हेतु 1005.42 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

5. गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता

- शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 16 चिह्नित विश्वविद्यालयों को "उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय" (यूपीई) का दर्जा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालयों को 55.64 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।
- 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों से 'किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र' (सीपीईपीए) वाले 29 केन्द्रों को सहायता प्रदान की गई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालयों को 12.43 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।
- महाविद्यालयों में मुख्य रूप से शिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करने और महाविद्यालयों में शोध की संस्कृति की पहल करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय" (सीपीई) नामक एक योजना आरम्भ की है। वर्तमान में, 295 महाविद्यालयों को सीपीई दर्जा प्राप्त है तथा 19 महाविद्यालय को उत्कृष्टता के महाविद्यालय (सीई) का दर्जा प्राप्त है। वर्ष 2017-18 के दौरान सीपीई योजना के तहत कुल 314 महाविद्यालय हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान महाविद्यालयों को 88.71 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।
- आयोग ने वर्ष 2001 में विभिन्न अंतर-विषयक क्षेत्रों में अध्ययन तथा शोध पर "नए केन्द्रों की स्थापना/ उत्कृष्टता के संस्थान" की नई योजना को आरम्भ की थी। वर्तमान में, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर राष्ट्रीय अध्ययन का केवल एक केन्द्र चल रहा है।
- स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने तथा शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) के तहत जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी तथा सामाज विज्ञान सहित विज्ञान के विश्वविद्यालय विभागों को सहायता प्रदान की जा रही है। दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार एसएपी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या 808 थी। वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसएस स्तर पर 151 विभागों तथा डीएसएस के स्तर पर 72 विभाग तथा डीआरएस के स्तर पर 585 विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2017-18 के दौरान विभागों को 52.18 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
- आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत सम्भाव्यता वाले मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों को शैक्षिक स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 31 मार्च, 2018 तक 25 राज्यों के 105 विश्वविद्यालयों के 635 महाविद्यालयों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 182 स्वायत्त महाविद्यालयों को 21.24 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया।
- मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी), (अकादमिक स्टॉफ कॉलेज-एएससीसी) के माध्यम से विभिन्न विधाओं में शिक्षकों के पेशेवर विकास हेतु एक वृहत कार्यक्रम का संचालन किया

गया। विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रहे इन केन्द्रों के कार्यक्रम हेतु 64.05 करोड़ रुपए का अनुदान संस्वीकृत किया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान 66 वि०अ०आ०-एच०आर०डी०सी० द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में लगभग 25000 शिक्षकों ने भाग लिया।

- हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजभाषा अनुभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन, टिप्पण, मसौदा लेखन और हिन्दी टंकण प्रतियोगिताओं को आयोजित किया, कार्यशालाओं का संचालन किया और हिन्दी पखवाड़ा एवं हिन्दी दिवस मनाया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, नारवे तथा न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ संयुक्त शोध कार्यक्रम चला रहा है साथ ही यह छात्रवृत्तियों, शोध कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भारतीय विद्वानों को उनके शोध क्षमता को पहचानने का अवसर प्रदान करता है।
- राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ, यूनाईटेड किंगडम, भारत में विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा महाविद्यालय में उत्कृष्ट संकाय सदस्यों को शोध कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए 10 राष्ट्रमंडल चिकित्सा अध्यावृत्ति अवार्डों की पेशकश करता है। पिछले वर्ष राष्ट्रमंडल आयोग द्वारा इन अध्यावृत्तियों के लिए दो भारतीय चिकित्सकों का चयन किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय छात्रों से हंगरी में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टरेल अध्ययन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। वर्ष 2017 में हंगरी छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा 175 भारतीय छात्रों का चयन किया गया था।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा जर्मन अकादमिक एक्सचेंज सर्विस (डीएएडी) द्वारा तैयार किए गए परियोजना आधारित कार्मिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (पीपीपी) के तहत वर्ष 2017 के दौरान दो परियोजनाओं का चयन किया गया था।
- **उच्चतर शिक्षा में भारतीय-जर्मन भागीदारी (आईजीपी) :** मंत्रालयों के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन तथा आशय के संयुक्त घोषणापत्र के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) भारत और जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस (डीएएडी), जर्मनी द्वारा उच्चतर शिक्षा में भारत-जर्मन भागीदार (आईजीपी) के मध्य दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया और भारत के माननीय प्रधानमंत्री एवं जर्मनी के महामहिम चांसलर की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। पहले चरण में 4 वर्ष की अवधि के लिए वर्ष 2016 में 8 संस्थागत भागीदारियां प्रदान की गईं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- यूकेआईआईआरआई विषयगत भागीदारियां, ब्रिटेन और भारत में संस्थान-आधारित सिद्ध शोध क्षमता वाले शोध दलों के मध्य किए जाने का लक्ष्य है। विषयगत भागीदारी के तहत वर्ष 2017-18 के दौरान 18 संयुक्त शोध परियोजनाएं प्रदान की गईं।
- भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त शोध परियोजना के तहत, अब तक 7 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।
- भारत-इजरायल संयुक्त शोध कार्यक्रम के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा इजरायल साइंस फाउंडेशन (आईएसएफ) ने संयुक्त-शोध परियोजना हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए तथा वित्तपोषण हेतु वर्ष 2017 के दौरान 11 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया।
- उच्चतर शिक्षा तथा शोध के क्षेत्र में इंडो-नारवीयन सहयोग कार्यक्रम (आईएनसीपी) एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत तथा नारवे के बीच उच्चतर शिक्षा संपर्क को बढ़ाना है। उच्चतर शिक्षा पर एक समझौता ज्ञापन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) भारत और 'नारवीयन सेन्टर फॉर इन्टरनेशनल को-आपरेशन इन एजुकेशन' (एसआईयू) के बीच शिक्षा सहयोग समझौते पर दिनांक 14 फरवरी, 2014 को हस्ताक्षर किए गए थे। आईएनसीपी के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत तथा एसआईयू, नारवे ने वर्ष 2014 के दौरान तीन वर्षों के लिए 13 परियोजनाओं का चयन किया और इसे आगे 31 दिसम्बर, 2018 तक बढ़ाया।
- आस्ट्रेलिया-भारत शैक्षणिक परिषद् (एआईईसी) ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को छात्र अंतरण विषय पर एक परियोजना अवार्ड की।

- **विदेशी भाषा शिक्षक** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है, जो अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी भाषा पढ़ाने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति करता है। वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में **22 विदेशी भाषा के शिक्षकों** की नियुक्ति की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यापन और शोध के पेशे में प्रवेश करने वालों के लिए न्यूनतम मानदंड सुनिश्चित करने हेतु सहायक प्राचार्य तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों के लिए एक वर्ष में दो बार एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा (नेट) (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ऑऊटसोर्स किया गया) आयोजित करता है। नेट परीक्षा 80 विषयों में देशभर में फैले 90 शहरों में आयोजित की जाती है। दिनांक 05 नवम्बर, 2017 को सहायक आचार्य हेतु आयोजित अर्हता परीक्षा में 9.29 लाख अभ्यर्थी तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों की परीक्षा में 5.70 लाख अभ्यर्थी बैठे। तथा इनमें से सहायक आचार्य हेतु 45737 (6.46 प्रतिशत) तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति हेतु 3822 (0.85 प्रतिशत) अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से "सी0एस0आई0आर0" विज्ञान के पांच विषयों में नेट परीक्षा संचालित करता है। जून, 2017 तथा दिसम्बर, 2017 में संयुक्त सीआईएसआर-वि0अ0आ0 नेट परीक्षा आयोजित की गई तथा प्रत्येक परीक्षा में 1500 वि0अ0आ0-जे0आर0एफ0 सहित क्रमशः 7221 तथा 9882 अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य हेतु अर्हक पाया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्यों/ राज्यों के समूहों को राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) के संचालन के लिए भी प्रत्यायन प्रदान किया है। जिन उम्मीदवारों ने दिनांक 01 जून, 2002 से पूर्व, व्याख्याता हेतु राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण कर ली है, ऐसे उम्मीदवार को "नेट" परीक्षा में बैठने से छूट प्राप्त है। जून, 2002 अथवा उसके बाद होने वाली सेट परीक्षाओं में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार, राज्य के केवल उन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में व्याख्याता/सहायक आचार्य के पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, जहाँ उसने सेट परीक्षा उत्तीर्ण की है।
- वर्ष 2017-18 के दौरान आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा, पूर्वोत्तर राज्यों, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों ने सफलतापूर्वक सेट परीक्षा आयोजित की। सेट परीक्षा संचालित करने पर होने वाले व्यय को संबद्ध राज्यों द्वारा वहन किया जाता है।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, यात्रा अनुदान योजना के अंतर्गत 383 महाविद्यालय के शिक्षकों तथा 02 कुलपतियों ने अपने शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठाया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लाभार्थियों को 6.30 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (गगग) के तहत स्वायत्त केन्द्रों के रूप में स्थापित आठ अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आई.यू.सी.), भारतीय विश्वविद्यालयी प्रणाली में कार्य कर रहे हैं ताकि प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान कर और अत्याधुनिक उपकरण और उत्कृष्ट ग्रंथालय सुविधा तक पहुंच प्रदान कर विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों को सामान्य सुविधाएं, सेवाएँ एवं कार्यक्रम आदि उपलब्ध कराए जा सकें। रिपोर्टाधीन वर्ष 2017-18 के दौरान सात अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों को पूंजीगत शीर्ष के तहत 72.37 करोड़ रुपए तथा राजस्व शीर्ष के तहत 164.96 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चयनित विश्वविद्यालयों में 04 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों की स्थापना की है तथा उन्हें नियमित रूप से सहायता प्रदान की जा सके। वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन केन्द्रों को 524.18 करोड़ रुपए की राशि का पूंजीगत अनुदान जारी किया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से वर्ष 2014 के दौरान विश्वविद्यालयों ने खेलकूद अवसंरचना एवं उपकरण विकास योजना शुरू की गई ताकि खेल पिरामिड के आधार को व्यापक बनाए जाने से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशिष्ट खेलों में भागीदारी हेतु पर्याप्त संख्या में खिलाड़ी तैयार किए जा सकें जो देश को प्रतिष्ठा दिलाएं। वर्ष 2017-18 के दौरान 13.31 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान 69 लाभार्थी विश्वविद्यालयों को 67.53 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

6. शोध संवर्धन

- “शिक्षकों के लिए शोध परियोजनाएँ” योजना का मुख्य उद्देश्य, विभिन्न विधाओं में ऐसे क्षेत्रों में बल देकर जो अलग-अलग विधाओं तथा विषय जैसे स्वास्थ्य, वृद्धावस्था रोग, पर्यावरण, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, तनाव प्रबंधन, डब्ल्यू.टी.ओ. और अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभाव आदि कुछ क्षेत्र तथा विषय विशेषज्ञ द्वारा चयनित अन्य क्षेत्रों में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता प्रदान कर उच्चतर शिक्षा में शोध में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। वर्ष 2017-18 के दौरान कला और मानविकी में 388 लाभार्थी तथा विज्ञान में 1034 लाभार्थी थे। वर्ष के दौरान वृहद शोध परियोजनाओं के लाभार्थियों को 23.58 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया।
- शोध अवार्ड योजना, पात्र विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के स्थायी शिक्षकों द्वारा बिना शोध मार्गदर्शन प्राप्त किए अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में दो वर्ष का पूर्णकालिक स्वतंत्र अनुसंधान करने वाले शिक्षकों के लिए तैयार की गई है। वर्ष 2017-18 के दौरान 140 अवार्ड धारकों को 15.57 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- ‘शोध वैज्ञानिक योजना’ के अन्तर्गत विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए और शोध में उच्च गुणवत्ता विकसित करने के लिए यह योजना वर्ष 1983 में आरम्भ की गई और लागू की गई थी। वर्तमान में, 57 शोध वैज्ञानिक विभिन्न भारतीय संस्थानों में कार्यरत हैं, जबकि यह योजना बंद कर दी गई है। वर्ष 2017-18 के दौरान इन शोध वैज्ञानिकों के वेतन एवं आकस्मिक व्यय पर कुल 2.88 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।
- ‘अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति’ की योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उनके चयनित क्षेत्र में उच्च शोध करने का अवसर प्रदान करना है। वर्ष 2017-18 के दौरान पोस्ट डॉक्टरल अध्येताओं को भुगतान करने पर 28.66 करोड़ रुपए की राशि व्यय हुई। वर्ष 2017-18 के दौरान इस योजना के तहत 620 लाभार्थी थे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पी.एच.डी. उपाधि धारक तथा पोस्ट-डॉक्टरल शोध करने की इच्छुक बेराजगार महिलाओं के लिए पूर्णकालिक आधार पर हेतु प्रतिवर्ष 100 स्लॉट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिला अध्येताओं को भुगतान करने पर 43.66 करोड़ रुपए की राशि व्यय हुई। वर्ष 2017-18 के दौरान 766 लाभार्थी कार्यरत थे।
- मानविकी तथा भाषा सहित सामाजिक विज्ञान में महिलाओं हेतु डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्ति नामक एक नई योजना भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में उच्च अध्ययन तथा शोध करने का अवसर उपलब्ध कराती है। वर्ष 2017-18 के दौरान 26.12 करोड़ रुपए की राशि संचितरित की गई है। वर्ष 2017-18 के दौरान 581 लाभार्थी कार्यरत थे।
- आधारभूत विज्ञान/चिकित्सा/अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी विषयों में डॉ0 डी0 एस0 कोठारी पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति योजना चल रही है। आज तक, 2336 अभ्यर्थियों को योजना अवार्ड की गई है तथा 899 पी0डी0एफ कार्यरत हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न संस्थानों में कार्यरत अध्येताओं को 43.65 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत और अधिवार्षिता की आयु के समीप पहुंच गए प्रतिभावान विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षकों को मूलभूत विज्ञान के क्षेत्र में शोध जारी रखने का अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-बी0एस0आर0 संकाय अध्येतावृत्ति’ नाम से योजना आरंभ की है। विश्वविद्यालयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में आचार्य/सह-आचार्य के पद पर कार्यरत शिक्षक इसके लिए पात्र हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान 81 बीएसआर संकाय अध्येताओं को 3.1 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।
- इमेरिटस अध्येतावृत्ति योजना के तहत सभी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों में 70 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त अध्यापकों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से शोध करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष विज्ञान विषय तथा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए उपलब्ध स्लॉटों की संख्या 100 है। वर्ष 2017-18 के दौरान अध्येताओं को भुगतान करने पर 10.03 करोड़ रुपए व्यय किया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान 559 लाभार्थी कार्यरत थे।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति योजना (जेआरएफ) (भारतीय नागरिकों के लिए) के तहत उन भारतीय अभ्यर्थियों को कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित विश्वविद्यालय नेट परीक्षा उत्तीर्ण की हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विज्ञान, मानविकी और समाज विज्ञान के लिए जेआरएफ योजना के तहत 950.75 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। वर्तमान में, जेआरएफ के तहत लगभग 29686 विद्वान एम.फिल./पीएचडी कर रहे हैं।
- विदेशी नागरिकों हेतु कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) तथा शोध एसोसिएटशिप योजना (आरए) के तहत 60 अभ्यर्थी, पीएचडी/पोस्ट डॉक्टरल शोध कर रहे हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान जेआरएफ तथा आरए (विदेशी नागरिकों) को 1.07 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया।
- उच्चतर शिक्षा में सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 2000 'अनुसूचित जाति राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ' उपलब्ध कराता है ताकि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उच्चतर अध्ययन एवं शोध कर एम.फिल./ पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त कर सकें। वर्ष 2017-18 के दौरान योजना के तहत अनुसूचित जाति के अध्येताओं पर 215.98 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अध्येतावृत्ति के लिए वित्तपोषण तथा उसे लागू करने का कार्य वर्ष 2009 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है जिसमें प्रतिवर्ष 750 स्लॉट उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान अध्येतावृत्ति पर 28.18 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए वित्तपोषण तथा उसे लागू करने का कार्य वर्ष 2009 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है जिसमें प्रतिवर्ष 756 स्लॉट उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि अल्पसंख्यक छात्र एम.फिल तथा पी.एच.डी. जैसे उच्च अध्ययन कर सकें। वर्ष 2017-18 के दौरान योजना के तहत 97.45 करोड़ रुपए हुआ।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2014 से अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को कार्यान्वित करने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है। प्रत्येक वर्ष सभी विषयों के लिए अध्येतावृत्ति के 300 स्लॉट उपलब्ध हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान इस योजना पर 25.09 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वर्ष 2012 से निशक्त छात्रों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना को लागू करने का कार्य सौंपा है ताकि निशक्त छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु अवसरों में वृद्धि की जा सके जिससे वे एम.फिल तथा पीएचडी उपाधि प्राप्त कर सकें। अध्येतावृत्ति की राशि अन्य जेआरएफ योजनाओं के अनुरूप है। अध्येताओं को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, निशक्तता कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा भुगतान किया जाता है।
- बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचारों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014-15 के दौरान सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानंद एकल बालिका अध्येतावृत्ति योजना आरंभ की। वर्ष 2017-18 के दौरान योजना के तहत 150 लाभार्थी थे। वर्ष 2017-18 के दौरान 369.89 लाख रुपए की राशि संचित की गई।
- "विज्ञान विषय में मेधावी छात्रों हेतु शोध अध्येतावृत्ति" योजना (आरएफएसएमएस) को मेधावी छात्रों हेतु उच्च अध्ययन एवं शोध करने के लिए आरंभ किया गया है ताकि वे विज्ञान विषय में पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त कर सकें। वर्ष 2017-18 के अंत तक सैप/गैर-सैप विभागों को 9355 शोध अध्येतावृत्तियां आवंटित की गई थी तथा 3775 कनिष्ठ शोध अध्येता कार्यरत थे। वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 122.35 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान जारी किया गया था।
- समाज के वंचित वर्गों के अभ्यर्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उन्हें स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययनों को आरंभ करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए

‘पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों की योजना’ को कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान योजना के तहत 2578 लाभार्थी थे। वर्ष 2017-18 के दौरान इस योजना के तहत कुल 3.21 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

- “इंदिरा गाँधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना” का उद्देश्य परिवार में एकल बालिकाओं की शिक्षा को छात्रवृत्ति के माध्यम से सहायता प्रदान करना तथा माता-पिता को छोटे परिवार मानदंड का पालन करने हेतु प्रेरित करना है। जिन बालिकाओं ने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है वे इस योजना के तहत पात्र हैं। वर्ष 2017-18 के लिए चयन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर किया जाएगा। वर्ष 2017-18 के दौरान छात्रवृत्ति धारकों को भुगतान करने पर 11.13 करोड़ रुपए की राशि व्यय हुई।
- प्रतिभावान छात्रों को स्नातकोत्तर शिक्षा जारी रखने के लिए बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2005-2006 से स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति की योजना को प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2017-18 के लिए चयन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर किया जाएगा। वर्ष 2017-18 के दौरान लाभार्थियों की संख्या 3842 थी। वर्ष 2017-18 के दौरान योजना के तहत 2.71 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्नातक छात्रों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन करने हेतु सहायता करने के लिए एम.ई./एम.टेक./एम.फार्मा विषयों में गेट परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति उपलब्ध करवा रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान लाभार्थियों की संख्या 1001 थी। वर्ष 2017-18 के दौरान 23.38 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा सत्र 2015-16 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए “ईशान उदय” नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना आरंभ की है। वर्ष 2017-18 के लिए चयन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर किया जाएगा। वर्ष 2017-18 के दौरान 6109.59 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खेल पदक विजेताओं को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की योजना आरंभ की है। योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विशिष्ट खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है जिन्होंने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खेल पदक जीता हो अथवा मान्यताप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद स्पर्धाओं में भाग लिया हो। योजना के तहत 70 लाभार्थी योजना का लाभ उठा रहे हैं। योजना के तहत लाभार्थियों को 13.00 लाख रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।
- इस योजना का उद्देश्य अध्यापकों और शोधकर्ताओं को सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में पत्र प्रकाशित करने हेतु पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करने हेतु विभिन्न शैक्षणिक एवं शोध क्रियाकलापों आयोजित करने के लिए समाज विज्ञान, मानविकी तथा भाषाओं में राष्ट्रीय स्तर के विषय संघों को सहायता प्रदान करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ‘शिक्षकों, विषयों/विधा आधारित संघों को विभिन्न शैक्षिक तथा शोध क्रियाकलाप आयोजित करने की योजना’ के तहत वर्ष 2017-18 के दौरान 26.00 लाख रुपए के अनुदान की राशि संस्वीकृत की।
भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोध संबंधी अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नवत योजना लागू की जा रही है:
- विज्ञान संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी स्तर पर उच्च गुणवत्तायुक्त शोध को सुदृढ़ करने और अकादमी संकाय सदस्यों में नई प्रतिभाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों में नवोन्मेषी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए ‘फैकल्टी रिचार्ज’ कार्यक्रम आरंभ किया गया है। वर्तमान में, इस कार्यक्रम के तहत 373 संकाय सदस्यों का चयन किया गया है,

जिसमें से 160 कार्यरत हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से चयनित 122 अभ्यर्थियों को वेतन तथा 'स्टार्ट-अप अनुदान' के रूप में 12.95 करोड़ रुपए की राशि जारी गई।

- बीएसआर कार्यक्रम के तहत नेटवर्क शोध केन्द्रों की स्थापना हेतु अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 10 विभागों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
- "नए भर्ती हुए ऐसे सभी संकायों हेतु स्टार्ट-अप अनुदान योजना" के तहत, अनुमोदित/उद्धृत जर्नलों में कम से कम दो शोध प्रकाशन करने वाले पी0एच0डी0 उपाधि धारक सहायक आचार्य के स्तर के सभी शिक्षक इस योजना हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के 180 नव नियुक्त संकाय सदस्यों को 14.07 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
- 'मिड करियर अवार्ड योजना' के अंतर्गत शिक्षक को शोध कार्य करने के लिए 10.00 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। इस अनुदान का उपयोग छोटे उपकरण, रसायन, आपात व्यय और क्षेत्र कार्य के लिए किया जा सकता है। विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य करने वाले 27 शिक्षकों को 2.32 करोड़ रुपए जारी की गई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बीएसआर कार्यक्रम के तहत महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विकास अनुदान उपलब्ध कराता है। वर्ष 2017-18 के दौरान एक विश्वविद्यालय के एसएपी-डीआरएस विभाग को अनुदान के रूप में 2.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई।

7. लिंग और सामाजिक समानता

- 'भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास' योजना का उद्देश्य शिक्षण, शोध तथा क्षेत्र कार्यवाही कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयी प्रणाली में 161 महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित हो चुके थे तथा कार्य कर रहे थे। वर्ष 2017-18 के दौरान 6.62 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
- भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों पर भर्ती और विश्वविद्यालयों में सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की सतत रूप से निगरानी कर रहे हैं। उपर्युक्त मानदंडों के बारे में जानकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अनुभाग द्वारा नियमित रूप से एकत्रित की जाती है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग को सूचनार्थ तथा अनुवर्ती कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाती है।
- विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं तथा बाध्यताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों (ई0ओ0सी0) की स्थापना की है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग)/अल्पसंख्यक समुदायों के जरूरतमंद छात्रों को एक अपेक्षित स्तर तक लाने के लिए उपचारी अनुशिक्षण प्रदान करने/नेट-सेट परीक्षा/सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण प्रदान करने के लिए नियमित समय-सारणी से इतर विशेष कक्षाएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है। इन योजनाओं के लिए नए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।
- सैद्धांतिक तथा नीतिगत महत्व वाले सामाजिक बहिर्वेशन तथा समावेशन के मुद्दों पर शोध के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में सामाजिक समावेशन तथा बहिर्वेशन नीति का अध्ययन करने के लिए शिक्षण-सह-शोध केन्द्रों की स्थापना की थी। दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों में 33 केन्द्र कार्यरत थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2017-18 के दौरान इस योजना के तहत 12.46 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया।

8. प्रासंगिक और मूल्य आधारित शिक्षा

- भारत के बाहर अन्य क्षेत्रों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषताओं के समग्र बोध को बढ़ावा देने, विशेषरूप से भारत के आर्थिक, राजनीतिक तथा राजनीतिक हित में नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु समय-समय पर विश्वविद्यालयों की पहचान करता रहा है। दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम के तहत 35 केन्द्र कार्य कर रहे थे और वर्ष 2017-18 के दौरान क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम के तहत केन्द्रों को 2.37 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।
- भारतवर्ष के महान समाज विचारकों के विचारों एवं दृष्टिकोण से शिक्षकों एवं छात्रों को परिचित करवाने के उद्देश्य से विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में 394 अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान 1.19 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया था।

9. सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकीयों का समेकन

- वर्ष 2017-18 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अत्यंत अंतर्क्रियात्मक, जानकारीप्रद तथा उपयोगकर्ता अनुकूल वेबसाइट आरंभ की गई।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालय पोर्टल तथा विश्वविद्यालय क्रियाकलाप निगरानी पोर्टल (यूएएमपी) आरंभ किया गया।
- ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में ई-कार्यालय योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्यान्वित किया गया है ताकि मिसिलों की प्राप्ति और उनके चालन, वेतन पर्ची का रखरखाव, ई-अवकाश आदि के संबंध में कागज रहित परिवेश तैयार किया जा सके।
- स्नातकोत्तर विषयों में ई-विषयवस्तु पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विषयों में उच्चगुणवत्तायुक्त, पाठ्यक्रम आधारित तथा अंतर्क्रियात्मक विषयवस्तु के साथ ई-पाठशाला आरंभ की है। वर्ष 2017-18 के दौरान परियोजना (इन्फिलबनेट, ई-विषयवस्तु) पर 10.59 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गैर-प्रौद्योगिकीय, स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय समन्वयक है। जुलाई, 2017 से मार्च 2018 तक 60 एमओओसी, जिसमें क्रेडिट के लिए 18 तथा गैर-क्रेडिट हेतु 42 हैं, को विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं प्लेटफार्म पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के रूप में प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान परियोजना (स्वयं हेतु एमओओसी) पर कुल 1.53 करोड़ रुपए की लागत आई।

10. कौशल विकास पहल

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2013-14 के दौरान प्रायोगिक आधार पर सामुदायिक महाविद्यालय योजना आरंभ की, ताकि कम लागत एवं उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके जिसमें पारंपरिक कौशल विकास और पारंपरिक पाठ्यक्रम का समावेश हो जिससे कि सीखने वाले को प्रत्यक्षतः नियोजन क्षेत्र अथवा उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में जाने के अवसर प्राप्त हो सके। योजना के तहत 199 सामुदायिक महाविद्यालय अनुमोदित किए गए थे। वर्ष 2017-18 के दौरान 19.24 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। दिनांक 31 मार्च, 2018 तक 115.45 करोड़ रुपए की कुल अनुदान राशि जारी की गई थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयी/महाविद्यालयी शिक्षा के भाग के रूप में कौशल विकास आधारित उच्चतर शिक्षा योजना आरंभ की है जिसमें एनएसक्यूएफ के तहत डिप्लोमा/उच्चतर डिप्लोमा जैसे बहु प्रवेश तथा निकास विकल्पों वाली 'बैचलर ऑफ वोकेशन' (बीवोक0) उपाधि प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत 162 विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अनुमोदित किए गए तथा वर्ष 2017-18 के दौरान 14.55 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की गई। दिनांक 31 मार्च, 2018 तक 137.06 करोड़ रुपए का कुल अनुदान जारी किया गया था।
- डीडीयू कौशल केन्द्र का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर आयोग की आवश्यकताओं हेतु कुशल जनशक्ति को तैयार करना है। 63 संस्थानों (16 स्व-वित्तपोषित) को डीडीयू कौशल केन्द्रों के तहत अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान 3.15 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की गई। दिनांक 31 मार्च, 2018 तक 110.78 करोड़ रुपए की कुल अनुदान राशि जारी की गई है।

11. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 को दिनांक 23 जून, 2017 को राजपत्र में अधिसूचित किया था तथा दिनांक 17 जुलाई, 2017 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 को वर्ष 2018-19 से लागू किया जाएगा। तत्पश्चात् दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 को राजपत्र में प्रथम संशोधन अधिसूचित किया गया था तथा दिनांक 06 फरवरी, 2018 को राजपत्र में द्वितीय संशोधन अधिसूचित किया गया था।
- वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में सभी स्तरों पर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में 40.32 लाख छात्र नामांकित थे (वर्ष 2017-18 की एआईएसएचई रिपोर्ट)।

▶ प्रस्तावना

- ❖ 1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन
- ❖ 1.2 वि.अ.आ. में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ/अनुभाग
- ❖ 1.3 प्रकाशन
- ❖ 1.4 विअआ का बजट और वित्त
- ❖ 1.5 केन्द्रीय तथा विअआ अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों हेतु संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जेसीआरसी)
- ❖ 1.6 आयोग द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
- ❖ 1.7 विशेष क्रियाकलाप/पहल

1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) दिनांक 28 दिसम्बर, 1953 को अस्तित्व में आया तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा में समन्वय करने तथा मानकों के निर्धारण तथा अनुरक्षण हेतु वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय बन गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 18 के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सटीक एवं संपूर्ण ब्योरा देते हुए प्रत्येक वर्ष एक बार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसकी प्रतियों को केन्द्र सरकार को भेजेगा तथा सरकार उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखेगा।
- आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दस सदस्यगण (सचिव-शिक्षा, सचिव-व्यय, भारत सरकार द्वारा नामित आठ अन्य सदस्यगण) होते हैं। सचिवालय का अध्यक्ष सचिव होता है जिनमें समूह 'क' के 76, समूह 'ख' के 236 तथा समूह 'ग' के 105 अधिकारियों तथा 10 जलपान गृह के कर्मचारियों सहित कुल 426 कर्मचारी हैं। कुल कर्मचारियों में 32.16 प्रतिशत महिलाएं, 23.71 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 4.46 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 से अपने कार्यकरण को चरणबद्ध तरीके से विकेन्द्रीकृत करते हुए सात क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं ताकि सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जा सके और महाविद्यालय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु शीघ्रता से अनुदान जारी किया जा सके।

1.1(क) संगठनात्मक ढांचा : आयोग में एक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दस अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष पद के चयन के लिए व्यक्ति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए दस सदस्यों में से दो सदस्यों का चयन, केन्द्र सरकार के अधिकारियों में से किया जाता है। कम से कम चार सदस्यों का चयन विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से किया जाता है। शेष सदस्यों का चयन निम्नलिखित व्यक्तियों में से किया जाता है:

- 1) जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी अथवा उद्योग में ज्ञान अथवा अनुभव हो;
- 2) जो अभियांत्रिकी, विधिक, चिकित्सा या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे से संबद्ध हों, अथवा
- 3) जो विश्वविद्यालय के कुलपति हो, अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हो परंतु केन्द्र सरकार के मत में प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हों अथवा जिनकी उच्च अकादमिक योग्यता हो।

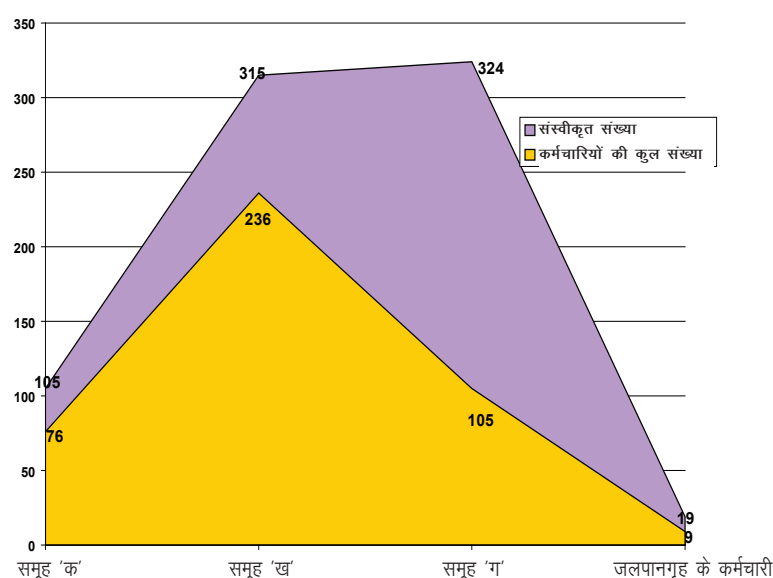
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकारी शीर्ष सचिव महोदय हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित कर्मचारिवृंद के साथ उन्होंने आयोग के सचिवालय की अध्यक्षता की:-

समूह	संस्वीकृत संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या में		
			महिला (प्रतिशत)	अनुसूचित जाति (प्रतिशत)	अनुसूचित जनजाति (प्रतिशत)
समूह 'क'	105	76 (72.38 प्रतिशत)	36 (47.37 प्रतिशत)	12 (15.79 प्रतिशत)	01 (1.32 प्रतिशत)
समूह 'ख'	315	236 (74.92 प्रतिशत)	87 (36.86 प्रतिशत)	50 (21.19 प्रतिशत)	09 (3.81 प्रतिशत)
समूह 'ग'	324	105 (32.41 प्रतिशत)	14 (13.33 प्रतिशत)	36 (34.29 प्रतिशत)	09 (8.57 प्रतिशत)
जलपानगृह के कर्मचारिवृंद	19	9 (47.37 प्रतिशत)	शून्य	03 (33.33 प्रतिशत)	शून्य
कुल	763	426 (60.29 प्रतिशत)	137 (32.16 प्रतिशत)	101 (23.71 प्रतिशत)	19 (4.46 प्रतिशत)

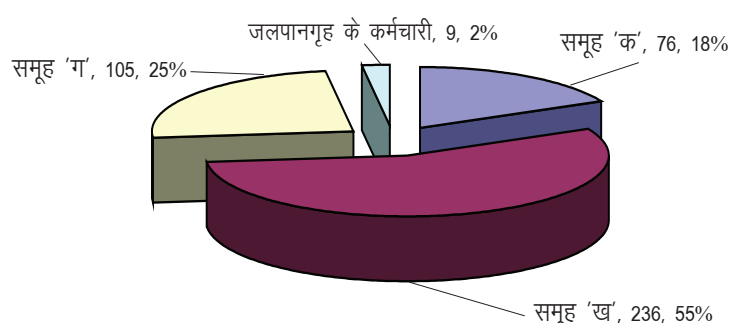
कार्यक्रमों को तैयार करने, मूल्यांकन करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य संस्थानों से विषय विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करता है।

1.1(ख) क्षेत्रीय कार्यालय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालय क्षेत्रक से संबंधित विभिन्न स्कीमों/योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बंगलुरु तथा दिल्ली में सात क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये हैं। उत्तरी

रेखाचित्र 1.1(ख): वर्ष 2017-18 के दौरान आयोग के सचिवालय के कर्मचारियों की संस्वीकृत तथा मौजूदा संख्या



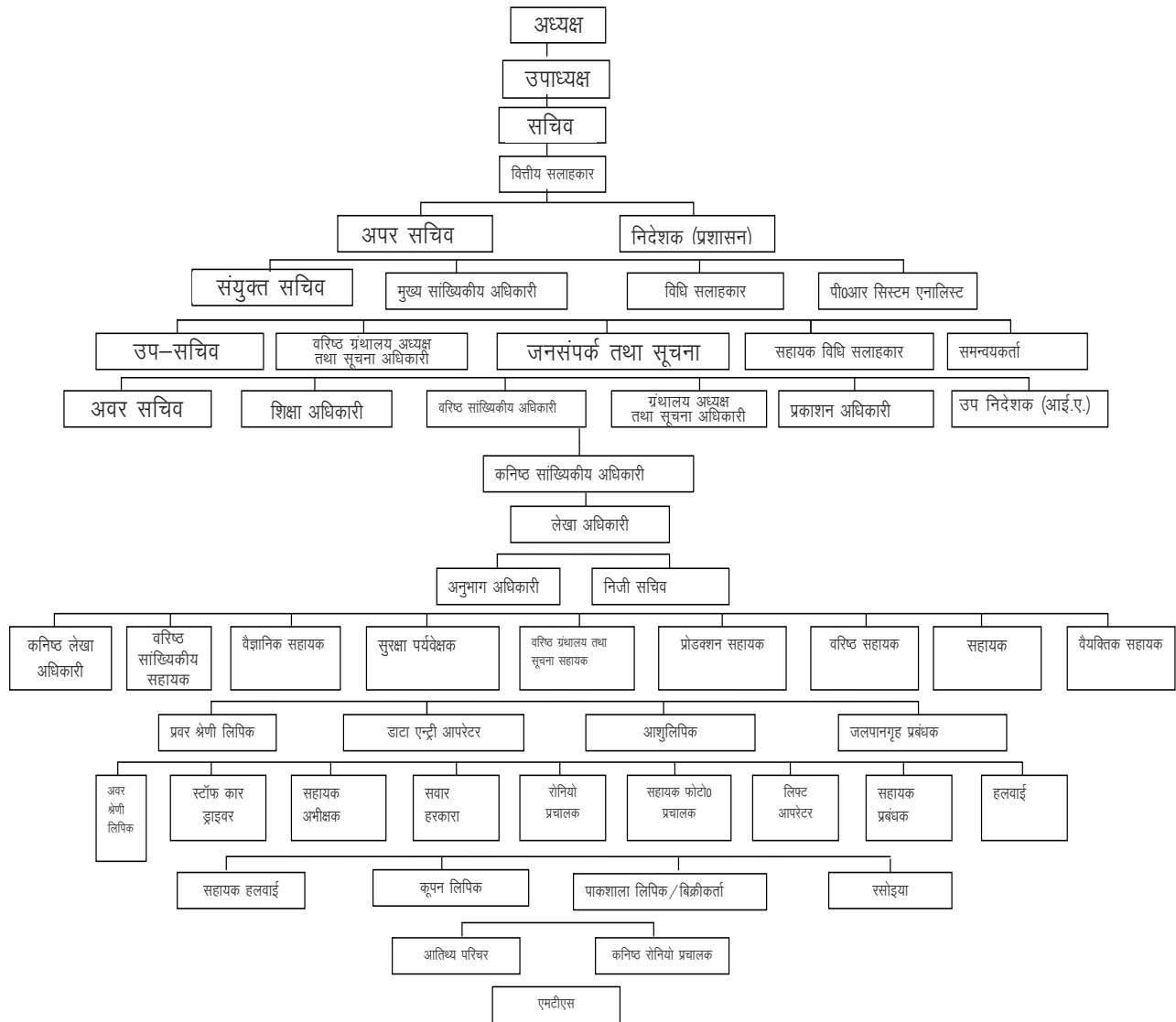
रेखाचित्र 1.1(ख): वर्ष 2017-18 के दौरान आयोग के कर्मचारियों की स्तरवार मौजूदा संख्या



क्षेत्रीय कार्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से प्रचालनरत है। क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके तहत शामिल राज्य महाविद्यालयों की सूची निम्नवत है:

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	कवर किए गए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र
1.	दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ), हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी और तेलंगाना
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ), पुणे	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीव
3.	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ), भोपाल	मध्य प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एनईआरओ), गुवाहाटी	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और सिक्किम
5.	पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ), कोलकाता	पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडीशा, झारखण्ड
6.	दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ), बंगलूरु	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय महाविद्यालय ब्यूरो (एनआरसीओ), दिल्ली	जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश

1.1(ग) संगठनात्मक चित्र



1.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ

1.2 (क) सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.आई.ए.) प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनकर्ताओं को जानकारी प्रदान करता है। केन्द्रीय सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के तहत एक प्रकोष्ठ अर्थात् सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.आई.ए.) प्रकोष्ठ, सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.आई.ए.) के तहत आवेदनों/अपीलों को प्राप्त करता है तथा अपेक्षित संख्या में उनकी प्रतियां तैयार कर उन्हें केन्द्रीय सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के माध्यम से उन्हें विभिन्न सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारियों को भेजता है, जिनके पास संगत जानकारी होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यालय, शाखा कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को मिलाकर 22 अपीलीय प्राधिकारी तथा 45 सीपीआईओ हैं। आवेदक से प्राप्त सूचना के अधिकार के तहत आवेदन/अपील तथा केन्द्रीय सूचना आयोग से प्राप्त नोटिस/निर्णयों को केन्द्रीयकृत रूप से केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के नाम पर मुख्य कार्यालय में प्राप्त किया जाता है तथा संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को अग्रेषित किया जाता है जिसके पास संगत जानकारी होती है। आवेदक द्वारा भेजे गए आरटीआई आवेदन तथा केन्द्रीय सूचना आयोग आदि से प्राप्त नोटिस/निर्णयों को मुख्य कार्यालय में सीपीआईओ के नाम पर प्राप्त किया जाता है तथा संबंधित सीपीआईओ को भेजा जाता है जिनके पास संगत जानकारी होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सभी ब्यूरो प्रमुख को आरटीआई के तहत अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उनके तहत ब्यूरो में तैनात उप सचिव/अवर सचिव/शिक्षा अधिकारियों को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों/शुल्क आदि की त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट को आरआईए प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किया जाता है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट तथा सीआईसी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों पर संबंधित केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है। आवेदकों से संग्रहित आरटीआई शुल्क का भी लेखा-जोखा आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा रखा जाता है। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर डाली गई है।

वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 16962 आवेदन प्राप्त हुए तथा 7982 का निपटान किया गया तथा 2471 अपीलें प्राप्त हुई जिनमें से 1158 अपीलों का निपटान किया गया। आरआईए प्रकोष्ठ द्वारा आरटीआई शुल्क संग्रहण 48222/- रुपए रहा तथा सूचना के अधिकार के नियम के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त शुल्क 41926/- रुपए रहा।

1.2(ख) वेतनमान अनुभाग

वेतनमान अनुभाग की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी तथा इसे केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की गई वेतन समीक्षा समितियों के कार्य का समन्वय करने साथ ही साथ शिक्षकों महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में अन्य समकक्ष संवर्गों अर्थात् पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षा के निदेशकों के वेतनमान तथा सेवा शर्तों से संबंधित मामलों का समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है। यह अनुभाग शिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर के संगठन तथा अन्य समकक्ष संवर्गों के साथ भी बातचीत करता है। रिपोर्टाधीन अवधि, वर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिए गए तथा उनके बारे में विश्वविद्यालयों को जानकारी दी गई:-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा हितधारकों से विभिन्न मामलों पर अनेक प्रश्न प्राप्त हुए हैं जिसके लिए वेतनमान अनुभाग द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अकादमिक कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2010 के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं, जो निम्नवत हैं:

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा शैक्षिक कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2016 (चौथा संशोधन) के माध्यम से संशोधित किया गया है। दिनांक 17 मई, 2017 के एफ0 सं0 20-1/2014(पीएस) के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई जिसमें सावधि पद पर प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया गया तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 02 नवम्बर, 2017 तथा 08 नवम्बर, 2017 की संख्या 1-7/2015-यू.II(1) के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वेबसाइट पर भी डाला गया। अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किए जाने

पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा समकक्ष संवर्गों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए एक वेतन समीक्षा समिति का गठन किया गया, जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं, जिन्हें सहमति हेतु भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

(3) जुलाई, 2019 से पूर्व पी0एच0डी0 के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों के संबंध में दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 के एफ0 संख्या 9-1/2009(पीएस) के माध्यम से एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया गया है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 2016 में यथा उपबंधित, विदेशी पी0एच0डी0 उपाधि की भारतीय पी0एच0डी0 उपाधि के साथ समकक्षता के संबंध में दिनांक 08 जून, 2018 के एफ0 संख्या 1-1/2012 (एसओ)/(पीएस)/प्रकीर्ण के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई है।

1.2 (ग) सतर्कता प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भ्रष्टाचार की प्रभावी ढंग से रोकथाम करने के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार एक सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित किया है ताकि कार्यालय के कार्यों पर नजर रखी जा सके जिससे कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त न हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव महोदय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने तथा भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाने के लिए उत्तरदायी है और जहां कहीं भी आवश्यक होता है उनके द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाती है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 30 अक्टूबर से 04 नवम्बर, 2017 तक की अवधि के दौरान व्याख्यान देकर, शपथ दिलावाकर, इशतेहार तथा पोस्टर प्रदर्शित कर तथा पर्चे बांटकर तथा निबंध लेखन प्रतियोगिता आदि का आयोजन कर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। सतर्कता प्रकोष्ठ ने सभी विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का परामर्श दिया। सतर्कता प्रकोष्ठ को इस संबंध में विश्वविद्यालयों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

वर्ष 2017-18 के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ को केन्द्रीय सतर्कता आयोग से 04, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 14, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से 15 और विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और अन्य एजेंसियों से 118 शिकायतें प्राप्त हुईं। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित ब्यूरो के पास भेज दिया गया था। संवेदनशील स्वरूप की शिकायतों की जांच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित सतर्कता संबंधी स्थायी समिति (एससीवी) के समक्ष रखा गया। कुछ मामलों में एससीवी की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निधियों के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए जांच समिति का गठन किया गया था। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान जांच समिति के निष्कर्षों तथा एससीवी की सिफारिशों के आधार पर आगामी आदेशों तक एक विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान रोक दिया गया तथा दो संकाय सदस्यों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने पर रोक लगा दी गई तथा उन्हें काली सूची में डाल दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सतर्कता प्रकोष्ठ/सतर्कता जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही आरंभ करता है। शिकायतों के संबंध में वास्तविक रिपोर्टों को सीवीसी/मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी भेजा गया था।

1.2 (घ) विधिक प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विधिक प्रकोष्ठ, देशभर में उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च/अधीनस्थ न्यायालयों, मंचों तथा आयोग आदि में विधिक प्रकरणों पर कार्यवाही करता है।

विधिक प्रकोष्ठ न्यायालय में डाले गए प्रकरणों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, देशभर में अन्य न्यायिक निकायों तथा वि0अ0आ0 के अलग-अलग कार्यालयों में कार्यरत स्टैंडिंग कांउंसिल/पेनल के अधिवक्ताओं के बीच का समन्वय करता है। यह वि0अ0आ0 के सभी ब्यूरो को विभिन्न मामलों में विधिक मत भी देता है।

वर्तमान में, चल रहे अधिकांश प्रकरण मुख्यतः वेतनमान, अर्हता, अधिवर्षिता की आयु, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों की नियुक्तियों/चयन, पेशेवर/नेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश, सामान्य प्रवेश परीक्षा तथा विभिन्न संस्थानों/फर्जी संस्थानों की स्थापना आदि से संबंधित होते हैं। कुछ प्रकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारिवृंदों से संबद्ध प्रशासनिक मामलों के संबंध में होते हैं।

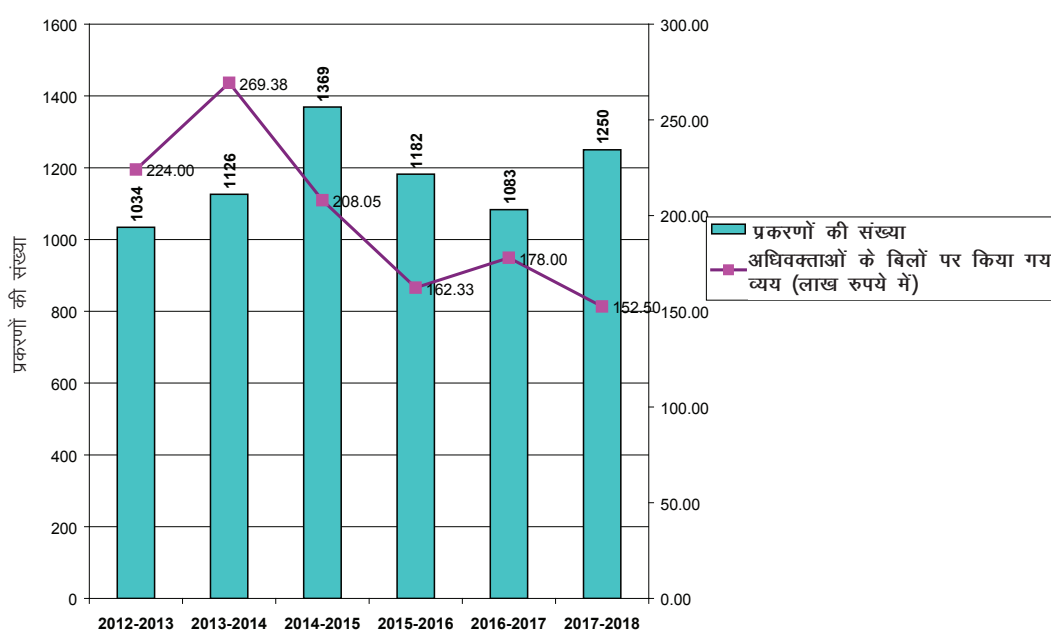
सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भारत के उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ताओं का एक पेनल तैयार किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से प्रकरण का बचाव करने के लिए स्टैंडिंग कांऊंसिल/ पेनल के अधिवक्ताओं के शुल्क के ढांचे को सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया गया।

तालिका 1.2(घ): अधिवक्ताओं आदि के बिलों पर वर्षवार किया गया व्यय (लाख रुपए में)

वर्ष	प्राप्त मामलों की संख्या	अधिवक्ताओं के बिलों पर किया गया व्यय
2012-2013	1034	224.00
2013-2014	1126	269.38
2014-2015	1369	208.05
2015-2016	1182	162.33
2016-2017	1083	178.00
2017-2018	1250	152.50

रेखाचित्र 1.2 (घ): वर्षवार (वर्ष 2012-13 से 2017-18 के दौरान) प्राप्त प्रकरणों की संख्या तथा अधिवक्ताओं के बिलों पर किया गया व्यय



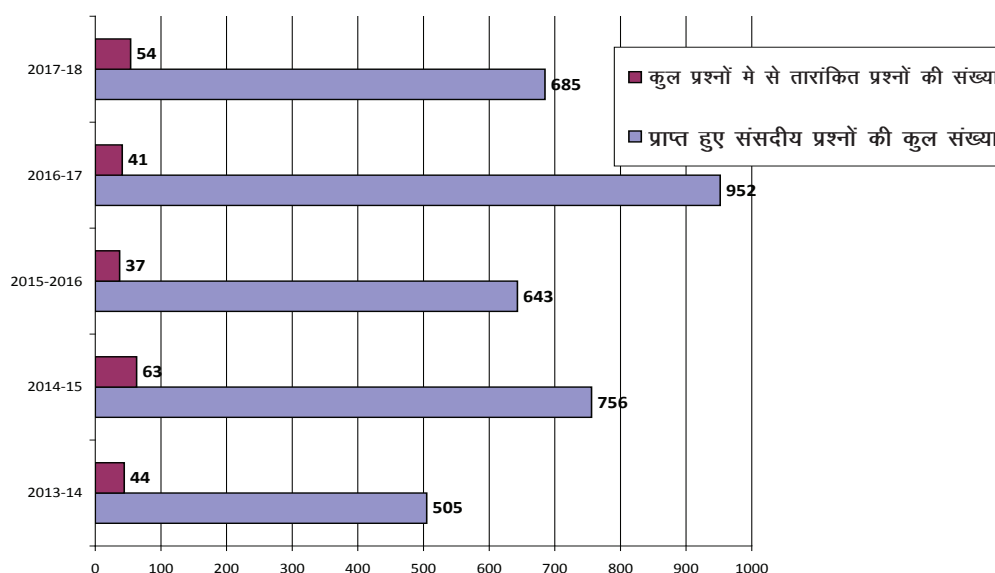
1.2(ङ) संसदीय मामलों से संबंधित डेस्क :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संसदीय मामलों से संबंधित डेस्क उच्चतर शिक्षा के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त हुए संसदीय प्रश्नों के उत्तर तैयार करने और उनका समन्वय करने का कार्य करता है।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान लोक सभा/ राज्य सभा के बजट, मानसून और शरदकालीन सत्र के दौरान प्राप्त हुए तथा उत्तरित प्रश्नों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	प्राप्त हुए संसदीय प्रश्नों की कुल संख्या	कुल प्रश्नों में से तारांकित प्रश्नों की संख्या
2013-14	505	44
2014-15	756	63
2015-16	643	37
2016-17	952	41
2017-18	685	54

रेखाचित्र 1.2(ड): वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान प्राप्त हुए और उत्तर दिए गए संसदीय प्रश्नों की वर्षवार संख्या



वर्ष 2017-18 (1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक)

सत्र की तिथि	लोक सभा से प्राप्त हुए प्रश्न		राज्य सभा से प्राप्त हुए प्रश्न		कुल ग्राह्य/अतारांकित	कुल तारांकित प्रश्न	कुल योग
	ग्राह्य/अतारांकित	तारांकित	ग्राह्य/अतारांकित	तारांकित			
01 अप्रैल, 2017 से 12 अप्रैल, 2017	38	5	20	2	58	7	65
17 जुलाई, 2017 से 11 अगस्त, 2017	114	7	70	5	184	12	196
15 दिसम्बर, 2017 से 05 जनवरी, 2018	68	6	67	3	135	9	144
29 जनवरी, 2018 से 30 मार्च, 2018	164	22	90	4	254	26	280
कुल	384	40	247	14	631	54	685

आश्वासनों की कुल संख्या= 14

1.2 (च) कदाचार रोधी प्रकोष्ठ (एएमपीसी)

एएमपीसी का मूल उद्देश्य प्रिंट मीडिया और जनता/विद्यार्थी/अभिभावक आदि से प्राप्त शिकायतों जैसे अन्य स्रोतों से सूचना इकट्ठा करना है और गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई करना है।

वर्तमान में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित जाली विश्वविद्यालयों की सूची में 24 जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों के नाम हैं और ये नाम वि.अ.आ. की वेबसाइट : www.ugc.ac.in पर भी उपलब्ध है। 24 विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, दो अतिरिक्त संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है।

1. भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
2. भारतीय योजना एवं प्रबंधन संस्थान (आईआईपीएम), 133/4, कुतुब एन्क्लेव, फेज-II, नई दिल्ली-110016

वर्ष 2017-18 के दौरान, एएमपीसी ब्यूरो ने निम्नलिखित कार्यवाही की है।

I. क्लोजर रिपोर्ट की प्राप्ति पर फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में एक संस्थान का लोप किया जाना

(क) गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश

II. एक फर्जी विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया

(ख) आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (स्परिचुअल यूनीवर्सिटी), 351-352, फेज-1, ब्लॉक-ए, विजय विहार, रिठाला, रोहिणी, दिल्ली -110085

1.2 (छ) आरक्षण हेतु विशेष प्रकोष्ठ

पदों और सेवाओं में आरक्षण के आदेशों को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इस प्रकोष्ठ में संपर्क अधिकारी के रूप में संयुक्त सचिव तथा सहायक सम्पर्क अधिकारी के रूप में अवर सचिव और शिक्षा अधिकारी तैनात हैं।

1.2 (ज) “कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न” रोकने संबंधी प्रकोष्ठ

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की “कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न” संबंधी आंतरिक समिति है जिसकी अध्यक्षता, विश्वविद्यालय अनुदान की संयुक्त सचिव महोदया करती हैं।

समिति का व्यापक प्रचार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्यालय के मुख्य स्वागत कक्ष तथा क्षेत्रीय कार्यालय में नोटिस लगाए गए हैं। जनसाधारण की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर समिति की संरचना सहित संगत टेलीफोन नम्बर अपलोड किए गए हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान दो मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आंतरिक शिकायत समिति के ध्यान में लाया गया। दोनों मामलों की जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है। समिति के समक्ष कोई भी मामला लंबित नहीं है

1.2 (झ) रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ

सिविल अपील संख्या 887/2009 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने “उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर रोक लगाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 तैयार किए हैं, और उन्हें सर्वप्रथम दिनांक 04 जुलाई, 2009 को अधिसूचित किया गया तत्पश्चात् इन्हें दिनांक 08 अक्टूबर, 2012, 29 मार्च, 2014 और 29 जून, 2016 संशोधित किया गया जोकि वर्तमान में प्रभावी हैं। यह विनियम सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए अनिवार्य हैं।

12 भाषाओं में एक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क रैगिंग रोधी हेल्पलाइन 1800-180-5522 आरंभ की गई है, जिस पर रैगिंग संबंधी घटनाओं के कारण समस्या में फंसे छात्र कभी भी संपर्क कर सकते हैं।

आयोग ने सभी संस्थानों को अपनी विवरणिका में रैगिंग को वर्जित करने तथा इसके परिणामों के संबंध में निदेशों को शामिल करने को अनिवार्य बनाया है। सामान्य अथवा किसी विशेष योजना के तहत किसी संस्थान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता अथवा अनुदान सहायता के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र में संस्थान द्वारा रैगिंग रोधी उपायों का अनुपालन किये जाने वाली विशिष्ट शर्त को शामिल किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालय को अकादमिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व रैगिंग रोधी उपायों का कड़ाई का अनुपालन किए जाने के संबंध में अनुस्मरण कराता है और रैगिंग रोधी उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों को पत्र भेजता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न माध्यमों में पर्याप्त प्रचार के द्वारा रैगिंग रोधी तंत्र का गठन करने, रैगिंग रोधी समिति की स्थापना करने और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग के खतरों को समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 का अनुपालन करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को एक परिपत्र जारी किया, जिसे दिनांक 26 जुलाई, 2017 को भेजा गया था। उपर्युक्त सभी परिपत्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर प्रदर्शित किया गया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान

क्रम संख्या	प्राप्त हुई शिकायतें	शिकायतें जिन पर कार्यवाही की जा रही है	बंद की गई शिकायतें
1.	997	14	983

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कथित रूप से 997 रैगिंग की शिकायतें प्राप्त हुईं। वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 983 मामलों को बंद कर दिया गया तथा 14 मामले लंबित हैं।

- देश में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग रोधी उपायों की निगरानी के मुद्दे पर विचार करने के लिए दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को आठवीं अंतर-परिषद् आयोग का आयोजन हुआ।

श्री केवल कुमार शर्मा, सचिव (उच्चतर शिक्षा) की अध्यक्षता में विनियामक निकायों के साथ रैगिंग रोधी पहल/कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 13 फरवरी, 2018 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में लिए गए निर्णय का ब्योरा निम्नवत है:

- I. विनियामक निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि नोडल अधिकारी का ब्योरा सही हो तथा इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाए। रैगिंग रोधी पहल के लिए एक पृथक पृष्ठ तैयार करने के लिए तथा उनकी वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन करना सुनिश्चित करने के लिए सभी संस्थानों को पीड़ित छात्र की सहायता के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति करनी चाहिए।
- II. विनियामक निकाय, रैगिंग रोधी अभियान पर मीडिया में प्रचार करने पर वर्षवार व्यय की गई निधियों के संपूर्ण ब्योरे को साझा करें।
- III. विनियामक निकायों से अनुरोध है कि वे मासिक आधार पर संसूचित किए गए/सुलझाए गए/शिकायतें जिन पर कार्यवाही की जा रही है के संबंध में रिपोर्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करें।
- IV. सभी संस्थानों/महाविद्यालयों के लिए अनिवार्य है कि वे रैगिंग के संबंध में रिपोर्ट को सीधे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की हैल्पलाइन (helpline@antiragging.in) अर्थात् ऑनलाइन प्लेटफार्म पर प्रस्तुत करें।

बैठक में, समिति ने अनुदेशों का पालन करने का निदेश दिया तथा जैसे कि उपर उल्लिखित है, बैठक के कार्यवृत्तों पर की गई कार्यवाही के संबंध में रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रो० राज काचरू, संस्थापक न्यासी (अमन सत्य काचरू न्यास) को दिनांक 30 जून, 2017 से एक वर्ष की अवधि के लिए निगरानी एजेन्सी (एनजीओ) के रूप में समय विस्तार दिया।

वर्ष 2017-18 के दौरान लाभार्थियों को जारी किया गया अनुदान

लाभार्थी	भुगतान की गई राशि (रुपए में)
i. अमन सत्य काचरू न्यास, रैगिंग के उन्मूलन के लिए अमन आंदोलन, 689, सेक्टर-23, गुरुगांव (हरियाणा)	50,92,440/-
ii. मैसर्स सायरेक्स इंफोसर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जे-1, उद्योग नगर, डीडी मोटर्स के निकट, रोहतक रोड, पीरागढ़ी, नई दिल्ली	74,79,294/-
iii. रैगिंग रोधी उपायों के संबंध में मीडिया अभियान के तहत निम्नवत क्रियाकलाप आरंभ किए गए थे। निम्नवत एजेन्सियों के लिए राशि अनुमोदित की गई थी:	4,62,28,907/-
➤ एनएफडीसी के माध्यम से मीडिया अभियान	
➤ प्रसार भारती के माध्यम से मीडिया अभियान	
➤ दूरदर्शन के माध्यम से मीडिया अभियान	
➤ डीएवीपी के माध्यम से मीडिया अभियान	
➤ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय विश्वविद्यालय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता	

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परिषद् के सदस्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रैगिंग के विरुद्ध आरंभ किए गए मीडिया अभियान के बारे में जानकारी प्रदान की। समिति को जानकारी दी गई की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रैगिंग के विरुद्ध मीडिया में प्रचार के लिए तैयार किए गए टीवीसी, लघु फिल्में, जिंगल को विभिन्न रेडियो स्टेशनों पर प्रसारित किया जा रहा है। समिति ने सिफारिश की कि सभी परिषदों को उपर्युक्त उल्लिखित फिल्मों के लिंक को व्यापक प्रचार हेतु अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराना चाहिए। सभी परिषदें इन टीवीसी/लघु फिल्मों को अपनी संबंधित वेबसाइट पर डालने के लिए सहमत हो गई हैं।

30 सैकेंड के दो टीवीसी को विकसित किया तथा रैगिंग के दुष्प्रभावों के संबंध में छात्रों को समझाने के लिए 04 प्रकार के पोस्टर प्रकाशित किए हैं। इन पोस्टरों को अपने कैम्पसों में चिपकाने के लिए विश्वविद्यालयों में वितरित किया गया है तथा इन पोस्टरों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को रैगिंग के विरुद्ध 161 लघु फिल्में भी प्राप्त हुई हैं तथा समिति द्वारा उसमें से सर्वश्रेष्ठ 10 वीडियो का चयन किया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के विरुद्ध प्रचार अभियान चलाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मीडिया अभियान हेतु 4.79 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। रैगिंग पर निगरानी रखने और रैगिंग की समस्या को समाप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के निदेशों के अनुपालन में भी अभियान चलाए जा रहे हैं। समिति ने निम्नवत एजेन्सियों को 4.79 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है:

क्रियाकलाप	आबंटित / अनुमोदित की गई राशि (रुपए में)
एनडीएफसी, डिजिटल सिनेमा-II	57,82,167/- रुपए
दो टीवीसी का निर्माण	11,30,000/- रुपए
दूरदर्शन	1,53,99,000/- रुपए
प्रसार भारती	79,94,961/- रुपए
डीएवीपी	1,49,22,779/- रुपए
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय विश्वविद्यालय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता	10,00,000/- रुपए
विविध व्यय	16,71,093/- रुपए
कुल व्यय	4.79 करोड़ रुपए

1.2 (ज) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ

महानिदेशक लेखापरीक्षा और राजस्व की संस्तुति पर मई, 1995 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में आंतरिक वित्त के उचित रखरखाव तथा पारदर्शिता करने के उद्देश्य से आन्तरिक लेखा प्रकोष्ठ गठित किया गया। तब से, यह कार्यालय उपनिदेशक की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है जिनकी सहायता के लिए भारत सरकार के कार्यालयों से प्रतिनियुक्त आधार पर लेखापरीक्षा/कनिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयी प्रणाली के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अंतर्विश्वविद्यालयी केन्द्रों की लेखापरीक्षा भी करता है। इसके अलावा, आंतरिक लेखा प्रकोष्ठ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विभिन्न वित्तीय मामलों पर भी परामर्श देता है। इस प्रकोष्ठ को पेंशन भुगतान के मामलों, जीपीएफ/सीपीएफ अंतिम भुगतान के मामलों, वेतन निर्धारण, संविदा दस्तावेजों तथा समय-समय पर सौंपे गए अन्य मामलों तथा लेखों की बाद की लेखापरीक्षा, अनुदान सहायता रजिस्टर की परीक्षा जांच तथा संस्वीकृतियां, सांविधिक लेखापरीक्षा में उठाई गई आपत्तियों का विभाग से अनुपालना करवाना/निपटान तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पैरा के संबंध में विभिन्न निकायों के साथ समन्वय करना। विश्वविद्यालयों तथा अन्य लाभार्थी संस्थानों को जारी की गई निधियों तथा उनके उपयोग की जांच करना तथा लेखों का निरीक्षण कार्य करने का कार्य भी प्रकोष्ठ को सौंपा गया है।

1.3(ट) लिंग संवेदीकरण प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कैम्पस में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और लिंग संवेदीकरण हेतु कार्यक्रमों को चलाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं ताकि इस संबंध में शून्य सहनशीलता की नीति पर अमल किया जा सके। वर्ष 2013 में न्यायमूर्ति वर्मा समिति विधेयक, 2013, विशाखा दिशानिर्देश तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के लागू होने के उपरांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय परिसरों को किसी भी प्रकार के लिंग संबंधी भेदभाव तथा उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए अध्ययन करने तथा सिफारिशें करने के लिए एक विशेष कृतबल का गठन किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिला कर्मचारियों तथा छात्रों के यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध तथा निवारण) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया।

दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 के दौरान यौन उत्पीड़न के मामलों के संबंध में वार्षिक विवरण की समेकित स्थिति रिपोर्ट*

उत्तर देने वाले महाविद्यालय / विश्वविद्यालयों की संख्या	दर्ज किए गए यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	90 से अधिक दिनों तक लंबित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों संबंधी कार्यशालाओं की संख्या	गठित की गई आंतरिक शिकायत समितियों की संख्या
विश्वविद्यालय-186	149	139	7	635	183
महाविद्यालय-248	39	39	0	339	247

(* वर्ष 2017 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों से प्राप्त जानकारी)

जेंडर चैम्पियन

युवा किशोरों और किशोरियों को लिंग के संबंध में संवेदनशील बनाने तथा एक सकारात्मक सामाजिक मानदंड तैयार करने के लिए जिससे किशोरियों को विश्वविद्यालय परिसर में सम्मान प्राप्त हो तथा उनके अधिकारों का भी सम्मान किया जाए तथा एक ऐसे जिम्मेदार नेतृत्व का चयन करना जो एक समेकित तथा अंतर्विधायी पद्धति को सुग्राही बनाएं, जो लिंग के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने का बोध रखते हों जिससे समाज में महिला और पुरुष के अनुभव आकार लेते हों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं तथा इसे कार्यान्वित करने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ इसे साझा किया है।

1.3 प्रकाशन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रकाशन ब्यूरो विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियमों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-सम्मेलन, समितियों की रिपोर्ट, सांख्यिकीय रिपोर्टों/प्रारूपों का प्रकाशन करता है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों के उपयोग के लिए विभिन्न लेखन सामग्री का भी प्रकाशन करता है यथा विजिटिंग कार्ड, लिफाफे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग टी0ए0/डी0ए0 प्रपत्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिन्दी दिवस प्रमाणपत्रों तथा वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ए0पी0ए0आर0) के प्रारूपों का भी प्रकाशन करता है। नियमित मुद्रण कार्य के अलावा, प्रकाशन ब्यूरो ने निम्नवत प्रकाशन निकाले हैं:

1. वर्ष 2017-18 के दौरान प्रकाशनों की सूची

1. राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार विवरणिका
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारिवृंदों के लिए विजिटिंग कार्ड, लैटर हैड तथा लिफाफे आदि
3. विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शैक्षणिक कर्मचारिवृंदों के वेतन में संशोधन करने के लिए गठित वेतन समीक्षा समिति, 2017 की रिपोर्ट
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक लेखा 2016-17 (अंग्रेजी और हिन्दी)
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 (अंग्रेजी और हिन्दी)
6. विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा के संबंध में समिति की रिपोर्ट

वर्ष 2017-18 के दौरान वि0अ0आ0 दस्तावेजों के प्रकाशन हेतु 25.53 लाख रुपए की राशि व्यय की गई।

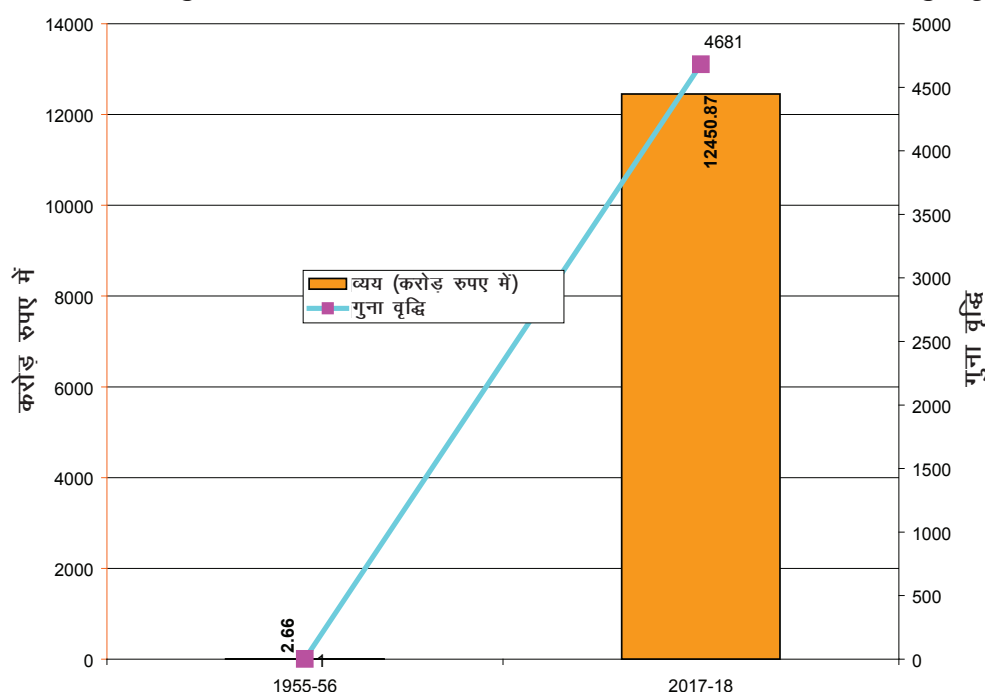
1.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुसार, आयोग को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपनी निधि से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तथा अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को अनुदान आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से अनुरक्षण (राजस्व) तथा विकास (पूँजीगत) अनुदानों के रूप में निधियाँ आवंटित एवं संवितरित कर सकता है, ताकि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में स्तरों को बनाए रखा जा सके और उनमें सुधार किया जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-वर्ष 1955-56 से आज तक व्यय में हुई कुल वृद्धि (करोड़ रुपए में)

वर्ष	कुल
1955-56	2.66
2016-17	12450.87
गुना वृद्धि	4681

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- वर्ष 1955-56 से वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय में हुई वृद्धि



वर्ष 2017-18 के लिए बजट को तालिका 1.4 (i) में दिया गया है।

तालिका 1.4 (i): वर्ष 2017-18 के लिए बजट आबंटन (करोड़ रुपए में)

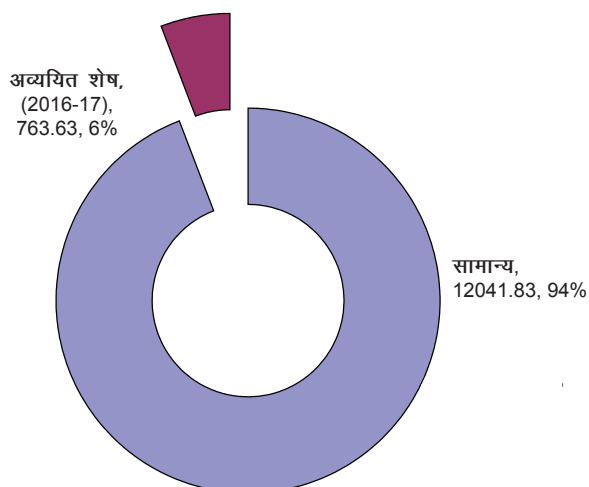
क्र.सं.	बजट शीर्ष	आबंटन (राजस्व और पूंजीगत)	
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1	सामान्य	11237.87	12467.01
	कुल:	11237.87	12467.01

वर्ष 2017-18 के दौरान केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान का ब्योरा तालिका 1.4 (ii) में दिया गया है।

तालिका 1.4(ii): वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त अनुदान (करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	बजट शीर्ष	आबंटन (राजस्व और पूंजीगत)
1	सामान्य	12041.83
2	अव्ययित शेष (2016-17)	763.63
	कुल :	12805.46

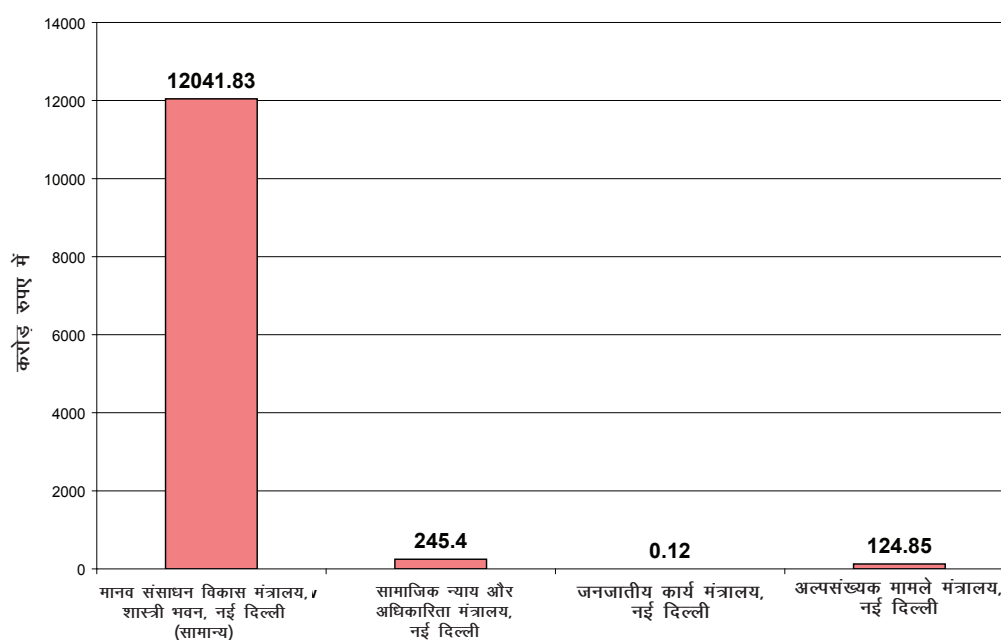
रेखाचित्र 1.4(ii): प्राप्त हुए अनुदान (राजस्व और पूंजीगत) (करोड़ रुपए में)



तालिका 1.4(iii): वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व और पूंजीगत (सामान्य) बजट शीर्ष के तहत प्राप्त अनुदान (करोड़ रु. में)

क्र. सं.	मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	प्राप्त अनुदान (राजस्व और पूंजीगत)
1.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य)	12041.83
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली	
	(i) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	225.40
	(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	20.00
3.	जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	0.12
4.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	124.85
	कुल:	12412.20

रेखाचित्र 1.4(iii): वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त हुए अनुदान (राजस्व और पूंजीगत)



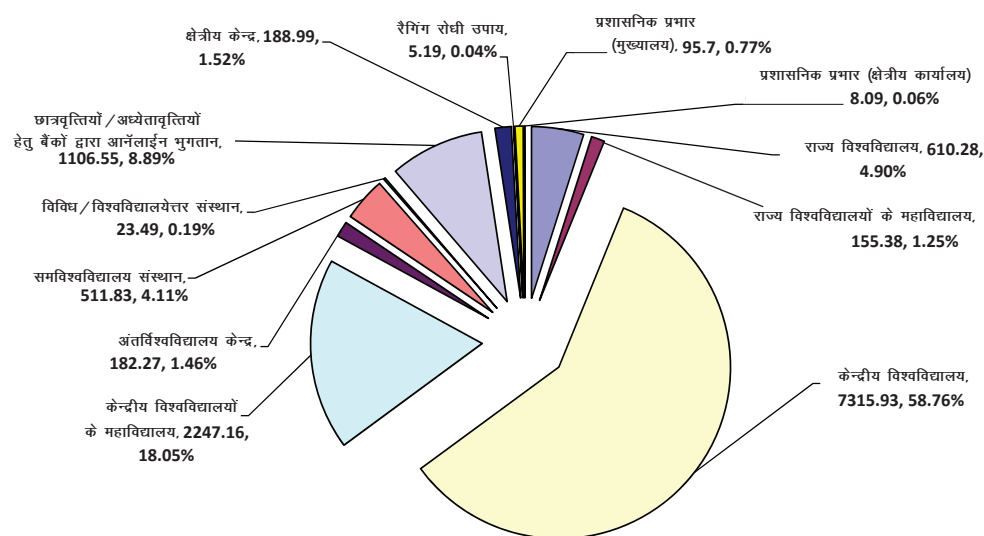
वर्ष 2017-18 के दौरान जारी किए गए अनुदानों का ब्योरा तालिका 1.4(iv) में दिया गया है।

तालिका 1.4(iv): वर्ष 2017-18 के दौरान संस्थानों को जारी किया गया राजस्व और पूंजीगत अनुदान

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	संस्थाओं का स्वरूप	राजस्व और पूंजीगत अनुदान	राजस्व और पूंजीगत अनुदानों का प्रतिशत
1	राज्य विश्वविद्यालय	610.28	4.90
2	राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	155.38	1.25
3	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	7315.93	58.76
4	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	2247.16	18.05
5	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	182.27	1.46
6	समविश्वविद्यालय संस्थान	511.83	4.11
7	विविध/विश्वविद्यालयेत्तर संस्थान	23.49	0.19
8	छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों द्वारा ऑनलाईन भुगतान	1106.55	8.89
9	क्षेत्रीय कार्यालय	188.99	1.52
10	रैगिंग रोधी उपाय	5.19	0.04
11	प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	95.70	0.77
12	प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)	8.09	0.06
	कुल योग:	12450.87	100.00
	प्राप्त हुई निधियां:	12041.83	
	वर्ष 2016-17 के दौरान अव्ययित शेष:	763.63	
	प्राप्त हुई कुल निधियाँ:	12805.46	

रेखाचित्र 1.4(iv): वर्ष 2017-18 के दौरान संस्थानों को जारी किया गया अनुदान (राजस्व और पूंजीगत)

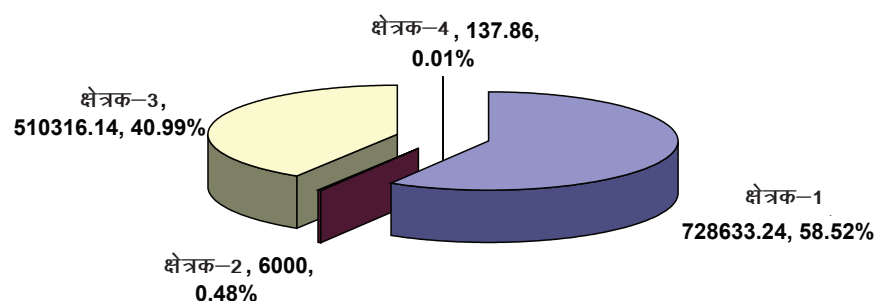


तालिका 1.4(v): वर्ष 2017-18 के दौरान जारी किए गए अनुदान का सारांश (राजस्व और पूंजीगत अनुदान) (लाख रुपये में)

	क्षेत्रक-1	क्षेत्रक-2	क्षेत्रक-3	क्षेत्रक-4	कुल (क्षेत्रक-1 से 4)
विश्वविद्यालय					
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	719262.73		12257.94	72.50	731593.17
समविश्वविद्यालय		6000.00	45183.16		51183.16
राज्य विश्वविद्यालय			60962.58	65.37	61027.95
अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र			18227.07		18227.07
विश्वविद्यालयी संस्थान			2336.03		2336.03
कुल (विश्वविद्यालय):	719262.73	6000.00	138966.77	137.86	864367.37
महाविद्यालय					
केन्द्रीय विश्वविद्यालय (यूसीएमएस)	9370.51		215345.60		224716.11
समविश्वविद्यालय			0.00		0.00
राज्य विश्वविद्यालय			15538.14		15538.14
विश्वविद्यालयी संस्थान			13.21		13.21
कुल (विश्वविद्यालय):	9370.51	0.00	230896.95	0.00	240267.46
कुल (विश्वविद्यालय+महाविद्यालय)	728633.24	6000.00	369863.72	137.86	1104634.83
छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों द्वारा ऑनलाईन भुगतान			110654.92		110654.92
क्षेत्रीय केन्द्र			18898.98		18898.98
प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)			9570.43		9570.43
प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यलय)			809.41		809.41
रैगिंग रोधी उपाय			518.67		518.67
कुल योग :	728633.24	6000.00	510316.14	137.86	1245087.24

क्षेत्रक-1: केन्द्रीय विश्वविद्यालय; क्षेत्रक-2: सम विश्वविद्यालय; क्षेत्रक-3: (केन्द्रीय/राज्य/सम) विश्वविद्यालय; क्षेत्रक-4: विधि

रेखाचित्र 1.4(v): वर्ष 2017-18 के दौरान क्षेत्रवार जारी किया गया राजस्व और पूंजीगत अनुदान (लाख रुपए में)



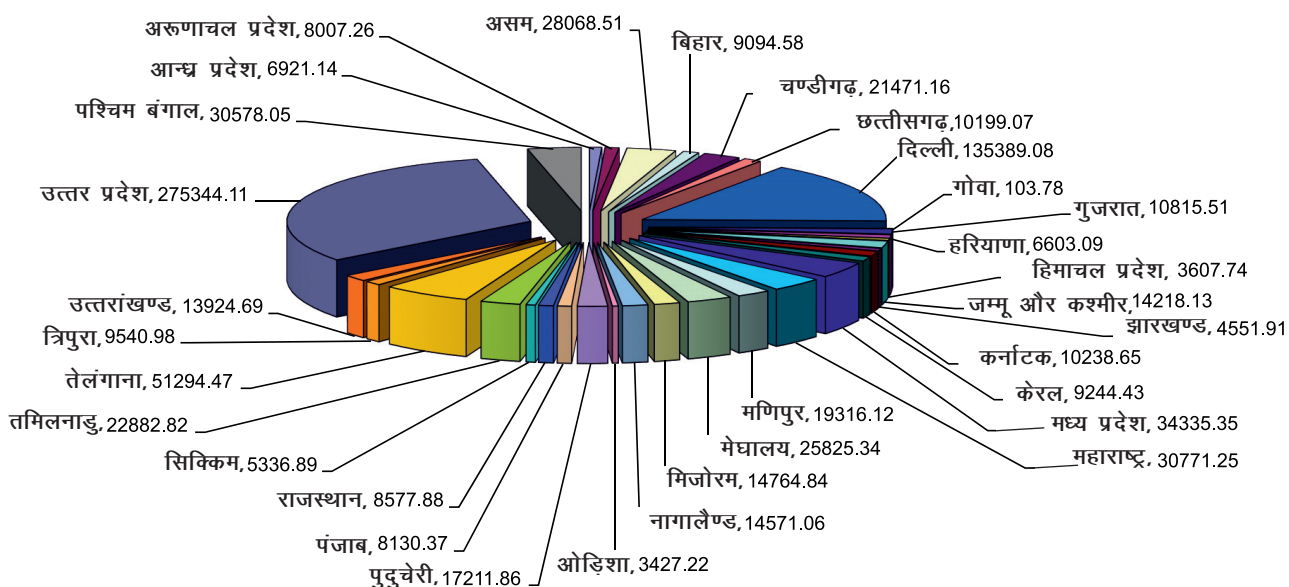
1.4(vi): विश्वविद्यालयों/संस्थानों को राज्यवार जारी किया गया राजस्व और पूंजीगत अनुदान तालिका 1.4(vi) में दिया गया है

तालिका 1.4(vi): वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालयों/संस्थानों को राज्यवार जारी किया गया राजस्व और पूंजीगत अनुदान

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल (लाख रुपए में)			
	31 (अनुदान-सहायता)	35 (पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ)	36 (वेतन)	कुल
आन्ध्र प्रदेश	2433.80	1741.93	2745.41	6921.14
अरुणाचल प्रदेश	1435.55	2326.28	4245.43	8007.26
असम	4026.79	6984.36	17057.37	28068.51
बिहार	2482.66	3670.92	2940.99	9094.58
चण्डीगढ़	612.46	78.70	20780.00	21471.16
छत्तीसगढ़	1468.55	4834.58	3895.94	10199.07
दिल्ली	36142.02	9344.66	89902.40	135389.08
गोवा	103.78			103.78
गुजरात	4846.42	1032.01	4937.08	10815.51
हरियाणा	2072.97	3402.55	1127.58	6603.09
हिमाचल प्रदेश	1635.70	413.55	1558.50	3607.74
जम्मू और कश्मीर	6303.03	4086.59	3828.52	14218.13
झारखण्ड	1158.46	2040.80	1352.65	4551.91
कर्नाटक	4215.22	2401.67	3621.76	10238.65
केरल	4170.88	2806.27	2267.28	9244.43
मध्य प्रदेश	7786.01	13283.87	13265.47	34335.35
महाराष्ट्र	8166.76	11808.25	10796.24	30771.25
मणिपुर	4053.44	4117.85	11144.83	19316.12
मेघालय	6208.62	1511.14	18105.58	25825.34
मिजोरम	2890.90	1784.00	10089.94	14764.84
नागालैण्ड	2657.07	1944.60	9969.39	14571.06
ओडिशा	1788.43	360.72	1278.07	3427.22
पुदुचेरी	3239.24	3276.65	10695.97	17211.86
पंजाब	2451.95	4204.21	1474.20	8130.37
राजस्थान	2084.90	3017.21	3475.78	8577.88
सिक्किम	1686.26		3650.63	5336.89
तमिलनाडु	6668.24	3768.06	12446.52	22882.82
तेलंगाना	10938.61	9712.54	30643.32	51294.47

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल (लाख रुपए में)			
	31 (अनुदान-सहायता)	35 (पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ)	36 (वेतन)	कुल
त्रिपुरा	2147.97	1454.00	5939.01	9540.98
उत्तराखण्ड	1422.72	2525.44	9976.53	13924.69
उत्तर प्रदेश	64839.33	25558.74	184946.04	275344.11
पश्चिम बंगाल	9017.74	3757.70	17802.61	30578.05
कुल	211156.48	137249.85	515961.04	864367.34

रेखाचित्र 1.4(vi): वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालयों/संस्थानों को राज्यवार जारी किया गया अनुदान (राजस्व और पूँजीगत)



1.4(vii): वर्ष 2017-18 के दौरान महाविद्यालयों को राज्यवार जारी किया गया राजस्व और पूँजीगत अनुदान तालिका 1.4(vii) में दिया गया है

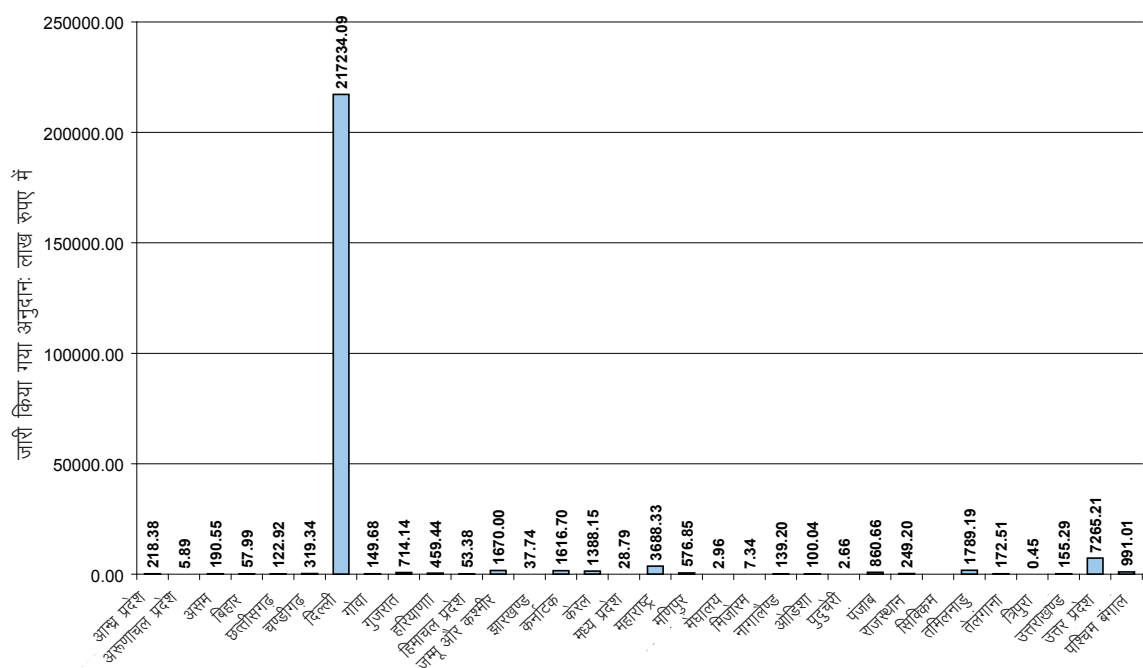
तालिका 1.4(vii): वर्ष 2017-18 के दौरान महाविद्यालयों को क्षेत्रक-1, 2, 3 और 4 के तहत राज्यवार जारी किया गया राजस्व और पूँजीगत अनुदान *

क्रम संख्या	राज्य	31 (अनुदान-सहायता)	35 (पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ)	36 (वेतन)	कुल
1	आन्ध्र प्रदेश	123.58	94.80		218.38
2	अरुणाचल प्रदेश	5.89			5.89
3	असम	185.36	5.19		190.55
4	बिहार	42.73	15.26		57.99
5	छत्तीसगढ़	23.92	99.00		122.92
6	चण्डीगढ़	115.57	203.77		319.34
6	दिल्ली	27009.52	1722.18	188502.39	217234.09
7	गोवा	59.68	90.00		149.68
8	गुजरात	280.34	433.80		714.14
9	हरियाणा	151.93	307.51		459.44
10	हिमाचल प्रदेश	53.38			53.38
11	जम्मू और कश्मीर	135.35	1534.64		1670.00
12	झारखण्ड	19.55	18.20		37.74

क्रम संख्या	राज्य	31 (अनुदान-सहायता)	35 (पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ)	36 (वेतन)	कुल
13	कर्नाटक	456.87	1159.23		1616.70
14	केरल	761.25	626.90		1388.15
15	मध्य प्रदेश	28.79			28.79
16	महाराष्ट्र	1747.80	1940.53		3688.33
17	मणिपुर	376.56	200.29		576.85
18	मेघालय	2.96			2.96
19	मिजोरम	7.34			7.34
20	नागालैण्ड	116.43	22.77		139.20
21	ओडिशा	100.04			100.04
22	पुदुचेरी	2.66			2.66
23	पंजाब	406.12	454.54		860.66
24	राजस्थान	228.00	21.20		249.20
25	सिक्किम				
26	तमिलनाडु	828.66	960.53		1789.19
27	तेलंगाना	87.21	85.30		172.51
28	त्रिपुरा	0.45			0.45
29	उत्तराखण्ड	38.57	116.72		155.29
30	उत्तर प्रदेश	825.13	631.44	5808.64	7265.21
31	पश्चिम बंगाल	334.58	406.97	249.46	991.01
	कुल	34556.22	11150.77	194560.49	240268.08

* बैंकों के माध्यम से छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु जारी किये गये ऑनलाइन अनुदान तथा क्षेत्रीय कार्यालय, रैगिंग रोधी उपाय, प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय) और (क्षेत्रीय कार्यालय) हेतु जारी अनुदान के अलावा

रेखाचित्र 1.4(vii) : वर्ष 2017-18 के दौरान महाविद्यालयों को क्षेत्रक-1, 2, 3 और 4 के तहत राज्यवार जारी किया गया राजस्व और पूँजीगत अनुदान

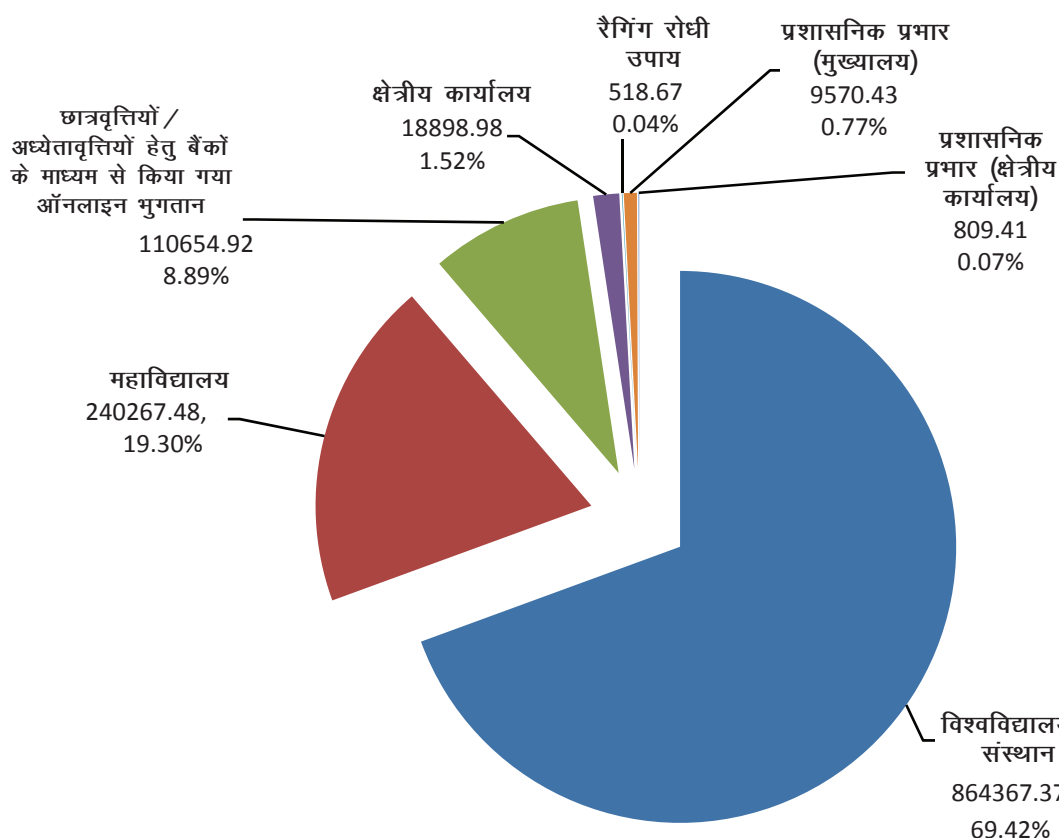


1.4(viii): वर्ष 2017-18 के दौरान 31-अनुदान सहायता, 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ, 36-वेतन के तहत जारी किए गए कुल अनुदान (राजस्व और पूँजीगत) का ब्योरा तालिका 1.4(viii) में दिया गया है

तालिका 1.4(viii): वर्ष 2017-18 के दौरान जारी किया गया कुल राजस्व और पूँजीगत अनुदान

उपयोगकर्ता	जारी किया गया अनुदान (लाख रुपए में)			
	31 (अनुदान-सहायता)	35 (पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ)	36 (वेतन)	कुल
विश्वविद्यालय/ संस्थान	211156.48	137249.85	515961.04	864367.37
महाविद्यालय	34556.22	11150.77	194560.49	240267.48
छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों के माध्यम से किया गया ऑनलाइन भुगतान	110654.92			110654.92
क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ)	6680.42	12218.56		18898.98
रैगिंग रोधी उपाय	518.67			518.67
प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	5259.80		4310.63	9570.43
प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)	417.48		391.93	809.41
कुल	369243.99	160619.18	715224.09	1245087.26

रेखाचित्र 1.4(viii): वर्ष 2017-18 के दौरान जारी किया गया कुल (राजस्व और पूँजीगत) अनुदान (लाख रुपए में)



तालिका 1.4 (ix) : विश्वविद्यालयों/संस्थानों को राजस्व तथा पूँजीगत अनुदान (2017-18) के तहत राज्य-वार, विश्वविद्यालय-वार और क्षेत्र-वार जारी किए गए अनुदान का ब्योरा तालिका 1.4 (ix) में दिया गया है।

तालिका 1.4 (x) : महाविद्यालयों को राजस्व और पूँजीगत अनुदान (2017-18) के तहत राज्य-वार, विश्वविद्यालय-वार और क्षेत्र-वार जारी किये गये अनुदान का ब्योरा तालिका 1.4 (x) में दिया गया है।

तालिका 1.4 (ix) : विश्वविद्यालयों/संस्थानों को राजस्व तथा पूँजीगत अनुदान (2017-18) के तहत राज्य-वार, विश्वविद्यालय-वार और क्षेत्र-वार जारी किए गए अनुदान का ब्योरा

केन्द्रीय विश्वविद्यालय																		(लाख रुपए में)		
क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36				
असम																				
1	असम विश्वविद्यालय, सिल्वर	1578.45	2400.00	10263.20				25.63	4.42	0.00				1604.08	2404.42	10263.20	14271.70			
2	तेजपुर विश्वविद्यालय, सोनितपुर	1915.83	4270.00	6794.17				76.59	90.00	0.00				1992.42	4360.00	6794.17	13146.59			
	कुल	3494.28	6670.00	17057.37	0.00	0.00	0.00	102.23	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3596.51	6764.42	17057.37	27418.29			
अरुणाचल प्रदेश																				
3	राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, ईटानगर	1370.99	2294.50	4245.43				64.56	31.78	0.00				1435.55	2326.28	4245.43	8007.26			
	कुल	1370.99	2294.50	4245.43	0.00	0.00	0.00	64.56	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1435.55	2326.28	4245.43	8007.26			
बिहार																				
4	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना	1513.63	3500.00	1676.54				21.21	0.00	0.00				1534.84	3500.00	1676.54	6711.38			
5	महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना	681.60	0.00	1264.45				0.00	0.00	0.00				681.60	0.00	1264.45	1946.05			
	कुल	2195.23	3500.00	2940.99	0.00	0.00	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2216.44	3500.00	2940.99	8657.43			
छत्तीसगढ़																				
6	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	1082.24	4523.51	3895.94				157.74	67.77	0.00				1239.98	4591.28	3895.94	9727.20			
	कुल	1082.24	4523.51	3895.94	0.00	0.00	0.00	157.74	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1239.98	4591.28	3895.94	9727.20			
दिल्ली																				
7	जामिया मिलिया इस्लामिया, ओखला	4650.06	3595.42	25074.70				922.81	16.72	0.00	41.67	0.00	0.00	5614.54	3612.14	25074.70	34301.38			
8	दिल्ली विश्वविद्यालय	13754.24	1065.00	34766.74				868.25	213.30	0.00				14622.49	1278.30	34766.74	50667.53			
9	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	11426.09	3000.00	22925.36				638.82	7.48	0.00	30.83	0.00	0.00	12095.74	3007.48	22925.36	38028.58			
10	साइथ एशियन यूनिवर्सिटी, चाणक्यपुरी	0.00	0.00	0.00				2.95	0.00	0.00				2.95	0.00	0.00	2.95			
	कुल	29830.39	7660.42	82766.80	0.00	0.00	0.00	2432.83	237.50	0.00	72.50	0.00	0.00	32335.72	7897.92	82766.80	123000.44			
गुजरात																				
11	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर	2315.99	35.00	405.13				42.45	0.00	0.00				2358.44	35.00	405.13	2798.57			
	कुल	2315.99	35.00	405.13	0.00	0.00	0.00	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2358.44	35.00	405.13	2798.57			

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
हिमाचल प्रदेश																	
12	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला	1295.44	0.00	1558.50				25.06	0.00	0.00				1320.50	0.00	1558.50	2879.00
	कुल	1295.44	0.00	1558.50	0.00	0.00	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1320.50	0.00	1558.50	2879.00
हरियाणा																	
13	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	1427.39	3000.00	1127.58				41.00	0.00	0.00				1468.39	3000.00	1127.58	5595.97
	कुल	1427.39	3000.00	1127.58	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1468.39	3000.00	1127.58	5595.97
जम्मू और कश्मीर																	
14	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर	3699.22	0.00	1897.25				39.38	0.00	0.00				3738.60	0.00	1897.25	5635.85
15	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू	1658.72	3500.00	1656.65				86.20	3.20	0.00				1744.92	3503.20	1656.65	6904.77
	कुल	5357.94	3500.00	3553.90	0.00	0.00	0.00	125.58	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5483.52	3503.20	3553.90	12540.62
झारखण्ड																	
16	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची	716.00	2000.00	1352.65				286.79	40.80	0.00				1002.79	2040.80	1352.65	4396.24
	कुल	716.00	2000.00	1352.65	0.00	0.00	0.00	286.79	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1002.79	2040.80	1352.65	4396.24
कर्नाटक																	
17	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	1907.77	500.00	2916.26				4.00	0.00	0.00				1911.77	500.00	2916.26	5328.03
	कुल	1907.77	500.00	2916.26	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1911.77	500.00	2916.26	5328.03
केरल																	
18	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड़	2235.00	2150.00	2200.87				72.62	0.00	0.00				2307.62	2150.00	2200.87	6658.49
	कुल	2235.00	2150.00	2200.87	0.00	0.00	0.00	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2307.62	2150.00	2200.87	6658.49
मध्य प्रदेश																	
19	डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर	3738.66	6500.00	9086.24				11.98	0.00	0.00				3750.64	6500.00	9211.24	19461.88
20	द इन्दिरा गाँधी नेशनल ट्राईबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक	1445.00	5200.00	1991.08				24.24	1.26	0.00				1469.24	5201.26	1991.08	8661.58
	कुल	5183.66	11700.00	11077.32	0.00	0.00	0.00	36.22	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5219.88	11701.26	11202.32	28123.46

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
	महाराष्ट्र																
21	महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	1100.38	5046.00	745.72				16.24	0.00	0.00				1116.62	5046.00	745.72	6908.34
	कुल	1100.38	5046.00	745.72	0.00	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1116.62	5046.00	745.72	6908.34
	मणिपुर																
22	मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल	3851.46	4107.85	10942.65				201.98	10.00	202.18				4053.44	4117.85	11144.83	19316.12
	कुल	3851.46	4107.85	10942.65	0.00	0.00	0.00	201.98	10.00	202.18	0.00	0.00	0.00	4053.44	4117.85	11144.83	19316.12
	मेघालय																
23	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	5937.72	1403.00	18105.58				270.90	108.14	0.00				6208.62	1511.14	18105.58	25825.34
	कुल	5937.72	1403.00	18105.58	0.00	0.00	0.00	270.90	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6208.62	1511.14	18105.58	25825.34
	मिजोरम																
24	मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजवाल	2789.00	1784.00	10089.94				101.90	0.00	0.00				2890.90	1784.00	10089.94	14764.84
	कुल	2789.00	1784.00	10089.94	0.00	0.00	0.00	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2890.90	1784.00	10089.94	14764.84
	नागालैण्ड																
25	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, नागालैण्ड	2615.96	1906.00	9969.39				41.11	38.60	0.00				2657.07	1944.60	9969.39	14571.06
	कुल	2615.96	1906.00	9969.39	0.00	0.00	0.00	41.11	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2657.07	1944.60	9969.39	14571.06
	पुदुचेरी																
26	पुदुचेरी यूनिवर्सिटी, पुदुचेरी	2962.41	3200.00	10695.97				276.83	76.65	0.00				3239.24	3276.65	10695.97	17211.86
	कुल	2962.41	3200.00	10695.97	0.00	0.00	0.00	276.83	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3239.24	3276.65	10695.97	17211.86
	ओडिशा																
27	ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट	1295.55	0.00	1278.07				0.00	0.00	0.00				1295.55	0.00	1278.07	2573.62
	कुल	1295.55	0.00	1278.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1295.55	0.00	1278.07	2573.62
	पंजाब																
28	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा	1497.96	3610.00	1370.80				84.99	0.00	0.00				1582.95	3610.00	1370.80	6563.75
	कुल	1497.96	3610.00	1370.80	0.00	0.00	0.00	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1582.95	3610.00	1370.80	6563.75

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
राजस्थान																	
29	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर	1103.39	2390.00	3351.55				108.03	0.00	0.00				1211.42	2390.00	3351.55	6952.97
	कुल	1103.39	2390.00	3351.55	0.00	0.00	0.00	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1211.42	2390.00	3351.55	6952.97
सिक्किम																	
30	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक	1652.40	0.00	3650.63				33.86	0.00	0.00				1686.26	0.00	3650.63	5336.89
	कुल	1652.40	0.00	3650.63	0.00	0.00	0.00	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1686.26	0.00	3650.63	5336.89
तमिलनाडु																	
31	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर	853.49	1000.00	1336.36				31.12	0.00	0.00				884.61	1000.00	1336.36	3220.97
	कुल	853.49	1000.00	1336.36	0.00	0.00	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.61	1000.00	1336.36	3220.97
तेलंगाना																	
32	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	2087.66	5352.14	6477.34				335.52	0.00	0.00				2423.18	5352.14	6477.34	14252.66
33	इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी, हैदराबाद	1904.93	1000.00	5597.46				69.09	0.00	540.00				1974.02	1000.00	6137.46	9111.48
34	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	4713.33	2500.00	17922.84				789.35	636.00	0.00				5502.68	3136.00	17922.84	26561.52
	कुल	8705.92	8852.14	29997.64	0.00	0.00	0.00	1193.97	636.00	540.00	0.00	0.00	0.00	9899.89	9488.14	30537.64	49925.67
त्रिपुरा																	
35	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	2128.19	1454.00	5939.01				19.78	0.00	0.00				2147.97	1454.00	5939.01	9540.98
	कुल	2128.19	1454.00	5939.01	0.00	0.00	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2147.97	1454.00	5939.01	9540.98
उत्तर प्रदेश																	
36	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	22403.19	7711.24	80487.11				705.72	252.02	0.00				23108.91	7963.26	80487.11	111559.28
37	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	1386.32	1500.00	3168.44				10.59	0.00	0.00				1396.91	1500.00	3168.44	6065.35
38	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	29122.51	12115.80	75064.89				1932.75	820.87	0.00				31055.26	12936.67	75064.89	119056.82
39	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	7186.79	2022.95	22552.10				278.63	0.00	0.00				7465.42	2022.95	22552.10	32040.47
	कुल	60098.81	23349.99	181272.54	0.00	0.00	0.00	2927.69	1072.89	0.00	0.00	0.00	0.00	63026.50	24422.88	181272.54	268721.92

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
	उत्तराखण्ड																
40	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	287.50	2500.00	5762.93				16.91	2.40	0.00				304.41	2502.40	5762.93	8569.74
	कुल	287.50	2500.00	5762.93	0.00	0.00	0.00	16.91	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	304.41	2502.40	5762.93	8569.74
	पश्चिम बंगाल																
41	विश्व भारती, शान्तिनिकेतन	6553.90	1869.83	17802.61				186.14	45.60	0.00				6740.04	1915.43	17802.61	26458.08
	कुल	6553.90	1869.83	17802.61	0.00	0.00	0.00	186.14	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6740.04	1915.43	17802.61	26458.08
	कुल (सीयू)	161846.36	110006.24	447410.13	0.00	0.00	0.00	8923.74	2467.02	867.18	72.50	0.00	0.00	170842.60	112473.26	448277.31	731593.17
	सम विश्वविद्यालय																
	आन्ध्र प्रदेश																
42	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति				241.50	159.00	0.00	660.29	0.00	2745.41				901.79	159.00	2745.41	3806.20
43	श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर लर्निंग, अनंतपुर				13.00	199.00	0.00	12.84	0.00	0.00				25.84	199.00	0.00	224.84
44	गौंधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट (जी.आई.टी.ए.एम.), विशाखापत्तनम				0.00	0.00	0.00	24.65	0.00	0.00				24.65	0.00	0.00	24.65
	कुल	0.00	0.00	0.00	254.50	358.00	0.00	697.78	0.00	2745.41	0.00	0.00	0.00	952.28	358.00	2745.41	4055.69
	दिल्ली																
45	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ				113.29	93.27	0.00	586.19	5.00	3086.97				699.48	98.27	3086.97	3884.72
46	जामिया हमदर्द				24.00	48.00	0.00	45.37	0.00	800.00				69.37	48.00	800.00	917.37
47	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान				0.00	0.00	0.00	5.57	0.00	0.00				5.57	0.00	0.00	5.57
	कुल	0.00	0.00	0.00	137.29	141.27	0.00	637.14	5.00	3886.97	0.00	0.00	0.00	774.43	146.27	3886.97	4807.67
	गुजरात																
48	गुजरात विद्यापीठ				52.50	220.50	0.00	776.04	7.50	3955.60				828.54	228.00	3955.60	5012.14
	कुल	0.00	0.00	0.00	52.50	220.50	0.00	776.04	7.50	3955.60	0.00	0.00	0.00	828.54	228.00	3955.60	5012.14
	झारखण्ड																
49	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा				0.00	0.00	0.00	9.79	0.00	0.00				9.79	0.00	0.00	9.79
50	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स				0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00				3.00	0.00	0.00	3.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.78	0.00	0.00	12.78

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग	
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36		
	कर्नाटक																	
51	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु							0.00	0.00	0.00	324.25	0.00	0.00	324.25	0.00	0.00	324.25	
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.25	0.00	0.00	324.25	0.00	0.00	324.25	0.00	0.00	324.25	
	महाराष्ट्र																	
52	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट								6.50	38.00	0.00	1.27	0.00	0.00	7.77	38.00	0.00	45.77
53	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनोमिक्स								11.50	58.50	0.00	16.66	0.00	0.00	28.16	58.50	0.00	86.66
54	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुम्बई							404.84	130.00	0.00	1432.08	0.00	7738.00	1836.92	130.00	7738.00	9704.92	
55	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मादुन्गा							14.00	528.00	0.00	506.65	0.00	0.00	520.65	528.00	0.00	1048.65	
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	436.84	754.50	0.00	1956.67	0.00	7738.00	0.00	0.00	2393.51	754.50	7738.00	10886.01	
	पंजाब																	
56	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी, पटियाला							0.00	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	3.73	
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	3.73	
	राजस्थान																	
57	बनस्थली विद्यापीठ							17.50	335.50	0.00	3.44	66.00	0.00	20.94	401.50	0.00	422.44	
58	बी.आई.टी.एस, पिलानी							0.00	0.00	0.00	197.66	0.00	0.00	197.66	0.00	0.00	197.66	
59	जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट							9.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	18.00	0.00	27.00	
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	353.50	0.00	201.10	66.00	0.00	0.00	0.00	227.60	419.50	0.00	647.10	
	तमिलनाडु																	
60	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हॉयर एजुकेशन फॉर वीमेन					211.25	166.90	0.00	796.68	0.00	6213.61			1007.93	166.90	6213.61	7388.44	
61	गौंधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट					295.14	567.75	0.00	1007.20	12.06	4704.46			1302.34	579.81	4704.46	6586.61	
62	श्री चंद्रशेखरेंद्रा सरस्वती विश्व महाविद्यालय, अथानुर						0.00	0.00	0.00	0.00	7.00			0.00	0.00	7.00	7.00	
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	506.39	734.65	0.00	1803.89	12.06	10925.07	0.00	0.00	2310.28	746.71	10925.07	13982.06	

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
	उत्तर प्रदेश																
63	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट				482.45	1059.50	0.00	480.72	7.50	3673.50				963.17	1067.00	3673.50	5703.67
	कुल	0.00	0.00	0.00	482.45	1059.50	0.00	480.72	7.50	3673.50	0.00	0.00	0.00	963.17	1067.00	3673.50	5703.67
	उत्तराखण्ड																
64	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,				0.00	0.00	0.00	919.15	0.00	4213.60				919.15	0.00	4213.60	5132.75
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.15	0.00	4213.60	0.00	0.00	0.00	919.15	0.00	4213.60	5132.75
	पश्चिम बंगाल																
65	रामाकृष्ण मिशन विवेकानन्द एजुकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, (एमवीईआरआई)				0.00	303.11	0.00	11.47	114.24	0.00				11.47	417.35	0.00	428.82
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	303.11	0.00	11.47	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11.47	417.35	0.00	428.82
	कुल (झीयू)	0.00	0.00	0.00	1896.47	3925.03	0.00	7832.71	212.30	37138.15	0.00	0.00	0.00	9729.18	4137.33	37138.15	51004.66
	राज्य विश्वविद्यालय																
	आन्ध्र प्रदेश																
66	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय							178.86	263.79	0.00				178.86	263.79	0.00	442.65
67	आन्धा विश्वविद्यालय							543.19	416.10	0.00				543.19	416.10	0.00	959.29
68	द्रविडियन विश्वविद्यालय							61.11	133.31	0.00				61.11	133.31	0.00	194.43
69	जेएनटीयू अनंतपुर							45.60	0.00	0.00				45.60	0.00	0.00	45.60
70	जेएनटीयू काकीनाड़ा							0.00	0.00	0.00	31.91	0.00	0.00	31.91	0.00	0.00	31.91
71	रायलसीमा विश्वविद्यालय							16.80	36.06	0.00				16.80	36.06	0.00	52.86
72	श्री कृष्ण देवराय विश्वविद्यालय							30.82	0.00	0.00				30.82	0.00	0.00	30.82
73	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय							171.59	278.51	0.00				171.59	278.51	0.00	450.10
74	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय							334.68	254.02	0.00				334.68	254.02	0.00	588.70
75	योगी वेमाना विश्वविद्यालय							11.63	2.13	0.00				11.63	2.13	0.00	13.76
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1394.28	1383.93	0.00	31.91	0.00	0.00	1426.20	1383.93	0.00	2810.13
	असम																
76	बोडोलैण्ड विश्वविद्यालय							18.04	0.00	0.00				18.04	0.00	0.00	18.04

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
77	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय							223.95	219.94	0.00				223.95	219.94	0.00	443.89
78	गुवाहाटी विश्वविद्यालय							185.48	0.00	0.00				185.48	0.00	0.00	185.48
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.47	219.94	0.00	0.00	0.00	0.00	427.47	219.94	0.00	647.41
	बिहार																
79	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर							6.56	0.00	0.00				6.56	0.00	0.00	6.56
80	जय प्रकाश विश्वविद्यालय							27.01	0.00	0.00				27.01	0.00	0.00	27.01
81	के0एस0 दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय							5.40	0.00	0.00				5.40	0.00	0.00	5.40
82	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय							12.71	0.00	0.00				12.71	0.00	0.00	12.71
83	माधव विश्वविद्यालय							94.32	170.06	0.00				94.32	170.06	0.00	264.38
84	पटना विश्वविद्यालय							111.35	0.84	0.00				111.35	0.84	0.00	112.19
85	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय							0.00	0.02	0.00				0.00	0.02	0.00	0.02
86	वीर कृंवर सिंह विश्वविद्यालय,							3.72	0.00	0.00				3.72	0.00	0.00	3.72
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.07	170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	261.07	170.92	0.00	432.00
	छत्तीसगढ़																
87	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी							0.00	40.00	0.00				0.00	40.00	0.00	40.00
88	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय							63.65	142.50	0.00				63.65	142.50	0.00	206.15
89	पण्डित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय							164.92	60.80	0.00				164.92	60.80	0.00	225.72
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.57	243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	228.57	243.30	0.00	471.87
	दिल्ली																
90	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय							19.18	0.30	0.00				19.18	0.30	0.00	19.48
91	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी							26.23	0.00	0.00				26.23	0.00	0.00	26.23
92	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, द्वारका							1.20	14.81	0.00				1.20	14.81	0.00	16.01
93	भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय							36.35	0.00	0.00				36.35	0.00	0.00	36.35
94	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन							31.76	0.00	0.00				31.76	0.00	0.00	31.76
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.72	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	114.72	15.11	0.00	129.83

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
	गोवा																
95	गोवा विश्वविद्यालय							103.78	0.00	0.00				103.78	0.00	0.00	103.78
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.78	0.00	0.00	103.78
	गुजरात																
96	धर्मसिंह देसाई विश्वविद्यालय नाडियाड							3.64	0.00	0.00				3.64	0.00	0.00	3.64
97	गुजरात टेक्नॉलॉजिकल यूनिवर्सिटी							2.11	0.00	0.00				2.11	0.00	0.00	2.11
98	गुजरात विश्वविद्यालय							324.95	284.06	185.90				324.95	284.06	185.90	794.91
99	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी							3.85	0.00	0.00				3.85	0.00	0.00	3.85
100	महाराजा सायाजीराव बड़ोदा विश्वविद्यालय							510.99	87.19	0.00				510.99	87.19	0.00	598.18
101	सरदार पटेल विश्वविद्यालय							124.84	18.70	0.00				124.84	18.70	0.00	143.54
102	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय							297.75	371.56	0.00				297.75	371.56	0.00	669.31
103	वीर नारमाड दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय							17.47	7.50	0.00				17.47	7.50	0.00	24.97
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1285.60	769.01	185.90	0.00	0.00	0.00	1285.60	769.01	185.90	2240.51
	हरियाणा																
104	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय							74.48	37.71	0.00				74.48	37.71	0.00	112.19
105	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय							2.51	0.00	0.00				2.51	0.00	0.00	2.51
106	दीनबन्धु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय							24.97	0.00	0.00				24.97	0.00	0.00	24.97
107	गुरु जगमेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,							276.06	273.59	0.00				276.06	273.59	0.00	549.65
108	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय							111.13	61.25	0.00				111.13	61.25	0.00	172.38
109	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय							73.86	30.00	0.00				73.86	30.00	0.00	103.86
110	इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय							4.87	0.00	0.00				4.87	0.00	0.00	4.87
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.89	402.55	0.00	0.00	0.00	0.00	567.89	402.55	0.00	970.43
	हिमाचल प्रदेश																
111	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय							295.91	324.38	0.00				295.91	324.38	0.00	620.29

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
112	चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर							1.99	0.00	0.00				1.99	0.00	0.00	1.99
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.90	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	297.90	324.38	0.00	622.28
	जम्मू और कश्मीर																
113	कश्मीर विश्वविद्यालय							424.68	64.40	274.62				424.68	64.40	274.62	763.69
114	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय							32.90	165.73	0.00				32.90	165.73	0.00	198.63
115	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी							120.47	301.73	0.00				120.47	301.73	0.00	422.20
116	श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय							24.12	45.23	0.00				24.12	45.23	0.00	69.35
117	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर							45.03	0.00	0.00				45.03	0.00	0.00	45.03
118	जम्मू विश्वविद्यालय							172.30	6.30	0.00				172.30	6.30	0.00	178.60
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.51	583.39	274.62	0.00	0.00	0.00	819.51	583.39	274.62	1677.51
	झारखण्ड																
119	राँची विश्वविद्यालय							123.37	0.00	0.00				123.37	0.00	0.00	123.37
120	विनोबा भावे विश्वविद्यालय							19.52	0.00	0.00				19.52	0.00	0.00	19.52
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.89	0.00	0.00	142.89
	कर्नाटक																
121	बंगलूरू विश्वविद्यालय							402.82	0.00	0.00				402.82	0.00	0.00	402.82
122	गुलबर्गा विश्वविद्यालय							30.87	0.00	0.00				30.87	0.00	0.00	30.87
123	कन्नड़ विश्वविद्यालय							252.72	216.84	0.00				252.72	216.84	0.00	469.57
124	कर्नाटक विश्वविद्यालय							133.58	3.20	0.00				133.58	3.20	0.00	136.78
125	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय							95.32	318.78	0.00				95.32	318.78	0.00	414.10
126	कुवेम्पू विश्वविद्यालय							65.12	113.99	0.00				65.12	113.99	0.00	179.11
127	मैंगलोर विश्वविद्यालय							177.50	584.63	0.00				177.50	584.63	0.00	762.13
128	मैसूर विश्वविद्यालय							429.28	440.02	144.95				429.28	440.02	144.95	1014.25

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
129	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी,							37.10	0.00	0.00				37.10	0.00	0.00	37.10
130	तुमकुर विश्वविद्यालय							62.57	119.21	0.00				62.57	119.21	0.00	181.78
131	रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय							47.59	105.00	0.00				47.59	105.00	0.00	152.59
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1734.47	1901.67	144.95	0.00	0.00	0.00	1734.47	1901.67	144.95	3781.09
केरल																	
132	कालीकट यूनिवर्सिटी,							321.16	130.00	66.41				321.16	130.00	66.41	517.57
133	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी							429.79	381.87	0.00				429.79	381.87	0.00	811.65
134	कन्नूर विश्वविद्यालय							243.48	0.00	0.00				243.48	0.00	0.00	243.48
135	केरल विश्वविद्यालय							245.62	47.81	0.00				245.62	47.81	0.00	293.43
136	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम							466.20	0.00	0.00				466.20	0.00	0.00	466.20
137	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय							50.94	0.00	0.00				50.94	0.00	0.00	50.94
138	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांसड् लीगल स्टडीज (एन.यू.एल.एस.)							45.00	96.60	0.00				45.00	96.60	0.00	141.60
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1802.20	656.27	66.41	0.00	0.00	0.00	1802.20	656.27	66.41	2524.88
मध्य प्रदेश																	
139	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा							73.44	171.36	0.00				73.44	171.36	0.00	244.80
140	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल							26.98	0.00	0.00				26.98	0.00	0.00	26.98
141	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय							17.65	0.00	0.00				17.65	0.00	0.00	17.65
142	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय							392.09	27.16	128.40				392.09	27.16	128.40	547.64
143	जीवाजी विश्वविद्यालय							67.43	43.73	0.00				67.43	43.73	0.00	111.16
144	महात्मा गाँधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय							7.75	74.23	0.00				7.75	74.23	0.00	81.98
145	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय							82.97	0.08	0.00				82.97	0.08	0.00	83.05
146	विक्रम विश्वविद्यालय							101.68	217.42	0.00				101.68	217.42	0.00	319.10
147	अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय							4.74	0.00	0.00				4.74	0.00	0.00	4.74
148	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी							4.34	10.12	0.00				4.34	10.12	0.00	14.46

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
149	राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय							8.08	0.00	0.00				8.08	0.00	0.00	8.08
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.14	544.10	128.40	0.00	0.00	0.00	787.14	544.10	128.40	1459.64
	महाराष्ट्र																
150	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय							229.18	174.66	0.00				229.18	174.66	0.00	403.84
151	मुम्बई विश्वविद्यालय							517.88	957.87	0.00				517.88	957.87	0.00	1475.75
152	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी							60.09	128.33	0.00				60.09	128.33	0.00	188.42
153	सावित्री भाई फुले पुणे विश्वविद्यालय,							717.06	2785.91	127.50				717.06	2785.91	127.50	3630.46
154	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय							102.51	41.46	0.00				102.51	41.46	0.00	143.97
155	शिवाजी विश्वविद्यालय							78.62	21.92	0.00				78.62	21.92	0.00	100.54
156	श्रीमती नाथीबाई दमोदर थाकरसे महिला विश्वविद्यालय							236.75	529.76	0.00				236.75	529.76	0.00	766.51
157	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय							83.49	196.18	0.00				83.49	196.18	0.00	279.67
158	सोलापुर विश्वविद्यालय							2.63	0.00	0.00				2.63	0.00	0.00	2.63
159	राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय							128.43	36.35	0.00				128.43	36.35	0.00	164.78
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2156.63	4872.44	127.50	0.00	0.00	0.00	2156.63	4872.44	127.50	7156.57
	ओडिशा																
160	बेरहामपुर विश्वविद्यालय							118.96	218.12	0.00				118.96	218.12	0.00	337.08
161	फकीर मोहन विश्वविद्यालय							66.40	117.60	0.00				66.40	117.60	0.00	184.00
162	उत्तरी ओडिशा विश्वविद्यालय							16.92	25.00	0.00				16.92	25.00	0.00	41.92
163	रावेनशाह विश्वविद्यालय							34.97	0.00	0.00				34.97	0.00	0.00	34.97
164	सम्मलपुर विश्वविद्यालय							81.89	0.00	0.00				81.89	0.00	0.00	81.89
165	उत्कल विश्वविद्यालय							147.51	0.00	0.00				147.51	0.00	0.00	147.51
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.65	360.72	0.00	0.00	0.00	0.00	466.65	360.72	0.00	827.37

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
	पंजाब																
166	गुरु अंगददेव वेदरिनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी,							14.27	0.00	0.00				14.27	0.00	0.00	14.27
167	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय							459.26	456.54	0.00				459.26	456.54	0.00	915.80
168	पंजाब विश्वविद्यालय							579.01	78.70	20780.00	33.45	0.00	0.00	612.46	78.70	20780.00	21471.16
169	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय							22.02	0.00	0.00				22.02	0.00	0.00	22.02
170	पंजाबी विश्वविद्यालय							306.64	133.07	103.40				306.64	133.07	103.40	543.11
171	पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय							47.48	0.00	0.00				47.48	0.00	0.00	47.48
172	राजीव गाँधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ							0.00	4.60	0.00				0.00	4.60	0.00	4.60
	कुल							1414.41	672.91	20883.40	33.45			1462.13	672.91	20883.40	23018.44
	राजस्थान																
173	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय							50.46	0.00	124.23				50.46	0.00	124.23	174.69
174	महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय							2.75	0.00	0.00				2.75	0.00	0.00	2.75
175	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय							90.05	0.00	0.00				90.05	0.00	0.00	90.05
176	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय							11.52	42.31	0.00				11.52	42.31	0.00	53.83
174	कोटा विश्वविद्यालय							98.09	162.20	0.00				98.09	162.20	0.00	260.29
178	राजस्थान विश्वविद्यालय							356.73	3.20	0.00				356.73	3.20	0.00	359.93
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.60	207.71	124.23	0.00	0.00	0.00	609.60	207.71	124.23	941.53
	तमिलनाडु																
179	अलगप्पा विश्वविद्यालय							189.43	10.00	0.00				189.43	10.00	0.00	199.43
180	अन्ना मलाई विश्वविद्यालय							407.61	778.24	0.00				407.61	778.24	0.00	1185.85
181	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई							533.63	60.00	53.34				533.63	60.00	53.34	646.97
182	भरथियार विश्वविद्यालय							502.54	1.83	0.00				502.54	1.83	0.00	504.38
183	भारथीदासन विश्वविद्यालय							245.11	96.10	0.00				245.11	96.10	0.00	341.21
184	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय							383.90	427.43	131.75				383.90	427.43	131.75	943.08

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
185	मनोनमनीयम सुन्दरनाथ विश्वविद्यालय							274.79	96.45	0.00				274.79	96.45	0.00	371.24
186	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय							10.14	88.00	0.00				10.14	88.00	0.00	98.14
187	पेरियार विश्वविद्यालय							130.09	0.00	0.00				130.09	0.00	0.00	130.09
187	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय							1.77	0.00	0.00				1.77	0.00	0.00	1.77
189	तमिलनाडु डॉ० अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय							70.34	164.14	0.00				70.34	164.14	0.00	234.48
190	तमिल विश्वविद्यालय							9.50	59.17	0.00				9.50	59.17	0.00	68.67
191	थिरुवल्लूर विश्वविद्यालय							3.79	3.65	0.00				3.79	3.65	0.00	7.44
192	मद्रास विश्वविद्यालय							481.21	236.34	0.00				481.21	236.34	0.00	717.55
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3243.87	2021.35	185.09	0.00	0.00	0.00	3243.87	2021.35	185.09	5450.31
तेलंगाना																	
193	आचार्य एन०जी० रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद							27.84	0.00	0.00				27.84	0.00	0.00	27.84
194	जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलॉजीकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद							44.99	0.00	0.00				44.99	0.00	0.00	44.99
195	काकतीया विश्वविद्यालय							64.76	45.60	0.00				64.76	45.60	0.00	110.36
196	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय							45.75	100.22	0.00				45.75	100.22	0.00	145.97
197	नालसार कला, विधि और न्याय विश्वविद्यालय							0.00	74.08	0.00				0.00	74.08	0.00	74.08
198	ओस्मानिया विश्वविद्यालय							368.97	1.00	105.68				368.97	1.00	105.68	475.65
199	सातवाहन विश्वविद्यालय							2.11	0.00	0.00				2.11	0.00	0.00	2.11
200	तेलंगाना विश्वविद्यालय							475.00	0.00	0.00				475.00	0.00	0.00	475.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1029.42	220.90	105.68	0.00	0.00	0.00	1029.42	220.90	105.68	1356.00
उत्तर प्रदेश																	
201	बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय							24.41	0.00	0.00				24.41	0.00	0.00	24.41
202	चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ							47.33	0.00	0.00				47.33	0.00	0.00	47.33
203	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर							71.31	0.00	0.00				71.31	0.00	0.00	71.31

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
204	डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा							54.49	0.00	0.00				54.49	0.00	0.00	54.49
205	डॉ0 शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय							28.71	65.86	0.00				28.71	65.86	0.00	94.56
206	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय							4.18	0.00	0.00				4.18	0.00	0.00	4.18
207	एम0जी0 काशी विद्यापीठ							97.39	0.00	0.00				97.39	0.00	0.00	97.39
208	एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय							9.39	0.00	0.00				9.39	0.00	0.00	9.39
209	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय							19.55	0.00	0.00				19.55	0.00	0.00	19.55
210	लखनऊ विश्वविद्यालय							184.07	0.00	0.00				184.07	0.00	0.00	184.07
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.81	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	540.81	65.86	0.00	606.67
	उत्तराखण्ड																
211	दून विश्वविद्यालय							52.58	23.04	0.00				52.58	23.04	0.00	75.62
212	कुमाऊँ विश्वविद्यालय							141.84	0.00	0.00				141.84	0.00	0.00	141.84
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.41	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	194.41	23.04	0.00	217.45
	पश्चिम बंगाल																
213	गौड़ बंग विश्वविद्यालय							45.00	105.00	0.00				45.00	105.00	0.00	150.00
214	कल्याणी विश्वविद्यालय							41.93	78.74	0.00				41.93	78.74	0.00	120.67
215	वर्द्धमान विश्वविद्यालय							186.21	73.11	0.00				186.21	73.11	0.00	259.31
216	कोलकाता विश्वविद्यालय							368.00	84.96	0.00				368.00	84.96	0.00	452.96
217	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय							191.35	130.43	0.00				191.35	130.43	0.00	321.78
218	जाधवपुर विश्वविद्यालय							730.91	439.03	0.00				730.91	439.03	0.00	1169.94
219	प्रेजीडेसी विश्वविद्यालय							218.57	336.00	0.00				218.57	336.00	0.00	554.57
220	भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी), शिवपुर							24.80	0.00	0.00				24.80	0.00	0.00	24.80
221	रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता							134.49	167.55	0.00				134.49	167.55	0.00	302.04
222	विद्यासागर विश्वविद्यालय							65.17	0.10	0.00				65.17	0.10	0.00	65.27
223	द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस,							0.00	10.00	0.00				0.00	10.00	0.00	10.00

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
224	सिद्धो-कानो-बिरशा विश्वविद्यालय							8.00	0.00	0.00				8.00	0.00	0.00	8.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2014.43	1424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2014.43	1424.92	0.00	3439.35
	कुल (एसयू):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21651.99	17084.42	22226.17	65.37	0.00	0.00	21717.36	17084.42	22226.17	61027.95
	विश्वविद्यालयेत्तर / संस्थान																
	आंध्र प्रदेश																
225	एआईआईएमएस				0.00	0.00	0.00	20.28	0.00	0.00				20.28	0.00	0.00	20.28
226	कोनेरू लक्ष्मीया शिक्षा प्रतिष्ठान				0.00	0.00	0.00	27.05	0.00	0.00				27.05	0.00	0.00	27.05
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.32	0.00	0.00	47.32
	असम																
227	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईएएसएसटी) (गुवाहाटी)							2.81	0.00	0.00				2.81	0.00	0.00	2.81
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	2.81
	बिहार																
228	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी							5.15	0.00	0.00				5.15	0.00	0.00	5.15
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15	0.00	0.00	5.15
	दिल्ली																
229	दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च							7.81	0.00	0.00				7.81	0.00	0.00	7.81
230	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान				0.00	0.00	0.00	9.04	0.00	0.00				9.04	0.00	0.00	9.04
231	इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट				103.53	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00				103.53	74.97	0.00	178.50
232	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर और बिलीरी साइंस (आईएलबीएस)				0.00	0.00	0.00	8.39	0.00	0.00				8.39	0.00	0.00	8.39
233	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी							117.16	0.00	0.00				117.16	0.00	0.00	117.16
234	इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक्स इंजीनियरिंग एण्ड बायोटेक्नोलॉजी							30.32	0.00	0.00				30.32	0.00	0.00	30.32

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
235	नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, कन्जर्वेशन एण्ड म्यूजियोलॉजी				0.00	0.00	0.00	7.26	0.00	0.00				7.26	0.00	0.00	7.26
236	राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान							5.06	0.00	0.00				5.06	0.00	0.00	5.06
237	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ प्लांट जीनोम रिसर्च							3.97	0.00	0.00				3.97	0.00	0.00	3.97
238	टेरी विश्वविद्यालय				0.00	0.00	0.00	11.55	0.00	0.00				11.55	0.00	0.00	11.55
	कुल	0.00	0.00	0.00	103.53	74.97	0.00	200.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.09	74.97	0.00	379.06
	गुजरात																
239	सेंट्रल सॉल्ट और मैरीन कैमीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट							20.12	0.00	0.00				20.12	0.00	0.00	20.12
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12	0.00	0.00	20.12
	हरियाणा																
240	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान				0.00	0.00	0.00	13.61	0.00	0.00				13.61	0.00	0.00	13.61
241	राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान							6.30	0.00	0.00				6.30	0.00	0.00	6.30
242	श्री गुरु गोबिंद सिंह ट्रांसेन्टरी यूनीवर्सिटी (निजी विश्वविद्यालय)							2.86	0.00	0.00				2.86	0.00	0.00	2.86
243	नॉर्थकैप विश्वविद्यालय							2.31	0.00	0.00				2.31	0.00	0.00	2.31
244	ट्रान्सलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक इंस्टीट्यूट							11.62	0.00	0.00				11.62	0.00	0.00	11.62
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.69	0.00	0.00	36.69
	हिमाचल प्रदेश																
245	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी							0.00	89.17	0.00				0.00	89.17	0.00	89.17
246	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी							17.30	0.00	0.00				17.30	0.00	0.00	17.30
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.30	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17.30	89.17	0.00	106.46
	कर्नाटक																
247	भारतीय प्रबंधन संस्थान							16.63	0.00	0.00				16.63	0.00	0.00	16.63
248	सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान							15.00	0.00	0.00				15.00	0.00	0.00	15.00
249	काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान				0.00	0.00	0.00	3.11	0.00	0.00				3.11	0.00	0.00	3.11

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
250	स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (एसवीवाईएस)													12.00	0.00	0.00	12.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.73	0.00	0.00	46.73
केरल																	
251	अमृता विश्व विद्यापीठम							17.98	0.00	0.00				17.98	0.00	0.00	17.98
252	सेंटर फॉर मेटिरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलाजी							2.36	0.00	0.00				2.36	0.00	0.00	2.36
253	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान							17.45	0.00	0.00				17.45	0.00	0.00	17.45
254	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान							4.13	0.00	0.00				4.13	0.00	0.00	4.13
255	राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र							4.67	0.00	0.00				4.67	0.00	0.00	4.67
256	क्षेत्रीय कैंसर केंद्र							4.48	0.00	0.00				4.48	0.00	0.00	4.48
257	श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी							10.00	0.00	0.00				10.00	0.00	0.00	10.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.06	0.00	0.00	61.06
मध्य प्रदेश																	
258	एडवांस मेटिरियल एंड प्रोसेसेज रिसर्च इंस्टीट्यूट							1.26	0.00	0.00				1.26	0.00	0.00	1.26
259	स्वा अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान							9.96	0.00	0.00				9.96	0.00	0.00	9.96
260	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंदौर							64.18	0.00	0.00				64.18	0.00	0.00	64.18
261	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान							2.11	0.00	0.00				2.11	0.00	0.00	2.11
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.51	0.00	0.00	77.51
महाराष्ट्र																	
262	भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर							13.23	0.00	0.00				13.23	0.00	0.00	13.23
263	भारती विद्यापीठ				0.00	0.00	0.00	4.07	0.00	0.00				4.07	0.00	0.00	4.07
264	डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी							6.83	0.00	0.00				6.83	0.00	0.00	6.83
266	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च							47.27	0.00	0.00				47.27	0.00	0.00	47.27

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
266	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी							447.72	0.00	0.00				447.72	0.00	0.00	447.72
267	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान				0.00	0.00	0.00	132.21	0.00	0.00				132.21	0.00	0.00	132.21
268	केईएम अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र							7.37	0.00	0.00				7.37	0.00	0.00	7.37
269	राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र							24.30	0.00	0.00				24.30	0.00	0.00	24.30
270	राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला							99.80	0.00	0.00				99.80	0.00	0.00	99.80
271	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च							60.00	0.00	0.00				60.00	0.00	0.00	60.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.80	0.00	0.00	842.80
	ओडिशा																
272	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान							14.45	0.00	0.00				14.45	0.00	0.00	14.45
273	खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान							4.42	0.00	0.00				4.42	0.00	0.00	4.42
274	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान							7.37	0.00	0.00				7.37	0.00	0.00	7.37
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.23	0.00	0.00	26.23
	पंजाब																
275	केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन							3.19	0.00	0.00				3.19	0.00	0.00	3.19
276	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (पंजाब)							3.10	0.00	0.00				3.10	0.00	0.00	3.10
277	राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान							3.07	0.00	0.00				3.07	0.00	0.00	3.07
278	पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च							6.24	0.00	0.00				6.24	0.00	0.00	6.24
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	15.60
	राजस्थान																
279	एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट							3.62	0.00	0.00				3.62	0.00	0.00	3.62
280	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर							5.04	0.00	0.00				5.04	0.00	0.00	5.04
281	इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इन्फोर्मेटिक्स एंड मैनेजमेंट							6.48	0.00	0.00				6.48	0.00	0.00	6.48
282	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान							1.70	0.00	0.00				1.70	0.00	0.00	1.70

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
283	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल तिब्बरेवाला विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय)							13.58	0.00	0.00				13.58	0.00	0.00	13.58
284	सिंघानिया विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय)							5.71	0.00	0.00				5.71	0.00	0.00	5.71
285	सर पदमापत सिंघानिया विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय)							0.16	0.00	0.00				0.16	0.00	0.00	0.16
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.28	0.00	0.00	36.28
तमिलनाडु																	
286	कैसर इंस्टीट्यूट							6.98	0.00	0.00				6.98	0.00	0.00	6.98
287	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान							174.39	0.00	0.00				174.39	0.00	0.00	174.39
288	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन							7.36	0.00	0.00				7.36	0.00	0.00	7.36
289	करुण्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज				0.00	0.00	0.00	9.84	0.00	0.00				9.84	0.00	0.00	9.84
290	मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज							5.83	0.00	0.00				5.83	0.00	0.00	5.83
291	मैट्रस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स							2.61	0.00	0.00				2.61	0.00	0.00	2.61
292	राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान							15.30	0.00	0.00				15.30	0.00	0.00	15.30
293	सत्यभामा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान				0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	0.00				3.35	0.00	0.00	3.35
294	वेलोर प्रौद्योगिकी संस्थान				0.00	0.00	0.00	3.82	0.00	0.00				3.82	0.00	0.00	3.82
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.48	0.00	0.00	229.48
तेलंगाना																	
295	जेएनटीयू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग							4.27	3.50	0.00				4.27	3.50	0.00	7.77
296	एमजीएनआईआरएसए (महात्मा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड सोशल एक्शन)							2.48	0.00	0.00				2.48	0.00	0.00	2.48
297	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान							2.55	0.00	0.00				2.55	0.00	0.00	2.55
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	3.50	0.00	12.80

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
	उत्तर प्रदेश																
298	सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च							9.72	0.00	0.00				9.72	0.00	0.00	9.72
299	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च							7.20	0.00	0.00				7.20	0.00	0.00	7.20
300	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर							256.58	0.00	0.00				256.58	0.00	0.00	256.58
301	जगद्गुरु राममद्राचार्य हैंडिकैप्ड यूनीवर्सिटी (निजी विश्वविद्यालय)							3.69	3.00	0.00				3.69	3.00	0.00	6.69
302	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान							7.08	0.00	0.00				7.08	0.00	0.00	7.08
303	राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई)							10.00	0.00	0.00				10.00	0.00	0.00	10.00
304	संजय गांधी पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल							6.50	0.00	0.00				6.50	0.00	0.00	6.50
305	शिव नाडर विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय)							2.79	0.00	0.00				2.79	0.00	0.00	2.79
306	स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय)							2.86	0.00	0.00				2.86	0.00	0.00	2.86
307	सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज				0.00	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00				2.44	0.00	0.00	2.44
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.85	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.85	3.00	0.00	311.85
	उत्तराखंड																
308	वन अनुसंधान संस्थान				0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00				3.08	0.00	0.00	3.08
309	वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी							1.67	0.00	0.00				1.67	0.00	0.00	1.67
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00	4.75
	पश्चिम बंगाल																
310	बोस इंस्टीट्यूट							80.00	0.00	0.00				80.00	0.00	0.00	80.00
311	सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र							1.53	0.00	0.00				1.53	0.00	0.00	1.53
312	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान							6.56	0.00	0.00				6.56	0.00	0.00	6.56
313	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईआईएसटी)							37.26	0.00	0.00				37.26	0.00	0.00	37.26

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
314	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च							47.92	0.00	0.00				47.92	0.00	0.00	47.92
315	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर							53.10	0.00	0.00				53.10	0.00	0.00	53.10
316	मनोविकास केन्द्र रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक सेंटर							1.55	0.00	0.00				1.55	0.00	0.00	1.55
317	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलेरा एंड एन्ट्रिक डीसीज़							11.39	0.00	0.00				11.39	0.00	0.00	11.39
318	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर							12.51	0.00	0.00				12.51	0.00	0.00	12.51
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.80	0.00	0.00	251.80
	कुल विश्वविद्यालयेतर	0.00	0.00	0.00	103.53	74.97	0.00	2240.36	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2343.89	170.64	0.00	2514.53
	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र																
	दिल्ली																
319	कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्यूनीकेशन							476.07	139.19	702.10				476.07	139.19	702.10	1317.36
320	इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर (आईयूसी)							2136.99	1071.20	2546.53				2136.99	1071.20	2546.53	5754.72
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2613.06	1210.39	3248.63	0.00	0.00	0.00	2613.06	1210.39	3248.63	7072.08
	गुजरात																
321	सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (इन्फोलिबनेट)							353.72	0.00	390.45				353.72	0.00	390.45	744.17
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.72	0.00	390.45	0.00	0.00	0.00	353.72	0.00	390.45	744.17
	कर्नाटक																
322	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्, बंगलुरु							198.00	0.00	560.55				198.00	0.00	560.55	758.55
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	560.55	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	560.55	758.55
	मध्य प्रदेश																
323	यूजीसी-डीएई कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इंदौर							1701.48	1038.51	1934.75				1701.48	1038.51	1934.75	4674.74
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1701.48	1038.51	1934.75	0.00	0.00	0.00	1701.48	1038.51	1934.75	4674.74

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल (लाख रुपए में)			कुल योग
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
	महाराष्ट्र																
324	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनोमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीएए), पुणे							1657.20	1135.31	2185.02				1657.20	1135.31	2185.02	4977.53
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1657.20	1135.31	2185.02	0.00	0.00	0.00	1657.20	1135.31	2185.02	4977.53
	कुल (आईयूसी' एस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6523.46	3384.21	8319.40	0.00	0.00	0.00	6523.46	3384.21	8319.40	18227.07
	कुल (विश्वविद्यालयेतर):	0.00	0.00	0.00	103.53	74.97	0.00	2240.36	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2343.89	170.64	0.00	2514.53
	कुल (सीयू):	161846.36	110006.24	447410.13	0.00	0.00	0.00	8923.74	2467.02	867.18	72.50	0.00	0.00	170842.60	112473.26	448277.31	731593.17
	कुल (डीयू):	0.00	0.00	0.00	1896.47	3925.03	0.00	7832.71	212.30	37138.15	0.00	0.00	0.00	9729.18	4137.33	37138.15	51004.66
	कुल (एसयू):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21651.99	17084.42	22226.17	65.37	0.00	0.00	21717.36	17084.42	22226.17	61027.95
	कुल योग :	161846.36	110006.24	447410.13	2000.00	4000.00	0.00	47172.27	23243.61	68550.90	137.86	0.00	0.00	211156.49	137249.85	515961.03	864367.37

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

[illegible]

क्र. सं.	राज्य और विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1				क्षेत्रक-2				क्षेत्रक-3				क्षेत्रक-4				कुल महाविद्यालय (लाख रुपए में)				कुल		
		31	35	36		31	35	36		31	35	36		31	35	36		31	35	36				
8	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		116.43	22.77	0.00		0.00	0.00	0.00	116.43	22.77	0.00	139.20
	कुल	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		116.43	22.77	0.00		0.00	0.00	0.00	116.43	22.77	0.00	139.20
9	पुदुचेरी																							
	पुदुचेरी यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		2.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	2.66
	कुल	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		2.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	2.66
	त्रिपुरा																							
10	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.45
	कुल	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.45
	उत्तर प्रदेश																							
11	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		547.02	15.32	5808.64		0.00	0.00	0.00	547.02	15.32	5808.64	6370.99
12	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		50.57	72.90	0.00		0.00	0.00	0.00	50.57	72.90	0.00	123.47
	कुल	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		597.59	88.22	5808.64		0.00	0.00	0.00	597.59	88.22	5808.64	6494.45
	उत्तराखण्ड																							
13	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		30.89	114.41	0.00		0.00	0.00	0.00	30.89	114.41	0.00	145.30
	कुल	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		30.89	114.41	0.00		0.00	0.00	0.00	30.89	114.41	0.00	145.30
	कुल (सीयू):	806.64	200.00	8363.87		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		27360.56	2037.87	185947.16		0.00	0.00	0.00	28167.20	2237.87	194311.03	224716.11
	राज्य विश्वविद्यालय																							
	आन्ध्र प्रदेश																							
14	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		49.54	94.80	0.00		0.00	0.00	0.00	49.54	94.80	0.00	144.34
15	आन्धा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		12.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12.87	0.00	0.00	12.87
16	जेएनटीयू अन्तपुर,	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		44.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	44.85	0.00	0.00	44.85
17	जेएनटीयू काकीनाडा	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		2.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.95	0.00	0.00	2.95
18	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		13.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	13.37	0.00	0.00	13.37
	कुल	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		123.58	94.80	0.00		0.00	0.00	0.00	123.58	94.80	0.00	218.38
	असम																							
19	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		64.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	64.93	0.00	0.00	64.93
20	गुवाहाटी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		116.92	5.19	0.00		0.00	0.00	0.00	116.92	5.19	0.00	122.11

क्र. सं.	राज्य और विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल महाविद्यालय (लाख रुपए में)			कुल
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.85	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	181.85	5.19	0.00	187.04
	बिहार																
21	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	1.53
22	बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	6.00	0.00	8.18
23	एल०एन० मिथिला विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	3.88
24	मगध विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.67	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	28.67	9.26	0.00	37.93
25	पटना विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.64
26	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	0.00	0.00	5.83
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.73	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	42.73	15.26	0.00	57.99
	छत्तीसगढ़																
27	पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	9.00	0.00	19.50
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	9.00	0.00	19.50
	गोवा																
28	गोवा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.68	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.68	90.00	0.00	149.68
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.68	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.68	90.00	0.00	149.68
	गुजरात																
29	गुजरात विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89	7.20	0.00	23.09
30	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.31	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	55.31	66.28	0.00	121.59
31	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.31	251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	170.31	251.12	0.00	421.43
32	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.15	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.15	22.80	0.00	44.95
33	वी०एन० साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.81	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.81	86.40	0.00	101.21
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.46	433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	278.46	433.80	0.00	712.26
	हरियाणा																
34	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	1.41
35	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.72	241.13	0.00	0.00	0.00	0.00	62.72	241.13	0.00	303.86
36	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.80	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	87.80	66.38	0.00	154.18
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.93	307.51	0.00	0.00	0.00	0.00	151.93	307.51	0.00	459.44

क्र. सं.	राज्य और विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल महाविद्यालय (लाख रुपए में)			कुल
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
	हिमाचल प्रदेश																
37	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.38	0.00	0.00	53.38
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.38	0.00	0.00	53.38
	जम्मू और कश्मीर																
38	कश्मीर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.68	1090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.68	1090.00	0.00	1200.68
39	जम्मू विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68	444.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68	444.64	0.00	469.32
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.35	1534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	135.35	1534.64	0.00	1670.00
	झारखण्ड																
40	राँची विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.43	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16.43	18.20	0.00	34.63
41	विनोबा भावे विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	3.12
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	18.20	0.00	37.74
	कर्नाटक																
42	बंगलूरु विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.85	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.85	315.00	0.00	432.85
43	गुलबर्गा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.97
44	कर्नाटक विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.03	168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	70.03	168.07	0.00	238.10
45	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24	4.56	0.00	14.80
46	कुश्नमू विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41	0.00	0.00	13.41
47	मैंगलोर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.38	385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	164.38	385.60	0.00	549.98
48	मैसूरु विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.82	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.82	286.00	0.00	351.82
49	विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17	0.00	0.00	14.17
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.87	1159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	456.87	1159.23	0.00	1616.10
	केरल																
50	कालीकट यूनिवर्सिटी,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.68	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	300.68	301.26	0.00	601.94
51	कन्नूर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.06	0.00	0.00	71.06
52	केरल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.80	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	67.80	131.60	0.00	199.40
53	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.70	194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	321.70	194.05	0.00	515.75
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.25	626.90	0.00	0.00	0.00	0.00	761.25	626.90	0.00	1388.15

क्र. सं.	राज्य और विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल महाविद्यालय (लाख रुपए में)			कुल
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
मध्य प्रदेश																	
54	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
55	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	1.93
56	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	2.81
57	जीवाजी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42	0.00	0.00	11.42
58	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00	0.00	3.99
59	विक्रम विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	6.64
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.79	0.00	0.00	28.79
महाराष्ट्र																	
60	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.19	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00	274.19	91.76	0.00	365.95
61	मुम्बई विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.16	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.16	340.00	0.00	505.16
62	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.64	0.00	0.00	79.64
63	सावित्री भाई फुले पुणे विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.68	507.56	0.00	0.00	0.00	0.00	367.68	507.56	0.00	875.24
64	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.53	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.53	170.00	0.00	379.53
65	शिवाजी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.99	195.82	0.00	0.00	0.00	0.00	146.99	195.82	0.00	342.80
66	श्रीमती नाथीबाई दमोदर थाकरसे महिला विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.87	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.87	180.00	0.00	208.87
67	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.46	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.46	240.00	0.00	413.46
68	शोलापुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.36	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.36	111.60	0.00	126.96
69	राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.60	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	275.60	103.79	0.00	379.38
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1736.47	1940.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1736.47	1940.53	0.00	3677.00
ओडिशा																	
70	बेरहामपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75	0.00	0.00	14.75
71	बीजू पटनायक यूनीवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	3.91
72	फकीर मोहन विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	15.50
73	उत्तरी ओडिशा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.62	0.00	0.00	27.62
74	सम्मलपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.64	0.00	0.00	17.64
75	उत्कल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.62	0.00	0.00	20.62

क्र. सं.	राज्य और विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल महाविद्यालय (लाख रुपए में)	कुल
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36		
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.04
	पंजाब														
76	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.19	221.27	0.00	0.00	0.00	221.27	0.00	422.46
77	पंजाब विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.57	203.77	0.00	0.00	0.00	203.77	0.00	319.34
78	पंजाबी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.66	233.27	0.00	0.00	0.00	233.27	0.00	413.93
79	पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.27
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.69	658.31	0.00	0.00	0.00	658.31	0.00	1180.00
	राजस्थान														
80	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90
81	एम0डी0एस0 विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.72
82	मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
83	कोटा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.22
84	राजस्थान विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.45	21.20	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	111.65
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	21.20	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	249.20
	तमिलनाडु														
85	अलगप्पा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
86	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.13
87	भरथियार विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.79	268.68	0.00	0.00	0.00	268.68	0.00	425.47
88	भास्कीदासन विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.11	358.90	0.00	0.00	0.00	358.90	0.00	502.01
89	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.34	143.62	0.00	0.00	0.00	143.62	0.00	331.96
90	मनोमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.70
91	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.46	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	75.46
92	पेरियार विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
93	शिरूवल्लूर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.03	2.53	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	30.55
94	मद्रास विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.63	161.80	0.00	0.00	0.00	161.80	0.00	290.43
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.66	960.53	0.00	0.00	0.00	960.53	0.00	1789.18

क्र. सं.	राज्य और विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2			क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4			कुल महाविद्यालय (लाख रुपए में)			कुल
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
तेलंगाना																	
95	जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलॉजीकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.74	0.00	0.00	57.74
96	काकतीय विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	0.00	0.00	4.66
97	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81	85.30	0.00	110.11
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.21	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87.21	85.30	0.00	172.51
उत्तर प्रदेश																	
98	चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.54	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	81.54	164.75	0.00	246.29
99	सीएसजेएम कानपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.82	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	27.82	120.22	0.00	148.04
100	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.78	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	48.78	78.79	0.00	127.57
101	डॉ० बी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30	35.24	0.00	48.54
102	डॉ० आर०एम०एल०ए० विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	95.24	0.00	101.32
103	एम०जी० काशी विद्यापीठ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	5.04	0.00	8.78
	कुल विश्वविद्यालय-वार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	5.04	0.00	8.78
104	एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.37	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	22.37	15.81	0.00	38.18
	कुल विश्वविद्यालय-वार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.37	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	22.37	15.81	0.00	38.18
105	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	2.94	0.00	5.06
	कुल विश्वविद्यालय-वार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	2.94	0.00	5.06
106	लखनऊ विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	1.92	0.00	3.20
107	बीबीएस पूर्वांचल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51	23.27	0.00	43.77
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.54	543.22	0.00	0.00	0.00	0.00	227.54	543.22	0.00	770.76
उत्तराखण्ड																	
108	कुमाऊँ विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68	2.31	0.00	9.99
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68	2.31	0.00	9.99
पश्चिम बंगाल																	
109	कल्याणी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00	0.00	3.99
110	वर्द्धमान विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.07	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	18.07	77.06	0.00	95.13

क्र. सं.	राज्य और विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक-1				क्षेत्रक-2				क्षेत्रक-3				क्षेत्रक-4				कुल महाविद्यालय (लाख रुपए में)	कुल
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31		
111	कोलकाता विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.63	122.40	249.46	0.00	0.00	0.00	177.63	122.40	249.46	549.49
112	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	0.00	0.00	6.82
113	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कोलकाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	0.00	0.00	3.13
114	वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.57	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	69.57	108.79	0.00	178.36
115	विद्यासागर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.37	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	55.37	98.72	0.00	154.09
116	कुल राज्य-वार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.58	406.97	249.46	0.00	0.00	0.00	334.58	406.97	249.46	991.01
	कुल (एसयू):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6375.78	8912.90	249.46	0.00	0.00	0.00	6375.78	8912.90	249.46	15538.14
	विश्वविद्यालयेतर/संस्थान																		
	गुजरात																		
117	अहमदाबाद विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय)									1.88	0.00	0.00				1.88	0.00	0.00	1.88
	कुल																0.00	0.00	1.88
	महाराष्ट्र																		
118	भारती विद्यापीठ									11.33	0.00	0.00				11.33	0.00	0.00	11.33
	कुल												0.00	0.00	0.00	11.33	0.00	0.00	11.33
	कुल (विश्वविद्यालयेतर/संस्थान)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.21	0.00	0.00	13.21
	कुल (सीयू):	806.64	200.00	8363.87	0.00	0.00	0.00	27360.56	2037.87	185947.16	0.00	0.00	0.00	28167.20	2237.87	194311.03	224716.11		
	कुल (एसयू):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6375.78	8912.90	249.46	0.00	0.00	0.00	6375.78	8912.90	249.46	15538.14		
	छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान:							110654.92	0.00	0.00				110654.92	0.00	0.00	110654.92		
	क्षेत्रीय कार्यालय:									0.00									
	रैगिंग रोधी उपाय:							6680.42	12218.56	0.00				6680.42	12218.56	0.00	18898.98		
	प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय):							518.67	0.00	0.00				518.67	0.00	0.00	518.67		
	प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय):							5259.80	0.00	4310.63				5259.80	0.00	4310.63	9570.43		
	*कुल योग	806.64	200.00	8363.87	0.00	0.00	0.00	157280.84	23169.34	190899.18	0.00	0.00	0.00	158087.48	23369.34	199263.05	380719.87		

*इसमें पीएम महिला छात्रावास (सामान्य), (अनुसूचित जाति) और (अनुसूचित जनजाति) के क्रमशः 798 लाख, 168 लाख, और 84 लाख शामिल हैं

1.5 केन्द्रीय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश से, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंदों के लिए एक समान स्टॉफ पैटर्न पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) का गठन किया गया। इस संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति का उद्देश्य इन संस्थानों के शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंदों (क,ख,ग, और घ समूह) के लिए समान सेवा शर्तों के समग्र ढाँचे की सिफारिश करना है।

केन्द्रीय वित्तपोषित संस्थानों में एसीपी/ एमएसीपी योजनाओं का कार्यान्वयन

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार किए गए तथा अग्रेषित दिशानिर्देशों के अनुसार अपने शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंदों के लिए एसीपी/ एमएसीपी योजना को लागू करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 02 जनवरी, 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19-62/2017.सीयू/सीडीएन के माध्यम से अर्द्ध-सरकारी संगठनों, स्वायत्त संगठन तथा केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित और नियंत्रित सांविधिक निकायों में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग को लागू किया। उपर्युक्त अनुमोदन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 18 जनवरी, 2018 के पत्र संख्या 11-1/2017(सीयू) के पत्र के माध्यम से सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों, दिल्ली के महाविद्यालयों (54) तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों को प्रेषित कर दिया गया है।

नर्सिंग स्टॉफ के पदनाम में परिवर्तन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 08 मार्च, 2018 के सीजीएचएस-II अनुभाग के आदेश संख्या एफ सं० 60011/13/2017-सीजीएचएस-II के अनुसार नर्सिंग स्टॉफ के पदनाम में परिवर्तन किया गया है। उपर्युक्त अनुमोदन को सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/ समविश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 29 नवम्बर, 2017 के पत्र संख्या एफ.6-7/97 के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

कुल सचिव, सहायक कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक, सहायक परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, उप वित्त अधिकारी तथा सहायक वित्त अधिकारी से संबंधित विनियमों को अंतिम रूप देना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 02 नवम्बर, 2017 के पत्र संख्या 1-7/2015-यू.II(2) के माध्यम से कुल सचिव, उप कुल सचिव, सहायक कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक, सहायक परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, उप वित्त अधिकारी तथा सहायक वित्त अधिकारी के वेतन के ढाँचे/ वेतनमान में संशोधन की योजना के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपर्युक्त पदों के लिए विनियमों को अंतिमरूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति की प्रथम बैठक दिनांक 16 जनवरी, 2018 को आयोजित हुई, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक नोटिस डालकर उपर्युक्त मामले पर टिप्पणियाँ/ सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

1.6 वर्ष 2017-18 के दौरान आयोग द्वारा विचार कर अनुमोदित किए गए महत्वपूर्ण निर्णय

वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निम्नवत आठ बैठकें हुई :

- दिनांक 07 जून, 2017 की 523 वीं बैठक
- दिनांक 24 अगस्त, 2017 की 524 वीं बैठक
- दिनांक 04 सितंबर, 2017 की 525 वीं बैठक
- दिनांक 29 सितंबर, 2017 की 526 वीं बैठक
- दिनांक 22 दिसंबर, 2017 की 527 वीं बैठक
- दिनांक 09 जनवरी, 2018 की 528 वीं बैठक
- दिनांक 08 फरवरी, 2018 की 529 वीं बैठक
- दिनांक 20 मार्च, 2018 की 530 वीं बैठक

वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- मानदंडों से संबंधित मामले
- सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त संदर्भ
- विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता कार्यक्रम आदि
- विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान

मानकों से संबंधित मामले

- आयोग ने विअआ-नेट में नेट समीक्षा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने विअआ-नेट के मौजूदा योग्यता मानदंडों की समीक्षा के लिए गठित समिति द्वारा विकसित विअआ-नेट के संशोधित योग्यता मानदंडों को नोट किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने वर्ष 2016–17 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक लेखाओं पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 में यथा अपेक्षित निम्नवत संस्थानों के समीक्षा दर्जे को नोट किया तथा अनुमोदित किया (1) डॉ 00 वाई0 पाटिल विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय), संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे- 411018, महाराष्ट्र, (2) गांधी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान (जीआईटीएम) (सम विश्वविद्यालय) विशाखापत्तनम ए आंध्र प्रदेश (3) श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान (सम विश्वविद्यालय) चेन्नई (तमिलनाडु)।
- आयोग ने विअआ विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और विअआ अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे (महाराष्ट्र) को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। इसे आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजने का भी निर्णय लिया गया।
- आयोग ने विअआ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार किया, जिसने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (सम विश्वविद्यालय), करनाल (हरियाणा) का दौरा किया ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित इसके कार्यकरण की समीक्षा की जा सके। आयोग ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इसे भी आवश्यक कार्रवाई के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अग्रेषित करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा, संस्थान को यह भी निदेश देने का निर्णय लिया गया कि वह अधिमानतः एक वर्ष के भीतर एनएएसी से स्वयं का प्रत्यायन करवाए।
- आयोग ने विअआ विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित विश्वविद्यालय के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए जगद्गुरु श्री शिवराशिश्वर (जेएसएस) विश्वविद्यालय, (सम विश्वविद्यालय), मैसूर (कर्नाटक) का दौरा किया। आयोग ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की और आगे की कार्रवाई करने के लिए इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अग्रेषित करने का भी निर्णय लिया।
- आयोग ने विअआ विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित विश्वविद्यालय के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) (सम विश्वविद्यालय) गचिबोवली, हैदराबाद का दौरा किया। आयोग ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की और आगे की कार्रवाई करने के लिए इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अग्रेषित करने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा, संस्थान को अपने संगम अनुच्छेद आदि को एक वर्ष के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016 के अनुरूप ढालने हेतु निदेश देने का भी निर्णय लिया गया।
- आयोग ने विअआ विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित विश्वविद्यालय के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स (सम विश्वविद्यालय), शिवाजीनगर, पुणे (महाराष्ट्र) का दौरा किया। आयोग ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की और आगे की कार्रवाई करने के लिए इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अग्रेषित करने का भी निर्णय लिया और संस्थान को एक वर्ष के भीतर अपनी कमियों को दूर करने हेतु निदेश देने का भी निर्णय लिया गया।
- आयोग ने वर्ष 2016–17 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुमोदन के संबंध में अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया।

- आयोग ने जनवरी 2016 से जून 2017 तक सभी विश्वविद्यालयों (केंद्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालय/निजी) में गेट/जीपीएटी अर्हता प्राप्त छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति लागू करने के निर्णय पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया।
 - आयोग ने आयोग द्वारा पहले से अनुमोदित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं के यौक्तिकरण किए जाने के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के संशोधित दिशानिर्देशों पर विचार करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिकृत किया।
 - आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया, जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित विश्वविद्यालय के कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सम विश्वविद्यालय), मेसरा, रांची – 835215 (झारखंड) का दौरा किया। आयोग ने रिपोर्ट की एक प्रति को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अग्रेषित करने का भी निर्णय लिया। यह भी नोट किया गया कि बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सम विश्वविद्यालय), मेसरा, रांची ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशानिर्देशों (अब विनियमों) में यथा अपेक्षित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुमति प्राप्त किए बिना लालपुर, नोएडा, जयपुर, पटना तथा देवघर में अपने ऑफ कैम्पस/विस्तार केन्द्र आरंभ कर दिए हैं। इसलिए, आयोग ने संकल्प लिया कि सम विश्वविद्यालय को इन ऑफ-कैम्पस/विस्तार केंद्रों के बारे में एक कड़े शब्दों में एक परामर्श भेजा जाए और मामले को ऑफ-कैम्पस केन्द्रों से संबंधित मुद्दों विचार करने के लिए गठित आयोग के सदस्यों की समिति को भी भेजा जाए।
 - आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया, जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित विश्वविद्यालय के कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (बीआईटीएस) (सम विश्वविद्यालय), पिलानी, राजस्थान का दौरा किया। आयोग ने रिपोर्ट की एक प्रति को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अग्रेषित करने का भी निर्णय लिया। यह भी नोट किया गया कि बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (बीआईटीएस) (सम विश्वविद्यालय), पिलानी, राजस्थान ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशानिर्देशों (अब विनियमों) में यथा अपेक्षित मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किए बिना गोवा और हैदराबाद में अपने ऑफ कैम्पस आरंभ कर दिए हैं। इसलिए, आयोग ने संकल्प लिया कि सम विश्वविद्यालय को इन ऑफ कैम्पस के बारे में एक एक कड़े शब्दों में एक परामर्श भेजा जाए और मामले को ऑफ-कैम्पसों से संबंधित मुद्दों विचार करने के लिए गठित आयोग के सदस्यों की समिति को भी भेजा जाएगा।
 - आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 21 जून, 2017 के पत्र संख्या एफ 2-18/2014-यू 3(ए) के माध्यम से वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सम विश्वविद्यालय) के चेन्नई परिसर में बी0टेक0 (ईसीई) में छात्रों को प्रवेश की अनुमति प्रदान करने हेतु लिए गए निर्णय को नोट किया।
 - आयोग ने एचआरडीसी के कामकाज की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति/ कार्य समूह की रिपोर्ट पर विचार किया और मानव संसाधन विकास केंद्र के मौजूदा दिशानिर्देशों के प्रावधान में संशोधन की अनुमति प्रदान की।
 - आयोग ने दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 को आयोजित उपाधियों को विनिर्दिष्ट करने हेतु स्थायी समिति की बैठक के कार्यवृत्तों पर विचार किया तथा उन्हें अनुमोदित किया।
 - आयोग ने एचएनबीजीयू के केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तन के परिणामस्वरूप इसके शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृद्धों के वेतन, भत्तों तथा वेतनमानों के औचित्यकरण के संबंध में यौक्तिकरण समिति की रिपोर्ट पर विअआ को प्रस्तुत की गई एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थानीय समिति की टिप्पणियां/प्रस्तुतिकरण के आधार पर विअआ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया।
 - आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित विश्वविद्यालय के कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित सम विश्वविद्यालयों का दौरा करने वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि दौरा करने वाली विशेषज्ञ समिति के सुझाव, यदि कोई हों तो, छह माह के भीतर उनका समाधान किया जाएगा तथा अनुपालन रिपोर्ट को दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष रखा जाएगा।
1. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (सम विश्वविद्यालय), इज़तनगर, बरेली (उत्तर प्रदेश)
 2. इंस्टीट्यूट ऑफ सिम्बॉयासिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (सम विश्वविद्यालय), ग्राम-लवाले, तालुक-मुलशी, जिला पुणे-412115, महाराष्ट्र

3. इंस्टीट्यूट ऑफ मणिपाल अकेडमी ऑफ हॉयर एजुकेशन (सम विश्वविद्यालय), माधव नगर, मणिपाल -576104, कर्नाटक
4. इंस्टीट्यूट ऑफ कोनेरु लक्ष्मैय्या एजुकेशन फाउंडेशन (सम विश्वविद्यालय), ग्रीनफील्ड्स, वडेश्वरम- 522502, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश
5. स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (सम विश्वविद्यालय) विवेकानंद रोड, कालुबालु पोस्ट जिगानी, अनेकल तालुक, बंगलुरु
6. जामिया हमदर्द, (सम विश्वविद्यालय), हमदर्द नगर, नई दिल्ली -110 062
7. भारतीय विज्ञान संस्थान (सम विश्वविद्यालय), बंगलुरु
8. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर तिब्बती स्टडीज (सम विश्वविद्यालय), सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
9. हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (सम विश्वविद्यालय), पादूर, राजीव गांधी सालाई, ओएमआर, केलांबक्कम, चेन्नई (तमिलनाडु)
10. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (यूपीएस), (सम विश्वविद्यालय), मुंबई, महाराष्ट्र
11. भातखंडे संगीत संस्थान (सम विश्वविद्यालय), कैसर बाग, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)
12. दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (सम विश्वविद्यालय), दयालबाग, आगरा- 282005 (उत्तर प्रदेश)
13. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ (सम विश्वविद्यालय), भगवानदास रोड, नई दिल्ली
14. ग्राफिक एरा (सम विश्वविद्यालय), बेल रोड, क्लेमेंट टॉउन, देहरादून (उत्तराखंड)
15. एमजीएम स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (सम विश्वविद्यालय), सेक्टर -01, कामोथ, नवी मुंबई, महाराष्ट्र
16. विग्नान फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), वाडलमुडी, गुंटूर जिला 522213, आंध्र प्रदेश
17. चेन्नई मैथेमेटिकल इंस्टीट्यूट (सम विश्वविद्यालय), एच 1 एसआईपीसीओटी आईटी पार्क, सिरुसेरी, केलांबक्कम, चेन्नई (तमिलनाडु)
18. मानव रचना इंटरनेशनल (सम विश्वविद्यालय), सेक्टर-43, दिल्ली सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद (हरियाणा)
19. वेल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज (वीआईएसटीएस), (सम विश्वविद्यालय), पल्लारम, चेन्नई (तमिलनाडु)
20. राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, कला इतिहास, संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान (सम विश्वविद्यालय), जनपथ, नई दिल्ली
21. डॉ एमजीआर एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (सम विश्वविद्यालय), मदुरावोयल, चेन्नई, तमिलनाडु
22. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (सम विश्वविद्यालय), कराड, जिला-सातारा (महाराष्ट्र)
23. डी0 वाई0 पाटिल एजुकेशन सोसायटी (सम विश्वविद्यालय), कसाबा बावाड़ा, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)
24. होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (सम विश्वविद्यालय), अणु शक्ति नगर, मुंबई
25. नूरुल इस्लाम सेंटर फॉर हॉयर एजुकेशन (सम विश्वविद्यालय), कुमारकोईल, थुकाले, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु
26. कारुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, (सम विश्वविद्यालय), कारुण्या नगर, कोयंबटूर 6411114, तमिलनाडु
27. नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर (सम विश्वविद्यालय), मानेसर, हरियाणा
28. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड (सम विश्वविद्यालय), बी -21, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली

29. येनेपोया यूनिवर्सिटी (सम विश्वविद्यालय), यूनीवर्सिटी कैम्पस, नित्यानंद नगर, देरालकाटे, मंगलौर -575018, कर्नाटक
30. वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी) (सम विश्वविद्यालय), वेल्लोर, तमिलनाडु
31. श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर लर्निंग (सम विश्वविद्यालय), प्रशांतिनिलायम जिला अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)
32. सेंट पीटर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन (सम विश्वविद्यालय), टोनाकेला कैंप रोड, अवदी, चेन्नई- 600054
33. वेलटेक रंगराजन डॉ० सगुनथला अनुसंधान एवं विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्थान, अवाडी, चेन्नई, (तमिलनाडु)
34. क्राईस्ट, होसूर रोड, धर्मावरम, कॉलेज, पोस्ट, बंगलुरु- 560029
35. श्रीबालाजी विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय), पिल्लैयाकुप्पम, पुदुचेरी
36. बीएलडी, श्रीमती बंगाराम्मा साजन कैम्पस, डॉ बीएम पाटिल रोड (सोलापुर) विजयपुर -586103
37. आईसीएफसीआई फाउंडेशन फॉर हॉयर एजुकेशन, (सम विश्वविद्यालय), डोन्थापल्ली, शंकरापल्ली रोड, हैदराबाद, तेलंगाना - 501203
38. चेट्टीनाड अकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन (सम विश्वविद्यालय), केलाम्बक्कम, कांचीपुरम जिला-603103, तमिलनाडु
39. पोन्नैया रामाजयम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (सम विश्वविद्यालय), वल्लम, तंजावुर- 613403, तमिलनाडु
40. अकेडमी ऑफ मेरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (एएमईटी) (सम विश्वविद्यालय), 135, पूर्वी तट रोड, कनथूर, तमिलनाडु- 603112
41. वन अनुसंधान संस्थान (सम विश्वविद्यालय), पीओ-आईपीई, कौलागढ़ रोड, देहरादून- 248195, उत्तराखंड
42. श्रीचंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय (सम विश्वविद्यालय), एनाथुर, कांचीपुरम, तमिलनाडु- 631561
43. जैन (सम विश्वविद्यालय), जैन ग्लोबल कैम्पस, जक्कसांद्रा पोस्ट, कनकपुरा तालुक, रामनगर जिला- 562112, कर्नाटक
44. गुरुकुल कांगड़ी विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय), हरिद्वार-249404 उत्तराखंड
45. शिक्षा 'ओ' अनुसंधान, (सम विश्वविद्यालय), कांदागिरी स्केवर, भुवनेश्वर 751030, ओडिशा
46. भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (सम विश्वविद्यालय), वालीमाला पीओ, तिरुवनंतपुरम- 695547, केरल
47. बीएस अब्दुर रहमान क्रसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलाजी (सम विश्वविद्यालय), सीथाकाटी एस्टेट, जीएसटी रोड, वंडालूर, चेन्नई- 600048, तमिलनाडु
48. भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), 173, अघारामरोड, सेलेयूर, चेन्नई (तमिलनाडु)
- आयोग ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर), सम विश्वविद्यालय, मुंबई द्वारा हैदराबाद में ऑफ कैम्पस केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए गठित विश्वविद्यालय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षणेत्तर पदों के सृजन के मुद्दे पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने बीएससी (प्रवीण) (कृषि) डिग्री पर विचार किया और अनुमोदित किया।

- आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की समीक्षा समिति (टंडन समिति) द्वारा सम विश्वविद्यालय संस्थानों को श्रेणी 'ग' में रखने के प्रस्ताव की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों के पैनल पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने महाविद्यालयों को स्वायत्ता का नया दर्जा प्रदान करने/विस्तार देने संबंधी मंजूरी हेतु स्वायत्तशासी महाविद्यालयों संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया। एनएएसी 'ख' श्रेणी के महाविद्यालयों के लिए सशर्त अनुमोदन देने का निर्णय लिया गया।
- आयोग ने संकल्प लिया कि कोनेरु लक्ष्मैया शिक्षा प्रतिष्ठान (सम विश्वविद्यालय), वेदेश्वरम, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश द्वारा हैदराबाद में ऑफ-कैम्पस केन्द्र आरंभ करने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को विअआ/एआईसीटीई की दौरा करने वाली समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया जाए।
- आयोग ने विअआ विशेषज्ञ समितियों के रिपोर्टों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया, जिन्होंने विअआ (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के अंतर्गत यथा अपेक्षित इन सम विश्वविद्यालयों के कार्यों की समीक्षा करने के लिए इन सम विश्वविद्यालय संस्थानों का दौरा किया— (1) प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पता— लोनी (बीके), तालुक— रहाता, जिला— अहमदनगर, महाराष्ट्र— 413737 (2) पद्मश्री डॉ. डी. वाई. पाटील विद्यापीठ, नेरूल, नवी मुम्बई (महाराष्ट्र) (3) दक्कन महाविद्यालय स्नात्कोत्तर और अनुसंधान संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र का दौरा किया (4) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश (5) केरल कलामंडलम, वलाथोल नगर, चेरुथुरिथी, थिरुसूर, (केरल) (6) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, आंध्र प्रदेश (7) एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एसआरएम नगर, कट्टनकुलाथूर, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु (8) थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, थापर टेक्नोलॉजी कैंपस, भाडसोन रोड, पटियाला— 147004, पंजाब।
- आयोग ने विअआ अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बालागांव, बीटीएडी, कोकराझार (असम) को नए सिरे से श्रेणीबद्ध किए जाने के तहत सम विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रस्ताव का आकलन करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने दो सदस्यों के कार्यकाल के पूरा हो जाने के परिणामस्वरूप सम विश्वविद्यालयों संस्थानों के ऑफ कैंपसों के मुद्दे के सभी पक्षों की जांच करने के लिए समिति के पुनर्गठन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत किया।
- आयोग ने दिल्ली में विधि विभाग के ऑफ-कैम्पस केन्द्र को आरंभ करने के लिए भारती विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय), पुणे, महाराष्ट्र द्वारा दिए गए प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने प्रारूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स्वायत्त महाविद्यालय) विनियम, 2017 में संशोधन पर विचार किया और अतिरिक्त बदलावों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने डॉ. डी. वाई. पाटील विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय), पुणे, (महाराष्ट्र) द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के तहत (एक) डॉ. डी. वाई. पाटील आयुर्वेद महाविद्यालय और अनुसंधान केन्द्र, पुणे और (दो) डॉ. डी. वाई. पाटील होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान केन्द्र, पुणे को शामिल करने संबंधी सौंपे गए प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए गठित विअआ विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया और इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि दौरा करने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा यदि कोई सुझाव दिया गया है तो छह महीने की अवधि में उसका समाधान किया जाएगा और दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अनुपालन प्रतिवेदन विअआ को भेजा जाएगा।
- आयोग ने प्रारूप विअआ (महाविद्यालयों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त महाविद्यालयों में मानकों को बनाए रखने संबंधी उपाय) विनियम, 2018 पर कुछ संशोधनों के साथ विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित मीनाक्षी उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी (सम विश्वविद्यालय) नं. 12, वेम्बुलियाम्मन कोइल गली, पश्चिमी के.के.नगर, चेन्नई—600078 (तमिलनाडु) के कार्यों की समीक्षा के लिए इस विश्वविद्यालय का दौरा करने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों/सुझावों पर विचार किया और निर्णय लिया कि इन सुझावों/सिफारिशों को 15 दिनों के भीतर

टिप्पणी के लिए सम विश्वविद्यालयों को अग्रेषित किया जाए। उक्त संस्थान से प्राप्त टिप्पणी के आधार पर आयोग इस पर विचार करेगा।

- आयोग ने अमृता विश्वविद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय), कोयम्बटूर, तमिलनाडु से प्राप्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 के पत्र संख्या एफ. 9-25/2000 यू3 (ए) पीटी III द्वारा अग्रेषित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना-पत्र में दिए गए सम विश्वविद्यालय के दर्जे में विस्तार करने के अनुरोध पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ओडिएल) विनियमों से संबंधित कतिपय मुद्दे पर विचार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद समग्र निर्णय के साथ इन सिफारिशों पर निर्णय लिया— आयोग ने निर्णय लिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहमति से संशोधनों को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और उसके बाद जुलाई, 2018 से आरंभ होने वाले शिक्षा वर्ष के लिए एचईआई को मान्यता प्रदान करने हेतु कैलेंडर को अधिसूचित किया जाएगा। पहले से ही अधिसूचित विनियमों के अनुसार प्राप्त आवेदनों को संसाधित नहीं किया जाएगा और आवेदकों को जुलाई, 2018 से आरंभ होने वाले शैक्षिक वर्ष के लिए जब कभी भी विअआ द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तब इन्हें संशोधित विनियमों के माध्यम से पुनः आवेदन करने के लिए कहा जाएगा।
- आयोग ने दिनांक 16 से 20 मार्च, 2018 के दौरान मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल द्वारा मेजबानी किए जाने वाले 105वें भारतीय विज्ञान सम्मेलन की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता के मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की। इस पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहमति प्राप्त की जानी शेष है।
- आयोग ने बीएसआर की अधिकार प्राप्त समिति के निर्णयों की अभिपुष्टि की और संकल्प किया कि भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), पुणे को बीएसआर योजना के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए अनुरोध किया जाए।
- आयोग ने उत्कृष्ट संस्थाओं की घोषणा के लिए विशेषाधिकार प्राप्त समिति के गठन को नोट किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित नव नालंदा महावीर (सम विश्वविद्यालय), नालंदा, बिहार के कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए उसका दौरा किया और यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय से कहा जाएगा कि वे अनुपालन रिपोर्ट सौंपे जिसपर इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित पेरियार मणिपाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी (सम विश्वविद्यालय), पेरियार नगर, वेल्लाम, तंजावुर – 613403, तमिलनाडु के कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए उसका दौरा किया और निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा जाए उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- आयोग ने जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के तहत अपेक्षित है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन (आईएएसई) (सम विश्वविद्यालय), सरदार शहर, जिला चारू, राजस्थान-331403 के कार्यक्रम की समीक्षा करने हेतु विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया तथा पाया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार यहां बड़ी अनियमितताएं हैं। इसलिए, यह संकल्प किया गया कि सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस दिया जाए और एक महीने के भीतर इसका उत्तर मांगा जाए। इसके साथ ही, सम विश्वविद्यालय से कारण बताओ नोटिस के उत्तर के साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की टिप्पणियों/सुझावों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट सौंपे जाने के लिए भी कहा जाए।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति के रिपोर्ट पर विचार किया जिसने विनायक मिशन अनुसंधान प्रतिष्ठान (सम विश्वविद्यालय), रा0 रा0 47, संकारी मेन रोड, अरियानूर, सालेम, तमिलनाडु – 636308 का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित इसके कार्यक्रम की समीक्षा के लिए दौरा किया था और पाया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार यहां बड़ी अनियमितताएं हैं। इसलिए, यह संकल्प लिया गया कि

सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस दिया जाए और एक महीने के भीतर उत्तर की मांगा जाए। साथ ही, सम विश्वविद्यालय से कारण बताओ नोटिस के उत्तर के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति की टिप्पणियों/सुझावों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट को सौंपे जाने के लिए भी कहा जाए।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित मीनाक्षी उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी (सम विश्वविद्यालय), नं० 12, वेम्बुलियाम्मन कोली गली, पश्चिमी के.के. नगर, चेन्नई-600078, तमिलनाडु के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए दौरा किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई टिप्पणियों/सुझावों/सिफारिशों के संबंध में दी गई टिप्पणियों पर विचार किया। समिति ने यह संकल्प लिया कि सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के संबंध में इस संस्थान को एक कारण बताओ नोटिस दिया जाए और एक माह के भीतर इसका उत्तर मांगा जाए।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के प्रयोजनार्थ एनएएसी द्वारा दिए गए 3.01 और इससे उपर के ग्रेड को उच्चतम ग्रेड माने जाने के लिए आयोग द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर विचार किया तथा संकल्प किया कि वर्ष 2018 के बाद से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के प्रयोजनार्थ दिए गए उच्चतम ग्रेड को एनएएसी सीजीपीए 3.26 के अनुरूप माना जाए। वर्ष 2018 के पूर्व सभी मामलों के लिए एनएएसी सीजीपीए 3.01 को उच्चतम ग्रेड माना जाएगा।
- आयोग ने अमृता विश्वविद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयम्बटूर, तमिलनाडु से एक और वर्ष के लिए सम विश्वविद्यालय का दर्जा विस्तार करने के लिए प्राप्त अनुरोध पर विचार किया और निर्णय लिया कि (1) एक और वर्ष के लिए सम विश्वविद्यालय का समय विस्तार प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सिफारिश की जाए। (2) अमृता विश्वविद्यापीठम से संबंधित (एक) सम विश्वविद्यालय के नाम पर पृथक सोसाइटी/ट्रस्ट का सृजन (दो) सम विश्वविद्यालय की चल और अचल संपत्तियों को नव सृजित सोसाइटी/ट्रस्ट को अंतरित करने जैसे मुद्दे की जांच करने लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि (श्री सुबोध घिलडियाल, डीएस), वित्तीय सलाहकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और संयुक्त सचिव (सीजीपी-1), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए आयोग के अध्यक्ष प्रो. जी. गोपाल रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए और (3) सम विश्वविद्यालय विनियमों पर समग्रता से पुनर्विचार करने की सलाह दी तथा इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा एक समिति का भी गठन किया जाए।
- आयोग ने एनएएसी से जुड़े मुद्दों पर विचार किया और कतिपय पदों में सीआरआर के संशोधनों को अनुमोदित करने का संकल्प लिया।
- आयोग ने ग्रेडिड स्वायत्ता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) के श्रेणीकरण पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अकादमिक कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 में मानकों को बनाए रखने के उपायों पर विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श किया और अनुमोदित किया। यह निर्णय लिया गया कि इन सुझावों को शामिल किए जाने के बाद विनियमों को सहमति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जाए।
- आयोग ने ऑफ-कैम्पस केन्द्रों से इतर निजी और सम विश्वविद्यालयों के श्रेणीकरण पर विचार किया और अनुमोदित किया। उसके पश्चात्, कैम्पस से इतर मुद्दों की समिति जांच करेगी तत्पश्चात् आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- आयोग ने सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सचिवालय द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन आफ साइंस (आईएसीएस), 2ए और 2बी, राजा सुबोध चन्द्र मल्लिक रोड, जाधवपुर, कोलकाता-700032, पश्चिम बंगाल को नए सिरे से श्रेणीबद्ध हेतु सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के इस प्रस्ताव का आकलन करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और अनुमोदित किया। तथापि, यह संकल्प लिया गया कि

इस संस्था को इन पांच नए उभरते क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसे इस विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने हेतु प्रयास करना चाहिए।

- आयोग ने प्रारूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अकादमिक कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 पर विस्तार पूर्वक चर्चा की और दिनांक 28 फरवरी, 2018 तक हितधारकों से प्रतिक्रिया/सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर डालने का संकल्प किया। यह भी निर्णय लिया गया कि हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया/सुझावों/टिप्पणियों पर उसी समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिसने इस प्रारूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों को निरूपित किया है और इन पर अपनी सिफारिश देगी तथा उसके पश्चात् आयोग के समक्ष इन विनियमों को रखा जाएगा।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शैक्षिक निष्ठा का संवर्धन करने और साहित्यिक चोरी की रोकथाम) संबंधी विनियम, 2018 पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडिड स्वायत्ता देने हेतु विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण) विनियम, 2017 पर विचार किया और कतिपय संशोधनों के साथ अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसियों की मान्यता और निगरानी) विनियम, 2017 पर विचार किया और कतिपय संशोधनों के साथ अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 की खंड 4.1.0 (क) (ii) में संशोधन पर विचार किया और अनुमोदित किया जिसमें खंड 4.1.0 के तहत सह आचार्य और आचार्य के पदों के लिए “अपने निर्देश के तहत कम से कम एक पीएचडी उपाधि प्रदान किए जाने के साक्ष्य से साथ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में न्यूनतम दस वर्ष का शिक्षण अनुभव हो और अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं/उद्योगों में अनुसंधान का अनुभव हो।” उपबंध किया गया है।

सरकारी और अन्य राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त संदर्भ

- आयोग ने भारत सरकार के अनुमोदन के अध्याधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2017 (दिनांक 06 जून, 2017 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पत्रावली को संदर्भ) के विनियम 7.1 (नियुक्ति) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संस्तुत परिवर्तन पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 04 अगस्त, 2017 के पत्र संख्या एफ. 11-1/2016- यू3 (क) के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सरकारी शिक्षा संस्थाओं को उत्कृष्ट संस्थाओं के रूप में घोषित करना) दिशानिर्देश, 2017 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सुझाए गए बदलावों पर विचार किया। आयोग ने प्रस्तावित दिशानिर्देशों और विनियमों पर चर्चा की और इन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शैक्षिक निष्ठा का संवर्धन करने और साहित्यिक चोरी की रोकथाम) संबंधी विनियम, 2017 के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टिप्पणियों पर विचार किया। आयोग ने प्रस्तावित विनियमों पर चर्चा की और निर्देश दिया कि एक माह का समय देते हुए हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए इन प्रारूप विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर डाला जाए।
- आयोग ने दिनांक 07 अप्रैल, 2017 के अपने आदेश में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा की गई आपत्तियों के संबंध में मुद्दों की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदन किया।
- आयोग ने कोनेरू लक्ष्मैया शिक्षा प्रतिष्ठान (सम विश्वविद्यालय संस्थान), वेदेश्वरम, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश के संबंध में दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 के अपने पत्र संख्या एफ. 10-3/2017 यू3 (क) के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उठाए गए दो मुद्दों के संबंध में दस्तावेजों/रिकार्डों के सत्यापन के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति के सत्यापन प्रतिवेदन पर विचार किया और अनुमोदन दिया।

- आयोग ने स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े क्रियाकलापों के संबंध में 15 दिनों (100 घंटे) के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षुता हेतु छात्रों को चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) के तहत किसी अन्य वैकल्पिक पाठ्यक्रम की भांति ही दो क्रेडिट प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया।

विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता कार्यक्रम

- आयोग ने हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से एसईटी आयोजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला को आगे प्रत्यायन देने के प्रस्ताव पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने उच्चाधिकार प्राप्त दूरस्थ शिक्षा समिति (एचपीडीईसी) के पुनर्गठन पर विचार किया और अनुमोदित किया तथा इस बैठक के लिए एचपीडीईसी सदस्यों के विचारार्थ विषय, उनके कार्यकाल, और बैठक हेतु गणपूर्ति को अनुमोदित किया।
- आयोग ने दिनांक 31 अगस्त, 2017 को आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त दूरस्थ शिक्षा समिति (एचपीडीईसी) की पांचवीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने स्थायी समिति और उच्चाधिकार प्राप्त दूरस्थ शिक्षा समिति (एचपीडीईसी) के लिए एक समान विचारार्थ विषय संबंधी मामलों पर विचार किया और 'उच्चाधिकार' को हटाकर एचपीडीईसी के नाम में परिवर्तन करने का संकल्प लिया।
- आयोग ने बी.ए./बीएससी, एम.ए./एमएससी और पीएचडी स्तर पर मनोविज्ञान के लिए आदर्श पाठ्यचर्या के संबंध में इस रिपोर्ट पर चर्चा की और इसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने कडप्पा (आंध्र प्रदेश) तथा कटक, ओडिशा में बहुकला संस्थान और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) की स्थापना करने के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने योग में अपेक्षित विशेषज्ञता रखने वाले अभ्यर्थियों को भौतिक चिकित्सा में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश में उपर्युक्त तरजीह देने की संभावना पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने विअआ-नेट में एक विषय के रूप में सिंधी भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने उपभोक्ता संबंधी अध्ययन पर मॉड्यूल तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जनजातीय उप योजना (टीएसपी) और अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के कार्यान्वयन के लिए इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने इस बात पर विचार किया और नोट किया कि राष्ट्रीय हित में "राष्ट्रीय सुरक्षा अनुसंधान और अध्ययन की राष्ट्रीय स्तर के परिषद् की स्थापना" के मुद्दे को तत्काल उठाया जाना नितांत आवश्यक है। विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए कि क्या प्रस्तावित परिषद् का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ढांचे के भीतर अथवा इससे बाहर किया जाए आदि, इस संबंध में यह संकल्प किया गया कि इसमें सम्मिलित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने तथा आगे मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए।
- आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों में विद्यालयी शिक्षा/शिक्षा संकाय की स्थापना करने/उसे सुदृढ़ करने के लिए पाठ्यक्रमों और जनशक्ति पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने इस सुझाव के साथ निम्नलिखित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और अनुमोदन प्रदान किया कि निम्नवत के संबंध में वित्तीय सहायता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है, यथा, (1) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए अनुशिक्षण योजनाएँ (2) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए समान अवसर केन्द्र की योजना (3) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में निशक्त व्यक्ति संबंधी योजना (4) सामाजिक बहिष्कार और समावेशन की नीति संबंधी अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना।

- आयोग ने भारतीय पीएचडी डिग्री की विदेशी पीएचडी डिग्री के साथ समकक्षता के परिणामस्वरूप उभरे मुद्दों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान

- आयोग ने विलय की गई योजनाओं सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता और अन्य योजनागत अनुदान, जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए केन्द्रीय विकास सहायता का एक भाग हैं, के विभिन्न घटकों के उपयोग के लिए दिनांक 31 मार्च, 2017 के बाद भी विस्तार दिए जाने पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने दिनांक 31 मार्च, 2019 तक बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के बाद भी डीडीयू कौशल केन्द्र योजना के तहत आबंटित अनुदान सहायता के उपयोग को अनुमति प्रदान करने पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के पश्चात् पहले से ही आबंटित किए गए अनुदान के उपयोग जिसे केवल दिनांक 31 मार्च, 2018 तक ही उपयोग किया जा सकता था, सामुदायिक महाविद्यालयों और बी. वोक. कार्यक्रम की योजना के तहत इन संस्थानों को अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया।
- आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं के तहत योजनागत अनुदान के संवितरण के यौक्तिकरण संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के साथ इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि इन योजनाओं को दिनांक 30 सितम्बर, 2017 के बाद से 31 मार्च, 2019 तक युक्तिसंगत रूप में जारी रखा जाए।
- आयोग ने पूंजीगत आस्तियों के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वार्षिक अनुदान आवंटन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने जेएनएमसी अस्पताल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संबंध में बिस्तरों के रखरखाव की दर में वृद्धि के मुद्दे पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने इन मुद्दों पर विचार किया और अनुमोदित किया और संकल्प किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 52 महिला अध्ययन केन्द्रों को पत्र लिख सकता है जिन्होंने यह मानते हुए विआ के पत्रों का उत्तर नहीं दिया कि उन्हें निधियों की आवश्यकता नहीं है न ही उनके पूर्व के खातों को तत्काल निपटाने की आवश्यकता है।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एसए/बीएसआर ब्यूरो द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम पद्धतियों को नोट किया।
- आयोग ने अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों अध्यापक शिक्षा केन्द्रों/डब्ल्यूआरआईसी और ईएमएमआरसी के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की अभिप्राति की।
- आयोग ने राजस्व (वेतन, पेंशन और वेतनोत्तर) के संबंध में दिल्ली महाविद्यालयों के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करने की प्रक्रिया पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों के आयोजन के लिए विशेष सहायता के रूप में 5.00 लाख रुपये के अनुदान पर विचार किया और अनुमोदित किया। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगोष्ठियों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया।

आयोग की बैठक के दौरान प्रतिवेदन और सुझाव

523वीं बैठक : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने सदस्यों को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में बेहतर कार्य कर रही संस्थाओं को ग्रेडिड स्वायत्ता प्रदान करने पर विचार कर रहा है ताकि वे अधिक स्वतंत्रता पूर्वक और स्वायत्त होकर विकसित हो सकें। इसी कारण से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हितधारकों से टिप्पणी प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर प्रारूप विनियमों को अपलोड किया है।

525वीं बैठक : आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा की और टिप्पणी की कि प्रस्तावित संशोधन व्यवहार्य नहीं हो सकता है क्योंकि यह विनियम, विनियमों के भाग-1 के पैरा 1 के उप पैरा (4) के परिणामस्वरूप यह लागू हैं। आयोग ने यह भी टिप्पणी की कि वर्ष 2016 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने

ओडीएल विश्वविद्यालयों/स्टैण्डालोन संस्थानों को मान्यता प्रदान करते हुए विश्वविद्यालयों को दो वर्षों (वर्ष 2016-17 और 2017-18) और स्टैण्डालोन संस्थानों को एक वर्ष (वर्ष 2016-17) हेतु मान्यता प्रदान की और तदनुसार, निदेश दिया कि भेदभाव समाप्त करने व नैसर्गिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए स्टैण्डालोन संस्थानों को भी दो वर्षों (वर्ष 2016-17 और 2017-18) तक मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। इससे उन्हें इन विनियमों के खंड 19(2) के अनुसार उन्हें विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने का भी समय मिल जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मंत्रालय के साथ परामर्श कर इन विनियमों के खंड 19(2) में उपयुक्त संशोधन करने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई कर सकता है, जिसे निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जा सकता है:-

“स्टैण्डालोन संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा अथवा स्नात्कोत्तर डिप्लोमा, जिन्हें शिक्षा सत्र 2016 तक मुक्त और दूरस्थ अधिगम कार्यक्रम चलाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की तत्कालीन दूरस्थ शिक्षा परिषद् की नीतियों के आधार पर आयोग द्वारा भी अनुमोदन प्रदान किया गया है, वह शिक्षा सत्र वर्ष 2017-18 तक ज्ञानअर्जन के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में मान्य कार्यक्रम होगा और उसके पश्चात् वे इन मुक्त और दूरस्थ शिक्षा विनियमों के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय अथवा सम विश्वविद्यालय का दर्जा पाने वाले स्टैण्डालोन संस्थानों के रूप में परिवर्तित होने के लिए स्वतंत्र होगी, इसमें असफल रहने पर आयोग स्टैण्डालोन संस्थानों के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को कोई अनुमोदन प्रदान नहीं करेगा।

529 वीं बैठक: आयोग को यह सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का छात्रों और पेशेवरों से भारतीय संस्कृति और परंपरा को दर्शाने वाले दीक्षांत समारोह वाली पोशाक हेतु डिजाइनों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव है। इस पर विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा तथा उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा उपयुक्त रूप से अपनाए जाने के लिए कुछ चुने हुए डिजाइन उपलब्ध कराए जाएंगे।

1.7 विशेष क्रियाकलाप/पहल

➤ 5 अप्रैल, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को विशिष्ट योग विशेषज्ञ द्वारा सार्वजनिक योग कार्यक्रम तथा प्रवचन, व्याख्यान तथा बातचीत हेतु सामान्य योग नयाचार के संबंध में एक अत्यंत व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का परामर्श दिया। वर्ष 2017 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने हेतु प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने और अन्य विशेषज्ञता पूर्ण परामर्श प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रसिद्ध और प्रमुख योग संस्थाओं की सहायता ली जा सकती है।

➤ 11 अप्रैल, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जर्नलों की एक अनुमोदित सूची जारी की है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अकादमिक कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी (चौथा संशोधन) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की सीधी भर्ती एवं कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) के प्रयोजनार्थ विचार किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित जर्नल की सूची ‘सर्च एवं ब्रॉउज इंटरफेस’ के साथ <http://ugc.ac.in/journalist/> वेब आधारित डाटाबेस के रूप में उपलब्ध है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 38,653 जर्नलों की सूची को अनुमोदित किया है जिन्हें वेब ऑफ साइंस, स्कॉउपस एवं इंडियन साइटेशन इंडेक्स में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, चयनित सूची और सार सेवाओं में शामिल किए गए जर्नलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुमोदित जर्नलों की सूची में जोड़ा गया है। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर की अकादमिक जर्नल विशेषज्ञ समिति के माध्यम से अतिरिक्त सहकर्म समीक्षित जर्नलों को शामिल करने की सिफारिश कर सकता है जिन्हें विद्यमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

जर्नल के अधिसूचित करने संबंधी स्थायी समिति ने एक जांचसूची तैयार की है जिसे जर्नलों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित सूची में शामिल करने के लिए संस्तुत प्रत्येक जर्नल के लिए ऑनलाइन भरा जाना होता है। वेब आधारित जांचसूची अध्यक्ष, विश्वविद्यालय स्तरीय अकादमिक जर्नल विशेषज्ञ समिति अथवा उनके नामितों द्वारा जो http://www.ugc.ac.in/journalist/user_login.aspx पर स्वयं को पंजीकृत किए जाने पर उपलब्ध होगा।

विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे विअआ की स्थायी समिति द्वारा निम्नलिखित अनुमोदन के बाद जर्नलों की विअआ अनुमोदित सूची में शामिल किए जाने के लिए यथा इच्छित और संस्तुत अतिरिक्त समकक्ष समीक्षित जर्नलों के लिए इस प्रावधान का इस्तेमाल करें।

➤ 24 अप्रैल, 2017

आयोग ने जन सूचना जारी कर वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए सैम हिगिन बॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान (एसएचआईएटीएस), इलाहाबाद को दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करने से रोक लगाई।

➤ 28 अप्रैल, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि “आधार (वित्तीय और सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016”, आधार संख्या को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने और प्रदर्शित करने से वर्जित करता है। विश्वविद्यालयों से अनुरोध है कि विद्वानों की आधार संख्या का सार्वजनिक प्रकाशन या प्रदर्शन न करें।

➤ 17 मई, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को लॉस एंजेलिस में दिनांक 28 मई, 2017 से 2 जून, 2017 तक होने वाले अनुसूचित वार्षिक एनएएफएसए सम्मेलन के संबंध में जानकारी प्रदान की। यह भी जानकारी प्रदान की कि फिक्की में एक ‘स्टडी इंडिया पेवेलियन’ है जिसमें विश्वविद्यालयों के लिए स्लॉट हो सकता है जिसके लिए फिक्की से सीधे संपर्क किया जा सकता है। इस संबंध में समग्र व्यय का भार स्वयं संस्थान द्वारा उठाया जाएगा।”

आयोग ने समय-समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अकादमिक कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2010 के तहत प्राचार्यों की नियुक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए एक जन सूचना जारी की।

➤ 22 मई, 2017

आयोग ने कोरोनरी स्टेंटों के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्णयों के बारे में सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया जो कि औषधियों और चिकित्सा उपकरणों के मूल्यों को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जिसका लक्ष्य गरीब रोगियों और उनके संबंधियों पर भार को कम करना है।

➤ 24 मई, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को दिनांक 21 जून, 2017 को प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, योग प्रशिक्षण आदि के साथ योग प्रदर्शन कर, महाविद्यालय शिक्षकों के लिए योग कार्यशाला आयोजित कर और युवाओं में योग को बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के वार्षिक उत्सवों में योग संबंधी कार्यक्रमों को आरंभ करने जैसे क्रियाकलापों में भागीदारी कर उपर्युक्त तरीके से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के संबंध में सूचित किया।

आयोग ने एक जन सूचना जारी की कि “उपाधियों की विशिष्टियां” के संबंध में दिनांक 05 जुलाई, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित विआ अधिसूचना के अनुसार ललित कला विषय में स्नातक (बीएफए) और विजुअल आर्ट में स्नातक (बीवीए) पाठ्यक्रमों की अवधि चार वर्ष की है।

➤ 31 मई, 2017

आयोग ने छात्रों को दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से किसी विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा पेशकश किए जाने वाले किसी एम.फिल./पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश न लेने का परामर्श देते हुए एक जन सूचना जारी की। यह भी सूचना प्रदान की गई है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) और कतिपय अन्य राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को “नियमित (एमफिल/पीएचडी की डिग्री हेतु न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016” और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशिष्ट अनुमोदन के साथ गैर-तकनीकी पाठ्यक्रमों में एमफिल/पीएचडी के लिए अनुमति प्रदान की है।

➤ 5 जून, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाले सेमेस्टर से प्रारंभ किए जाने वाले प्रस्तावित एमओओसी पाठ्यक्रमों की सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर अपलोड कर दिया गया है। विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया कि इन विश्वविद्यालयों के विभिन्न शैक्षणिक निकायों के अनुमोदन की प्राप्ति के बाद ‘स्वयं’ के माध्यम से अंगीकृत एमओओसी पाठ्यक्रमों के लिए आगामी सत्र में उपयुक्त पाठ्यक्रमों को अपनाने और छात्रों का पंजीकरण आरंभ करने के लिए एमओओसी पाठ्यक्रमों और ऑनलाइन शिक्षण और पहल हेतु क्रेडिट ढांचे के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम की सूची का अध्ययन करें।

➤ 6 जून, 2017

आयोग ने सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) को परामर्श जारी किया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान मिशन (एनडीपीएम) के तहत भुगतान के डिजिटल तरीकों (यथा ऑनलाइन आईएमपीएस/भीम/ डेबिट कार्ड/ईपीएस) का प्रयोग करते हुए शिक्षा संस्थाओं के सभी मौद्रिक लेन-देन किए जा सकते हैं।

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को यौन आधारित हिंसा संबंधी मुद्दे से निपटने और लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए अपनी संबंधित संस्थानों में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) और एक विशेष प्रकोष्ठ को गठित करने हेतु परामर्श दिया है। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को यह भी सुनिश्चित करना है कि गठित की गई आईसीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा में महिला कर्मचारियों और छात्रों के विरुद्ध यौन हिंसा के निवारण, रोकथाम और निपटान) विनियम, 2015 के अनुसार कार्य कर रहा है।

➤ 9 जून, 2017

आयोग ने दिनांक 7 जून, 2017 के अपने पत्र संख्या एफ. 3-1/2017 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श को परिचालित किया कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 2017 को मनाते हुए अतिरिक्त कार्यक्रमलाप किए जाएं। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाएं, आयुष वेबसाइट (www.ayush.gov.in) पर उपलब्ध सामान्य योग नयाचार, 2017 को डाउनलोड करें।

➤ 13 जून, 2017

आयोग ने जून, 2017 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों में कुल सचिवों हेतु एनएडी/वित्तीय अधिकारियों/परीक्षा नियंत्रकों/नोडल अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए एनएडी के संबंध में एक देश व्यापी जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित किया।

➤ 16 जून, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित किया कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चिंतन के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली के शैक्षिक संसाधनों को समृद्ध करने के लिए एक अंतर्विषयक परिप्रेक्ष्य के साथ ज्ञान सृजन पर ध्यान केन्द्रित करने से जुड़े सभी मुद्दों पर विश्वविद्यालयी प्रणाली में कुशाग्र विचारशीलता को सुकर बनाने का हमारा प्रयास है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रख्यात व्यक्तियों के नाम पर पीठ स्थापित करने की योजना तैयार की है। अब आयोग ने सामाजिक आर्थिक विचारों और संपूर्ण मानवतावाद पर पं. दीनदयाल उपाध्याय पीठ की स्थापना के लिए व्यापक प्रस्तावों को आमंत्रित किया है।

➤ 19 जून, 2017

पर्यावरण संबंधी अध्ययन: आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा की सभी शाखाओं के स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों के लिए पर्यावरण संबंधी अध्ययन से संबंधित मॉड्यूल पाठ्यचर्या के अनिवार्य कार्यान्वयन के बारे में जानकारी प्रदान की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति की सहायता से सीबीसीएस के तहत क्षमता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम (ईसीसी-पर्यावरण अध्ययन) के लिए 8 यूनिट मॉड्यूल पाठ्यचर्या तैयार की है। सभी विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए।

➤ 23 जून, 2017

आयोग ने आयुर्विज्ञान/दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम चलाने वाले सभी सम विश्वविद्यालय संस्थानों को दार-उस-सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट एवं अन्य बनाम भारतीय चिकित्सा परिषद् और अन्य के प्रकरण में दिनांक 09.05.2017 के डब्लूपी (सी) संख्या 267/2017 के तहत भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय आदेशों के बारे में जानकारी प्रदान की जिसमें निम्नवत् निदेश दिया गया है:

‘सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में अखिल भारतीय कोटा की सीटों हेतु दाखिले के लिए सामान्य काउंसलिंग डीजीएचएस द्वारा आयोजित की जाएगी। डीजीएचएस द्वारा आयोजित काउंसलिंग में सम विश्वविद्यालय भी शामिल होंगे क्योंकि उनका दर्जा भी अखिल भारतीय स्तर का होता है। उपर्युक्त उल्लिखित सम विश्वविद्यालयों में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे सम विश्वविद्यालय भी शामिल होंगे।

आयुर्विज्ञान/दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले सम विश्वविद्यालय संस्थानों से एतद्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना से बचने के लिए उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है। इस संबंध में सम विश्वविद्यालय संस्थानों को भेजे गए विस्तृत न्यायालय आदेश और पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं।

➤ 29 जून, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएस) से खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा विभाग (संख्या 1-1/2017 (सचिव) की स्थापना/उन्नयन के लिए रुचि रखने वालों से रुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित किए जाने के बारे में जानकारी प्रदान की।

➤ 11 जुलाई, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों को "शिक्षा संस्थानों में जेंडर चैम्पियनों हेतु दिशानिर्देशों" (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का परामर्श दिया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 'जेंडर चैम्पियन' हेतु एक चिह्न तैयार किया जो उसकी वेबसाइट और माई-गॉव पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

➤ 12 जुलाई, 2017

आयोग ने देश में नवोन्मेष और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) के तहत अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी) के लिए आवेदन करने हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शैक्षिक संघों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सामान्य विकास सहायता पाने वाले सभी केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालयों को सूचित किया। एआईसी, निर्माण, परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल और स्वच्छता जैसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक क्षेत्रों में उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए प्राप्य और उपयुक्त बनने के लिए उनके कार्य में नवोन्मेषी स्टार्ट-अप कारोबारों की देखरेख करेगा।

➤ 14 जुलाई, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/आईआईएम/राष्ट्रीय महत्व की संस्थानों को इस बारे में सूचित किया कि भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय ने राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी) को आरंभ किया है, जो एक डिजिटल रूप में शैक्षिक संस्थाओं/बोर्डों/पात्र मूल्यांकन निकायों द्वारा प्रदान की गई उपाधियों (डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अंक पत्र आदि) का ऑनलाइन भंडारगृह है। यह दो अंतर-प्रचालित डिजिटल निक्षेपागारों यथा एनएसडीएल डॉटाबेस प्रबंधन लिमिटेड (एनडीएमएल) और सीडीएसएल वेंचर लिमिटेड (सीवीएल) की शिक्षा संबंधी सेवा उपलब्ध कराने वाली 24x7 ऑनलाइन पद्धति है। ये डिजिटल निक्षेपागार, डिजिटल प्रारूप में शैक्षिक डिग्रियों का रखरखाव करेगा और डॉटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।

भारत सरकार ने एनएडी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विआ) को एक प्राधिकृत निकाय के रूप में नामोद्दिष्ट किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 24 नवम्बर, 2016 के समसंख्यक पत्र के तहत सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं, राज्य विश्वविद्यालयों, राज्य द्वारा वित्तपोषित सम विश्वविद्यालयों और आईआईएम से अनुरोध किया है कि वे एनएडी के संबंध में ऑन-बोर्डिंग हेतु इन निक्षेपागारों के साथ सेवा स्तरीय समझौता (एसएलए) करें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को नोडल अधिकारियों को नामोद्दिष्ट करने और एनएडी के कार्यान्वयन के लिए एनएडी प्रकोष्ठ की स्थापना का भी परामर्श दिया था।

➤ 14 जुलाई, 2017

आयोग ने यह स्पष्ट करने के लिए एक जन सूचना जारी की कि विआ-नेट परीक्षा के लिए अर्हता वाले पूर्व के मानदंडों में प्रत्येक विषय और श्रेणी में उन अभ्यर्थियों के शीर्ष 15 प्रतिशत शामिल थे जिन्होंने उन अभ्यर्थियों की श्रेणी के अनुसार पेपर एक, पेपर दो और पेपर तीन में अपेक्षित न्यूनतम अंक प्राप्त किये। माननीय केरल उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की इस प्रक्रिया और मानदंड में संशोधन किया था और इस प्रकार यह निर्णय लिया गया कि विआ-नेट परीक्षा में भाग लेने वाले कुल अभ्यर्थियों के 6 प्रतिशत को ही उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। पहली चार विआ-नेट परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का अर्हता प्रतिशत निम्नवत् है:

परीक्षा	परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों में से उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों का प्रतिशत
जून 2015 विआ-नेट	4.63 प्रतिशत
दिसम्बर 2015 विआ-नेट	4.96 प्रतिशत
जुलाई 2016 विआ-नेट	4.08 प्रतिशत
जनवरी 2017 विआ-नेट	3.99 प्रतिशत
भावी विआ नेट (संशोधित अर्हता मानदंड के साथ)	6.00 प्रतिशत

इस प्रकार भावी नेट परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

➤ 18 जुलाई, 2017

आयोग ने जन सूचना जारी की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन शिक्षा) विनियम, 2017 का प्रारूप तैयार किया और जनसाधारण/हितधारक से प्रतिक्रिया/टिप्पणियां आमंत्रित की।

➤ 20 जुलाई, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को यह परामर्श दिया कि वे अपने विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों की उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की 'स्वच्छता' रैंकिंग में भागीदारी करना सुनिश्चित करें और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट www.mhrd.gov.in पर लॉगिन कर ऑनलाइन वेब आधारित फार्म को भरना सुनिश्चित करें।

➤ 21 जुलाई, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 'अपने महाविद्यालय को जानें (केवाईसी)' पोर्टल के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की और उनसे 'केवाईसी' पोर्टल के संबंध में उनकी उत्कृष्ट संस्थाओं के जुड़े परिशुद्ध आंकड़े को अपलोड करने का अनुरोध किया जिन्हें आवधिक रूप से अपलोड किया जाना चाहिए और छात्र अनुकूल पहल की सफलतापूर्वक प्राप्ति में सरकार की सहायता करनी चाहिए।

➤ 28 जुलाई, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि भारत सरकार ने हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में जागरूकता लाने और सामान्य रूप से देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा उद्योग के योगदान एवं विशेषरूप से हथकरघा को बढ़ावा देने, बुनकरों की आय और उनके सम्मान में वृद्धि करने के उद्देश्य से 07 अगस्त को **राष्ट्रीय हथकरघा दिवस** के रूप में अधिसूचित किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्र प्रचार निदेशालय (डीएफपी), देश के विभिन्न भागों में प्रश्नोत्तरी, विबोथॉन, वाद-विवाद, प्रतियोगिता आदि जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त के लिए डीएफपी को विश्वविद्यालय परिसर में उपयुक्त स्थान प्रदान करें और इन कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय के सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करें।

➤ 4 अगस्त, 2017

आयोग ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की आयोजना, वित्तपोषण और उनके समन्वित विकास के लिए एक समेकित पोर्टल के बीटा संस्करण (www.ugc.ac.in/cup) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकसित किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य सूचना को रीयल-टाईम में साझा करने को सुकर बनाना है जिसका अंतिम लक्ष्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच कागज रहित संव्यवहार करना है।

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित किया कि वर्ष 2017 एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि यह 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का 75वां वर्ष और भारत की स्वतंत्रता का 70वां वर्ष है। इस वर्ष के महत्व को देखते हुए और बड़े आयोजनों को करने व हमारे पूजनीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का स्मरण करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम पर प्रसिद्ध शिक्षाविदों को आमंत्रित कर उनसे बातचीत करने, संस्था के सभी छात्रों, संकाय और शिक्षणेत्तर कर्मियों द्वारा दिनांक 09 अगस्त, 2017 को समारोह आयोजित कर संकल्प लेने जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। स्वतंत्रता संग्राम और भारत छोड़ो आन्दोलन जिसके परिणामस्वरूप भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई, के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाए।

➤ 8 अगस्त, 2017

आयोग ने सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) को एक परामर्श जारी किया कि उनमें विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय के उप कुलपति/निदेशक/डीन/प्रधानाचार्य के कार्यालय के निकट एक सूचना पट/फ्लेक्स बोर्ड हो ताकि शिकायत निवारण तंत्र और छात्र शिकायत पोर्टल की स्थापना के संबंध में प्रचार किया जा सके/जागरूकता सुनिश्चित की जा सके। अपने विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पीजी पोर्टल (<http://www.ugc.ac.in/grievance/>) का ब्योरा देते हुए एक सूचना पट्ट लगाए और अपने संबद्ध महाविद्यालयों में भी इसे लगाया जाना सुनिश्चित करें।

➤ 18 अगस्त, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को न केवल छात्रों के बीच बल्कि आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता का संदेश देने के लिए "स्वच्छता पखवाड़े" (दिनांक 01 से 15 सितम्बर, 2017) में सभी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की सूचना दी।

➤ 28 अगस्त, 2017

आयोग ने सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) को एक परामर्श जारी किया कि शिक्षा संस्थाओं के सभी मौद्रिक लेन-देन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान मिशन (एनडीपीएम) के तहत डिजिटल भुगतान की पद्धतियों (यथा ऑनलाइन आईएमपीएस/भीम/डेबिट कार्ड/ईपीएस) का प्रयोग कर करें।

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्णय लिया है कि सभी मौजूदा लाभार्थियों के मामले में छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्ति संबंधी आंकड़ों को वेब पोर्टल पर संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्था द्वारा अपलोड किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस पोर्टल से संबंधी जानकारी देने के लिए वेब पोर्टल के उपयोगकर्ताओं के लिए दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 से 07 अक्टूबर, 2017 तक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

➤ 1 सितम्बर, 2017

आयोग ने समिति द्वारा हितधारकों के अवलोकन और सुझाव देने के लिए तैयार किए गए प्रारूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शैक्षिक निष्ठा का संवर्धन करने और साहित्यिक चोरी की रोकथाम) संबंधी विनियम, 2017 के संबंध में प्रतिक्रिया और टिप्पणियां आमंत्रित की।

➤ 7 सितम्बर, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया कि वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय शताब्दी समारोह तथा शिकागो विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के संबोधन की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर छात्र-नेता सम्मेलन पर दिनांक 11 सितम्बर, 2017 को माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए शिक्षकों और छात्रों को एक अवसर और सुविधा प्रदान करें। इस कार्यक्रम का विषय “युवा भारत, नया भारत—एक पुनरुत्थित राष्ट्र: संकल्प से सिद्धि तक” था।

➤ 20 सितम्बर, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित किया कि ‘स्वच्छता’ के महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत सरकार की ‘स्वच्छता ही सेवा’ नामक एक नई पहल आरंभ की है जिसमें उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जिसका उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु किए जा रहे मौजूदा उपायों को आगे बढ़ाना है ताकि मिशन मोड पद्धति से किसी भी अस्वच्छ चीज को सहन न करने की एक मानसिक अभिवृत्ति पैदा हो सके।

➤ 4 अक्टूबर, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने “उच्चतर शिक्षा संस्थान के कैम्पसों में अथवा उसके बाहर छात्रों की सुरक्षा” के संबंध में दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है जिनके अंतर्गत विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया कि वे सभी छात्रों के लिए आपदा प्रबंधन के संबंध में अनिवार्य पाठ्यक्रम चलाने पर विचार करें जिसमें (1) बम का खतरा (2) भूकंप, (3) विस्फोट, (4) खतरनाक पदार्थ का रिसाव/स्राव (5) कैम्पस शूटिंग, (6) आतंकी घटना और (7) वित्तीय आपात स्थिति जैसे (क) अचानक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति, (ख) अप्रत्याशित आय हानि, (ग) परिवार में मृत्यु अथवा अन्य पारिवारिक आपातस्थिति, (घ) बकाया किराया और निकाले जाने का जोखिम और (ङ) प्राकृतिक आपदा, शामिल हैं।

➤ 5 अक्टूबर, 2017

आयोग ने सभी एचईआई को जानकारी प्रदान की कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों में पढ़ाए जाने वाला मनोविज्ञान विषय न तो इस विषय में हाल की घटनाक्रमों के साथ ताल बिठाता है और न ही यह सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कक्षा में सामान्यतः पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम विषयवस्तु में पढ़ाई गई बातें राष्ट्रीय लोकाचारों में विद्यमान नहीं थी। बी.ए./बीएससी/एमए/एमएससी और पीएचडी स्तर पर मनोविज्ञान हेतु आदर्श पाठ्यचर्या को भारतीय परिदृश्य के विशेष संदर्भ में मनोविज्ञान के क्षेत्र में घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया है। इन आदर्श पाठ्यचर्या का ब्योरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.ugc.ac.in पर अपलोड कर दिया गया है। इसका अवलोकन किया जा सकता है तथा प्रख्यात विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे मनोविज्ञान पाठ्यक्रम में उपयुक्त तरीके से शामिल किया जा सकता है।

➤ 23 अक्टूबर, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 15 अगस्त, 2015 को एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मुंबई द्वारा प्रबंधित **विद्यालक्ष्मी पोर्टल** का उद्घाटन किया है। मानव संसाधन विकास विभाग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की वेबसाइट के होमपेज पर विद्या लक्ष्मी पोर्टल (www.vidyalakshmi.co.in) के लिंक को देकर इस पहल को लोकप्रिय बनाने के लिए एक संदेश भेजा है ताकि अधिकतम छात्र इस सेवा का लाभ प्राप्त कर सकें।

➤ 27 अक्टूबर, 2017

आयोग ने 31 अक्टूबर 2017 को सरदार बल्लभभाई पटेल की जन्मशती पर एकता के विषय पर तैयार किए गए कार्यक्रम तथा आयोजनों के माध्यम से “सरदार बल्लभ भाई पटेल को राष्ट्र का नमन” कार्यक्रम मनाने के लिए सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सूचित किया जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को एकता के सूत्र में बाँधने के उनके निर्णायक प्रयासों को दर्शाता है ताकि स्वतंत्र भारत में अभिशासन हेतु एकल राजनैतिक, सामाजिक-आर्थिक तथा प्रशासनिक सत्ता का सृजन किया जा सके।

➤ नवम्बर, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि “सामाजिक सुधार/सामाजिक उत्थान” विषय पर स्वामी दयानंद के नाम पर पीठों को अनुमोदित किया गया है।

➤ 20 नवम्बर, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित किया है कि हमारे देश की संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करने तथा उग्रवाद व आतंकवाद के खतरों से हमारे जीवन की रक्षा करने एवं प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव व राहत प्रदान करने के लिए हमारे साहसी सशस्त्र बलों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदानों को स्मरण करने के लिए प्रति वर्ष 7 दिसम्बर को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया कि वे हमारे जीवन में इस दिन के महत्व और हमारे सशस्त्र बलों द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए अपने महाविद्यालयों/संस्थाओं में छात्रों हेतु कार्यक्रम/चर्चा आयोजित करें।

➤ 22 नवम्बर, 2017

आयोग ने विषय पर दिनांक 03 नवम्बर, 2017 की सिविल अपील संख्या 17869-17870/2017 (विशेष अनुमति याचिका संख्या 19807-19808/2012 से उत्पन्न) में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में एक सार्वजनिक सूचना जारी की, माननीय उच्चतम न्यायालय ने (पैरा संख्या 53 पृष्ठ 113 के तहत) अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया कि:

- I. वर्ष 1994 का एआईसीटीई विनियम मामले में सम विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों पर लागू होता है, जो कि वर्तमान मामले में, एआईसीटीई के अनुमोदन के बिना तकनीकी शिक्षा में किसी भी नए पाठ्यक्रम को लागू किए जाने हेतु उचित नहीं था।
- II. जहां तक शैक्षणिक सत्र 2001-2005 के दौरान प्रवेश पाए अभ्यर्थी का संबंध है, वर्तमान मामले में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उनके संबंधित प्राधिकारियों द्वारा दिए गए पूर्वव्यापी अनुमोदन को रद्द किया जाता है।
- III. उपर्युक्त निर्देश संख्या ii के परिणामस्वरूप संबंधित सम विश्वविद्यालय द्वारा दी गई इंजीनियरिंग की सभी डिग्रियां रद्द मानी जाएगी।”

➤ 23 नवम्बर, 2017

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का परामर्श दिया। इस दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं:

- i. प्रातःकालीन सभा के दौरान संविधान की प्रस्तावना का पठन।
- ii. प्रातःकालीन सभा के दौरान संविधान में मूलभूत कर्तव्यों का पठन।
- iii. मूलभूत कर्तव्यों के महत्व के संबंध में प्रत्येक शिक्षा संस्था में एक व्याख्यान।
- iv. संस्थान के सूचना पट पर मूल कर्तव्यों को चिपकाना।

➤ 24 जनवरी, 2018

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनएडी के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक प्राधिकृत निकाय के रूप में नामोद्दिष्ट किया है। एनएसडीएल डॉटाबेस प्रबंधन लिमिटेड (एनडीएमएल) और सीडीएसएल वेंचर लिमिटेड (सीवीएल), एनएडी के लिए दो डिजिटल निक्षेपागार हैं जो इस डिजिटल प्रारूप में शैक्षिक डिग्रियों को रखेंगे और डॉटा की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित किया जाना था:

- i. अपनी वेबसाइट में राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी) यूआरएल अर्थात् <http://www.nad.gov.in> का एक हॉइपर लिंक सृजित करना;
- ii. ऑनलाइन अथवा ऑफ लाइन दाखिला/परीक्षा प्रपत्र में “एनएडी आईडी (i) आधार आधारित अथवा (ii) गैर आधार आधारित” नामक कंपनी फील्ड को जोड़ना;
- iii. सूचनाओं, कार्यक्रमों, व्याख्यानों आदि के माध्यम से छात्रों के बीच एनएडी के बारे में जागरूकता लाना जिसके तहत इस बात पर जोर दिया गया हो कि वे डिजिटल प्रारूप में अपनी शैक्षणिक डिग्रियों के लिए पहुंच, सत्यापन और प्रमाणन जैसी सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है।

➤ 8 फरवरी, 2018

आयोग ने यह परामर्श दिया कि सभी एचईआई जन सूचना के लिए वेबसाइटों पर और संबंधित संस्था से जुड़ी प्रत्येक सामग्री में प्रत्यायन एजेंसी/प्राधिकरण के प्रमाणपत्र/पत्र में यथा उल्लिखित रूप में प्रत्यायन ग्रेड अथवा गैर-प्रत्यायन की स्थिति को प्रमुखता से दर्शाएं। साथ

ही पात्र और प्रत्यायन हेतु आवेदन नहीं करने वाले एचआईआई के मामलों में इस स्थिति को उनकी वेबसाइट के होमपेज पर भी प्रमुखता से दर्शाया जाएगा।

➤ 9 फरवरी, 2018

आयोग ने मसौदा वि०अ०आ० विनियम अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अकादमिक कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 पर प्रतिक्रिया/टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया।

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को कॉलेज जाने वाले युवा छात्रों सहित सभी प्रकार के उपभोक्ताओं में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों पाठ्यक्रम में वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में उपभोक्ता अध्ययन पर मॉड्यूल को शामिल करके जागरूकता पैदा कर भारत में उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने का परामर्श दिया। किसी भी विषय में वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में स्नातकपूर्व स्तर पर उपभोक्ता मामलों के लिए पाठ्यक्रम मॉड्यूल एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया था, इस मॉडल पाठ्यक्रम का ब्योरा वि०अ०आ० की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

➤ 15 फरवरी, 2018

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित किया कि यूनेस्को ने हर वर्ष 21 फरवरी को मातृभाषा के प्रसार को बढ़ावा देने और पूरी दुनिया में भाषाई और सांस्कृतिक परंपराओं के संबंध में पूर्ण जागरूकता को बढ़ावा देने और सहिष्णुता और बातचीत के आधार पर एकजुटता को प्रेरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया है। तदनुसार, निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ मातृभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 21 फरवरी, 2018 को मातृभाषा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया:

- हमारे देश की भाषाई विविधता को उजागर करें।
- न केवल संबंधित मातृभाषा, बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं के उपयोग को भी प्रोत्साहित करें।
- भारत में संस्कृतियों की विविधता और इसके परिणामस्वरूप सहित्य मंचों, शिल्प, प्रदर्शन कला, स्क्रिप्ट और रचनात्मक अभिव्यक्ति के अन्य रूपों की ओर ध्यान आकर्षित करें।
- स्वयं की मातृभाषा के अलावा, अन्य भाषाओं के सीखने को भी प्रोत्साहित करें।

➤ 6 मार्च, 2018

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण भारत को ज्ञान से समृद्ध करने के लिए ज्ञान के अंतरण हेतु, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को गांव में जोड़ने के उद्देश्य से 'उन्नत भरत अभियान' कार्यक्रम शुरू करने के बारे में जानकारी प्रदान की।

➤ 8 मार्च, 2018

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय से संबद्ध विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र परामर्श केन्द्र गठित करने का परामर्श दिया, जहां कभी भी आवश्यकता होने पर, एक प्रशिक्षित मनोविज्ञानी की सेवाओं का लाभ उठाया जा सके।

➤ 23 मार्च, 2018

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) के तहत स्वच्छ भारत अभियान के क्रियाकलापों से संबंधित वैकल्पिक पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए 15 दिन (100 घंटे) के दो क्रेडिट वाले ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षुता कार्यक्रम आरंभ करने का परामर्श दिया।

➤ 13 मार्च, 2018

आयोग ने विश्वविद्यालयों को उनके सम्मानित विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में निम्नलिखित क्रियाकलापों आरंभ करके दिनांक 21 जून, 2018 को योग के चौथे अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पालन करने हेतु परामर्श दिया:

- (i) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचआईआई) में योग के संबंध में संस्कृति और परिवेश तैयार करना।
- (ii) योग पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, व्याख्यान, विशेष योग प्रदर्शन, वाद-विवाद, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करना।
- (iii) योग दिवस पर योगाथन्स, वेलनेस सेंटर, पोस्टर प्रस्तुतियां, और सर्वोत्तम शोध पत्र प्रस्तुतियां आयोजित करना।

► उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विकास के संबंध में आंकड़े

- ❖ 2.1 सकल नामांकन अनुपात
- ❖ 2.2 विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय
- ❖ 2.3 छात्र नामांकन
- ❖ 2.4 परिणाम/ उत्तीर्ण छात्रों का ब्योरा
- ❖ 2.5 संकाय संख्या

आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ज) के अन्तर्गत आयोग द्वारा भारत तथा अन्य देशों में विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित ऐसे सभी मामलों पर जानकारी एकत्र करने का अधिकार है और धारा 12(झ) के अन्तर्गत उस विश्वविद्यालय में आरंभ की गई विभिन्न शिक्षण शाखाओं अथवा अध्ययन की वित्तीय स्थिति से संबंधित नियमों एवं विनियमों के संबंधित जानकारी को भेजने को कह सकता है जिसमें उस विश्वविद्यालय में ज्ञान-अर्जन की प्रत्येक शाखा के संबंध में शिक्षण और परीक्षा के स्तर सहित सभी नियम और विनियम शामिल हैं।

शिक्षा क्षेत्र में समय से तथा गुणवत्तायुक्त आंकड़े, जिनका मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है, प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में उच्चतर शिक्षा के समग्र हालात का जायजा लेने के लिए डाटाबेस तैयार करने हेतु उच्चतर शिक्षा का अखिल भारतीय सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया है। सर्वेक्षण में प्रत्युत्तर देने वाले संस्थान द्वारा सीधे ऑनलाइन माध्यम से जमा किए गए आंकड़ों का संकलन तथा प्रबंधन किया जाता है। तीन प्रकार के उच्चतर शिक्षा संस्थान नामतः विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्टैण्डालोन संस्थानों की पहचान की गई है तथा उनका सर्वेक्षण किया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों का एक मुख्य दल, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने में शामिल थे, जिसमें डॉटा कैप्चर फॉर्मेट (डीसीएफ), कार्यशालाओं में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, सॉफ्टवेयर विकास करने में नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर की सहायता करना (एनआईसी) आदि। सर्वेक्षण कार्य का समन्वय करने के लिए प्रत्येक राज्य में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये गए हैं।

आंकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिए नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की मदद से एक प्रतिबद्ध पोर्टल (<http://aishe.gov.in>) विकसित किया गया है। पोर्टल तक पहुंच बनाने तथा डॉटा अपलोड करने के लिए सभी संस्थानों को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होता है। संस्थानों के पंजीकरण को राज्य/केन्द्र स्तर पर उपर्युक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है और महाविद्यालय के मामले में विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। डीसीएफ का ई-संस्करण संस्थान के ढांचे/आकार के अनुसार घटता-बढ़ता है। किसी भी अन्वेषक को आंकड़े संग्रहित करने के लिए संस्थान में नहीं भेजा जाता है। एक विशिष्ट विशेषता यह है कि भरे हुए डीसीएफ हमेशा पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं, जिस तक संस्थान तथा उच्च स्तर के प्राधिकारियों द्वारा पहुंच बनाई जा सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना तथा सांख्यिकी ब्यूरो ने सीधे विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से आंकड़े संग्रहित करना बंद कर दिया है, अखिल भारतीय स्तर पर आंकड़ों का संकलन तथा प्राक्कलन <http://aishe.gov.in> पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रत्येक वर्ष, सर्वेक्षण रिपोर्ट विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा के स्टैण्डालोन संस्थानों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बड़ी संख्या में मानदंडों पर आधिकारिक आंकड़े तैयार करता है।

एआईएसएच 2017-18 : एआईएसएच के तहत जानकारी को उच्चतर शिक्षा संस्थानों से, मोटे-तौर पर एआईएसएच के पोर्टल पर पंजीकृत विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और स्टैण्डालोन संस्थान में श्रेणीबद्ध कर संग्रहित किया गया था। वास्तविक प्रतिक्रिया इन श्रेणियों में क्रमशः 91.3 प्रतिशत, 88.7 प्रतिशत और 78.5 प्रतिशत संस्थानों से प्राप्त हुई। इस प्रकार संग्रहित आंकड़ों को प्राक्कलन हेतु पिछले चार वर्ष (वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17) के आंकड़ों के साथ मिलाया जाता है जिसमें उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा वर्ष 2017-18 के सर्वेक्षण हेतु आंकड़े अपलोड नहीं किए गए। आंकड़ों को मिलाते हुए यह सुनिश्चित किया गया था कि संस्थान वर्ष

2017-18 के दौरान मौजूद थे। वर्ष 2017-18 के लिए आंकड़ों को एक साथ मिलाते हुए, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा स्टैण्डालोन संस्थानों के लिए डॉटा अपलोडिंग का प्रतिशत क्रमशः 98 प्रतिशत, 97.5 प्रतिशत और 90.8 प्रतिशत रहा।

स्वतंत्रता के समय देश में केवल 20 विश्वविद्यालय तथा 500 महाविद्यालय थे और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में 2.1 लाख छात्र थे। दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार आईआईएम, 41012 महाविद्यालयों (संबद्ध/संघटक/स्नातकोत्तर/ऑफ कैम्पस केन्द्र/मान्यताप्राप्त संस्थान) (स्रोत: वर्ष 2017-18 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट) के अलावा 958 उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/संस्थान (स्रोत एआईएसएचई पोर्टल तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 2(च) के तहत अनुरक्षित सूची) थे तथा उच्चतर शिक्षा में 366.42 लाख छात्रों का नामांकन था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन सभी की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अब यह एक सुस्थापित तथ्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष के आंकड़ों की तुलना में विश्वविद्यालयों/संस्थानों की संख्या में 47.90 गुना वृद्धि हुई है, उपाधियां प्रदान करने वाले महाविद्यालयों की संख्या में 82.02 गुना वृद्धि हुई है और उच्चतर शिक्षा की औपचारिक पद्धति में छात्र नामांकन में 174.49 गुना वृद्धि हुई है। विशेषरूप से विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों जैसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि के बिना छात्र नामांकन और पाठ्यक्रमों में दाखिले की क्षमता में इतनी व्यापक वृद्धि कभी सम्भव नहीं हो पाती।

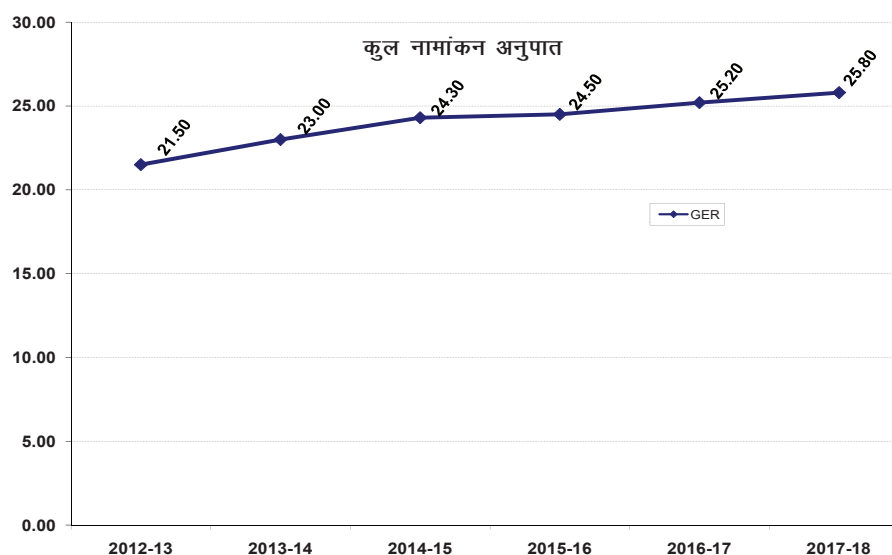
2.1 उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (18 से 23 वर्ष)— देश में 18-23 वर्ष आयु वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 25.8 प्रतिशत है। पुरुष जनसंख्या के लिए सकल नामांकन अनुपात 26.3 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 25.4 प्रतिशत रहा। (स्रोत: वर्ष 2017-18 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट)

सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में रुझान : वर्ष 2012-13 के दौरान सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 21.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 के दौरान 25.8 हो गया। यह वृद्धि अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत अधिक हुई जोकि वर्ष 2012-13 के दौरान 16.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 के दौरान 21.8 हो गया। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के मामले में सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2012-13 के दौरान 11.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 के दौरान 15.9 हो गया। (स्रोत : वर्ष 2015-16 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट)

तालिका 2.1: वर्ष 2012-13 से वर्ष 2017-18 के दौरान उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात

वर्ष	सकल नामांकन अनुपात
2012-13	21.50
2013-14	23.00
2014-15	24.30
2015-16	24.50
2016-17	25.20
2017-18	25.80

रेखाचित्र 2.1: सकल नामांकन अनुपात (वर्ष 2012-13 से वर्ष 2017-18)



2.2 विश्वविद्यालय/ संस्थान/ महाविद्यालय

2.1(i) विश्वविद्यालय

वर्ष 2017-18 के दौरान एआईएसएचई पोर्टल पर सूचीबद्ध देश में 903 उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय (45 केन्द्रीय विश्वविद्यालय; 01 केन्द्रीय मुक्त विश्वविद्यालय; 101 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान; 353 राज्य निजी विश्वविद्यालय; 03 राज्य विधान अधिनियम के तहत संस्थान; 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय; 262 राज्य निजी विश्वविद्यालय; 01 राज्य निजी मुक्त विश्वविद्यालय; 33 शासकीय सम विश्वविद्यालय; 10 सरकार द्वारा सहायता प्राप्त सम विश्वविद्यालय; 80 निजी सम विश्वविद्यालय) थे, जिनमें से 882 विश्वविद्यालयों ने आंकड़े अपलोड किए थे।

2.1(i)(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालय

वर्ष 2016-2017 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष) के दौरान 795 विश्वविद्यालय (47 केन्द्रीय, 123 सम, 360 राज्य, 262 राज्य निजी तथा 03 विशेष राज्य विधान अधिनियम के तहत 03 संस्थान) थे।

वर्ष 2017-2018 के दौरान 23 राज्य निजी विश्वविद्यालय (सूची 2.2(i)(क), 34 राज्य निजी विश्वविद्यालय (सूची 2.2(i)(ख), तथा एक सम विश्वविद्यालय (सूची 2.2(i)(ग), को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया।

वर्ष 2017-2018 के दौरान 23 राज्य निजी विश्वविद्यालयों, 07 सम विश्वविद्यालयों, 02 राज्य निजी विश्वविद्यालयों (सूची 2.2(i)(घ) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया।

2.2(i) (क): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची (दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) में सम्मिलित किए गए राज्य निजी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची

क्रम संख्या	राज्य/ विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	वि0अ0आ0 की सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
	छत्तीसगढ़		
1	इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्लॉट नं 7, सेक्टर 24, पुरीवजप मुक्तांगन, नया रायपुर-493661, छत्तीसगढ़	28.01.2014	28.12.2017
	हिमाचल प्रदेश		
2	हिमाचल प्रदेश विधि विश्वविद्यालय, घंदल, पी0 ओ0 शकराह, उप तहसील धामी, जिला- शिमला- 171011, हिमाचल प्रदेश	30.06.2016	15.03.2018
	हरियाणा		
3	हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, (दुधोला, पलवल), सेक्टर-18, गुरुग्राम, हरियाणा	20.09.2016	20.10.2017
4	महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल-132001, हरियाणा	28.11.2016	01.03.2018
	जम्मू और कश्मीर		
5	जम्मू कलस्टर विश्वविद्यालय, शासकीय महिला महाविद्यालय, गांधी नगर, जम्मू 1820004, जम्मू-कश्मीर	08.07.2016	16.06.2017
6	श्रीनगर कलस्टर विश्वविद्यालय, एस0पी0 महाविद्यालय, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	08.07.2016	15.06.2017
	कर्नाटक		
7	कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विश्वविद्यालय, रायथा भवन, भूमराड़ी सर्किल, गदाग-582101 कर्नाटक	16.07.2016	24.05.2017
8	बेंगलुरु नार्थ यूनीवर्सिटी, देवाराज उर्स एक्स्टेंशन, तमाका, कोलार- 563103, कर्नाटक	29.06.2017	04.10.2017
9	बेंगलुरु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय कालेज कैम्पस, डॉ0 अब्बेडकर वीधी, बंगलुरु, कर्नाटक	29.06.2017	20.10.2017
10	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर, कर्नाटक	13.05.2010	24.10.2017
	मध्य प्रदेश		
11	पंडित एस0एन0 शुक्ल विश्वविद्यालय, शाहडोल- 484001, मध्य प्रदेश	15.09.2016	16.01.2018
	महाराष्ट्र		
12	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (जोओटीआई) सीपी क्लब रोड, नागपुर- 440001, महाराष्ट्र	15.05.2015	

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	वि0अ0आ0 की सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
13	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, शासकीय बीएड महाविद्यालय, पदमपुरा, औरंगाबाद-431005, महाराष्ट्र	23.02.2017	03.08.2017
	मणिपुर		
14	मणिपुर तकनीकी विश्वविद्यालय, ताकयेलपेट, इंफाल, मणिपुर	29.10.2016	06.09.2017
15	मणिपुर संस्कृत विश्वविद्यालय, पैलेस कम्पाउंड, पूर्वी इंफाल-795001, मणिपुर	28.05.2015	06.11.2017
	ओडिशा		
16	ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, जीएम यूनिवर्सिटी कैम्पस, बुद्धराजा, संबलपुर-768004, ओडिशा	21.02.2015	06.11.2017
17	वीर सुरेन्द्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, आयुर्विहार, बुर्ला, संबलपुर-768017, ओडिशा	20.06.2014	
	राजस्थान		
18	राजस्थान आईएलडी स्कूल यूनिवर्सिटी (आरआईएसयू), 6/2, जामडोली, आईएलडी कैम्पस, जयपुर-302031 राजस्थान (राज्य विश्वविद्यालय)	30.03.2017	30.12.2017
	तेलंगाना		
19	कालोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, ककातीया मेडीकल कॉलेज कैम्पस, रंगमपेट, वारंगल, तेलंगाना	26.09.2017	05.02.2018
20	श्री पी0वी0 नरसिंह राव तेलंगाना पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद-500030	21.11.2014	05.02.2018
	उत्तर प्रदेश		
21	बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा-210001, उत्तर प्रदेश	02.03.2010	15.06.2017
22	उत्तर प्रदेश चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा-206130, उत्तर प्रदेश	17.05.2016	31.07.2017
23	जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, उत्तर प्रदेश	16.09.2016	20.09.2017

2.2(i)(ख): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची (दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) में सम्मिलित किए गए राज्य निजी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	वि0अ0आ0 की सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
	अरुणाचल प्रदेश		
1.	ग्लोबल यूनिवर्सिटी, होलॉन्गी, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश	18.09.2017	02.11.2017
	आंध्र प्रदेश		
2.	एसआरएम विश्वविद्यालय, नीरुकोंडा-कुरागालू ग्राम, मंगलागिरि मंडल, गुंटूर जिला-522502, आंध्र प्रदेश	23.05.2017	19.02.2018
3.	सेंचुरियन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, गिडिजाला जंक्शन, आनंदपुरम मंडल, विशाखापत्तनम-531173, आंध्र प्रदेश	23.05.2017	
	बिहार		
4.	संदीप विश्वविद्यालय, ग्राम - सिजौल, जिला- मधुबनी- 847235, बिहार	08.06.2017	04.08.2017
5.	के.के. विश्वविद्यालय, बेरौती, नेपुरा, बिहार शारीफ, नालंदा, बिहार- 803115	08.06.2017	
	गुजरात		
6.	कर्णावती विश्वविद्यालय, 907/ए, उवरसाड- 382422, जिला गांधीनगर, गुजरात	31.03.2017	16.06.2017
7.	पीपी सवानी विश्वविद्यालय, एनएच-8, गेटको, बिल्टेक के समीप, ग्राम- धामदोड, कोसम्बा, तहसील-मंगरोल, जिला-सूरत-394125, गुजरात	31.03.2007	
8.	स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी, भोयान राठोड राठोड, इफको के सामने, अदालाज- सेर्था रोड, गांधीनगर-382420, गुजरात	31.03.2017	06.10.2017

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	वि0अ0आ0 की सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
9.	इंद्राशील विश्वविद्यालय, रतनपुर, धंधुका, अहमदाबाद- 382465, गुजरात	31.03.2017	17.11.2017
	हरियाणा		
10.	स्टारेक्स यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय राजमार्ग-8, ग्राम बिनोला, पीओ. भोराकलान, गुरुग्राम, हरियाणा	25.08.2016	26.04.2017
11.	वर्ल्ड यूनीवर्सिटी ऑफ डिजाईन, प्लॉट नम्बर 1, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, राई, दिल्ली-एनसीआर, सोनीपत-131029, हरियाणा	07.02.2018	
	झारखंड		
12.	सरला बिड़ला विश्वविद्यालय, बिरला कैम्पस, ग्राम- आरा, पीओ- महिलांग, रांची-पुरुलिया राजमार्ग, रांची-835103, झारखंड	20.07.2017	04.10.2017
13.	एआरकेए जैन विश्वविद्यालय, केरल पब्लिक के सामने, मोहनपुर, घमारिया, जिला - सेराइकेला खारसवान- 832108, झारखंड	04.07.2017	06.11.2017
14.	वाईबीएन विश्वविद्यालय, पंचवटी दक्षिण रेलवे कॉलोनी, रांची-834001, झारखंड	04.07.2017	06.11.2017
	कर्नाटक		
15.	गार्डन सिटी यूनीवर्सिटी, जीसीसी हॉउस, 340, 5वां मैन, इंदिरा नगर, डबल रोड, प्रथम स्टेज, इंदिरा नगर, बंगलुरु-560038, कर्नाटक	24.06.2013	24.05.2017
16.	जेएसएस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जेएसएस तकनीकी संस्थान कैम्पस, मैसूर-570006 कर्नाटक	16.01.2016	26.07.2017
17.	शरणबासव विश्वविद्यालय, कालाबुरजी (गुलबर्ग)	29.07.2017	24.10.2017
	मध्य प्रदेश		
18.	अवंतिका विश्वविद्यालय, विश्वनाथपुरम, लेकोडा ग्राम, उज्जई- 456 006, मध्य प्रदेश	12.01.2017	03.05.2017
19.	वीआईटी भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल-इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग, कोथिरीकलान, सीहोर-466114, मध्य प्रदेश	24.08.2017	05.01.2018
20.	सेज यूनीवर्सिटी, कैलोद कार्तल, इंदौर- देवास बाईपास रोड, राउ, इंदौर-452020, मध्य प्रदेश	24.08.2017	31.01.2018
	महाराष्ट्र		
21.	डॉ विश्वनाथ कराड एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, एस नं. 124, पाउड रोड, कोथरुड, पुणे-411038, महाराष्ट्र	05.06.2017	06.07.2017
22.	विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, सर्वे संख्या 2, 3, 4, लक्ष्मीनगर, कोंडवा बुद्रुक, पुणे-411048, महाराष्ट्र	05.05.2017	
23.	सिम्बायोसिस स्किल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटी, ग्राम- किवाले, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ, ताल- हैवले, पुणे-412101, महाराष्ट्र	05.05.2017	
24.	संजय घोडावट विश्वविद्यालय, ए/पी-एटिग्रे-416118, हटकनानगले, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र	13.07.2017	
	पंजाब		
25.	श्री गुरु रामदास स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मेहता रोड, वल्लाह, श्री अमृतसर-143001, पंजाब	17.11.2016	27.07.2017
	राजस्थान		
26.	मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर राजस्थान	16.09.2013	07.06.2017
27.	यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी, वाटिका, तहसील- सांगानेर, जयपुर, राजस्थान	18.05.2017	
28.	भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, प्लॉट संख्या एसआई/आईएनएसटी/001, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जोन, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी ऑफ अजमेर रोड, जयपुर-302037, राजस्थान	30.03.2017	04.08.2017

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	वि०अ०आ० की सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
उत्तराखंड			
29.	हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय, धैद गाँव, पोखरा, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	07.12.2016	
30.	श्रीगुरु रामराय विश्वविद्यालय, पटेल नगर, देहरादून, उत्तराखंड	07.04.2017	12.09.2017
31.	भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ग्राम एंव पोस्ट- उत्तरी झांडी चौर, तहसील - कोटद्वार, जिला, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड-246149	19.12.2016	10.10.2017
32.	रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय, सुभाषतीपुरम कोटदा संतौर, आमवाला रोड, पीओ - चंदनवाडी, नंदा की चौकी, प्रेम नगर, देहरादून-248007, उत्तराखंड	08.12.2016	12.12.2017
33.	क्वैटम यूनिवर्सिटी, मांडवार (22 किमी मील का पत्थर), रुड़की- देहरादून राजमार्ग, (राष्ट्रीय राजमार्ग -73), रुड़की-247167, उत्तराखंड	07.04.2017	05.01.2018
पश्चिम बंगाल			
34.	सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय, परिसर संख्या IIIबी-1, प्लॉट संख्या IIIबी-1, एक्शन एरिया IIIबी, पीएस न्यू टॉउन, कोलकाता- 700156	16.01.2017	28.04.2017

2.2(ii)(ग): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची (दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) में सम्मिलित किए गए सम विश्वविद्यालयों की सूची

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
ओडिशा			
1.	कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर, ओडिशा	25.08.2017	15.09.2017

2.2(i)(घ): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12ख के तहत सम्मिलित किए गए विश्वविद्यालयों की सूची (दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम
1.	कॉटन यूनीवर्सिटी, गुवाहाटी असम (राज्य विश्वविद्यालय)
2.	तमिलनाडु राष्ट्रीय विधि विद्यालय, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु (राज्य विश्वविद्यालय)
3.	इंस्टीट्यूट ऑफ केमीकल टेक्नॉलाजी, मुंबई (सम विश्वविद्यालय)
4.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली (सम विश्वविद्यालय)
5.	डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय, गुवाहाटी असम (निजी विश्वविद्यालय)
6.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम, तमिलनाडु मुंबई (सम विश्वविद्यालय)
7.	श्रीसत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर लर्निंग, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश मुंबई (सम विश्वविद्यालय)
8.	ओ.पी.जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा (निजी विश्वविद्यालय)
9.	आदिकवि नन्या विश्वविद्यालय, राजा राजा नरेंद्र नगर, राजामहेन्द्रवरम, आंध्र प्रदेश (राज्य विश्वविद्यालय)
10.	पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, डीडी-36, सेक्टर-1, बिधान नगर (साल्ट लेक), कोलकाता-700064 (पश्चिम बंगाल) (राज्य विश्वविद्यालय)
11.	चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय (राज्य विश्वविद्यालय), ज़िंद, हरियाणा
12.	रायगंज विश्वविद्यालय, रायगंज, उत्तर दिनजापुर (पश्चिम बंगाल)
13.	तमिलनाडु मत्स्यिकी विश्वविद्यालय (राज्य विश्वविद्यालय) फर्स्ट लाइन बीच रोड, नागापट्टिनम-611001, तमिलनाडु
14.	महाराजा रंजीत सिंह पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय (राज्य विश्वविद्यालय), डबवाली रोड, भटिंडा-151001, पंजाब
15.	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (राज्य विश्वविद्यालय) जानना संगम, बेलगावी-590018, कर्नाटक
16.	गुजरात विद्यापीठ, (सम विश्वविद्यालय), आश्रम रोड, अहमदाबाद (गुजरात)

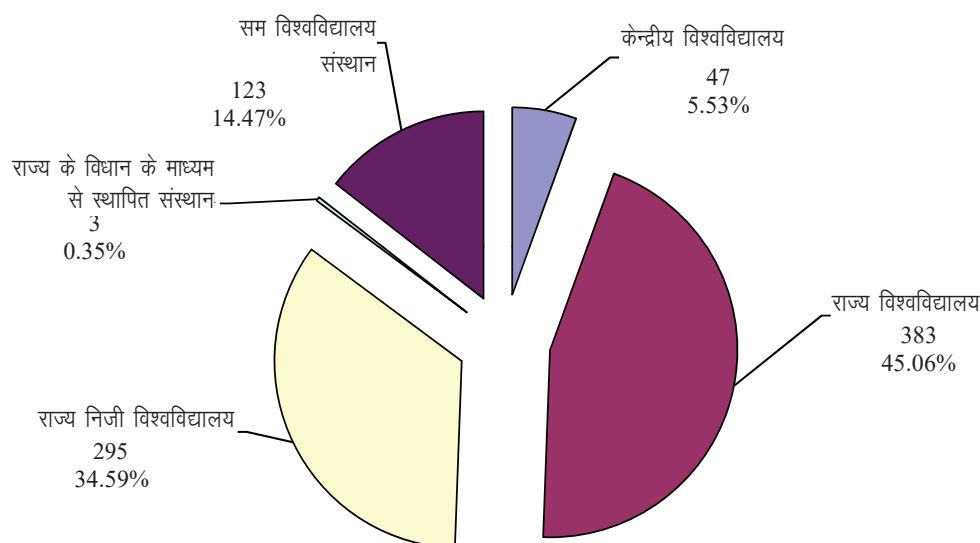
क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम
17.	दामोदरन संजीवैय्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (राज्य विश्वविद्यालय) "न्यायप्रस्थ", सबावरम्, विशाखापत्तनम्, आंध्र प्रदेश
18.	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (राज्य विश्वविद्यालय) यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201312
19.	क्रांतिगुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ विश्वविद्यालय (राज्य विश्वविद्यालय) मुंद्रा रोड, भुज- कच्छ-370001, गुजरात
20.	माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय (राज्य विश्वविद्यालय) बी-38, विकास भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल-462011, मध्य प्रदेश
21.	थुनचट्ट एजूथाचन मलयालम विश्वविद्यालय, (राज्य विश्वविद्यालय) वक्कड़, पी0ओ0 तिरूर, मल्लपुरम, जिला केरल-676502
22.	इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय (राज्य विश्वविद्यालय) मीरपुरम, रेवाड़ी (हरियाणा)
23.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट (सम विश्वविद्यालय), दयालबाग, आगरा-282005, उत्तर प्रदेश
24.	जामिया हमदर्द (सम विश्वविद्यालय), हमदर्द नगर, नई दिल्ली

2.2(i)(ड): दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार स्वरूप-वार विश्वविद्यालयों* की सूची

क्रम सं.	विश्वविद्यालय / संस्थान का स्वरूप	विश्वविद्यालयों / संस्थानों की संख्या (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत केन्द्रीय सहायता हेतु पात्र विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों की संख्या (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार)
1	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	47	
2	राज्य विश्वविद्यालय	383	223
3	राज्य निजी विश्वविद्यालय	295	5
4	राज्य के विधान के माध्यम से स्थापित संस्थान	3	
5	सम विश्वविद्यालय संस्थान	123	16
	कुल	851	244

*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालय / संस्थान

रेखाचित्र 2.2(i)(ड): दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों की स्वरूप-वार संख्या



तालिका 2.1(i) (ड) (i): दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
	अरुणाचल प्रदेश		
1	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोना हिल्स, डाकघर दोईमुख, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश-791112	1985 (वर्ष 2007 से केन्द्रीय)	http://www.rgu.ac.in
	असम		
2	असम विश्वविद्यालय, डाकघर असम विश्वविद्यालय, सिलचर-788011	1994	http://www.aus.ac.in
3	तेजपुर विश्वविद्यालय, जिला सोनितपुर, पो0ब0 नम्बर 72, नापाम, तेजपुर, असम-784001	1994	http://www.tezu.ernet.in
	बिहार		
4	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बीआईटी कैम्पस, पी0ओ0-बीवी कालेज, पटना-800014	2009	http://www.cub.ac.in
5	नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला नालन्दा-803116, बिहार+ (केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित)	2010	http://www.nalandauniv. edu.in
6	महात्मा गाँधी बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी, बिहार	2014	http://www.mguniversity. ac.in
	छत्तीसगढ़		
7	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, मुख्य परिसर, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495009	1983 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय)	http://www.ggu.ac.in
	गुजरात		
8	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सेक्टर-29 गाँधीनगर-382029, गुजरात		http://www.cug.ac.in
	हरियाणा		
9	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ग्राम जंत-पाली, जिला महेन्द्रगढ़-123029, हरियाणा	2009	http://www.cuh.ac.in
	हिमाचल प्रदेश		
10	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पो0बा0 नम्बर 21, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176215	2009	http://www.cuhimachal. ac.in
	जम्मू और कश्मीर		
11	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ट्रांजिट कैम्पस, सोनावर, जी0बी0 पंत अस्पताल के निकट, श्रीनगर- 190 005 (जम्मू और कश्मीर)	2009	http://www.cukashmir. ac.in
12	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बागला (राहया-सुचानी) , जिला साम्बा, जम्मू-181143 (जम्मू और कश्मीर)	2009	http://www.cujammu.ac.in
	झारखण्ड		
13	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रातू लोहारडगे रोड, बराम्बे, राँची-835205	2009	http://www.cuj.ac.in
	कर्नाटक		
14	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कादागांची, अलांग रोड, अलांग तालुक, गुलबर्गा (जिला)-585311, कर्नाटक	2009	http://www.cuk.ac.in
	केरल		
15	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बीकेएम टॉवर, नायामार मूला, विद्यानगर, पी0ओ0, कासरगोड़-671123	2009	http://www.cukerala.ac.in
	मध्य प्रदेश		
16	डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश -470003	1946 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय)	http://www.dhsgsu.ac.in
17	द इन्दिरा गाँधी नेशनल ट्राईबल यूनिवर्सिटी, माकाल सदन, अमरकण्टक, मध्य प्रदेश	2008	http://www.igntu.nic.in
	महाराष्ट्र		
18	महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, मानस मंदिर, वर्धा, मुम्बई-442005	1997	http://www.hindivishwa. org
	मणिपुर		
19	मणिपुर केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल-795004	1993	http://www.cau.org.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
20	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, इम्फाल, मणिपुर-795003	1980 (वर्ष 2005 से केन्द्रीय)	http://www.manipuruniv.ac.in
	मेघालय		
21	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, नेहू कैम्पस, शिलांग, मेघालय-793022	1973	http://www.nehu.ac.in
	मिजोरम		
22	मिजोरम विश्वविद्यालय, पो0ब0 नम्बर 910, आईजवाल, मिजोरम-796009	2000	http://www.mzu.edu.in
	नागालैण्ड		
23	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कैम्पस कोहिमा, मुख्यालय लुमानी, नागालैण्ड-797001	1994	http://www.nagalanduniversity.ac.in
	ओडिशा		
24	ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लान्डीगुड़ा, कोरापुट, ओडिशा-764020	2009	http://www.cuo.ac.in
	पंजाब		
25	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मन्सा रोड, भटिन्डा, पंजाब-151001	2009	http://www.cup.ac.in
	राजस्थान		
26	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 8. भण्डार सिंदरी, जिला अजमेर-305801, राजस्थान	2009	http://www.curaj.ac.in
	सिक्किम		
27	सिक्किम विश्वविद्यालय, छटा माईल, समदुर, पी0ओ0 तदांग, गंगटोक, सिक्किम-737102	2007	http://www.cus.ac.in
	तमिलनाडु		
28	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नीलाकुड़ी कैम्पस, कंगलानचेरी (पोस्ट), तिरुवारूर-610101, तमिलनाडु	2009	http://www.cutn.ac.in
29	इन्डियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई-600119.+	2008	http://www.imu.edu.in
	तेलंगाना		
30	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500046	1974	http://www.uohyd.ac.in
31	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, गाचीबोली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-50032	1998	http://www.manuu.ac.in
32	इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ओ0यू0 कैम्पस, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500007	1973 (वर्ष 2007 से केन्द्रीय)	http://www.efluniversity.ac.in
	त्रिपुरा		
33	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यामणिनगर, अगरतला-799130, त्रिपुरा	1987	http://www.tripurauniv.in
	उत्तर प्रदेश		
34	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202002	1920	http://www.amu.ac.in
35	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद-211002	1887	http://www.allduniv.ac.in
36	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ-226025	1996	http://www.bbau.ac.in
37	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005	1916	http://www.bhu.ac.in
38	राजीव गांधी नेशनल एवियेशन यूनिवर्सिटी, फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश+		
39	रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश	2014	http://www.rlbcu.ac.in
	उत्तराखण्ड		
40	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल-246174	1973 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय)	http://www.hnbgu.ac.in
	पश्चिम बंगाल		
41	विश्व भारती, शान्तिनिकेतन, पश्चिम बंगाल-731235	1951	http://www.visva-bharati.ac.in
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली		
42	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली -110007	1922	http://www.du.ac.in
43	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110068+	1985	http://www.ignou.ac.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
44	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110025	1988	http://www.jmi.nic.in
45	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110067	1969	http://www.jnu.ac.in
46	सॉउथ एशियन यूनिवर्सिटी, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110067+	2010	http://www.southasianuniversity.org

पुदुचेरी

47	पुदुचेरी यूनिवर्सिटी, आर0 वेंकटरामन नगर, कालापेट, पुदुचेरी-605014	1985	http://www.pondiuni.edu.in
----	---	------	---

नोट: सात विश्वविद्यालय नामतः (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (दो) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, और (तीन) इंडियन मेरीटाईम यूनिवर्सिटी, चेन्नई-600119, (चार) सॉउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली (पांच) राजीव गांधी नेशनल एवियेशन यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश (छह) नालन्दा विश्वविद्यालय, बिहार (सात) रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं हैं क्योंकि इन्हें सीधे ही भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

तालिका 2.1(i)(ड)(ii): दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार राज्य निजी विश्वविद्यालय

(* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 ख के तहत सम्मिलित किए गए विश्वविद्यालय, जो केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं)

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचित किए जाने का वर्ष	वेबसाइट
आन्ध्र प्रदेश			
1	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, गुंटूर-522510. *	1976	http://www.anu.ac.in
2	अदिकवि नन्दा विश्वविद्यालय, जया कृष्णपुरम, राजामुन्नी-533105 आन्ध्र प्रदेश *	2006	http://www.nannayauniversity.info
3	आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम - 530003 *	1926	http://www.andhrauniversity.edu.in
4	दामोदरम संजीवैया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (पूर्व में ए.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के नाम से विख्यात) पैलेस लेआउट, पेडावालटियार, विशाखापत्तनम - 530017 (आन्ध्र प्रदेश) *	2008	http://www.dsnlu.ac.in
5	डॉ. एन.टी.आर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (पूर्व में ए.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के नाम से विख्यात) विजयवाड़ा - 520008	1986	http://www.ntruhs.ap.nic.in
6	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, एचेर्ला-532410, श्रीकाकुलम	2008	http://www.brau.in
7	द्रविडियन विश्वविद्यालय, कुप्पम - 517425 *	1997	http://www.dravidianuniversity.ac.in
8	डा. वार्ड.एस.आर. बागवानी विश्वविद्यालय, पी.ओ. बॉक्स नं. 7, वेंकटरामनगुंडम, जिला पश्चिम गोदावरी-536101, आन्ध्र प्रदेश	2011	http://www.drysrhu.edu.in
9	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अनन्तपुर *	2008	http://www.jntua.ac.in
10	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काकीनाडा *	2008	http://www.jntuk.edu.in
11	कृष्णा विश्वविद्यालय, आन्ध्र जातीय कालासाला, कैम्पस, राजूपेटा, मछलीपट्टनम - 521001	2008	http://www.krishnauniversity.ac.in
12	रायलसीमा विश्वविद्यालय, कूरनूल - 518002 *	2008	http://rayalseemauniversity.ac.in
13	श्री कृष्णा देवराय विश्वविद्यालय, अनन्तापुर - 515003 *	1981	http://www.skuniversity.org
14	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति - 517502 *	1983	http://www.spmvv.ac.in
15	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति - 517507 *	1954	http://www.svuniversity.in
16	श्री वेंकटेश्वरा वैदिक विश्वविद्यालय, पुरुन्दरादास कॉम्पलेक्स, परकासम रोड, तिरुपति	2006	http://www.svvedicuniversity.org
17	श्री वेंकटेश्वरा वैटैरीनरी यूनिवर्सिटी, प्रशासनिक कार्यालय, क्षेत्रीय ग्रंथालय भवन, तिरुपति - 517502	2005	http://www.svvu.edu.in
18	श्री वेंकटेश्वरा इस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंसेज, तिरुपति - 517507 *	1993	http://www.svimstpt.ap.nic.in
19	विक्रम सिम्हापुरी विश्वविद्यालय, नेल्लोर - 524003	2008	http://www.simhapuriuniv.ac.in
20	योगी वेमाना विश्वविद्यालय, वेमानापुरम, कदप्पा - 516003 *	2006	http://www.yogivemanauniversity.ac.in
असम			
21	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट - 785013 *	1968	http://www.aau.ac.in
22	असम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ को-ऑपरेटिव मेनेजमेंट, शिवसागर, गुवाहाटी, असम	2010	http://www.argucom.org.in
23	असम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काहीलीपारा, गुवाहाटी-19 असम	2011	http://www.astu.org.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचित किए जाने का वर्ष	वेबसाइट
24	असम महिला विश्वविद्यालय, जोरहाट-785004, असम	2013	http://www.awu.ac.in
25	बोडोलैण्ड विश्वविद्यालय, देबरागांव, डाकघर रंगालीखेटा, कोकराझार, 783370, बीटीसी, असम	2009	http://www.bodolanduniversity.ac.in
26	कॉटन कॉलेज राज्य विश्वविद्यालय, पान बाजार, गुवाहाटी, असम*	2011	http://www.ccsu.ac.in
27	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़ - 786004 *	1965	http://www.dibru.ac.in
28	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी - 781014 *	1948	http://www.gauhati.ac.in
29	कृष्णकान्त हान्डीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, लास्ट गेट, दिसपुर, गुवाहाटी - 781006	2007	http://www.kkhsou.in
30	कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एवं पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालय, नलबाड़ी-781335	2011	http://www.kbvsasu.in
31	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एण्ड जूडीशियल अकादमी, एनइजेओटीआई बिल्डिंग, बी. के. काकाती रोड, भोलानाथ मंदिर पथ, उलूबेरी, गुवाहाटी - 781007, असम	2012	http://www.nluassam.ac.in
32	श्रीमंत शकरादेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नरकासुर हिलटॉप, भंगागढ़, गुवाहाटी, असम	2007	http://www.ssunhs.in
बिहार			
33	आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, मीठापुर फार्म एरिया, पटना - 800001	2008	http://www.akubihar.ac.in
34	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर-842001 *	1952	http://www.brabu.net
35	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबोर, भागलपुर, 813210, बिहार	2010	http://www.bausabour.org.in
36	भूपेन्द्र नारायण मण्डल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा-852113 *	1993	http://www.bnmu.bih.nic.in
37	चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज कैम्पस, गांधी मैदान, पटना-800001 *	2006	http://www.cnlu.ac.in
38	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा 841301 *	1995	http://www.jpv.bih.nic.in
39	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा-846008 *	1961	http://www.ksdsu.edu.in
40	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा-846008 *	1972	http://www.lnmu.in
41	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया-824234 *	1962	http://www.magadhuniversity.org
42	मौलाना मजहारुल हक अरेबिक एण्ड पर्शियन यूनिवर्सिटी, 3 पोलो रोड, पटना - 800001 (बिहार)	2004	http://www.mmhapu.bih.nic.in
43	नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना-800001	1995	http://www.nalandaopenuniversity.com
44	पटना विश्वविद्यालय, पटना - 800005 *	1917	http://www.patnauniversity.ac.in
45	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर-848125 *	1970	http://www.pusavarsity.org.in
46	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर-812007 *	1960	http://www.tmbu.org
47	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा-802301 *	1994	http://www.vksu-ara.org
छत्तीसगढ़			
48	छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जी.ई. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़	2008	http://www.cghealthuniv.com
49	बस्तर विश्वविद्यालय, जगदालपुर, जिला-बस्तर	2008	http://www.bvvjdp.ac.in
50	बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	2011	http://www.bilaspuruniversity.ac.in
51	छत्तीसगढ़ कामधेनू विश्वविद्यालय, दुर्ग-491001	2011	www.cgkv.ac.in
52	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8, मिलाई 490009	2004	http://www.csvtu.ac.in
53	दुर्ग विश्वविद्यालय, वासुदेव वर्मन पाटानकर बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर, रायपुर नाका, दुर्ग, छत्तीसगढ़	2015	http://durguniversity.ac.in/
54	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सिविल लाइन, रायपुर-492001 *	2003	http://www.hnlu.ac.in
55	इन्दिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर-492006 *	1987	http://www.igau.edu.in
56	इन्दिरा गाँधी कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़-491881 *	1956	http://www.iksvv.com

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचित किए जाने का वर्ष	वेबसाइट
57	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफरमेशन टेक्नोलॉजी, प्लॉट नम्बर 7, सेक्टर 24, पुरखोटी के निकट, मुक्तांगन, नया रायपुर- 493661, छत्तीसगढ़	2014	http://www.iiitb.ac.in
58	कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)	2004	http://www.ktujm.ac.in
59	पण्डित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर - 492010 *	1964	http://www.prsu.ac.in
60	पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	2004	http://www.pssou.ac.in
61	सरगुजा विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय प्रशासन भवन, नया अस्पताल रोड के निकट, अम्बिकापुर	2008	http://www.sargujauniversity.in
	गोवा		
62	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा - 403206 *	1985	http://www.unigoa.ac.in
	गुजरात		
63	आणंद कृषि विश्वविद्यालय, आणंद	2004	http://www.aau.in
64	भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय, केयर ऑफ शासकीय बहुकला महाविद्यालय, बिखना रोड, खादिया, जूनागढ़-362640	2015	http://www.bknmu.edu.in
65	महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी, भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर-364002 *	1978	http://www.bhavuni.edu
66	चिल्ड्रेन्स यूनिवर्सिटी, सुभाष चन्द्र बोस शिक्षण संकुल, सेक्टर-20, गांधीनगर, गुजरात	2009	www.cugujarat.ac.in
67	धर्मसिंह देसाई विश्वविद्यालय, कॉलेज रोड, नाडियाड - 387001 *	2000	http://www.ddu.ac.in
68	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय अहमदाबाद - 380003	1995	http://www.baou.edu.in
69	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय सरदार क्रूशीनगर, बनसकाँथा - 385506 *	1972	http://www.sdau.edu.in
70	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर - 361008 *	1968	http://www.ayurveduniversity.edu.in
71	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अट्टालिका एवेन्यू, नालेज कॉरीडोर, कोबा, गाँधीनगर - 382007 *	2003	http://www.gnlul.ac.in
72	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद - 380009 *	1950	http://www.gujaratuniversity.org.in
73	गुजरात प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, जेएसीपीसी बिल्डिंग, एल.डी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैम्पस, नवरंगापुरा, अहमदाबाद, गुजरात	2007	http://www.gtu.ac.in
74	गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, सैक्टर 18/ए, पुलिस भवन के निकट, गाँधीनगर - 382007	2008	http://www.gfsu.edu.in
75	गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लान्टेशन साइंस, आईकेडीआरसी-आईटीएस भवन, सिविल अस्पताल परिसर, असारवा, अहमदाबाद-380016	2015	http://guts.education/
76	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पी.बी. नम्बर 21, यूनिवर्सिटी रोड, पाटन - 384265 *	1986	http://www.ngu.ac.in
77	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, रामकृष्ण परमहंस विद्यासंकुल केएच-5 के निकट, सेक्टर - 15, गांधीनगर, 382016	2010	www.iite.ac.in
78	इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलाजी रिसर्च एण्ड मैनेजमेंट, खोखरा सर्किल, मनीनगर (पूर्व), अहमदाबाद-380026	2013	http://iitram.ac.in/
79	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़-362001	2004	http://www.jau.in
80	कामधेनू विश्वविद्यालय, "कृषि भवन", सेक्टर 10क, ब्लॉक बी, पोडियम लेवल, गांधीनगर-382010	2009	http://www.ku-guj.org
81	क्रान्तिगुरु श्यामजी कृष्णवर्मा कच्छ विश्वविद्यालय, मुंद्रा रोड, भुज-कच्छ - 370001 *	2004	http://www.kskvku.digitaluniversity.ac.in
82	महाराजा सायाजीराव बड़ोदा विश्वविद्यालय, वडोदरा - 390002 *	1949	http://www.msbaroda.ac.in
83	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी-396450	2004	http://www.nau.in
84	रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, न्यू मेंटर कार्नर, मेघनीनगर, अहमदाबाद - 380016	2011	http://www.rakshashaktiuniversity.ac.in
85	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर - 388120 *	1955	http://www.spuvvn.edu
86	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट - 360005 *	1955	http://www.saurashtrauniversity.edu
87	वीर नारमाड दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत-395007 *	1965	http://www.vnsgu.ac.in
88	श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, तालुक बेरावल, जिला जूनागढ़ - 362265	2005	http://www.shreesomnathsanskrituniversity.info

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचित किए जाने का वर्ष	वेबसाइट
89	गोविन्द गुरु विश्वविद्यालय गवर्नमेंट पालिटेक्नीक कैम्पस, गादुकपुर, गोधरा जिला पंचमहल-389001	2015	http://www.sggu.ac.in
90	स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स, यूनिवर्सिटी, सेक्टर - 19, पुनीत वन रोड, सुविधा केन्द्र, पीटीसी बिल्डिंग कैम्पस के निकट, गांधीनगर, 382019	2011	http://www.sycd.gujarat.gov.in/
	हरियाणा		
91	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत, हरियाणा*	2006	http://www.bpswomenuniversity.ac.in
92	चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी-127021	2014	http://www.cblu.ac.in
93	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा*	2003	http://www.cdlu.in
94	चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द, हरियाणा*	2014	http://www.crsujind.org
95	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार - 125004*	1970	http://www.hau.ernet.in
96	दीनबन्धु छोटाराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरुथल, हरियाणा*	2006	http://www.dcrusm.org
97	पं. भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, रोहतक, हरियाणा*	2008	http://www.uhsr.ac.in
98	गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार - 125001*	1995	http://www.gjust.ac.in
99	हरियाणा विश्वकर्म स्किल यूनिवर्सिटी (दुधोला पलवल), सेक्टर-18, गुरुग्राम, हरियाणा	2016^	http://www.hvsu.ac.in
100	इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाड़ी-122502*	2013	http://www.igi.ac.in
101	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र-136119*	1956	http://www.kuk.ac.in
102	लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंस, हिसार-125004	2010	http://lwww.uvas.edu.in
103	महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल-132001, हरियाणा	2016^	http://www.mhu.ac.in
104	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक-124001*	1976	http://www.mdurohtak.ac.in
105	स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफार्मिंग एण्ड विजुअल आर्ट्स, इंटिग्रेटेड कैम्पस, सेक्टर-6, रोहतक, हरियाणा	2014	http://www.supva.ac.in
106	वाईएमसीए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद-121006, हरियाणा*	2009	http://www.ymcaust.ac.in
	हिमाचल प्रदेश		
107	डॉ. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एण्ड फॉरेस्ट्री, नौनी - 173230*	1986	http://www.yspuniversity.ac.in
108	हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गंधाल, शिमला, पी0ओ0 शकराह, उप-तहसील धामी, जिला- शिमला- 171011, हिमाचल प्रदेश	2016^	http://www.hpnlu.ac.in
109	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला - 171005*	1970	http://www.hpuniv.ac.in
110	चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर - 176062*	1978	http://www.hillagric.ac.in
111	हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, गांधी चौक, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश-177001	2010	http://www.himtu.ac.in
	जम्मू और कश्मीर		
112	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय, राजौरी कैम्प ऑफिस, बाईपास रोड, चन्नी हिम्मत के सामने, जम्मू*	2005	http://www.bgsbuniversity.org
113	क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, शासकीय महिला महाविद्यालय, गांधी नगर, जम्मू-180004, जम्मू और कश्मीर	2016^	http://www.clujammu.in
114	क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, एस0पी0 महाविद्यालय, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	2016	http://www.cusrinagar.edu.in
115	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर - 190006*	1949	http://www.kashmiruniversity.net
116	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर - 191121*	1982	http://www.skuastkashmir.ac.in
117	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, छत्ता, जम्मू-180009	1999	http://www.skuast.org
118	श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कैम्प ऑफिस : 27 ए/डी, गांधीनगर, जम्मू - 180004*	2004	http://www.smvdu.net.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचित किए जाने का वर्ष	वेबसाइट
119	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एवेन्यू, अवान्तिपुरा, पुलवामा – 192122 (जम्मू और कश्मीर)*	2005	http://www.islamicuniversity.edu.in
120	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू तवी 180006 *	1968	http://www.jammuniversity.in
झारखण्ड			
121	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची – 834006 *	1980	http://www.baujharkhand.org
122	झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, ओल्ड ज्यूडिशियल अकादमी, (श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान परिसर) मेयर रोड, राँची – 834002	2016	http://www.rsu.ac.in
123	कोल्हन विश्वविद्यालय, चाइबासा, पश्चिम सिंहभूमि (झारखण्ड)	2007	http://www.kolhanuniversity.ac.in
124	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज इन लॉ, बहुकला संस्थान परिसर, बीआईटी, मेसरा, रांची-835217	2010	http://www.nusrlranchi.ac.in
125	नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू – 822101	2007	http://www.npu.ac.in
126	राँची विश्वविद्यालय, राँची – 834001 *	1960	http://www.ranchiuniversity.org
127	सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका – 814101 *	1992	http://www.skmu.edu.in/
128	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग – 825301 *	1993	http://www.vbu.co.in
कर्नाटक			
129	बंगलुरु विश्वविद्यालय, बंगलुरु – 560056 *	1964	http://www.bub.ernet.in
130	बंगलुरु नार्थ यूनिवर्सिटी, देवराज उर्स एक्सटेंशन, तमाका, कोलार-563103, कर्नाटक	2017^	http://www.bnu.ac.in
131	बंगलुरु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय महाविद्यालय परिसर, डॉ. अम्बेडकर वीथी, बंगलुरु- 560001, कर्नाटक	2017^	http://www.bcu.ac.in
132	दावनगिरी विश्वविद्यालय, शिवगंगोत्री, दावनगिरी – 577002 *	2009	http://www.davangereuniversity.org
133	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा – 585106 *	1980	http://www.gulbargauniversity.kar.nic.in
134	कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी, जिला बेलारी, कमालपुरा – 583276 *	1992	http://www.kannadauniversity.org
135	कर्नाटक जनपद विश्वविद्यालय, घटाघोडी रा.रा.-4, तालुक शिगांव, जिला-हावेरी कर्नाटक-581197	2012	http://www.janapadauni.in
136	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड – 580003 *	1949	http://www.kud.ac.in
137	कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज विश्वविद्यालय, रायथा भवन, भूमरड्डी सर्किल, गदाग- 582101, कर्नाटक	2016	http://www.ksrdpru.in
138	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर – 586101 *	2004	http://www.kswu.ac.in
139	कुवैम्पू विश्वविद्यालय, शंकरघट्टा – 577451 *	1987	http://www.kuvempu.ac.in
140	कर्नाटक वेटरिनेरी एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, नन्दीनगर, पीबी नं. 6, बीदर – 585401	2004	http://www.kvafsu.kar.nic.in
141	कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय, हुबली –580025 *	2009	http://www.kslu.ac.in
142	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर – 570006	1996	http://www.ksoumysore.edu.in
143	कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय, बंगलुरु – 580018	2011	http://www.ksu.ac.in
144	कर्नाटक फोकलोर यूनिवर्सिटी, 2/106, केएसएसएसआईए बिल्डिंग, तीसरा तल, 17वां क्रॉस, मागडी कोडर्ड रोड, विजयनगर, बंगलुरु – 460040	2011	http://www.janapadauni.in
145	केएसजीएच संगीत एवं अभिनय कला विश्वविद्यालय, एलजेबी रोड, नियर अशोक सर्कल, लक्ष्मीपुरम, मैसूर – 570004	2009	http://www.musicuniversity.ac.in
146	मैंगलोर विश्वविद्यालय, मैंगलोर – 574199 *	1980	http://www.mangaloreuniversity.ac.in
147	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर – 570005 *	1916	http://www.uni-mysore.ac.in
148	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलुरु – 560072 *	1992	http://www.nls.ac.in
149	राजीव गाँधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बंगलुरु – 560041	1994	http://www.rguhs.ac.in
150	रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय, विद्यासंगम, एनजी-4, पीबी हाइवे, बेलगावी – 591156, कर्नाटक *	2010	http://www.rcub.ac.in
151	तुमकुर विश्वविद्यालय, प्रथम तल, डा. बी.आर. अम्बेडकर भवन, एमजी रोड, तुमकुर – 572101 (कर्नाटक) *	2004	http://www.tumkuruniversity.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचित किए जाने का वर्ष	वेबसाइट
152	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलुरु-560065 *	1964	http://www.uasbangalore.edu.in
153	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ - 580005 *	1986	http://www.uasd.edu
154	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर - कर्नाटक	2010^	http://www.uasraichur.edu.in
155	यूनीवर्सिटी ऑफ हार्टिकल्चर साइंस, बागलकोट उद्यानगिरि, सीमीकेरी चौराहे के समीप, बागलकोट-587104	2010	http://www.uhsbagalkot.edu.in/
156	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, बेलगाम - 590018 *	1999	http://www.vtu.ac.in
157	विजयनगर श्रीकृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, जनाना सागर कैम्पस, विनयका नगर, छावनी, बेल्लारी - 583104 कर्नाटक	2010	http://www.vskub.org
केरल			
158	ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, सीईटी कैम्पस, तिरुअनंतपुरम-695016	2015	https://ktu.edu.in/
159	कालीकट यूनिवर्सिटी, त्रिची पालारी, मालापुरम जिला कोझीकोड - 673635 *	1968	http://www.universityofcalicut.info
160	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, कोच्ची - 682022 *	1971	http://www.cusat.ac.in
161	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर - 670562 *	1997	http://www.kannuruniversity.ac.in
162	केरल कृषि विश्वविद्यालय, थ्रिसूर - 680656 *	1972	http://www.kau.edu
163	केरल विश्वविद्यालय, तिरुवन्नतपुरम - 695034 *	1937	http://www.keralauniversity.ac.in
164	केरल यूनिवर्सिटी आफ फिशरीज एण्ड ओशन स्टडीज, पन्नागढ़, कोच्ची - 682506 केरल	2011	http://www.kufos.ac.in
165	केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, थ्रिसूर - 680596	2011	http://www.kuhs.ac.in
166	केरल यूनिवर्सिटी आफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंस, पोकोट लाकीदी पीओ, वायनाड, केरल	2011	http://www.kvasu.ac.in
167	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम - 686560 *	1983	http://www.mgu.ac.in
168	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांसड लीगल स्टडीज (एन.यू.एल.एस.) कालोर, कोच्चि - 682017, केरल *	2009	http://www.nuals.ac.in
169	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी - 683574 *	1994	http://www.ssus.ac.in
170	थुनचट्ट एजुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय, मोहन विलास, पुकायिल पी0ओ0 तिरूर, मल्लपुरम, जिला केरल - 676 107 *	2013	http://www.malayamuniversity.edu.in
मध्य प्रदेश			
171	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा - 486003 *	1968	http://www.apsurewa.nic.in
172	अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, एम.पी. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर, कोलार मार्ग, भोपाल - 462016 मध्य प्रदेश	2011	http://www.abvhv.org
173	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल - 462026 *	1970	http://www.bubhopal.nic.in
174	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर - 452001 *	1964	http://www.dauniv.ac.in
175	डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ0 अम्बेडकर नगर, महाओ-453441, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश	2016	http://www.brauss.in
176	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर - 482004 *	1964	http://www.jnkvv.nic.in
177	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर-474011 *	1964	http://www.jwaji.edu
178	मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, एनएससीबी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर, बेडाघाट रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश	2011	http://www.mppmsu.edu.in
179	महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर, मध्य प्रदेश	2014	www.mchhatrasaluniversity.com
180	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट-485331, जिला सतना *	1993	http://www.mgcgvchitrakoot.com
181	एम.पी.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल - 462016 *	1995	http://www.bhojvirtualuniversity.com
182	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल-462011 *	1993	http://www.mcu.ac.in
183	महर्षि पाणिनी संस्कृत एवम् वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश-456010	2008	http://www.mpsvvuj_jain.org
184	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सिविल लाइन, जबलपुर - 482001	2009	http://www.mppcvv.org

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचित किए जाने का वर्ष	वेबसाइट
185	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भादभादा रोड, बारकेरी कलां, भोपाल *	1999	www.nliu.ac.in
186	पंडित एस0एन0 शुक्ला विश्वविद्यालय, शाहडोल- 484001, मध्य प्रदेश	2016^	http://www.ptsns,university.ac.in
187	राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, महादाजी चौक, अचलेश्वर मार्ग, ग्वालियर, 474009	2009	http://www.rmtmusicandartsuniversity.com
188	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल-462036 *	2004	http://www.rgtu.net
189	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर - 482001 *	1957	http://www.rdunijbpin.org
190	राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड ग्वालियर-474002	2009	http://www.rvskvv.nic.in
191	सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बौद्धिस्ट-इंडिक स्टडीज, द्वितीय तल, इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नंस एण्ड पालिसी एनालिसिस, भादभादा स्क्वेयर, भोपाल-462003, मध्य प्रदेश	2013	http://www.sanchiuniv. edu.in
192	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन - 456010 *	1957	http://www.vikramuniversity. org
महाराष्ट्र			
193	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद-431004 *	1958	http://www.bamu.net
194	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लोनेरे-402103 *	1992	http://www.dbatu.ac.in
195	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला - 444104 *	1969	http://www.pdkv.mah.nic.in
196	गोडवाना विश्वविद्यालय, एमआईडीसी रोड कॉम्पलेक्स, गढ़चिरोली, 422605	1994	http://www.gondwana.digitaluniversity.ac.in
197	कवि कुलगुरु कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर - 441106 *	1997	http://www.sanskrituni.net
198	कोंकण कृषि विद्यापीठ दपोली, जिला रत्नागिरि - 415712 *	1972	http://www.dbskv.org
199	महाराष्ट्र एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, फुटाला लेक रोड, नागपुर - 440001	2002	http://www.mafsu.in
200	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पोस्ट बाक्स 8338, देवनार, मुंबई-400088	2014	http://www.nlumumbai.edu.in
201	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (जेओटीआई), सीपी क्लब रोड, नागपुर- 440001, महाराष्ट्र	2015	http://www,nlunagpur.ac.in
202	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट बी0एड0 कालेज कैम्पस, पदमपुरा, औरंगाबाद-431005, महाराष्ट्र	2017	http://www.mnlua.ac.in
203	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक - 424004	2000	http://www.muhs.ac.in
204	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी - 413722 *	1968	http://www.mpkv.mah.nic.in
205	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभानी - 431402 *	1983	http://www.mkv2.mah.nic.in
206	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई - 400032 *	1857	http://www.mu.ac.in
207	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगॉव - 425001 *	1991	http://www.nmu.ac.in
208	सावित्री भाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे-411007 *	1949	http://www.unipune.ac.in
209	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती - 444602 *	1983	http://www.sgbau.ac.in
210	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर - 416004 *	1962	http://www.unishivaji.ac.in
211	श्रीमती नाथीबाई दमोदर थाकरसे महिला विश्वविद्यालय मुम्बई - 400020 *	1951	http://www.sndt. digitaluniversity.ac
212	शोलापुर विश्वविद्यालय, शोलापुर पुणे रोड, केगांव, शोलापुर - 413255 *	2004	http://www.su.digitaluniversity. ac
213	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड - 431606 *	1995	http://www.srtmun.org
214	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक - 422222 *	1990	http://www.ycmou. digitaluniversity.ac
215	दि राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर-440001 *	1923	http://www.nagpuruniversity. org
मणिपुर			
216	मणिपुर तकनीकी विश्वविद्यालय, तकियेलपेट, इंफाल, मणिपुर	2016^	http://www.mtu.ac.in
217	मणिपुर संस्कृति विश्वविद्यालय, पैलेस कम्पाउंड, पूर्वी इंफाल-795001, मणिपुर	2015^	http://www.muc.ac.in
ओडिशा			
218	बेरहामपुर विश्वविद्यालय, बेरहामपुर - 760007 *	1967	http://www.bamu.nic.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचित किए जाने का वर्ष	वेबसाइट
219	बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला-769004	2003	http://www.bput.ac.in
220	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर – 756020 *	1999	http://www.fmuniversity.nic.in
221	गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, फाटक, बुद्धिराजा, सम्मलपुर, ओडिशा- 768004	2015	http://www.gmuniversity.ac.in
222	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गोथापरना, पीओ मालीपाड़ा, भुवनेश्वर-751003	2014	http://www.iiit.bh.ac.in
223	खालीकोटे विश्वविद्यालय, बेरहामपुर, गंजम, ओडिशा	2015	http://www.khallikotcollege.org
224	उत्तरी ओडिशा विश्वविद्यालय, बारीपेड़ा, जिला मयूरभंज-757003 *	1999	http://www.nou.nic.in
225	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पोस्ट बॉक्स-28, कटक – 753001 *	2008	http://www.nluo.ac.in
226	ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, जी०एम० विश्वविद्यालय कैम्पस, बुद्धिराजा, सम्मलपुर-768004	2015^	http://www.osou.ac.in
227	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर – 751003 *	1962	http://www.ouat.ac.in
228	रमा देवी महिला विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	2015	http://www.rdwuniversity.nic.in
229	रावेनशाह विश्वविद्यालय, कटक – 753003, *	2005	http://www.ravenshawuniversity.ac.in
230	सम्मलपुर विश्वविद्यालय, सम्मलपुर – 768019 *	1967	http://www.suniv.ac.in
231	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी-752003 *	1981	http://www.sjsv.nic.in
232	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर 751004 *	1943	http://www.utkal-university.org
233	उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर – 751009	1999	http://www.uuc.ac.in
234	वीर सुरेन्द्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बुरला, जिला सम्मलपुर, ओडिशा-768018 *	2009	http://www.vssut.ac.in
235	वीर सुरेन्द्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, आयुर्विहार, बुरला सम्मलपुर-768017 ओडिशा	2014^	http://www.vimsar.ac.in
पंजाब			
236	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, सादीक रोड़, फरीदकोट – 151203 *	2002	http://www.bfuhs.ac.in
237	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर – 143005 *	1969	http://www.gndu.ac.in
238	गुरु अंगददेव वेदिरनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना – 141004 *	2005	http://www.gadvasu.in
239	गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधमल, होशियारपुर, पंजाब.146001	2010	http://www.graupunjab.org
240	महाराज रणजीत सिंह राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय, डबवाली रोड़, भटिंडा-151001 *	2015	http://www.mrsptu.ac.in
241	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना – 141004 *	1962	http://www.pau.edu
242	आई०के० गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, जालंधर-141011	1998	http://www.ptu.ac.in
243	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला – 147002 *	1962	http://www.punjabuniversity.org
244	द राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला-147001 *	2006	http://www.rgnul.ac.in
राजस्थान			
245	डॉ० भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, 89, रॉयल हाऊस, खवासजी का बाग, दुर्गापुर, टोंक रोड़, जयपुर-302018	2012	http://www.babasaheb.university.nic.in
246	गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज कैम्पस, बांसवाड़ा-327001	2012	http://www.ggtu.ac.in
247	हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंपर्क विश्वविद्यालय, सूचना केन्द्र संकुल, सवाई राम सिंह मार्ग, जयपुर-302004	2012	http://www.hjuj.ac.in
248	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर – 342011 *	1962	http://www.jnvu.edu.in
249	जगद्गुरु रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, 2-2ए, झालना डोंगरी, जयपुर (राजस्थान) *	1998	http://www.jrsanskrituniversity.ac.in
250	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा – 324010 *	1987	http://www.vmou.ac.in
251	महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर – 313001	2000	http://www.mpuat.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचित किए जाने का वर्ष	वेबसाइट
252	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर – 305009*	1987	http://www.mdsuajmer.com
253	महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय, एम0एस0जे0 महाविद्यालय भवन, भरतपुर-321001	2012	http://www.brijuniversity.ac.in
254	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर – 313001*	1962	http://www.mlsu.ac.in
255	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर – 342004*	2004	http://www.nlujodhpur.ac.in
256	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर – 334006*	1987	http://www.raubikaner.org
257	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	2004	http://www.raujodhpur.org
258	राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी(आरआईएसयू), 6/2, जामडोली आईएलडी कैम्पस, जयपुर 302031, राजस्थान (राज्य विश्वविद्यालय)	2017^	
259	सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान –342304	2012	http://www.policeuniversity.ac.in
260	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर – 302004*	1947	http://www.uniraj.ernet.in
261	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बी-1, सवाई मानसिंह रोड, (एसएमएस अस्पताल के सामने) जयपुर*	2005	http://www.ruhsraj.org
262	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंसेज, बीकानेर, राजस्थान	2010	http://www.rajuvas.org
263	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर, राजस्थान*	2003	http://www.mgsbikaner.ac.in
264	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, अखेलगढ़, रावतभाटा रोड, कोटा 324010	2006	http://www.rtu.ac.in
265	राजस्थानि भारतीय मत्स्य विश्वविद्यालय, महिला छात्रावास भवन, बाबू शोभराम शासकीय कला महाविद्यालय परिसर, अलवर, राजस्थान	2012	http://www.rrbmuniv.ac.in
266	शेखावत विश्वविद्यालय, श्रीकल्याण शासकीय महाविद्यालय की पीछे, सीकर-332001	2012	http://www.shekhauni.ac.in
267	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)*	2003	http://www.uok.ac.in
तमिलनाडु			
268	अलगप्पा विश्वविद्यालय, अलगप्पा नगर, कराईकुडी – 630003*	1985	http://www.alagappauniversity.ac.in
269	अन्ना विश्वविद्यालय, गुंडई, चेन्नई – 600025*	1978	http://www.annauniv.edu
270	अन्ना मलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर – 608002*	1929	http://www.annamalaiuniversity.ac.in
271	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर – 641046*	1982	http://www.b-u.ac.in
272	भारथीदासन विश्वविद्यालय, त्रिचुरापल्ली – 620024*	1982	http://www.bdu.ac.in
273	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई – 600005*	1857	http://www.unom.ac.in
274	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई – 625021*	1965	http://www.mkuniversity.org
275	मनोनमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेल्ली – 627012*	1992	http://www.msuniv.ac.in
276	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल – 624102*	1984	http://www.motherteresawomenuniv.org
277	पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम – 636010*	1998	http://www.periyaruniversity.ac.in
278	तमिल विश्वविद्यालय, थंजावुर – 613010*	1981	http://www.tamiluniversity.ac.in
279	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर – 641003*	1971	http://www.tnau.ac.in
280	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, नं0 577, अन्ना सलाई सायदापेट, चेन्नई – 600015*	2004	http://www.tnou.ac.in
281	तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई – 600028*	1998	http://www.tndalu.ac.in
282	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी अन्ना सलाई, चेन्नई – 600032*	1989	http://www.tnmgrmu.ac.in
283	तमिलनाडु मत्स्यिकी विश्वविद्यालय, प्रथम लाईनबीच रोड, नागापट्टनम-611001*	2012	http://www.tnfv.org.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचित किए जाने का वर्ष	वेबसाइट
284	तमिलनाडु नेशनल लॉ स्कूल, नवलूर, कुट्टापट्ट, श्रीरंगम तालुक, त्रिचुरापल्ली – 620009 *	2012	http://www.tnnls.ac.in
285	तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आठवां तल, ईवीए सम्पत, मालीगई, कॉलेज रोड, चेन्नई	2005	http://www.tnpesu.org
286	तमिलनाडु संगीत तथा ललित कला विश्वविद्यालय, डॉ0 डी0जी0एस0 दिनाकरन सलाई, चेन्नई— 600028	2013	http://www.tnmfau.in
287	तमिलनाडु वेदिरनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई – 600051 *	1990	http://www.tanuvas.ac.in
288	थिरुवल्लूर विश्वविद्यालय, सेरकाडू, वेल्लोर – 632115 *	2003	http://www.tvuni.in
289	तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी, कामराजर सलाई, चेन्नई – 600005	2008	http://www.tnteu.in
तेलंगाना			
290	आचार्य एन0जी0 रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद—500030 *	1964	http://www.angrau.net
291	डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, जुबली हिल्स, हैदराबाद—500033 *	1982	http://www.braou.ac.in
292	जवाहर लाल नेहरू वास्तुकला तथा ललित कला विश्वविद्यालय, महावीर मार्ग, मसाब टैंक, हैदराबाद—500015 *	2008	http://www.jnafau.ac.in
293	जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलाजीकल युनिवर्सिटी, हैदराबाद—500085 *	1972	http://www.jntuh.ac.in
294	कालोजी नारायणराव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ककातिया मेडीकल कालेज कैम्पस, रंगमपेट, वारंगल, तेलंगाना	2017	http://www.knruhs.in
295	काकतीया विश्वविद्यालय, वारंगल – 506009 *	1976	http://www.kakatiya.ac.in
296	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, पनगल, नलगोण्डा – 508254 *	2008	http://www.mguniversity.ac.in
297	नालसार कला, विधि और न्याय विश्वविद्यालय, शमरपेट, आर0आर जिला, हैदराबाद—500101 *	1999	http://www.nalsar.ac.in
298	निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पंजागुट्टा, हैदराबाद—500082	1989	http://www.nims.ap.nic.in
299	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद – 500007 *	1918	http://www.osmania.ac.in
300	पालामुरु विश्वविद्यालय, अयप्पा कॉम्प्लेक्स, पुलिस मुख्यालय के सामने, महबूब नगर – 509001 *	2008	http://www.palamuruuniversity.ac.in
301	पोट्टी श्रीरामलू तेलगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद—500004 *	1985	http://www.teluguuniversity.ac.in
302	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद—500030	2014	http://www.pjtsau.ac.in
303	राजीव गांधी युनिवर्सिटी ऑफ नालेज टेक्नोलाजी, हैदराबाद	2011	http://www.rgukt.in
304	सातवाहन विश्वविद्यालय, ज्योतिनगर, करीमनगर – 505001	2008	http://www.satavahana.ac.in
305	श्रीकोण्डा लक्ष्मण तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद—500030	2014	http://www.skitshu.ac.in
306	श्री पी0 वी0 नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटेनरी यूनिवर्सिटी, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद—500030	2014^	http://www.tsvu.nic.in
307	तेलंगाना विश्वविद्यालय, निजामाबाद – 503002 *	2006	http://www.telanganauniversity.ac.in
त्रिपुरा			
308	महाराजा बीर बिक्रम विश्वविद्यालय, अगरतला, त्रिपुरा	2015	http://www.mbbuniversity.ac.in
उत्तर प्रदेश			
309	इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, सीपीआई परिसर, सिविल लाइंस, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	2016	http://www.allstateuniversity.org
310	बंदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बंदा—210001, उत्तरप्रदेश	2010^	http://www.buat.edu.in
311	बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी – 284128 *	1975	http://www.bujhansi.org
312	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर – 208002 *	1974	http://www.csauk.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचित किए जाने का वर्ष	वेबसाइट
313	छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर – 208024 *	1965	http://www.kanpuruniversity.org
314	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ –250005 *	1965	http://www.ccsuniversity.org
315	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर – 273009 *	1957	http://www.ddugu.edu.in
316	डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद – 224001 *	1975	http://www.rmlau.ac.in
317	डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेक्टर – डी-1, एल.डी. 'ए', कानपुर रोड स्कीम, लखनऊ 226012 *	2005	http://www.rmlnlu.ac.in
318	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा – 282004 *	1927	http://www.dbrau.com
319	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, जिला – गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र. –201312 *	2002	http://www.gbu.ac.in
320	हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कानपुर-208002, उत्तर प्रदेश	2016	http://www.hbtu.ac.in
321	जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, उत्तरप्रदेश	2016^	http://www.jncu.ac.in
322	ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, 619, इंदिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.	2010	http://www.uafulucknow.ac.in
323	किंग जार्ज आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ – 226003 *	2004	http://www.kgmcindia.edu
324	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ – 226007 *	1921	http://www.lucknowuniv.org
325	मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273010	2013	http://www.mmmut.ac.in
326	एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली – 243006 *	1975	http://www.mjpru.ac.in
327	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी-221002 *	1974	http://www.mgkvp.ac.in
328	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद – 224229 *	1974	http://www.nduat.ernet.in
329	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी – 221002 *	1958	http://www.ssvv.up.nic.in
330	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ-250110	2004	http://www.svbpm Meerut.ac.in
331	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ नगर-272202	2015	http://www.sidunikapilvastu.edu.in
332	यू.पी. किंग जार्ज दंत चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ-226003	2004	
333	उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा, उत्तर प्रदेश	2001	http://www.upvetuniv.edu.in
334	यू.पी. राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, 17, महर्षि दयानन्द मार्ग, (थार्नहिल रोड) इलाहाबाद – 211001	2004	http://www.uprtou.ac.in
335	डॉ. ए०पी०जे० अबुल कलाम टेक्निकल युनिवर्सिटी, लखनऊ – 226031	2001	http://www.uptu.ac.in
336	उत्तर प्रदेश यूनीवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, सैफई, इटावा-206130, उत्तर प्रदेश	2016	http://www.upums.ac.in
337	उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉ० शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, मोहन रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017 *	2008	http://www.dsmru.up.nic.in
338	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर – 222002 *	1987	http://www.vbspu.ac.in
उत्तराखण्ड			
339	दून विश्वविद्यालय, मोठरावाला रोड, केदारपुर, देहरादून 248001 *	2005	http://www.doonuniveristy.ac.in
340	जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, पंतनगर – 263145 *	1960	http://www.gbpuat.ac.in
341	हेमवती नन्दन बहुगुणा आयुर्विज्ञान शिक्षा विश्वविद्यालय, 124, गंगा विहार, रोडवेज कार्यशाला के सामने, हरिद्वार रोड, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड	2014	http://www.hnbumu.ac.in
342	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल – 263001 *	1973	http://www.kuntl.in
343	श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बडशाहीथोल, टीहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249199	2011	http://www.sdsuv.ac.in
344	उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय, जगत सिंह विष्ट राजकीय होटल प्रबंधन और खानपान संस्थान परिसर, चिलकापिटा, खत्याडी, अल्मोड़ा-263601	2016	
345	उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, 7-ए, प्लेजेन्ट वेली, राजपुर रोड, देहरादून – 248009, उत्तराखण्ड	2009	http://www.uau.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचित किए जाने का वर्ष	वेबसाइट
346	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार- 249401 (उत्तरांचल)	2005	http://www.usvv.org
347	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, ए-12, सरस्वती विहार, लोवर अघोवाला, पोस्ट-धारानौला, देहरादून, उत्तराखण्ड		http://www.uktech.ac.in
348	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर के निकट, तीनपानी बाई पास रोड, पोस्ट-औद्योगिक एस्टेट, हल्द्वानी - 263139 (नैनीताल), उत्तराखण्ड (राज्य विश्वविद्यालय)	2005	http://www.uou.ac.in
349	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल-246123	2011	http://www.uuhf.ac.in
पश्चिम बंगाल			
350	आलिया विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700091	2007	http://www.aliah.ac.in
351	बांकुरा विश्वविद्यालय, पुआबागन कैम्प कार्यालय, डाकघर बागबंद, जिला, बांकुरा-722146	2014	http://www.bankurauniv.ac.in
352	विधान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नाडिया - 741252 *	1974	http://www.bckv.edu.in
353	वर्द्धमान विश्वविद्यालय, राजबाती, वर्द्धमान - 713104 *	1960	http://www.buruniv.ac.in
354	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता - 700073 *	1857	http://www.caluniv.ac.in
355	कूच बिहार पंचानन बर्मा विश्वविद्यालय, विवेकानन्द रोड, कूच बिहार-736101		http://www.cbpbu.ac.in
356	डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय, केयर ऑफ फकीर चंद कॉलेज, डायमंड हार्बर, दक्षिण चौबीस परगना, पश्चिम बंगाल-743331	2013	http://www.dheou.ac.in
357	जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता-700032 *	1955	http://www.jadavpur.edu
258	गौर बंग विश्वविद्यालय, रविन्द्र एवेन्यू, मालदा कॉलेज परिसर, पोस्ट बॉक्स. एवं जिला - मालदा - 732101 *	2007	http://www.ugb.ac.in
359	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी - 741235 *	1960	http://www.klyuniv.ac.in
360	काजी नजरूल युनिवर्सिटी, पुराना एडीडीए कार्यालय भवन (आसनसोल बालिका महाविद्यालय के पीछे) पो0ओ0- आसनसोल-713304, जिला बुर्दवान, पश्चिम बंगाल	2012	http://www.knuedu.in
361	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजा राम मोहनपुर, दार्जिलिंग - 734430 *	1962	http://www.nbu.ac.in
362	नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी कोलकाता - 700020	1997	http://www.wbnsou.ac.in
363	प्रेजीडेंसी विश्वविद्यालय, 86/1 कॉलेज स्ट्रीट, कोलकाता - 700073 *	2010	http://www.presiuniv.ac.in
364	रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता - 700050 *	1962	http://www.rbu.ac.in
365	रायगंज विश्वविद्यालय, पीओ-रायगंज, जिला उत्तरी दिंजापुर-733134 *	2015	http://www.raiganjuniversity.ac.in
366	सिद्धो कान्हो बिरसा विश्वविद्यालय, 10ए, ब्लॉक - एलए, प्रशासनिक भवन, रांची रोड कैम्पस, सैनिक स्कूल के निकट, पुरुलिया-728104 *	2010	http://www.skbu.ac.in
367	संस्कृत महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, बंकिम चन्द्र चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता-700073		http://www.sanskritcollegeanduniversity.org.in
368	द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस, एनयूजेएस भवन, 12 एलबी ब्लॉक, सेक्टर-3, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता *	2004	http://www.nujs.edu
369	द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, डीडी-36, सेक्टर-1, साल्ट लेक, कोलकाता - 700064 *	2002	http://www.wbuhs.ac.in
370	पश्चिम बंगाल अध्यापक प्रशिक्षण और शिक्षा आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, 25/2 और 25/3, बैलीगंज सर्कुलर रोड, कोलकाता-700019	2015	http://www.wbuttepa.ac.in
371	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, जिला - कूच बिहार-736165	2015	http://www.ubkv.ac.in
372	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर-721102 *	2001	http://www.vidyasagar.ac.in
373	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनीमल एंड फिशरीज साइंसेज, बेलगाचिया, कोलकाता-700037	1981	http://www.wbuaafsc.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचित किए जाने का वर्ष	वेबसाइट
374	वेस्ट बंगाल तकनीकी विश्वविद्यालय, बीएफ-142, साल्ट लेक, कोलकाता-700091 *	1995	http://www.wbut.net
375	वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, बारासात गर्वेनमेंट कालेज एनेक्सी बिल्डिंग, 10 के0एन0सी0 रोड, कोलकाता-700124 *	2001	http://www.wbsubregistration.org
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली			
376	भारत रत्न डॉ बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लोथियान रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 *	2007	http://www.aud.ac.in
377	दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, डीआईपीएसर कैम्पस, सेक्टर-3, पुष्प विहार, नई दिल्ली	2010	http://www.dpsru.edu.in
378	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, शाहबाद दौलतपुर, बवाना रोड, दिल्ली *	2009	http://www.dce.edu
379	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, सेक्टर 16सी, द्वारका, दिल्ली-110078 *	1998	http://www.ipu.ac.in
380	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 *	2013	http://www.igdtuw.ac.in
381	इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज-III नई दिल्ली-110020	2008	http://www.iiitd.ac.in
382	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेक्टर-14, द्वारका, नई दिल्ली *	2008	http://www.nludelhi.ac.in
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र चण्डीगढ़			
383	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़-160014 *	1947	http://www.puchd.ac.in

तालिका 2.2 (i)(ड)(iii) दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार राज्य निजी विश्वविद्यालयों की सूची

(* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालय)

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
आंध्र प्रदेश			
1	एसआरएम विश्वविद्यालय, नीरुकोंडा-कुरागल्लु ग्राम मंगलागिरी, मंडल गुंटूर जिला-522502, आंध्र प्रदेश	23.05.2017	http://www.srmap.edu.in
2	सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलाजी एण्ड मेनेजमेंट, गिडिजाला, जंक्शन, आनंदपुरम मंडल, विखाखापत्तनम-531173, आंध्र प्रदेश	23.05.2017	http://www.cutm.ac.in
अरुणाचल प्रदेश			
3	एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पासीघाट, जिला ईस्ट सियांग, अरुणाचल प्रदेश-791102	10.05.2013	http://www.apexuniversity.ac.in
4	अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़, एनएच-52, नामसाई, जिला नामसाई-792103, अरुणाचल प्रदेश	26.05.2012	http://www.arunachaluniversity.ac.in
5	अरुणोदय विश्वविद्यालय, ई-सेक्टर, निरजुली, ईटानगर, जिला-नामसाई-791109, अरुणाचल प्रदेश	21.10.2014	http://www.arunodayauniversity.ac.in
6	द ग्लोबल यूनीवर्सिटी, होलोंगी, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश	18.09.2017	
7	हिमालयन यूनीवर्सिटी, 401, टकर काम्पलैक्स, नाहरलगुन, इटानगर, जिला-पापुमपारे-791110, अरुणाचल प्रदेश	03.05.2013	http://www.himalayanuniversity.com
8	नार्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, सिबु-पियुयी, आलो (पीओ), पश्चिम सियांग (जिला), अरुणाचल प्रदेश-791001	03.09.2014	http://www.neftu.edu.in
9	द इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजी एण्ड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, जीरो, अरुणाचल प्रदेश-791120	26.05.2012	http://www.indiragandhiuniversity.in
10	वेंकटेश्वरा मुक्त विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	20.06.2012	http://www.vou.ac.in
असम			
11	असम डॉन बोस्को यूनिवर्सिटी, अजारा, गुवाहाटी-781017 *	12.02.2009	http://www.dbuniversity.ac.in
12	असम डॉउन टाउन यूनिवर्सिटी, शंकर माधव पथ, गांधी नगर, पानीखेती, गुवाहाटी - 781036	29.04.2010	http://www.adtu.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
13	महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय, श्रीमंत शंकरदेव संघ काम्पलेक्स, हलधर भायुन पथ, कालोंपार, नौगांव-782001, असम	14.08.2013	http://www.mssv.co.in
14	द असम काजीरंगा यूनिवर्सिटी, जोरहाट, असम-785006	11.04.2012	http://www.kazirangauniversity.in
15	असम रायल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बेटकुची तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने, रा0रा0-37, गुवाहाटी-781035, असम	23.08.2013	http://www.rgu.ac.in
	बिहार		
16	संदीप यूनिवर्सिटी, ग्राम सिजोली, जिला मधुबनी,-847235, बिहार	08.06.2017	http://www.sandipuniversity.edu.in
17	के0 के0 यूनिवर्सिटी, बेरौती, नेपुरा, बिहार शरीफ, नालंदा, बिहार-803115	08.06.2017	http://www.kkuniversity.ac.in
	छत्तीसगढ़		
18	एमिटी युनिवर्सिटी, ग्राम मंथ, तहसील-तिलदा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़	21.08.2014	http://www.amity.edu/raipur/
19	डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कारगी रोड, कोटा, बिलासपुर-495001	03.11.2006	http://www.cvr.ac.in
20	आईसीएफआई विश्वविद्यालय, रा0रा0-6, रायपुर-भिलाई रोड, ग्राम-छोरहा, आरआई सर्कल, अहीवारा, धामधा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़	24.03.2011	http://www.iuraipur.edu.in
21	आईएसबीएम विश्वविद्यालय, ग्राम नावापारा (कोसमी) ब्लॉक तहसील चुरा, जिला गारियाबंद-493996, छत्तीसगढ़	09.09.2016	http://www.isbmuniversity.edu.in
22	आईटीएम विश्वविद्यालय, पीएच नं. 137, उपावाड़ा, नया रायपुर, जिला-रायपुर - 493661, छत्तीसगढ़	03.02.2012	http://www.itmuniversity.org
23	कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	24.03.2011	http://www.kalingauniversity.org
24	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, पोस्ट मंगला, बिलासपुर - 495001	18.04.2002	http://www.mumt.com
25	मैट्स (एम.ए.टी.एस.) विश्वविद्यालय, अरंग खारोरा हाइवे, ग्राम पंचायत: गुल्लू, ग्राम - गुल्लू, तहसील - अरांग, जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़	03.11.2006	http://www.matsuniversity.ac.in
26	ओ0पी0 जिन्दल युनिवर्सिटी, नालेज पार्क, घरोन्दा रोड, पुन्जीपाथरा, रायगढ़-496001	21.08.2014	http://www.opju.ac.in
	गुजरात		
27	अहमदाबाद विश्वविद्यालय, आईएस बंगलो नम्बर - 2, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380009	07-07-2009	http://www.ahduni.edu.in
28	अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी संस्कारधाम कैम्पस, भोपाल घुमा संसद रोड, अहमदाबाद, गुजरात-382115	09.05.2016	http://www.anu.edu.in
29	एयूआरओ यूनिवर्सिटी ऑफ हास्पिटैलिटी एण्ड मैनेजमेंट, सूरत, गुजरात-394510	12.10.2011	http://www.aurouniversity.edu.in
30	केलारेक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद-382481	07.07.2009	http://www.ctu.calorx.org
31	सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एण्ड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009	12.04.2015	http://www.cept.ac.in
32	चरोत्तर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, चंगा - 388421, जिला - आणंद	04.11.2009	http://www.charusat.ac.in
33	सी0यू0 शाह विश्वविद्यालय, सुरेन्द्रनगर-अहमदाबाद राज्य राजमार्ग, कोथारिया गांव के निकट, वधावन सिटी-363030, जिला सुरेन्द्रनगर, गुजरात	22.04.2013	http://www.cushahuniversity.ac.in
34	धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी, गाँधीनगर, पोस्ट बॉक्स नं. 4, गांधी नगर, 382007	06.03.2003	http://www.daiict.ac.in
35	गणपत विश्वविद्यालय, गणपत विद्यानगर, मेहसाणा, गोजारिया हाइवे, जिला मेहसाणा - 382711	23.03.2005	http://www.ganpatuniversity.ac.in
36	जी0एल0एस0 विश्वविद्यालय, गुजरात ला सोसायटी कैम्पस, लॉ गार्डन के सामने, एलीसब्रिज, अहमदाबाद-380006	15.04.2015	http://www.glsuniversity.ac.in
37	जी0एस0एफ0सी0 यूनिवर्सिटी, विज्ञान भवन, डाकघर फर्टीलाइजरनगर - 391750, जिला वदोदरा, गुजरात	19.12.2014	http://www.gsfcuni.edu.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
38	इन्डस विश्वविद्यालय, इन्डस कैम्पस, रणचारदा, वाया-थालटेज, अहमदाबाद - 382115	02.05.2012	http://www.iiuedu.in
39	इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हैल्थ- गांधीनगर, सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट ऑफ इकोनामिक्स एण्ड सोशल रिसर्च कैम्पस, ड्राइव-इन-रोड, थालटेज, अहमदाबाद-380054	02.05.2015	http://www.iiphg.edu.in
40	इंद्रशील यूनीवर्सिटी, रतनपुर, धांधुलका, अहमदाबाद-382465, गुजरात	31.03.2017	http://www.indrashiluniversity.edu.in
41	इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, खोबा, गांधीनगर-382007	12.10.2011	http://www.iar.ac.in
42	आईटीएम-वोकेशनल यूनीवर्सिटी, प्लॉट 6512, अजवा निमेता रोड, रावाल तालुका, वाघोडिया, वदोदरा, गुजरात	08.05.2014	http://www.itm.ac.in
43	कादी सर्वा विश्वविद्यालय, सर्वा विद्यालय कैम्पस, सैक्टर 15/23, गांधीनगर-382015	16.05.2007	http://www.ksvuniversity.org.in
44	कर्नावती विश्वविद्यालय, 907/ए, उवारसाड-382422, जिला गांधीनगर, गुजरात	31.03.2017	http://www.karnavatiuniversity.com
45	लाकुलिश योग विश्वविद्यालय, "लोटस व्यू" निरमा विश्वविद्यालय के सामने, एस0जी0 राजमार्ग, छारोडी, अहमदाबाद - 382481, गुजरात	16.04.2013	http://www.lyu.ac.in
46	मारवाडी यूनिवर्सिटी राजकोट, मोरबी राजमार्ग, राजकोट-360003	09.05.2016	http://www.marwadiuniversity.ac.in
47	नवरचना विश्वविद्यालय, वसना-भयली रोड, वडोदरा-391415	07.07.2009	http://www.nuv.ac.in
48	निरमा यूनिवर्सिटी, सरखेज, गांधीनगर हाइवे, ग्राम छोरीडी, अहमदाबाद-382481	12.3.2003	http://www.nirmauni.ac.in
49	पं. दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, रायसेन, जिला गाँधीनगर - 382009	04.04.2007	http://www.pdpu.ac.in
50	पीपी सावानी विश्वविद्यालय, रा0 रा0-8, गेटको, बिल्टैक, ग्राम धामदोड़, कोसाम्बा, तहसील- मंगरोल, जिला सूरत-394125, गुजरात	31.03.2007	http://www.ppsu.ac.in
51	पारुल विश्वविद्यालय, डाकघर लिम्दा, ताल्लुक-वाघोडिया, जिला वदोदरा-391760	21.04.2015	http://www.paruluniversity.ac.in
52	प्लास्ट इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, डूंगरा, जीआईडीसी, वापी जिला वल्साड-396195	09-05-2016	http://www.plastindia.edu.in
53	आर.के. यूनिवर्सिटी, राजकोट-भावनगर हाइवे, कस्तूरबाधाम, राजकोट, गुजरात-360020	14.10.2011	http://www.rku.ac.in
54	राय विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात-382260	02.05.2009	http://www.raiuniversity.edu
55	सांकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी, सांकल चन्द पटेल विद्याधाम, वीजा नगर-384315	09.05.2016	http://www.spceung.ac.in
56	स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इन्वोवेशन यूनीवर्सिटी, भोयान राठौड, इफको के सामने, अदलाज सेलथा रोड, गांधीनगर,- 382420, गुजरात	31.03.2017	http://www.ssiu.ac.in
57	टीम लीज स्किल युनिवर्सिटी, तारसाली बाईपास, वडोदरा-390009	22.04.2013	http://www.teamleaseuniversity.org
58	यूकेए तारसाडिया विश्वविद्यालय, मालिबा कैम्पस, गोपाल विद्यानगर, बारोली-महुआ रोड, जिला-सूरत, गुजरात-394350	14.10.2011	http://www.utu.ac.in
हरियाणा			
59	अल-फलाह युनिवर्सिटी, फरीदाबाद, हरियाणा	02.05.2014	http://www.alfalahuniversity.edu.in
60	एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी एजुकेशन वैली, पंचगांव, मानेसर, जिला - गुड़गाँव - 122413, हरियाणा	26.04.2010	http://www.amity.edu/gurgaon
61	अंसल विश्वविद्यालय, गुड़गाँव, हरियाणा	10.02.2012	http://www.ansaluniversity.edu.in
62	एपीजे स्टॉय यूनिवर्सिटी, पलवल रोड, सोहना, गुड़गाँव - 122103, हरियाणा	02.11.2010	http://www.university.apeejay.edu.in
63	अशोक विश्वविद्यालय, प्लॉट नम्बर. 2, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, कुण्डली, रा0रा0क्षे0, सोनीपत, हरियाणा-131028	02.05.2014	http://www.ashokaka.edu.in
64	बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा-124021	10.02.2012	http://www.babamastnathuniversity.com
65	बीएमएल मुंजाल युनिवर्सिटी, 67वां किलोमीटर स्टोन, रा0रा0-8, सिधरावली, जिला- गुड़गाँव-123413, हरियाणा	02.05.2014	http://www.bml.edu.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
66	जी0डी0 गोएनका विश्वविद्यालय, जी0डी0 गोएनका एजुकेशन सिटी, गुड़गांव सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा-122103	03.05.2013	http://www.gdgoenkauniversity.com
67	द नार्थकैप यूनीवर्सिटी, हुडा सैक्टर 23ए, गुड़गांव-122107, हरियाणा	21.10.2009	http://www.itmindia.edu
68	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, राज्य राजमार्ग संख्या 22, बहादुरगढ़, - झझर रोड, झझर - 124507, हरियाणा	03.05.2013	http://www.jagannathuniversityncr.ac.in
69	के0आर0 मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा-122103	03.05.2013	http://www.krmangalam.edu.in
70	मानव रचना विश्वविद्यालय, सैक्टर-43, दिल्ली सूरजकुण्ड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा	06.08.2014	http://www.manavrachanaedu.in
71	एम0एन0वी0 विश्वविद्यालय, पलवल, हरियाणा-121105	10.02.2012	http://www.mvn.edu.in
72	महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय, सादोपुर, जिला अम्बाला, हरियाणा-134007	29.10.2010	http://www.mmumullana.org
73	एनआईएलएम विश्वविद्यालय, 9कि0मी0 मार्शलस्टोन, रा0रा0-65, कैथल - 136027, हरियाणा	27.09.2011	http://www.niilmuniversity.in
74	ओ0पी0 ज़िंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत-131001*	10.11.2006	http://www.wjgu.edu.in
75	पी0डी0एम0 विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स 15, सैक्टर-3ए, सराय औरंगाबाद, बहादुरगढ़-124507	14.01.2016	http://www.pdm.ac.in
76	श्री गुरु गोबिंद सिंह ट्राईसेनेटरी यूनिवर्सिटी, फारुख नगर रोड, बुढेडा, जिला गुड़गांव, हरियाणा	03.05.2013	http://www.sgtuniversity.org
77	एसआरएम विश्वविद्यालय, प्लॉट संख्या 39, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, दिल्ली-एनसीआर, सोनीपत-कुंडली अर्बन काम्पलेक्स, हरियाणा- 131029	03.05.2013	http://www.srmuniversity.ac.in
78	स्टारेक्स यूनीवर्सिटी, रा0 रा0-8, ग्राम बिनोला, पी0ओ0 भोराकलां, गुरुग्राम, हरियाणा	25.08.2016	http://www.starexuniversity.com
79	वर्ल्ड यूनीवर्सिटी ऑफ डिजाइन, प्लॉट नम्बर 1, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, राई, दिल्ली एनसीआर, सोनीपत-131029, हरियाणा	07.02.2018	http://www.worlduniversityofdesign.ac.in
हिमाचल प्रदेश			
80	अभिलाश विश्वविद्यालय, चैलचौक (चाचौट), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश	23.01.2015	http://www.abhilashiuniversity.in
81	एपीजी (अलख प्रकाश गोयल) विश्वविद्यालय, ग्राम पुजराली, शोहोगी मेहली बॉयपास रोड, पंथाघाटी, शिमला-171009	07.06.2012	http://www.apg.edu.in
82	एमी विश्वविद्यालय, काटगढ़, तहसील इंदोरा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	03.11.2009	http://www.arni.in
83	बददी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, मखनुमाजरा, बददी, जिला-सोलन, हिमाचल प्रदेश-173205	15.10.2009	http://www.baddiuniv.ac.in
84	बरहा विश्वविद्यालय, वीपीओ - वाकनाघाट, तहसील - कांडाघाट, जिला - सोलन, हिमाचल प्रदेश-173215	21.01.2011	http://www.bahrauniversity.edu.in
85	कॅरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश-176041	03.05.2012	http://www.cpuniverse.in
86	चितकारा विश्वविद्यालय, एचआईएमयूडीए एजुकेशन हब, कल्लूझण्डा (बरोतीवाला), जिला सोलन - 174103	21.01.2009	http://www.chitkara.edu.in
87	एटरनल विश्वविद्यालय, बारू साहिब जिला सिरमौर-173101, हिमाचल प्रदेश	22.10.2009	http://www.eternaluniversity.edu.in
88	आईईसी (इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी, प्लॉट नं. 7 और 10, अटल शिक्षा कुंज, बददी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश	11.05.2012	http://www.iecuniversity.com
89	आईसीएफआई, यूनिवर्सिटी, एचआईएमयूडीए एजुकेशन हब, कालूजिहिन्दा, पीओ मंघाला, वाया बरोतीवाला, बददी, जिला-सोलन, हिमाचल प्रदेश-174103	20.10.2011	http://www.iuhimachal.edu.in
90	इन्डस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वी.पी.ओ. बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश- 174301	01.02.2010	http://www.iiuedu.in
91	जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, पी0ओ0 वाकनाघाट तहसील कांडाघाट, जिला सोलन - 173234	22.05.2002	http://www.juit.ac.in
92	महर्षि मारकण्डेश्वर यूनिवर्सिटी, कुमारहाटी, सुल्तानपुर रोड, सोलन - 173229	19.09.2010	http://www.mmusolan.org

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
93	महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, अटल शिक्षा कुंज, जिला- सोलन-174103, हिमाचल प्रदेश	15.01.2013	http://www.mau.ac.in
94	मानव भारती विश्वविद्यालय, लाड्डो, सुल्तानपुर, कुमारहट्टी, सोलन-173229	22.09.2009	http://www.manavbhartiuniversity.edu.in
95	शूलिनी विश्वविद्यालय जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान, सेलन, एचपी	15.10.2009	http://www.shooliniuniversity.com
96	श्री साई विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश	27.01.2011	http://www.srisaiuniversity.org
झारखण्ड			
97	एआरएके जैन यूनिवर्सिटी, केरल पब्लिक स्कूल के सामने, मोहनपुर, गमहारिया, जिला सेराईकेला खारसावान-832108, झारखंड	04.07.2017	http://www.arkauniversity.ac.in
98	एमिटी यूनिवर्सिटी, रांची शहर परिसर, निवरानपुर मुख्य सड़क, रांची झारखंड	13.05.2016	http://www.amity.edu.in
99	आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, मतवारी चौक, गांधी मैदान, हजारीबाग, झारखंड	13.05.2016	http://www.aiselectuniversity.ac.in
100	झारखण्ड राय विश्वविद्यालय, कामरे, रातू रोड, रांची-835222	02.02.2012	http://www.jru.edu.in
101	प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बोरातू रोड बूटी मोर, पी0ओ0 आरएमसीएच, रांची-834009, झारखंड	16.05.2016	http://www.pragyanuniversity.edu.in
102	साई नाथ विश्वविद्यालय, रांची, झारखण्ड	27.04.2012	http://www.sainathuniversity.com
103	सरला बिरला यूनिवर्सिटी, बिरला कैम्पस, ग्राम आरा, पी0ओ0 माहलौंग, रांची-पुरुलिया राजमार्ग, रांची-835103, झारखंड	20.07.2017	sbu.ac.in
104	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ग्रांड एमरेल्ड बिल्डिंग, मार्ग संख्या 1 और 2 के बीच में, अशोक नगर, रांची-834202, झारखण्ड	17.06.2008	http://www.iujharkhand.edu.in
105	उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, 12 माईल, रांची खुंटी रोड, रा0रा0-95, रांची-835221	20.01.2014	http://www.ushamartinuniversity.com
106	वाईबीएन यूनिवर्सिटी, पंचवटी सॉउथ रेलवे कॉलोनी, रांची-834001, झारखंड	04.07.2017	http://www.ybnuniversity.in
कर्नाटक			
107	अलॉयन्स यूनिवर्सिटी, बंगलूरु, (कर्नाटक)	16.09.2010	http://www.alliance.edu.in
108	अजीम प्रेमजी, यूनिवर्सिटी, 134, दोधकनेली, विप्रो कारपोरेट ऑफिस के बाद, सर्जापुर रोड बैंगलूरु, कर्नाटक	13.10.2010	http://www.azimpremjiuniversity.edu.in
109	सीएमआर विश्वविद्यालय, दूसरा, तीसरा, 'सी' छठा मेन रोड, द्वितीय ब्लॉक, बीआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बंगलूरु-560043, कर्नाटक	16.05.2013	http://www.cmr.edu.in
110	दयानंद सागर विश्वविद्यालय, देवराखागल्ली ग्राम, हरोहल्लाहोबली, कनकपुरा तालुक, रामनगर जिला, कर्नाटक	16.05.2014	http://www.dayanandsagar.edu.in
111	गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी, जीसीसी हॉउस, 340, पांचवा मेन, इंदिरा नगर डबल रोड, 1 स्टेज, इंदिरानगर, बंगलूरु-560038, कर्नाटक	24.06.2013	http://www.gardencityuniversity
112	इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रांस-डिसीप्लिनरी, हैल्थ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, 74/2, जाकरबंद कावल, येलाहांका, वाया अटूर पोस्ट, बंगलूरु-560064, कर्नाटक	26.06.2013	http://www.tdu.in
113	जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जेएसएस टेक्निकल इंस्टीट्यूशन कैम्पस, मैसूर-570006	16.01.2016	http://www.jsstuniv.in
114	केएलई टेक्नॉलॉजिकल यूनिवर्सिटी, वी0वी0 भूमारडी कॉलेज कैम्पस, विद्यानगर, हुबली-580031	04.04.2015	http://www.kletech.ac.in
115	एम0एस0 रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंस, प्रशासनिक ब्लॉक, नई बेल रोड, एमएसआरआईटी पोस्ट, बंगलूरु-560054	09.07.2013	http://www.msruas.ac.in
116	पीईएस यूनिवर्सिटी, सौ फीट रिंग रोड, बीएसके III स्टेज, बंगलूरु-560085, (कर्नाटक)	16.05.2013	http://www.pes.edu
117	प्रेजिडेन्सी विश्वविद्यालय (कर्नाटक), डिब्रूर एवं ईगलपुर ग्राम, हेसाराघाट होबली, बंगलूरु (कर्नाटक)	16.05.2013	http://www.presidencyuniversity.in
118	राय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, दोडाबालापुर नेलमंगलला रोड, एसएच -74, ऑफ हाईवे 207, दोडाबादलापुर तालुक, बंगलूरु - 561204	09.07.2013	http://www.raitechnologyuniversity.in
119	रीवा विश्वविद्यालय, कट्टीगेनहाल्ली, येलहानका, बंगलूरु- 560064	16.05.2013	http://www.reva.edu.in
120	शरणबासव विश्वविद्यालय, कालाबुर्जी (गुलबुर्गी)	29.07.2017	http://sharnbasvauniversity.edu.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
121	श्रीनिवास यूनिवर्सिटी, श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कॉलेज कैम्पस, श्रीनिवास नगर, मुका, सुरथाकल, मंगलोर-574146	20.02.2015	
	मेघालय		
122	सीएमजे यूनिवर्सिटी, शिलोंग (मेघालय)	20.07.2009	http://www.cmjuniversity.edu.in
123	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, पीओ0 अराइमाइल, मेन्दकोलग्रे, तुरा, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय	04.01.2011	http://www.mgu.edu.in
124	मार्टिन लूथर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, के.आई.पी.ए. कांफ्रेस सेंटर, सेन्ट्रल वार्ड, शिलांग-793001	13.07.2005	http://www.mlcuniv.in
125	टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शिलांग पॉलीटेक्निक कैम्पस, मावली, शिलांग-793022	02.12.2008	http://www.technoglobaluniversity.org
126	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, धानकाग्रे पीओ0 अरायमेल, टूरा, वेस्ट गारो हिल्स - 793001	04.11.2009	http://www.iuemeghalaya.edu.in
127	यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मेघालय-793101	02.12.2008	http://www.ustm.ac.in
128	यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेनेजमेंट, शिलांग, मेघालय-793003	27.05.2011	http://www.utm.ac.in
129	विलियम कैरे विश्वविद्यालय, जोराम विला, बोम्पलाइड रोड, शिलांग-793001	13.07.2005	http://www.wcu.co.in
	मिजोरम		
130	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी दूर्तलॉग उत्तरी, आइज़ॉल - 796025	21.03.2006	http://www.iuimizoram.edu.in
	मध्य प्रदेश		
131	आवतिका यूनीवर्सिटी, विश्वनाथपुरम, लेकोड़ा ग्राम, उज्जैई-456006, मध्य प्रदेश	12.01.2017	http://www.avantikauniversity.edu.in
132	ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश-485001	31.12.2011	http://www.aksuniversity.ac.in
133	एआईएसईसीटी विश्वविद्यालय, ग्राम मेडुआ, भोपाल-चिकलोड रोड, तहसील गोहारगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश	30.12.2010	http://www.aisectionuniversity.ac.in
134	एमिटी विश्वविद्यालय, महाराजपुर डांग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474005	30.12.2010	http://www.amity.edu/gwalior
135	डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर देवास बाँयपास रोड ग्राम अरांडिया, पोस्ट झालारिया, मध्य प्रदेश-452016	04-01-2016	http://www.aud.ac.in
136	जीएच रायसोनी यूनिवर्सिटी, छिन्दवाडा, मध्य प्रदेश	27.08.2016	http://www.ghru.edu.in
137	आईटीएम विश्वविद्यालय, आईटीएम कैम्पस, सिधोली रेलवे स्टेशन के सामने, एनएच-75, झांसी रोड, ग्वालियर - 474001	04.05.2011	http://www.itmuniversity.ac.in
138	जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत मुगालिया छाप, तहसील हुजूर, भोपाल-462044	24.04.2013	http://www.jlu.edu.in
139	जेपी अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एबी रोड, रघोगढ़, जिला गुना-473226	13.08.2010	http://www.juet.ac.in
140	एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, जेके टारुन, सर्वधर्म सी सैक्टर, कोलार रोड, भोपाल-462042	08.01.2015	http://www.lnctu.ac.in
141	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर-482001	29.11.1995	http://www.mmyvv.com
142	मालवंचल विश्वविद्यालय इंडेक्स सिटी, एनएच -59ए नीमवार रोड, खुदेल के निकट, इंदौर जिला 452016	04.01.2016	http://www.malwanchaluniversity.com
143	मंदसौर विश्वविद्यालय, रेवास देवड़ा रोड एसएच-31, मंदसौर-458001	19.08.2015	http://www.mandsauruniversity.edu.in
144	मेडि-कैप्स यूनिवर्सिटी, ए0बी0रोड, पिग्दाम्बर, राव, इंदौर-453331	22.07.2015	http://www.medicaps.ac.in
145	ओरियन्टल यूनिवर्सिटी, रेवती रेंज गेट न0 1 के सामने, सानवर रोड, पोस्ट बॉक्स 311, विजय नगर डाक घर, इंदौर-452010	04.05.2011	http://www.orientaluniversity.in
146	पीपल्स यूनिवर्सिटी, भानपुर, भोपाल - 462037	04.05.2011	http://www.peopleuniversity.edu.in
147	पीके यूनिवर्सिटी, ग्राम थानारा, तहसील-कारेरा, रा0रा0-27, शिवपुरी, जिला-शिवपुरी-473551	19.08.2015	http://www.pkuniversity.edu.in
148	आरकेडीएफ विश्वविद्यालय, बाय-पास रोड, आरजीपीसी परिसर के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश	19.07.2011	http://www.rkdf.ac.in
149	सेज यूनीवर्सिटी, कालौड करताल, इंदौर, देवास बाईपास, रोड, राउ, इंदौर-452020, मध्य प्रदेश	24.08.2017	http://sageuniversity.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
150	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, रा0रा0-12, होशंगाबाद रोड, जटखेड़ी, भोपाल, मध्य प्रदेश	08.01.2015	http://www.srku.edu.in
151	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, सांवर रोड, इंदौर-453111	08.01.2015	http://www.svvv.edu.in
152	श्री सत्य साई प्रौद्योगिकी तथा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, भोपाल-इंदौर रोड, पचामा ऑयल फेड प्लांट के सामने, पचामा, सेहोर-466001	12.02.2014	http://www.ssutms.co.in
153	स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश	31.12.2011	http://www.svnuniversity.ac.in
154	सिम्बायसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लॉइड साईंस, बड़ा बगड़ा सुपर कारीडोर, इन्दौर-452001	27.08.2016	http://www.suas.ac.in
155	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय, लातेरी रोड, सिरोंज (गोशाला के निकट) जिला- विदिशा, मध्य प्रदेश-464228	09.01.2013	http://www.technoglobaluniversity.com
156	वीआईटी भोपाल यूनीवर्सिटी, भोपाल इंदौर नेशनल हाईवे, कोथरीकलां, सेहोर-466144, मध्य प्रदेश	24.08.2017	http://www.vitbhopal.ac.in
महाराष्ट्र			
157	अजीन्ध्या डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय, चारहोली भद्रक, वाया लोहेगांव, पुणे-412105	25.02.2015	http://www.adypu.edu.in
158	एमिटी युनिवर्सिटी, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, भाटन, पोस्ट-सोमाथने, पनवेल, मुंबई, महाराष्ट्र-410206	25.07.2014	http://www.amity.edu/mumbai
159	डॉ० विश्वनाथ कराड एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनीवर्सिटी, एस0 नम्बर 124, पौड रोड, कोथरुड, पुणे-411038, महाराष्ट्र	05.06.2017	http://www.mitwpu.edu.in
160	फ्लेम यूनिवर्सिटी, गेट न0 1270, ग्राम लावाल, तालुक मुल्शी, पुणे-411042	13.02.2015	http://www.flame.edu.in
161	एमआईटी आर्ट्स डिजाइन एण्ड टेक्नॉलाजी यूनिवर्सिटी, राजबाग, हदाप्सर लोनी कालभर से अगला, पुणे-412201	13.10.2015	http://www.mituniversity.edu.in
162	संदीप यूनिवर्सिटी त्रियम्बक रोड, महिरावाणी, नासिक, महाराष्ट्र	09.10.2015	http://www.sandipuniversity.com
163	स्पाइसर एडवेंट यूनिवर्सिटी, औंध रोड, गंदशिखंद, पोस्ट, पुणे-411004, महाराष्ट्र	25.07.2014	
164	सिम्बायसिस स्कूल एंड ओपन यूनीवर्सिटी, ग्राम किवाले, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ, ताल हावले, पुणे- 412101, महाराष्ट्र	05.05.2017	http://www. www.ssou.ac.in
165	संजय घोड़ावट यूनीवर्सिटी, ए/पी- अटिगरे,- 416118, हटांनानगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	13.07.2017	http://www.sanjayghodawatuniversity.ac.in
166	विश्वकर्मा यूनीवर्सिटी, सर्वे नम्बर 2,3,4, लक्ष्मीनगर, कोंधावा, बुदरुक, पुणे-411048, महाराष्ट्र	05.05.2017	http://www.vupune.ac.in
मणिपुर			
167	सांगाई इंटरनेशनल यूनीवर्सिटी, चूराचांदपुर, मणिपुर	05.05.2015	http://www.sangaiinternationaluniversity.com
नागालैण्ड			
168	सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी, विर्जिनटॉउन खेखियो जिमोमी रोड, इकीशे मॉडल कालेज, पीएस-दिप्पुपुर, दीमापुर-797115	18.09.2006	http://www.stjosephuniversity.org
169	द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, वोखा - 797111	18.09.2006	http://www.nagaland.net.in
170	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, छठा माइल, सोविमा ग्राम, कोहिमा रोड, दीमापुर - 797112, नागालैण्ड	04.11.2009	http://www.iunagaland.edu.in
ओडिशा			
171	बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आईडीसीओ प्लॉट नं. 2, इस्टीट्यूशनल एरिया, ग्राम गोथापटना, पी0एस0 चंदाका, भुवनेश्वर-751029	17.02.2016	http://www.bgu.ac.in
172	सॅचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट, विलैज आलूरी नगर, वाया उपालाडा, पारालखमुण्डी - 761221 गजपति, ओडिशा*	27.08.2010	http://www.cutm.ac.in
173	श्री श्री यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, ओडिशा	26.12.2009	http://www.srisriuniversity.edu.in
174	जेवियर विश्वविद्यालय, जेवियर स्कवेयर, भुवनेश्वर, ओडिशा	13.05.2013	http://www.ximbac.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
पंजाब			
175	आदेश विश्वविद्यालय, रा0रा0-7, बरनाला रोड़, भटिंडा, पंजाब	10.07.2012	http://www.adeshuniversity.ac.in
176	अकाल विश्वविद्यालय, तलवंडी साबो-151302, जिला भटिंडा, पंजाब	04.06.2015	
177	सी.टी. युनिवर्सिटी फिरोजपुर, लुधियाना-142024	23.12.2016	http://www.ctuniversity.in
178	चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, धारुवान, मोहाली - 140413	10.07.2012	http://www.chandigarhuniversity.ac.in
179	चितकारा यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़-पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग-64, ग्राम - झांसला, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब - 140401	07.12.2010	http://www.chitkara.edu.in
180	डीएवी विश्वविद्यालय, जालंधर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग -44, गांव-सरमस्तपुर, जालंधर, पंजाब।	18.02.2013	https://www.@davuniversity.org
181	देश भगत विश्वविद्यालय, अमलोह, अमलोह रोड, मण्डी गोबिन्दगढ़, पंजाब	18.02.2013	http://www.deshbhagatuniversity.in
182	जीएनए यूनिवर्सिटी, ग्राम-श्री हरगोबिंदगढ़, फगवाड़ा, जिला कपूरथला-144401	21.08.2014	http://www.gna.edu.in
183	गुरु काशी यूनिवर्सिटी, तलवंडी साबो, जिला - भटिंडा, पंजाब	26.12.2011	http://www.gurukashiuniversity.in
184	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर-लुधियाना जी.टी. रोड़, नियर चेहरू रेलवे ब्रिज, फगवाड़ा, जिला - कपूरथला, पंजाब - 144002	26.12.2005	http://www.lpu.in
185	रायत बाहरा विश्वविद्यालय, वीपीओ - सहौरान, तहसील - खरड़, जिला - मोहाली, पंजाब - 140105	13.08.2014	http://www.rayatbahrauniversity.edu.in
186	आरआईएमटी विश्वविद्यालय, फ्लोटिंग रेस्त्रा के सामने, सिरहन्द साईड, मण्डी गोबिंदगढ़-147301	08.12.2015	http://www.rimt.ac.in
187	संत बाबा भाग सिंह युनिवर्सिटी, ग्राम-खियाला, डाकघर-पंढियाना, जिला जालंधर-144030	12.02.2015	http://www.sbbs.edu.in
188	श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, श्री लालगिधर निवास, फतेहगढ़ साहिब - 140406, पंजाब	15.05.2008	http://www.sggswu.org
189	श्री गुरु राम दास यूनीवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंस, मेहता रोड, वाल्लाह, श्री अमृतसर-143001, पंजाब	17.11.2016	http://www.sgrduhs.in
राजस्थान			
190	एमिटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान, एनएच-11सी, कान्त कालवार, जयपुर-303002	29.03.2008	http://www.amity.edu/jaipur
191	भगवन्त विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नं. 87, सीकर रोड़, अजमेर - 305004	16.04.2008	http://www.bhagwantuniversity.com
192	भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनीवर्सिटी, प्लॉट नम्बर एसआई/आईएनएसटी/001, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जोन, महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी, ऑफ अजमेर रोड, जयपुर- 302037, राजस्थान	30.03.2017	http://www.ruj.bsdu.in
193	भूपल नोबल यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप स्टेशन रोड, सेवाश्रम सर्किल, उदयपुर	05.10.2015	http://www.bnuniversity.ac.in
194	कॅरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान	02.05.2012	http://www.cpur.in
195	डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, प्लॉट-1, आरआईआईसीओ इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-2, नेवाई, जिला टोंक, राजस्थान - 304021	22.04.2010	http://www.dknmu.org
196	गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	25.01.2011	http://www.geetanjaliuniversity.com
197	होम्योपैथी यूनिवर्सिटी, साईपुरा, सांगानेर, जयपुर - 302029	03.04.2010	http://www.homoeopathyuniversity.org
198	आईसीएफआई, विश्वविद्यालय, खसरा नं. 505/1, गांव जामडोली, आगरा रोड़, जयपुर - 302031	23.08.2011	http://www.iujaipur.edu.in
199	आईआईएचएमआर युनिवर्सिटी, 1, प्रभुदयालमार्ग, सांगानेर विमानापत्तन के निकट, जयपुर-302029	26.02.2014	http://www.iihmr.edu.in
200	जेईसीआरसी विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	02.05.2012	http://www.jecrcuniversity.edu.in
201	जे.के. लक्ष्मीपति विश्वविद्यालय, लालिया का वास, पी.ओ. महापुर, अजमेर रोड़, जयपुर - 302026	15.09.2011	http://www.jklu.edu.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
202	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, रा0रा0-12, चाक्सु का बाईपास, टोंक रोड, जयपुर-303901	16.04.2008	http://www.jagannathuniversity.org
203	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जगतपुरा, जयपुर-302017	21.10.2007	http://www.jnujaipur.ac.in
204	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, वेदन्त ज्ञान वैली, ग्राम झरना माहाला, जबनेर, लिंक रोड, एनएच8, जयपुर-303007	21.04.2008	http://www.jvwomensuniv. com
205	जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नारनादी झांवर रोड, जोधपुर - 342001	11.08.2008	http://www.jodhpurnationaluniversity.com
206	माधव विश्वविद्यालय, माधव हिल्स, बनास ब्रिज टॉल के सामने, रा0रा0-14, ग्राम-वादा / भुजेला, पंचायत समिति-भारजा, तहसील-पिंडवाड़ा, अबु रोड, जिला- सिरोंही, राजस्थान-307026	04.03.2014	http://www.madhavuniversity.edu.in
207	महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012	http://www.mvgu.ac.in
208	महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय, मुंदीयारामसर, बिंदयाका औद्योगिक क्षेत्र के समीप, जयपुर-302012	05.10.2015	
209	महात्मा गांधी मेडीकल सांईस एण्ड टेक्नोलॉजी, आरआईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुर, टोंक रोड, जयपुर-302022	15.09.2011	http://www.MGUMST.ORG
210	महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, एसपी-2 और 3, कान्त कालवार, आरआईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, ताला मोड़, एनएच-1, आचरोल, जयपुर	03.02.2009	http://www.mjrpuniversity.com
211	मनीपाल विश्वविद्यालय, वाटिका इनफोटेक यूनिवर्सिटी, जीवीके टोल प्लाजा के निकट, जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस-वे, पोस्ट थिकारा, जयपुर - 302026	15.09.2011	http://www.jaipur.manipal.edu
212	मौलाना आज़ाद युनिवर्सिटी, ग्राम- बुजावाड़, तहसील-लुनी, जोधपुर-342802	16.09.2013	http://www.mauj.ac.in
213	मेवाड़ विश्वविद्यालय, रा0रा0-79, गगरार, चित्तौड़गढ़-312901	22.09.2008	http://www.mewaruniversity.org
214	मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी एंड सांईस, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान	16.09.2013	http://www.modyuniversity.ac.in
215	एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना, राजस्थान	03.04.2010	http://www.niituniversity.in
216	एन.आई.एम.एस. विश्वविद्यालय, शोभानगर, जयपुर - 303001	29.03.2008	http://www.nimsuniversity.org
217	ओपीजेएस विश्वविद्यालय, रावतसर, कुंजीला, तहसील-राजगढ़, जिला-चूरू, राजस्थान	16.09.2013	http://www.opjsuniversity.edu.in
218	पेसेफिक अकादमी ऑफ हॉयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी (पी.ए.एच. ई.आर.) पेसेफिक हिल्स, एयरपोर्ट रोड, प्रतापनगर एक्सटेंशन, उदयपुर-313003	29.04.2010	http://www.pacific-university.ac.in
219	पेसेफिक मेडीकल यूनिवर्सिटी, बिलो का बेडला, बाईपास, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, उदयपुर, राजस्थान-110027	04.03.2014	http://www.pacificmedicaluniversity.ac.in
220	पूर्णिमा विश्वविद्यालय, रामचन्द्रापुर, सीतापुर एक्सटेंशन, जयपुर, राजस्थान	16.05.2012	http://www.poornima.edu.in
221	प्रताप विश्वविद्यालय, सुन्दरपुर, (चांदवाजी) आमरे-दिल्ली-मुम्बई हाइवे, जयपुर, राजस्थान	15.09.2011	http://www.pratapuniversity.in
222	राफेल्स विश्वविद्यालय, जैपनीज जोन, राष्ट्रीय राजमार्ग - 8, नीमराना - 201705, राजस्थान	27.03.2011	http://www.rafflesunivrsity.edu.in
223	आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आरएनबी ग्लोबल सिटी, गंगानगर रोड, बीकानेर-334601, राजस्थान	27.04.2015	http://www.mbglobal.edu.in
224	संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा, राजस्थान	02.05.2012	http://www.sangamuniversity.ac.in
225	श्री तिरुपति यूनिवर्सिटी, अम्बुआ रोड, ग्राम उमराडे, गिरवा, उदयपुर-313015	21.04.2016	http://www.saitirupati.ac.in
226	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल तिब्बरेवाला विश्वविद्यालय, विद्या नगरी, झुंझुनू-चुरू रोड, चुदेला, जिला - झुंझुनू-333001	03.02.2009	http://www.j_jtu.ac.in
227	श्रीधर विश्वविद्यालय, पिलाणी, चिरावा रोड, पिलाणी, राजस्थान - 333031	03.04.2010	http://www.shridharuniversity.ac.in
228	सिंधानिया विश्वविद्यालय, पचेरीबारी, झुंझुनू, राजस्थान-333515	29.03.2008	http://www.singhanianuniversity.co.in
229	सर पदमपत सिंहानिया विश्वविद्यालय, भतेवार, उदयपुर - 313601	29.03.2008	http://www.spsu.ac.in
230	सनराईज विश्वविद्यालय, बागड़ राजपूत, तहसील - रामगढ़, अलवर, राजस्थान	22.09.2011	http://www.sunrise.ac.in
231	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, महल जगतपुर, जयपुर, राजस्थान	21.04.2008	http://www.gyanvihar.org

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
232	तांतिया विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ रोड, श्री गंगानगर-335002	16.09.2013	http://www.tantiauniversity.com
233	यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012	http://www.uem.edu.in
234	यूनीवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी, वाटिका, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान	18.05.2017	http://www.universityoftechnology.edu.in
235	विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सेक्टर - 36, एनआरआई रोड, सीसायावास, जगतपुर, जयपुर - 3030012	02.05.2012	http://www.vgu.ac.in
सिक्किम			
236	इस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, (ईआईआईएलएम) 8वाँ मॉडल मालबासे बुदांग प0 सिक्किम-737121	24.03.2006	http://www.eiilmuniversity.ac.in
237	श्री रामास्वामी मेमोरियल युनिवर्सिटी, पांचवां माईल, तदांग, रानीपूल पीओ, गंगटोक, सिक्किम-737102	16.01.2014	http://www.srmus.ac.in
238	सिक्किम-मनीपाल यूनिवर्सिटी, 5वाँ माइल, पी0ओ0 तदांग, गंगटोक - 737102	11.10.1995	http://www.smu.edu.in
239	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), रांका रोड, लोवर सिचे, गंगटोक	04.10.2004	http://www.iusikkim.edu.in
240	विनायक मिशन सिक्किम यूनिवर्सिटी, प्लॉट न0 438, एन-312, संग फाटक रोड, मिडल तदांग, पी0ओ0 दारागाओरा, तदांग, पूर्वी सिक्किम - 237102	30.07.2008	http://www.vmsu.in
त्रिपुरा			
241	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, अगरतला, (आईसीएफआई) पी0ओ0 कमालघाट अगरतला सिमना रोड, मोहनपुर-799210	31.03.2004	http://www.iutripura.edu.in
उत्तर प्रदेश			
242	एमिटी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	24.03.2005	http://www.amity.edu
243	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, 55 बाबू बनारसी दास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.bbdu.org
244	बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रुहेलखण्ड मेडिकल कॉलेज कैम्पस, पीलीभीत, बाय पास रोड, बरेली-243006	16.09.2016	http://www.biu.edu.in
245	बेनेट यूनिवर्सिटी, प्लॉट नं. 8-11, टैंक जोन II ग्रेटर नोएडा-201301	16.09.2016	http://www.bennett.edu.in
246	इरा यूनिवर्सिटी, सरफराजगंज, हरदोई रोड, लखनऊ-226003	16.09.2016	http://www.erauniversity.in
247	जी.एल.ए. विश्वविद्यालय, 17 कि0मी0 स्टोन, रा0रा0-2, दिल्ली-मथुरा रोड, चौमोहन, मथुरा-281406	01.09.2010	http://www.gla.ac.in
248	गलगोटिया विश्वविद्यालय, प्लॉट नं. 2, सेक्टर-17ए, ग्रेटर नोएडा - 201203, उत्तर प्रदेश	07.04.2011	http://www.galgotiauniversity.edu.in
249	आई.एफ.टी.एम. विश्वविद्यालय, लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड मुरादाबाद - 244102, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.iftmuniversity.ac.in
250	आईआईएमटी यूनिवर्सिटी, गंगा नगर, मवाना रोड, मेरठ-250001	16.09.2016	http://www.iimtu.com
251	इंटीग्रल विश्वविद्यालय, कुर्सी रोड, लखनऊ - 226026 (उत्तर प्रदेश)*	26.02.2004	http://www.integraluniversity.ac.in
252	इनवर्टिस विश्वविद्यालय, इनवर्टिस गांव, बरेली-लखनऊ नेशनल हाइवे-24, बरेली - 243123	01.09.2010	http://www.invertisuniversity.ac.in
253	जगतगुरु रामभद्राचार्य हैण्डिकेप्ड यूनिवर्सिटी, चित्रकूट धाम-210204 (उत्तर प्रदेश)*	06.10.2001	http://www.jrhu.com
254	जेपी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ रोड, अनूप शहर, जिला बुलन्दशहर-203390, उत्तर प्रदेश	04.03.2014	http://www.jaypeeuniversity.ac.in
255	जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	24.06.2015	http://www.jsu.edu.in
256	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202145	30.10.2006	http://www.mangalayatan.in
257	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालाजी, महर्षि बालविद्या मंदिर एवं विश्वविद्यालय परिसर, सीतापुर रोड, पोस्ट धिबुरिया, लखनऊ-226020, उत्तर प्रदेश	24.09.2013	http://www.muit.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
258	मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर, उत्तर प्रदेश	19.06.2006	http://www.jauharuniversity.org
259	मोनाद विश्वविद्यालय, कासमाबाद, पीओ-पिलखुआ, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश-245101	12.10.2010	http://www.monad.edu.in
260	नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, प्लॉट नं. 1, सेक्टर-17ए, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301	12.10.2010	http://www.niu.ac.in
261	रामा विश्वविद्यालय, रामा सिटी, जी0टी0 रोड, मंधाना, कानपुर-209217	10.01.2014	http://www.ramauniversity.ac.in
262	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि0मी0 स्टोन, मथुरा-दिल्ली हाईवे, छत्ता, मथुरा, उत्तर प्रदेश	16.09.2016	http://www.sanskriti.edu.in
263	शारदा यूनिवर्सिटी, प्लॉट नं. 32-34, नॉलेज पार्क-3, ग्रेटर नोएडा-201306	24.03.2009	http://www.sharda.ac.in
264	शिव नाडर यूनिवर्सिटी, दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	06.04.2011	http://www.snu.edu.in
265	शोभित विश्वविद्यालय, आदर्श इंस्टीट्यूशनल एरिया, बाबू विजेन्द्र मार्ग, गंगोह, जिला-सहारनपुर- 247341	05.07.2012	http://www.shobituniversity.ac.in
266	श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, हरदोई, देवा-लखनऊ बाईपास रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश	04.07.2012	http://www.srmu.ac.in
267	श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, रा0रा0-24, राजाबापुर, गजरौला, जे.पी. नगर, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.svu.edu.in
268	स्वामी विवेकानन्द सुभारती यूनिवर्सिटी, दिल्ली-हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश	05.09.2008	http://www.subharti.org
269	तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी, रा0रा0-24, दिल्ली रोड, मुरादाबाद-244001	05.09.2008	http://www.tmu.ac.in
270	दि ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, मिजापुर पोल, तहसील - बेहट, सहारनपुर - 247001	05.07.2012	http://www.glocaluniversity.edu.in
उत्तराखण्ड			
271	भगवन्त ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गांव एवं पोस्ट- उत्तरी जांदा चौड़, तहसील-कोटद्वार, जिला- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड- 246149	19.12.2016	http://www.bgukotdwar.ac.in
272	देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्रीकुंज, शक्तिकुंज, हरिद्वार - 249411	22.01.2002	http://www.dsvv.ac.in
273	डीआईटी विश्वविद्यालय, मंसूरी डायवर्जन रोड, देहरादून-248009	15.02.2013	http://www.dituniversity.edu.in
274	ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, 600, बेल रोड, क्लेमेट हाउस, देहरादून - 248002	28.04.2011	http://www.gehu.ac.in
275	हिमालयन गढ़वाल यूनीवर्सिटी धैड़ गांव, पोखरा, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	07.12.2016	http://www.hgu.ac.in
276	हिमगिरी जी विश्वविद्यालय, शीशमबाड़ा, पीओ-शेरपुर, वाया शहसपुर, देहरादून - 248197	11.07.2003	http://www.himgirizeeuniversity.edu.in
277	आईएमएस यूनिनस यूनिवर्सिटी, माकवाला ग्रीन्स, मंसूरी डायवर्जन रोड, देहरादून - 248009	15.02.2013	http://www.iuu.ac
278	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया (आई.सी.एफ.ए. आई.), राजबाला रोड, सेंट्रल होप टॉउन सेलाक्वी, देहरादून - 248197	10.07.2003	http://www.iuuttarakhand.edu.in
279	मदरहुड विश्वविद्यालय, ग्राम-कारोन्दी, पोस्ट-भगवानपुर, रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड	19.01.2015	http://www.motherhooduniversity.edu.in/
280	क्वैंटम यूनीवर्सिटी, मंदवार (22 किलोमीटर माइलस्टोन), रुणकी,- देहरादून हाईवे (रा0रा0-73), रुणकी,- 247167, उत्तराखंड	07.04.2017	http://www.quantumuniversity.edu.in
281	रास बिहारी बोस सुभारती यूनीवर्सिटी, सुभारतीपुरम, कोटदा संतौर, आमवाला रोड, पीओ- चंदनवाड़ी, नंदा की चौकी, प्रेम नगर, देहरादून-248007, उत्तराखंड	08.12.2016	http://www.rbbsu.edu.in
282	श्री गुरु राम राय यूनीवर्सिटी, पटेल नगर, देहरादून, उत्तराखंड	07.04.2017	http://www.sgrr.ac.in
283	स्वामी रामा हिमालय विश्वविद्यालय, स्वामी राम नगर, जौली ग्रांट, डाकघर-दोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	12.03.2013	http://www.srhuedu.in
284	पंतजलि विश्वविद्यालय, पंतजलि योगपीठ, हरिद्वार	05.04.2006	http://www.universityofpatanjali.com
285	यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी स्टडीज, बिधोली कैम्पस एनर्जी एकड़, पी0ओ0 डिडोली, देहरादून - 284006	10.07.2003	http://www.upes.ac.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
286	उत्तरांचल विश्वविद्यालय, अरकाडिया ग्रांट, डाकघर चदनवाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून-248007	15.02.2013	http://www.uttranchaluniversity.ac.in
पश्चिम बंगाल			
287	एडमेस युनिवर्सिटी, बारासात, बाराकपोर रोड, बारबेरिया, पीओ जगन्नाथपुर, थाना बारासात, कोलकाता-700126	11.04.2014	http://www.au.edu.et
288	एमिटी विश्वविद्यालय, राजारहाट, न्यू टॉऊन, जिला उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	21.01.2015	http://www.amity.edu/kolkata/
289	ब्रेनवेयर विश्वविद्यालय, 398 रामकृष्ण पुर रोड, कोलकाता-700124	24.02.2016	http://www.brainwareuniversity.ac.in/
290	जेआईएस युनिवर्सिटी, अगरपारा, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल	03.02.2015	http://www.jisuniversity.ac.in
291	सीकॉम स्किल युनिवर्सिटी, ग्राम केन्द्राडांगा, डाकघर-सातोर, थाना-पानरुई, जिला-बीरभूम-731236		http://www.seacomskillsuniversity.org
292	सेंट जेवियर्स यूनीवर्सिटी, भवन संख्या IIIबी-1, प्लॉट नम्बर IIIबी/1, एक्शन एरिया IIIबी, पीएस न्यू टाउन, कोलकाता- 700156	16.01.2017	http://www.sxuk.edu.in
293	टेक्नो इंडिया युनिवर्सिटी, ईएम-4, सेक्टर-ट, सॉल्ट लेक, कोलकाता-700091	16.08.2012	https://www.technoindiauniversity.ac.in
294	द नियोतिया यूनिवर्सिटी, झिंगा सरिसा, डीएच रोड, जिला 24 परगना (द0) पश्चिम बंगाल-740068	03.02.2015	http://www.tnu.in
295	युनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट, युनिवर्सिटी एरिया, प्लॉट नम्बर III-बी/5, मेन आर्टिरियल रोड (पूर्व-पश्चिम), न्यू टॉऊन एक्शन एरिया-III, कोलकाता-700156	03.02.2015	http://www.uem.edu.in

तालिका 2.1(i) (ड) (iv): दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संस्थान

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्रदान करने का वर्ष	वेबसाइट
बिहार			
1	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1992	www.igims.org
जम्मू और कश्मीर			
2	शेरे-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1990	http://www.skmis.nic.in
उत्तर प्रदेश			
3	संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1983	http://www.sgpqi.ac.in

तालिका 2.1(i) (ड) (v): दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार सम विश्वविद्यालय संस्थानों की सूची
 (* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालय)

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्रदान करने का वर्ष	वेबसाइट
आन्ध्र प्रदेश			
1	गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट (जी.आई.टी.ए.एम.), गांधी नगर कैम्पस, रशिकोन्डा, विशाखापत्तनम-530045, आंध्र प्रदेश*	13.08.2007	http://www.gitam.edu
2	कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, ग्रीन फील्ड्स, कुन्चानापल्ली पोस्ट वाडेशवरम्, जिला गुन्टूर, आंध्र प्रदेश-522002	20.02.2009	http://www.kluniversity.edu.in
3	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति-517507	16.11.1987	http://www.rsvidyapeetha.ac.in
4	श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर लर्निंग, प्रशांतनिलयम्-515134, जिला अनन्तापुर, आंध्र प्रदेश*	10.11.1981	http://www.sssihl.edu.in
5	विगनान्स फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च, वाडलामुडी, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश-522313	19.12.2008	http://www.vignanuniversity.org

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्रदान करने का वर्ष	वेबसाइट
	अरुणाचल प्रदेश		
6	नार्थ इस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, निरजुली, ईटानगर, जिला-पापुम पारे-791109, अरुणाचल प्रदेश	31.05.2005	http://www.nerist.ac.in
	बिहार		
7	नव नालान्दा महाविहार, नालान्दा-803111 (बिहार)	13.11.2006	http://www.navanalandamahavihara.org
	गुजरात		
8	गुजरात विद्यापीठ, डाकघर नवजीवन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद-380014, गुजरात*	16.07.1963	http://www.gujaratvidyapith.ac.in
9	सुमनदीप विद्यापीठ, ग्राम पिपरिया, तालुक वागहोदिया, जिला वडोदरा, गुजरात	17.01.2007	http://www.sumandeepuniversity.co.in
	हरियाणा		
10	लिंगाया यूनिवर्सिटी, नाचौली, पुराना फरीदाबाद-जासना रोड, फरीदाबाद-121002, हरियाणा	05.01.2009	http://www.lingayasuniversity.edu.in
11	महर्षि मार्केण्डेय एजुकेशन ट्रस्ट, मुलाना, अम्बाला, हरियाणा-133003	12.06.2007	http://www.mmumullana.org
12	मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, फरीदाबाद, हरियाणा-121001	21.10.2008	http://www.mriu.edu.in
13	नेशनल ब्रेन रिसर्च सेन्टर, गुडगाँव, हरियाणा-122050	20.05.2002	http://www.nbrc.ac.in
14	नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल-132001, हरियाणा	28.03.1989	http://www.ndri.res.in
15	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एन्टरप्रिनीयोरशिप एण्ड मैनेजमेन्ट (एनआईएफटीईएम) प्लॉट नम्बर 97, सेक्टर 56, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, कुन्डली, जिला सोनीपत, हरियाणा	08.05.2012	http://www.niftem.ac.in
	झारखण्ड		
16	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, राँची-835215, झारखण्ड	28.08.1986	http://www.bitmesra.ac.in
	जम्मू और कश्मीर		
17	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, चोगलामसार, लेह (लद्दाख), जम्मू और कश्मीर	15.01.2016	http://www.cibs.ac.in/
	कर्नाटक		
18	बी.एल.डी.ई. बीजापुर, कर्नाटक	29.02.2008	http://www.bldeuniversity.ac.in
19	क्रॉइस्ट यूनिवर्सिटी, होसूर रोड, बंगलुरु-560029	22.07.2008	http://www.christuniversity.in
20	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु-560012, कर्नाटक*	12.05.1958	http://www.iisc.ernet.in
21	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, 26/सी, इन्फोसिस (द्वार सं०-1) के सामने, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, होसूर रोड, बंगलुरु-560100	28.02.2005	http://www.iiitb.ac.in
22	जेएसएस अकादमी ऑफ हॉयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, जगतगुरु डॉ० श्री शिवरातरी राजेन्द्र सर्कल, रामानुजा रोड, मैसूर-570004	28.05.2008	http://www.jssuni.edu.in
23	जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस् साइंटिफिक रिसर्च, जाकुर कैम्पस, जाकुर, बंगलुरु-560064	17.08.2002	http://www.jncasr.ac.in
24	जैन यूनिवर्सिटी, जैन ग्लोबल कैम्पस, 45वां कि०मी०, रा०रा०-209, झांकासांदरा डाकघर कनकपुरा, तालुक रामनगर जिला-562112	19.12.2008	http://www.jainuniversity.ac.in
25	के.एल.ई. अकादमी ऑफ हॉयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, जे०एन० मेडीकल कॉलेज कैम्पस, बेलगाम (कर्नाटक)-590010	13.04.2006	http://www.kleuniversity.edu.in
26	मनीपाल अकादमी ऑफ हॉयर एजुकेशन, माधव नगर, मनीपाल-576104	01.06.1993	http://www.manipal.edu
27	एन.आई.टी.टी.ई. देरालकट्टे, मंगलोर-575018	04.06.2008	http://www.nitte.edu.in
28	श्री देवराज अर्स अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, बीएच रोड, तमाका, कोलार -563101	25.05.2007	http://www.sduu.ac.in
29	श्री सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हॉयर एजुकेशन, जिला तुमकुर-572 102, कर्नाटक	30.05.2008	http://www.sahetumkur.ac.in
30	स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, संख्या-9, अपाजप्पा, अग्रहारा, चमाराजपेट, बंगलुरु-560018, कर्नाटक*	08.05.2002	http://www.svyasa.org
31	येनपोया देरालकट्टे, मंगलोर, कर्नाटक-575018	27.02.2008	http://www.yenepoya.edu.morg

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्रदान करने का वर्ष	वेबसाइट
केरल			
32	चिन्मया विश्वविद्यापीठ, आदि शंकरा निलायाम वेलीयानाड, एर्नाकुलम-692313		http://www.chinmayauniversity.ac.in
33	केरल कलामण्डलम, वालाथोल नगर, चेरुथुरुथि-679531, वाया थ्रिसूर, केरल*	14.03.2006	http://www.kalamandalam.org
34	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुअनन्तापुरम, केरल-695547	03.07.2008	http://www.iist.ac.in
मध्य प्रदेश			
34	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शक्ति नगर, ग्वालियर-474002	21.09.1995	http://www.lnipe.gov.in
महाराष्ट्र			
36	भारती विद्यापीठ, भारती विद्यापीठ भवन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पुणे, महाराष्ट्र-412105*	26.04.1996	http://www.bvuniversity.edu.in
37	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, फिशरीज यूनिवर्सिटी रोड, 7, बंगलो, अंधेरी वेस्ट, मुंबई-400061	27.03.1989	http://www.cife.edu.in
38	डी. वाई. पाटिल एजुकेशनल सोसायटी, लेन बाजार, कासाबा, कोल्हापुर-416006, (महाराष्ट्र)	31.05.2005	http://www.dypatilunikop.org
39	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वांगी (मेघे) वर्धा-442004	24.05.2005	http://www.dmimsu.edu.in
40	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे-411006	05.03.1990	http://www.deccancollegepune.ac.in
41	डॉ० डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, संत तुकाराम नगर, पिम्परी, पुणे-411018	11.01.2003	http://www.dpu.edu.in
42	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स, बीएमसी कालेज रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे -411004	07.05.1993	http://www.gipe.ac.in
43	होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, पंजीकृत कार्यालय: नालेज मेनेजमेन्ट ग्रुप, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, सेंट्रल काम्पलेक्स, मुंबई-400085	03.06.2005	http://www.hbni.ac.in
44	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, जनरल वैद्य मार्ग, संतोश नगर, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई-400065, महाराष्ट्र	05.12.1995	http://www.igidr.ac.in
45	डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (इंस्टीट्यूट ऑफ आर्माइन्ट टेक्नोलॉजी), गिरीनार, पुणे-411025	10.09.1999	http://www.diat.ac.in
46	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, गोवाण्डी स्टेशन रोड, देवनार, मुंबई-400088	31.07.1985	http://www.iipsindia.org
47	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नाथालाल पारेख मार्ग, माटुंगा, मुंबई महाराष्ट्र-400019*	12.09.2008	http://www.ictmumbai.edu.in
48	कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मलका पुर, कराड, जिला सतारा (महाराष्ट्र)	24.05.2005	http://www.kimsuniversity.in
49	एम.जी.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, एमजीएम कैम्पस, सेक्टर-18, कामोटे, नवी मुंबई-410209	30-08-2006	http://www.mgmuh.com
50	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वीएल मेहता रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई-400056	13.01.2003	http://www.nmims.edu
51	पदमश्री डॉ० डी.वाई पाटिल विद्यापीठ, विद्यानगर, सेक्टर-7, नेरूल, नवी मुंबई-400706, महाराष्ट्र	20.06.2002	http://www.dypatil.ac.in
52	प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डाकघर लोनी, बीके-413736, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	29.09.2003	http://www.pravara.com
53	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल ग्राम लावाले, तहसील मुल्शी, जिला, पुणे-412115	06.05.2002	http://www.symbiosis.ac.in
54	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, होमी भाभा रोड, मुंबई-400005	07.05.2002	http://www.tifr.ac.in
55	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, वीएन पूर्व मार्ग, देवनार, मुंबई-400088	29.04.1964	http://www.tiss.edu
56	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, विद्यापीठ भवन, गुलटेकडी, पुणे-411037	28.04.1987	http://www.tmv.edu.in

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्रदान करने का वर्ष	वेबसाइट
ओडिशा			
57	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, एटी/पीओ केआईआईटी पाटीया, खुरदा, भुवनेश्वर-751024, ओडिशा*	26.06.2002	http://www.kiit.ac.in
58	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, भुवनेश्वर, ओडिशा	25.08.2017	
59	शिक्षा "ओ" अनुसंधान, भुवनेश्वर, जे-15, खंदागिरी, भुवनेश्वर, ओडिशा-751030	17.07.2007	http://www.soauniversity.ac.in
पंजाब			
60	संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (एस.एल.आई.ई. टी.), लोंगोवाल, जिला संगरूर-148106	10.04.2007	http://www.sliet.ac.in
61	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, थापर टेक्नोलॉजी कैम्पस, भाडसन रोड, पटियाला-147004	30.12.1985	http://www.thapar.edu
राजस्थान			
62	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली-304022	25.10.1983	http://www.banasthali.org
63	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी-333031	27.06.1964	http://www.bits-pilani.ac.in
64	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, गांधी विद्यामंदिर, सरदार शहर-331401, जिला चूरू, राजस्थान	25.06.2002	http://www.iaseuniversity.org.in
65	आई.आई.एस. गुरुकुल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान-302020*	02.02.2009	http://www.iisuniv.ac.in
66	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, पोस्ट बाक्स नम्बर 6, लान्दनू नागौर-341306, राजस्थान	20.03.1991	http://www.jvbi.ac.in
67	जर्नादन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ, प्रतापनगर, उदयपुर-331401	12.01.1987	http://www.jrnrvu.org
68	एल.एन.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्राम-रूपा की नागल, पोस्ट-सुमेल, बारास्ता कानोटा, जिला-जयपुर-303012	03.02.2006	http://www.lnmiit.ac.in
तमिलनाडु			
69	अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, 135, ईस्ट कोस्ट रोड, कानाथूर, चेन्नई-603113	21.08.2007	http://www.ametuniv.ac.in
70	अमृत विश्व विद्यापीठम्, एतीमादाई पोस्ट, कोयम्बटूर-641112	13.01.2003	http://www.amrita.edu
71	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हॉयर एजुकेशन फॉर वीमेन, भारती पार्क रोड, कोयम्बटूर-641043, तमिलनाडु*	08.06.1988	http://www.avinashilingam.edu
72	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, 173, अग्रहरम रोड, सेलयुर, चेन्नई-600073	04.07.2002	http://www.bharathuniv.com
73	बी.एस. अब्दुर रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, वान्डालुर, चेन्नई, तमिलनाडु-600048	16.12.2008	http://www.bsauniv.ac.in
74	चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, प्लॉट एच-1, एसआईपीसीओटी आईटी पार्क, पादुर पोस्ट, सिरयूसेरी-603103, चेन्नई (तमिलनाडु)	15.12.2006	http://www.cmi.ac.in
75	चेतिनाड अकादमी ऑफ रिसर्च एण्ड एजुकेशन (के.ए.आर.ई.), पादुर, केलाम्बक्कम, जिला काँचीपुरम तमिलनाडु	04.08.2008	http://www.chettinadhealthcity.com
76	गाँधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गाँधीग्राम, डिन्डीगुल-624302*	03.08.1976	http://www.ruraluniv.ac.in
77	हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस (हिट्स), पादुर, पुराना महाबलीपुरम रोड, केलम्बालम चेन्नई-603103	05.05.2008	http://www.hindustanuniv.ac.in
78	कैलाशलिंगम अकादमी ऑफ रिसर्च एण्ड हॉयर एजुकेशन, आनन्द नगर, कृष्णकोईल, विरुद्धनगर-626190, बारास्ता श्रीविलिपुत्तूर तमिलनाडु	20.10.2006	http://www.kalasalingam.ac.in
79	कारुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, कारुण्या नगर, कोयम्बटूर-641114	23.06.2004	http://www.karunya.edu
80	करपागम आकदमी ऑफ हायर एजुकेशन, पोलाच्ची मुख्य मार्ग, कोयम्बटूर तमिलनाडु	25.08.2008	http://www.karpagamuniv.com
81	एमजीआर एजुकेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पेरियार ईवीआर सेलाई (राष्ट्रीय राजमार्ग 4) माधुरावोयल, चेन्नई-600095	21.01.2003	http://www.drmgrdu.ac.in
82	मीनाक्षी अकादमी ऑफ हॉयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, संख्या 12, वेम्बूली अम्मन कोईल मार्ग, पश्चिम के0के0 नगर, चेन्नई-600078	31.03.2004	http://www.maher.ac.in
83	नूरुल इस्लाम सेंटर फॉर हॉयर एजुकेशन, कुमाराकोईल, थुकालाले, जिला कन्याकुमारी, तमिलनाडु -629175	08.12.2008	http://www.niuniv.com

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्रदान करने का वर्ष	वेबसाइट
84	पेरियार मनिअमाई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (पीएमआईएसटी), पेरियार नगर, वालाम, थंजावुर-613403	17.08.2007	http://www.pmu.edu
85	पुनैया रामाज्यम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (पीआरआईएसटी), यगप्पा चावाडी, थंजावुर-614904	04.01.2008	http://www.prist.ac.in
86	एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, एसआरएम नगर, कटांगकुलाथुर-603203, कांचीपुरम् जिला (तमिलनाडु)	02.08.2002	http://www.srmuniv.ac.in
87	सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, जपीयार नगर, पुराना मामलपुरम मार्ग, चेन्नई-600119	16.07.2001	http://www.sathyabamauniv.ac.in
88	सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड टेक्निकल साइंसेज, पोस्ट बाक्स नम्बर 6, संख्या 162, पोन्नमाले हाई रोड, वेलापापन्चवडी, चेन्नई-6000077	18.03.2005	http://www.saveetha.com
89	शणमुघ आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च अकादमी (शास्त्र), तिरुमलाई, समुद्रम, तंजावुर-613401	26.04.2001	http://www.sastra.edu
90	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, श्री जयेन्द्र सरस्वती स्ट्रीट, एनाथुर, कांचीपुरम-631561	26.05.1993	http://www.kanchiuniv.ac.in
91	श्री रामचन्द्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1, रामचन्द्र नगर, चेन्नई-600116	29.09.1994	http://www.sriramachandra.edu.in
92	सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, अवाडी, चेन्नई-600054	26.05.2008	http://www.stpetersuniversity.org
93	वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी एण्ड एडवान्सड स्टडीज(विस्टास), पालवरम्, चेन्नई, तमिलनाडु-600117	04.06.2008	http://www.velsuniv.ac.in
94	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर-632014	19.06.2001	http://www.vit.ac.in
95	विनायक मिशन रिसर्च फाउन्डेशन, शंकर मणि रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 47, अरियानूर नगर, सलेम-636308	01.03.2001	http://www.vinayakamission.com
96	वेलटेक रंगाराजन डॉ० शगुन्थला आर. एण्ड डी. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई तमिलनाडु-600062	15.10.2008	http://www.veltechuniv.edu.in
तेलंगाना			
97	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्वे नं० 25, गाजीबाऊली, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद-500032	21.08.2001	http://www.iiit.ac.in
98	आईसीएफआई फाउंडेशन फार हायर एजुकेशन, दोंतादपल्ली, शंकरपल्ली रोड, हैदराबाद-501203, तेलंगाना	16.12.2008	http://www.ifheindia.org
उत्तर प्रदेश			
99	सैम हिग्नितोम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, डाकघर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद-211007	15.03.2000	http://www.shiats.edu.in
100	भारतखण्ड संगीत संस्थान, 1 कैसर बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001	24.10.2000	http://www.bhatkhandemusic.edu.in
101	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिक्न स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी-221007, उत्तर प्रदेश	05.04.1988	http://www.cihts.ac.in
102	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा-282005 *	16.05.1981	http://www.dei.ac.in
103	इंडियन वेटिनेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर-243122	16.11.1983	http://www.ivri.res.in
104	जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, ए-10, सेक्टर-62, नोएडा-201307	01.11.2004	http://www.jiit.ac.in
105	नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, कोटवा-जमुनीपुर, धुबवली, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	27.06.2008	http://www.ngbu.edu.in
106	शोबित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, धुलेरा मार्ग, रुड़की रोड, मेरठ-250010	08.11.2006	http://www.shobhituniversity.ac.in
107	संतोष विश्वविद्यालय, 1, संतोष नगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201009	13.06.2007	http://www.santoshuniversity.com
उत्तराखण्ड			
108	फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, डाकघर न्यू फारेस्ट, देहरादून-248006	28.11.1991	http://www.icfre.org
109	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार-249404	19.06.1962	http://www.gkv.ac.in
110	ग्रॉफिक एरा, 566/6, बेल रोड, कलेमेन्ट टाऊन, देहरादून उत्तराखण्ड	14.08.2008	http://www.gehu.ac.in

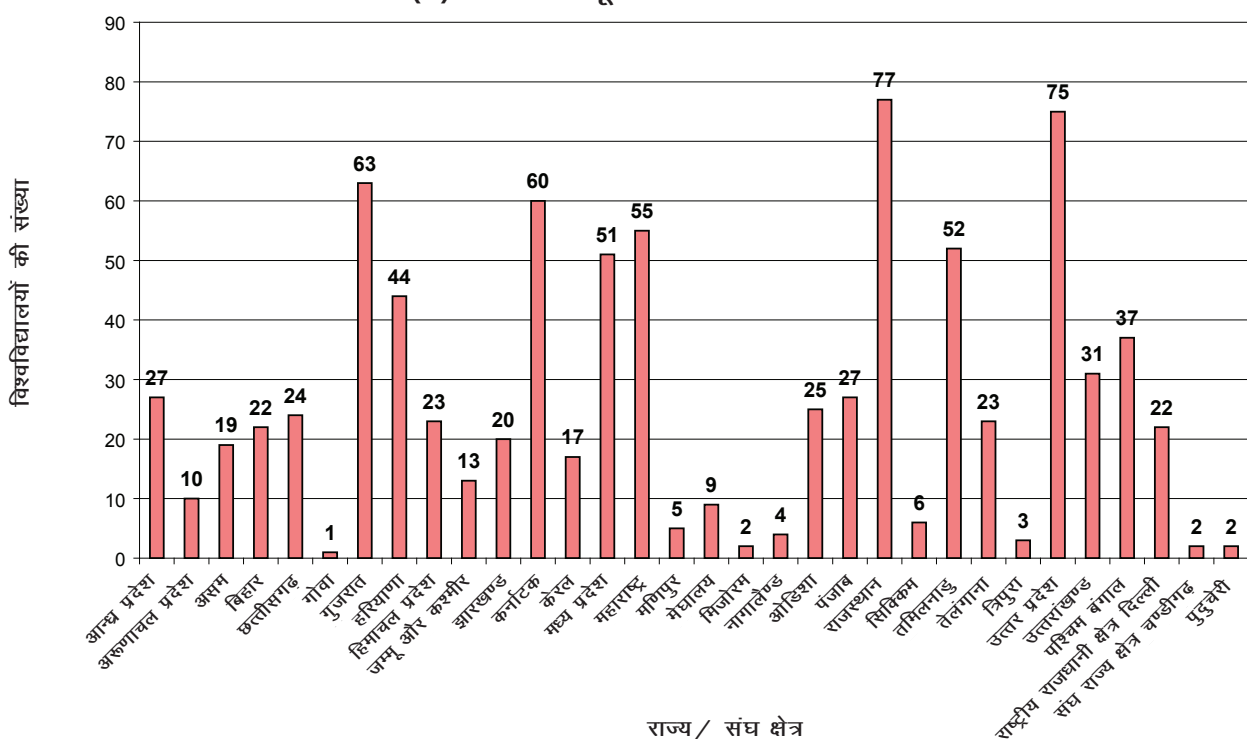
क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्रदान करने का वर्ष	वेबसाइट
	पश्चिम बंगाल		
111	रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द एजुकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, डाकघर बेलूर मठ, जिला हावड़ा-711202, पश्चिम बंगाल *	05.01.2005	http://www.rkmvu.ac.in
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली		
112	इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा इंस्टीट्यूट, पूसा, नई दिल्ली-110012	22.08.1958	http://www.iari.res.in
113	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, बी-21, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016	20.05.2002	http://www.iift.edu
114	इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001	29.10.2004	http://www.ili.ac.in
115	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एण्ड बाइलियरी साइंसेज (आईएलबीएस), डी-1, वसंत कुन्ज, नई दिल्ली-110070	10.07.2009	http://www.ilbs.in
116	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली-110062 *	10.05.1989	http://www.jamiahamdard.edu
117	नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, कन्जर्वेशन एण्ड म्यूजिकोलॉजी, नेशनल म्यूजियम, जनपथ, नई दिल्ली-110011	28.04.1989	http://www.nmi.gov.in
118	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, 17-बी, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110016	11.08.2006	http://www.nuepa.org
119	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 56/57, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	07.05.2002	http://www.sanskrit.nic.in
120	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016 *	16.11.1987	http://www.slbsrsv.ac.in
121	टी.ई.आर.आई. स्कूल ऑफ एडवॉन्स स्टडीज, दरबारी सेठ ब्लॉक, हैबीटेड प्लेस, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	05.10.1999	http://www.teriuniversity.ac.in
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र चण्डीगढ़		
122	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, सेक्टर-12, चण्डीगढ़-160012	16.10.2003	http://www.pec.ac.in
	पुदुचेरी		
123	श्री बालाजी विद्यापीठ, महात्मा गांधी मेडीकल कालेज कैम्पस, पान्डी-कुडालोर मेन रोड, पिल्लैयार्ककुप्पम, पुदुचेरी-607402	04.08.2008	http://www.sbvuniversity.com

तालिका 2.2(i) (च): दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या						धारा 12 (ख) के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालयों की कुल संख्या		
		कुल	केन्द्रीय	राज्य	निजी	सम	राज्य विधान मंडल के अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान	राज्य	निजी	सम
1	आन्ध्र प्रदेश	27	-	20	2	5		13		2
2	अरुणाचल प्रदेश	10	1	-	8	1		-		
3	असम	19	2	12	5	-		4	1	
4	बिहार	22	3	15	2	1	1	11		-
5	छत्तीसगढ़	24	1	14	9	-		4		-
6	गोवा	1	-	1	-	-		1		-
7	गुजरात	63	1	28	32	2		12		1
8	हरियाणा	44	1	16	21	6		11	1	
9	हिमाचल प्रदेश	23	1	5	17	-		3		-
10	जम्मू और कश्मीर	13	2	9	-	1	1	6		-
11	झारखण्ड	20	1	8	10	1		4		-
12	कर्नाटक	60	1	30	15	14		16		2
13	केरल	17	1	13	-	3		9		1

क्र. सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या						धारा 12 (ख) के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालयों की कुल संख्या		
		कुल	केन्द्रीय	राज्य	निजी	सम	राज्य विधान मंडल के अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान	राज्य	निजी	सम
14	मध्य प्रदेश	51	2	22	26	1		12		-
15	महाराष्ट्र	55	1	23	10	21		17		2
16	मणिपुर	5	2	2	1	-		-		-
17	मेघालय	9	1	-	8	-		-		-
18	मिजोरम	2	1	-	1	-		-		-
19	नागालैण्ड	4	1	-	3	-		-		-
20	ओडिशा	25	1	17	4	3		10	1	1
21	पंजाब	27	1	9	15	2		7		-
22	राजस्थान	77	1	23	46	7		11		1
23	सिक्किम	6	1	-	5	-		-		-
24	तमिलनाडु	52	2	22	-	28		19		2
25	तेलंगाना	23	3	18	-	2		11		-
26	त्रिपुरा	3	1	1	1	-		-		-
27	उत्तर प्रदेश	75	6	30	29	9	1	17	2	1
28	उत्तराखण्ड	31	1	11	16	3		3		-
29	पश्चिम बंगाल	37	1	26	9	1		16		1
30	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	22	5	7	-	10		5		2
31	संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़	2	-	1	-	1		1		-
32	पुदुचेरी	2	1	-	-	1		-		-
	कुल	851	47	383	295	123	3	223	5	16

रेखाचित्र 2.2(i) (च): दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या



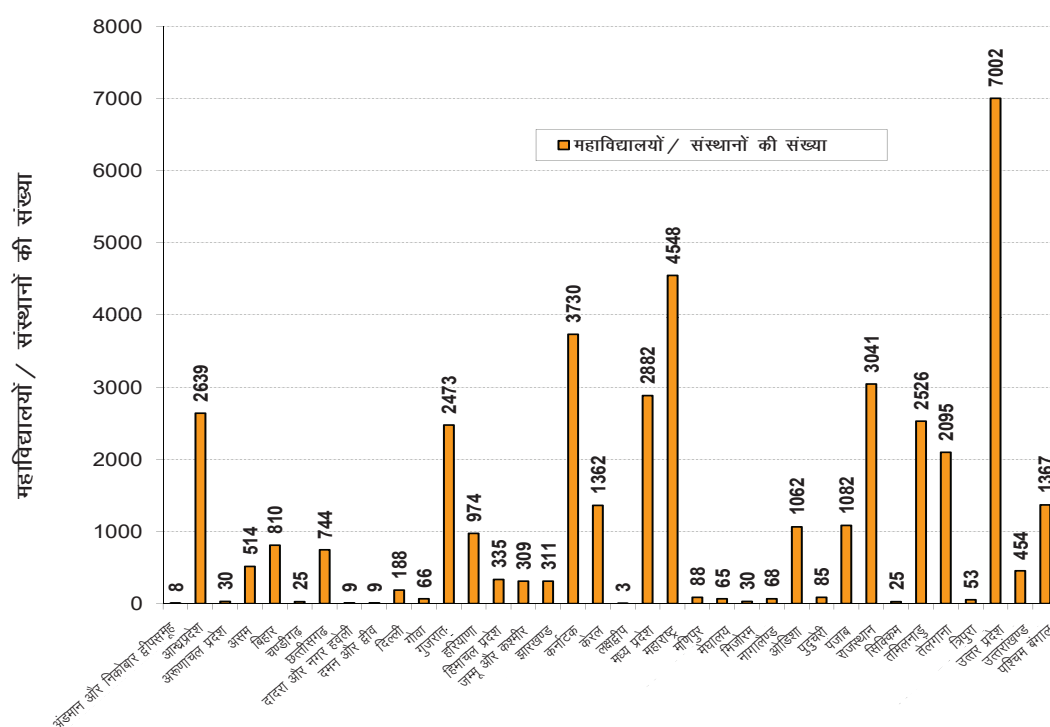
2.2 (ii) महाविद्यालय

महाविद्यालय का अभिप्राय किसी संस्थान से है, चाहे वह इसी नाम से जाना जाए अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाए, जो कि किसी विश्वविद्यालय से कोई योग्यता प्राप्त करने हेतु ऐसे विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुरूप अध्ययन पाठ्यक्रम चलाता हो तथा उसे अध्ययन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए सक्षम माना गया हो तथा ऐसी अर्हता प्रदान किए जाने हेतु ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों को परीक्षा हेतु तैयार करे। यह ऐसे संस्थान होते हैं जिन्हें किसी विश्वविद्यालय के तहत स्थापित अथवा अनुरक्षित अथवा उस विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के तहत सम्मिलित किया जाता है। **महाविद्यालय/संस्थान चार प्रकार के होते हैं: (1) संबद्ध महाविद्यालय (2)संघटक महाविद्यालय (3) स्नातकोत्तर और ऑफ कैम्पस केन्द्र (4) मान्यताप्राप्त केन्द्र।**

2.2 (ii) (क) : वर्ष 2017-18 के दौरान महाविद्यालय/ संस्थानों की राज्यवार और स्वरूपवार संख्या

राज्य	संबद्ध महाविद्यालय	संघटक महाविद्यालय	स्नातकोत्तर ऑफ कैम्पस केन्द्र	मान्यता प्राप्त केन्द्र	कुल (कालम संख्या 1 से 5)	स्टैंडालोन संस्थान*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7		1		8	
आन्ध्रप्रदेश	2564	65	8	2	2639	788
अरुणाचल प्रदेश	29	1			30	11
असम	506	6	2		514	71
बिहार	496	277	9	28	810	136
चण्डीगढ़	25				25	7
छत्तीसगढ़	719	22		3	744	71
दादरा और नगर हवेली	8			1	9	2
दमन और दीव	9				9	2
दिल्ली	171	9	1	7	188	98
गोवा	55	1	2	8	66	11
गुजरात	2126	238	29	80	2473	308
हरियाणा	943	30		1	974	202
हिमाचल प्रदेश	321	6	1	7	335	75
जम्मू और कश्मीर	272	25	11	1	309	80
झारखण्ड	233	76	2		311	65
कर्नाटक	3531	111	36	52	3730	1250
केरल	1261	46	4	51	1362	431
लक्षद्वीप			3		3	
मध्य प्रदेश	2100	54	3	725	2882	314
महाराष्ट्र	4243	155	6	144	4548	1950
मणिपुर	85	2		1	88	11
मेघालय	58	2	2	3	65	20
मिजोरम	28	2			30	15
नागालैण्ड	66			2	68	15
ओडिशा	1021	36	3	2	1062	366
पुदुचेरी	75	8	2		85	14
पंजाब	1005	58	18	1	1082	374
राजस्थान	2943	21	2	75	3041	447
सिक्किम	16	9			25	7
तमिलनाडु	2381	133	12		2526	923
तेलंगाना	2021	26	10	38	2095	493
त्रिपुरा	51	1	1		53	7
उत्तरप्रदेश	6889	56	11	46	7002	851
उत्तराखण्ड	422	26	3	3	454	153
पश्चिम बंगाल	1297	48	5	17	1367	443
कुल	37977	1550	187	1298	41012	10011

रेखाचित्र 2.2(ii) (क): वर्ष 2017-18 के दौरान महाविद्यालयों/संस्थानों की राज्यवार संख्या



महाविद्यालयों की अधिकतम संख्या के संदर्भ में महाविद्यालयों की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश उसके पश्चात् महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में थी।

***स्टैण्डालोन संस्थान** (विश्वविद्यालय से असंबद्ध) ऐसे संस्थान होते हैं जो डिग्री उपलब्ध कराने हेतु सशक्त नहीं होते हैं और इसलिए वे डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम चलाते हैं। इस प्रकार के पांच संस्थानों को कवर किया गया है। वे हैं: तकनीकी जैसे बहुकला संस्थान (गुजरात और छत्तीसगढ़ में बहुकला संस्थानों को विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया है इसलिए, उन्हें स्टैण्डालोन संस्थानों के रूप में नहीं गिना गया है। इन दो राज्य में बहुकला संस्थानों को महाविद्यालयों में सम्मिलित किया गया है) (2) एआईसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (3) शिक्षक प्रशिक्षण जैसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। (4) भारतीय परिचर्या महाविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त परिचर्या संस्थान। (5) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन संस्थान। स्टैण्डालोन संस्थानों को मुख्यतः निजी क्षेत्र द्वारा चलाया जाता है (75.47 प्रतिशत) (निजी गैर- सहायता प्राप्त - 66.04 प्रतिशत और निजी सहायताप्राप्त- 9.43 प्रतिशत), केवल 24.53 प्रतिशत संस्थान ही सरकारी क्षेत्र में हैं। 55.9 प्रतिशत संस्थान ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित हैं (स्रोत वर्ष 2017-18 की एआईएसएचई रिपोर्ट)

तालिका 2.2(ii) (ख): विशेषज्ञतावार महाविद्यालयों की संख्या (वर्ष 2017-18 के दौरान एआईएसएचई को प्राप्त वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर)

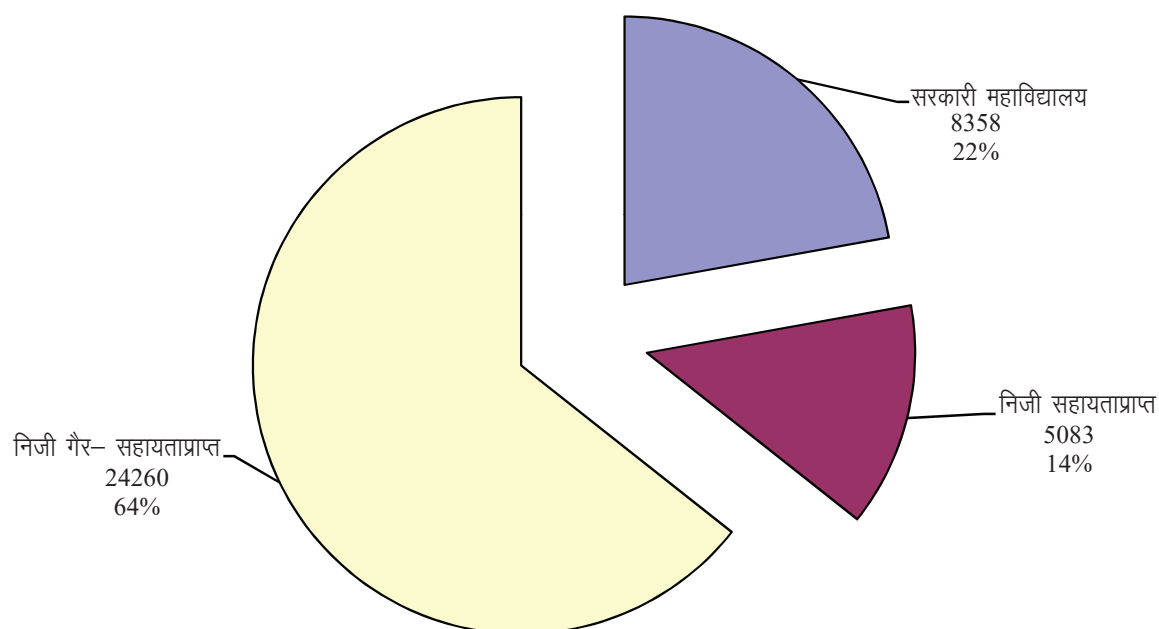
विशेषज्ञता	महाविद्यालयों की संख्या	विशेषज्ञता	महाविद्यालयों की संख्या
सामान्य	25366	आयुर्वेद चिकित्सा	216
कृषि	281	दंत चिकित्सा	212
वास्तुकला	169	होम्योपैथी चिकित्सा	116
कला	855	अन्य चिकित्सा	155
वाणिज्य	267	परिचर्या	1139
कम्प्यूटर अनुप्रयोग	250	ओरियेन्टल शिक्षा	74

विशेषज्ञता	महाविद्यालयों की संख्या	विशेषज्ञता	महाविद्यालयों की संख्या
शिक्षा / अध्यापक शिक्षा	2893	अर्ध चिकित्सा	115
अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी	2228	भेषजी	635
ललित कला	121	भौतिक चिकित्सा	139
मत्स्य उद्योग	17	संस्कृत	271
गृह विज्ञान	1	विज्ञान	246
होटल और पर्यटन प्रबंधन	81	समाज कार्य	45
पत्रकारिता और जनसंचार	10	खेलकूद / योग / शारीरिक शिक्षा	99
विधि	570	पशु चिकित्सा विज्ञान	46
प्रबंधन	667	अन्य	480
एलोपैथी चिकित्सा	268	कुल	38061

2.2(ii) (ग): सबद्ध तथा घटक महाविद्यालय

- वर्ष 2017-18 के दौरान महाविद्यालय घनत्व अर्थात् प्रति लाख पात्र जनसंख्या (18 से 23 आयु वर्ग समूह में जनसंख्या) पर महाविद्यालयों की संख्या अखिल भारतीय औसत संख्या 8 की तुलना में बिहार राज्य में 7 है, तेलंगाना और कर्नाटक में 51 है।
- देश में महाविद्यालयों की सबसे अधिक संख्या वाले 8 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं जिनमें प्रति लाख जनसंख्या पर 28 अथवा इससे अधिक महाविद्यालय हैं।
- 60.48 प्रतिशत महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं।
- 11.04 प्रतिशत महाविद्यालय विशेषरूप से बालिकाओं के लिए हैं।
- देश में अधिकांश महाविद्यालयों का निजी प्रबंधन के अंतर्गत है जिसमें से 64.70 प्रतिशत निजी गैर-सहायताप्राप्त महाविद्यालय हैं तथा 13.3 प्रतिशत महाविद्यालय निजी सहायताप्राप्त हैं तथा शेष 22 प्रतिशत महाविद्यालय सरकारी महाविद्यालय हैं।

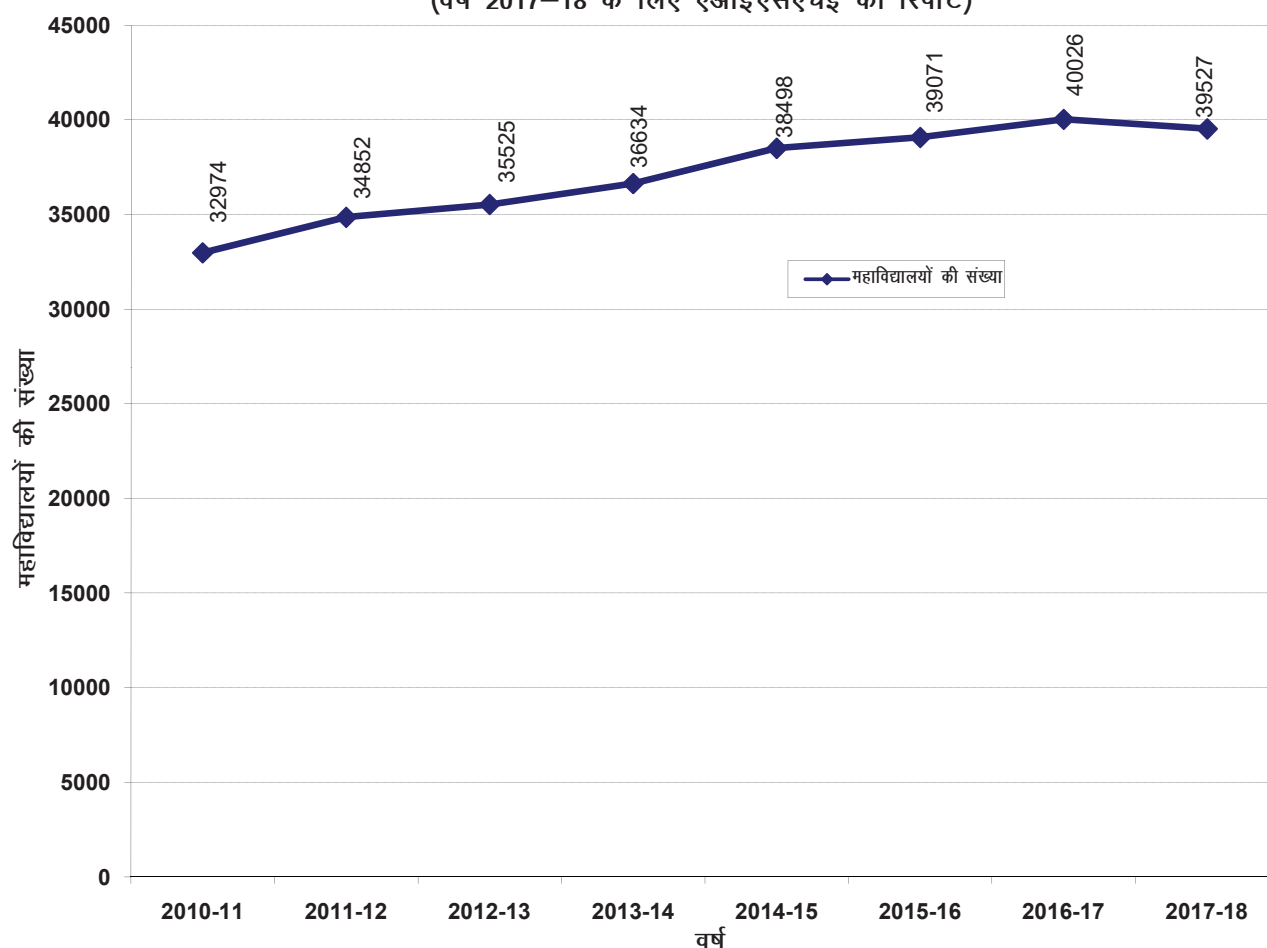
रेखाचित्र 2.2(ii) (ग): वर्ष 2017-18 के दौरान प्रबंधन-वार महाविद्यालयों का संवितरण (संबद्ध / संघटक)



तालिका 2.2(ii) (ग): वर्ष 2010-11 से 2017-18 के दौरान महाविद्यालयों (संबद्ध/संघटक) की वर्ष-वार संख्या

वर्ष	महाविद्यालयों की संख्या
2010-11	32974
2011-12	34852
2012-13	35525
2013-14	36634
2014-15	38498
2015-16	39071
2016-17	40026
2017-18	39527

रेखाचित्र 2.2(ii) (ग): वर्ष 2010-11 से 2017-18 के दौरान महाविद्यालयों (संबद्ध/संघटक) की वर्ष-वार संख्या (वर्ष 2017-18 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट)



2.2 (ii)(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के तहत महाविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के तहत महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के संबंध में विनियमों को अधिसूचित किया है। जब भी महाविद्यालय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो विनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुरूप उपर्युक्त पाए जाने पर इन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में लाया जाता है।

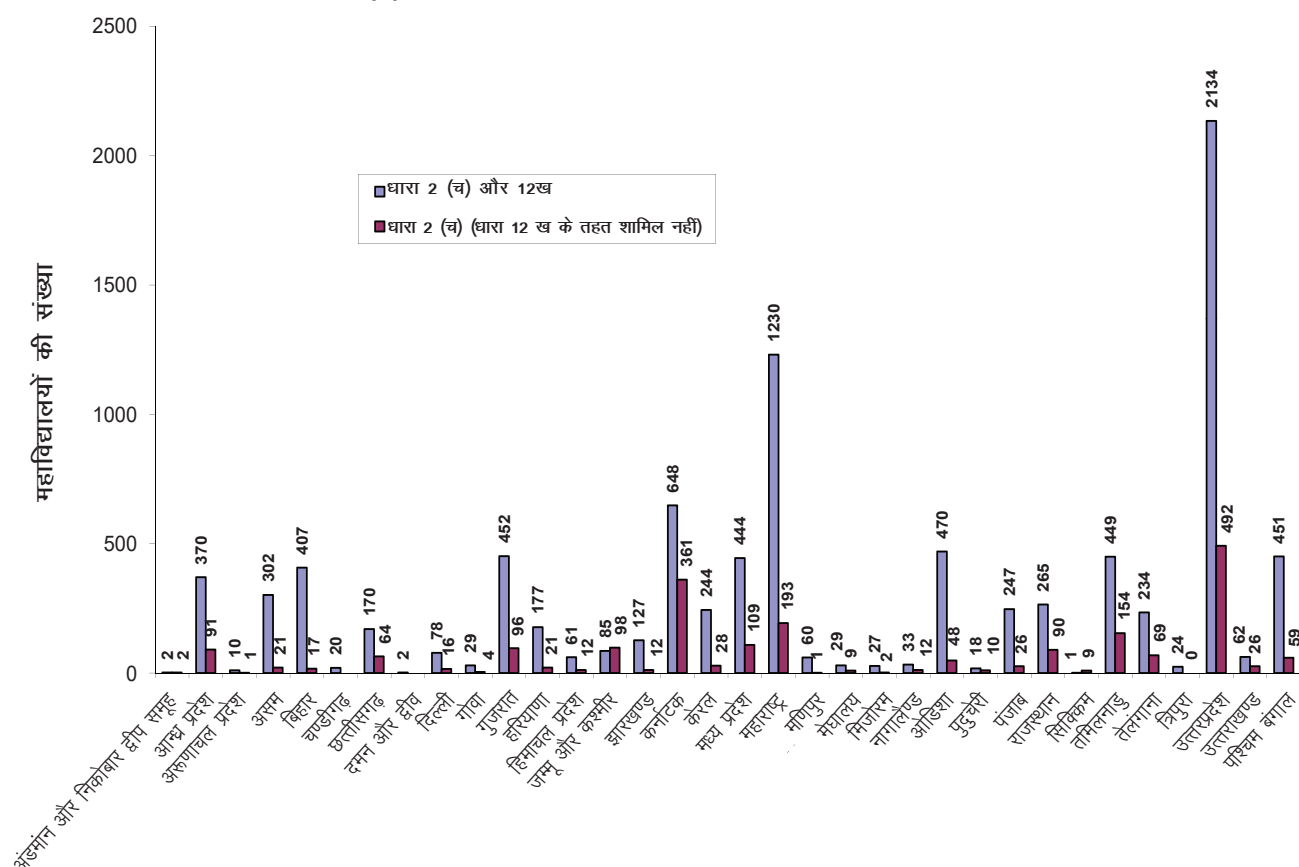
महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत सम्मिलित किए जाने के अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम के तहत बनाई गई नियमों की शर्तों के अनुरूप धारा 12ख के तहत महाविद्यालयों को सम्मिलित करता है। इससे महाविद्यालय, भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता अथवा केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले किसी संगठन से सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हो जाता है।

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत सम्मिलित कुल मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों की संख्या पिछले वर्ष के 10966 (धारा 2(च) के तहत 1973 महाविद्यालयों तथा धारा 12(ख) के तहत 8993 महाविद्यालयों) की तुलना में 11515 (धारा 2(च) के तहत 2153 महाविद्यालय तथा धारा 12(ख) के तहत 9362) थी।

तालिका 2.2 (ii) (घ): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 ख के तहत महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या

राज्य	महाविद्यालयों की संख्या		
	धारा 2(च) और 12(ख)	केवल धारा 2(च) के अन्तर्गत सम्मिलित (धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित नहीं)	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	2	4
आन्ध्र प्रदेश	370	91	461
अरुणाचल प्रदेश	10	1	11
असम	302	21	323
बिहार	407	17	424
चण्डीगढ़	20		20
छत्तीसगढ़	170	64	234
दमन और द्वीव	2		2
दिल्ली	78	16	94
गोवा	29	4	33
गुजरात	452	96	548
हरियाणा	177	21	198
हिमाचल प्रदेश	61	12	73
जम्मू और कश्मीर	85	98	183
झारखण्ड	127	12	139
कर्नाटक	648	361	1009
केरल	244	28	272
मध्य प्रदेश	444	109	553
महाराष्ट्र	1230	193	1423
मणिपुर	60	1	61
मेघालय	29	9	38
मिजोरम	27	2	29
नागालैण्ड	33	12	45
ओडिशा	470	48	518
पुदुचेरी	18	10	28
पंजाब	247	26	273
राजस्थान	265	90	355
सिक्किम	1	9	10
तमिलनाडु	449	154	603
तेलंगाना	234	69	303
त्रिपुरा	24	0	24
उत्तर प्रदेश	2134	492	2626
उत्तराखण्ड	62	26	88
पश्चिम बंगाल	451	59	510
कुल	9362	2153	11515

तालिका 2.2 (ii) (घ): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 ख तथा केवल धारा 2 (च) के तहत सम्मिलित महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या



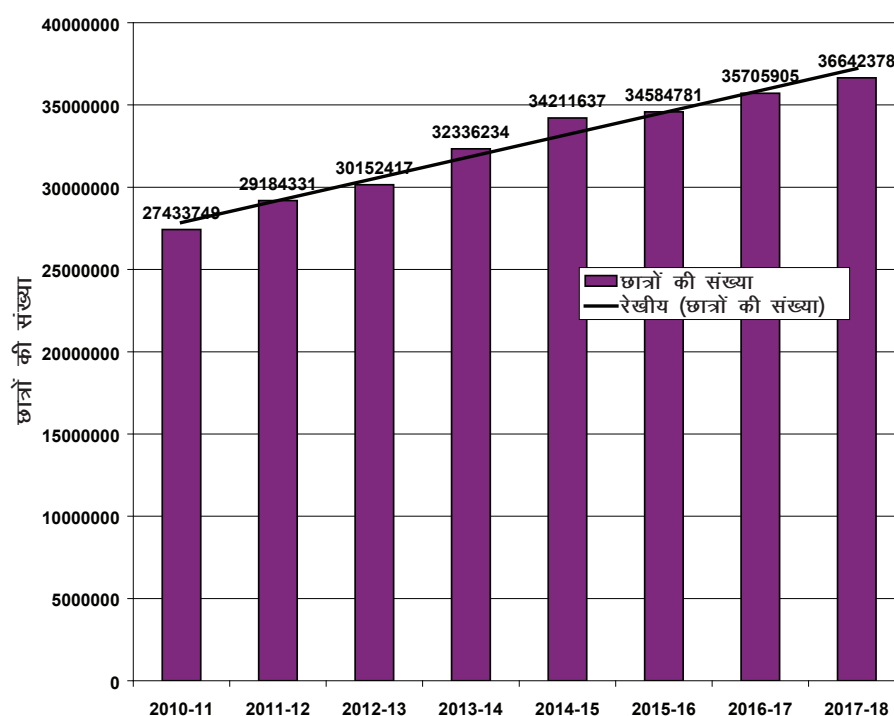
2.3 छात्र नामांकन

शिक्षा वर्ष 2017-18 के दौरान समस्त विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ उच्चतर शिक्षा के 'स्टैण्डालोन संस्थानों' में सभी स्तरों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों (नियमित और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों) में 366.42 लाख (अनंतिम) छात्र नामांकित थे।

तालिका 2.3 (i) (क) : वर्ष 2010-11 से 2017-18 के दौरान संपूर्ण भारत में छात्रों के नामांकन में हुई वृद्धि

वर्ष	कुल नामांकन	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशत के सदर्थ में हुई वृद्धि
2010-11	27433749		
2011-12	29184331	1684582	6.13 प्रतिशत
2012-13	30152417	968086	3.32 प्रतिशत
2013-14	32336234	2183817	7.24 प्रतिशत
2014-15	34211637	1875403	5.80 प्रतिशत
2015-16	34584781	373144	1.09 प्रतिशत
2016-17	35705905	1121124	3.24 प्रतिशत
2017-18	36642378	936473	2.62 प्रतिशत

रेखाचित्र 2.3 (i) : वर्ष 2010-11 से 2017-18 के दौरान छात्र नामांकन (उच्चतर शिक्षा) में हुई वर्षवार वृद्धि



कवरेज: उच्चतर शिक्षा प्रणाली में विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ स्टैंडालोन संस्थानों में छात्रों के नामांकन के आंकड़ें नियमित पाठ्यक्रमों और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित हैं। (वर्ष 2017-18 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट)

366.42 लाख छात्रों में से 174.38 लाख महिलाएं थी जो कि इस संपूर्ण संख्या का 47.59 प्रतिशत हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न राज्यों में कुल छात्र नामांकन और महिला छात्राओं के नामांकन के तुलनात्मक रुझान को तालिका 2.3 (i) (ख) में दर्शाया गया है।

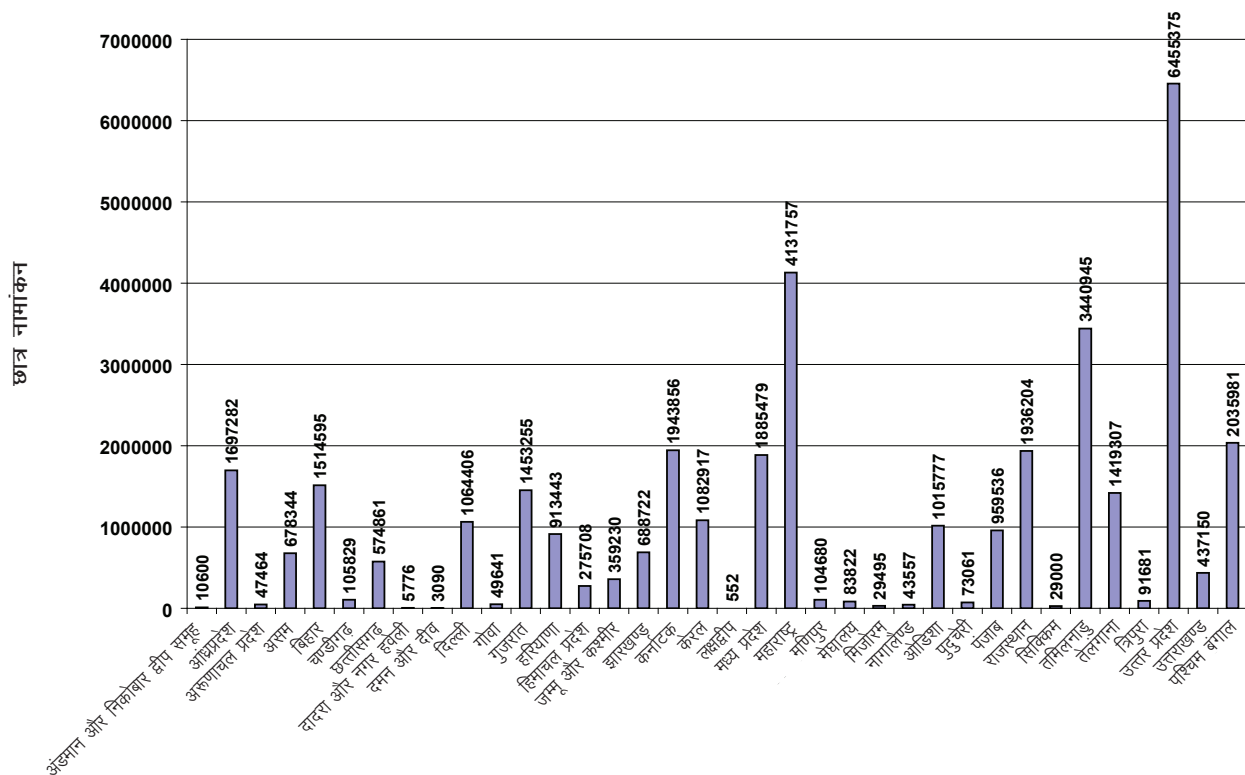
तालिका 2.3 (i) (ख): वर्ष 2017-18 के दौरान उच्चतर शिक्षा में छात्रों का राज्यवार नामांकन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिलाओं का प्रतिशत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10600	5359	50.56
2	आंध्रप्रदेश	1697282	750484	44.22
3	अरुणाचल प्रदेश	47464	22251	46.88
4	असम	678344	341405	50.33
5	बिहार	1514595	642325	42.41
6	चण्डीगढ़	105829	51771	48.92
7	छत्तीसगढ़	574861	287718	50.05
8	दादरा और नगर हवेली	5776	2926	50.66
9	दमन और दीप	3090	1282	41.49
10	दिल्ली	1064406	499317	46.91
11	गोवा	49641	24898	50.16
12	गुजरात	1453255	625644	43.05
13	हरियाणा	913443	446054	48.83
14	हिमाचल प्रदेश	275708	147372	53.45
15	जम्मू और कश्मीर	359230	182208	50.72
16	झारखण्ड	688722	334627	48.59

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिलाओं का प्रतिशत
17	कर्नाटक	1943856	972463	50.03
18	केरल	1082917	602739	55.66
19	लक्षद्वीप	552	436	78.99
20	मध्य प्रदेश	1885479	862060	45.72
21	महाराष्ट्र	4131757	1860679	45.03
22	मणिपुर	104680	53409	51.02
23	मेघालय	83822	43394	51.77
24	मिजोरम	29495	13634	46.22
25	नागालैण्ड	43557	21439	49.22
26	ओडिशा	1015777	466202	45.90
27	पुदुचेरी	73061	36967	50.60
28	पंजाब	959536	480430	50.07
29	राजस्थान	1936204	881693	45.54
30	सिक्किम	29000	15413	53.15
31	तमिलनाडु	3440945	1701630	49.45
32	तेलंगाना	1419307	683974	48.19
33	त्रिपुरा	91681	41435	45.19
34	उत्तर प्रदेश	6455375	3147061	48.75
35	उत्तराखण्ड	437150	212543	48.62
36	पश्चिम बंगाल	2035981	974461	47.86
	कुल योग	36642378	17437703	47.59

(स्रोत: वर्ष 2017-18 के लिए एआईएसएचई रिपोर्ट)

रेखाचित्र 2.3 (i) (ख): वर्ष 2017-18 के दौरान उच्चतर शिक्षा में छात्रों का राज्यवार नामांकन



अधिकांश राज्यों में सभी स्तरों पर महिला छात्रों के नामांकन की तुलना में पुरुष छात्रों के नामांकन का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। सर्वाधिक छात्र नामांकन के संदर्भ में सर्वोच्च छह राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान हैं। सर्वाधिक छात्र नामांकन वाले छह राज्यों में देशभर में नामांकित कुल छात्रों के लगभग 53.8 प्रतिशत छात्र हैं। शेष 30 राज्य (संघ क्षेत्रों सहित) में कुल छात्र नामांकन के 46.2 प्रतिशत छात्र हैं। इस प्रकार, अनिवार्य रूप से इन छह राज्यों में महिला छात्र नामांकन कुल महिला नामांकन का लगभग 45.3 प्रतिशत है और इन छह राज्यों में नामांकित पुरुष छात्र देशभर में कुल पुरुष छात्र का 45.8 प्रतिशत हैं।

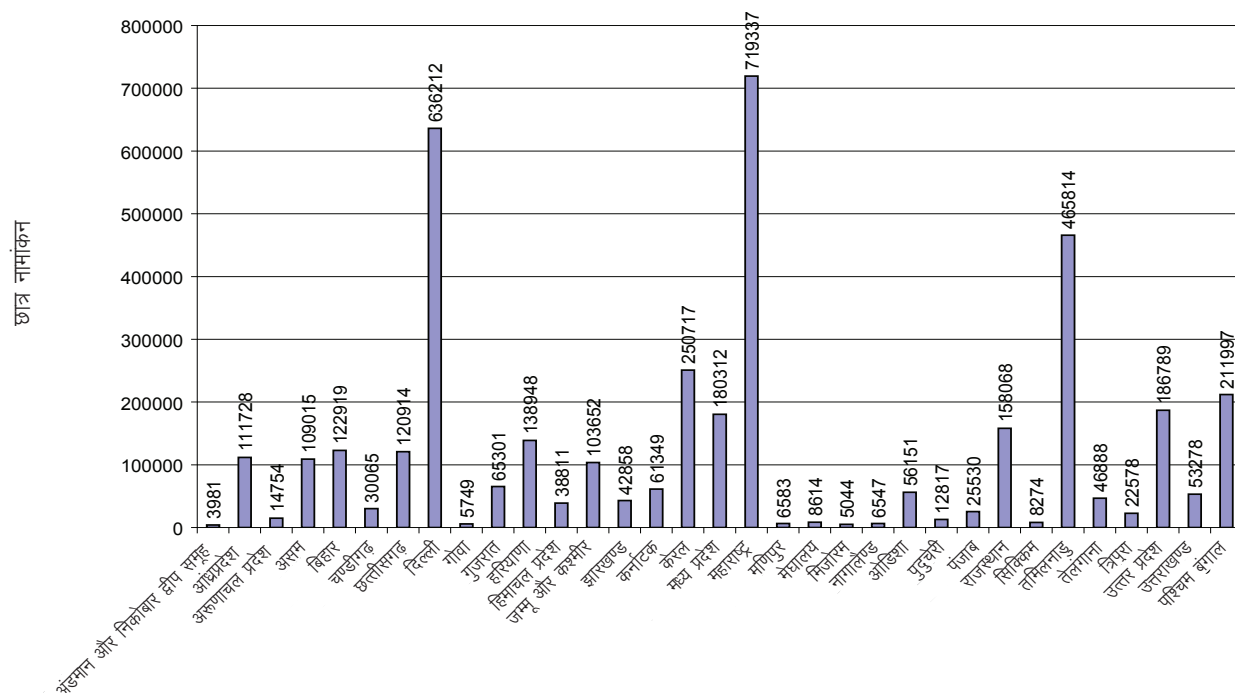
तालिका 2.3 (i) (ग): वर्ष 2017-18 के दौरान दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से राज्यवार कुल छात्र नामांकन

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल
29	तेलंगाना	23797	23091	46888
30	त्रिपुरा	13755	8823	22578
31	उत्तर प्रदेश	118228	68561	186789
32	उत्तराखण्ड	28545	24733	53278
33	पश्चिम बंगाल	125976	86021	211997
	कुल	2340816	1690778	4031594

(स्रोत: वर्ष 2017-18 के लिए एआईएसएचई रिपोर्ट)

- **संबद्ध तथा संघटक महाविद्यालयों (वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर) में कुल 2,65,52,301 छात्र नामांकित हुए थे, जिसमें से 12392090 (46.67 प्रतिशत), 54,75,679 (20.62 प्रतिशत), 86,84,532 (32.71 प्रतिशत) छात्र क्रमशः निजी-गैर-सहायताप्राप्त महाविद्यालयों, निजी सहायताप्राप्त महाविद्यालयों तथा सरकारी महाविद्यालयों में नामांकित थे।**

तालिका 2.3 (i) (ग): वर्ष 2017-18 के दौरान दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में राज्यवार कुल छात्र नामांकन



2.3(i)(घ): स्तर-वार छात्र नामांकन

शिक्षा वर्ष 2017-18 के दौरान उच्चतर शिक्षा (नियमित और दूरस्थ) कार्यक्रमों में नामांकन की स्थिति से पता चलता है कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली में स्नातकपूर्व स्तर पर विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों में सबसे अधिक छात्रों का नामांकन हुआ था। इस स्तर पर छात्र, छात्रों की कुल संख्या का 79.19 प्रतिशत हैं। ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों (पी0जी0) में नामांकन दर्ज कराया है, उनका प्रतिशत 11.23 प्रतिशत रहा जबकि शोध (एम0फिल0/पी0एच0डी0) पाठ्यक्रमों हेतु नामांकन करने वाले छात्रों की प्रतिशतता अत्यंत न्यून अर्थात् 0.53 प्रतिशत रही। इसी प्रकार, छात्रों की कुल संख्या में से स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा समेकित पाठ्यक्रमों के लिए क्रमशः 8.51 प्रतिशत तथा 0.54 प्रतिशत छात्रों ने ही नामांकन करवाया।

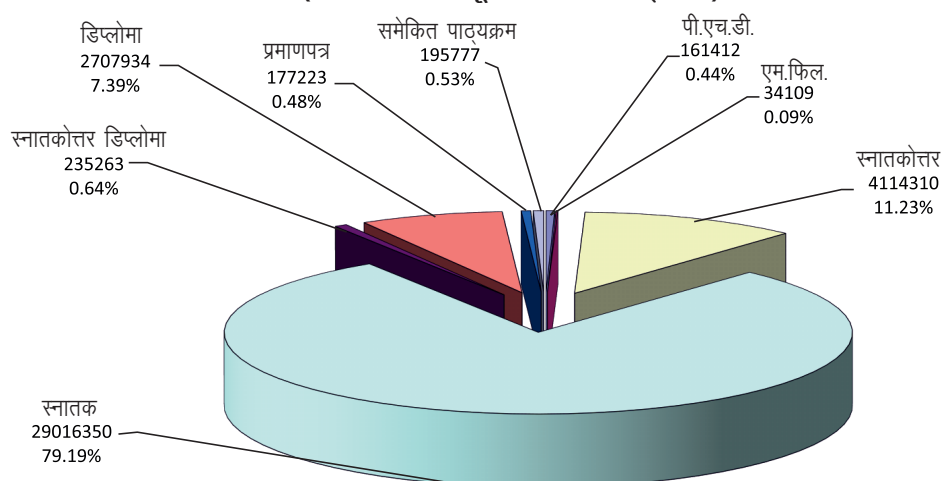
तालिका 2.3 (i)(घ)(i) : वर्ष 2017-18 के दौरान उच्चतर शिक्षा में स्तर-वार छात्र नामांकन*
(नियमित तथा दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम) :

स्तर	पुरुष	महिला	कुल	कुल का प्रतिशत
पी.एच.डी.	92570	68842	161412	0.44
एम.फिल.	12287	21822	34109	0.09
स्नातकोत्तर	1891071	2223239	4114310	11.23
स्नातक	15052304	13964046	29016350	79.19
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	126853	108410	235263	0.64
डिप्लोमा	1838217	869717	2707934	7.39
प्रमाणपत्र	76962	100261	177223	0.48
समेकित पाठ्यक्रम	114411	81366	195777	0.54
कुल	19204675	17437703	36642378	100.00

नोट: वर्ष 2017-18 के लिए स्रोत एआईएसएचई की रिपोर्ट है

* विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/ऑफ कैम्पस केन्द्र/मान्यताप्राप्त केन्द्र/स्टैंडालोन संस्थान

रेखाचित्र 2.3 (i)(घ)(i) : वर्ष 2017-18 के दौरान उच्चतर शिक्षा में स्तर-वार छात्र नामांकन*
(नियमित तथा दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम):



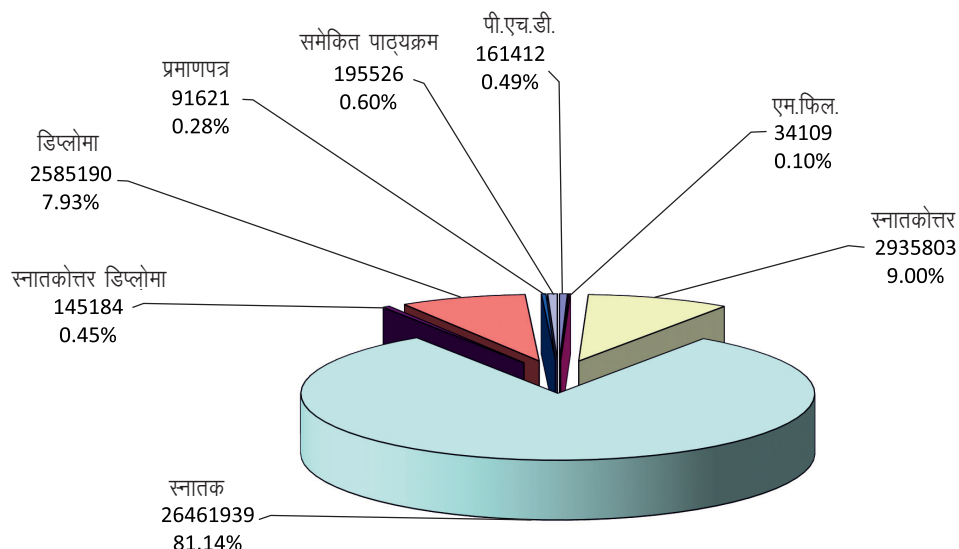
तालिका 2.3 (i)(घ)(ii) : वर्ष 2017-18 के दौरान उच्चतर शिक्षा में स्तर-वार छात्र नामांकन* (नियमित पाठ्यक्रम):

2.3(i)(घ)(ii) : शिक्षा वर्ष 2017-18 के दौरान उच्चतर शिक्षा (नियमित पाठ्यक्रम) में छात्रों के नामांकन की स्थिति दर्शाती है कि कुल छात्रों के 81.14 प्रतिशत छात्र स्नातक स्तर में नामांकित हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में छात्र नामांकन का प्रतिशत 9 प्रतिशत रहा तथा शोध पाठ्यक्रमों (एम0फिल0/पी0एच0डी0) में छात्रों का नामांकन 0.60 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार, स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा समेकित पाठ्यक्रमों के लिए छात्र नामांकन क्रमशः 8.66 प्रतिशत तथा 0.66 प्रतिशत रहा।

तालिका 2.3(i)(घ)(ii): वर्ष 2017-18 के दौरान उच्चतर शिक्षा में स्तर-वार छात्र नामांकन (नियमित पाठ्यक्रम):

स्तर	पुरुष	महिला	कुल	कुल का प्रतिशत
पी.एच.डी.	92570	68842	161412	0.50
एम.फिल.	12287	21822	34109	0.10
स्नातकोत्तर	1278165	1657638	2935803	9.00
स्नातक	13484766	12977173	26461939	81.14
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	75195	69989	145184	0.45
डिप्लोमा	1765994	819196	2585190	7.93
प्रमाणपत्र	40649	50972	91621	0.28
समेकित पाठ्यक्रम	114233	81293	195526	0.60
कुल	16863859	15746925	32610784	100.00

रेखाचित्र 2.3 (i)(घ)(ii) : वर्ष 2017-18 के दौरान उच्चतर शिक्षा में स्तर-वार छात्र नामांकन*
(नियमित पाठ्यक्रम):

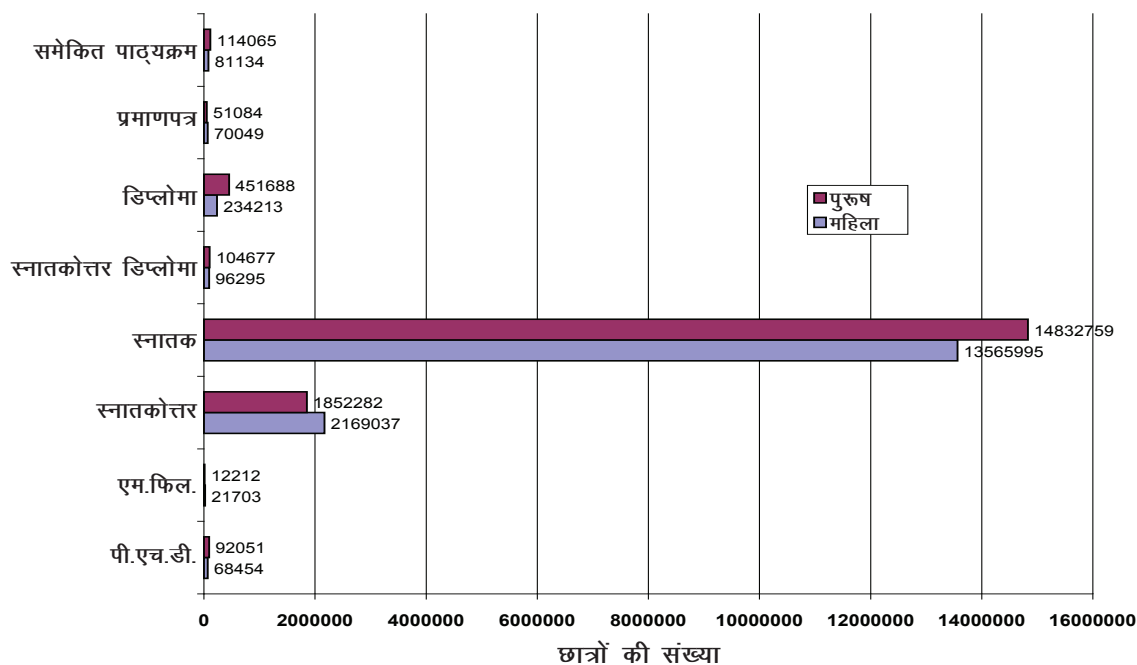


तालिका 2.3 (i)(घ)(iii) : वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में स्तर-वार छात्र नामांकन
(नियमित और दूरस्थ)

	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/संघटक इकाई/ऑफ कैम्पस केन्द्र		संबद्ध महाविद्यालय तथा संघटक महाविद्यालय		कुल योग	
	कुल	महिला	कुल	महिला	कुल का प्रतिशत	महिला का प्रतिशत
पी.एच.डी.	139218	57513	21287	10941	160505	68454
					0.47%	0.42%
एम.फिल.	17912	10488	16003	11215	33915	21703
					0.10%	0.13%
स्नातकोत्तर	1975124	968276	2046195	1200761	4021319	2169037
					11.89%	13.30%
स्नातक	4534154	1737629	23864600	11828366	28398754	13565995
					83.98%	83.19%
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	153457	71557	47515	24738	200972	96295
					0.59%	0.59%
डिप्लोमा	263897	88806	422004	145407	685901	234213
					2.03%	1.44%
प्रमाणपत्र	68024	38717	53109	31332	121133	70049
					0.36%	0.43%
समेकित पाठ्यक्रम	113611	45981	81588	35153	195199	81134
					0.58%	0.50%
कुल	7265397	3018967	26552301	13287913	33817698	16306880
					100.00%	100.00%

नोट- विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के तहत लिया गया नामांकन

रेखाचित्र 2.3 (i)(घ)(iv): वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में स्तर-वार, लिंगवार छात्र नामांकन (नियमित और दूरस्थ कार्यक्रम)



2.3(i)(ड): विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शोध का विकास

अनुसंधान लगभग सभी विषयों में ज्ञान के मौजूदा स्वरूप को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। हालांकि, इसके पारंपरिक चित्रण-वर्णन से पता चलता है कि शोध प्रयोगशालाओं में किया जाता है, वास्तव में यह लगभग सभी विषयों- अंग्रेजी से भौतिकी, स्वास्थ्य विज्ञान से लेकर इतिहास तक, रसायन विज्ञान से लेकर आपराधिक न्याय में किया जाता है। इसके लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी सबसे मौलिक स्तर पर अनुसंधान का अभिप्राय किसी विषय के संबंध में बोध में वृद्धि करना है।

शिक्षण और अनुसंधान एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, वे एक दूसरे के पूरक क्रियाकलाप हैं। छात्रों को अनुसंधान में अनुभव प्राप्त करने से काफी लाभ होता है और उन्हें अपनी भागीदारी के फलस्वरूप बेशकीमती व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित होते हैं। शोध कार्य करने वाले संकाय, छात्रों के साथ नवीनतम जानकारी सांझा करते हैं तथा उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्र में गहराई से अन्वेषण करने का अवसर प्रदान करते हैं।

रेखाचित्र 2.3 (i)(ड)(i): वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में मुख्य विधावार/विषयवार पी0एच0डी/एम0फिल0 में नामांकन

विषय	छात्र नामांकन					
	पीएचडी			एम.फिल		
	पुरुष	महिलाएं	कुल	पुरुष	महिलाएं	कुल
कृषि	3306	2306	5612	28	25	53
क्षेत्र अध्ययन	1407	1202	2609	616	1024	1640
वाणिज्य	2096	2397	4493	910	1894	2804
अपराध विज्ञान/न्यायिक विज्ञान	9	9	18	2	1	3
संस्कृति अध्ययन	159	209	368	68	148	216
रक्षा अध्ययन	55	4	59	136	6	142
डिजाइन	96	51	147		2	2
निशक्तता अध्ययन	1	1	2	1	17	18
शिक्षा	3759	3543	7302	544	943	1487
इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी	26,776	11,938	38,714	10	43	53

विषय	छात्र नामांकन					
	पीएचडी			एम.फिल		
	पुरुष	महिलाएं	कुल	पुरुष	महिलाएं	कुल
फैशन प्रौद्योगिकी	29	46	75	1	7	8
ललित कला	341	364	705	178	238	416
मत्स्य पालन विज्ञान	119	101	220			
विदेशी भाषा	1809	2080	3889	908	2207	3115
गांधीवादी अध्ययन	43	35	78	33	18	51
गृह विज्ञान	116	721	837	5	54	59
भारतीय भाषा	4212	3638	7850	1635	2558	4193
सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर	1203	1312	2515	376	1268	1644
पत्रकारिता और जन संचार	425	287	712	97	85	182
विधि	989	979	1968	29	29	58
पुस्तकालय और सूचना विज्ञान	446	287	733	92	88	180
भाषा विज्ञान	524	496	1000	197	356	553
प्रबंधन	5052	4426	9478	224	333	557
मेराईन साइंस/समुद्र विज्ञान	169	185	354	4	20	24
चिकित्सा विज्ञान	4018	3068	7086	99	233	332
ओरिएंटल शिक्षा	525	274	799	174	122	296
शारीरिक शिक्षा	790	263	1053	257	88	345
धार्मिक अध्ययन	426	223	649	97	55	152
विज्ञान	22,759	19085	41,844	2311	5949	8260
सामाजिक विज्ञान	9823	8543	18,366	2890	3634	6524
सामाजिक कार्य	375	292	667	339	302	641
पशु चिकित्सा विज्ञान	669	404	1073			
महिला अध्ययन	44	73	117	26	75	101
कुल	92570	68842	161,412	12287	21,822	34109

(स्रोत : वर्ष 2017-18 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट)

पी0एच0डी0 स्तर पर, अधिकांश छात्र विज्ञान विषय में नामांकित हैं जिसके पश्चात् अधिकांश नामांकन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी में हुआ है। कृषि तथा संबद्ध पाठ्यक्रमों में कुल पी0एच0डी0 के छात्रों की कुल संख्या 5612 है जिसमें से 58.9 प्रतिशत छात्र पुरुष हैं। वाणिज्य विषय में पी0एच0डी0 हेतु 4493 छात्र नामांकित हैं जिसमें से 46.65 प्रतिशत छात्र पुरुष हैं। विदेशी भाषाओं में पी0एच0डी0 हेतु 3889 छात्र नामांकित हैं। भारतीय भाषाओं में पी0एच0डी0 हेतु 7850 छात्र नामांकित हैं। चिकित्सा विज्ञान में कुल 7086 छात्र पी0एच0डी0 कर रहे हैं, जबकि सामाजिक विज्ञान विषय में पी0एच0डी0 हेतु 18,366 छात्रों ने नामांकन करवाया।

2.3 (i)(च): विदेशी छात्र

देश में उच्चतर शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों की कुल संख्या 46,144 हैं। विदेशी छात्र दुनिया भर के 166 विभिन्न देशों से आते हैं। सर्वाधिक छात्र पड़ोसी देशों से आते हैं, कुल विदेशी छात्रों में से नेपाल से कुल 25 प्रतिशत, इसके बाद अफगानिस्तान से 9.5 प्रतिशत, सुडान से 4.8 प्रतिशत, भूटान से 4.3 प्रतिशत, नाइजीरिया से 4.0 प्रतिशत, बांग्लादेश और ईरान दोनों से 3.4 प्रतिशत, यमन से 3.2 प्रतिशत, अमेरिका से 3.1 प्रतिशत तथा श्रीलंका से 2.7 प्रतिशत छात्र आते हैं। नेपाल, जहां से सबसे अधिक विदेशी छात्र आते हैं उनमें पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक हैं। वहीं दूसरी ओर, सुडान (92.5 प्रतिशत) यमन (91.5 प्रतिशत) और अफगानिस्तान (88.9 प्रतिशत) में पुरुष छात्रों की संख्या काफी अधिक है।

तथापि, नेपाल से अधिकतम संख्या में विदेशी छात्र आते हैं, पी0एच0डी में अधिकतम संख्या में नामांकित छात्र इथोपिया (215) जिसके बाद यमन (202) से हैं। साथ ही, अमेरिका से 14.8 प्रतिशत छात्र थे जिसमें से 54 प्रतिशत महिला छात्र थी।

सर्वाधिक संख्या में विदेशी छात्र, स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में नामांकित थे अर्थात् कुल विदेशी छात्रों में 77.4 प्रतिशत छात्र जिसके बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लगभग 14.8 प्रतिशत छात्र नामांकित थे। साथ ही, शेष स्तरों पर नामांकन 7.8 प्रतिशत रहा। विदेशी पुरुष छात्र लगभग सभी स्तरों में अधिक थे।

छात्रों के राज्य-वार संवितरण को देखें तो, कर्नाटक में सबसे अधिक संख्या में विदेशी छात्र हैं, जिनकी संख्या 12041 है। कर्नाटक के अलावा, उत्तरप्रदेश में (4465), महाराष्ट्र (4306), पंजाब (3775), तमिलनाडु (3542) तेलंगाना (2877), दिल्ली (2266) आंध्र प्रदेश (2092) और हरियाणा (2017) 2000 से अधिक विदेशी छात्रों रहते हैं। (स्रोत : वर्ष 2017-18 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट)

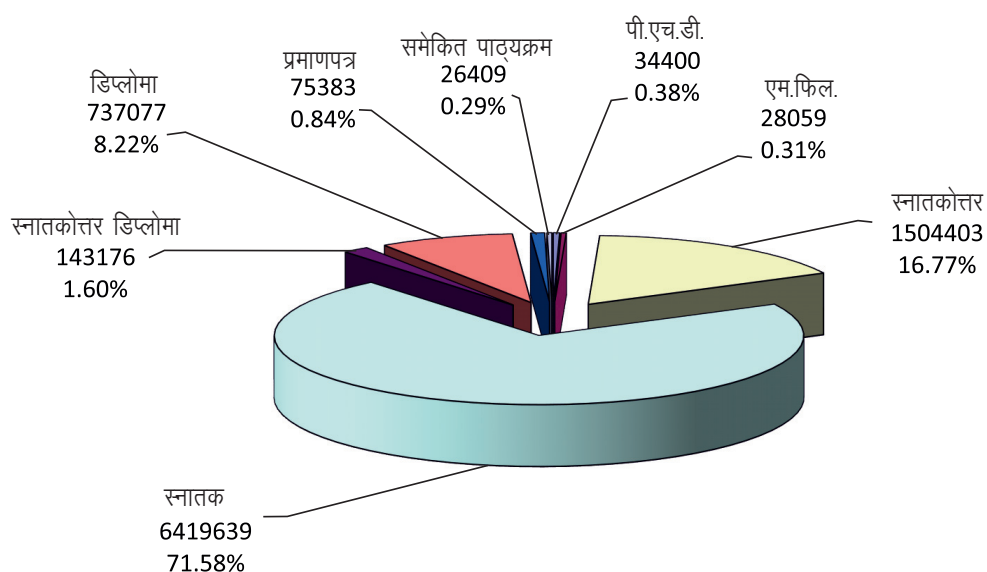
2.4 वर्ष 2017 के दौरान स्तर-वार परिणाम/उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या

(आंकड़े, वर्ष 2017-18 के लिए एआईएसएचई में वास्तव में प्राप्त प्रतिक्रिया पर आधारित हैं)

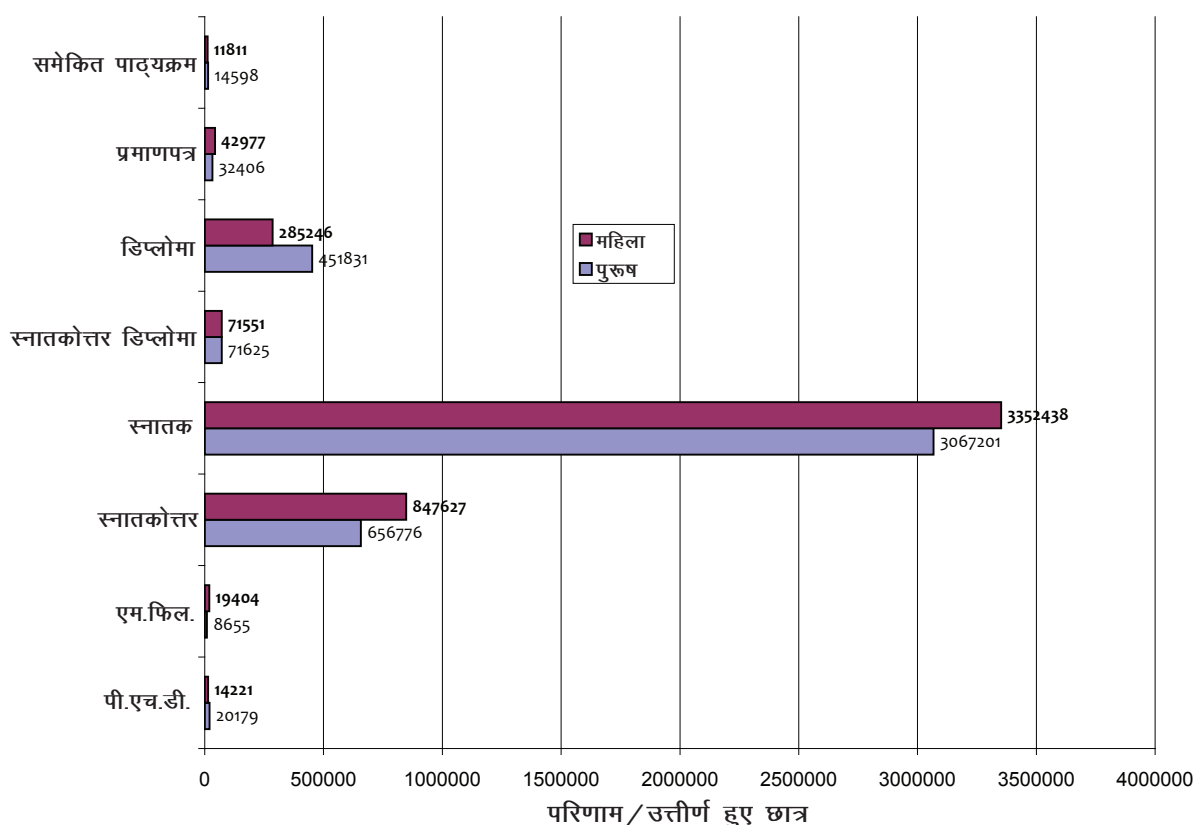
तालिका 2.4 (i)(क): वर्ष 2017 के दौरान स्तर-वार परिणाम/उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या (विश्वविद्यालय और महाविद्यालय)

स्तर	परिणाम/ उत्तीर्ण हुए छात्र		
	पुरुष	महिला	कुल
पी.एच.डी.	20179	14221	34400
एम.फिल.	8655	19404	28059
स्नातकोत्तर	656776	847627	1504403
स्नातक	3067201	3352438	6419639
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	71625	71551	143176
डिप्लोमा	451831	285246	737077
प्रमाणपत्र	32406	42977	75383
समेकित पाठ्यक्रम	14598	11811	26409
कुल योग	4323271	4645275	8968546

रेखाचित्र 2.4 (i)(क): वर्ष 2017 के दौरान परिणाम/उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या



रेखाचित्र 2.4 (i)(क): वर्ष 2017 के दौरान परिणाम/उत्तीर्ण हुए छात्रों की लिंग-वार संख्या



सर्वाधिक संख्या में छात्र कला पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण हुए। इस विषय से उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या 20.73 लाख थी जिसमें से 42.3 प्रतिशत पुरुष थे तथा 57.7 प्रतिशत महिलाएं थी। विज्ञान दूसरा बड़ा विषय था जिसमें 10.53 लाख छात्र उत्तीर्ण हुए जिसके पश्चात् वाणिज्य विषय में 9.39 लाख छात्र उत्तीर्ण हुए।

(स्रोत : वर्ष 2017-18 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट)

2.4 (i)(क)(i): वर्ष 2017 के दौरान मुख्य विधावार/विषयवार प्रदान की गई पी0एच0डी/एम0फिल0 उपाधियां

2.4 (i)(क)(i): मुख्य विधावार/विषयवार प्रदान की गई पी0एच0डी/एम0फिल0 उपाधियां

विषय	पी0एच0डी			एम0फिल0		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
कृषि	3048	1378	4426	7	5	12
क्षेत्र अध्ययन	614	419	1033	417	807	1224
वाणिज्य	642	662	1304	770	2216	2986
अपराध विज्ञान / न्यायिक विज्ञान				2		2
संस्कृति अध्ययन	28	32	60	65	114	179
रक्षा अध्ययन	10	1	11	19	1	20
डिजाइन	4	4	8			
निशक्तता अध्ययन						
शिक्षा	441	555	996	393	654	1047
इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी	3482	1425	4907	19	31	50
फैशन प्रौद्योगिकी	1	15	16	1	8	9
ललित कला	118	151	269	131	215	346

विषय	पी0एच0डी			एम0फिल0		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
मत्स्य पालन विज्ञान	26	13	39			
विदेशी भाषा	406	408	814	719	2117	2836
गांधीवादी अध्ययन	7	10	17	14	10	24
गृह विज्ञान	10	214	224	2	87	89
भारतीय भाषा	939	997	1936	990	2094	3084
सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर	169	213	382	390	1684	2074
पत्रकारिता और जन संचार	86	76	162	69	69	138
विधि	190	136	326	32	24	56
पुस्तकालय और सूचना विज्ञान	136	88	224	38	82	120
भाषा विज्ञान	109	106	215	146	277	423
प्रबंधन	900	767	1667	216	379	595
मेराईन साइंस/समुद्र विज्ञान	17	17	34	3	23	26
चिकित्सा विज्ञान	933	489	1422	22	63	85
ओरिएंटल शिक्षा	149	91	240	98	96	194
शारीरिक शिक्षा	282	96	378	186	73	259
धार्मिक अध्ययन	41	32	73	33	26	59
विज्ञान	4923	3957	8880	2060	5755	7815
सामाजिक विज्ञान	2208	1686	3894	1646	2269	3915
सामाजिक कार्य	54	47	101	164	204	368
पशु चिकित्सा विज्ञान	185	113	298			
महिला अध्ययन	21	23	44	3	21	24
कुल योग	20179	14221	34400	8655	19404	28059

सर्वेक्षण में प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार वर्ष 2017 के दौरान कुल 34,400 छात्रों को पी0एच0डी स्तर की उपाधि प्रदान की गई, जिसमें 20179 पुरुष तथा 14221 महिलाएं थी। तमिलनाडु में सर्वाधिक छात्रों (4551) को पी0एच0डी स्तर की उपाधि प्रदान की गई जिसके बाद कर्नाटक (3663) तथा असम में (3617) पी0एच0डी स्तर की उपाधि प्रदान की गई। पी0एच0डी स्तर पर अधिकतम उपाधियां (8880) विज्ञान विषय में प्रदान की गई।

(स्रोत : वर्ष 2017-18 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट)

2.5 संकाय संख्या

वर्ष 2017-18 के दौरान उच्चतर शिक्षा के अखिल भारतीय सर्वेक्षण में, पहली बार प्रत्येक शिक्षक के संबंध में विस्तृत जानकारी एक पृथक शिक्षक जानकारी प्रारूप (टीआईएफ) में प्राप्त की गई है। टीआईएफ में नई जानकारीयां यथा कार्यग्रहण की तिथि, संस्थान का नाम तथा पेशेवर अर्हता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी तथा आधार नम्बर एकत्रित किए गए थे। वर्ष 2017-18 के दौरान टीआईएफ के माध्यम से कुल 12,84,597 शिक्षकों ने जानकारी प्रदान की। कुल 12,84,597 शिक्षकों में से लगभग 58 प्रतिशत पुरुष शिक्षक थे तथा 42 प्रतिशत महिला शिक्षक थी। अखिल भारतीय स्तर पर, सामान्य श्रेणी के शिक्षक आधे से अधिक थे अर्थात् देश में कुल शिक्षकों की संख्या के 56.8 प्रतिशत थी; इसके पश्चात् अन्य पिछड़ा वर्ग के 32.3 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के क्रमशः 8.6 प्रतिशत तथा 2.27 प्रतिशत शिक्षक थे। लिंग संवितरण के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण निरूपण, प्रति सौ पुरुष शिक्षकों पर महिला शिक्षकों की संख्या थी। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति 100 पुरुष शिक्षकों पर 72 महिला शिक्षक थीं। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति श्रेणी में प्रति 100 पुरुष शिक्षकों पर 56 महिला शिक्षक थी और अनुसूचित जनजाति श्रेणी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में प्रति 100 पुरुष शिक्षकों पर क्रमशः 66 तथा 68 महिला शिक्षक थी।

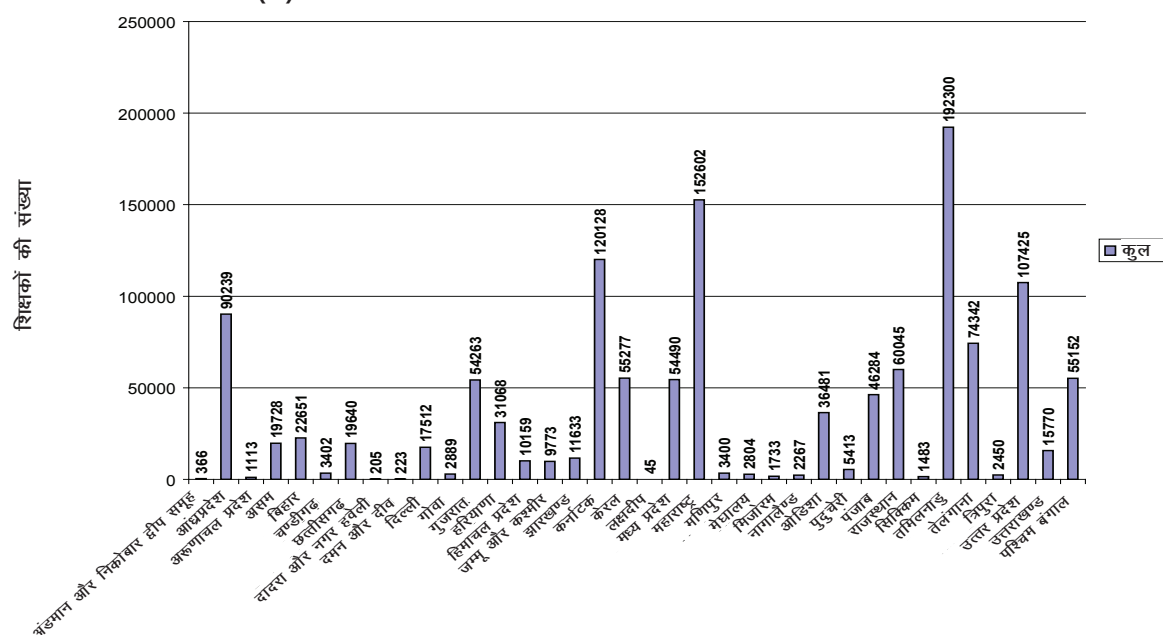
(स्रोत : वर्ष 2017-18 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट)

तालिका 2.5 (क): वर्ष 2017-18 के दौरान उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में राज्य-वार तथा लिंग-वार शिक्षकों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिक्षकों की संख्या			शिक्षकों की कुल संख्या में से महिलाओं का प्रतिशत
	पुरुष	महिला	कुल	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	194	172	366	46.99
आंध्रप्रदेश	59131	31108	90239	34.47
अरुणाचल प्रदेश	735	378	1113	33.96
असम	11958	7770	19728	39.39
बिहार	17910	4741	22651	20.93
चण्डीगढ़	1408	1994	3402	58.61
छत्तीसगढ़	10421	9219	19640	46.94
दादरा और नगर हवेली	109	96	205	46.83
दमन और दीव	140	83	223	37.22
दिल्ली	7675	9837	17512	56.17
गोवा	1301	1588	2889	54.97
गुजरात	32825	21438	54263	39.51
हरियाणा	14794	16274	31068	52.38
हिमाचल प्रदेश	5447	4712	10159	46.38
जम्मू और कश्मीर	5737	4036	9773	41.30
झारखण्ड	8158	3475	11633	29.87
कर्नाटक	67210	52918	120128	44.05
केरल	21608	33669	55277	60.91
लक्षदीप	25	20	45	44.44
मध्य प्रदेश	31931	22559	54490	41.40
महाराष्ट्र	91935	60667	152602	39.76
मणिपुर	1817	1583	3400	46.56
मेघालय	1274	1530	2804	54.56
मिजोरम	928	805	1733	46.45
नागालैण्ड	1006	1261	2267	55.62
ओडिशा	23433	13048	36481	35.77
पुदुचेरी	3079	2334	5413	43.12
पंजाब	18770	27514	46284	59.42
राजस्थान	37863	22182	60045	36.94
सिक्किम	883	600	1483	40.46
तमिलनाडु	99790	92510	192300	48.11
तेलंगाना	45811	28531	74342	38.38
त्रिपुरा	1541	909	2450	37.10
उत्तर प्रदेश	72143	35282	107425	32.84
उत्तराखण्ड	9974	5796	15770	36.75
पश्चिम बंगाल	36083	19069	55152	34.58
कुल योग	745047	539708	1284755	42.01

* 202 शिक्षकों का संवितरण उपलब्ध नहीं है।

रेखाचित्र 2.5 (क): वर्ष 2017-18 के दौरान उच्चतर शिक्षा में शिक्षकों की राज्य-वार संख्या

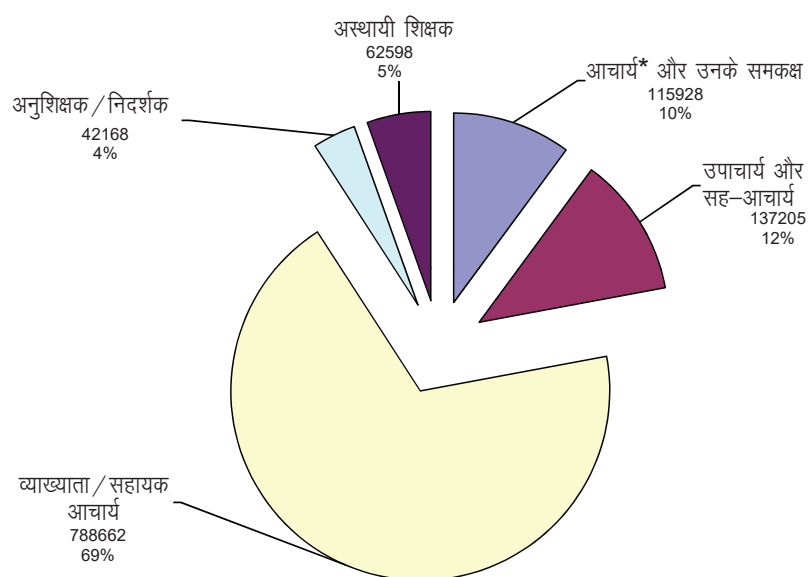


तालिका 2.5 (ख) : वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों* का पदनाम-वार संवितरण

पदनाम	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/ संघटक इकाई/ ऑफ कैम्पस केन्द्र		संबद्ध महाविद्यालय तथा संघटक महाविद्यालय		कुल योग	
	कुल	महिला	कुल	महिला	कुल	महिला
आचार्य* और उनके समकक्ष	31653	7709	84275	24532	115928	32241
उपाचार्य और सह-आचार्य	23056	7217	114149	43031	137205	50248
व्याख्याता/सहायक आचार्य	91028	36355	697654	305972	788662	342327
अनुशिक्षक/निर्देशक	6460	3610	35708	22940	42168	26550
अस्थायी शिक्षक	6633	2952	55965	28700	62598	31652
कुल योग	158830	57843	987731	425175	1146561	483018

* निदेशक, प्राचार्य और वरिष्ठ शिक्षक शामिल हैं जो आचार्य के समकक्ष हैं। (स्रोत : वर्ष 2017-18 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट)

रेखाचित्र 2.5 (ख): वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पद-वार शिक्षकों की संख्या



► विकास योजनाएं और विश्वविद्यालयों को सहायता

- ❖ 3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता
- ❖ 3.2 केन्द्रीय विश्वविद्यालय
- ❖ 3.3 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय
- ❖ 3.4 सम विश्वविद्यालय संस्थान
- ❖ 3.5 राज्य निजी विश्वविद्यालय

3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न पहलुओं नामतः पहुंच में वृद्धि करने, समानता सुनिश्चित करने, संगत शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता और उत्कृष्टता में सुधार करने, उनके विश्वविद्यालय प्रशासन को और प्रभावी बनाने, अधिक संकाय सुधार कार्यक्रम उपलब्ध कराने, छात्रों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करने, शोध सुविधाओं में वृद्धि करने तथा विश्वविद्यालय की अन्य योजनाओं को कवर करते हुए समग्र विकास हेतु प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय को सहायता प्रदान करता है।

3.2 केन्द्रीय विश्वविद्यालय

वर्तमान में, 47 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनमें से 7 विश्वविद्यालय नामतः (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, (iii) इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई (iv) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (v) नालन्दा विश्वविद्यालय, बिहार (vi) राजीव गांधी नेशनल एवियेशन यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश और (vii) रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है। इसलिए, 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विभिन्न योजनाओं के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची अध्याय-2 की तालिका 2.2 (ड) (i) में दी गई है।

3.2 (i) ब्लॉक अनुदान के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है

वित्त वर्ष 2017-18 से, बजट के योजनागत तथा गैर-योजनागत वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। जैसाकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जानकारी प्रदान की गई है कि वेतन तथा सेवानिवृत्ति लाभ आदि पर व्यय को संस्थान/स्वायत्त निकाय के संबंध में मद शीर्ष 36 के तहत आबंटित निधियों से पूरा किया जाएगा तथा (क) पेंशन और पेंशन संबंधी लाभ; (ख) किसी योजना के तहत नियुक्त परामर्शदाताओं को वेतन और यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते आदि का भुगतान (ग) किसी योजना के तहत नियुक्त संविदागत स्टाफ को किए गए वेतन/मजदूरी आदि को मद शीर्ष 31-अनुदान सहायता-सामान्य के तहत उपलब्ध कराई गई निधियों से पूरा किया जाएगा।

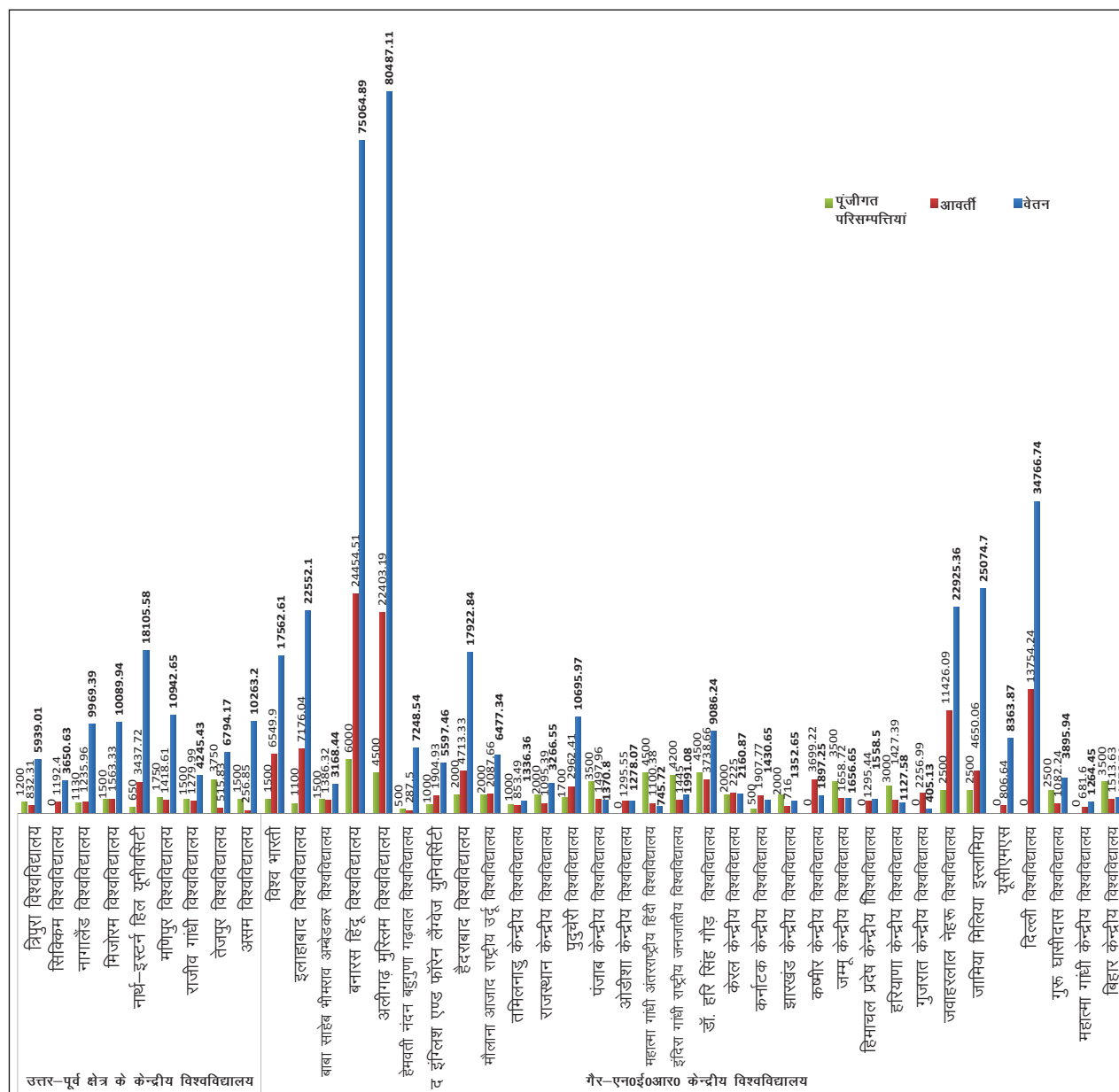
3.2 (i) (क) : वर्ष 2017-18 के दौरान वेतन, आवर्ती तथा पूंजीगत परिसम्पत्ति शीर्ष के तहत भुगतान किए गए अनुदान

क्रम सं०	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष 2017-18 के दौरान जारी किया गया अनुदान (लाख रुपए में)					
			वेतन		आवर्ती		पूंजीगत परिसम्पत्तियां	
			आवंटन	जारी किया गया	आवंटन	जारी किया गया	आवंटन	जारी किया गया
1	2	3	4		5		6	
		गैर-एन0ई0आर0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय						
1	बिहार	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1676.54	1676.54	1513.63	1513.63	7500.00	3500.00
2		महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी	1264.45	1264.45	681.60	681.60	1100.00	0.00
3	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	3895.94	3895.94	1082.24	1082.24	2500.00	2500.00
4	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	34766.74	34766.74	13754.24	13754.24	1000.00	0.00
4ख		युनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडीकल साइंस	8363.87	8363.87	806.64	806.64	550.00	0.00
5		जामिया मिलिया इस्लामिया	25074.70	25074.70	4650.06	4650.06	2500.00	2500.00

क्रम सं०	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष 2017-18 के दौरान जारी किया गया अनुदान (लाख रुपए में)					
			वेतन		आवर्ती		पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ	
			आवंटन	जारी किया गया	आवंटन	जारी किया गया	आवंटन	जारी किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	22925.36	22925.36	11426.09	11426.09	2500.00	2500.00
7	गुजरात	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय,	405.13	405.13	2256.99	2256.99	500.00	0.00
8	हरियाणा	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1127.58	1127.58	1427.39	1427.39	6000.00	3000.00
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1558.50	1558.50	1295.44	1295.44	500.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1656.65	1656.65	1658.72	1658.72	7000.00	3500.00
11		कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1897.25	1897.25	3699.22	3699.22	5500.00	0.00
12	झारखंड	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय,	1352.65	1352.65	716.00	716.00	4934.00	2000.00
13	कर्नाटक	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1430.65	1430.65	1907.77	1907.77	1500.00	500.00
14	केरल	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2160.87	2160.87	2225.00	2225.00	3500.00	2000.00
15	मध्य प्रदेश	डॉ० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय,	9086.24	9086.24	3738.66	3738.66	4500.00	4500.00
16		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,	1991.08	1991.08	1445.00	1445.00	4200.00	4200.00
17	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	745.72	745.72	1100.38	1100.38	4500.00	4500.00
18	ओडिशा	ओडीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ओडिशा	1278.07	1278.07	1295.55	1295.55	500.00	0.00
19	पंजाब	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1370.80	1370.80	1497.96	1497.96	7900.00	3500.00
20	पुदुचेरी	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	10695.97	10695.97	2962.41	2962.41	1700.00	1700.00
21	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	3266.55	3266.55	1095.39	1095.39	3000.00	2000.00
22	तमिलनाडु	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1336.36	1336.36	853.49	853.49	2000.00	1000.00
23	तेलंगाना	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	6477.34	6477.34	2087.66	2087.66	2000.00	2000.00
24		हैदराबाद विश्वविद्यालय	17922.84	17922.84	4713.33	4713.33	2000.00	2000.00
25		द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी	5597.46	5597.46	1904.93	1904.93	1000.00	1000.00
26	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	7248.54	7248.54	287.50	287.50	500.00	500.00
27	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	80487.11	80487.11	22403.19	22403.19	4500.00	4500.00
28		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	75064.89	75064.89	24454.51	24454.51	6000.00	6000.00
29		बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	3168.44	3168.44	1386.32	1386.32	1500.00	1500.00
30		इलाहाबाद विश्वविद्यालय	22552.10	22552.10	7176.04	7176.04	1100.00	1100.00
31	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	17562.61	17562.61	6549.90	6549.90	1500.00	1500.00
		कुल- I	375409.00	375409.00	134053.25	134053.25	95484.00	63500.00
		उत्तर-पूर्व क्षेत्र के केन्द्रीय विश्वविद्यालय						
32	असम	असम विश्वविद्यालय	10263.20	10263.20	1578.45	256.85	1500.00	1500.00
33		तेजपुर विश्वविद्यालय	6794.17	6794.17	1915.83	515.83	3750.00	3750.00
34	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	4245.43	4245.43	1354.99	1279.99	1500.00	1500.00
35	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	10942.65	10942.65	3488.61	1418.61	1750.00	1750.00

क्रम सं०	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष 2017-18 के दौरान जारी किया गया अनुदान (लाख रुपए में)					
			वेतन		आवर्ती		पूँजीगत परिसम्पत्तियां	
			आवंटन	जारी किया गया	आवंटन	जारी किया गया	आवंटन	जारी किया गया
1	2	3	4		5		6	
36	मेघालय	नार्थ-इस्टर्न हिल यूनीवर्सिटी	18105.58	18105.58	5937.72	3437.72	650.00	650.00
37	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	10089.94	10089.94	2789.00	1563.33	1500.00	1500.00
38	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	9969.39	9969.39	2615.96	1235.96	1130.00	1130.00
39	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	3650.63	3650.63	1652.40	1192.40	2800.00	0.00
40	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	5939.01	5939.01	2128.19	832.31	1200.00	1200.00
		कुल-II	80000.00	80000.00	23461.15	11733.00	15780.00	12980.00
		कुल योग- (I+II)	455409.00	455409.00	157514.40	145786.25	111264.00	76480.00

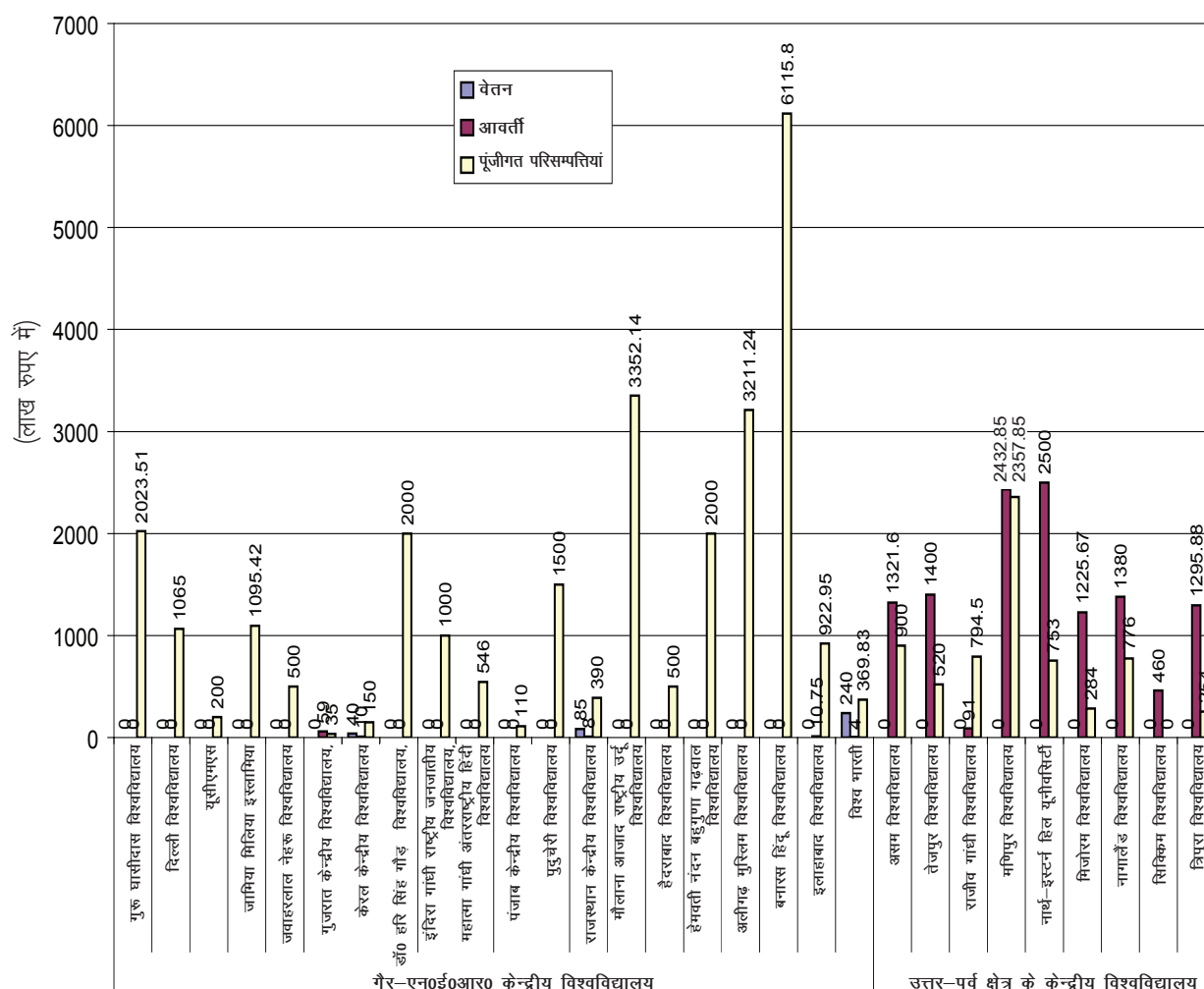
रेखाचित्र 3.1(i) (क) : वर्ष 2017-18 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वेतन, आवर्ती तथा पूँजीगत परिसम्पत्ति शीर्ष के तहत भुगतान किए गए अनुदान



3.2 (i) (ख) : वर्ष 2017-18 के दौरान वेतन, आवर्ती तथा पूंजीगत परिसम्पत्ति शीर्ष के तहत भुगतान किया गया अतिरिक्त अनुदान

क्रम सं०	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	अतिरिक्त अनुदान (लाख रुपए में)			
			वेतन	आवर्ती	पूँजीगत परिसम्पत्तियां	कुल
1	2	3	4			
गैर-एन0ई0आर0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय						
3	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	0.00	0.00	2023.51	2023.51
4	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	0.00	0.00	1065.00	1065.00
4ख		युनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडीकल साइंस	0.00	0.00	200.00	200.00
5		जामिया मिलिया इस्लामिया	0.00	0.00	1095.42	1095.42
6		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	0.00	0.00	500.00	500.00
7	गुजरात	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय,	0.00	59.00	35.00	94.00
14	केरल	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	40.00	10.00	150.00	200.00
15	मध्य प्रदेश	डॉ० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	2000.00	2000.00
16		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	1000.00	1000.00
17	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	546.00	546.00
19	पंजाब	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0.00	0.00	110.00	110.00
20	पुदुचेरी	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	1500.00	1500.00
21	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	85.00	8.00	390.00	483.00
23	तेलंगाना	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	0.00	0.00	3352.14	3352.14
24		हैदराबाद विश्वविद्यालय	0.00	0.00	500.00	500.00
26	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	2000.00	2000.00
27	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	0.00	0.00	3211.24	3211.24
28		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	0.00	0.00	6115.80	6115.80
30		इलाहाबाद विश्वविद्यालय	0.00	10.75	922.95	933.70
31	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	240.00	4.00	369.83	613.83
कुल-I			365.00	91.75	27086.89	27543.64
उत्तर-पूर्व क्षेत्र के केन्द्रीय विश्वविद्यालय						
32	असम	असम विश्वविद्यालय	0.00	1321.60	900.00	2221.60
33		तेजपुर विश्वविद्यालय	0.00	1400.00	520.00	1920.00
34	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	0.00	91.00	794.50	885.50
35	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	0.00	2432.85	2357.85	4790.70
36	मेघालय	नार्थ-इस्टर्न हिल यूनीवर्सिटी	0.00	2500.00	753.00	3253.00
37	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	0.00	1225.67	284.00	1509.67
38	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	0.00	1380.00	776.00	2156.00
39	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	0.00	460.00	0.00	460.00
40	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	0.00	1295.88	254.00	1549.88
कुल-II				12107.00	6639.35	18746.35
कुल योग- (I+II)				12198.75	33726.24	46289.99

रेखाचित्र 3.2 (i) (ख): वर्ष 2017-18 के दौरान वेतन, आवर्ती तथा पूंजीगत परिसम्पत्ति शीर्ष के तहत भुगतान किया गया अतिरिक्त अनुदान



3.2 (i) (ग): मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंस (आईएमएस), बीएचयू को वर्ष 2017-18 के लिए आवर्ती शीर्ष के तहत बजट चिह्नित किया कर जारी किया:

(लाख रुपए में)

शीर्ष	आबंटन	वर्ष 2017-18 के लिए जारी किया गया अनुदान
अनुदान सहायता- सामान्य (31)	4668.00	4668.00

3.2 (ii) : उद्देश्यों तथा मुख्य विशेषताओं के साथ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की विकास योजनाएं

3.2 (ii) (क) : अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की अनुशिक्षण योजना

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ और जामिया मिलिया इस्लामिया में अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आवासीय अनुशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई थी।

अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमी का उद्देश्य समान उन्नति के लिए समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है, जिससे अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित हो सके तथा निःशुल्क/नाममात्र शुल्क/बिना शिक्षण शुल्क पर छात्रावास की सुविधा प्रदान कर केन्द्र/राज्य सरकार, निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रवेश के लिए तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उपर्युक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को निःशुल्क शिक्षण की सुविधा प्रदान की जा सके।

इस योजना के तहत अब तक आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की स्थापना करने के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	कुल आबंटन	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अब तक जारी किया गया कुल अनुदान
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1328.78	1319.28
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया	1500.00	1400.00
3.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	828.78	783.78
4.	डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	1078.78	995.28
5.	जामिया हमदर्द (सम विश्वविद्यालय)	1395.38	1385.38
कुल		6131.72	5883.72

योजना के तहत वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

3.2 (ii) (ख): केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पीठों की स्थापना

महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चिंतन के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली के अकादमिक संसाधनों को समृद्ध करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नोबेल पुरस्कार विजेताओं और अन्य सुविख्यात व्यक्तियों के नाम पर पीठों की स्थापना की योजना तैयार की है जो या तो भारतीय नागरिक हैं या भारतीय हैं मूल के हैं। इस पृष्ठभूमि में, उनके योगदान के उत्कृष्ट क्षेत्रों में पीठों की स्थापना की जा रही है।

3.2 (ii) (ख) (i) : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्थापित पीठों की स्थिति

क्रम संख्या	पीठ का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना की तिथि तथा वर्ष	जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4	5
1.	स्वामी विवेकानंद पीठ	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2014-15	25,00,000/- रुपए
2.	स्वामी दयानंद सरस्वती पीठ	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2016-17	17,00,000/- रुपए
3.	गुरु गोबिंद सिंह पीठ	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2016-17	17,00,000/- रुपए
4.	राजीव गांधी पीठ	एनईएचयू	2005-2006	40,00,000/- रुपए
	राजीव गांधी पीठ	इलाहाबाद विश्वविद्यालय		1,40,00,000/- रुपए
5.	बाबा सतगुरु रामसिंह पीठ	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2012-2013	17,00,000/- रुपए
6.	पंडित मदन मोहन मालवीय पीठ	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	2012-2013	संस्कृति मंत्रालय द्वारा 150.00 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया था
7.	जनजातीय अध्ययनों हेतु पीठ	जेएनयू	2012-13	25,00,000/- रुपए
		हैदराबाद विश्वविद्यालय		25,00,000/- रुपए
		एनईएचयू		25,00,000/- रुपए
		ओडिशा विश्वविद्यालय		25,00,000/- रुपए
		हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय		25,00,000/- रुपए
8.	बाबू जगजीवनराम पीठ	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	24.12.2013	25,00,000/- रुपए
9.	मौलाना अबुल कलाम आजाद पीठ	एमएएनयूयू	2011-12	57,14,000/- रुपए
		जेएमआई	2011-12	20,00,000/- रुपए
10.	अम्बेडकर पीठ	बीबीएयू	2014-15	25,00,000/- रुपए

तालिका 3.1 (ii) (ख) (ii): वर्ष 2017-18 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पीठों की स्थापना हेतु जारी किया गया अनुदान

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	पीठ का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किया गया अनुदान
1.	स्वामी दयानंद सरस्वती पीठ	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	17.00
2.	गुरु गोबिंद सिंह पीठ	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	17.00
3.	बाबा सतगुरु रामसिंह पीठ	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	17.00
	कुल		51.00

3.2 (ii) (ग) : उर्दू माध्यम के अध्यापकों के पेशेवर विकास के लिए केन्द्र की स्थापना:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उर्दू माध्यम के अध्यापकों के पेशेवर विकास हेतु केन्द्र की स्थापना करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया को निधियां उपलब्ध करवा रहा है। इन विश्वविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान की स्थिति निम्नवत है:

(लाख रुपए में)

विश्वविद्यालय का नाम	आवंटन	अब तक जारी किया गया अनुदान
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	400	376
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी	400	370
जामिया मिलिया इस्लामिया	400	350

3.2 (ii) (घ) : प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए क्षमता विस्तार

केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के तहत अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त संस्थानों के अलावा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित अनुरक्षित अथवा सहायता प्राप्त केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों (सीईआई) में अनुसूचित जाति के लिये 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों (असम्पन्न वर्ग के अलावा) हेतु अध्ययन की प्रत्येक शाखा अथवा संकाय में अनुमेय वार्षिक संख्या का 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है जिसके माध्यम से शिक्षा सत्र 2006-07 के लिए अनुमेय वार्षिक क्षमता को शिक्षा सत्र 2008-09 से आरंभ कर अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के दौरान 54 प्रतिशत तक बढ़ाना अपेक्षित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अ.पि.व., अ.जा. तथा अ.ज.जा. को प्रत्येक शिक्षा सत्र में उपलब्ध अनारक्षित सीटों की संख्या उस सत्र के लिए अनुमेय क्षमता में वृद्धि के अनुरूप हो।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, योजना के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय और मणिपुर विश्वविद्यालय को निम्नानुसार अनुदान जारी किया गया था।

3.2 (ii) (ङ) (i): अन्य पिछड़ा वर्गों को अनुदान-इलाहाबाद विश्वविद्यालय

(लाख रुपए में)

संघटक महाविद्यालयों हेतु आबंटन	मद/ लेखा शीर्ष		पहले ही जारी किया गया अनुदान	अब संस्वीकृत किया गया अनुदान	अब तक जारी किया गया कुल अनुदान
5033.88	अनुदान सहायता पूंजीगत परिसम्पत्तियां (35)	केन्द्रीय विश्वविद्यालय सामान्य घटक I (क) 35	1950.63	422.95	2373.58
		केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति घटक I (ख) 35	377.54	0.00	377.54
		केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुसूचित जनजाति घटक I (ग) 35	188.77	0.00	188.77
		कुल	2516.94	422.95	2939.89

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	अवसंरचना विकास हेतु आबंटन	पहले ही जारी किया गया अनुदान	अब संस्वीकृत किया गया अनुदान	अब तक जारी किया गया कुल अनुदान
1.	ईश्वर सरन डिग्री कॉलेज	403.20	201.60	161.28	362.88
2.	एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज	377.40	188.70	150.96	339.66
3.	एसपीएम डिग्री कॉलेज	276.78	138.39	110.71	249.10
	कुल	1057.38	528.69	422.95	951.64

3.2 (ii)(ड)(ii): मणिपुर विश्वविद्यालय को अन्य पिछड़ा वर्ग अनुदान

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	मद	आबंटन	पहले ही जारी किया गया अनुदान	अब संस्वीकृत किया गया अनुदान	अब तक जारी किया गया कुल अनुदान
क	अनावर्ती	4186.50	3500.00	267.85	3767.85
ख	आवर्ती	*150.00 (वार्षिक रूप से)	100.00	271.85	371.85
	कुल		3600.00	539.70	4139.70

3.2 (ii)(च) : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालयों को स्थापित करना/सुदृढ़ करना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य विश्वविद्यालयों से शिक्षा विभाग की स्थापना करने तथा शिक्षकों एवं अध्यापकों हेतु कार्यक्रम आयोजित करने हेतु बल देता आ रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा अध्यापकों की शिक्षा संबंधी न्यायमूर्ति वर्मा आयोग (2012) की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आलोक में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विश्वविद्यालयी प्रणाली में अध्यापकों की शिक्षा हेतु संस्थागत सहायता को विस्तार देने के लिये साथ ही उसमें विभिन्न गुणात्मक सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया। ऐसे कदम उठाने की दिशा में एक ऐसा पहलू देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालयों की स्थापना करना था। इस उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को उनके भीतर एक शिक्षा विद्यालय स्थापित करने तथा सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के अलावा अध्यापकों की शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप आरंभ करने के लिये पत्र व्यवहार किया। इनमें पाठ्यचर्या शोध, नीतिगत तथा शैक्षणिक विकास, ज्ञानार्जन तथा शिक्षाशास्त्रीय अध्ययन, निर्धारण तथा मूल्यांकन, अध्यापकों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों का पेशेवर विकास करना शामिल है। एक संबंधित मुद्दा जिस पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से कार्य करने का अनुरोध किया गया था वह अध्यापक शिक्षा (एनसीटीई), 2009 के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे की सिफारिशों के आलोक में विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या में सुधार करने से संबंधित था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा के विस्तार तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए निधियां संस्वीकृत की जिसके विभिन्न शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर पदों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या में सुधार हेतु कदमों को भी बल प्रदान करते हुए शैक्षणिक स्टॉफ कालेजों से अध्यापक शिक्षकों को पुनश्चर्या तथा अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया ताकि अध्यापक शिक्षा विभागों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जा सके तथा समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाये जा सके।

उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप, वर्तमान में, 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय/विभाग हैं, जो विभिन्न सेवा-पूर्व तथा अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं तथा उन्होंने अध्यापक शिक्षा के अन्य संबंधित कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने के प्रयासों को तीव्र कर दिया है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

3.2 (ii) (छ): लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना

लुप्तप्राय भाषाओं के परिरक्षण तथा उनके संवर्धन हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्वदेशी भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत 09 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना की है:-

- तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
- सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम
- झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड
- कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक
- विश्व भारती, पश्चिम बंगाल
- राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश
- इंदिरा गांधी नेशनल ट्रॉइबल यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश
- गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
- केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल

योजना के तहत, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय को लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्र की स्थापना हेतु निम्नवत अनुदान जारी किया गया:

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	आबंटन	वेतन शीर्ष के तहत जारी किया गया अनुदान	आवर्ती शीर्ष के तहत जारी किया गया अनुदान
1	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	360.00	135.89	44.11
2	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	360.00	92.55	87.45
	कुल	720.00	228.44	131.56

3.2 (ii)(ज): विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों का निर्माण

महिलाओं का दर्जा बढ़ाने तथा व्यापक रूप से समाज के विकास की क्षमता का दोहन करने के लिए साथ ही, लिंग समानता और महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना को कार्यान्वित कर रहा है। वित्त वर्ष 2017-18 इस योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

3.2 (ii)(झ): केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में योग विभागों की स्थापना

स्वास्थ्य, सामाजिक सौहार्द तथा अनुशासन को बढ़ावा देने में योग की भूमिका सर्व विदित है। इस तथ्य को सभी स्वीकार करते हैं कि युवाओं में ज्ञानशील, विश्वास से भरपूर, संतुलित, दृढ़ चरित्रवान तथा नेतृत्व के गुणों से परिपूर्ण बेहतर नागरिक बनने के लिए कला और विज्ञान के विभिन्न रूपों में योग से परिचय करवाने की आवश्यकता है। योग हमारी सांस्कृतिक धरोहर है तथा यह शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।

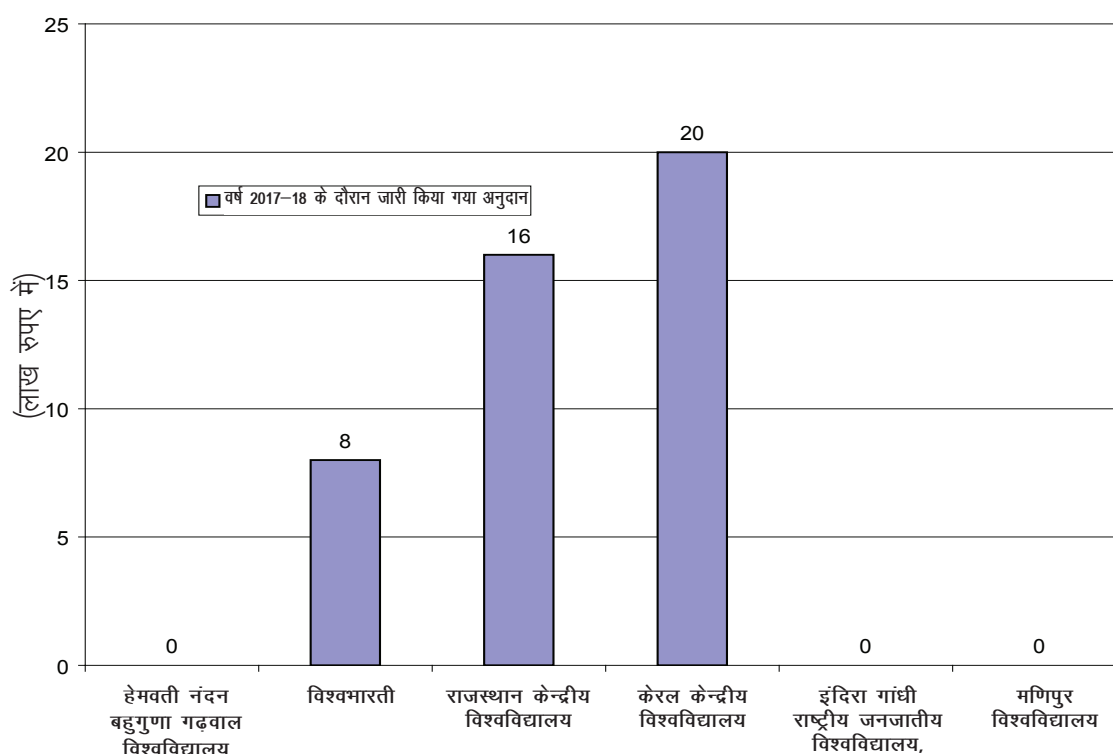
योग का हमारे स्वास्थ्य तथा व्यवहार पर सटीक जैविक प्रभाव का आंकलन करने के लिए इस विषय पर अधिकाधिक मुख्यधारा का शोध किया जा रहा है। यह अनिवार्य है कि भारतीय विश्वविद्यालय भी मानव स्वास्थ्य पर योग तथा ध्यान के सकारात्मक प्रभावों के बारे में वैज्ञानिक साक्ष्यों को सुदृढ़ करें। योग में शिक्षा तथा उसे व्यवहारिक रूप से करने के लिए सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में योग विभागों/केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित छह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पूर्ण योग विभाग और पाठ्यक्रम स्वीकृत किए हैं –

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम	आबंटन	पहले से ही जारी किया गया अनुदान	वर्ष 2017-18 के दौरान जारी किया गया अनुदान
1.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	विज्ञान स्नातक (योगिक विज्ञान) तथा पीएचडी (योगिक विज्ञान)	1000.00	0.00	0.00
2.	विश्वभारती	विज्ञान स्नातक (योगिक विज्ञान) तथा विज्ञान निष्णात (योगिक विज्ञान)	1000.00	0.00	8.00
3.	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	विज्ञान निष्णात (योग चिकित्सा) तथा योग में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा	1000.00	0.00	16.00
4.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	योग में डिप्लोमा, कला निष्णात (योग चिकित्सा) तथा पीएचडी (योग)	1000.00	0.00	20.00
5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,	विज्ञान स्नातक (योगिक विज्ञान) तथा योग में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा	1000.00	500.00	0.00
6.	मणिपुर विश्वविद्यालय	विज्ञान स्नातक (योगिक विज्ञान) तथा योग में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा	1000.00	0.00	0.00
	कुल		6000.00	500.00	44.00

रेखाचित्र 3.2(ii)(झ) : वर्ष 2017-18 के दौरान योग विभागों तथा पाठ्यक्रमों के लिए जारी किया गया अनुदान



3.2 (ii)(ज): एनएएससी द्वारा प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का अनिवार्य प्रत्यायन

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शी तथा संसूचित बाह्य समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यांकन तथा प्रत्यायन, गुणवत्ता आश्वासन की प्रभावी पद्धतियां हैं जिससे छात्रों तथा अन्य को सामान्य संदर्भ ढांचा उपलब्ध कराया जा सकता है तथा सभी संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिससे घरेलू के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में छात्रों के स्थानांतरण में सहायता प्राप्त हो सकेगी।

किसी संस्थान में शिक्षा कार्यक्रमों के प्रारंभ होने से पूर्व मूल्यांकन आरंभ किया जाता है। संस्थान द्वारा उसकी स्थापना के कतिपय वर्ष (6 वर्ष) पूर्ण होने पर/विनिर्दिष्ट संख्या में बैच (दो बैच) उत्तीर्ण होने पर, इनमें से जो भी पहले हो, के पश्चात् प्रत्यायन आरंभ किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यह भी निर्णय ले चुका है कि कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा संकाय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र अथवा इसके अंतर्गत कोई इकाई चाहे जिस नाम से इसे जाना जाए, यदि वह दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को अथवा इससे पूर्व अपना निर्धारण तथा मूल्यांकन नहीं करवाती है तो वह दिनांक 01 अप्रैल, 2016 तथा इसके पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इसकी किसी भी योजना के लिये वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने अथवा प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होगी।

40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 35 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने एनएएससी प्रत्यायन प्राप्त किया है। 2 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने पूर्व में प्रत्यायन प्राप्त कर लिया था परंतु उसकी प्रत्यायन अवधि समाप्त हो गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा पुदुचेरी विश्वविद्यालय ने पुनर्प्रत्यायन हेतु आवेदन किया है। दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय नामतः (i) दिल्ली विश्वविद्यालय (ii) झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने पहली बार प्रत्यायन हेतु आवेदन किया है। एक नया स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय अर्थात् महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी प्रत्यायन हेतु पात्र नहीं है।

3.2 (ii)(ट): विश्वविद्यालयों में सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र की स्थापना

देश में तकनीकी और उच्चतर शिक्षा संबंधी संचालन समिति की सिफारिशों के अनुसार देश में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। जबकि अनेक संस्थान पहले ही एनएसएस जैसे कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं,

जिन्हें वृहद रूप से समुदाय की मदद करने के लिये तैयार किया गया है। सामुदायिक भागीदारी के संबंध में नई पद्धति की सिफारिश, योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की जा रही है जिसमें समुदायों, सिविल समाज तथा देश के उच्चतर शिक्षा के संस्थानों के बीच आपसी लाभ तथा सम्मानपूर्ण भागीदारी पर बल दिया गया है।

सामान्यतः विश्वविद्यालयी प्रणाली में पहुंच/विस्तार क्रियाकलापों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इस प्रकार अधिकांश उच्चतर शिक्षा संस्थान व्यापक रूप से समाज से कटे हुए रहते हैं। इसलिये, यह महत्वपूर्ण है कि इस बात को स्पष्ट रूप से तथा पुरजोर ढंग से अधिदेशित किया जाये कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 'सामुदायिक भागीदारी' का मूल उद्देश्य समुदाय तथा संस्थानों दोनों के आपसी हितों की पूर्ति करना है। हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रों की स्थापना संबंधी दिशानिर्देश तैयार किये हैं। अन्य बातों के साथ-साथ योजना का उद्देश्य निम्नवत है: (i) समुदाय को एक रूपरेखा उपलब्ध कराना/विश्वविद्यालयों की विश्वविद्यालय भागीदारी योजना (ii) इसमें लोगों के जीवन को शामिल करने के लिये ज्ञान को विकसित करने हेतु समुदाय/विश्वविद्यालयी भागीदारी को बढ़ावा देना तथा भागीदारी पूर्ण शोध को बढ़ावा देना (iii) परियोजनाओं की आयोजना और निष्पादन हेतु सहभागिता आधारित संगठनों के साथ कार्य करना। (iv) समुदाय की ज्ञान अर्जन संबंधी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा को डिजाइन करना तथा उसका विकास करना, और (v) विद्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों में एक आपसी नेटवर्क तैयार करना तथा सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के मामले में नीतिगत सुझाव तथा तकनीकी सहायता मुहैया करवाना है।

वर्ष 2017-18 के दौरान योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

3.2 (ii) (झ): चार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग की स्थापना और मौजूदा रक्षा अध्ययन विभाग का राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग में उन्नयन किया जाना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के पूर्व महानिदेशक एयर कमांडर (सेवानिवृत्त) जसजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग की स्थापना/ उन्नयन हेतु विस्तृत सिफारिशें देने के लिए एक समिति का गठन किया है।

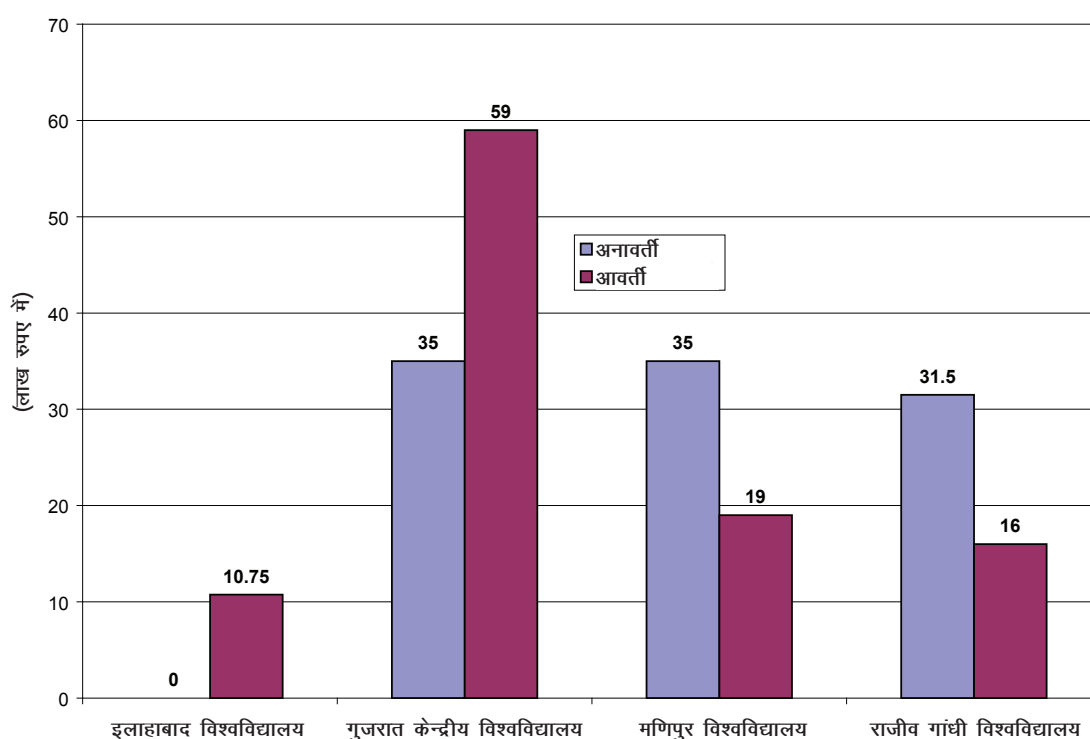
समिति ने छह विश्वविद्यालयों नामतः इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर, मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर, पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग की स्थापना तथा मौजूदा रक्षा अध्ययन विभाग का राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग में उन्नयन किए जाने को अनुमोदन प्रदान किया।

सिफारिशों का सारांश तथा चार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	समिति द्वारा संस्तुत						जारी किया गया अनुदान (लाख रुपए में)		
		आबंटित राशि (लाख रुपए में)			शिक्षण पद	शिक्षणेत्तर पद	प्रयोजन	अनावर्ती	आवर्ती (संस्तुत राशि का 50 प्रतिशत)	कुल
		अनावर्ती	आवर्ती	कुल						
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	--	21.50	21.50	02	--	मौजूदा विभाग का उन्नयन किए जाने हेतु	--	10.75	10.75
2.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	35.00	118.00	153.00	12	समूह 'ख' के लिए 02 तथा समूह 'ग' के लिए 06	मौजूदा विभाग का उन्नयन किए जाने हेतु	35.00	59.00	94.00
3	मणिपुर विश्वविद्यालय	35.00	38.00	73.00	04	03	नए विभाग की स्थापना करने हेतु	35.00	19.00	54.00

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	समिति द्वारा संस्तुत						जारी किया गया अनुदान (लाख रुपए में)		
		आबंटित राशि (लाख रुपए में)			शिक्षण पद	शिक्षणेत्तर पद	प्रयोजन	अनावर्ती	आवर्ती (संस्तुत राशि का 50 प्रतिशत)	कुल
		अनावर्ती	आवर्ती	कुल						
4	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	31.50	32.00	63.50	04	--	नए विभाग की स्थापना करने हेतु	31.50	16.00	47.50
	कुल	101.50	209.50	311.00	22			101.50	104.75	206.25

रेखाचित्र 3.2 (ii) (झ): वर्ष 2017-18 के दौरान नए रक्षा अध्ययन विभाग की स्थापना और मौजूदा रक्षा अध्ययन विभागों को राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग में उन्नयन करने के लिए जारी किया गया अनुदान (लाख रुपए में)



3.3 : राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनिर्दिष्ट मानकों के ढांचे तथा व्यापक परिव्यय के भीतर ऐसे सभी पात्र राज्य विश्वविद्यालय को सामान्य विकास सहायता मुहैया करवाता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत मान्यता प्राप्त हैं ताकि ऐसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जा सकें, जो सामान्यतः उन्हें राज्य सरकार अथवा सहायता प्रदान करने वाले निकायों से प्राप्त नहीं होती हैं। भवन, कर्मचारिवृंदों, पुस्तकों तथा जर्नलों, उपस्करों एवं अन्य मदों आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता, योजनागत ब्लॉक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में, इसमें भवन का निर्माण, नवीकरण (विरासत भवनों का नवीकरण सहित) कैम्पस विकास, कर्मचारिवृंद, पुस्तकें तथा जर्नल, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अवसंरचना वार्षिक अनुसंधान संविदा, नवोन्मेष शोध क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय-उद्योग संबंध, विस्तार क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य परिचर्या, छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं, यात्रा अनुदान/

सम्मेलन/संगोष्ठियां/परिसंवाद/कार्यशाला, प्रकाशन अनुदान, अभ्यागत आचार्य, अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति तथा वृत्ति और परामर्श प्रकोष्ठ, दिवसीय देखभाल केन्द्र, महिलाओं के लिये मूलभूत सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम आदि शामिल होंगे।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामान्य विकास सहायता के तहत आवंटन के समक्ष अनुदान का उपयोग करने हेतु दिनांक 30 सितम्बर, 2017 तक समय बढ़ाया गया था, जिसके तहत भवन के लिए, दिनांक 31 मार्च, 2019 तक किया गया व्यय ग्राह्य होगा, बशर्ते कि ऐसे भवनों का निर्माण कार्य दिनांक 31 मार्च, 2017 तक प्रारंभ हो चुका हो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में विख्यात, नोबल पुरस्कार से सम्मानित तथा अपने योगदान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम पर नए पीठों को आरंभ किया है: योजना के तहत निम्नवत पीठों को सम्मिलित किया गया है :

क्र.सं.	राष्ट्रीय पीठ का नाम	विषय/क्षेत्र	क्र.सं.	राष्ट्रीय पीठ का नाम	विषय/क्षेत्र
1	मोतीलाल नेहरू	• विधिक शिक्षा • स्वतंत्रता आंदोलन	14	पं० मदन मोहन मालवीय	• शिक्षा • सामाजिक सुधार • स्वतंत्रता आंदोलन
2	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद	• पत्रकारिता • शिक्षा • उर्दू और अरबी साहित्य • स्वतंत्रता आंदोलन	15	सर सैयद अहमद खान	• शिक्षा • सामाजिक सुधार • धर्म तथा संस्कृति
3	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद	• स्वतंत्रता आंदोलन • अभिशासन	16	महात्मा अय्यानकली	• समाज सुधारक और शोषित वर्गों के पक्ष-समर्थक
4	लाल बहादुर शास्त्री	• धारणीय कृषि तथा ग्रामीण विकास • आचार तथा अभिशासन • स्वतंत्रता आंदोलन	17	श्री गुरु गोबिंद सिंह	• समाज सुधारक/सभी धर्मों तथा संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन
5	बाबू जगजीवन राम	• समाज में हाशिये पर जीवन यापन कर रहे वर्गों का सशक्तिकरण	18	स्वामी दयानंद सरस्वती	• समाज सुधारक/समाज जागरूकता
6	राजीव गांधी	• पंचायती राज • आईसीटी तथा कम्प्यूटरीकरण • युवाओं का सशक्तिकरण • शांति तथा विवाद समाधान	19	पंडित दीन दयाल उपाध्याय	• सामाजिक आर्थिक विचारधारा तथा अंतर्निहित मानव-प्रेम
7	स्वामी विवेकानन्द	• राष्ट्रीय और सामाजिक जागरण • दर्शन शास्त्र • युवा विकास तथा नेतृत्व	20	रविन्द्र नाथ टैगोर	• साहित्य • कला और सौन्दर्यशास्त्र • संस्कृति • संगीत
8	महात्मा गांधी	• शांति तथा अहिंसा • स्वतंत्रता आंदोलन • राष्ट्रीय एकता	21	सी० वी० रमन	• भौतिकी तथा प्रकाशिकी, स्पेक्ट्रमदर्शी तथा ध्वनिविज्ञान • रसायन शास्त्र
9	पं० जवाहर लाल नेहरू	• स्वतंत्रता आंदोलन • अंतराष्ट्रीय सहयोग • विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी • गुट-निरपेक्षता आंदोलन	22	मदर टैरिसा	• मानवाधिकार • महिला सशक्तिकरण • शांति • गरीबी उन्मूलन और परोपकारिता
10	डॉ० बी० आर० अम्बेडकर	• सामाजिक समावेशन • संविधान संबंधी अध्ययन	23	सुब्रहमण्यम् चंद्रशेखर	• भौतिकी तथा खगोलविज्ञान • खगोलशास्त्र • चुंबकीय-द्रवगतिक विज्ञान
11	डॉ० जाकिर हुसैन	• शिक्षा • स्वतंत्रता आंदोलन	24	हरगोबिन्द खुराना	• जीव विज्ञान • रसायन और जीव रसायन • शरीरक्रिया विज्ञान और औषधि
12	डॉ० एस० राधाकृष्ण	• शिक्षा • दर्शन शास्त्र	25	अमर्त्य सेन	• आर्थिक व्यवस्था संबंधी विज्ञान • लोकहितकारी अर्थशास्त्र • सामाजिक विकल्प संबंधी सिद्धांत • मानव विकास • धारणीय विकास
13	सरदार वल्लभ भाई पटेल	• राष्ट्रीय एकता • अभिशासन			

क्र.सं.	राष्ट्रीय पीठ का नाम	विषय/क्षेत्र	क्र.सं.	राष्ट्रीय पीठ का नाम	विषय/क्षेत्र
26	वेंकटराम रामकृष्णन	• ढांचागत तथा आण्विक जीव विज्ञान • जीव रसायन और रसायन शास्त्र	29	लक्ष्मीकांत बेजबाराव	• साहित्य • कला • संस्कृति
27	ई० श्रीधरन	• शहरी विकास • सड़क परिवहन	30	श्री अरविन्दो	• शिक्षा • दर्शन शास्त्र • योग • आध्यात्मिकता
28	डॉ० होमी जहांगीर भाभा	• अंतरिक्ष विज्ञान			

- आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना तथा महिला छात्रावास के निर्माण की एक स्वतंत्र योजना को सभी राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित किया जायेगा तथा अब यह आमेलित योजना का भाग नहीं होगी और पृथक योजना के रूप में जारी रहेगी।
- ऐसे शिक्षकों को विशेष मानदेय की योजना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित चार में से कम से कम दो विज्ञान अकादमियों के अध्येता हों, यह योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पृथक योजना के रूप में जारी रहेगी।

राज्य विश्वविद्यालयों हेतु सामान्य विकास सहायता के तहत निम्नवत योजनाएं चलाई जा रही हैं:-

क्रम संख्या	योजना	क्रम संख्या	योजना
1	भवनों का निर्माण और उनका नवीकरण	14	यात्रा अनुदान
2	कैम्पस विकास	15	सम्मेलन/संगोष्ठी/परिसंवाद/कार्यशाला
3	कर्मचारिवृंद	16	प्रकाशन अनुदान
4	पुस्तकें और जर्नल	17	अभ्यागत आचार्य/अभ्यागत अध्येताओं की नियुक्ति
5	प्रयोगशाला उपस्कर और अवसंरचना	18	वृत्ति तथा परामर्श संबंधी सेवा प्रकोष्ठ की स्थापना
6	वार्षिक अनुरक्षण संविदा	19	दिवसीय देखभाल केन्द्र
7	नवोन्मेषी शोध क्रियाकलाप	20	महिलाओं हेतु मूलभूत सुविधाएं
8	विश्वविद्यालय- उद्योग संबंध	21	संकाय विकास कार्यक्रम
9	विस्तार क्रियाकलाप	22	एनकोर
10	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	23	मानवाधिकार और कर्तव्यों संबंधी शिक्षा
11	आईसीटी का विकास	24	अंशकालिक अभ्यागत शिक्षकों की नियुक्ति/मानदेय
12	स्वास्थ्य परिचर्या	25	छात्रों को नेट के अलावा अन्य अध्येतावृत्तियां
13	छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं		

- निम्नवत योजनाएं जो पूर्व में आमेलित योजना का भाग थी, उन्हें अब इस प्रयोजनार्थ गठित एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिबद्ध प्रकोष्ठ द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित किया जायेगा तथा इन योजनाओं के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पृथक अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।
 - समान अवसर प्रकोष्ठ।
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण।
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु नेट अनुशिक्षण।
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु सेवाओं में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण कक्षाएं।
 - निशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014-15 के दौरान "स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत" नामक नई योजना आरंभ की है। इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालयों को पहले से आबंटित सामान्य विकास अनुदान का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी जो पहले ही राज्य विश्वविद्यालयों को आबंटित किया गया था।

- वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सामान्य विकास सहायता योजना के तहत राज्य विश्वविद्यालयों को 163,96,97,000/- रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है।
- वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सामान्य विकास सहायता योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य विश्वविद्यालयों को 3,14,18,000/- रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।
- पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ को पूंजीगत अनुदान (2017-18) वेतन शीर्ष के तहत 40,00,00,0000/- लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।

3.4 सम विश्वविद्यालय संस्थान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को विकास (राजस्व) तथा अनुरक्षण (पूंजीगत) सहायता उपलब्ध कराता है।

वर्तमान में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से राजस्व/पूंजीगत/निर्धारित अनुरक्षण/विशेष अनुदान प्राप्त करने वाले 21 चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थान हैं। चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों का नाम नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य/ विश्वविद्यालय/ संस्थान
आंध्र प्रदेश	
1	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति-517507, (आंध्र प्रदेश)
2	श्री सत्य साईं इंस्टिट्यूट ऑफ हॉयर लर्निंग, प्रशांतनिलयम- 515134, जिला अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)
दिल्ली	
3	इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली-110001 (केवल बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए आवंटन किया गया है)
4	जमिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली-110 062
5	नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110 016
6	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, न्यू महारौली रोड, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110 016
गुजरात	
7	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद- 380 014 (गुजरात)
महाराष्ट्र	
8	डेक्कन कॉलेज पी0 जी0 एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे-411006 (महाराष्ट्र)
9	गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनोमिक्स, शिवाजीनगर डेक्कन जिमखाना, बीएमसीसी रोड, पुणे-411 006, (महाराष्ट्र)
10	इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नथालाल पारेख मार्ग, मटूंगा, मुंबई-400 019 (महाराष्ट्र)
11	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, सियान ट्राम्बे रोड, देवनार, मुंबई-400 088 (महाराष्ट्र)
राजस्थान	
12	बनस्थली विद्यापीठ, पी0ओ0 बनस्थली, विद्यानगर-304022, (राजस्थान)
13	जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट लांडनू-341306 (राजस्थान)
तमिलनाडु	
14	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हॉयर एजुकेशन, कोयंबतूर-641043 (तमिलनाडु)
15	चेन्नै मेथेमेटिकल इंस्टिट्यूट, एचएल सिपकॉट आईटी पार्क, पादुर पोस्ट, सिरुसेरी-603 103 (तमिलनाडु)
16	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम, डिंडिगुल-624302, (तमिलनाडु)
17	श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, एनाथुर, कांचीपुरम-631 552 (तमिलनाडु)
उत्तर प्रदेश	
18	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉयर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी-221007, (उत्तर प्रदेश)
19	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, दयालबाग, आगरा-282005, (उत्तर प्रदेश)
उत्तराखण्ड	
20	गुरुकुल कांगड़ी विद्यापीठ, हरिद्वार-249 404 (उत्तराखण्ड)
पश्चिम बंगाल	
21	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल-711202

*आयोग ने दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 तथा 13 फरवरी, 2012 को आयोजित बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की समीक्षा समिति के "ग" श्रेणी के तहत आने वाले सम विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान संस्वीकृत नहीं करने का निर्णय लिया।

3.4 (i): राजस्व/ पूंजीगत अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 16 चिह्नित सम विश्वविद्यालयों को राजस्व/पूंजीगत अनुदान प्रदान करता है। सामान्य विकास सहायता का उद्देश्य न केवल विश्वविद्यालय में मौजूदा अवसंरचना में सुधार तथा समेकन करना बल्कि कतिपय चिह्नित क्षेत्रों में उत्कृष्टता का विकास करना है। वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालयों को राजस्व/पूंजीगत अनुदान के रूप में सामान्य विकास सहायता प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालयों के मामले में, इसमें भवन का निर्माण, नवीकरण (विरासत भवनों का नवीकरण सहित) कैम्पस विकास, कर्मचारिवृंद, पुस्तकें तथा जर्नल, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अवसंरचना, वार्षिक अनुरक्षण संविदा, नवोन्मेष शोध क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय-उद्योग संबंध, विस्तार क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य परिचर्या, छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं, छात्रों को गैर-नेट अध्येतावृत्ति, यात्रा अनुदान, सम्मेलन/संगोष्ठियां/परिसंवाद/कार्यशाला, प्रकाशन अनुदान, अभ्यागत आचार्य/अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति तथा वृत्ति और परामर्श प्रकोष्ठ, दिवसीय देखभाल केन्द्र, महिलाओं के लिए सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

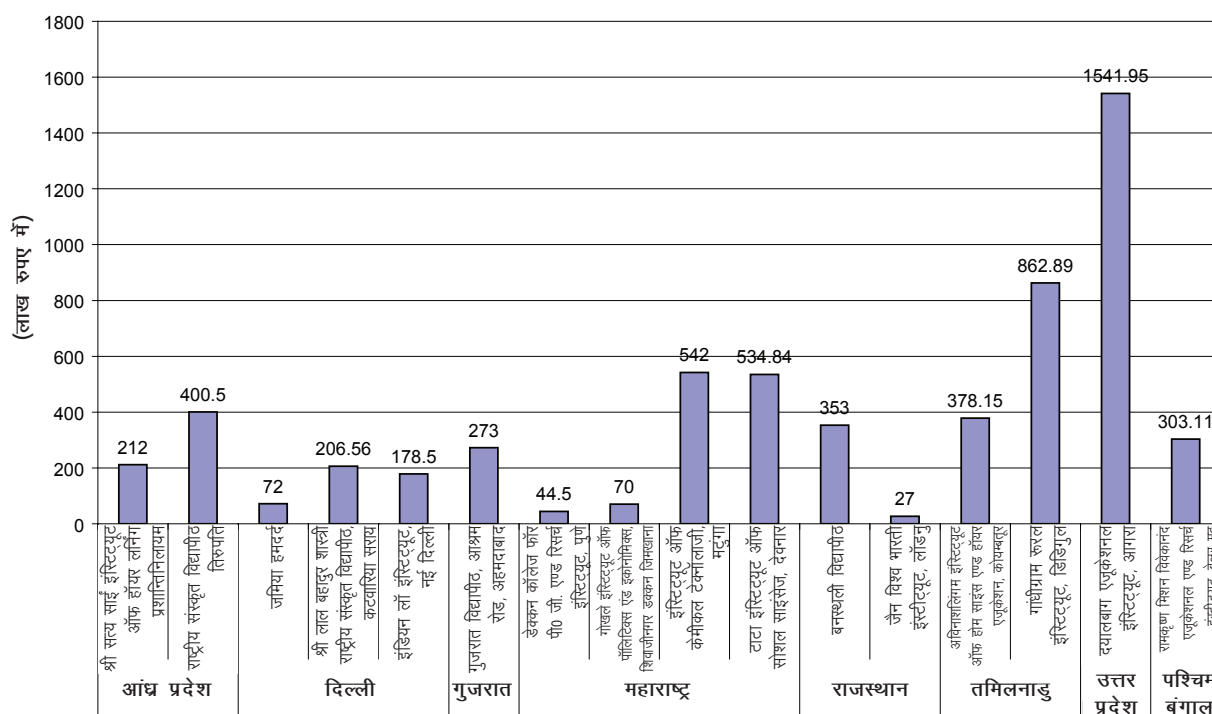
आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ तथा महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना को सभी चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों में स्वतंत्र योजना के रूप भी में लागू किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व/पूंजीगत अनुदान के तहत चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को 6000.00 लाख रुपए की राशि जारी की। वर्ष 2017-18 के दौरान संस्वीकृत अनुदानों का ब्योरा तालिका नीचे दिया गया है:-

तालिका 3.4 (i) : वर्ष 2017-18 के दौरान चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को जारी किया गया राजस्व/पूंजीगत अनुदान (लाख रुपए में)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	अनुदान सहायता सामान्य 31	अनुदान सहायता सामान्य 35	कुल शीर्ष 31 और 35
	आंध्र प्रदेश			
1	श्री सत्य साईं इंस्टिट्यूट ऑफ हॉयर लर्निंग, प्रशान्तिनिलायम-515 134, जिला अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)	13.00	199.00	212.00
2	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति-517 507 (आंध्र प्रदेश)	241.50	159.00	400.50
	दिल्ली			
3	जमिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली-110 062	24.00	48.00	72.00
4	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, न्यू महरौली रोड, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110 016	113.29	93.27	206.56
5	इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली-110 001	103.53	74.97	178.50
	गुजरात			
6	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 014 (गुजरात)	52.50	220.50	273.00
	महाराष्ट्र			
7	डेक्कन कॉलेज फॉर पी0 जी. एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे- 411 006 (महाराष्ट्र)	6.50	38.00	44.50
8	गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनोमिक्स, शिवाजीनगर डेक्कन जिमखाना, बीएमसीसी रोड, पुणे-411 006 (महाराष्ट्र)	11.50	58.50	70.00
9	इंस्टिट्यूट ऑफ केमीकल टेक्नॉलाजी, नाथालाल पारेख मार्ग, मटुंगा, मुम्बई-400 019 (महाराष्ट्र)	14.00	528.00	542.00
10	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, सियान ट्राम्बे रोड, देवनार, मुम्बई-400 088 (महाराष्ट्र)	404.84	130.00	534.84
	राजस्थान			
11	बनस्थली विद्यापीठ, पो0 बाँ0 बनस्थली विद्यापीठ- 304 022 (राजस्थान)	17.50	335.50	353.00

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	अनुदान सहायता सामान्य 31	अनुदान सहायता सामान्य 35	कुल शीर्ष 31 और 35
12	जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, लॉडनु-341 306 (राजस्थान)	9.00	18.00	27.00
	तमिलनाडु			
13	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एण्ड हॉयर एजुकेशन, कोयम्बतूर-641 043 (तमिलनाडु)	211.25	166.90	378.15
14	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम, डिडिगुल-624 302 (तमिलनाडु)	295.14	567.75	862.89
	उत्तर प्रदेश			
15	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा-282 005 (उत्तर प्रदेश)	482.45	1059.50	1541.95
	पश्चिम बंगाल			
16	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल-711 202	0.00	303.11	303.11
	कुल	2000.00	4000.00	6000.00



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 10 चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को वेतन/अनुरक्षण अनुदान प्रदान कर रहा है। इन चिह्नित 10 सम विश्वविद्यालयों में से 8 चिह्नित सम विश्वविद्यालय, वेतन तथा भत्तों, सेवानिवृत्ति हित लाभों और वेतनेत्तर मदों के लिए शत-प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। वेतनेत्तर घटकों में उपभोज्य वस्तुएं, विद्युत प्रभार, जल प्रभार, संपत्ति कर, गृह कर, आकस्मिक व्यय, भवनों का रखरखाव/मरम्मत और अन्य व्यय शामिल हैं। 8 चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों के बजट अनुमानों/संशोधित बजट अनुमानों को इन विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों तथा वित्त अधिकारियों के साथ चर्चा उपरांत निर्धारित किया जाता है।

शेष दो चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थान अर्थात् जामिया हमदर्द, नई दिल्ली और श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम प्रतिवर्ष क्रमशः 800.00 लाख रुपए और 7.00 लाख रुपए की निर्धारित अनुरक्षण अनुदान राशि प्राप्त कर रहे हैं।

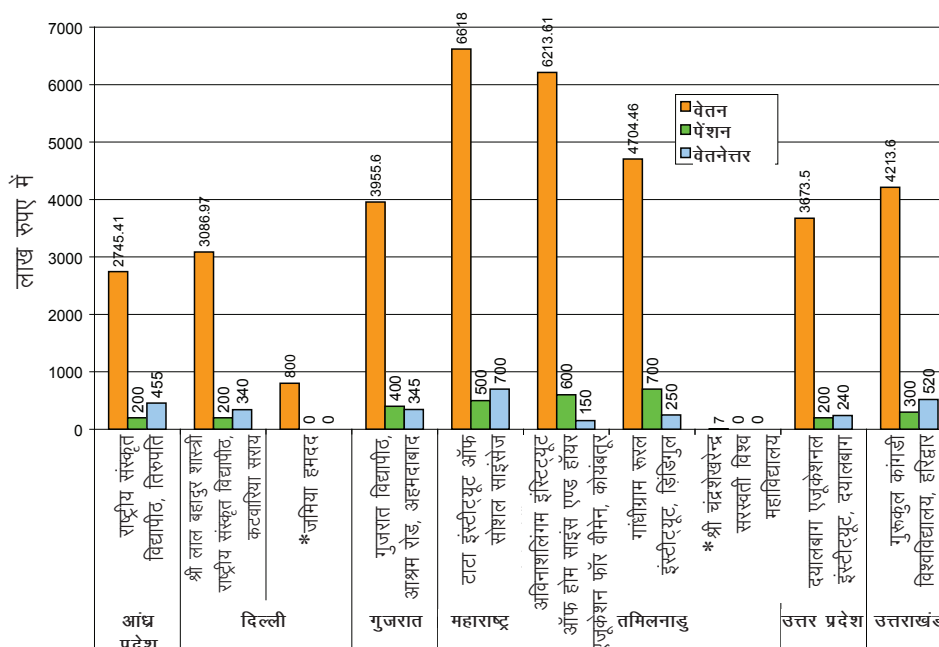
वर्ष 2017-18 के दौरान वेतन/अनुरक्षण अनुदान के तहत 42118.15 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है, जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है :

तालिका 3.4 (ii): वर्ष 2017-18 के दौरान चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को जारी किया गया वेतन/अनुरक्षण अनुदान (लाख रुपए में)

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी किया गया अनुदान			
		वेतन	पेंशन	वेतनेत्तर	कुल
	आंध्र प्रदेश				
1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	2745.41	200.00	455.00	3400.41
	दिल्ली				
2.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली	3086.97	200.00	340.00	3626.97
3.	*जमिया हमदर्द, नई दिल्ली	800.00	0.00	0.00	800.00
	गुजरात				
4.	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद	3955.60	400.00	345.00	4700.60
	महाराष्ट्र				
5.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई	6618.00	500.00	700.00	7818.00
	तमिलनाडु				
6.	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एण्ड हॉयर एजुकेशन फॉर वीमेन, कोयंबतूर	6213.61	600.00	150.00	6963.61
7.	गांधीग्राम रुरल इंस्टीट्यूट, गांधीग्राम, डिंडिगुल	4704.46	700.00	250.00	5654.46
8.	*श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, एनाथूर, कांचीपुरम	7.00	0.00	0.00	7.00
	उत्तर प्रदेश				
9.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा	3673.50	200.00	240.00	4113.50
	उत्तराखंड				
10.	गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	4213.60	300.00	520.00	5033.60
	कुल	36018.15	3100.00	3000.00	42118.15

*निर्धारित अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

तालिका 3.4 (ii): वर्ष 2017-18 के दौरान सम विश्वविद्यालय संस्थानों को जारी किया गया वेतन/अनुरक्षण अनुदान



3.5 राज्य निजी विश्वविद्यालय

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, संबंधित राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा की जाती है। संबंधित राज्य सरकार से विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी अधिनियम तथा अधिसूचना की प्राप्ति होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निजी विश्वविद्यालय को निजी विश्वविद्यालयों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है।

दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार देश में 295 राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थापित किए गए निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 295 राज्य निजी विश्वविद्यालयों में से 228 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष 2010 के बाद हुई है।

निजी विश्वविद्यालयों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा मानदंडों का रखरखाव) विनियम, 2003 के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों को विनियमित करता है।
- इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्र समुदाय के हितों को सुरक्षित बनाने के लिए अधिसूचित किया गया था जिसमें उच्चतर शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता पर पर्याप्त बल दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण एक विशेषज्ञ समिति (जिसमें संबंधित सांविधिक परिषद्(दों) से प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, द्वारा किया जाता है ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकायों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों, संकाय, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, वित्तीय व्यहार्यता आदि के संबंध में न्यूनतम मानदंडों पर खरा उतरने के संबंध में उनका आंकलन किया जा सके)।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही

- विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचारार्थ रखा जाता है तथा निजी विश्वविद्यालयों को विशेषज्ञ समिति की टिप्पणियों/ सुझावों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा जाता है। अनुपालन रिपोर्टों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जांच की जाती है तथा इन्हें पुनः आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।
- वैसे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इन निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।

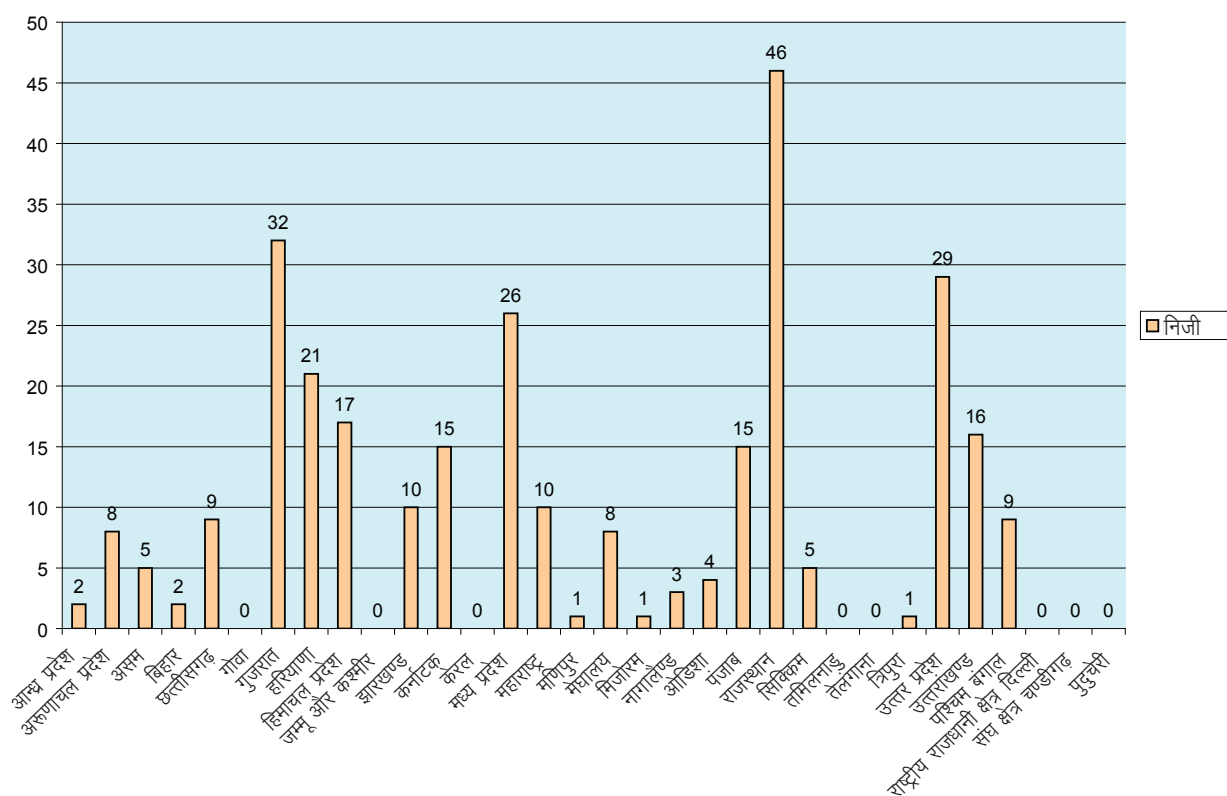
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2003 में संशोधन

उपर्युक्त विनियम, 2003 के लागू होने से भारत में उच्चतर शिक्षा में क्षमता में तीव्र तथा लगातार हो रहे विस्तार के साथ-साथ संस्थानों की संख्या में लगातार हो रही तीव्र वृद्धि, जोकि मोटे तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र से इतर ही हुई है तथा नवीन विषयों के प्रादुर्भाव, शिक्षा में नवोन्मेश, अधिकाधिक गुणवत्तायुक्त शिक्षा की मांग तथा अभिशासन में जवाबदेही तथा पारदर्शिता की अधिकाधिक आशा, जिसका शिक्षा मानदंडों पर प्रभाव पड़ता है, के फलस्वरूप देश में उच्चतर शिक्षा में व्यापक परिवर्तन हुआ है तथा लगातार बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निजी विश्वविद्यालयों के बढ़ते बाजारीकरण, शिक्षा के मापदंडों में शिथिलता तथा संस्थागत स्थायित्व को खतरे की आशंका, जिनमें भारतीय समाज के भविष्य को खतरे में डालने की संभावना है, के संबंध में व्यापक रूप से जनसाधारण की चिंताओं पर ध्यान दिया है।

संशोधित किए गए विनियमों को भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु भेजा गया है।

रेखाचित्र 3.5 : वर्ष 2017-2018 के दौरान राज्य निजी विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या



दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार राज्य निजी विश्वविद्यालयों की सूची अध्याय 2 की तालिका 2.2 (i)(ड)(iii) में दी गई है।

► महाविद्यालयों को विकास और अनुरक्षण सहायता

- ❖ 4.1 महाविद्यालयों का विकास
- ❖ 4.2 वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त महाविद्यालय
- ❖ 4.3 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान
- ❖ 4.4 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों (सामान्य विकास सहायता) को योजनावार अनुदान जारी किया जाना
- ❖ 4.5 दिल्ली के महाविद्यालयों/बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों को अनुदान

4.1 महाविद्यालयों का विकास

महाविद्यालयों के विकास उच्चतर शिक्षा प्रणाली के स्तर को बनाए रखने, सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने, नवोन्मेष तथा परिवर्तन का संवर्धन करने, शिक्षा को उभरते करियर पैटर्न, पहुंच, समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराने की दृष्टि से महाविद्यालयों का विकास करना भारतीय उच्चतर शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि स्नातकपूर्व और काफी हद तक स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने में महाविद्यालयों की एक अहम भूमिका होती है। महाविद्यालयों को दी जानी वाली विकास सहायता पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संपर्क सुलभता आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना का उन्नयन करके सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को सहयोग देने की दिशा में केन्द्रित होनी चाहिए। तथापि, मौजूदा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार तथा समेकन करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तर बढ़ाने, करियर की संभावनाओं से जोड़ने के लिए विशेषकर स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को तर्कसंगत बनाने और उनका विविधिकरण करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

4.2 वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय

दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 141012 महाविद्यालय थे, जिनमें से केवल 11515 महाविद्यालय ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त थे। मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों में से केवल 9362 महाविद्यालय ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

4.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 में एक चरणबद्ध ढंग से देश में अपने सात क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर अपने कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण किया है, ताकि महाविद्यालय, क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अधीन आसानी से शीघ्र अनुदान प्राप्त कर सकें तथा उन्हें तुरन्त जारी और कार्यान्वित किया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके नाम, स्थिति, स्थापना की तिथि तथा राज्यों की कवरेज का ब्योरा निम्नवत है:

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	स्थान	स्थापना की तिथि	कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ)	हैदराबाद	28.04.1994	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ)	पुणे	11.11.1994	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव
3.	मध्य क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ)	भोपाल	01.12.1994	मध्य प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एनईआरओ)	गुवाहाटी	01.04.1955	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, सिक्किम

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	स्थान	स्थापना की तिथि	कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
5.	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ)	कोलकाता	03.09.1996	पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखण्ड
6.	दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ)	बंगलूरु	25.4.1999	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय कॉलेज ब्यूरो (एनआरसीबी)	गाजियाबाद	03.12.1994	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड
		नई दिल्ली	25.9.2001	

वर्ष 2017-18 के दौरान महाविद्यालयों के लिए कार्यान्वित की गई योजनाएं

निम्नवत योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो संपूर्ण देश के सभी पात्र महाविद्यालयों को अनुदानों का संवितरण कर रहे हैं:-

- 1) महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता**
 - 2) महाविद्यालयों हेतु महिला छात्रावासों का निर्माण
 - 3) स्वायत्त महाविद्यालय (केवल अनुदानों का जारी किया जाता है)
 - 4) महाविद्यालयों हेतु लघु शोध परियोजनाएं
 - 5) महाविद्यालयों हेतु संगोष्ठी/परिसंवाद/सम्मेलन
 - 6) महाविद्यालयों हेतु संकाय विकास कार्यक्रम
 - 7) महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
 - 8) महाविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपकरणों का विकास
 - 9) महाविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा प्रदान करना
 - 10) दृष्टिबाधित शिक्षक
 - 11) प्रतिबद्ध देयताएं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं)
- (** जीडीए में शिक्षा से जुड़े नवोन्मेष, क्षेत्र कार्य/अध्ययन दौरे, विस्तार क्रियाकलाप, शिक्षा में आईसीटी, मौजूदा भवनों में सुविधाओं में सुधार, कॉमन रूम तथा महिलाओं के लिए शौच सुविधाएं, दिवसीय देखभाल केन्द्र, मानवाधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा, करियर तथा परामर्श प्रकोष्ठ शामिल हैं)

पात्रता संबंधी मानदण्ड:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपर्युक्त योजनाओं हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) के तहत मान्यताप्राप्त पात्र महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। 12 (ख) का दर्जा प्राप्त स्व-वित्तपोषित महाविद्यालय केवल शिक्षक/छात्र केन्द्रीत योजनाओं हेतु पात्र हैं।

4.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा योजनावार अनुदानों को जारी किया जाना

4.4.क) महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता (जीडीए)

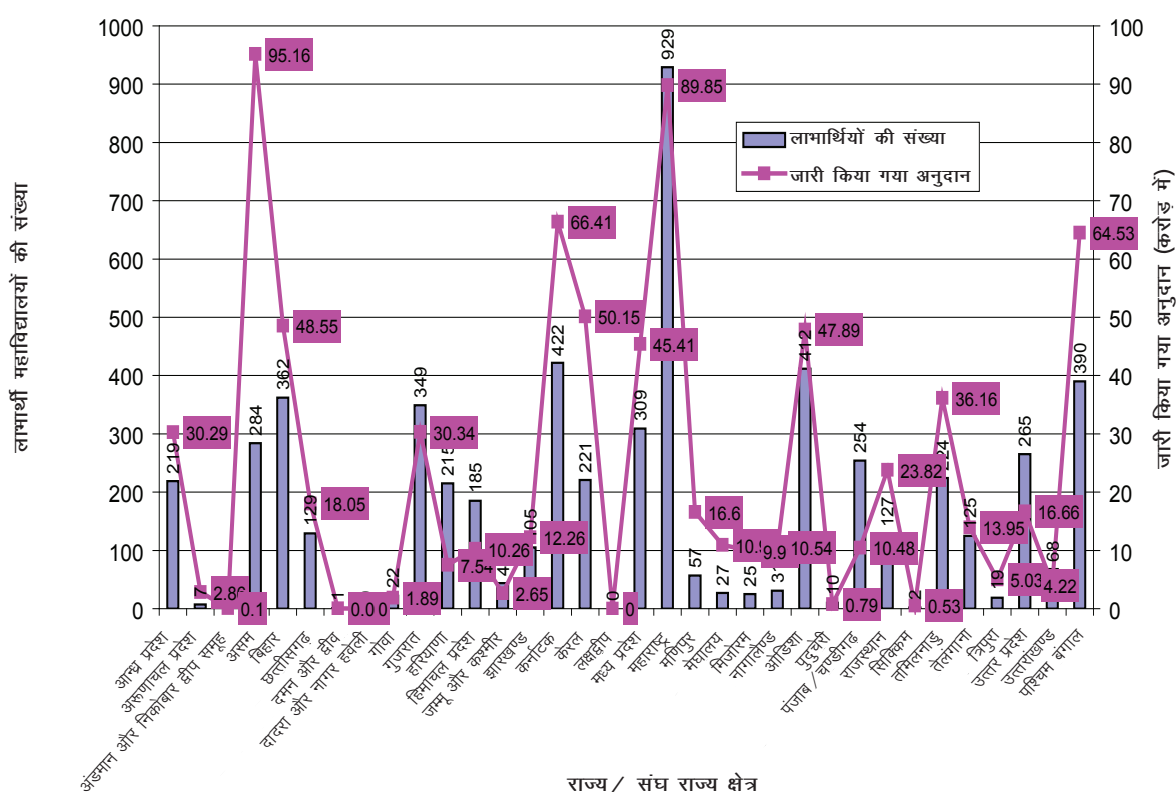
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों में यथा विहित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है। योजना के तहत, महाविद्यालयों को मूलभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए तथा उनकी पुस्तकों और पत्रिकाओं (पुस्तक बैंक सहित), वैज्ञानिक उपकरणों, कैम्पस विकास, उपर्युक्त शिक्षण हेतु अनिवार्य शिक्षण उपकरण, मौजूदा भवन के विस्तार/नवीकरण तथा नए भवनों का निर्माण, विस्तार क्रियाकलापों और महिलाओं के लिए सुविधाओं, आदि के लिए योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

वर्ष 2017-18 और दिनांक 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2018 के दौरान सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदानों का राज्य-वार (तालिका-4.4 (क) (i)) और क्षेत्रीय कार्यालय-वार (तालिका-4.4 (क) (ii)) ब्योरा निम्नवत है:-

तालिका 4.4 (क) (i) : सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किए गए अनुदानों (करोड़ रुपए में) का राज्य-वार ब्योरा

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2017-18 के दौरान सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान		सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 तक)	
		लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1	आन्ध्र प्रदेश	10	1.69	219	30.29
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0.09	7	2.86
3	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	1	0.1
4	असम	43	5.11	284	95.16
5	बिहार	37	4.08	362	48.55
6	छत्तीसगढ़	-	-	129	18.05
7	दमन और दीव	-	-	1	0.06
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0
9	गोवा	-	-	22	1.89
10	गुजरात	18	0.48	349	30.34
11	हरियाणा	9	0.46	215	7.54
12	हिमाचल प्रदेश	0	0	185	10.26
13	जम्मू और कश्मीर	1	0.02	44	2.65
14	झारखण्ड	7	0.77	105	12.26
15	कर्नाटक	37	2.49	422	66.41
16	केरल	12	0.73	221	50.15
17	लक्षदीप	-	-	-	-
18	मध्य प्रदेश	1	0.38	309	45.41
19	महाराष्ट्र	56	2.54	929	89.85
20	मणिपुर	15	1.23	57	16.6
21	मेघालय	7	1.42	27	10.96
22	मिजोरम	8	1.11	25	9.91
23	नागालैण्ड	4	0.5	31	10.54
24	ओडिशा	60	3.57	412	47.89
25	पुदुचेरी	0	0	10	0.79
26	पंजाब/चण्डीगढ़	14	0.35	254	10.48
27	राजस्थान	-	-	127	23.82
28	सिक्किम	1	0.14	2	0.53
29	तमिलनाडु	11	1.87	224	36.16
30	तेलंगाना	1	0.07	125	13.95
31	त्रिपुरा	0	0	19	5.03
32	उत्तर प्रदेश	25	1.21	265	16.66
33	उत्तराखण्ड	1	0.02	68	4.22
34	पश्चिम बंगाल	22	2.16	390	64.53
	कुल	401	32.49	5840	783.90

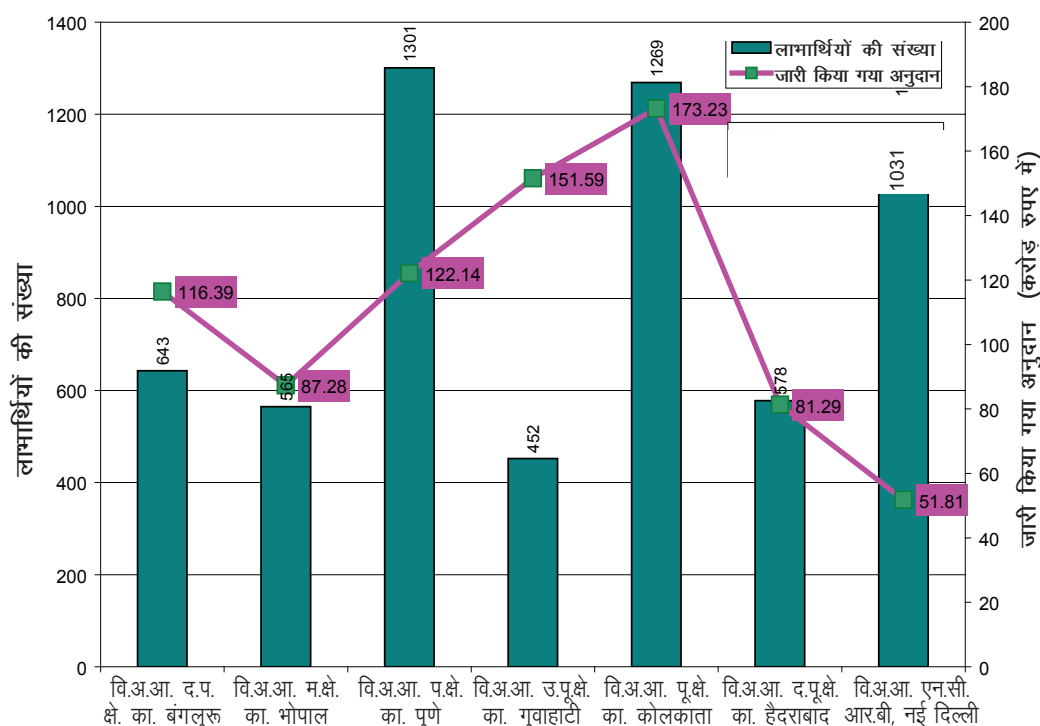
रेखाचित्र 4.4 (क) (i) : दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 के दौरान राज्यवार जारी की गई सामान्य विकास सहायता (करोड़ रुपए में) तथा लाभार्थी महाविद्यालयों की संख्या



तालिका 4.4 (क) (ii): वर्ष 2017-18 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय-वार जारी किया गया सामान्य विकास अनुदान तथा जारी किया कुल अनुदान (वर्ष 2012-13 से 2017-18 के दौरान) (करोड़ रुपए में) तथा लाभार्थियों की संख्या

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018)				सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 तक)	
		वर्ष 2017-18 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	सामान्य अनुदान-सहायता-31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां-35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया अनुदान
1	वि.अ.आ.- द.प.क्षे. का., बंगलुरु	49	0.168	3.061	3.229	643	116.39
2	वि.अ.आ.- म.क्षे. का., भोपाल	1	0	0.38	0.38	565	87.28
3	वि.अ.आ.- प.क्षे. का., पुणे	74	0.6	2.42	3.02	1301	122.14
4	वि.अ.आ.- उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	79	1.92	7.68	9.6	452	151.59
5	वि.अ.आ.- पू.क्षे. का., कोलकाता	126	2.07	8.51	10.58	1269	173.23
6	वि.अ.आ.- द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	22	0.27	3.36	3.63	579	81.46
7	वि.अ.आ.- एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली	50	0	2.06	2.06	1031	51.81
कुल		401	5.028	27.471	32.499	5840	783.90

रेखाचित्र 4.4 (क) (ii) : क्षेत्रीय कार्यालय-वार जारी किया गया सामान्य विकास सहायता अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018) (करोड़ रुपए में) लाभार्थियों की संख्या



4.4 (ख) महाविद्यालयों हेतु महिला छात्रवासों का निर्माण:-

महिलाओं का नामांकन बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महाविद्यालयों में महिला छात्रावास तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के मद्देनजर आयोग ने वर्ष 1995-96 के दौरान, महिला छात्रावासों के निर्माण की एक विशेष योजना आरंभ की थी।

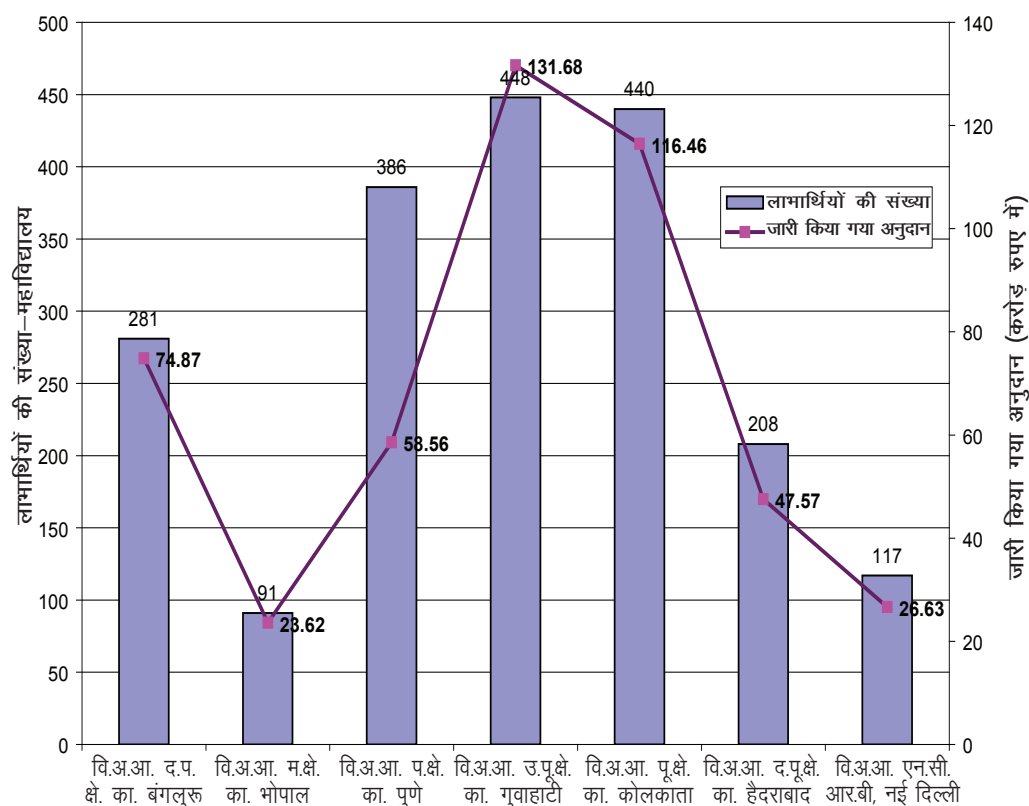
क्षेत्रीय कार्यालयों/ ब्यूरो द्वारा जारी किया गया अनुदान और वर्ष 2012-13 से 2017-18 के दौरान जारी किया गया कुल अनुदान:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2017-18 के दौरान महिला छात्रावास हेतु जारी किया गया अनुदान			महिला छात्रावास हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 तक)	
		वर्ष 2017-18 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालय) की संख्या	पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ-35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.- द.प.क्षेत्र. का., बंगलूरु	30	4.44	4.44	281	74.87
2.	वि.अ.आ.- म.क्षेत्र. का., भोपाल	2	0.72	0.72	91	23.62
3.	वि.अ.आ.- प.क्षेत्र. का., पुणे	2	0.44	0.44	386	58.56
4.	वि.अ.आ.- उ.पू.क्षेत्र. का., गुवाहाटी	69	9.43	9.43	448	131.68
5.	वि.अ.आ.- पू.क्षेत्र. का., कोलकाता	36	7.41	7.41	440	116.46
6.	वि.अ.आ.- द.पू.क्षेत्र. का., हैदराबाद	43	6.64	6.64	208	47.57
7.	वि.अ.आ.- एन.सी.आर.बी*, नई दिल्ली	13	1.58	1.58	117	26.63
	कुल	195	30.66	30.66	1971	479.39

* जम्मू और कश्मीर में महिला छात्रावास के निर्माण हेतु प्रधानमंत्री विकास पैकेज, 2015 के तहत 5 महाविद्यालयों को जारी किए गए 10.50 करोड़ रुपए के अनुदान के अतिरिक्त (8.00 करोड़ रुपए राज्य विश्वविद्यालय ब्यूरो द्वारा 5 महाविद्यालयों तथा 2.5 करोड़ रुपए उत्तरी क्षेत्रीय महाविद्यालय ब्यूरो द्वारा एक महाविद्यालय को दूसरी किस्त के रूप में जारी किए गए थे।)

रेखाचित्र 4.4 (ख): दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 के दौरान महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किया गया अनुदान तथा लाभार्थियों की संख्या



4.4 (ग) स्वायत्त महाविद्यालय :-

स्वायत्त महाविद्यालय की योजना का उद्देश्य महाविद्यालयों को संबद्ध ढांचे से असंबद्ध करके स्नातकपूर्व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। जिन महाविद्यालयों को स्थापित हुए दस से अधिक वर्ष हो गए हैं तथा जिनके पास एनएएसी ग्रेड 'बी' अथवा इससे बेहतर ग्रेड उपलब्ध है उन्हें कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान की जाती है।

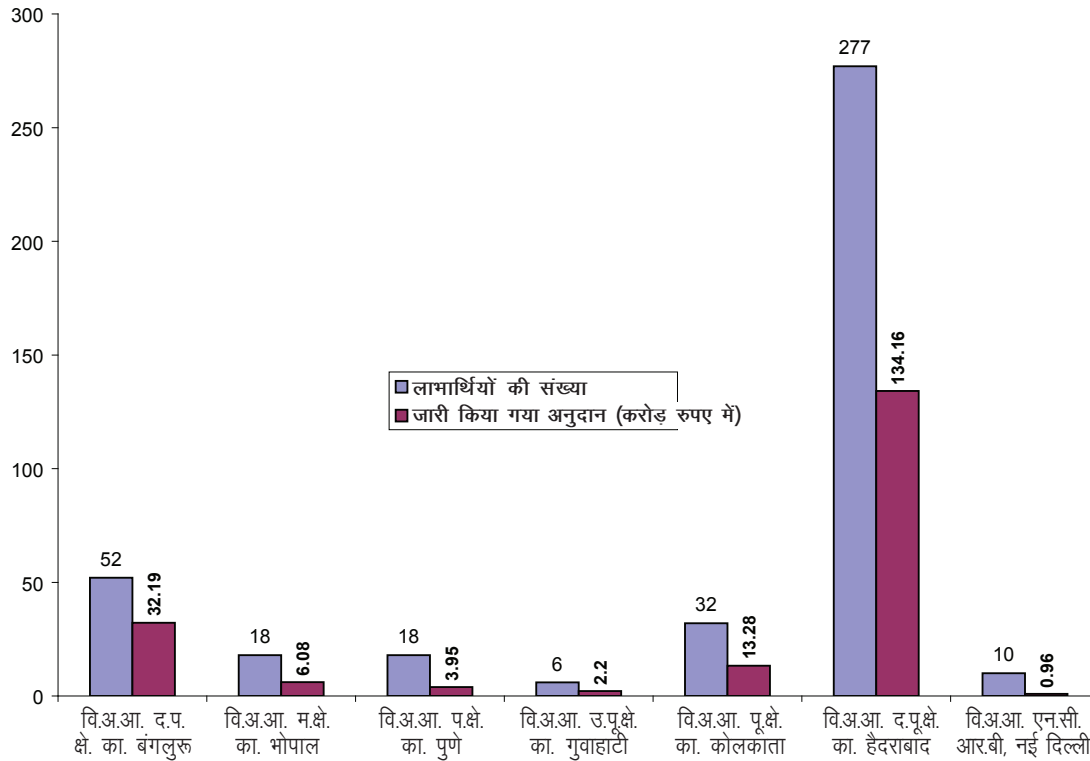
एक विशेषज्ञ समिति महाविद्यालय का दौरा करती है तथा महाविद्यालय को स्वायत्ता प्रदान करने के मुद्दे पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सिफारिश करती है। स्वायत्ता छह वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाती है जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

योजना के तहत वर्ष 2017-18 के दौरान तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो द्वारा संस्वीकृत अनुदान नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2017-18 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालय) की संख्या	वर्ष 2017-18 के दौरान स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु जारी किया गया अनुदान		कुल	लाभार्थियों की संख्या	दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 के दौरान स्वायत्त महाविद्यालयों को जारी किया गया अनुदान
			सामान्य अनुदान-सहायता-31	पूँजीगत परिसम्पत्तियां-35			
1	वि.अ.आ.- द.प.क्षे. का., बंगलुरु	35	2.43	3.07	5.5	52	32.19
2	वि.अ.आ.- म.क्षे. का., भोपाल	1	0.2	0	0.2	18	6.08
3	वि.अ.आ.- प.क्षे. का., पुणे	5	1.18	-	1.18	18	3.95
4	वि.अ.आ.- उ.पू.क्षे.का., गुवाहाटी	3	0	0.56	0.56	6	2.2
5	वि.अ.आ.- पू.क्षे. का., कोलकाता	8	0.97	0	0.97	32	13.28
6	वि.अ.आ.- द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	127	12.69	-	12.69	277	134.16
7	वि.अ.आ.-एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली	3	0.03	0.11	0.14	10	0.96
	कुल	182	17.5	3.74	21.24	413	192.82

रेखाचित्र 4.4 (ग) : दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 के दौरान स्वायत्त महाविद्यालयों (लाभार्थियों) को जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)



4.4 (घ) महाविद्यालयों के शिक्षकों हेतु लघु शोध परियोजनाएं:-

योजना का उद्देश्य विभिन्न विधाओं में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करके उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता का संवर्धन करना है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पात्र शिक्षक लघु शोध परियोजना की योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान हेतु 3.00 लाख रुपये तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, भेषजी, कृषि आदि सहित विज्ञान में 5.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

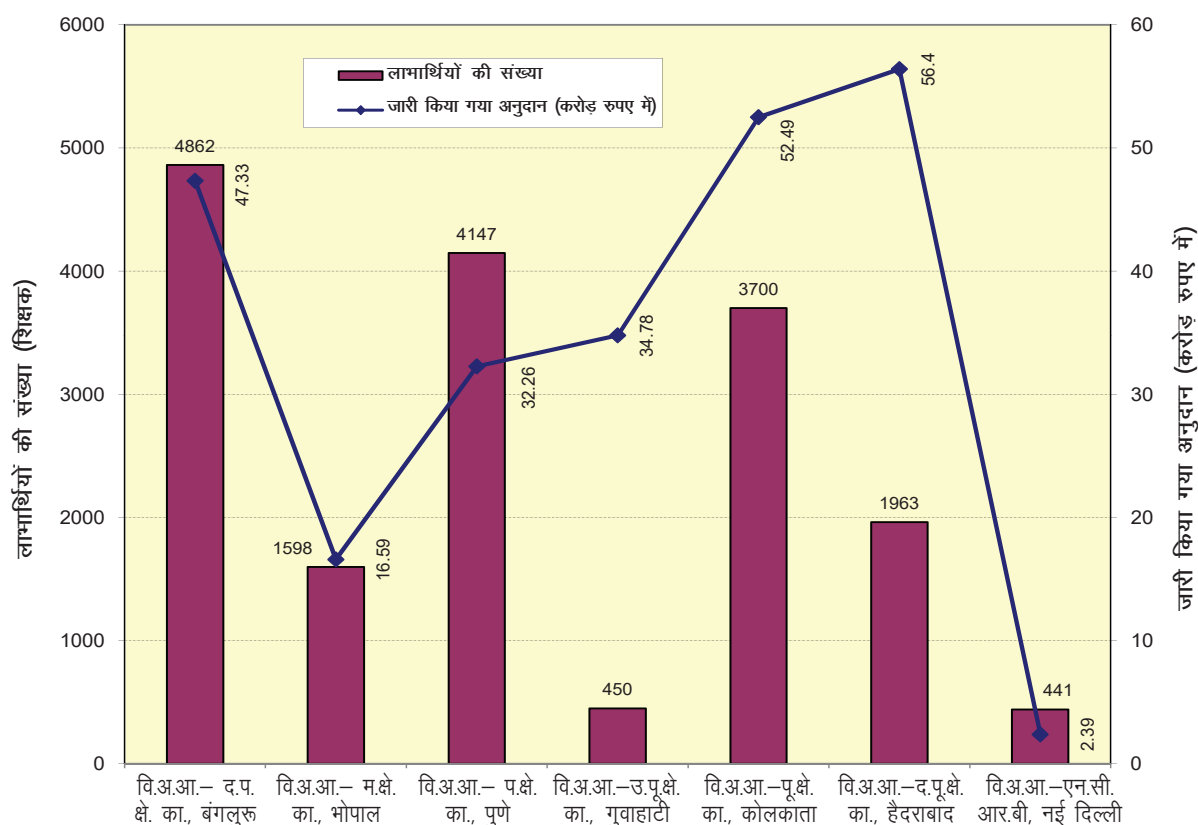
योजना के तहत वर्ष 2017-2018 तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 के तहत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2017-18 के दौरान लघुशोध परियोजनाओं हेतु जारी किया गया अनुदान								लघु शोध परियोजनाओं हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 तक)	
		वर्ष 2017-18 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या		सामान्य अनुदान-सहायता-31		पूँजीगत परिसम्पत्तियां-35		कुल		लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
		विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी		
1.	वि.अ.आ.- द.प.क्षेत्र का. बंगलुरु	85	119	0.39	0.28	-	-	0.39	0.28	4862	47.33
2.	वि.अ.आ.- म.क्षेत्र का. भोपाल	36	55	0.21	0.21	0.03	0.03	0.24	0.24	1598	16.59
3.	वि.अ.आ.- प.क्षेत्र का. पुणे	74	89	1.36	0.79	-	-	1.36	0.79	4147	32.26
4.	वि.अ.आ.- उ.पू.क्षेत्र का. गुवाहाटी	52	89	0.76	0.98	0.0015	0.018	0.76	1.00	450	34.78
5.	वि.अ.आ.- पू.क्षेत्र का. कोलकाता	168	218	0.94	0.92	0.72	0.36	1.66	1.28	3700	52.49

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2017-18 के दौरान लघुशोध परियोजनाओं हेतु जारी किया गया अनुदान								लघु शोध परियोजनाओं हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 तक)	
		वर्ष 2017-18 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या		सामान्य अनुदान-सहायता-31		पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ-35		कुल		लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
		विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी		
6.	वि.अ.आ.- द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	625	439	3.24	1.51	5.60	1.17	8.84	2.68	1963	56.4
7.	वि.अ.आ.- एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	12	30	0.04	0.05	0	0	0.04	0.05	441	2.39
कुल		1052	1039	6.94	4.74	6.3515	1.578	13.29	6.32	17161	242.24

रेखाचित्र 4.4 (घ): दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 के दौरान महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए लघु शोध परियोजना योजना के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्तपोषण को अनुमोदन प्रदान करता है।

4.4 (ङ) : महाविद्यालयों हेतु संगोष्ठियां/परिसंवाद/सम्मेलन:-

इस योजना के तहत संस्थानों को विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/परिसंवाद तथा सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, योजना का उद्देश्य शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपने ज्ञान, अनुभवों और शोध को बाँटने के लिए मंच प्रदान करके महाविद्यालयों में उच्च मानकों का संवर्धन करना है।

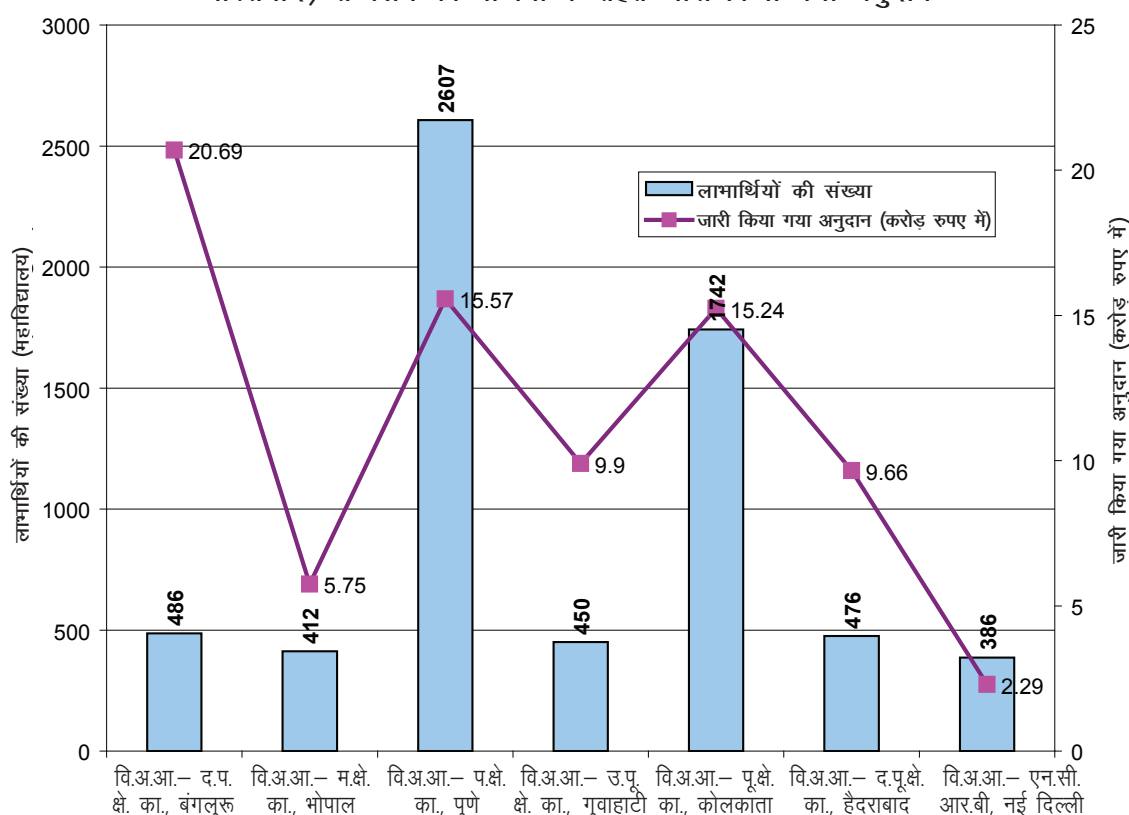
विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वित्तपोषण को अनुमोदन प्रदान करता है।

वर्ष 2017-18 तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान योजना के तहत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2017-18 के दौरान संगोष्ठियां/परिसंवाद/सम्मेलन हेतु जारी किया गया अनुदान			संगोष्ठियां/परिसंवाद/सम्मेलन हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 की अवधि तक)	
		वर्ष 2017-18 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	सामान्य अनुदान-सहायता-31	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.- द.प.क्षे. का., बंगलुरु	116	0.46	0.46	486	20.69
2.	वि.अ.आ.- म.क्षे. का., भोपाल	23	0.07	0.07	412	5.75
3.	वि.अ.आ.- प.क्षे. का., पुणे	48	0.11	0.11	2607	15.57
4.	वि.अ.आ.- उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	51	0.41	0.41	450	9.9
5.	वि.अ.आ.- पू.क्षे. का., कोलकाता	60	0.16	0.16	1742	15.24
6.	वि.अ.आ.- द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	100	0.24	0.24	476	9.66
7.	वि.अ.आ.- एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	09	0.03	0.03	386	2.29
	कुल	407	1.48	1.48	6559	79.10

रेखाचित्र 4.4 (ड) : दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान महाविद्यालयों हेतु संगोष्ठियां/परिसंवाद/सम्मेलन की योजना के तहत जारी किया गया अनुदान



4.4 (च). महाविद्यालयों हेतु संकाय विकास कार्यक्रम:-

इस कार्यक्रम का लक्ष्य संकाय सदस्यों को शोध करने के लिए संस्थानों में शैक्षणिक तथा बौद्धिक परिवेश का विकास करना तथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में सहभागिता का अवसर उपलब्ध करवाना है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने से संकाय सदस्यगण अपने शोध कार्य को अद्यतन तथा शैक्षणिक कौशल बढ़ाने में सक्षम होंगे।

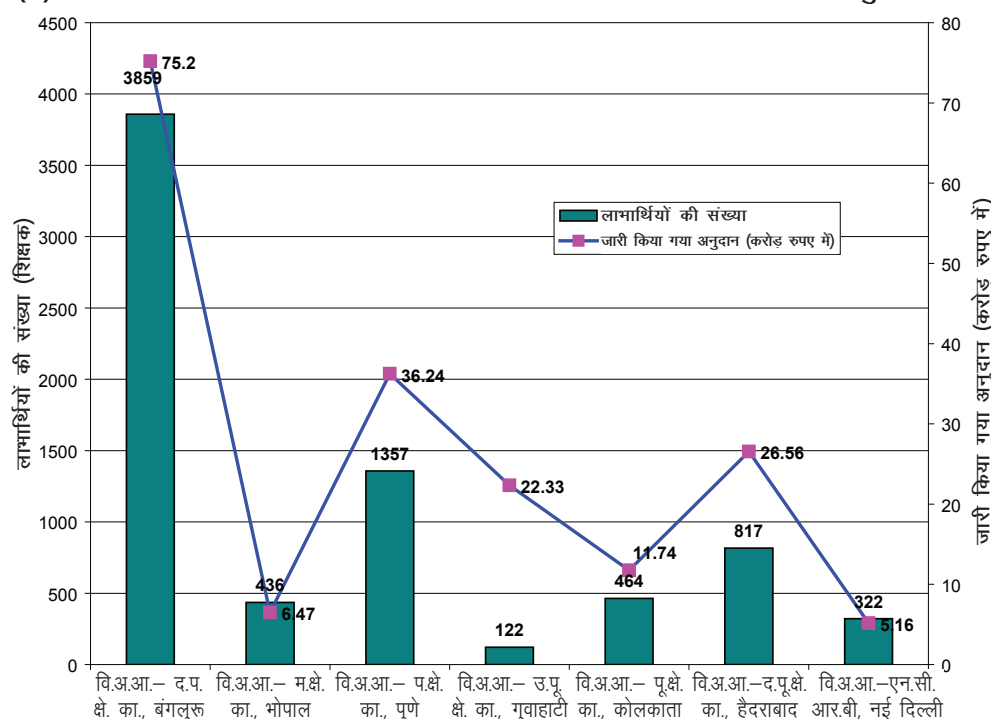
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षक अध्येता के स्थान पर तैनात एवजी शिक्षक को वेतन तथा साथ ही शिक्षक अध्येता को 15000 रुपए प्रतिवर्ष आकस्मिक राशि के रूप में उपलब्ध कराता है। महाविद्यालय के स्तर पर गठित चयन समिति, दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुरूप आवेदनों की संवीक्षा करती है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अभ्यर्थी की सिफारिश करती है।

वर्ष 2017-2018 तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2017-18 के दौरान संकाय विकास कार्यक्रम हेतु जारी किया गया अनुदान			संकाय विकास कार्यक्रम हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 की अवधि तक)	
		वर्ष 2017-18 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या	अनुदान-सहायता सामान्य- 31	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.- द.प.क्षे. का., बंगलुरु	636	14.18	14.18	3859	75.20
2.	वि.अ.आ.- म.क्षे. का., भोपाल	27	0.64	0.64	436	6.47
3.	वि.अ.आ.- प.क्षे. का., पुणे	179	4.56	4.56	1357	36.24
4.	वि.अ.आ.- उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	48	2.58	2.58	122	22.33
5.	वि.अ.आ.- पू.क्षे. का., कोलकाता	53	0.79	0.79	464	11.74
6.	वि.अ.आ.- द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	253	8.24	8.24	817	26.56
7.	वि.अ.आ.- एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	49	1.26	1.26	322	5.16
	कुल	1245	32.25	32.25	7377	183.7

रेखाचित्र 4.4 (च) : दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 के दौरान महाविद्यालयों हेतु संकाय विकास कार्यक्रम



4.4 (छ) : महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ :

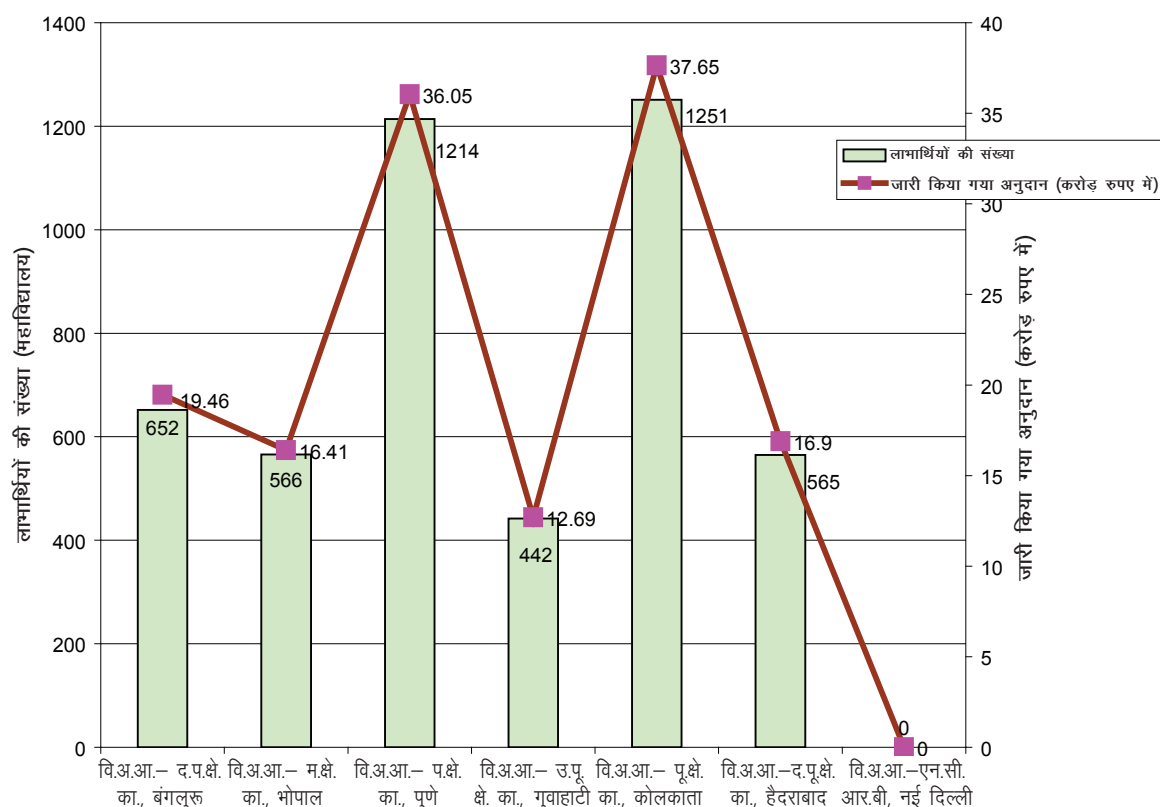
उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मानकों का रखरखाव करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (गगग) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सितम्बर, 1994 को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् की स्थापना की। ऐसे संस्थागत आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली के महत्व को पहचानते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी महाविद्यालयों को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना करने के हेतु निदेश देने का नीतिगत निर्णय लिया है जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आईक्यूएसी की स्थापना तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए वय्य हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को 3.00 लाख रुपए की प्रारंभिक राशि (सीड मनी) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इस योजना को वर्ष 2014-15 के दौरान महाविद्यालयों के लिए आरंभ किया गया था।

वर्ष 2017-2018 तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत जारी किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2017-18 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	वर्ष 2017-18 के दौरान सामान्य अनुदान-सहायता-31	पूँजीगत परिसम्पत्तियां-35	कुल	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 की अवधि तक) जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.- द.प.क्षे. का., बंगलुरु	-	-	-	-	652 19.46
2.	वि.अ.आ.- म.क्षे. का., भोपाल	-	-	-	-	566 16.41
3.	वि.अ.आ.- प.क्षे. का., पुणे	-	-	--	-	1214 36.05
4.	वि.अ.आ.- उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	-	0	0	0	442 12.69
5.	वि.अ.आ.- पू.क्षे. का., कोलकाता	-	0.00	0.00	0.00	1251 37.65
6.	वि.अ.आ.- द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	-	-	--	-	565 16.90
7.	वि.अ.आ.- एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	0	0 0
	कुल	0	0	0	0	4690 139.16

रेखाचित्र 4.4 (छ) : दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ



4.4 (ज) महाविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना और उपकरणों का विकास

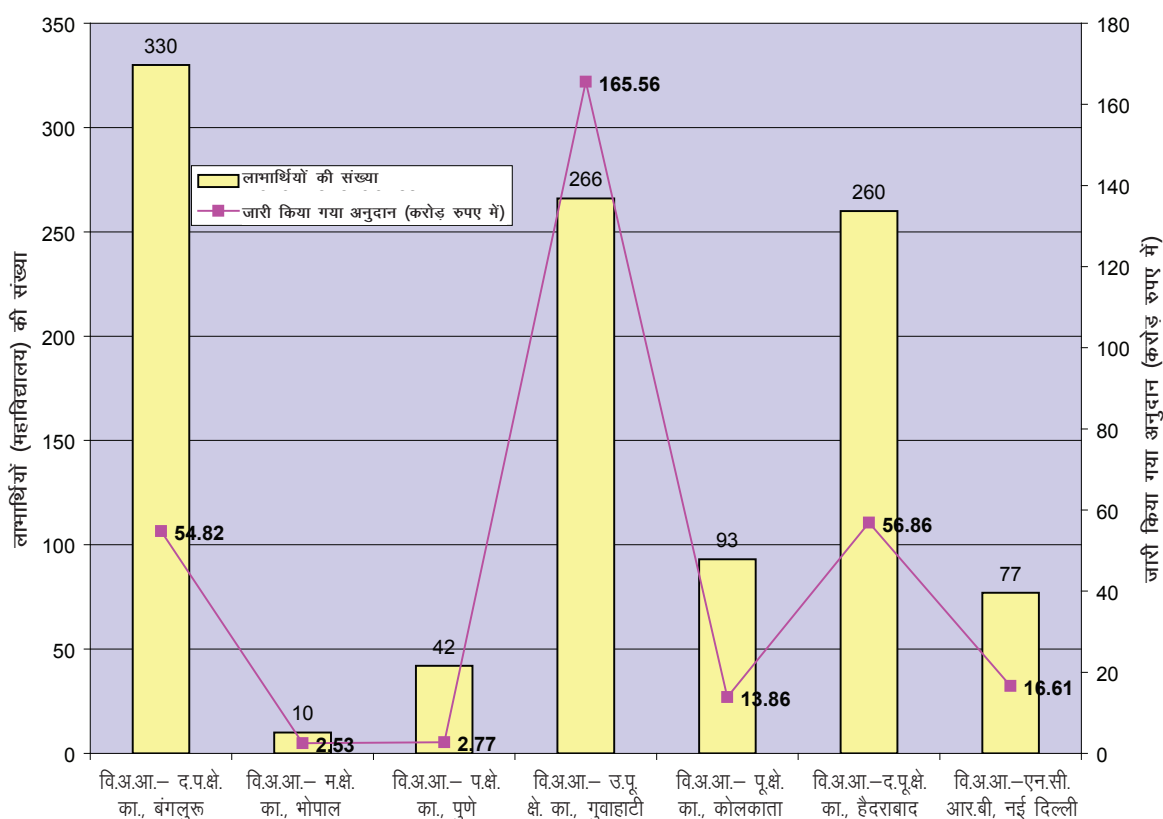
योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्रों के बीच एक स्वस्थ भागीदारी और सहयोग की भावना पैदा करना और खेलकूद में आपसी सहयोग से उपलब्धियाँ प्राप्त करना और चुनौतीपूर्ण स्थितियों का साहस और दृढ़ता के साथ सामना करने और उनसे प्रभावपूर्ण तरीके से निपटने की क्षमता पैदा करना है।

वर्ष 2017-2018 के दौरान तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2017-18 के दौरान खेलकूद अवसंरचना और उपकरण के विकास हेतु जारी किया गया अनुदान			खेलकूद अवसंरचना और उपकरण के विकास हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 की अवधि तक)	
		वर्ष 2017-18 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ-35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.- द.प.क्षे. का., बंगलुरु	17	2.27	2.27	330	54.82
2.	वि.अ.आ.- म.क्षे. का., भोपाल	-	-	-	10	2.53
3.	वि.अ.आ.- प.क्षे. का., पुणे	7	1.74	1.74	42	2.77
4.	वि.अ.आ.- उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	63	17.28	17.28	266	165.56
5.	वि.अ.आ.- पू.क्षे. का., कोलकाता	10	2.72	2.72	93	13.86
6.	वि.अ.आ.- द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	55	9.30	9.30	260	56.86
7.	वि.अ.आ.- एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	16	3.34	3.34	77	16.61
	कुल	168	36.65	36.65	1078	313.01

रेखाचित्र 4.4 (ज): दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान खेलकूद अवसंरचना और उपस्करों का विकास



4.4 (झ) : महाविद्यालयों को विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करना

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है तथा गुणवत्ता तथा प्रमात्रा में भी वृद्धि दर्ज की गई है। जिससे गुणवत्तायुक्त शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि हुई है। तथापि, ऐसे महाविद्यालय भी हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं तथा लगातार लंबे समय तक गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षा प्रदान करते आए हैं। ऐसे संस्थान हैं, जिन्होंने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं तथा उन्होंने न केवल उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है बल्कि हमारे देश के लंबे इतिहास के सांस्कृतिक, सामाजिक तथा नैतिक ताने-बाने को सहेज कर रखा है। इसलिए, ऐसे धरोहर रूपी इन संस्थानों को पहचान प्रदान करने तथा पुरस्कृत करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि वे हमारी युवा पीढ़ी में 'वास्तविक शिक्षा' के मूल्यों का संचार करने में सक्षम हो सकें।

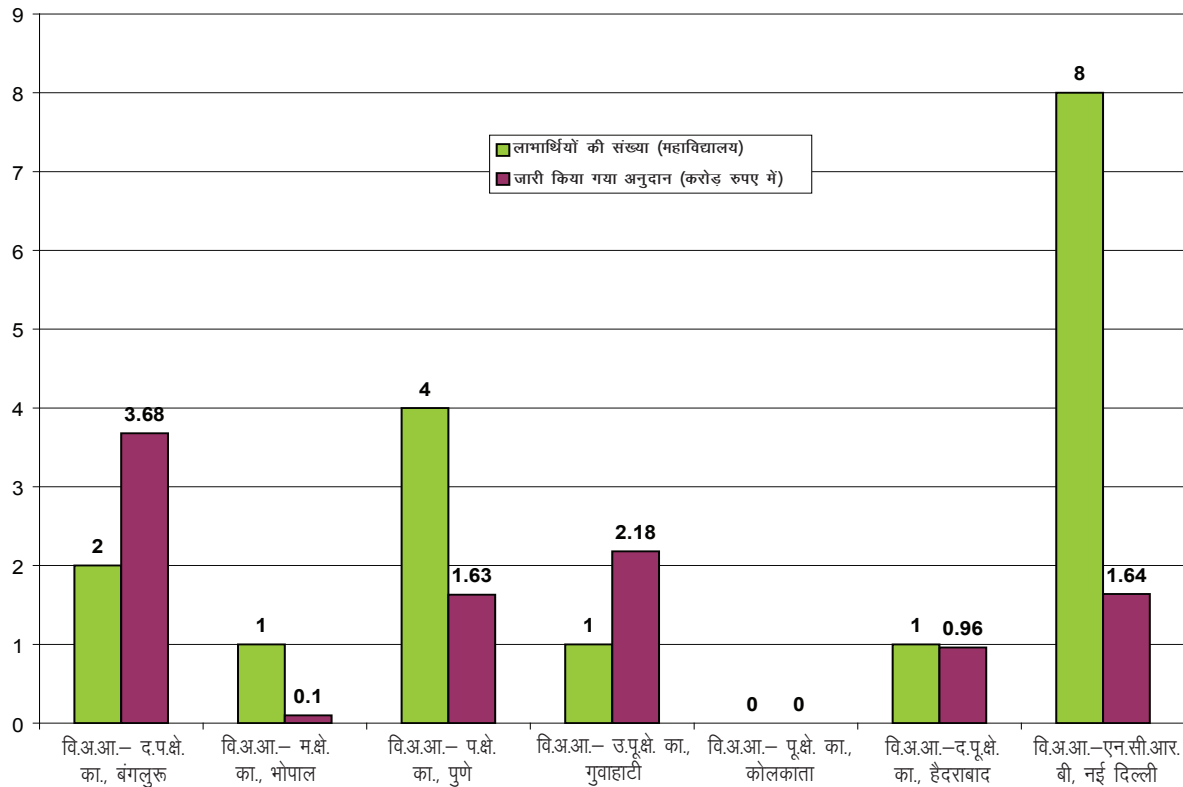
किसी महाविद्यालय के लिए सहायता की अधिकतम सीमा 5.00 करोड़ रुपए है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के लिए योजना के अंतर्गत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2017-18 के दौरान विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करने की योजना हेतु जारी किया गया अनुदान				विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करने की योजना हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 की अवधि तक)	
		वर्ष 2017-18 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	सामान्य अनुदान-सहायता-31	पूजीगत परिसम्पत्तियां-35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1	वि.अ.आ.- द.प.क्षे. का., बंगलुरु	2	0.023	0.73	0.075	2	3.68
2	वि.अ.आ.- म.क्षे. का., भोपाल	-	-	-	-	01	0.10
3	वि.अ.आ.- प.क्षे. का., पुणे	1	-	0.03	0.03	4	1.63
4	वि.अ.आ.- उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	-	0	0	0	1	2.18
5	वि.अ.आ.- पू.क्षे. का., कोलकाता	-	-	-	-	-	-
6	वि.अ.आ.- द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	1	0.25		0.25	1	0.96
7	वि.अ.आ.- एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	03	0.08	0	0.08	08	1.64
कुल		7	0.353	0.76	0.435	17	10.19

रेखाचित्र 4.4 (झ) : दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान महाविद्यालयों को विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान किया जाना



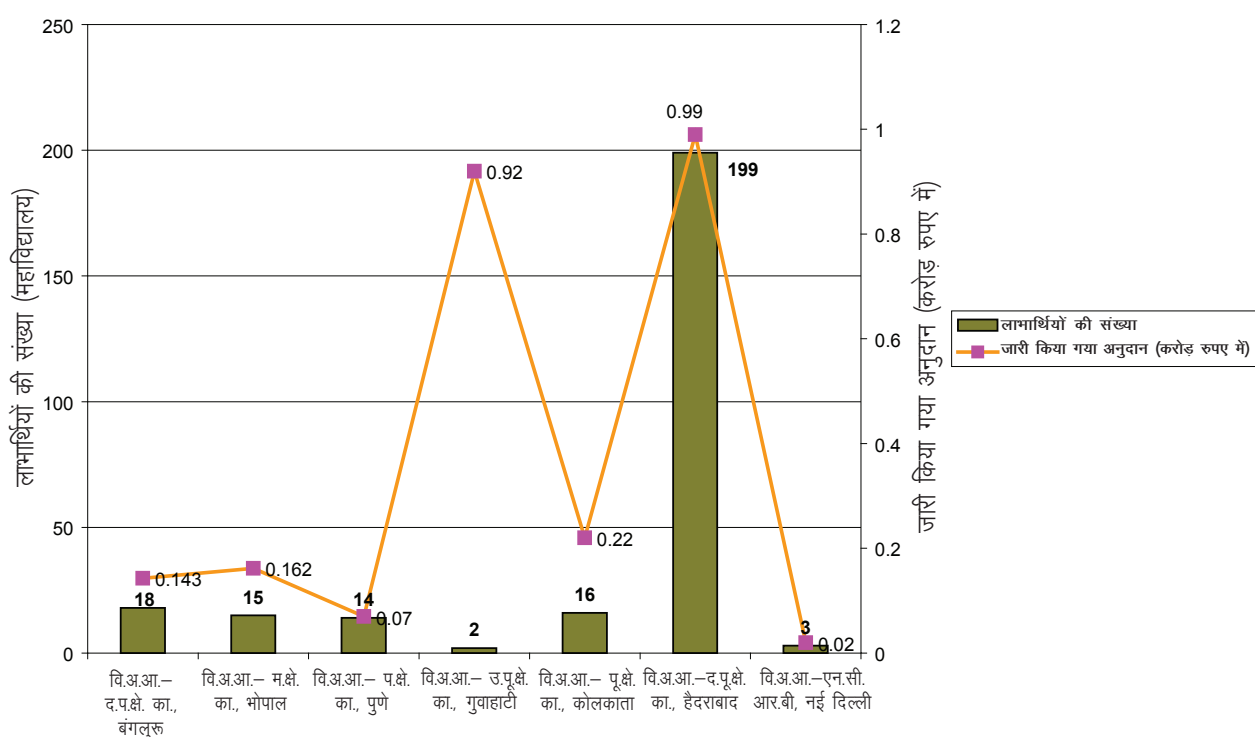
4.4 (ज) : दृष्टिबाधित शिक्षक :-

इस योजना को रीडर की सहायता से शिक्षण तथा ज्ञान अर्जन के उपकरणों का उपयोग कर तथा रीडर भत्ता तथा ब्रेल पुस्तकें, रिकार्ड की गई सामग्री आदि के क्रय हेतु निधियां उपलब्ध करवाकर स्थायी रूप से कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षकों की मदद करने के लिए तैयार किया गया है। स्थायी रूप से कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षक को 36,000 रुपए प्रतिवर्ष का भत्ता प्रदान किया जाएगा।

वर्ष 2017-2018 के दौरान तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 की अवधि में योजना के अंतर्गत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है: (करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	दृष्टिबाधित शिक्षकों को जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018)				दृष्टिबाधित शिक्षकों को जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 की अवधि तक)	
		वर्ष 2017-18 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या	सामान्य अनुदान-सहायता-31	पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ - 35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1	वि.अ.आ.- द.प.क्षे. का., बंगलूरु	2	0.025	-	0.025	18	0.143
2	वि.अ.आ.- म.क्षे. का., भोपाल	03	0.01	-	0.01	15	0.162
3	वि.अ.आ.- प.क्षे. का., पुणे	4	0.02	-	0.02	14	0.07
4	वि.अ.आ.- उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	1	0.0036	0	0.0036	2	0.92
5	वि.अ.आ.- पू.क्षे. का., कोलकाता	06	0.06	0.00	0.06	16	0.22
6	वि.अ.आ.- द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	59	0.21	-	0.21	199	0.99
7	वि.अ.आ.- एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	01	0.01	0	0.01	03	0.02
	कुल	76	0.3386	0	0.3386	267	2.525

रेखाचित्र 4.4 (अ): दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान दृष्टिबाधित शिक्षकों की योजना



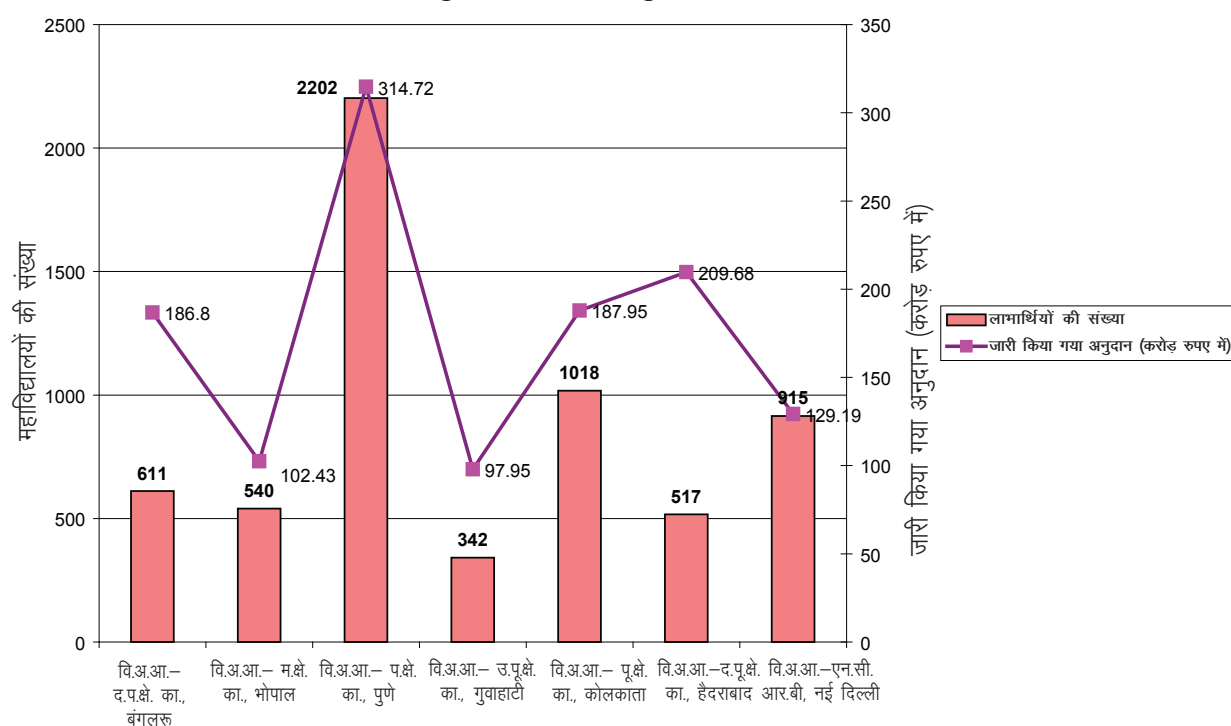
4.4 (ट) प्रतिबद्ध देयताएं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं) :-

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बंद की गई योजनाएं जैसे एकमुश्त कैच-अप अनुदान, अतिरिक्त सहायता, आमेलित योजनाएं, स्वर्ण जयंती से संबंधित आयोजनों आदि के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान महाविद्यालयों को प्रदत्त अनुदान का ब्योरा निम्नवत है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2017-18 के दौरान प्रतिबद्ध देयताओं हेतु जारी किया गया अनुदान				प्रतिबद्ध देयताओं हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 की अवधि तक)	
		वर्ष 2017-18 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	सामान्य अनुदान- सहायता- 31	पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ -35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.- द.प.क्षे. का., बंगलुरु	24	-	1.493	1.493	611	186.80
2.	वि.अ.आ.- म.क्षे. का., भोपाल	08	0.00	0.30	0.30	540	102.43
3.	वि.अ.आ.- प.क्षे. का., पुणे	266	-	15.89	15.89	2202	314.72
4.	वि.अ.आ.- उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	-	0	0	0	342	97.95
5.	वि.अ.आ.- पू.क्षे. का., कोलकाता	21	0.00	1.01	1.01	1018	187.95
6.	वि.अ.आ.- द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	67	0.005	1.369	1.37	517	209.68
7.	वि.अ.आ.- एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	44	0	1.48	1.48	915	129.19
कुल		430	0.005	21.542	21.543	6145	1228.72

रेखाचित्र 4.4 (ट) : दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध देयताएं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं)



4.5 दिल्ली के महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों को अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गैर-योजनागत अनुदान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध 53 महाविद्यालयों तथा 12 छात्रावासों को तथा राजस्व अनुदान के तहत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 4 महाविद्यालयों और पूँजीगत अनुदान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध 64 महाविद्यालयों (53 महाविद्यालय + दिल्ली प्रशासन के 11 महाविद्यालय) को वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली के महाविद्यालयों/दिल्ली में स्थापित चिकित्सा महाविद्यालयों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर संगोष्ठियाँ/सम्मेलन/कार्यशालाएं करने के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराता है।

4.5(क) राजस्व अनुदान

53 महाविद्यालयों में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 36 महाविद्यालयों को 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है और शेष 17 महाविद्यालयों को शतप्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है (08 साध्यकालीन महाविद्यालय + 09 विश्वविद्यालय द्वारा

अनुरक्षित महाविद्यालय)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले इन 36 महाविद्यालयों में से 16 महाविद्यालय दिल्ली प्रशासन से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करते हैं और 20 महाविद्यालयों को संबंधित न्यासों/सोसायटियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध यह 53 महाविद्यालय तथा 12 छात्रावास, आयोग से प्राप्त अनुरक्षण अनुदान से अपने वेतन, पेंशन और वेतनेत्तर व्यय की पूर्ति करते हैं। प्रत्येक महाविद्यालय का बजट निर्धारित करने के लिए महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ वार्षिक बैठकें की जाती हैं।

आयोग ने दिनांक 20 मार्च, 2018 को आयोजित अपनी 530 वीं बैठक में दिल्ली के महाविद्यालयों के राजस्व अनुदान (वेतन, पेंशन और वेतनेत्तर व्यय) के संबंध में वार्षिक लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया।

तालिका 4.5 (क)(i): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से राजस्व अनुदान प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों तथा छात्रावासों की श्रेणी-वार सूची निम्नवत है।

क्र. सं.	श्रेणी. 1. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत-प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है)		
1	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज	28	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)*
2	देशबन्धु कॉलेज (दिवसीय)*	29	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)*
3	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)	30	शिवाजी महाविद्यालय*
4	किरोड़ी मल कॉलेज #	31	श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय*
5	मिरान्डा हाँउस #	32	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (दिवसीय) *
6	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)	33	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय*
7	रामानुजन महाविद्यालय (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)		क्र. सं. श्रेणी.4. न्यास द्वारा प्रबन्धित महाविद्यालय (95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और 5 प्रतिशत अनुदान न्यास द्वारा प्रदान किया जाता है।)
8	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)	34	श्री गुरु गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स
9	आर्यभट्ट महाविद्यालय (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)	35	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स
	क्र. सं. श्रेणी.2. सांध्यकालीन महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत-प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है)	36	लेडी इरविन महाविद्यालय #
10	दयाल सिंह महाविद्यालय (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)	37	श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स #
11	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)	38	सेंट स्टीफेन्स महाविद्यालय #
12	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (न्यास)	39	आत्माराम सतानधर्म महाविद्यालय*
13	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)	40	दौलतराम महाविद्यालय #
14	श्याम लाल महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)	41	हंसराज महाविद्यालय #
15	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)	42	हिन्दू महाविद्यालय #
16	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)	43	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय #
17	जाकिर हुसैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय (न्यास)#	44	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय*
	क्र. सं. श्रेणी.3. दिल्ली प्रशासन के अधीन महाविद्यालय (95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और 5 प्रतिशत अनुदान दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाता है।)	45	जीसस एण्ड मेरी महाविद्यालय*
18	भारती महाविद्यालय	46	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय #
19	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड कामर्स	47	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय*
20	विवेकानन्द महाविद्यालय	48	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय) *
21	गार्गी महाविद्यालय *	49	रामजस महाविद्यालय #
22	कालिन्दी महाविद्यालय *	50	श्यामलाल महाविद्यालय (दिवसीय) *
23	कमला नेहरू महाविद्यालय *	51	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय) *
24	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय *	52	श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज
25	मैत्रेयी महाविद्यालय *	53	श्री वैकटेश्वर महाविद्यालय*
26	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)*		
27	राजधानी महाविद्यालय *		

*ऐसे विस्तारित महाविद्यालय जो 1000 छात्रों पर शत-प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले दिल्ली के महाविद्यालयों के छात्रावास

तालिका 4.5(क)(i) : वर्ष 2017-18 के दौरान दिल्ली के महाविद्यालयों को जारी किए गए 'राजस्व अनुदान' (लाख रुपए में) को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के बकाया सहित वेतन	पेंशन	वेतनेत्तर	कुल
1	आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय	3977.65	571.05	30.00	4578.70
2	भारती महाविद्यालय	2346.11	317.78	30.00	2693.89
3	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज	1798.87	213.47	34.00	2046.34
4	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)	5053.43	424.39	50.00	5527.82
5	दयाल सिंह कॉलेज (सांध्यकालीन)	1586.53	280.98	20.00	1887.51
6	दौलतराम महाविद्यालय	3788.02	675.36	40.00	4503.38
7	देशबंधु महाविद्यालय (दिवसीय)	4866.89	496.44	50.00	5413.33
8	रामानुजन महाविद्यालय	1964.12	349.13	38.00	2351.25
9	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड कामर्स	1825.34	310.78	30.00	2166.12
10	श्री गुरु गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स	1429.90	55.00	40.00	1524.90
11	गार्गी महाविद्यालय	4295.24	319.88	50.00	4665.12
12	हंसराज महाविद्यालय	4727.85	465.55	50.00	5243.40
13	हिन्दू महाविद्यालय	4610.66	450.46	60.00	5121.12
14	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय	3316.00	569.47	50.00	3935.47
15	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स	2461.58	328.07	40.00	2829.65
16	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय	3177.61	407.71	30.00	3615.32
17	जीसस एण्ड मेरी महाविद्यालय	3601.78	406.13	40.00	4047.91
18	कालिन्दी महाविद्यालय	2729.91	426.21	34.00	3190.12
19	कमला नेहरू महाविद्यालय	4569.79	791.04	50.00	5410.83
20	किरोड़ी मल कॉलेज	4937.61	606.62	50.00	5594.23
21	लेडी इरविन महाविद्यालय	2781.71	511.09	50.00	3342.80
22	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	2759.83	388.38	34.00	3182.21
23	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय	2762.11	411.88	50.00	3223.99
24	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय	3742.85	427.55	50.00	4220.40
25	मिराब्दा हॉउस	4418.37	688.29	50.00	5156.66
26	मैत्रेयी महाविद्यालय	4975.63	438.21	50.00	5463.84
27	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)	3665.65	429.88	40.00	4135.53
28	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2512.09	312.18	20.00	2844.27
29	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय)	4269.91	401.38	40.00	4711.29
30	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2417.66	329.70	20.00	2767.36
31	रामजस महाविद्यालय	5590.72	819.54	50.00	6460.26
32	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)	3299.55	277.85	20.00	3597.40
33	आर्यभट्ट महाविद्यालय	2853.10	288.72	36.00	3177.82
34	राजधानी महाविद्यालय	4815.31	559.54	30.00	5404.85
35	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)	2505.14	407.63	20.00	2932.77
36	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1905.50	277.47	14.00	2196.97
37	सेंट स्टीफेन्स कॉलेज	2164.97	392.51	40.00	2597.48
38	श्री राम कालेज ऑफ कामर्स	2498.74	288.72	50.00	2837.46
39	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय)	4051.26	427.63	60.00	4538.89
40	श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज	1960.18	258.03	42.00	2260.21
41	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय	4192.97	426.71	60.00	4679.68
42	श्याम लाल महाविद्यालय (दिवसीय)	2147.50	411.88	20.00	2579.38
43	श्याम लाल महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1904.76	314.86	15.00	2234.62
44	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय	6861.05	821.21	30.00	7712.26
45	एस0पी0एम कालेज फॉर वीमेन	6045.56	417.80	44.00	6507.36
46	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)	3460.81	411.55	40.00	3912.36
47	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2525.51	369.96	40.00	2935.47

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के बकाया सहित वेतन	पेंशन	वेतनेत्तर	कुल
48	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (दिवसीय)	2516.03	211.13	30.00	2757.16
49	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1888.81	128.63	14.00	2031.44
50	शिवाजी महाविद्यालय	3935.27	502.80	40.00	4478.07
51	विवेकानन्द महाविद्यालय	2933.28	359.57	40.00	3332.85
52	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)	5501.90	420.21	50.00	5972.11
53	जाकिर हुसैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1958.38	302.22	20.00	2280.60
	कुल	178887.00	21900.23	2025.00	202812.23
	छात्रावास				
1	दौलत राम महाविद्यालय	53.78	11.28	0.00	65.06
2	हंसराज महाविद्यालय	104.01	17.78	0.00	121.79
3	हिन्दू महाविद्यालय	86.90	23.22	0.00	110.12
4	इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन	64.18	37.53	0.00	101.71
5	किरोड़ी मल कॉलेज	97.47	18.00	0.00	115.47
6	लेडी इरविन महाविद्यालय	135.96	21.78	0.00	157.74
7	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय	94.60	18.53	0.00	113.13
8	मिरान्डा हॉउस	62.00	43.97	0.00	105.97
9	रामजस महाविद्यालय	64.62	17.00	0.00	81.62
10	सेंट स्टीफेन्स कॉलेज	117.57	23.72	0.00	141.29
11	श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स	58.64	20.97	0.00	79.61
12	जाकिर हुसैन महाविद्यालय	13.50	3.99	0.00	17.49
	कुल	953.23	257.77	0.00	1211.00
	कुल योग	179840.23	22158.00	2025.00	204023.23

4.5 (क) (ii) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालय :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार महाविद्यालयों को भी 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है, जो नीचे सूचीबद्ध हैं :

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
1.	आर्य महिला डिग्री महाविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
2.	डी0ए0वी0 डिग्री महाविद्यालय, वाराणसी
3.	वसंत कन्या महाविद्यालय, कामाक्षा, वाराणसी
4.	वसंत महिला महाविद्यालय, किला राजगढ़, वाराणसी

4.5(क) (ii) : वर्ष 2017-18 के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार महाविद्यालयों को जारी किए गए राजस्व अनुदानों का विवरण (लाख रूपए में)

क्रम सं.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालय का नाम	वेतन	पेंशन	वेतनेत्तर	योग
1.	आर्य महिला डिग्री महाविद्यालय	1305.87	63.92	28.35	1398.14
2.	डी0ए0वी0 डिग्री महाविद्यालय	1519.37	73.83	37.57	1630.77
3.	वसंत कन्या महाविद्यालय	1392.93	72.75	21.08	1486.76
4.	वसंत महिला महाविद्यालय	1520.47	89.50	13.00	1622.97
	कुल योग	5738.64	300.00	100.00	6138.64

वर्ष 2017-18 के दौरान दिल्ली और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को उपलब्ध कराए गए राजस्व अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

	आबंटन	(लाख रूपए में)
ब्योरा		जारी किया गया अनुदान
दिल्ली के महाविद्यालय:	204023.23	204023.23
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालय:	6138.64	6138.64

4.5 (ख) पूंजीगत अनुदान

वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता, महिला छात्रावासों तथा भवन के निर्माण, खेलकूद अवसंरचना तथा आईक्यूएसी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है। राज्य-राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए भी अनुदान जारी किया गया है।

आयोग ने दिनांक 20 मार्च, 2018 को आयोजित अपनी 530वीं बैठक में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/सम्मेलनों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के मुद्दे पर विचार किया। आयोग ने 5.00 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करने के मुद्दे पर भी विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/सम्मेलनों को आयोजित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित करने का भी निर्णय लिया गया।

तालिका 4.5 (ख)(1): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पूंजीगत अनुदान प्राप्त कर रहे दिल्ली के महाविद्यालयों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

1	आत्माराम सतानधर्म महाविद्यालय	बेनिटो जुआरेज रोड	नई दिल्ली- 110 021
2	भारती महाविद्यालय	सी-4, जनकपुरी	नई दिल्ली- 110 058
3	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज	त्रिवेणी (शेख सराय), फेज-2	नई दिल्ली- 110 017
4	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)	लोदी रोड	नई दिल्ली- 110 003
5	दयाल सिंह कॉलेज (सांध्यकालीन)	लोदी रोड	नई दिल्ली- 110 003
6	दौलतराम महाविद्यालय	4, पटेल मार्ग	दिल्ली- 110 007
7	देशबंधु महाविद्यालय (दिवसीय)	कालकाजी	नई दिल्ली- 110 019
8	रामानुजन महाविद्यालय	कालकाजी	नई दिल्ली- 110 019
9	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड कामर्स	नेताजी नगर	नई दिल्ली- 110 023
10	श्री गुरु गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स	पीतमपुरा	दिल्ली- 110 088
11	गार्गी महाविद्यालय	सिरीफोर्ट रोड, आनंदलोक के सामने	नई दिल्ली- 110 049
12	हंसराज महाविद्यालय	यूनीवर्सिटी एन्क्लेव	दिल्ली- 110 007
13	हिन्दू महाविद्यालय	यूनीवर्सिटी एन्क्लेव	दिल्ली- 110 007
14	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय	शाम नाथ मार्ग	दिल्ली- 110 054
15	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स	एफ-4, हौजखास एनक्लेव	नई दिल्ली- 110 016
16	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय	सर गंगाराम हास्पिटल मार्ग	नई दिल्ली- 110 060
17	जीसस एण्ड मेरी महाविद्यालय	चाणक्यपुरी	नई दिल्ली- 110 021
18	कालिन्दी महाविद्यालय	ईस्ट पटेल नगर	नई दिल्ली- 110 008
19	कमला नेहरू महाविद्यालय	खेल गांव मार्ग	नई दिल्ली
20	किरोड़ी मल कॉलेज	यूनीवर्सिटी एन्क्लेव	दिल्ली- 110 007
21	लेडी इरविन महाविद्यालय	सिकंदरा रोड	नई दिल्ली- 110 001
22	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	अशोक विहार, फेज-III	दिल्ली- 110 052
23	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय	लाजपत नगर	नई दिल्ली- 110 024
24	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय	माता सुंदरी लेन	नई दिल्ली- 110 002
25	मिरान्डा हॉउस	पटेल चेस्ट मार्ग	दिल्ली- 110 007
26	मैत्रेयी महाविद्यालय	चाणक्यपुरी, बापूधाम कॉम्प्लेक्स	नई दिल्ली - 110021
27	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)	बेनिटो जुआरेज रोड	नई दिल्ली- 110 021
28	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	बेनिटो जुआरेज रोड	नई दिल्ली- 110 021
29	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय)	नेहरू नगर, रिंग रोड	नई दिल्ली- 110 065
30	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	नेहरू नगर, रिंग रोड	नई दिल्ली- 110 065
31	रामजस महाविद्यालय	यूनीवर्सिटी एन्क्लेव	दिल्ली- 110 007
32	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)	बेनिटो जुआरेज रोड	नई दिल्ली- 110 021
33	आर्यभट्ट महाविद्यालय	बेनिटो जुआरेज रोड, (आनंद निकेतन)	नई दिल्ली- 110 021
34	राजधानी महाविद्यालय	राजा गार्डन	नई दिल्ली- 110 015
35	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)	शेखसराय, फेज-II	नई दिल्ली- 110 017
36	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	शेखसराय, फेज-II	नई दिल्ली- 110 017
37	सेंट स्टीफेन्स कॉलेज	विश्वविद्यालय एन्क्लेव	दिल्ली- 110 007
38	श्री राम कालेज ऑफ कामर्स	श्री गुरु तेगबहादुर मार्ग	दिल्ली- 110 007
39	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय)	यूनीवर्सिटी एन्क्लेव	दिल्ली- 110 007

40	श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज	देव नगर	नई दिल्ली- 110 005
41	श्री वैकटेश्वर महाविद्यालय	बेनिटो जुआरेज रोड, धौला कुआँ	नई दिल्ली- 110 021
42	श्याम लाल महाविद्यालय (दिवसीय)	जी.टी. रोड, शाहदरा	दिल्ली-110 032
43	श्याम लाल महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	जी.टी. रोड, शाहदरा	दिल्ली- 110 032
44	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय	अलीपुर	दिल्ली- 110 036
45	श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय	पंजाबी बाग (पश्चिम), रोड नं. 57	नई दिल्ली- 110 026
46	सत्यवती महाविद्यालय (दिवसीय)	अशोक विहार, फेज-III	दिल्ली- 110 052
47	सत्यवती महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	अशोक विहार, फेज-III	दिल्ली- 110 052
48	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (दिवसीय)	मालवीय नगर	नई दिल्ली- 110 017
49	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	मालवीय नगर	नई दिल्ली- 110 017
50	शिवाजी महाविद्यालय	रिंग रोड, राजा गार्डन	नई दिल्ली- 110 027
51	विवेकानन्द महाविद्यालय	विवेक विहार	दिल्ली- 110 095
52	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)	जवाहरलाल नेहरू मार्ग	नई दिल्ली- 110 002
53	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	जवाहरलाल नेहरू मार्ग	नई दिल्ली- 110 002
54	आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय	गोविंद पुरी, कालकाजी	नई दिल्ली- 110 019
55	भगिनी निवेदिता महाविद्यालय	कैर, (नजफगढ़ के नजदीक)	नई दिल्ली- 110 043
56	भास्कराचार्य महाविद्यालय	सेक्टर-2, फेज-I, द्वारका	नई दिल्ली- 110 075
57	केशव महाविद्यालय	एच-4-5 जोन पीतमपुरा	दिल्ली- 110 034
58	शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर एप्लाइड साइंस फॉर वूमेन	वसुंधरा रोड, चिल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स	दिल्ली- 110 096
59	भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय	मेन वजीराबाद रोड	दिल्ली- 110 094
60	दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन	लाल बहादुर शास्त्री मार्ग,	नई दिल्ली- 110003
61	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय	वसुंधरा एन्क्लेव	दिल्ली- 110 096
62	दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय	सेक्टर -3, द्वारका	दिल्ली. 110 078
63	अदिति महाविद्यालय	औचंदी रोड	दिल्ली- 110 039
64	सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज	झिलमिल कॉलोनी, विवेक विहार	दिल्ली- 110 095
65	यूनीवर्सिटी कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेज	शाहदरा	दिल्ली- 110 095
66	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज	शाहिद भगत सिंह मार्ग	नई दिल्ली -110 001

वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत योजनाओं के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों को अनुदान जारी किया:-

(लाख रुपए में)

उद्देश्य	जारी किया गया अनुदान		कुल
	शीर्ष- 31	शीर्ष- 35	
भवन निर्माण परियोजनाएं	-	900.00	900.00
विशेष योजना के तहत महिला छात्रावास	-	48.00	48.00
संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं	23.00	-	23.00
दृष्टि बाधित शिक्षकों-रीडर भत्ता	34.42	-	34.42
कुल	57.42	948.00	1005.42

वर्ष 2017-18 के दौरान दिल्ली के महाविद्यालयों को 'संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए जारी किए गए अनुदानों' को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	महाविद्यालय का नाम	राशि, रुपए में
1	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज	90,000.00
2	श्यामलाल कॉलेज (दिवसीय)	307,000.00
3	हंसराज कॉलेज	100,000.00
4	शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर एप्लाइड साइंसेज फॉर वूमेन	25,000.00
5	शिवाजी कॉलेज	30,000.00
6	जीजस एंड मेरी कॉलेज	130,000.00
7	श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स	110,000.00
8	आत्मा राम सनातन धर्म	60,000.00
9	भास्कराचार्य कॉलेज	20,000.00

क्रम सं.	महाविद्यालय का नाम	राशि, रुपए में
10	मिरांडा हाऊस	150,000.00
11	दौलतराम कॉलेज	300,000.00
12	विवेकानंद कॉलेज	30,000.00
13	आर्यभट्ट कॉलेज	337,819.00
14	एस.पी.एम. कॉलेज	150,000.00
15	माता सुंदरी कॉलेज	113,810.00
16	यूसीएमएस	161,206.00
17	पीजीडीएवी कॉलेज	150,000.00
18	जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज	30,000.00
19	कालिंदी कॉलेज	16,177.00
	कुल	2,311,012.00

वर्ष 2017-18 के दौरान महाविद्यालयवार और योजनावार जारी किए गए पूंजीगत अनुदान को दर्शाने वाला विवरण:

वर्ष 2017-18 के दौरान दिल्ली के महाविद्यालयों को जारी किए गए पूंजीगत अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

राशि, रुपए में

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	भवन	महिला छात्रावास	दृष्टिबाधित शिक्षकों को रीडर भत्ता	कुल
1	आत्माराम सतानधर्म महाविद्यालय			204000	204000
2	भारती महाविद्यालय				0
3	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज				0
4	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)				0
5	दयाल सिंह कॉलेज (सांध्यकालीन)				0
6	दौलतराम महाविद्यालय				0
7	देशबंधु महाविद्यालय (दिवसीय)				0
8	रामानुजन महाविद्यालय			180000	180000
9	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड कामर्स				0
10	श्री गुरु गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स			144000	144000
11	गार्गी महाविद्यालय			108000	108000
12	हंसराज महाविद्यालय				0
13	हिन्दू महाविद्यालय			126000	126000
14	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय	15000000			15000000
15	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स (स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर)				0
16	जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज			288000	288000
17	जीसस एण्ड मेरी महाविद्यालय	15000000			15000000
18	कालिन्दी महाविद्यालय				0
19	कमला नेहरू महाविद्यालय			144000	144000
20	किरोड़ी मल कॉलेज				0
21	लेडी इरविन महाविद्यालय				0
22	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय			72000	72000
23	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय				0
24	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय				0
25	मिरांडा हाउस				0
26	मैत्रेयी महाविद्यालय	20000000	4800000	360000	25160000
27	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)				0

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	भवन	महिला छात्रावास	दृष्टिबाधित शिक्षकों को रीडर भत्ता	कुल
28	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)			144000	144000
29	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय)				0
30	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्यकालीन)				0
31	रामजस महाविद्यालय			36000	36000
32	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)				0
33	आर्यभट्ट महाविद्यालय	40000000		216000	40216000
34	राजधानी महाविद्यालय			162000	162000
35	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)			108000	108000
36	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)				0
37	सेंट स्टीफेन्स कॉलेज			87900	87900
38	श्री राम कालेज ऑफ कामर्स			144000	144000
39	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय)				0
40	श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज			126000	126000
41	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय				0
42	श्याम लाल महाविद्यालय (दिवसीय)				0
43	श्याम लाल महाविद्यालय (सांध्यकालीन)				0
44	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय			108000	108000
45	एस0पी0एम कालेज फॉर वीमेन				0
46	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)				0
47	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (सांध्यकालीन)				0
48	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (दिवसीय)			108000	108000
49	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (सांध्यकालीन)				0
50	शिवाजी महाविद्यालय				0
51	विवेकानन्द महाविद्यालय				0
52	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)			288000	288000
53	जाकिर हुसैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय (सांध्यकालीन)			180000	180000
54	आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय				0
55	भगिनी निवेदिता महाविद्यालय				0
56	भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंस				0
57	केशव महाविद्यालय				0
58	शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर एप्लाइड साइंस				0
59	भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय			36000	36000
60	दुर्गाबाई देशमुख महाविद्यालय				0
61	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय				0
62	दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय			72000	72000
63	अदिति महाविद्यालय				0
64	सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज				0
	कुल	90000000	4800000	3441900	98241900
	करोड़ रुपए में	9	4.8	0.34	9.82

► गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता

- ❖ 5.1 उत्कृष्टता की संभावना-शिक्षण और शोध
- ❖ 5.2 नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना
- ❖ 5.3 विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)
- ❖ 5.4 स्वायत्त महाविद्यालय
- ❖ 5.5 मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी)
- ❖ 5.6 राजभाषा का संवर्धन (हिंदी)
- ❖ 5.7 द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
- ❖ 5.8 शिक्षण और शोध हेतु मानव संसाधन के विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षा
- ❖ 5.9 यात्रा अनुदान
- ❖ 5.10 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी)
- ❖ 5.11 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र
- ❖ 5.12 विश्वविद्यालयों में खेल-कूद अवसंरचना और उपस्कर का विकास

5.1 उत्कृष्टता की संभावना-शिक्षण और शोध

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता की प्राप्ति के प्रयत्न स्वरूप विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चयनित विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को पर्याप्त सहायता उपलब्ध करवा रहा है ताकि उन्हें विश्वस्तरीय बनाया जा सके तथा देश में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई), उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई) तथा किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र (सीपीईपीए) और अन्य योजनाओं की भांति अन्य संस्थानों के लिए बैचमार्क के रूप में कार्य करें।

5.1(i) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षण तथा शोध क्रियाकलापों में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले कुछ विश्वविद्यालयों की पहचान करने के लिए इन योजनाओं को आरंभ किया था।

यूपीई योजना के तहत अब तक 16 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुछ मौजूदा यूपीई में से कुछ विश्वविद्यालयों की पहचान करना चाहता है जिन्होंने पहले पर्याप्त सीमा तक शिक्षण तथा शोध में उत्कृष्टता तथा नवोन्मेष प्राप्त किया है तथा योजना के तहत प्रथम/द्वितीय चरण पूर्ण किया तथा उन्हें उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालय (यूओई) का नाम दिया है। ऐसे तीन विश्वविद्यालय हैं, जिन्होंने उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय के प्रथम/द्वितीय चरण को पूर्ण कर लिया है, उनके उत्कृष्ट निष्पादन/उपलब्धियों हेतु उत्कृष्टता के विश्वविद्यालय (यूओई) का दर्जा प्रदान करने के लिए उन्नयन किये जाने हेतु विचार किया जायेगा।

16 (सोलह) यूपीई विश्वविद्यालय तथा उन्हें अब तक प्रदत्त अनुदान का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	बल दिया जाने वाला क्षेत्र	अनुमोदित अनुदान राशि (करोड़ रुपए में)		जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)	
			चरण-1	चरण-2	चरण-1	चरण-2
1.	जादवपुर विश्वविद्यालय	1. नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2. कोगनिटिव साइंस	30	25 संशोधित कर 50.00 किया गया	30	44.58
2.	पुणे विश्वविद्यालय	जैव प्रौद्योगिकी तथा नवीन पदार्थ और नैनो प्रणालियां	30	25 संशोधित कर 50.00 किया गया	30	37.55

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	बल दिया जाने वाला क्षेत्र	अनुमोदित अनुदान राशि (करोड़ रुपए में)		जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)	
			चरण-1	चरण-2	चरण-1	चरण-2
3.	मद्रास विश्वविद्यालय	शाकीय विज्ञान (हर्बल विज्ञान)	30	25	30	15.20
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	शिक्षण तथा शोध में इंटरफेस अध्ययन	30	25 तथा संशोधित कर 50.00 किया गया	30	50
5.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	1. भौतिकी तथा नैनोविज्ञान तकनीकों का उपयोग करते हुए जैविक तथा पर्यावरणीय उत्पत्ति के पदार्थों में जीनोमिक्स तथा प्रोटियोमिक्स का अध्ययन। 2. वैश्वीकरण, राष्ट्रीय विकास तथा ज्ञान प्रणालियाँ: एक दूसरे से संबंध अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज तथा संस्कृति	30	60	30	30
6.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	जीव विज्ञान में नैनो विज्ञान	28.65	--	28.65	--
7.	नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय (एनईएचयू)	जैव विज्ञान एवं क्षेत्र अध्ययन	30	--	25	--
8.	कोलकाता विश्वविद्यालय	आधुनिक जीव विज्ञान	30	60 (वर्ष 2015-20)	30	39.60
9.	मुम्बई विश्वविद्यालय	हरित प्रौद्योगिकी	30.00 जिसे दिनांक 31.03. 2015 तक बढ़ाया गया	--	20.85	--
10.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	द्रव्य अनुसंधान-सामाजिक प्रासंगिकता	50	--	30	--
11.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1) अत्याधुनिक क्रियाशील द्रव्यमान (उर्जा द्रव्यमान, मल्टीफेराइनक्स, अत्याधुनिक पालीमर) 2) जीनोमिकी और प्रोटियोमिक्स	50	--	30	--
12.	राजस्थान विश्वविद्यालय	पदार्थ और अभिसरणात्मक विज्ञान: नैनो-पदार्थ, नैनो-कंपोजिट तथा बहुपरतीय पदार्थ	50	--	30	--
13.	मैसूर विश्वविद्यालय	अत्याधुनिक क्रियाशील पदार्थों को संसाधित करना, लक्षण वर्णन तथा उनका अनुप्रयोग मीडिया और सामाजिक विकास-कर्नाटक का एक अध्ययन मामला	50	--	50	--
14.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	टयूमर-रोधी क्रियाकलाप - एक समेकित पद्धति	50	--	30	--
15.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय	पदार्थ विज्ञान	50	--	30	--
16.	अन्ना विश्वविद्यालय	जैव-चिकित्सा अभियांत्रिकी तथा यांत्रिकी	23.11	प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए	23.11	--

अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों की प्रगति/कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए मध्यावधि समीक्षा समिति गठित की। वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान ओस्मानिया विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय की समीक्षा की गई और समिति की रिपोर्ट को यूपीई संबंधी स्थायी समिति के समक्ष रखा गया।

वर्ष 2017-18 के दौरान यूपीई की योजना के तहत विश्वविद्यालयों को 55.64 करोड़ रुपए (केवल पचपन करोड़ चौंसठ लाख रुपए) की राशि जारी की गई थी।

5.1(ii) किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीईपीए)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीईपीए)" योजना को आरंभ किया था ताकि शिक्षण तथा शोध क्रियाकलापों में उत्कृष्टता तथा अंतर्विषयक पद्धति को बढ़ावा दिया जा सके। योजना का व्यापक उद्देश्य चयनित विश्वविद्यालयों में चुनिंदा विभागों को बढ़ावा देना तथा सुविधा प्रदान करना है ताकि वे क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उभरते हुए नवीन अथवा अत्याधुनिक क्षेत्रों में विभाग और/अथवा विधाओं की सीमाओं से इतर अपने कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों में संकाय सदस्यों को जोड़कर उनका सहयोग प्राप्त कर सकें।

वर्ष 2017-18 के दौरान इस योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों से 29 केन्द्रों को सहायता प्रदान की जा रही है। ब्योरा नीचे दिया गया है:

राज्य	क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विशिष्टता का क्षेत्र	मौजूदा चरण	(लाख रुपए में)	
					आबंटन	जारी किया गया अनुदान
आंध्र प्रदेश	1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति	पारम्परिक शास्त्र	चरण-II	300	240
	2.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	"कतिपय महत्वपूर्ण चिकित्सा पादपों की स्वास्थ्य परिचर्या हेतु बायो-प्रोस्पेक्टिंग"	चरण-I	280	250
	3.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	एरोसोल वायुमंडलीय मॉडलिंग तथा दूरसंवेदी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का अध्ययन	चरण-I	494.25	280.05
असम	4.	तेजपुर विश्वविद्यालय	पूर्वोत्तर क्षेत्र में सांस्कृतिक स्मृति। टेक्स्टुअल तथा दृश्यात्मक विवरणों के संबंध में एक शोध तथा प्रलेखन कार्यक्रम	चरण-I	230	115.65
अरुणाचल प्रदेश	5.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	जैव विविधता	चरण-II	700	700
चण्डीगढ़	6.	पंजाब विश्वविद्यालय	जैव चिकित्सा विज्ञान	चरण-I	500	500
	7.	पंजाब विश्वविद्यालय	पंजाब और हरियाणा में लिंग संबंधी लेखापरीक्षा "कल्चरल फिक्सेशन ऑन ऑनर"	चरण-I	185	185
	8.	पंजाब विश्वविद्यालय	"नैनो पदार्थों, नैनो-कणों तथा नैनो संघटकों का अनुप्रयोग"	चरण-I	355	317.50
दिल्ली	9.	जामिया मीलिया इस्लामिया	देश में मीडिया तथा संचार अध्ययनों को सुदृढ़ करना	चरण-I	280	98
गुजरात	10.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	अनुप्रयुक्त पॉलीमर	चरण-II	670	454
हिमाचल प्रदेश	11.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	हिमालय अध्ययन	चरण-II	700	350
जम्मू और कश्मीर	12.	कश्मीर विश्वविद्यालय	कश्मीर हिमालयी जैव-विविधता का दस्तावेजीकरण, जैव-प्रलेखन तथा संरक्षण	चरण-I	527.184	260

राज्य	क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विशिष्टता का क्षेत्र	मौजूदा चरण	(लाख रुपए में)	
					आबंटन	जारी किया गया अनुदान
कर्नाटक	13.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	“चिकित्सीय निदान, उद्योगों तथा कृषि अनुप्रयोगों हेतु उन्नत पदार्थ”	चरण-I	685	342.50
	14.	बंगलुरु विश्वविद्यालय	“रोग प्रबंधन में लक्षित औषधि तथा कोशिकाओं में उसके प्रभाव का पता लगाने हेतु आणविक तथा नैनो उपकरणों का अनुप्रयोग”	चरण -I	575	575
	15.	मैसूर विश्वविद्यालय	“केरेक्ट्राईजेशन एण्ड एप्लीकेशन ऑफ एडवांस फंक्शनल नैनो मैटीरियल”	चरण -I	430	430
	16.	मंगलोर विश्वविद्यालय	“माइक्रोट्रॉन सुविधा का उपयोग करते हुए ‘पालीस्केल फंक्शनल मैटीरियल पर इलेक्ट्रॉन बीम इरेडियेशन का प्रभाव”	चरण -I	505.80	406.76
मध्य प्रदेश	17.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	ई-प्रबंधन अध्ययन	चरण -I	300	300
	18.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	“इंदौर के जनजातीय क्षेत्रों में समेकित तथा सतत् विकास”	चरण -I	250	130
महाराष्ट्र	19.	डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	“मराठवाड़ा के पिछड़े जिलों में ग्रामीण विकास”		250	70
पंजाब	20.	गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय	खेल-कूद विज्ञान	चरण -I	500	500
	21.	गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय	“पंजाब में कैंसर तथा मधुमेह के द्वितीय प्रकार का आनुवांशिक आधार”	चरण -I	615	615
तमिलनाडु	22.	अन्ना विश्वविद्यालय	पर्यावरणीय विज्ञान	चरण -II	500	450
	23.	मद्रास विश्वविद्यालय	“मानव कल्याण हेतु चिकित्सीय पादपों से औषधियों का विकास”	चरण -I	325	162
	24.	मद्रास विश्वविद्यालय	जलवायु परिवर्तन तथा क्षेत्र में मैनग्रोव पारिस्थितिकीय पर इसका प्रभाव	चरण -I	230	215
	25.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	“समुद्र विज्ञान संकाय में समुद्री जीव विज्ञान पर उच्च अध्ययन”	चरण -I	385	385
	26.	भरतीयार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	“सौर ऊर्जा सामग्री तथा उपकरणों को विकसित करने के लिए भौतिकी में उन्नत शोध”	चरण -I	354	326.80
	27.	भारतीदासन विश्वविद्यालय	“पशुओं पर प्रयोग के विकल्प के संबंध में राष्ट्रीय केन्द्र”	चरण -I	500	246.38
	28.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	बिहेवियरल कॉगनेटिव साइंस	चरण -II	700	700
पश्चिम बंगाल	29.	कोलकाता विश्वविद्यालय	“इलेक्ट्रो फिजियोलॉजीकल एण्ड न्यूरो इमेजिंग स्टडीज इन्कलूडिंग मैथेमेटिकल मॉडलिंग”	चरण -I	615	615

वर्ष 2017-18 के दौरान सीपीईपीए योजना के तहत केन्द्रों को 12.43 करोड़ रुपए (केवल बारह करोड़ तैंतालीस लाख रुपए) की राशि जारी की गई थी।

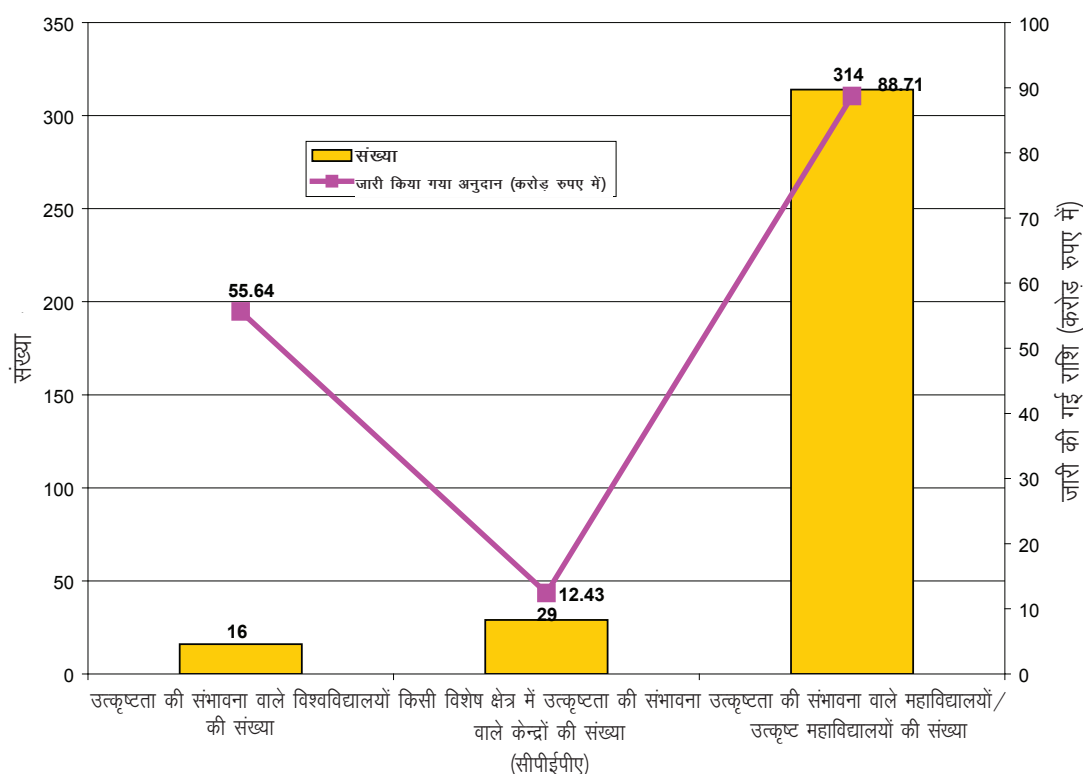
5.1(iii) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई)

इस योजना के तहत महाविद्यालयों को उनकी शैक्षणिक अवसंरचना में सुधार लाने, शिक्षण, प्रशिक्षण में नवोन्मेष को अपनाने के लिए तथा उपाधि स्तर पर पाठ्यक्रमों के चयन में एक लचीला दृष्टिकोण प्रस्तावित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2017-18 के दौरान 295 महाविद्यालयों को “उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय” (सीपीई) का दर्जा प्राप्त है तथा 19 महाविद्यालयों को “उत्कृष्टता वाले महाविद्यालय” (सीई) का दर्जा प्राप्त है। सीपीई योजना के तहत कुल 314 महाविद्यालय हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान यूपीई की योजना के तहत महाविद्यालयों को 88,71,45,400/- रुपए (केवल अट्ठासी करोड़ इकहत्तर लाख पैतालीस हजार चार सौ रुपए) की राशि जारी की गई थी।

वर्ष 2017-18 के दौरान उत्कृष्टता की संभावना का दर्जा : संख्या : जारी किया गया अनुदान

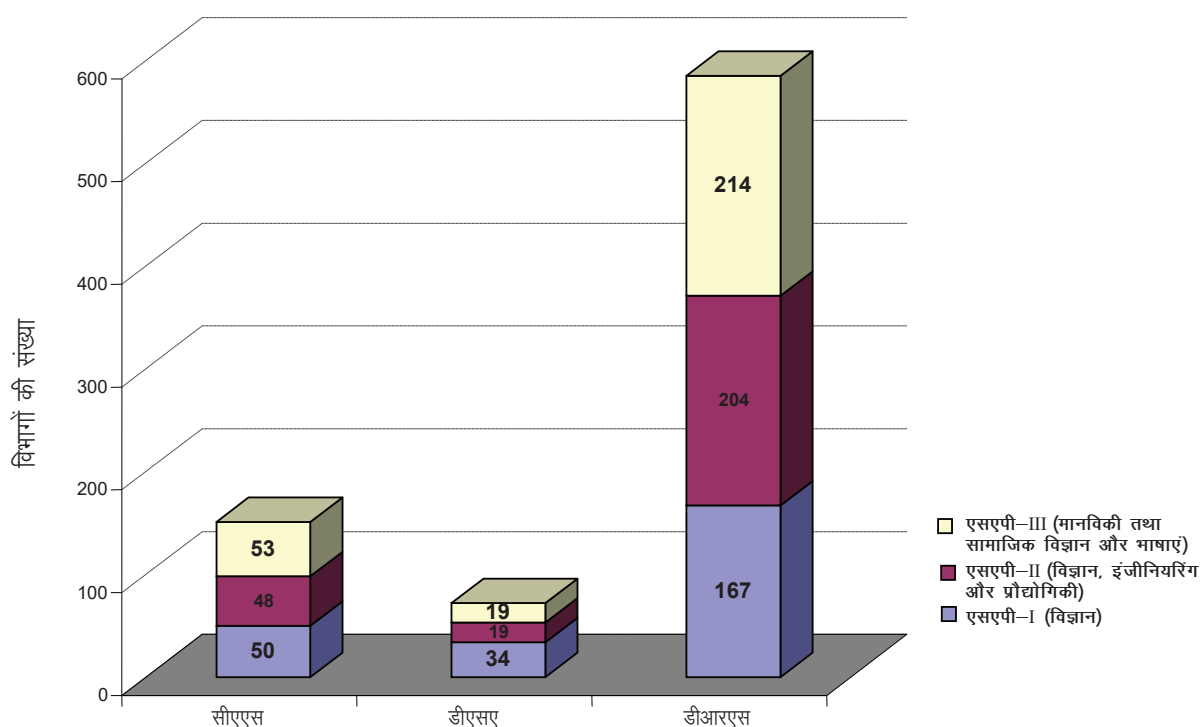


5.2 नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना करना

उदारीकरण, वैश्वीकरण के संदर्भ में बदले आर्थिक परिवेश और नई उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्चतर शिक्षा प्रणाली से गुणवत्ता उत्पादों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वर्ष, 2001 के दौरान विश्वविद्यालय व्यवस्था के भीतर विज्ञान और मानविकी में विभिन्न अंतर-विषयक क्षेत्रों संबंधी अध्ययन और शोध में “उत्कृष्टता के नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना” नामक नई योजना आरंभ की थी।

आयोग ने विश्वविद्यालयी प्रणाली में केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों में निम्नवत केन्द्रों की स्थापना के प्रस्तावों को अनुमोदित किया।

रेखाचित्र 5.3: दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार एसएपी-विभागों की स्थिति



5.4 स्वायत्त महाविद्यालय

वर्ष 1964-66 के शिक्षा आयोग, ने यह इंगित किया था कि शिक्षकों की शैक्षिक स्वतंत्रता, हमारे देश के बौद्धिक परिवेश के विकास के लिए परमावश्यक है। जब तक ऐसा परिवेश मौजूद नहीं होगा तब तक उच्चतर शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता प्राप्त करना कठिन है। चूंकि छात्र, शिक्षक तथा प्रबंधन उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में सह-भागीदार हैं, इसलिए यह अनिवार्य है कि उन्हें वृहद उत्तरदायित्व का वहन करने में सहयोग करना चाहिए। इसलिए, शिक्षा आयोग (1964-66) ने महाविद्यालयों को स्वायत्तता की प्रदान करने की सिफारिश की थी जोकि मूलतः, महाविद्यालयों को स्वायत्तता ही शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का एक माध्यम है।

वित्तीय सहायता:

स्वायत्त महाविद्यालयों को ग्राह्य स्वायत्ता अनुदान को हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बंगलुरु और दिल्ली में स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों (अलग से विहित किए गए) के अनुसार स्वायत्त महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तथापि, स्व-वित्तपोषित महाविद्यालयों को स्वायत्तता अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा। स्वायत्तता अनुदान और लेखाओं के रखरखाव से संबंधित मामले, महाविद्यालय, योजना के दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होंगे।

दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 25 राज्यों में फैले 105 विश्वविद्यालयों में 635 स्वायत्त महाविद्यालय थे।

5.5 मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी)

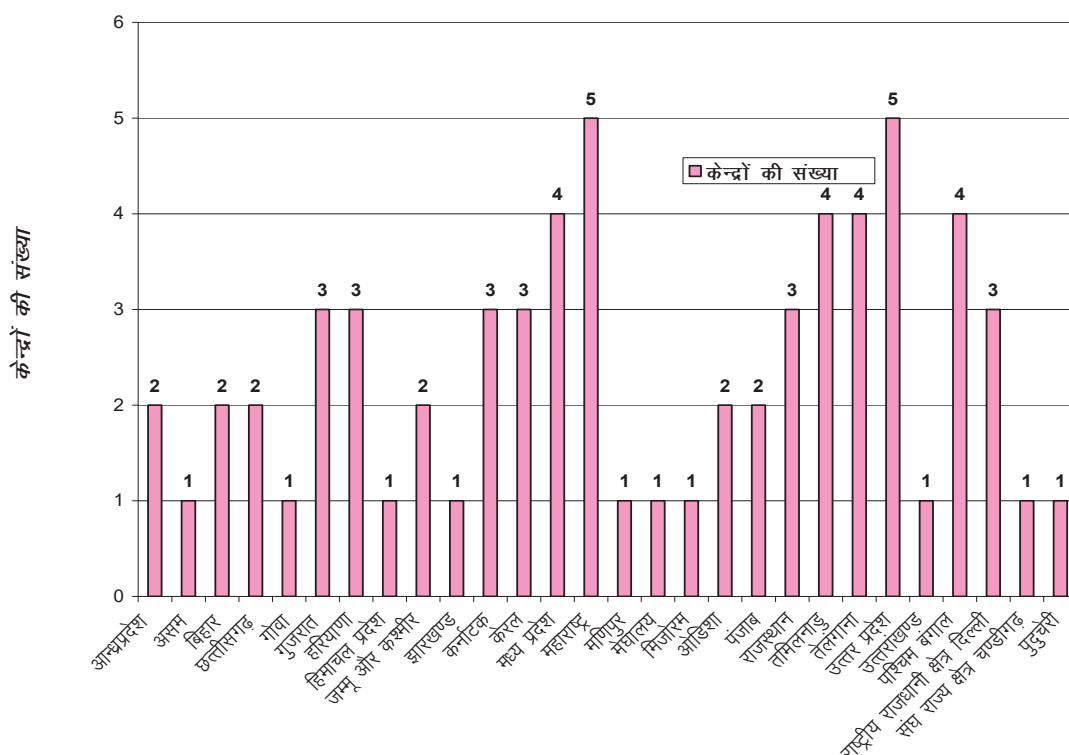
विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में शिक्षण के उच्च मानदण्ड बनाए रखने के लिए वर्ष 1986-87 में अकादमिक स्टॉफ कॉलेज की योजना आरंभ की गई थी। वर्तमान में, देशभर में 66 एचआरडीसी केन्द्र (पूर्व में एएससी के नाम से जाना जाता था) हैं। इस प्रकार से स्थापित ऐसे महाविद्यालय, नए नियुक्त हुए व्याख्याताओं के लिए चार सप्ताह का विशेषरूप से अभिविन्यास कार्यक्रम तथा सेवारत शिक्षकों के लिए तीन सप्ताह का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

- (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एचआरडीसी योजना के तहत 66 मानव संसाधन विकास केन्द्रों को संपूर्ण देश में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास कार्यक्रम, अल्पावधि कार्यक्रम, समर-विंटर स्कूल प्रोग्राम तथा एएससी-अतिथि गृह आदि आयोजित करने के लिए अनुदान संस्वीकृत किए हैं।
- (ख) लगभग 25000 शिक्षक-प्रतिभागियों ने 66 विअआ-एचआरडीसी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में भागीदारी की है।
- (ग) वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 60,59,81,135 /—रुपए की राशि संस्वीकृत की गई थी, परंतु 4,54,59,097 /— रुपए के स्वीकृति पत्रों के समक्ष निधियों की कमी के कारण एफडी द्वारा अनुदान जारी नहीं किए जाने के फलस्वरूप यह राशि कम होकर 64,05,22,038 /— रुपए रह गई।

तालिका 5.5: वर्ष 2017-18 के दौरान मानव संसाधन विकास केंद्र (एचआरडीसी) की राज्यवार संख्या:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रों की संख्या	क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रों की संख्या
1	आन्ध्रप्रदेश	2	15	मणिपुर	1
2	असम	1	16	मेघालय	1
3	बिहार	2	17	मिजोरम	1
4	छत्तीसगढ़	2	18	ओडिशा	2
5	गोवा	1	19	पंजाब	2
6	गुजरात	3	20	राजस्थान	3
7	हरियाणा	3	21	तमिलनाडु	4
8	हिमाचल प्रदेश	1	22	तेलंगाना	4
9	जम्मू और कश्मीर	2	23	उत्तर प्रदेश	5
10	झारखण्ड	1	24	उत्तराखण्ड	1
11	कर्नाटक	3	25	पश्चिम बंगाल	4
12	केरल	3	26	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3
13	मध्य प्रदेश	4	27	संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़	1
14	महाराष्ट्र	5	28	पुदुचेरी	1
			कुल		66

रेखाचित्र 5.5 : वर्ष 2017-18 के दौरान मानव संसाधन विकास केंद्र (एचआरडीसी) की राज्यवार संख्या:



5.6 राजभाषा का संवर्धन

केन्द्र सरकार ने वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम के द्वारा हिन्दी को भारत संघ की सरकारी कामकाज करने के लिए राजभाषा घोषित किया तथा केन्द्र सरकार के सभी विभागों को सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक 'राजभाषा प्रकोष्ठ' स्थापित करने का निर्देश दिया, जिसे तत्पश्चात् वर्ष 1992 में पूर्ण राजभाषा अनुभाग बना दिया गया।

आयोग में राजभाषा हिन्दी के मुख्य पद न होने पर भी हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने का प्रयास कर रहा है। आयोग द्वारा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय में हिन्दी प्रकोष्ठ की स्थापना एवं आयोग द्वारा अनुदान प्राप्त केन्द्रीय/सम/राज्य विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग की स्थापना एवं उन्नयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले कागजात (सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, संसदीय प्रश्न आदि) द्विभाषी जारी करने के लिए परिपत्र जारी किए गए।
- वर्ष 2017-18 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें क्रमशः दिनांक 27.06.2017, 26.09.2017, 22.12.2017 और 27.03.2018 को आयोजित की गईं।
- वर्ष 2017-18 के दौरान पांच कर्मचारियों को हिन्दी टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया। सभी कर्मचारियों ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट द्विभाषी है तथा अँग्रेजी एवं हिन्दी सामग्री का समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।
- आयोग के विभिन्न अनुभागों से अनुवाद के लिए प्राप्त सामग्री का हिन्दी में अनुवाद राजभाषा अनुभाग द्वारा किया गया है जैसे: वार्षिक रिपोर्ट 2016-17, वार्षिक लेखा 2016-17, प्रशासनिक निविदा सूचनाएँ, प्रशासन द्वारा निर्धारित विभिन्न अवकाशों के प्रारूप (अर्जित अवकाश/आकस्मिक/शिशु देख-रेख/चिकित्सा, अवकाश नकदीकरण, कार्यभार ग्रहण, त्यागपत्र इत्यादि), सूचना के अधिकार संबंधी सूचना एवं पत्र, प्रशासनिक कार्यालय आदेश, ज्ञापन, स्थानान्तरण, तैनातियाँ, सेवानिवृत्तियाँ, अनुशासन संबंधी आदेश, अर्द्धशासकीय पत्र एवं अनुभागों द्वारा प्राप्त विज्ञापन, परिपत्र।
- वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे हिन्दी निबंध, वाद-विवाद, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी टंकण आयोजित की गईं। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतियोगियों एवं प्रोत्साहन हेतु क्रमशः 5,000/-रुपए, 4,000/-रुपए, 3,000/-रुपए और 2,000/-रुपए के नगद पुरस्कार प्रदान किए गए।
- सितम्बर माह में दिनांक 01 से 14 सितम्बर, 2017 के दौरान हिन्दी पखवाड़े तथा दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। हिन्दी दिवस के आयोजन एवं पुरस्कार वितरण हेतु कुल 4,18,329.00 रुपए की कुल राशि का व्यय किया गया।
- हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोग में चार कार्यशालाओं का क्रमशः दिनांक 28.06.2017, 28.09.2017, 22.12.2017 और 27.03.2018 को आयोजन किया गया।
- आयोग द्वारा अनुदान प्राप्त सभी केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालयों में से 13 विश्वविद्यालयों को हिन्दी विभागों को उन्नयन करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है।

5.7 द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार की ओर से भारत और अन्य देशों के बीच विभिन्न सहयोगात्मक शैक्षिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अमेरिका, ब्रिटेन, इजरायल, नारवे और न्यूजीलैण्ड जैसे देशों के साथ संयुक्त शोध कार्यक्रम चला रहा है तथा आयोग ने स्टार्डिपेन्डीयम हंगेरिकम, अमेरिका में पोस्ट डॉक्टोरल शोध हेतु रमन अध्येतावृत्ति, परियोजना आधारित कार्मिक

5.7 (ख)(iii) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत-जर्मनी भागीदारियां (आईजीपी)

द्वितीय भारत-जर्मनी अंतर-सरकार परामर्श के अवसर पर बर्लिन में दिनांक 11 अप्रैल, 2013 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत और फ़ेडरल मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन एण्ड रिसर्च, जर्मनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों पक्ष उच्चतर शिक्षा में भारत-जर्मन साझेदारी (आईजीपी) नामक नए वित्तपोषण कार्यक्रम पर सहमत थे। इस कार्यक्रम की अवधारणा और वित्तीय तथा सांगठनिक प्रकाशन का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा डीएएडी पर है। इस संबंध में, कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित दोनों मंत्रालयों के बीच इस आशय की संयुक्त घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें दोनों पक्षों ने इस कार्यक्रम का वर्ष 2016 से 2020 तक चार वर्षों की अवधि हेतु वित्तपोषित करने और इस अवधि हेतु प्रत्येक पक्ष द्वारा 3.5 मिलियन यूरो आवंटित करने की इच्छा जाहिर की है।

मंत्रालयों और जेडीआई के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौते के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.), भारत और जर्मन शैक्षिक प्रतिदान सेवा (डीएएडी), जर्मनी के बीच उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत-जर्मन भागीदारी (आईजीपी) पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 को एक समझौता किया गया तथा भारत के माननीय प्रधानमंत्री एवं जर्मनी के महामहिम चांसलर की उपस्थिति में उक्त समझौते का आदान-प्रदान किया गया।

प्रथम चरण में, 01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2020 की अवधि के लिए वर्ष 2016 के दौरान 08 संस्थागत भागीदारियां प्रदान की गई हैं।

5.7 (ख)(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-यूकेआईईआरआई विषयगत भागीदारियां:

‘ब्रिटेन इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव’ (यूकेआईईआरआई) को दोनों देशों के बीच शैक्षिक संपर्क को बढ़ाने के उद्देश्य से अप्रैल, 2006 में आरंभ किया गया था।

इस पहल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सफलता को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को वर्ष 2016 तक बढ़ा दिया गया था।

भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों की ओर से तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समर्थन से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) और नई दिल्ली में स्थित यूकेआईईआरआई सचिवालय के माध्यम से ब्रिटिश काउंसिल (बीसी), कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

ब्रिटेन और भारत की सिद्ध शोध क्षमता वाले संस्थान-आधारित शोध दलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-यूकेआईईआरआई विषयगत भागीदारियां प्रदान किए जाने का विचार है। विषयगत भागीदारियों के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान 18 संयुक्त शोध परियोजनाओं को अवार्ड किया गया था।

5.7 (ख)(v) भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त शोध परियोजनाएं:

भारत-न्यूजीलैंड शिक्षा परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वाधान में भारत तथा ‘एजुकेशन न्यूजीलैंड’ ने संयुक्त शोध परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण प्राप्त करने के इच्छुक भारत और न्यूजीलैंड के शिक्षाविदों से आवेदन आमंत्रित किये। ये परियोजनाएं किसी भी विधा पर केन्द्रीत हो सकती हैं लेकिन निम्नवत विषयों में से एक अथवा अधिक पर बल दिया जाना चाहिए:

1. खाद्य सुरक्षा (कृषि सहित), इतिहास, सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन।
2. सामुदायिक विकास और नवोन्मेष
3. रचनात्मक और संस्कृति उद्योग, पर्यटन और न्यू लैय्यर-इकोनॉमी
4. स्वास्थ्य
5. पर्यावरण और धारणीयता (जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा अध्ययन सहित)
6. दक्षिण प्रशांत और एंटीपोड्स में बसे भारतीय मूल के व्यक्ति
7. भारत-न्यूजीलैंड व्यापार संबंध और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत की विदेश नीति
8. जानकारी की सुरक्षा
9. शहरी आयोजना और विकास, शहरी-ग्रामीण भूमि का उपयोग और संबंधित मुद्दे।

वर्ष 2014 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत 7 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था।

5.7 (ख)(vi) भारत-इज़राइल संयुक्त शोध कार्यक्रम:

संयुक्त शोध कार्यक्रम का उद्देश्य इज़राइली और भारत के वैज्ञानिकों के बीच शोध सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) और इज़राइल विज्ञान फ़ाउंडेशन (आईएसएफ) के बीच हुए एक सहयोग समझौते के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और भारतीय और इज़राइल सरकार द्वारा दो वित्तपोषण एजेंसियों के माध्यम से, जिनमें से प्रत्येक अपने संबंधित विनियमों के अनुरूप अपने वैज्ञानिकों को वित्तपोषित करती है, के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। यह कार्यक्रम सभी विधाओं के लिए खुला है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत और इज़राइल साइंस फ़ाउंडेशन (आईएसएफ), इज़राइल ने कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत संयुक्त शोध परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए और अंततः और वर्ष 2017 में 11 प्रस्तावों को वित्तपोषण हेतु अनुमोदित किया गया।

5.7 (ख)(vii) भारत-नार्वे सहयोग कार्यक्रम (आईएनसीपी) :

उच्चतर शिक्षा और शोध के क्षेत्र में भारत-नार्वे सहयोग कार्यक्रम (आईएनसीपी) एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत और नार्वे के बीच उच्चतर शिक्षा के संपर्कों को बढ़ाना है।

यह कार्यक्रम दिनांक 14 फरवरी, 2014 को भारत और नार्वे के बीच हस्ताक्षरित उच्चतर शिक्षा में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत तथा शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु नार्वे केंद्र (एसआईयू) के बीच शैक्षणिक सहयोग संबंधी करार पर आधारित है।

आईएनसीपी का वित्तपोषण संयुक्त रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा०सं०वि०मं०) भारत और नार्वे के विदेश मंत्रालय (एमएफए) द्वारा समान अनुदान के माध्यम से किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत और एसआईयू, नार्वे इस कार्यक्रम हेतु कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

आईएनसीपी का उद्देश्य भारत और नार्वे के उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को और बढ़ाने के उद्देश्य से नई परियोजनाओं के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि, जिसे दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक विस्तार दिया गया है, एक नई परियोजना के पोर्टफोलियो की स्थापना करना और उसका प्रशासन करना शामिल है।

पात्रता: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत विकास अनुदान पाने हेतु पात्र, मान्यताप्राप्त सार्वजनिक वित्तपोषित संस्थान और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

व्यापक विषयगत क्षेत्र: किसी भी शैक्षणिक विधा में सहयोग किया जा सकता है परंतु वह निम्नवत प्राथमिकता वाले क्षेत्र से संबद्ध होना चाहिए:

- ऊर्जा, विशेषरूप से स्वच्छ ऊर्जा
- समुद्री तथा आर्कटिक/ध्रुवीय शोध सहित जलवायु परिवर्तन
- स्वास्थ्य विशेषरूप से जन स्वास्थ्य
- सूचना प्रौद्योगिकी विशेषरूप से जानकारी से जुड़ी सुरक्षा
- शहरी आयोजना और विकास
- पर्यावरण
- जैव प्रौद्योगिकी तथा चिकित्सा विज्ञान
- वैश्विक विकास
- विकास अर्थशास्त्र
- समुद्र विज्ञान
- प्रबंधन अध्ययन विशेषरूप से नवोन्मेष के संबंध में
- सामाजिक विज्ञान, मानविकी और कला
- भौगोलिक खतरे
- अध्यापक शिक्षा

आईएनसीपी के अंतर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत और एसआईयू, नार्वे ने संयुक्त शोध परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और वर्ष 2014 के दौरान तीन वर्षों अर्थात् दिनांक 01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि, जिसे दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक विस्तार दिया गया है, के लिए 13 परियोजनाओं का चयन किया।

5.7 (ख)(viii): आस्ट्रेलिया-भारत शैक्षिक परिषद् (एआईईसी)

दिनांक 8 अप्रैल, 2010 को ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल और भारत गणराज्य के शिक्षा मंत्रियों ने शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सरकारों की वचनबद्धता की पुष्टि करते हुए संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। इस विस्तार का समर्थन करने के लिए, दोनों सरकारें, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल (एआईईसी) का गठन के लिए सहमत हुईं।

एआईईसी, शिक्षा के क्षेत्र, नीति निर्माताओं और उद्योग से प्रतिनिधित्व के साथ एक द्वि-राष्ट्रीय निकाय है जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु साझेदारी हेतु रणनीतिक दिशा निर्धारित करना और सहयोगात्मक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें आकार देने के लिए कार्यनीतिक परामर्श का विकास करना है।

एआईईसी की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री और भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है। एआईईसी को ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सरकारों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। वर्तमान में, एआईईसी के निम्नलिखित क्षेत्रों में पांच कार्यकारी समूह हैं:

1. उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान
2. कौशल
3. छात्र अंतरण
4. गुणवत्ता आश्वासन और योग्यता को मान्यता प्रदान करना
5. विद्यालय

प्रत्येक कार्य समूह में विषय से जुड़े विशेषज्ञ और अकादमिक, उद्योग जगत से प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सरकार, किसी विशिष्ट बल दिए जाने वाले क्षेत्र में, एआईईसी द्वारा सहमत हुई पहल को कार्यान्वित करती है और नीतियों को एक आकार देने तथा जटिल मुद्दों को सुलझाने के लिए परामर्श प्रदान करती है।

ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल (एआईईसी) का उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान कार्य समूह पारस्परिक लाभ के लिए सतत ज्ञान साझेदारी की दिशा में ऑस्ट्रेलिया और भारत की ताकत को समन्वित करने के उद्देश्य से कई द्विपक्षीय परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहा है। उच्चतर शिक्षा कार्य समूह है। उच्चतर शिक्षा कार्यसमूह, अध्यापन और शिक्षण के संबंध में एक परियोजना को लागू कर रहा है। इस परियोजना के तहत, प्रोफेसर जेम्स अरवनिताकिस (वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय) के नेतृत्व में कई संस्थानों के ऑस्ट्रेलियाई अध्यापन और शिक्षण विशेषज्ञों ने एनयूईपीए, भारत के साथ सहयोग किया है और परिणामस्वरूप, उच्चतर शिक्षा में सर्वोत्तम पद्धतियों और चिंतन के संबंध में एक पुस्तक तैयार की है।

एआईईसी के तहत प्रतिष्ठित शोधकर्ता व्याख्यान कार्यक्रम का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया-भारत अनुसंधान संबंधों के विस्तार को जारी रखने के लिए प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं के एक सतत पारस्परिक विनिमय को स्थापित करना है।

कौशल कार्य समूह, गुणवत्तायुक्त कौशल विकास में उद्योग, संस्था और सरकारी साझेदारी तैयार करने के उद्देश्य से कई द्विपक्षीय परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहा है। कार्य समूह ने वाहन, स्वास्थ्य, आईटी और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के बीच सहयोग की सुविधा भी प्रदान की है।

छात्र अंतरण कार्य समूह ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच छात्र अंतरण का समर्थन करने के लिए कई द्विपक्षीय परियोजनाओं को चला रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के बीच क्रेडिट अंतरण व्यवस्था का एक डॉटाबेस विकसित किया गया था तथा दिसंबर, 2014 में आरंभ किया गया था। डॉटाबेस का उद्देश्य छात्रों और मौजूदा व्यवस्था के संस्थानों के बीच जागरूकता बढ़ाकर और अन्य संस्थानों को अपनी स्वयं की क्रेडिट अंतरण व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके दोनों देशों के बीच छात्र अंतरण में वृद्धि करना है। यह छात्रों को यह पहचानने में सक्षम बनाता है कि भारत अथवा ऑस्ट्रेलिया में कौन से पाठ्यक्रम और विषय उन्हें अपने स्वयं के देश में क्रेडिट प्रदान करेंगे।

5.7 (ग) विदेशी भाषा के शिक्षक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोगपूर्ण कार्यक्रम हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाओं को पढ़ाने के लिए विदेशी भाषा के शिक्षकों को नियुक्त करने का प्रावधान है।

विश्वविद्यालयों में इनकी नियुक्ति संबंधित देश के मिशन और संबंधित विश्वविद्यालयों के परामर्श से किया जाता है। किसी विश्वविद्यालय में भाषा संबंधी शिक्षक की नियुक्ति करते समय सामान्यतया यह सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त विश्वविद्यालय में विदेशी भाषाओं के अध्यापन के लिए उपर्युक्त अवसरचना मौजूद हो।

वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में **22 विदेशी भाषा के शिक्षकों** की नियुक्ति की गई। शिक्षकों का भाषा वार ब्योरा निम्नानुसार है :-

जर्मन - 3	स्पेनिश- 10	पश्तो - 1	बुलगारियाई - 1	चेक- 1
पुर्तगाली-2	हंगेरियाई- 1	क्रोएशियाई - 1	रोमानियन - 1	पोलिश- 1

5.8 राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षा: शोध तथा शिक्षण हेतु मानव संसाधन विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानविकी (इनमें भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं), योग, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान तथा पर्यावरणीय विज्ञान जैसे अनेक विषयों में शिक्षण और शोध में प्रवेशार्थियों के लिए न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए सहायक आचार्य और कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) की पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा अर्थात् राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- नेट परीक्षा) जिसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ऑउटसोर्स किया गया है, आयोजित करता है। यह परीक्षा देशभर में 91 शहरों और 80 विषयों (परीक्षा-I के अलावा) में वर्ष में दो बार जनवरी तथा जुलाई माह में आयोजित की जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) शोध के क्षेत्र में व्यापक समतुलनीयता के साथ-साथ वैधता और विश्वसनीयता के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने हेतु कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए वर्ष 1984 से नेट परीक्षा का आयोजन कर रहा है। देश में एक समान शिक्षण तथा शोध के मानदंड बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति, 1986 के माध्यम से परिकल्पना की थी कि "व्याख्याता के पद के लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को पूरा करने वाले केवल ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने इस प्रयोजनार्थ विशेषरूप से आयोजित की गई एक वृहद परीक्षा को उत्तीर्ण किया हो, ही व्याख्याता के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।" विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायक आचार्य/व्याख्याता के रूप में नियुक्ति हेतु अर्हता परीक्षा को आयोजित करने के संबंध में इस मुद्दे पर शिक्षाविदों तथा शैक्षणिक प्रशासकों जैसे राज्य शिक्षा सचिवों के साथ व्यापक चर्चा की। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उसके द्वारा पहले ही आयोजित की जा रही जेआरएफ की परीक्षा के साथ जोड़ दिया तथा 24 दिसम्बर, 1989 को कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति तथा व्याख्याता हेतु प्रथम राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट) भाषाओं सहित मानविकी के तहत आने वाले विषयों, सामाजिक विज्ञान तथा कुछ विज्ञान विषयों में आयोजित की। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने आधारभूत विज्ञान विषयों के तहत आने वाले विषयों के लिए 31 दिसम्बर, 1989 को जेआरएफ तथा व्याख्याता हेतु पात्रता परीक्षा, सीएसआईआर-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परीक्षा आयोजित की। उसी समय से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट तथा संयुक्त सीएसआईआर-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परीक्षा को अगले आने वाले वर्षों में वर्ष में दो बार जून/जुलाई तथा दिसम्बर/जनवरी के माह में आयोजित किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2014 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा स्वयं आयोजित की। तत्पश्चात्, दिसम्बर, 2014 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट की परीक्षा को आयोजित करने का कार्य केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ऑउटसोर्स कर दिया गया है।

जबकि, सीएसआईआर भी संयुक्त सीएसआईआर- वि0अ0आ0 नेट संयुक्त परीक्षा के तहत प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर माह में विज्ञान के 5 मुख्य विषयों अर्थात् रसायन विज्ञान; पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान, जीवन विज्ञान, गणित विज्ञान और शारीरिक विज्ञान विषयों में इसका आयोजन कर रहा है।

ऐसे प्रत्याशी, जो शोध करना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अध्येतावृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे या तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट अथवा सीएसआईआर- वि0अ0आ0 संयुक्त परीक्षा के तहत कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे0आर0एफ0) परीक्षा में बैठ सकते हैं। उच्च मेरिट वाले प्रत्याशी जो वि0अ0आ0-नेट परीक्षा में जे0आर0एफ0 परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य भी कर सकते हैं। वे देशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु भी पात्र हैं। जून, 2016 के पश्चात्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा के माध्यम से 3200 से अधिक कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियां तथा प्रत्येक सी0एस0आर0आई0-वि0अ0आ0 संयुक्त नेट परीक्षा के माध्यम से लगभग 1500 अध्येतावृत्तियां (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आधारभूत विज्ञान शोध ब्यूरो की 300 अध्येतावृत्तियों सहित) प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होती है।

दिनांक 05 नवम्बर, 2017 को आयोजित वि0अ0आ0-नेट परीक्षा में 3822 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति हेतु पात्र घोषित किया गया था।

5.8 (क) वि0अ0आ0- नेट परीक्षा में निष्पादन

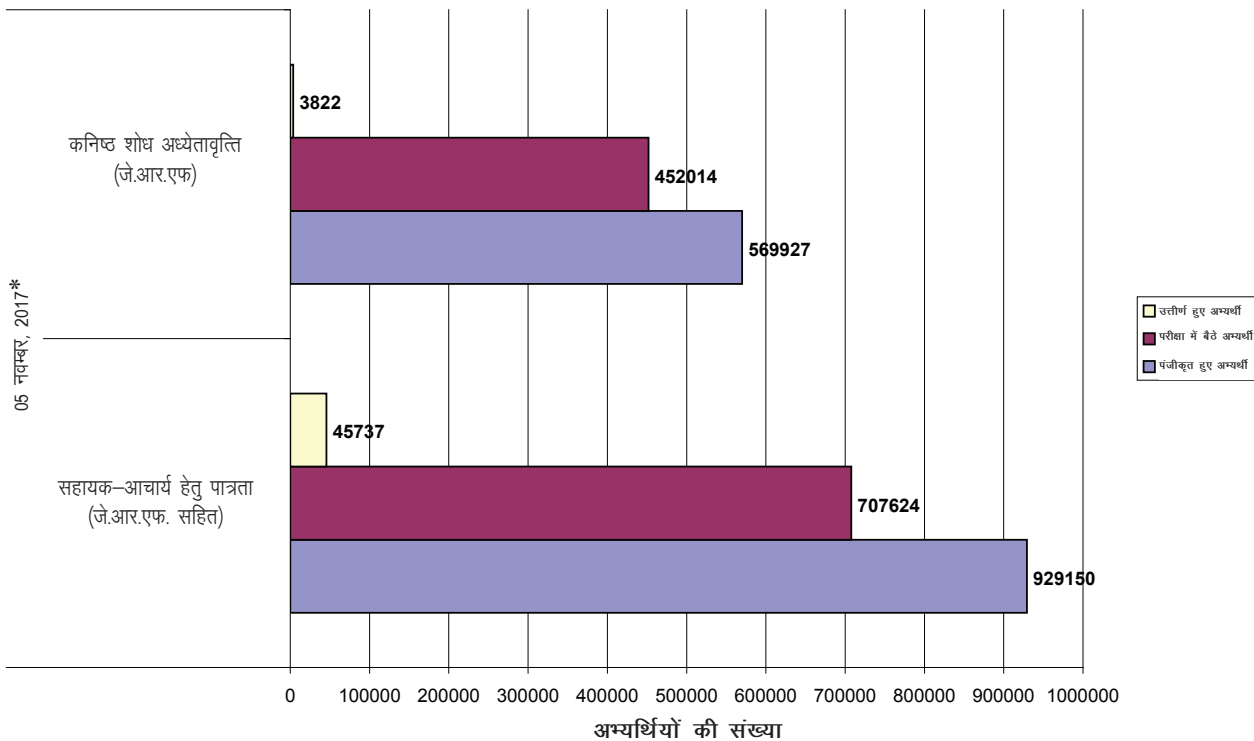
वि0अ0आ0-नेट परीक्षा के तहत व्याख्याता एवं कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ) परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाने वाले, परीक्षा में बैठने वाले और सफल हुए अभ्यर्थियों का संक्षिप्त ब्योरा निम्नवत तालिका-5.8 (i) में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 5.8 (i): वर्ष 2017-18 के दौरान पंजीकृत, परीक्षा में बैठे, तथा उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या

वि0अ0आ0-नेट		पंजीकृत	परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी		परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी	
			संख्या	पंजीकृत में से प्रतिशत	संख्या	पंजीकृत में से प्रतिशत
05 नवम्बर, 2017*	सहायक-आचार्य (जे.आर.एफ. सहित) हेतु पात्रता	929150	707624	76.16	45737	6.46
	कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.)	569927	452014	79.31	3822	0.85

*वर्ष 2017-18 के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केवल एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा आयोजित की गई थी।

रेखाचित्र 5.8(क): वर्ष 2017-18 के दौरान वि0अ0आ0-नेट परीक्षा हेतु पंजीकृत हुए, परीक्षा में बैठे तथा उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या



5.8 (क)(i) वर्ष 2017-18 के दौरान वि0अ0आ0-नेट की योजना में सुधार/बेहतर बनाया जाना

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नवम्बर, 2014 से भारत सरकार की आरक्षण की नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा हेतु अर्हता मानदंड को संशोधित कर दिया है। इससे पूर्व, कोई आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा था परंतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य हेतु पात्रता के लिए योग्यता मानदंडों में ही छूट प्रदान की जा रही थी। तथापि, जनवरी, 2017 में आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा तक आरक्षित श्रेणियों हेतु जेआरएफ स्लॉटों में आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा रहा था। तथापि, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा से वि0अ0आ0-नेट हेतु अर्हता मानदंड को संशोधित कर दिया गया है ताकि भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप जेआरएफ के साथ-साथ सहायक आचार्य हेतु पात्रता परीक्षा के लिए स्लॉट आरक्षित किए जा सकें।

(ii) जे0आर0एफ0 के लिए आयु में उपलब्ध कराई गई छूट/रियायत

सामान्य श्रेणी के लिए जेआरएफ परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है (जिसे दिनांक 08.07.2018 में आयोजित की किए गए वि0अ0आ0-नेट परीक्षा से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया है)। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग)/शारीरिक रूप से निशक्त श्रेणी और महिला आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है।

(iii) नेट हेतु पात्रता की शर्तों में उपलब्ध कराई गई छूट/रियायत

1	सामान्य अभ्यर्थी	निष्णात उपाधि में 55 प्रतिशत अंक (बिना पूर्णांकित किए)
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) शारीरिक रूप से निशक्त/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	निष्णात उपाधि में 50 प्रतिशत अंक (बिना पूर्णांकित किए)

(iv) नेट हेतु अर्हक मानदण्ड में उपलब्ध कराई गई छूट/रियायत

अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से परिणाम तैयार करने हेतु विचार किये जाने के लिए प्रश्न पत्र-I, II और III में अलग-अलग नीचे दिये गये न्यूनतम अंक प्राप्त करने होते हैं, जैसा कि तालिका- 5.8 (क)(ii) में दर्शाया गया है:

तालिका 5.8 (ग)(ii) : अंतिम रूप से परिणाम तैयार करने हेतु विचार किये जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्राप्तांकों का श्रेणी-वार ब्यौरा।

श्रेणी	न्यूनतम कुल प्रतिशत
सामान्य श्रेणी	40 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न)/शारीरिक रूप से निशक्त/अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	35 प्रतिशत

जैसा की यहां स्पष्ट है कि अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंक सामान्य श्रेणी के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंकों से कम है। तथापि, जेआरएफ के साथ- साथ सहायक आचार्य हेतु पात्रता के लिए स्लॉट आबंटित करने हेतु दिनांक 05 नवम्बर, 2017 को आयोजित सीएसआईआर- वि0अ0आ0 परीक्षा के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति को लागू किया गया है।

5.8 (ख) संयुक्त सी0एस0आई0आर0-वि0अ0आ0 नेट परीक्षा

सीआईएसआर- वि0अ0आ0 संयुक्त परीक्षा को प्रत्येक वर्ष में दो बार अर्थात् जून तथा दिसम्बर माह में सीआईएसआर द्वारा आयोजित किया जाता है। सीआईएसआर- वि0अ0आ0 संयुक्त परीक्षा में जेआरएफ के लिए उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1500 जेआरएफ उपलब्ध कराए जाते हैं। सीआईएसआर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से कतिपय संख्या में अभ्यर्थियों को व्याख्याता/ सहायक आचार्य के पद के लिए पात्र घोषित करता है।

5.8(ख)(i) उन मुख्य विज्ञान विषयों को दर्शाती है जिसमें सीएसआईआर द्वारा संयुक्त सीएसआईआर-वि0अ0आ0-नेट परीक्षा आयोजित की जाती है तथा तालिका (ख)(ii) जे0आर0एफ0 के लिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या तथा संयुक्त सीआईएसआर-वि0अ0आ0 नेट के माध्यम से व्याख्याता हेतु पात्रता को दर्शाता है।

तालिका-5.8 (ख)(i): संयुक्त सी0एस0आई0आर0-नेट के तहत शामिल विज्ञान के विषयों की सूची

क्र.सं.	विषय
1.	रसायन विज्ञान
2.	पृथ्वी, वायुमण्डल, महासागर एवं ग्रह विज्ञान
3.	जीव विज्ञान
4.	गणित विज्ञान
5.	शरीर विज्ञान

तालिका-5.8 (ख)(ii): सी0एस0आई0आर0-वि0अ0आ0-नेट संयुक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों का निष्पादन

सीएसआईआर-वि0अ0आ0-नेट संयुक्त परीक्षा	परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या	
	वि0अ0आ0-जे0आर0एफ0	सहायक आचार्य हेतु पात्रता (जे0आर0एफ0 सहित)
जून, 2017	1500	7221
दिसम्बर, 2017	1500	9882

स्रोत: सीएसआईआर की आधिकारिक वेबसाईट अर्थात् csirhrdg.res.in

5.8 (ग) राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)

राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार की दिनांक 22.07.1988 की अधिसूचना के माध्यम से वि.अ.आ. ने राज्य सरकारों को **राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)**, जिन्हें पूर्व में राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस.एल.ई.टी.) कहा जाता था, को आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है, जिन्हें एक निर्धारित अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित किया गया है। एस.ई.टी. का पैटर्न भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा के समान है।

कुछ राज्यों/समूहों के नेट परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में वि०अ०आ० उनके प्रस्तावों की जांच करने के बाद ही व्याख्याता हेतु सेट परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रत्यायित करता है। एस०ई०टी० अभिकरणों के निष्पादन की वि०अ०आ० द्वारा आवधिक तौर पर विशेषज्ञों की सहायता से पुनरीक्षा की जाती है और निर्धारित अवधि के लिए उनके प्रत्यायन का नवीकरण किया जाता है।

जिन अभ्यर्थियों ने व्याख्याता हेतु दिनांक 01 जून, 2002 से पूर्व वि.अ.आ. द्वारा प्रत्यायित राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण की है उन्हें नेट परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है। जून, 2002 में या उसके बाद आयोजित होने वाली सेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी संबंधित राज्य के केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में व्याख्याता/सहायक आचार्य के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे जहां से उन्होंने अपनी सेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। तथापि, ऐसे उम्मीदवार यदि चाहें तो, नेट हेतु आवेदन करने के पात्र भी होंगे।

भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार सहायक आचार्य हेतु पात्रता के लिए स्लॉट आबंटन करने के लिए मानदंड, जिसे वि०अ०आ०-नेट परीक्षा में भी लागू किया जा रहा था उसे अब सेट परीक्षा में भी लागू किया जा रहा है, अंतर सिर्फ इतना है कि सहायक आचार्य हेतु पात्रता के लिए कुल स्लॉटों का परिकलन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित पात्रता मानदंड के अनुरूप ही किया जाता है, उन्हें संबंधित राज्य की आरक्षण नीति के अनुरूप ही आबंटित किया जाता है।

अब तक, निम्नवत राज्यों/राज्य समूहों ने सेट का संचालन किया है:

- i आन्ध्र प्रदेश*
- ii बिहार
- iii छत्तीसगढ़*
- iv गुजरात*
- v हरियाणा
- vi हिमाचल प्रदेश*
- vii जम्मू और कश्मीर*
- viii झारखण्ड
- ix कर्नाटक
- x मध्य प्रदेश*
- xi महाराष्ट्र और गोवा*
- xii उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्य* (भागीदारी करने वाले राज्य: असम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम)
- xiii राजस्थान
- xiv तमिलनाडु*
- xv तेलंगाना*
- xvi उत्तराखण्ड*
- xvii उत्तर प्रदेश*
- xviii पश्चिम बंगाल*

*वर्ष 2017-18 के दौरान सेट परीक्षा का आयोजन करने वाले अथवा इसके परिणाम घोषित करने वाले राज्य।

वर्ष 2017-18 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य की सेट एजेन्सी अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को और तीन वर्षों के लिए, प्रत्येक वर्ष, राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायन प्रदान किया गया था।

5.9 यात्रा अनुदान

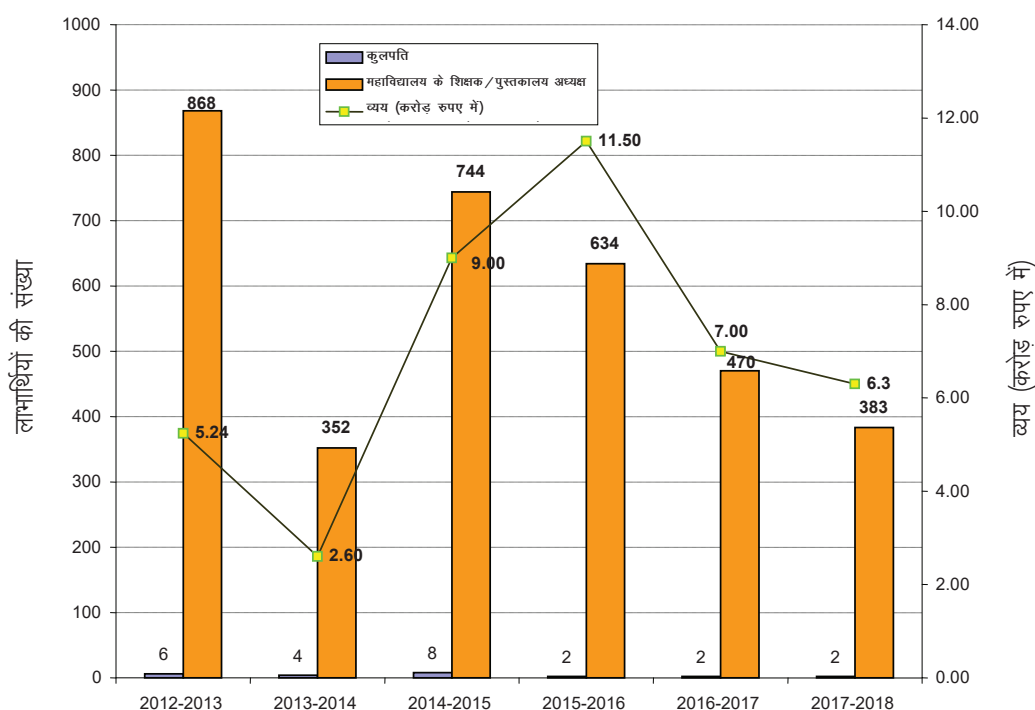
यात्रा अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त राज्य विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षकों तथा महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्षों एवं कुलपतियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रदान किया जाता है। योजना का उद्देश्य विदेशी शिक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्रों को प्रस्तुत करने तथा उन देशों में उच्चतर शिक्षा की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने हेतु महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, यह सुविधा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के स्थायी शिक्षकों को वर्ष में अनुमोदित कुल मामलों की 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के साथ उपलब्ध है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शिक्षा अधिकारी/अवर सचिव के स्तर अधिकारी तथा आयोग के सदस्य इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के प्राप्त करने के पात्र हैं। महाविद्यालय के शिक्षक/महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा उनकी अधिवर्षिता की आयु है तथा कुलपतियों एवं आयोग के सदस्य के मामले में, उन्हें पद पर नियुक्त होना चाहिये।

उक्त योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय द्वारा गठित यात्रा अनुदान समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। विषय विशेषज्ञ की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया जाता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभार्थियों की संख्या और किये गये व्यय का ब्योरा निम्नवत है:

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या			व्यय (करोड़ रुपए में)
	कुलपति	महाविद्यालय के शिक्षक/ पुस्तकालय अध्यक्ष	आयोग के सदस्यगण	
2012-2013	06	868	-	5.24
2013-2014	04	352	-	2.60
2014-2015	08	744	-	9.00
2015-2016	02	634	-	11.50
2016-2017	02	470	-	7.00
2017-2018	02	383	-	6.30

रेखाचित्र 5.9: वर्ष 2012-13 से 2017-18 के दौरान योजना के तहत लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या तथा किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)



5.9 (i) यूनेस्को कार्यक्रम:

यूनेस्को द्वारा विश्व में विभिन्न सदस्य देशों में चलाये जाने वाले विभिन्न छात्रवृत्ति/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में परिपत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त होते हैं और इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत में विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों में परिचालित किया जाता है। उच्चतर शिक्षा के विकास और सदस्य देशों के बीच समन्वय से संबंधित यूनेस्को के कुछ मामलों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वि०अ०आ० के विचार/टिप्पणी आमंत्रित करता है, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भली-भांति विचार करने/दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद भेजा जाता है।

5.10 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (गगग) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्त निकायों के रूप में वर्ष 1984 से अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आईयूसी) की स्थापना की है ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे शोधकर्ताओं के लाभ के लिए केन्द्रीय रूप से अत्याधुनिक उपस्कर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें जो समान्यतः लागत कारक के कारण कई विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुख्यतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे आठ केन्द्र स्थापित किए हैं। इन्टर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर (आईयूएसी), नई दिल्ली (जो कि पूर्व में इस नाम से जाना जाता था) नाभिकीय विज्ञान केन्द्र, सन् 1984 में स्थापित किया जाने वाला इस तरह का पहला केन्द्र था। इन अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं :

- जो विश्वविद्यालय आधारभूत अवसंरचना तथा अन्य निवेशों में भारी पूंजी लगाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सामान्य अत्याधुनिक केन्द्रीयकृत उपस्कर तथा सुविधाएं सुविधाएं/सेवाएं उपलब्ध कराना।
- सम्पूर्ण देश में शिक्षकों तथा शोधकर्ताओं को सर्वोत्तम विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।
- शोधकर्ताओं तथा शिक्षण संकायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य आधुनिक उपस्कर, अत्याधुनिक उत्कृष्ट पुस्तकालय की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्यूनीकेशन (सी.ई.सी), नई दिल्ली में मार्गदर्शन एवं समन्वय द्वारा विश्वविद्यालयों में स्थापित, विभिन्न मीडिया केन्द्रों के माध्यम से एक हजार से भी अधिक शैक्षिक फिल्में तथा कार्यक्रम तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। देश में दिनांक 15 अगस्त, 1984 को दूरदर्शन से प्रथम देशव्यापी कक्षा (सीडब्ल्यू०सी०आर०) कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था।

तालिका 5.10 (क): अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की सूची तथा उनके विशिष्ट उद्देश्य निम्नवत हैं

क्र. स.	केन्द्रों का नाम	स्थापना का वर्ष	उद्देश्य
1	अंतर्विश्वविद्यालय एक्सीलेटर केन्द्र, (आईयूएसी)	1984	एक्सीलेटर परक शोध
2	अंतर्विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी केन्द्र, पुणे-411007 (आईयूसीएएस)	1988	खगोल विज्ञान में शोध के लिए अत्याधुनिक यंत्रीकरण
3	वि०अ०आ०-डीईई, वैज्ञानिक अनुसंधान कंसोर्टियम, इंदौर-452001 (विआ-डीईई-सीएसआर)	1989	आणविक ऊर्जा विभाग की सुविधाओं का उपयोग
4	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् बंगलूरु-560010 (एनएएस)	1994	उच्चतर शिक्षा के सरकारी तथा निजी संस्थानों का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन करना
5	सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (इन्फिलबनेट) गांधीनगर	1991	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों की नेटवर्किंग
6	शैक्षिक संचार कंसोर्टियम, अरुण आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067 (सीईसी/मीडिया केन्द्र)	1993	टेलीविजन के माध्यम से देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम प्रसारित करना। वर्तमान में, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 21 शैक्षणिक मीडिया शोध केन्द्र स्थापित हैं।

क्र. स.	केन्द्रों का नाम	स्थापना का वर्ष	उद्देश्य
7.	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र-अध्यापक शिक्षा, काकीनाड़ा (आईयूसीटीई-काकीनाड़ा)	2013	साधारण रूप से शिक्षा में तथा विशेषरूप से अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में नए ज्ञान का सृजन कर अध्यापक शिक्षा के ज्ञान आधार को सुदृढ़ करना।
8.	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र-अध्यापक शिक्षा, वाराणसी (आईयूसीटीई-बीएचयू)	2014	

तालिका 5.10 (ख) वर्ष 2017-18 के राजस्व और पूंजीगत अनुदानों के तहत बजटीय आबंटन तथा अनुदानों को जारी करने का ब्योरा

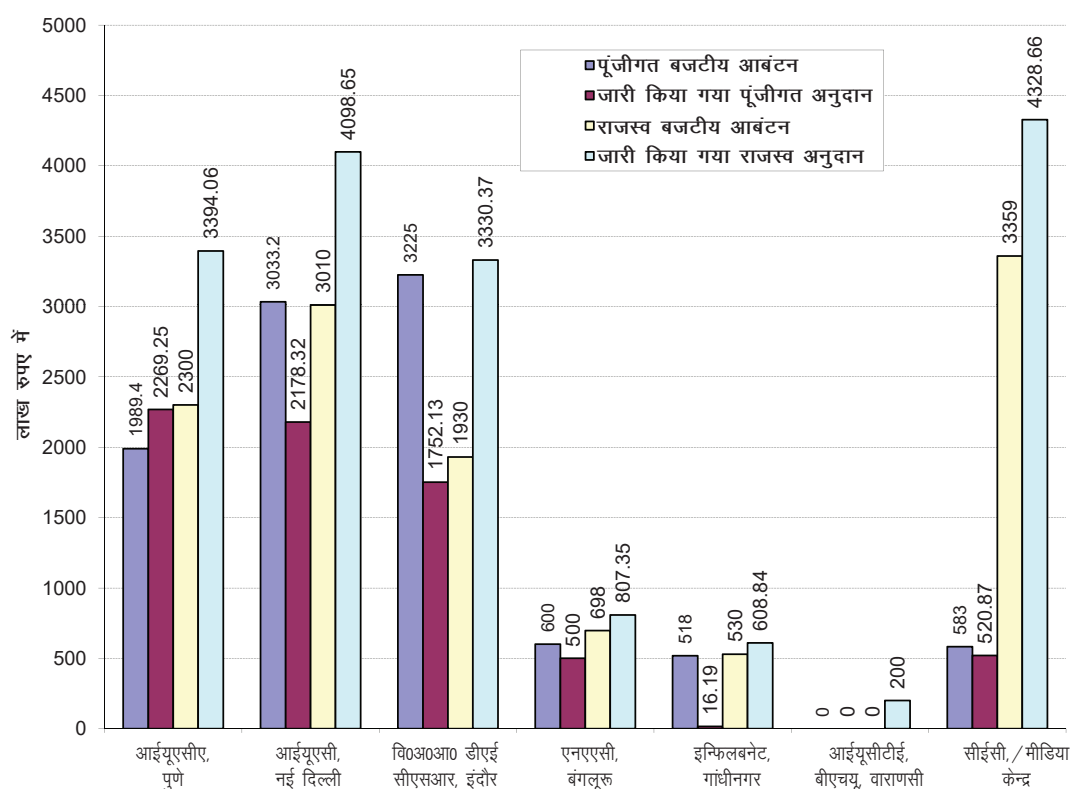
(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	पूंजीगत		राजस्व	
		बजटीय आबंटन	जारी किया गया अनुदान	बजटीय आबंटन	जारी किया गया अनुदान
1.	आईयूसी, नई दिल्ली	3033.2	2178.32	3010	4098.65
2.	आईयूसीएए, पुणे	1989.4	2269.25*	2300	3394.06
3.	वि०अ०आ० डीएई सीएसआर, इंदौर	3225	1752.13	1930	3330.37
4.	एनएएस, बंगलुरु	600	500	698	807.35
5.	आईएनएफएलआईबीएनईटी, गांधीनगर	518	16.19	530	608.84
6.	आईयूसीटीई, बीएचयू, वाराणसी	0	0	--	200
7.	सीईसी/मीडिया केन्द्र	583	520.87	3359	4328.66
	कुल	9948.6	7236.76	11827	16496.44 **

*जारी किया गया अतिरिक्त अनुदान

**आईयूसी के कर्मचारियों के लिए सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के बकाया हेतु जारी किया गए अतिरिक्त अनुदान

रेखाचित्र 5.10 (ख): वर्ष 2017-18 के दौरान अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों हेतु पूंजीगत तथा राजस्व अनुदानों के तहत बजटीय आबंटन तथा जारी किया गया अनुदान (लाख रुपए में)



5.10 (iv)(i) मुख्य उपलब्धियाँ

उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए खगोल तथा खगोल भौतिकी के क्षेत्र में वैश्विक शैक्षिक शोध और शिक्षा में देश की महत्वपूर्ण भूमिका को सुनिश्चित करने तथा इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका को बनाए रखने के लिए बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मानव शक्ति और अन्य संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए आईयूसीए ने निम्नवत क्रियाकलाप किए हैं, जिनमें से कुछ को नीचे दिया गया है:

- (क) खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी की अधिकांश शाखाओं में आधारभूत शोध (इसमें गुरुत्वाकर्षण तरंगों की दिशा में हमारा महत्वपूर्ण योगदान है जिससे वर्ष 2017 का भौतिकी का नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया),
- (ख) अनेक केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों में सभी स्तरों पर खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी को आरंभ करने में मदद करता है,
- (ग) केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नियमित संकाय हेतु एसोसिएटशिप तथा ऐसे संकाय तथा छात्रों हेतु अभ्यागत कार्यक्रम आरंभ करना जो एसोसिएटशिप कार्यक्रम में भागीदारी नहीं कर सकते हैं परंतु वे शोध क्रियाकलापों में शामिल हैं,
- (घ) आईयूसीए स्तर पर पीएचडी कार्यक्रम चलाना तथा स्नातक स्तर के शिक्षण कार्यक्रम को समीपस्थ टीआईएफआर-एनसीआरए के साथ चलाना जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय से पीएचडी छात्र भी भागीदारी कर सकते हैं,
- (ङ.) विश्वविद्यालयों में निष्णात स्तर पर छात्रों हेतु अवकाशस्थ छात्र कार्यक्रम (ग्रीष्मकाल में दो माह हेतु शोध) चलाना,
- (च) स्नातकपूर्व छात्रों के लिए खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी में ग्रीष्मकालीन विद्यालय चलाना,
- (छ) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर आईयूसीए में विद्यालय, कार्यशालाएं तथा सम्मेलन आयोजित करना,
- (ज) भारतीय विश्वविद्यालयों से छात्रों तथा संकायों के उपयोग हेतु आईयूसीए गिरावली वेधशाला को चलाना,
- (झ) विश्व में सबसे बड़ी दूरबीन, 'साउथ एफ्रीकन लार्ज टेलीस्कोप' (एसएएलटी) में भारतीय विश्वविद्यालयों से छात्रों तथा संकायों के लिए वेधशाला से जुड़ी सुविधाएं आयोजित करना तथा उपलब्ध कराना,
- (ञ) खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी में वैश्विक वृहद परियोजनाओं में एक अग्रणी भूमिका निभाना, ताकि भारतीय विश्वविद्यालय के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों (इसमें लिगो-इंडिया तथा 'थर्टी मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट' शामिल हैं) में भागीदारी कर सकें,
- (ट) खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी (मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पंडित मदन मोहन मालवीय योजना के तहत) में नया शिक्षण केन्द्र स्थापित करना, और
- (ठ) विद्यालय के छात्रों तथा शिक्षकों तथा सामान्य जनसाधारण के लिए वृहद लोक पहुंच कार्यक्रम आरंभ करना।

● आईयूसीए शिक्षक तथा अभ्यागत एसोशिएट तथा उनके द्वारा किए गए प्रकाशन:

वर्ष	आईयूसीए अकादमिक सदस्यों की संख्या	आईयूसीए सदस्यों द्वारा किए गए प्रकाशन	अभ्यागत एसोशिएटों की संख्या	अभ्यागत एसोशिएटों द्वारा किए गए प्रकाशनों की संख्या
2017 - 18	80	136	156	240

● लक्षित समूह और लाभार्थियों की संख्या (वर्ष 2017-18)

लक्षित समूह	लाभार्थियों की संख्या
शोधकर्ता	165
विश्वविद्यालय	70
महाविद्यालय	35
विद्यालय	187
शिक्षक (विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ विद्यालय)	262
छात्र (सभी स्तर)	3,200
जनसाधारण	20,000

इन सभी में से लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं हैं

- आईयूसीए के तहत आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा अन्य बैठकों की संख्या: 15 तथा आईयूसीए से इतर : 13
- दौरा करने वाले विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की संख्या: 135

बजट

पूँजीगत आबंटन: 1989.40 लाख रुपए
राजस्व: 2300.00 लाख रुपए

जारी किया गया पूँजीगत अनुदान: 2269.50 लाख रुपए
जारी किया गया राजस्व अनुदान: 3394.06 लाख रुपए

5.10 (iii) वि.अ.आ.—डी.ए.ई. कन्सोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इंदौर

आईयूसीए—डीई का मुख्य उद्देश्य (i) विश्वविद्यालय तथा ज्ञान अर्जन के संस्थानों से छात्रों तथा शिक्षकों को सभी संभव सहायता मुहैया कराना ताकि नाभिकीय ऊर्जा विभाग की मुख्य शोध सुविधाओं का उपयोग किया जा सके। (ii) विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं तथा डीई वैज्ञानिकों के बीच 'सहयोगात्मक शोध' कार्यक्रम आरंभ करना (iii) पदार्थ विज्ञान, नाभिकीय भौतिकी, संपीड़ित पदार्थ भौतिकी तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों में मूलभूत शोध हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा पी0ए0डी0 के शिक्षकों को अत्याधुनिक शोध सुविधाएं उपलब्ध कराने के हमारे प्रयास के एक भाग के रूप में, इस संघ ने इंदौर, कोलकाता और मुंबई के अपने तीन केन्द्रों में अत्याधुनिक और उन्नत अनुसंधान सुविधाओं को स्थापित किया है। ये सुविधाएं खर्चीली हैं और इनका रखरखाव करना कठिन है तथा ये अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं। इन वर्षों में इस संघ ने अपने दायरे को बढ़ाया भी है और विश्वविद्यालय अनुसंधानकर्ताओं को आईजीसीएआर कलपक्कम एवं आईओपी भुवनेश्वर में डीई की निम्न ऊर्जा आयन एक्सीलेटर सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की गई। वीईसीसी में एक निम्न ऊर्जा भारी आयन ईसीआर आधारित एक्सीलेटर को भी उपलब्ध कराया गया है। सामान्यरूप से सीएसआर और विशेषरूप से इंदौर केन्द्र को निम्न तापमान और उच्च चुम्बकीय क्षेत्र सुविधाओं, जो इन विश्वविद्यालयों में उपलब्ध हैं, हेतु देश में एक अद्वितीय स्थान के रूप में बनाया है।

डीई सुविधाओं तक सहयोगात्मक शोध योजनाओं (सीआरएस) के माध्यम से पहुंच प्रदान की जाती है, जिसमें दीर्घकालीन सहयोग के साथ डीई वैज्ञानिक शामिल होते हैं। कन्सोर्टियम प्रयोगशालाओं के भीतर स्थापित सुविधाओं तक 'इन-हॉउस' पहुंच विश्वविद्यालयी शोधकर्ताओं को दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन सहित 'वन-शॉट' प्रयोग हेतु उपलब्ध है।

कन्सोर्टियम, विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को उपलब्ध सक्षमताओं पर बल देने के लिए जागरूकता कार्यशालाएं तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से संभव प्रतिस्पर्धी शोध को उजागर करने के लिए विषयगत कार्यशालाएं आयोजित करता है। यह पाया गया है कि यह कार्यशालाएं विश्वविद्यालय तथा कन्सोर्टियम और डीई संस्थानों से शोधकर्ताओं के बीच बातचीत/सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं और यह विचारों, संकल्पनाओं और तकनीकों के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देती हैं। निम्नवत तालिका भारतीय वैज्ञानिक समुदाय, विशेषरूप से विश्वविद्यालय प्रणाली की सेवा में कन्सोर्टियम के गुणवत्तायुक्त योगदान को दर्शाती है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, कन्सोर्टियम ने सामाजिक संगतता के शोध कार्यक्रम को चलाने का प्रयास किया तथा देश में पदार्थ तथा नाभिकीय विज्ञान में उच्च स्तरीय मूलभूत तथा अनुप्रयुक्त शोध की संस्कृति को बढ़ावा देने तथा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 'ब्रेन-स्टार्मिंग' कार्यशाला आयोजित की। कन्सोर्टियम ने देश में सिंक्रोट्रॉन नाभिकीय रियेक्टर तथा सॉइक्लोट्रॉन का उपयोग कर संगठन के भीतर शोध कार्यक्रम तथा उन्नत सुविधाओं का उपयोग कर अत्याधुनिक पदार्थों तथा नाभिकीय शोध सुविधाओं को देशभर में शिक्षण समुदाय द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग को सक्षम बनाया है। वर्ष 2017-18 के दौरान कन्सोर्टियम द्वारा ऐसी कुल 8 कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

- वर्ष 2017-18 के दौरान लाभार्थियों की संख्या (केवल उच्चतर शिक्षा/शोध के लिए)

विश्वविद्यालयों से शोधकर्ताओं की संख्या	742
महाविद्यालयों से शोधकर्ताओं की संख्या	92
शिक्षकों + छात्रों का कुल योग	1588
महिला शोधकर्ताओं की संख्या (1457 में से)	315

बजट

पूँजीगत आबंटन: 3225.00 लाख रुपए

राजस्व: 1930.00 लाख रुपए

जारी किया गया पूँजीगत अनुदान: 1752.13 लाख रुपए

जारी किया गया राजस्व अनुदान: 3330.37 लाख रुपए

5.10 (iv) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी):

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 गगन के अंतर्गत दिनांक 16 सितम्बर, 1994 को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) की स्थापना की जिसका मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है।

एनएएसी का मुख्य कार्य उच्चतर शिक्षा के संस्थानों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों या एक अथवा एक से अधिक इकाइयों अर्थात् विभागों, विद्यालयों, संस्थानों, कार्यक्रमों इत्यादि का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करना है।

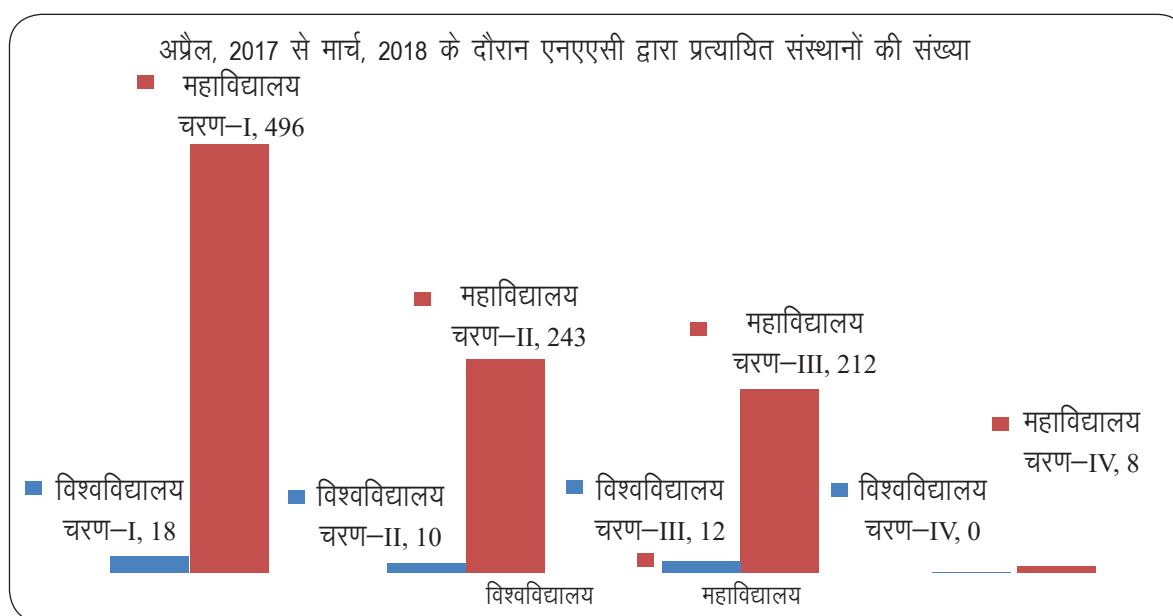
एनएएसी अपनी महा-परिषद् (जी.सी.) के माध्यम से तथा कार्यकारी समिति (ई.सी.) की सहायता से कार्यान्वयन करती है, जहाँ पर शैक्षिक प्रशासक, नीति निर्धारक तथा उच्चतर शिक्षा की प्रणाली से जुड़े पृथक वर्गों वाले वरिष्ठ शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ही एनएएसी की महा-परिषद् के अध्यक्ष हैं तथा कार्यकारी समिति का प्रमुख एक सुविख्यात शिक्षाविद् होता है जिसे कि महा-परिषद् के प्रमुख द्वारा नामित किया जाता है। एनएएसी का निर्देशक ही शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा वह इन दोनों निकायों का सदस्य सचिव होता है, एनएएसी के विभिन्न क्रियाकलापों को निष्पादित करने के लिए एनएएसी के मूल कर्मचारियों को परामर्शदाता परामर्श प्रदान करते हैं।

मूल्यांकन और प्रत्यायन, के प्रयोजनार्थ एनएएसी का लक्ष्य समूह देश में स्थित विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय हैं।

01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के दौरान प्रत्यायित संस्थानों की संख्या

चरण	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	कुल
चरण -I	18	496	514
चरण -II	10	243	253
चरण -III	12	212	224
चरण -IV	0	8	08
कुल	40	959	999

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद् द्वारा प्रत्यायित उच्चतर शिक्षा संस्थानों का रेखाचित्र में निरूपण किया गया है।



रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 999 उच्चतर शिक्षा संस्थानों (959 महाविद्यालयों तथा 40 विश्वविद्यालयों) का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन किया गया। इस प्रकार, एनएएसी द्वारा कुल 11882 प्रत्यायन किए गए तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की कुल संख्या 7725 थी।

उच्चतर शिक्षा को परामर्श प्रदान कर गुणवत्ता आश्वासन का प्रचार करना तथा उसका संवर्धन करना; और गुणवत्ता को पोषित करना और उसमें वृद्धि करने हेतु पहल करना।

संगोष्ठी/कार्यशाला/परिसंवाद/सम्मेलन आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता संस्वीकृत करने हेतु समिति की बैठक (दिनांक अक्तूबर, 2017 तथा दिसम्बर, 2017) में आयोजित की गई तथा एनएएसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक प्रत्यायित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) से प्राप्त प्रस्तावों की छानबीन की। समिति की सिफारिशों के आधार पर प्राप्त 248 प्रस्तावों में से एनएएसी ने 49 उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता संस्वीकृत कर दी है।

क्रम संख्या	संगोष्ठी बैठक	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	संस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	कुल संस्वीकृत की गई राशि
1.	अक्तूबर, 2017	187	35	27, 89, 750/- रुपए
2.	दिसम्बर, 2017	61	14	11,80,000/- रुपए
कुल		248	49	39,69,750/- रुपए

आईक्यूएसी / संस्थान, संगोष्ठियां आयोजित करने से सीधे लाभान्वित होते हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा उनमें वृद्धि करने हेतु लगभग 4000 शिक्षाविदों को उनके द्वारा की गई पहल को प्रकाशित करने, एक दूसरे से/ और/अथवा संस्थागत अनुभव और सर्वोत्तम पद्धतियों को सीखने तथा साझा करने हेतु अवसर प्राप्त हुआ।

बजट

पूँजीगत आबंटन: 600.00 लाख रुपए
राजस्व: 698.00 लाख रुपए

जारी किया गया पूँजीगत अनुदान: 500.00 लाख रुपए
जारी किया गया राजस्व अनुदान: 807.35 लाख रुपए

5.10 (v) इंफार्मेशन एण्ड लाइब्रेरी नेटवर्क (इंफिलबनेट) सेन्टर, गांधीनगर:—

सूचना एवं लाइब्रेरी नेटवर्क (इंफिलबनेट), की स्थापना मई, 1996 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक स्वायत्त अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में हुई जो कि गुजरात के इन्फोसिटी में स्थित हैं। इस केन्द्र के मुख्य क्रियाकलापों में अकादमिक ग्रंथालय एवं सूचना केन्द्रों का आधुनिकीकरण, करना शामिल है जिससे जानकारी के अंतरण तथा पहुंच, छात्रवृत्तियों, ज्ञान अर्जन, तथा शैक्षिक क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जा सके। यह केन्द्र, देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान और विकास संस्थानों में स्थित विभिन्न पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों के साथ, नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से एक नोडल ऐजेंसी के रूप में कार्य करता है।

समकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी के एक आधारभूत कारक होने के कारण, केन्द्र ने देश में शैक्षिक समुदाय के लाभ हेतु अनेक पहल की हैं। इन सभी पहल को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

● विश्वविद्यालय ग्रंथालयों का स्वचालन

केन्द्र इन्फिलबनेट द्वारा विकसित किए गए समेकित ग्रंथालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर सोल 2.0 का उपयोग कर विश्वविद्यालयों के ग्रंथालयों के स्वचालन में सक्रिय रूप से मदद करता है। इन्फिलबनेट केन्द्र ने ग्रंथालय स्वचालन के संबंध में 166 विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो विश्वविद्यालयों को उनके ग्रंथालय में उपलब्ध ग्रंथालय की सूची के अभिलेखों का इन्फिलबनेट केन्द्र के यूनियन कैटलॉग इन्डकैट में योगदान करने में सक्षम बनाता है।

● इन्डकैट : भारतीय विश्वविद्यालय का यूनियन कैटलॉग

इन्डकैट में भारतीय विश्वविद्यालयों के ग्रंथालयों में उपलब्ध पुस्तकों, सीरियलों तथा पीएचडी शोध प्रबंधों का यूनियन कैटलॉग शामिल है। इसमें 176 विश्वविद्यालयों के ग्रंथालयों से 1.42 करोड़ पुस्तकें, 223 विश्वविद्यालय हेतु 35248 विशिष्ट जर्नल के संबंध में धारिता जानकारी तथा 317 विश्वविद्यालयों से 274622 ग्रंथालय सूची के रिकार्ड अंतर्विष्ट हैं।

- **सॉफ्टवेयर विकास : सोल 2.0 समेकित ग्रंथालय स्वचालन सॉफ्टवेयर**

सोल 2.0 : इन्फ्लिबनेट संगठन के भीतर विकसित किए गए सोल सॉफ्टवेयर के माध्यम से ग्रंथालयों के स्वचालन के संबंध में योगदान देता है। सोल के देशभर में 3,400 से अधिक संस्थापनाएं हैं।

- **मुक्त पहुंच तथा मुक्त डॉटा पहल**

शोध गंगा : जनवरी, 2010 में आरंभ किया गया, शोधगंगा भारतीय शोध प्रबंधों का भंडार है जिसमें 325 विश्वविद्यालयों से 1,87,000 पूर्ण पाठ वाले शोध प्रबंध होस्ट किए गए हैं। इस पहल को तब बल मिला, जब पात्र विश्वविद्यालयों को साहित्य चोरी रोकने हेतु सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया तथा शोध प्रबंधों की बैक फाइलों के डिजिटलइजेशन तथा वर्ष 2013 से 2016 के बीच संबंधित विश्वविद्यालयों को ईटीडी प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए निधियां प्रदान की गई।

शोध गंगोत्री : वर्ष 2013 में आरंभ किया गया, शोध गंगोत्री कार्यक्रम चल रहे शोध का भण्डारगृह है जो 44 विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए 3900 से अधिक सिनापसिस/अनुमोदित शोध प्रस्तावों का भण्डारगृह है।

आईसीएसएसआर डॉटा सेवा-भारतीय सामाजिक विज्ञान डॉटा भण्डारगृह :— इस परियोजना को आईसीएसएसआर द्वारा वर्ष 2015 में इन्फ्लिबनेट केन्द्र को सौंपा गया था जिसमें एनएडीए सॉफ्टवेयर का उपयोग कर कस्टमाइज किए गए प्लेटफॉर्म पर एमओएसपीआई द्वारा 140 डॉटासेट को होस्ट किया गया है।

- **ग्रंथालय कन्सोर्टियम तथा इसके उप-उत्पाद**

ई-शोध सिंधु (2015): जिसे वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था, ई-शोधसिंधु विश्वविद्यालयों, केन्द्रों द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं तथा महाविद्यालयों सहित 4000 से अधिक संस्थाओं का 15,000 से अधिक ई-जर्नलों तथा 31 लाख से अधिक पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करता है। एन-लिस्ट, ई-शोधसिंधु का महाविद्यालय घटक है, जो 3900 से अधिक महाविद्यालयों को 6,000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक जर्नलों तथा 31,00,000 ई-पुस्तकों तथा पहुंच उपलब्ध कराता है।

इन्फ्लिबनेट पहुंच प्रबंधन संघ (आईएनएफईडी) : वर्ष 2017 में आरंभ किया गया आईएनएफईडी ई-शोध सिंधु के तहत कवर किए गए संस्थानों में उपयोगकर्ताओं को ई-संसाधनों तक ऑफ-कैम्पस पहुंच उपलब्ध कराता है। इस पहल से 60 से अधिक संस्थान लाभान्वित हो रहे हैं।

इन्फिस्टैट : इन्फिस्टैट को वर्ष 2015 में आरंभ किया गया। यह ई-शोध सिंधु का उप उत्पाद है, जो सब्सक्राइब किए गए ई-संसाधनों को ई-शोध सिंधु के तहत सदस्य संस्थाओं को उपलब्ध कराए गए सब्सक्राइब ई-संसाधनों के उपयोग संबंधी आंकड़ों की निगरानी तथा मूल्यांकन को सुकर बनाता है।

- **ई-शिक्षण, विषयवस्तु विकास तथा एमओओसी**

ई-पीजी पाठशाला : वर्ष 2012 में आरंभ की गई ई-पीजी पाठशाला ने वर्ष 2014 के बाद से रपतार पकड़नी शुरू की। इन्फ्लिबनेट सभी विधाओं में 70 विषयों में ई-विषयवस्तु के विकास को समन्वित करता है। इसका भण्डारगृह 1800 ई-टेक्स्ट, वीडियो, स्व-मूल्यांकन और अधिक ज्ञान अर्जन हेतु पाठ्यसामग्री होस्ट करता है।

विद्यामित्र : इस परियोजना को मई, 2014 में इन्फ्लिबनेट केन्द्र को सौंपा गया था, विद्यामित्र, एनएमई-आईसीटी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत विकसित सभी ई-विषयवस्तु परियोजनाओं के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण पोर्टल है। विद्यामित्र 62,000 से अधिक वीडियो (स्व-शिक्षण/ई-अनुशिक्षण) तथा 45,000 से अधिक ई-टेक्स्ट को होस्ट करता है।

स्वयं (पीजी पाठ्यक्रमों हेतु) : दिनांक 09 जुलाई, 2017 को आरंभ किया गया इन्फ्लिबनेट केन्द्र, एमओओसी तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के समन्वय हेतु एक नोडल एजेंसी है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान स्वयं प्लेटफॉर्म पर एमओओसी हेतु 80 से अधिक पाठ्यक्रमों तथा 60 गैर-तकनीकी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पेशकश की जा रही है। इन्फ्लिबनेट केन्द्र, स्वयं प्लेटफॉर्म पर ग्रंथालय तथा सूचना विज्ञान में सात पाठ्यक्रमों की पेशकश करने हेतु एक नोडल एजेंसी है। एलआईएस में सात पाठ्यक्रम, जिन्हें नवम्बर 2017 के माह में स्वयं प्लेटफॉर्म पर आरंभ किया गया, को मार्च, 2018 में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। अधिक मांग के चलते वर्ष 2018 में इन कार्यक्रमों को पुनः चलाने के लिए भी अनुमोदित किया गया है।

स्वयं प्रभा : दिनांक 09 जुलाई, 2017 को आरंभ किए गए इन्फ्लिबनेट केन्द्र ने स्वयं प्रभा हेतु एक पोर्टल विकसित किया है तथा उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों को समर्पित 32 डीटीएच चैनलों हेतु वीडियो को होस्ट तथा अभिलेखबद्ध करता है।

- **संस्थाओं की रैंकिंग तथा एनबीए और एनएएससी हेतु प्रत्यायन कार्य**

वर्ष 2016, 2017 तथा 2018 हेतु इंडिया रैंकिंग (एनआईआरएफ): सितम्बर, 2015 में आरंभ की गई इंडिया रैंकिंग के प्रथम संस्करण को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। इन्फ्लिबनेट केन्द्र ने संस्थानों को रैंक करने हेतु अपेक्षित आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया है। केन्द्र ने सभी आवेदक संस्थानों के लिए प्रकाशनों, उद्धरणों तथा पेटेंटों पर आंकड़े भी उपलब्ध कराए हैं।

ई-एनबीए : राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) ने दिसम्बर, 2017 में तकनीकी संस्थानों हेतु प्रत्यायित कार्य प्रवाह प्रबंधन प्रणाली हेतु एक पूर्णरूपेण ऑनलाइन प्लेटफार्म विकसित करने का कार्य सौंपा है।

एनएएससी : एनएएससी ने प्रत्यायित किए जाने वाले संस्थानों के लिए प्रकाशन, साईटेशन, एच-इंडेक्स तथा अन्य संबंधित पुस्तकों के आंकड़ों को उपलब्ध कराने का कार्य नवम्बर, 2017 में सौंपा है।

- **विद्वान तथा शोध सूचना प्रबंधन (आईआईएम) सेवा**

विद्वान : एनएमई-आईसीटी द्वारा मई, 2014 में परियोजना कार्य इन्फ्लिबनेट को सौंपा गया था, विद्वान में 2700 से अधिक शिक्षण संस्थानों में कार्यरत 25,000 से अधिक भारतीय वैज्ञानिकों तथा संकाय सदस्यों के विस्तृत प्रोफाइल मौजूद है।

शोध सूचना प्रबंध (आरआईएम) सेवा : वर्ष 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से आरंभ की गई पहल, आईआरआईएनएस, एक वेब आधारित शोध सूचना प्रबंधन (आरआईएम) सेवा है जो शैक्षणिक, अनुसंधान और विकास संगठनों तथा संकाय सदस्यों, वैज्ञानिकों को विद्वतापूर्ण सम्प्रेषण क्रियाकलापों को एकत्रित करने, प्रबंधन करने तथा प्रदर्शन करने की सुविधा प्रदान करता है तथा विद्वतापूर्ण नेटवर्क सृजित करने का अवसर प्रदान करता है।

- **वेबसाइट विकास तथा रखरखाव**

केन्द्र अपने सभी क्रियाकलापों हेतु अंग्रेजी हिन्दी में वृहद वेबसाइट का रखरखाव करता है। आरएसएस (रीयल सिम्पल सिंडिकेशन) प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता तथा ब्लॉगर केन्द्र की वेबसाइट से नवीनतम जानकारी को अद्यतन करने में सक्षम हो पाएं। वेब 2.0 की विशेषताएं तथा कार्यकरण में विकी, ब्लॉग, चैट तथा चर्चा संबंधी मंच, आरएसएस फीड आदि हैं, जिन्हें वेबसाइट में शामिल किया गया है।

- **विभिन्न सरकारी पहलों (वर्ष 2017-18 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से की गई सभी पहल) के संबंध में वेब पोर्टल**

स्टडी इन इंडिया : स्टडी इन इंडिया, भारत में अध्ययन करने के इच्छुक विदेशी छात्रों हेतु डिजाइन किया गया एक वेब पोर्टल है। यह ऐसी जानकारी उपलब्ध कराता है जो किसी व्यक्ति को देश में भारतीय शिक्षा संस्थानों के बारे में जानने, उन्हें अपने अध्ययन को आयोजनाबद्ध करने, भारत में किस प्रकार तथा कहां ठहरें यह जानने, किस प्रकार के कार्यक्रम योजनाबद्ध किए गए हैं, आवेदन प्रक्रिया आदि को प्लॉन करने में मदद करता है। पोर्टल का मुख्य भाग 'इंस्टीट्यूट लॉगिन' है (जहां संस्थान अपनी सीटें विदेशी छात्रों को निर्दिष्ट कर सकते हैं) तथा छात्र लॉगिन (जहां पंजीकृत छात्र विकल्प को चुनने, मॉक काउंसिलिंग तथा अंतिम काउंसिलिंग सहित विकल्प को चुनने में भागीदारी कर सकते हैं)

एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) : पोर्टल विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के ब्योरे को होस्ट करता है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम आदि शामिल हैं। ईबीएसबी को सभी भारतीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच एक सुदृढ़ तथा ढांचागत संबंध के माध्यम से राज्यों के बीच वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने हेतु तैयार किया गया है।

संस्थानों हेतु उन्नत भारत अभियान (यूबीए) : यूबीए 2.0 में भागीदारी कर रहे ऐसे सभी संस्थानों हेतु एक प्लेटफार्म सह डॉटाबेस है।

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाइट तथा ई-अभिशासन@विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी वेबसाइट के विकास तथा रखरखाव की जिम्मेदारी के साथ ही इसकी विभिन्न योजनाओं, अनुदान प्रबंधन प्रणाली तथा ई-छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति अवार्ड पंजीकरण ट्रेकिंग प्रणाली (ई-एसएआरटीएस) का कार्य सौंपा है।

ई-अभिशासन@विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाएं : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हेतु छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति यात्रा सहायता, सामान्य विकास सहायता, महिला छात्रावास, स्वायत्त तथा विरासत वाले संस्थान, दूरस्थ शिक्षा आदि हेतु 30 से अधिक वेब सेवाएं विकसित की हैं।

● क्षमता निर्माण कार्यक्रम

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, केन्द्र ने 40 प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं अथवा अन्य कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 1246 भागीदारों ने भाग लिया।

● लाभार्थियों की संख्या (संचयी) सहित लक्षित समूह की कवरेज

क्रम संख्या	क्रियाकलाप, सेवाएं तथा परियोजनाएँ	प्रारंभ होने का वर्ष	संख्या	
			विश्व-विद्यालय	रिकार्डों की संचयी संख्या
1	इंडकैट: विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में यूनियन कैटलॉग की पुस्तकें, सीरियल और शोध प्रबंध योगदान देने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या / पुस्तकों की संख्या योगदान देने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या / सीरियलों की संख्या योगदान देने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या / शोध प्रबंधों की संख्या पहुंच: विश्वव्यापी अकादमिक समुदाय के लिए खुली पहुंच हेतु उपलब्ध है	1991	184 223 317	1,41,85,886 35248 274622
2	आईआर @ इम्प्लिबनेट: संस्थागत रिपोजिटरी पहुंच: विश्वव्यापी अकादमिक समुदाय के लिए खुली पहुंच हेतु उपलब्ध है उपयोग:	2004		1777
3	वार्षिक/ द्विवार्षिक सम्मेलन, प्रशिक्षण और कार्यशालाएं (एसओयूएल, आईआरटीपीएलए, ई-रिसोस जागरूकता, डी-स्पेस, शोधगंगा, बिबलियोमेट्रिक तथा अन्य विशिष्ट कार्यक्रम सहित) 11वां अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर 2017 / प्रतिभागियों की संख्या कार्यक्रम की संख्या प्रतिभागियों की संख्या	1991 1994		260 39 986
4	एसओयूएल 2.0: लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर/इंस्टॉलेशन की संख्या शोधगंगा: भारतीय शोध प्रबंधों का एक भण्डारगृह हस्ताक्षर किए एसओयू शोध प्रबंधों की संख्या	2009 2010		3492 375 1,87,000
5	योगदान देने वाले संस्थानों की संख्या			325
6	साहित्य- चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर यूआरकेयूएनडी तक पहुंच वाले विश्वविद्यालयों की संख्या पहुंच: विश्वव्यापी अकादमिक समुदाय के लिए खुली पहुंच हेतु उपलब्ध है उपयोग: पृष्ठ का अवलोकन ई-पीजी पाठशाला: स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ई-विषयवस्तु विषयों की संख्या मॉड्यूल की संख्या (ई-टेक्स्ट) मॉड्यूल की संख्या (वीडियो)	2015 2011		179 43,94,25,467 70 18,200 17,450
7	विशेषज्ञों की संख्या पहुंच: विश्वव्यापी अकादमिक समुदाय के लिए खुली पहुंच हेतु उपलब्ध है उपयोग: पृष्ठ का अवलोकन (विद्या मित्र और ई-पीजी पाठशाला): शोधगंगात्री: डॉक्टरल शोध प्रबंध हेतु अनुमोदित सारांश का भंडारगृह सारांशों की संख्या योगदान देने वाले संस्थानों का नाम पहुंच: विश्वव्यापी अकादमिक समुदाय के लिए खुली पहुंच हेतु उपलब्ध है	2011		4,000+ 1,02,70,740 3900 51
8	विद्वान: विशेषज्ञों और उनके शोध प्रकाशनों का डॉटाबेस विशेषज्ञों के प्रोफाइलों की संख्या योगदान देने वाले संस्थानों की संख्या पहुंच: विश्वव्यापी अकादमिक समुदाय के लिए खुली पहुंच हेतु उपलब्ध है उपयोग: पृष्ठ का अवलोकन	2013		25,093 2,999 1,69,420
9	विद्यामित्र: सभी ई-विषयवस्तु परियोजनाओं का समेकित भंडारगृह, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित ई-विषयवस्तु का परियोजना भंडारगृह ई- टेक्स्ट की संख्या ई- अनुशिक्षण की संख्या अन्य ई- सामग्री	2013		44,459 66,174 37,827

क्रम संख्या	क्रियाकलाप, सेवाएं तथा परियोजनाएँ	प्रारंभ होने का वर्ष	संख्या	
			विश्व-विद्यालय	रिकार्डों की संचयी संख्या
	पहुंच: विश्वव्यापी अकादमिक समुदाय के लिए खुली पहुंच हेतु उपलब्ध है			
	उपयोग: पृष्ठ का अवलोकन (विद्यामित्र और ई-पाठशाला):			1,02,70,740
10	भारत की रैंकिंग (एनआईआरएफ)	2015		
	आवेदक संस्थानों की संख्या			3,585
	विशिष्ट संस्थानों की संख्या			2,812
11	आईसीएसएसआर डॉटा सेवा: एमओएसपीआई से प्लेटफार्म टू होस्ट डॉटासेट	2015		
	डॉटासेटों की संख्या			140
	पहुंच: विश्वव्यापी अकादमिक समुदाय के लिए खुली पहुंच हेतु उपलब्ध है			
	उपयोग:			
12	ई- शोध सिंधु: भारतीय संस्थानों की ई संसाधनों (ई-जर्नल, ई-पुस्तकें तथा डॉटाबेस) तक पहुंच	2016		
	मुख्य सदस्यों की संख्या (सीएफटीआई)			91
	मुख्य सदस्यों की संख्या (विश्वविद्यालय)			178
	तकनीकी संस्थानों की संख्या (एआईसीटीई)			94
	ई- जर्नलों की संख्या			7038+
	ग्रंथसूची संबंधी डॉटाबेसों की संख्या			04
	ई- पुस्तकों की संख्या			30,00,000
	उपयोग: पूर्ण-पाठ डॉउनलोड की संख्या			3,21,05,292
	एन-लिस्ट : महाविद्यालयों को ई-संसाधन			
	धारा 12(ख) के तहत महाविद्यालयों की संख्या			2,972
	ई- जर्नलों की संख्या			6,094+
	ग्रंथसूची संबंधी डॉटाबेसों की संख्या			04
	ई- पुस्तकों की संख्या			31,65,409
	उपयोग: पहुंच हेतु सृजित की गई यूजर आईडी की संख्या			4,50,000+
13	स्वयं: वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम	2016		
	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की संख्या (वि0अ0आ के माध्यम से)			60
	एंकर संस्थानों के रूप में एलआईएस में इन्फिलबनेट द्वारा पेशकश किए गए पाठ्यक्रमों की संख्या			07
	पहुंच: विश्वव्यापी अकादमिक समुदाय के लिए खुली पहुंच हेतु उपलब्ध है			
	उपयोग:			
14	स्वयं प्रभा: 32 शैक्षिक डीटीएच चैनल			
	चैनलों की संख्या			32
	वीडियो व्याख्यानों की संख्या			32,300+
	पहुंच: विश्वव्यापी अकादमिक समुदाय के लिए खुली पहुंच हेतु उपलब्ध है			
15	इन्फिलबनेट पहुंच प्रबंधन संघ (आईएनएफईडी): ई-संसाधनों तक ऑफ-कैम्पस पहुंच	2017		
	आईएनएफईडी में शामिल होने वाले संस्थानों की संख्या			48
	प्रकाशकों की संख्या			32
	आईएनएफईडी की सदस्यता पर हस्ताक्षर करने वाले प्रकाशक			04

- **आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:** अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई में पुस्तकालयों की भूमिका को पुनर्विचार करना- विद्वतापूर्ण संचार में आमूल-चूल परिवर्तन करने हेतु 11 वां अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर, 2017। सम्मेलन में ब्रिटेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों सहित 260 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

बजट

पूँजीगत आबंटन: 518.00 लाख रुपए

राजस्व: 530.00 लाख रुपए

जारी किया गया पूँजीगत अनुदान: 16.19 लाख रुपए

जारी किया गया राजस्व अनुदान: 608.84 लाख रुपए

5.10 (vi) अध्यापक शिक्षण हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 की संख्या 3) की धारा 12(गगग) और विनियम (संस्थानों की स्थापना और रखरखाव), 1985 के तहत अध्यापक शिक्षा हेतु एक अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया है।

अध्यापक शिक्षा हेतु एक अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1863 के तहत वाराणसी स्थित सोसाइटी पंजीकरण कार्यालय में पंजीकृत करवाया गया था।

अध्यापक शिक्षा हेतु एक अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसीटीई) की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर, 2014 को बीएचयू वाराणसी में रखी गई थी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रो० बिनोद कुमार त्रिपाठी को अध्यापक शिक्षा हेतु एक अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसीटीई), बीएचयू के प्रथम निदेशक महोदय के रूप में नियुक्त किया, जिन्होंने दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 (पूर्वाह्न) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली में अपना कार्यभार ग्रहण किया।

आईयूसीटीई के उद्देश्य तथा कार्यकरणों को अध्यापक शिक्षा हेतु एक अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र, बीएचयू के बीच संगम अनुच्छेद में स्पष्टरूप से निर्धारित किया गया है जिसने आईयूसीटीई के कार्यों को आरंभ करने के लिए दिशानिर्देश उपलब्ध कराए।

बजट

पूँजीगत आबंटन: 00.00 लाख रुपए

राजस्व: 00.00 लाख रुपए

जारी किया गया पूँजीगत अनुदान: 00.00 लाख रुपए

जारी किया गया राजस्व अनुदान: 200.00 लाख रुपए

5.10 (vii) कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्यूनीकेशन (सीईसी) / मीडिया केन्द्र

संपूर्ण देश में 'कन्ट्रीवाइड क्लॉसरूम' (सीडब्ल्यूसीआर) हेतु देश के भीतर ही सतत् आधार पर गुणवत्तायुक्त कार्यक्रम तैयार करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में मीडिया केन्द्र स्थापित किए हैं। आरंभ में 6 मीडिया केन्द्रों से भारतीय टेलीविजन नेटवर्क पर अपने ज्ञान को साझा करने के लिये विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षाविदों तथा प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया जाता था। अब इन मीडिया केन्द्रों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। कार्यक्रम को तैयार करने की सुविधा देश के विभिन्न भागों में अवस्थित शैक्षिक मीडिया शोध केन्द्रों (ईएमआरसी) के रूप में मौजूद हैं।

शैक्षिक संचार संघ जिसे सामान्यतः सीईसी के नाम से जाना जाता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित एक अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1993 में हुई। यह भारतीय उच्चतर शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य को उभरती सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) के उचित उपयोग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक तथा नए मीडिया के प्रयोग के माध्यम से पूरा करता है। सीईसी, प्रसारण और गैर-प्रसारण तरीके के माध्यम से उच्चतर शिक्षा के लिए मल्टीमीडिया विषयवस्तु तथा शैक्षिक वीडियो बनाकर तथा उनका प्रचार करके देश की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी है। कंसोर्टियम सदस्य के रूप में इसके 21 शिक्षा और मल्टीमीडिया शोध केन्द्र (ईएमआरसी) हैं जिन्हें मीडिया केन्द्र के रूप में भी जाना जाता है।

5.10(vii)(i) फिल्म निर्माण

सीईसी तथा इसका मीडिंग केन्द्र, पाठ्यचर्या आधारित तथा विषय को समृद्ध बनाने (अनुपूरक शिक्षण हेतु) विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक वीडियो, कार्यक्रमों को तैयार करने का कार्य करते हैं। यह कार्यक्रम चार बैंड/विषयों में विभिन्न विषयों को कवर करते हैं:-

1. भाषा/साहित्य/कला और संस्कृति
2. सामाजिक विज्ञान
3. प्रबंधन तथा अन्य पेशेवर विषय
4. विज्ञान/प्रौद्योगिकी

पाठ्यचर्या ई-विषयवस्तु

अब तक सीईसी के पास 4 चतुर्थांश में लगभग 24,000 शैक्षणिक वीडियो के ज्ञान का भण्डार उपलब्ध है। इन ई-विषयवस्तु को उपर्युक्त उल्लिखित 4 ज्ञान के विषयों में 87 गैर-तकनीकी तथा स्नातकपूर्व विषयों में मुख्य रूप से अंग्रेजी तथा हिन्दी में भी तैयार किया गया है। पिछले वर्ष, अर्थात् वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 5701 शैक्षणिक वीडियो तैयार किए गए। संपूर्ण संग्रह को डिजिटल किया जा रहा है ताकि वीडियो कार्यक्रम को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और डिजिटल पद्धति से चलाया जा सके ताकि यह लंबे समय तक चले तथा सुवाह्य हो।

विषयवस्तु को समृद्ध बनाने वाले वीडियो

सीईसी तथा मीडिया सेंटर द्वारा कुल 19003 विषयवस्तु को समृद्ध करने वाले वीडियो तैयार किए गए थे जिनमें विभिन्न विषयों को अनुपूरक शैक्षणिक विषयवस्तु के रूप में कवर किया गया था।

अल्पशिक्षण उद्देश्य (एसएलओ)

इन शैक्षणिक तथा विषयवस्तु को समृद्ध करने वाले वीडियो के अलावा, सीईसी ने कुल 16,362 अल्प शिक्षण प्रयोजन (एससीओ) तैयार किए हैं। यह अल्पकालिक वीडियो बेहतर शिक्षण अनुभव के साथ विभिन्न विषयों में पाठ्य तथा मल्टीमीडिया विषयवस्तु युक्त हैं।

वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी)

सीईसी ने मौजूदा ई-विषयवस्तु में परिवर्तन कर 160 एमओओसी विकसित किए हैं तथा नई विषयवस्तु को तैयार कर 80 एमओओसी तैयार किए जा रहे हैं। आज तक, जुलाई-दिसम्बर, 2018 सेमेस्टर के लिए सीईसी ने 76000 से अधिक पंजीकृत छात्रों के साथ स्वयं पर 54 एसओओसी की पेशकश की है तथा 95 पाठ्यक्रम अपलोड किए गए हैं।

5.10(vii)(ii) प्रसार

आज, सीईसी देश में सबसे बड़ा डिजिटल शैक्षणिक विषयवस्तु का भंडारगृह है जिसमें लाखों शिक्षार्थियों के लाभ के लिए व्यापक शैक्षणिक विषयवस्तु/कार्यक्रम के प्ररूप उपलब्ध हैं। ऐसी शैक्षणिक विषयवस्तु को तैयार किए जाने में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है बल्कि इसमें ज्ञान अर्जन के अधिक नवोन्मेषी प्ररूपों को भी शामिल किया गया है। देशभर में तथा विदेशों में स्थित शिक्षार्थियों की पहुंच में डिजिटल शैक्षणिक विषयवस्तु को लाने के लिए इसने एक विशिष्ट तथा विविध मीडिया प्लेटफार्म को विकसित किया है। आज सीईसी निम्नवत शिक्षण प्लेटफार्मों का उपयोग करता है:

स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल

उच्चतर शिक्षा पर स्वयं प्रभा-11 डीटीएच चैनल, जिसे केवल सीईसी द्वारा ही चलाया जाता है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 33 डीटीएच शैक्षणिक चैनलों का बुके)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 23 जून, 2016 के पत्र संख्या एफ सं. 16-16/2002-टीईएल के माध्यम से गैर-प्रौद्योगिकीय स्नातकपूर्ण तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु स्वयं प्रभा प्लेटफार्म पर 10 सीईसी-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डीटीएच चैनलों हेतु सीईसी को राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया है।

सीईसी तथा मीडिया केन्द्रों को निम्नवत चैनल आबंटित किए गए हैं:-

चैनल संख्या/ कोड	चैनल का नाम	चैनल का समन्वयक	चैनल समन्वयक का संगठन
सीईसी-वि0अ0आ0 01	भाषा और साहित्य	प्रोफेसर के0 वेंकटरेड्डी, निदेशक ईएमआरसी ईएफएलयू	ईएमआरसी, ईएफएलयू, हैदराबाद (दी इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनीवर्सिटी)
सीईसी-वि0अ0आ0 02	इतिहास, संस्कृति और दर्शनशास्त्र	श्री नागेश्वर नाथ जेडी, (एचडब्ल्यू), सीईसी	सीईसी, नई दिल्ली
सीईसी-वि0अ0आ0 03	सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान	प्रोफेसर कमलेश पुरोहित, निदेशक	ईएमआरसी, जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय
सीईसी-वि0अ0आ0 04	शिक्षा और गृह विज्ञान	श्री नागेश्वर नाथ, जेडी, (एचडब्ल्यू), सीईसी	सीईसी, नई दिल्ली
सीईसी-वि0अ0आ0 05	सूचना, संचार और प्रबंधन अध्ययन	प्रोफेसर इफतेकार अहमद, निदेशक	ईएमआरसी/ एमसीआरसी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
सीईसी-वि0अ0आ0 06	विधि और विधि संबंधी अध्ययन	डॉ गुरमीत सिंह मान, निदेशक	ईएमआरसी, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला
सीईसी-वि0अ0आ0 07	अर्थशास्त्र और वाणिज्य	प्रोफेसर बी.वी. पटेल	ईएमआरसी, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद
सीईसी-वि0अ0आ0 08	भौतिक और पृथ्वी विज्ञान	श्री डी. दामोदर प्रसाद, निदेशक	ईएमआरसी, कालीकट विश्वविद्यालय

चैनल संख्या/ कोड	चैनल का नाम	चैनल का समन्वयक	चैनल समन्वयक का संगठन
सीईसी-वि0अ0आ0 09	जीव विज्ञान	डॉ सलीमा जन, निदेशक	ईएमआरसी, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर
सीईसी-वि0अ0आ010	अनुप्रयुक्त विज्ञान	डॉ एस. गोवरी, निदेशक	ईएमआरसी, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई
सीईसी-वि0अ0आ0 33	व्यास उच्चतर शिक्षा चैनल	श्री नागेश्वर नाथ	सीईसी, नई दिल्ली

ऑनलाइन/वेब

1. **सीईसी लाइव लेक्चरार्स** : रोजाना 4 घंटों का सीधा तथा अंतर्क्रियात्मक व्याख्यान (वेब स्ट्रिमिंग और व्यास डीटीएच चैनल)
2. **सीईसी यू ट्यूब चैनल** : आज सबसे लोकप्रिय शैक्षणिक चैनल है जिसमें एक लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं तथा एक करोड़ से अधिक दर्शक हैं।

1	सीईसी यू ट्यूब चैनल के सब्सक्राइबरों की संख्या	1,77,186
2	यू-ट्यूब पर सीईसी वीडियो को कितने समय देखा गया	12,27,116 घंटे
3	कितनी बार देखा गया	14,986,038

4. डिजिटल विषयवस्तु तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए, सीईसी ने अनेकानेक वेब पोर्टलों जैसे सीईसी, इम्प्लिबनेट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा भारत सरकार के पोर्टल पर अपनी विषयवस्तु उपलब्ध करवाई है।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन

ईएमएमआरसी अहमदाबाद, चेन्नई, श्रीनगर, मैसूर तथा एमसीआरसी जामिया मिलिया सहित कुछ मीडिया केन्द्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन चलाते हैं जहां शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं तथा प्रसारित किए जाते हैं। ईएमएमआरसी चेन्नई, अन्ना विश्वविद्यालय, सामुदायिक रेडियो चलाने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय था।

5.10(vii)(iii) आईसीटी परिवेश तैयार करना

सीईसी, शैक्षणिक प्रयोजन हेतु आईसीटी परिवेश तैयार करने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगोष्ठियों/वीडियो प्रतियोगिताएं/प्रकृति फिल्म महोत्सव आयोजित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यशालाएं तथा संगोष्ठियां

सीईसी ने मीडिया तथा आईसीटी के उपयोग के माध्यम से शिक्षा को विस्तार देने लिए सम्मेलन, कार्यशालाएं तथा संगोष्ठियां आयोजित कर शिक्षाविदों तथा मीडिया पेशेवरों को एक ही प्लेटफार्म पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सीईसी, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अपने क्षमता विस्तार प्रयासों के भाग के रूप में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं आयोजित करता है: यह विभिन्न महाविद्यालयों, संस्थानों तथा शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी अनुप्रयोग के लिए मीडिया केन्द्रों में कार्यरत शिक्षकों तथा मीडिया पेशेवरों को प्रशिक्षित करता है। इसके अलावा, अपने कर्मचारियों में इष्टतम उत्पादकता का संचार करने के लिए सीईसी मीडिया केन्द्रों के तकनीकी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जो कि देशभर में विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत हैं। सीईसी अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं तथा शैक्षणिक कार्यक्रम भी आयोजित करता है जिसका उद्देश्य बेहतर उत्पादकता, सक्षमता तथा कार्यकुशलता है। सीईसी तथा ईएमआरसी, मीडिया प्रोडक्शन तथा प्रसारण के क्षेत्रों में मीडिया छात्रों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण/प्रशिक्षुता कार्यक्रम की भी पेशकश करता है। कन्सोर्टियम ई-शिक्षण सामग्री को तैयार करने तथा अध्यापन में इसे अंगीकार करने में अध्यापक प्रशिक्षण भी आरंभ करता है। शैक्षणिक विषयवस्तु के विकास के लिए देशभर के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से 2000 से अधिक शिक्षक, सीईसी के साथ संसाधक के रूप में जुड़े हुए हैं। इसके साथ-साथ सीईसी विख्यात एजेन्सियों जैसे कॉमनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर फॉर एशिया (सीईएमसीए), मीडिया लैब एशिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, श्रीलंका सरकार, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी), क्वालालम्पुर, मलेशिया आदि के साथ जुड़ा हुआ है तथा इसने समय-समय पर देश-विदेश में सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों को आयोजित किया है/उनमें भागीदारी की है।

वीडियो प्रतियोगिता

यूजीसी-सीईसी शैक्षणिक वीडियो प्रतियोगिता को सीईसी द्वारा वर्ष 1980 से आयोजित कर रहा है ताकि इसके मीडिया केन्द्रों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक वीडियो कार्यक्रम के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जा सके। इस पुरस्कार में वर्ष के सर्वोत्तम शैक्षणिक कार्यक्रम, वर्ष के सर्वोत्तम ई-विषयवस्तु कार्यक्रम, सर्वोत्तम आधारभूत शोध तथा सर्वोत्तम पटकथा आदि में नकद पुरस्कार, ट्रॉफी तथा प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

प्रकृति वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव

सीईसी वर्ष 1997 से एक वार्षिक वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है। गैर-प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता में फिल्म निर्माता, छात्र, शिक्षाविद्, विकास कार्यकर्ता, मीडियाकर्मी तथा अन्य को वृत्तचित्र प्रदर्शन, पेनल चर्चा तथा वार्ता में शामिल किया जाता है। महोत्सव में पारिस्थितिकीय चुनौतियों, आर्थिक अवसरों, पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य, विकास के उद्देश्यों, आधारभूत स्तर से जुड़ी अभिव्यक्तियां तथा स्वदेशी विकल्प, पर्यावरण की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का अवक्रमण, लिंग संवेदीकरण, मानवाधिकार आदि विषयों पर क्रॉसकटिंग पद्धति से बनी फिल्मों को दर्शाया जाता है। त्रिदिवसीय महोत्सव को प्रत्येक वर्ष देशभर में अलग-अलग संस्थानों/अवस्थितियों में आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य आईसीटी सक्षमकारी शिक्षण परिवेश तैयार करना तथा शैक्षणिक विषयवस्तु के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है।

बजट

पूँजीगत आबंटन: 573.00 लाख रुपए

राजस्व: 3359.00 लाख रुपए

जारी किया गया पूँजीगत अनुदान: 587.87 लाख रुपए

जारी किया गया राजस्व अनुदान: 4328.66 लाख रुपए

मीडिया केन्द्रों की सूची निम्नवत है:

1. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
गुजरात विश्वविद्यालय
गुरु नानक भवन, नवरंगपुरा,
अहमदाबाद-380 009
2. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
सेन्ट जेवियर कालेज,
50, सर्कस एवन्यू
कोलकाता-700 017
3. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
द इंग्लिश एण्ड फारेन लैंग्वेज यूनीवर्सिटी
हैदराबाद-500 017
4. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
जयनारायण ब्यास विश्वविद्यालय
अभियांत्रिकी संकाय परिसर
जोधपुर-342 001
5. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
मदुरई कामराज विश्वविद्यालय,
पालकालाई नगर,
मदुरई-625 021
6. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखिन्ड
पुणे-411 007
7. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
द्वितीय तल, ओस्मानिया विश्वविद्यालय ग्रंथागार भवन,
ओस्मानिया विश्वविद्यालय,
हैदराबाद-500 007

8. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
ए0बी0 रोड, भंवर कुंआ,
इंदौर-452 001
9. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
अभियांत्रिकी महाविद्यालय,
अन्ना विश्वविद्यालय
चिन्नेई-600 025
10. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
मैसूर विश्वविद्यालय
मैसूर-570 006
11. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर
इंफाल-795 003
12. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
पंजाबी विश्वविद्यालय,
पटियाला-147 002
13. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
आईआईटी रुणकी,
रुणकी-247 667 (उत्तर प्रदेश)
14. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
कश्मीर विश्वविद्यालय
श्रीनगर-190 006 (जम्मू और कश्मीर)
15. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
जनसंचार विभाग, कालीकट विश्वविद्यालय
कालीकट-675 635

16. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर डॉ० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर-470 003 (मध्यप्रदेश)	2. मगध विश्वविद्यालय बोधगया, बिहार-824 234
वर्ष 2010-11 के दौरान देश के विभिन्न भागों में चार (4) नए मीडिया केन्द्रों को लघुसूचीबद्ध किया गया था। तथापि, उनकी सूची निम्नवत है :-	3. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार, रायबरेली रोड लखनऊ-226 005 (उत्तर प्रदेश)
1. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय डिब्रूगढ़, असम-786 004	4. ईएमएमआरसी, पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी-605 014

5.11 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र स्थापित किए हैं, जो निम्नवत हैं

1. क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई
2. वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रुमेंटेशन सेन्टर (डब्ल्यूआरआईसी), मुंबई
3. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज (आईआईएस), शिमला
4. एमएसटी राडार सेन्टर, एसवी विश्वविद्यालय, तिरुपति

5.11 (i) क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई

क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई की स्थापना वर्ष 1982 में निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई थी:-

1. प्रौद्योगिकीय एवं औद्योगिक महत्व के क्रिस्टल के विकास एवं केरेक्ट्राइजेशन हेतु सुविधाओं को विकसित करना;
2. जरूरतमंद उद्योगों तथा शोध प्रयोगशालाओं के बीच की खाई को पाटना;
3. शोध हेतु विशेष क्रिस्टल की आवश्यकताओं के संबंध में देश के विभिन्न संस्थानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

बजट

पूँजीगत आबंटन: 73.40 लाख रुपए

जारी किया गया पूँजीगत अनुदान: 00.00 लाख रुपए

5.11 (ii) वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रुमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईसी), मुम्बई

वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रुमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईसी) एक स्वायत्त संस्थान है जिसकी स्थापना इंस्ट्रुमेंटेशन को बढ़ावा देने के लिए वि.अ.आ. के व्यापक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वर्ष 1977 में की गई थी। इसका संपूर्ण वित्तपोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) द्वारा किया जाता है। डब्ल्यूआरआईसी एक पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य करती है जिसके शासी निकाय के पदेन सदस्य मुम्बई विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और वि०अ०आ० द्वारा अब इसे इंस्ट्रुमेंटेशन में राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

डब्ल्यूआरआईसी का प्रमुख उत्तरदायित्व देश के विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योगों के सहयोग से इंस्ट्रुमेंटेशन के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों को चलाए रखना है।

वर्ष 2017-18 के दौरान टीएसडी में आरंभ की गई तथा संस्थान के भीतर ही पूर्ण की गई परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

- **डब्ल्यूआरआईसी में आंतरिक रूप से अभिकल्पित और विकसित यंत्र**
 1. पीएच मीटर के लिए पोर्टेबल, मोबाइल चार्जर को ऊर्जा स्रोत के रूप से प्रयोग करते हुए कंडक्टिविटी मीटर।
 2. थर्मल प्रोटेक्शन के साथ डीसी मोटर कंट्रोल के लिए कंट्रोल कार्ड का अभिकल्पन और विकास।
 3. मोबाइल चार्जर को ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करते हुए अंशांकन तापमान नियंत्रक हेतु तापमान कैलिब्रेटर स्रोत (थर्मोकपलस) का अभिकल्पन।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए डब्ल्यूआरआईसी में आंतरिक रूप से विकसित और अभिकल्पित यंत्र**
 1. मोबाइल चार्जर को ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करते हुए एसी एनर्जी रेग्युलेटर हेतु माइक्रो कंट्रोलर आधारित टाइमर।
 2. मिले वोल्ट सोर्स/थर्मोकपल तथा आरटीडी आधारित टेम्परेचर कंट्रोल सिमुलेटर।
- **डब्ल्यूआरआईसी में अपनी पाठ्यचर्या के एक भाग के रूप में छात्रों द्वारा अभिकल्पित और विकसित यंत्र**
 1. आरजीबी एलईडी के स्पेक्ट्रल रिस्पॉंस का अध्ययन करने के लिए करंट स्रोत (0-200 एमए)

2. पीआईडी के लिए डिजिटल टेम्परेचर केलीबरेटर और पीआईसी माइक्रोकंट्रोलर के का उपयोग करते हुए डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर।
3. वायरलैस सेंसर नेटवर्क के उपयोग करते हुए कृषि में जल संरक्षण का एक अनूठा तरीका।
4. संस्थान के भीतर पीआईसी माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग करते हुए मल्टीपल पैरामीटर कैलिब्रेटर (पीएच, कंडक्टिविटी, एमवी, थर्मोकपल आरटीडी, थर्मिस्टर) के प्रयोगशाला मॉडल का अभिकल्पन और विकास।

विकसित किए गए यंत्र

1. ब्लू टूथ मॉड्यूल के उपयोग से आर्डयूनो आधारित होम आटोमेशन प्रणाली।
2. जीएसएम मॉड्यूल के प्रयोग वाली आर्डयूनो आधारित होम आटोमेशन प्रणाली।
3. आर्डयूनों आधारित सोलर ट्रेकर।
4. एटमेगा 32 के लिए टारगेट बोर्ड।
5. सोलर ट्रेकर हेतु स्टेपर मोटर डायरेक्शन कंट्रोलर आधारित एवीआर।

माइक्रोकंट्रोलर विकास

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए खरीदी गई किट:

1. एटमेगा 32 डेवलपमेंट बोर्ड।
2. आर्डयूनो।
3. एटमेगा 32 तथा आर्डयूनो के लिए सहायक उपकरण।

डब्ल्यूआरआईसी ने विभिन्न महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों विभागों तथा संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं संचालित की। इसके परिणामस्वरूप डब्ल्यूआरआईसी तथा विभिन्न अकादमिक संस्थानों और उद्योगों के बीच घनिष्ट सहयोग का वातावरण बना जिससे सभी को लाभ हुआ।

इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला की मरम्मत संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान इलेक्ट्रिकल, एनॉलाइटिकल तथा ऑप्टिकल (माइक्रोस्कोप तथा अन्य) यंत्रों की मरम्मत की गई।

डब्ल्यूआरआईसी के पास विभिन्न प्रकार के अंशांकन मानक उपकरण हैं जिनका प्रयोग शैक्षिक संस्थानों, सरकारी संगठनों और उद्योगों से अलग-अलग उपकरणों का अंशांकन करने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट से संबंधित अवधि के लिए अंशांकन हेतु प्राप्त 258 उपकरणों में से 222 उपकरणों का अंशांकन किया गया, 11 की जांच की गई और 25 उपकरण प्रयोक्ताओं को वापस कर दिए गए क्योंकि उनकी मरम्मत संभव नहीं थी।

डब्ल्यूआरआईसी देश के विभिन्न महाविद्यालयों संस्थानों और विश्वविद्यालयों को प्रयोगशाला इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, एनॉलिटिकल और ऑप्टिकल यंत्रों की देख-रेख और मरम्मत करने में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करता है। रिपोर्ट से संबंधित अवधि के दौरान मरम्मत के लिए प्राप्त 173 उपकरणों में से 143 की मरम्मत की गई।

डब्ल्यूआरआईसी के.जे. सौम्यया महाविद्यालय में रखरखाव कैंप आयोजित करता है। इस कार्य का उद्देश्य सस्ती दरों पर उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव करना है।

कार्यशाला संबंधी क्रियाकलाप

यांत्रिक कार्यशाला में डब्ल्यूआरआईसी ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, छात्र परियोजनाओं, अनुसंधान एवं विकास प्रभाग, रखरखाव अनुभाग, अंशांकन अनुभाग तथा केन्द्र के अन्य कार्यकलापों के लिए आवश्यक विभिन्न यांत्रिक उपकरणों का अभिकल्पन और निर्माण किया।

कार्य का विवरण :

1. ब्लू टूथ मॉडल वाली होम आटोमेशन प्रणाली हेतु बॉक्स तैयार करना।
2. ग्रीन हाउस पैरामीटर के लिए बक्सा तैयार करना।
3. स्टेपर मोटर पर सोलर पैनल की मेकेनिकल फिटिंग
4. जीएसएम वाली होम आटोमेशन प्रणाली के लिए बॉक्स बनाना
5. कोलरीमीटर स्टैण्ड (न.10) का निर्माण
6. सोलर पैनल वाली सर्वोमोटर के लिए एल्यूमिनियम स्टैण्ड की मेकेनिकल फिटिंग और निर्माण।
7. जीनॉन लैम्प के लिए स्टैण्ड वाले पोर्टेबल चैम्बर का विकास किया।

8. सिरिज प्लंजर में बेंड को हटाया गया।

पुस्तकालय और सूचना सेवाएं

पुस्तकालय में अब कुल 4538 पुस्तकें हैं। डब्ल्यूआरआईसी के स्टॉफ के अतिरिक्त, पुस्तकालय सेवाओं का प्रयोग छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किया गया।

इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थापित की जा रही है और इसका उपयोग स्टॉफ के सदस्यों तथा अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है। इससे पूर्ण पाठ वाले ई-जर्नलों तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त होती है। सोलर पैनल, सोलर रोल, फोटो वोल्टिक्स, सोलर सीम्यूलेटर, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों, यंत्रों, सर्किटों इत्यादि के बारे में आवश्यकता आधारित जानकारी प्राप्त होती है।

बजट

पूँजीगत आबंटन: 349.00 लाख रुपए

जारी किया गया पूँजीगत अनुदान: 406.69 लाख रुपए

5.11 (iii) : भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएस), शिमला

अंतर्विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएस), शिमला तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) तथा संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के साथ ही जनवरी, 1991 में हुई थी। अपने स्थापना के लगभग 48 वर्षों से भी अधिक समय में छात्रवृत्ति के क्षेत्र में उच्च शोध एवं विद्वतापूर्ण चिंतनमनन में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। इसमें 35 अध्येताओं का आवासीय समुदाय है जिनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के अनुसंधान में जुटा है परन्तु वहीं वे समुदाय के अकादमिक जीवन में सक्रियतापूर्वक भाग लेते हैं। अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र के एसोसियेटों को देश भर के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से चुना जाता है और वे इस अकादमिक परिवेश से लाभान्वित होने के साथ-साथ वे यहां के अंतर्विधा संस्कृति से काफी कुछ सीखते हैं।

एसोशिएटशिप

आईआईएस, एसोशियेट को पर्याप्त पुस्तकालय सुविधाओं के साथ एक शान्त एवं प्राकृतिक शैक्षिक परिवेश, सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक विद्वानों के साथ संपर्क करने का सुअवसर उपलब्ध कराता है तथा एसोशिएट अपने शिक्षण वृत्ति को जारी रखने के लिए बौद्धिक रूप से स्फूर्त होकर संस्थान से प्रस्थान करते हैं। एसोशिएट ने इस अवधि का उपयोग (क) अध्ययन को पूरा करने में करते हैं जिससे वे पिछले कुछ समय से जुड़े रहे हों; (ख) वाचस्पति शोध की समीक्षा करने में व्यतीत करते हैं; (ग) संस्थान के ग्रंथागार में वाचन क्षमता को प्राप्त करने में; (घ) एक पत्र लिखने के लिए उपयोग करते हैं जिसे वे अपने सहयोगियों के समक्ष प्रस्तुत करें; (ङ) संस्थान के अध्येताओं तथा यदा-कदा देश-विदेश से आने वाले विशिष्ट विद्वानों के साथ बातचीत करने में सार्थक ढंग से व्यतीत करते हैं। एसोशिएट, संस्थान के नियमित क्रियाकलाप के रूप में होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भी भाग लेते हैं।

प्रकाशन

संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आईयूस कार्यक्रम के तहत मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान (एसएचएंडएसएस) में अध्ययन को एक द्वि-वार्षिक जर्नल के माध्यम से प्रकाशित करता है।

बजट

पूँजीगत आबंटन: 64.14 लाख रुपए

जारी किया गया पूँजीगत अनुदान: 90.09 लाख रुपए

5.11 (iv) एमएसटी राडार केन्द्र, तिरुपति

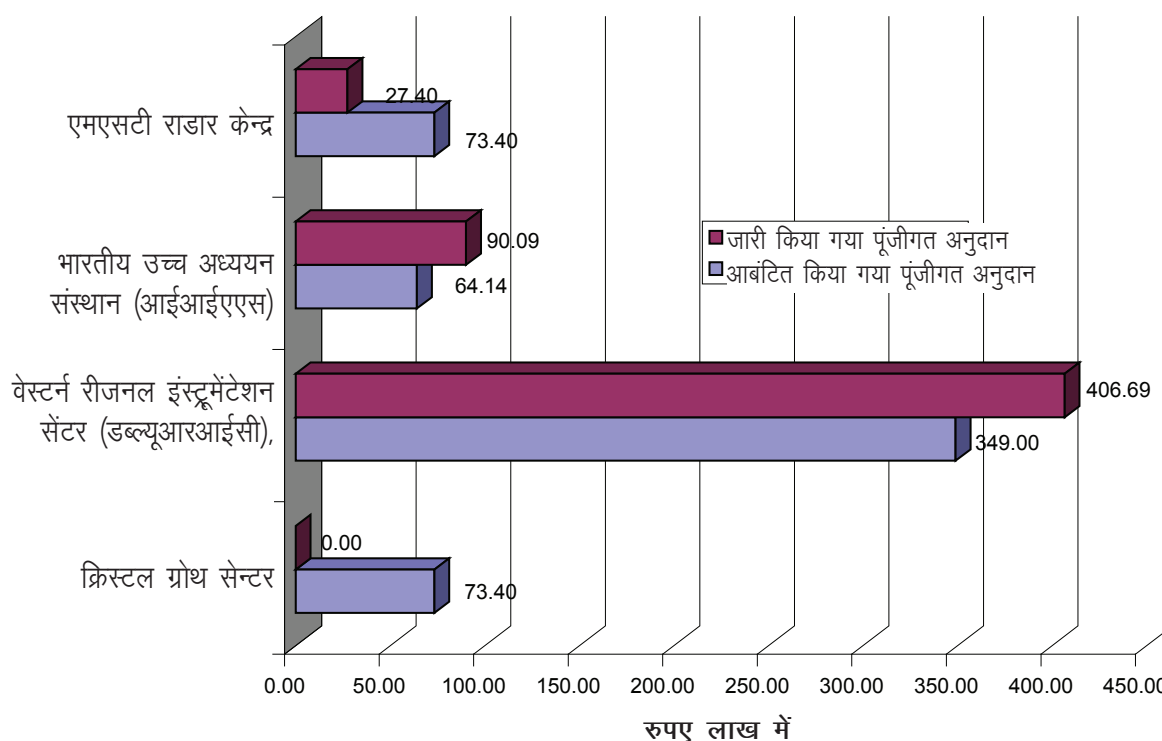
केन्द्र का उद्देश्य वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक राडार तथा अन्य यंत्र सुविधाओं के संभावित उपयोग के प्रति वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करना तथा एम.एस.टी.राडार सुविधा के उपयोग के प्रति मेधावी युवा शोधकर्ताओं को एमएसटी राडार, लीडर तथा एनएआरएल, गदांकी में भी मौजूद अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आकर्षित करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) ने एसवी विश्वविद्यालय, तिरुपति में वि०अ०आ०-एसयूवी केन्द्र की स्थापना की है जो देश की विश्वविद्यालयी प्रणाली में एक सामान्य प्लेटफार्म के रूप में कार्य कर सके ताकि वैज्ञानिक ज्ञान का आदान-प्रदान किया जा सके और यह केन्द्र वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे वैज्ञानिक तथा शोधकर्ताओं की पहुंच में हो।

बजट

पूँजीगत आबंटन: 73.40 लाख रुपए

जारी किया गया पूँजीगत अनुदान: 27.40 लाख रुपए

रेखाचित्र 5.11 वर्ष 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों हेतु आबंटित बजट और जारी की गई राशि



5.12 विश्वविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपकरण का विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014 के दौरान विश्वविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपकरण के विकास की योजना आरंभ की जिसका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षमता निर्माण में वृद्धि करना है जिससे एक ऐसा व्यापक खेल आधार वाला पिरामिड तैयार हो सके जिससे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में देश को गौरव दिलाने के लिए भाग लेने हेतु पर्याप्त खिलाड़ी मिल सकें। उपर्युक्त योजना के यथा उल्लिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए योजना निम्नलिखित की पेशकश करने के लिए तैयार किया गया है:

- विशिष्ट खेलों में छात्रों की भागीदारी को देखते हुए पर्याप्त खेल अवसंरचना के निरन्तर विकास हेतु चरणबद्ध सहायता;
- अवसंरचना और उपकरण के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट खेल में छात्र के पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा।
- जैसा कि चरण एक में उल्लिखित है, सभी पात्र विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, बशर्ते उनका प्रस्ताव एक विधिवत् रूप से गठित समिति द्वारा ठीक पाया जाए। तत्पश्चात्, अनुदान को चरण 2 अथवा 3 तक बढ़ाए जाने पर, जैसा भी मामला हो, पहले ही प्रदान किए गए अनुदान/संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं के इष्टतम उपयोग के मद्देनजर किया जाएगा; और
- इस योजना का संपूर्ण उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर उचित निगरानी करते हुए चरण-वार तरीके से अवसंरचना के विकास हेतु व्यवस्था करना है।

विश्वविद्यालयों से 101 खेल प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। विशेषज्ञ समिति ने 69 प्रस्तावों के सिफारिश की।

वर्ष 2017-18 के दौरान 13.31 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान योजना के तहत 69 लाभार्थी विश्वविद्यालयों को कुल 67.53 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

► शोध को प्रोत्साहन

- ❖ 6.1 शिक्षकों के लिए वृहद शोध परियोजनाएं
- ❖ 6.2 शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक
- ❖ 6.3 पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ
- ❖ 6.4 शोध अध्येतावृत्तियाँ (एम0फिल0/पी0एच0डी हेतु)
- ❖ 6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ
- ❖ 6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियाँ
- ❖ 6.7 खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए निशुल्क शिक्षा योजना
- ❖ 6.8 शैक्षिक तथा शोध क्रियाकलापों हेतु शिक्षकों, विषय/विधा आधारित संघों को प्रोत्साहन देना
- ❖ 6.9 विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध-योजनाएं

6.1 शिक्षकों के लिए वृहद शोध परियोजनाएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) तथा 12 (ख) के तहत सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में स्थायी, नियमित रूप से कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षकों के शोध प्रस्तावों को वित्तीय सहायता प्रदान करता आ रहा है। वृहद शोध परियोजना कार्यक्रम उन्हें उनकी नियमित नौकरी अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् विशिष्ट विषय क्षेत्रों में गहन और सूक्ष्मता से शोध अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। अंतर्विधा शोध और अंतर्संस्थागत सहयोगात्मक शोध को प्राथमिकता दी जाती है।

वर्ष 2017-18 के दौरान वृहद शोध परियोजनाओं हेतु जारी अनुदानों का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	कुल लाभार्थी	सामान्य अनुदान सहायता (31)			पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ-35			एनईआर सामान्य-31			एनईआर सामान्य-31			कुल
		सामान्य	अ0जा0	अ0ज0जा0	सामान्य	अ0जा0	अ0ज0जा0	सामान्य	अ0जा0	अ0ज0जा0	सामान्य	अ0जा0	अ0ज0जा0	
वृहद शोध परियोजना														
मानविकी	388	6.47	0.23	0.02	0.05	0.01	0	0.49	0.05	0.11	0	-	-	7.43
विज्ञान	1034	14.77	0.36	0.15	0.32	0	0	0.47	0	0.08	-	-	-	16.15
कुल	1422	21.24	0.59	0.17	0.37	0.01	0	0.96	0.05	0.19				23.58

वर्ष 2017-18 के दौरान मानविकी में 388 लाभार्थी (परियोजना/ शिक्षक) तथा विज्ञान में 1034 लाभार्थी (परियोजना/ शिक्षक) कार्यरत थे।

वर्ष 2017-18 के दौरान लाभार्थियों को कुल 23.58 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

1.2 शोध अवार्ड/ शोध वैज्ञानिक

6.2 (i) शोध अवार्ड

शोध अवार्ड की योजना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में कार्यरत डॉक्टरल उपाधि धारक स्थायी शिक्षकों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में बिना कोई शोध मार्गदर्शन प्राप्त किये दो वर्ष की अवधि तक शोध कार्य हेतु अवसर प्रदान करना है जिसे अपवाद स्वरूप किन्हीं मामलों में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

कर सकें। इस प्रयोजनार्थ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष उनके लिए 100 स्लॉट उपलब्ध करवा रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 620 लाभार्थी थे।

अध्येताओं को भुगतान करने पर हुए व्यय का ब्योरा निम्नानुसार है:

वर्ष	किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
2012-13	1.47
2013-14	6.39
2014-15	11.63
2015-16	22.61
2016-17	33.94
2017-18	28.66

6.3(ii) महिलाओं के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियां

इस योजना का उद्देश्य पी.एच.डी. उपाधि धारक बेरोजगार महिलाएं, जिनका पूर्णकालीन आधार पर पोस्ट-डॉक्टरल शोध की ओर रुझान है, उन्हें शोध कार्य का अवसर प्रदान करना है। वर्तमान में, इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 100 स्लॉट उपलब्ध हैं।

रिपोर्टाधीन वर्ष, 2017-18 के दौरान 43.66 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

तालिका 6.3 (ii) : महिलाओं के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियां पर हुआ वर्षवार व्यय

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
2012-13	138	5.86
2013-14	184	5.34
2014-15	460	21.2
2015-16	648	34.13
2016-17	550	32.57
2017-18	766	43.66

6.3(iii) भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में डॉ. एस0 राधाकृष्णन पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति

योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में उच्च अध्ययन तथा शोध करने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 200 स्लॉट उपलब्ध हैं।

तालिका 6.3 (iii) वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान लाभार्थियों की संख्या तथा किया गया व्यय

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
2014-15	180	12.00
2015-16	351	13.57
2016-17	540	25.23
2017-18	581	26.12

वर्ष 2017-18 के दौरान 26.12 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

6.3(iv): डॉ0 डी0 एस0 कोठारी पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ

इस योजना के तहत मूलभूत विज्ञान/चिकित्सा/अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में पोस्ट डॉक्टरल शोध करने के लिए शोध अध्येताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है चयन प्रक्रिया वर्ष भर चलती रहती है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने या तो पीएचडी उपाधि प्राप्त कर

ली है अथवा जिन्होंने अपने पीएचडी शोध प्रबंध जमा कर दिये हैं वे आवेदन करने के लिये पात्र हैं। आज तक, **2336** अभ्यर्थियों को अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है तथा **899** पीडीएफ कार्यरत हैं। जनवरी, 2013 से अध्येतावृत्ति प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी) योजना के माध्यम से संवितरित की जाती है (जहां अध्येतावृत्ति सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाती है)।

वर्ष 2017-18 के दौरान 43.65 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

6.3(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति

योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति की आयु के समीप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रतिभावान शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् तीन अतिरिक्त वर्षों तक सार्थक शोध कार्य जारी रखना तथा युवा शोधकर्ताओं एवं पीएचडी छात्रों के लिए निगरानीकर्ता की भूमिका निभाना है।

81 बीएसआर संकाय अध्येताओं को 3.1 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

6.3(vi) एमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके द्वारा उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में शोध कार्य करने का अवसर प्रदान करना है।

रिपोर्टाधीन वर्ष 2017-18 के दौरान अध्येताओं को भुगतान करने पर 10.03 करोड़ रुपए की राशि का व्यय हुआ।

तालिका 6.3(vi) : एमेरिटस अध्येतावृत्तियों के लाभार्थियों की संख्या तथा अध्येतावृत्ति पर किया गया व्यय

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
2012-13	120	3.14
2013-14	129	2.85
2014-15	189	4.92
2015-16	355	10.3
2016-17	200	11.69
2017-18	559	10.03

6.4 शोध अध्येतावृत्तियाँ (एम0फिल0/पी0एच0डी हेतु)

6.4 (i) भारतीय नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विज्ञान, मानविकी तथा समाज विज्ञान के क्षेत्र में शोध करने के लिए शोध विद्वानों को अध्येतावृत्तियों की पेशकश करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई अध्येतावृत्ति का उद्देश्य न केवल इन शोधकर्ताओं को वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करना है बल्कि उन्हें अत्यंत गंभीरता तथा स्वतंत्र रूप अपना डाक्टोरल शोध जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना भी है।

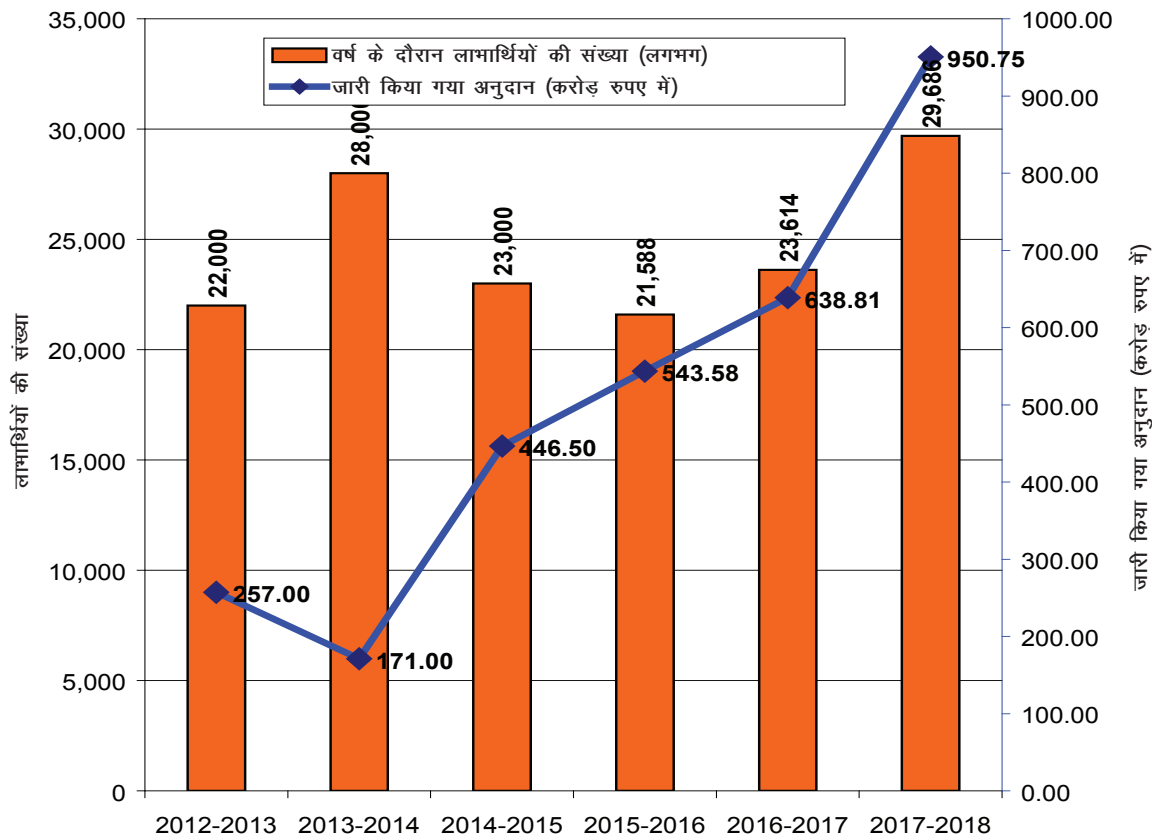
भारतीय नागरिकों के लिए विज्ञान, मानविकी तथा समाज विज्ञान विषयों में कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ (जेआरएफ) अवार्ड किया जाना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे अभ्यर्थियों को जेआरएफ प्रदान करता है जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट/जेआरएफ) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-सीएसआईआर संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसका उद्देश्य ऐसे विद्वानों को उच्च अध्ययन तथा शोध आरंभ करने का अवसर प्रदान किया जाए जिससे उन्हें भाषाओं सहित विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में एम.फिल./पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त हो सके।

दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से भुगतान किए गए अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:-

क्र.सं.	वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)	उपलब्ध स्लॉटों की संख्या (प्रतिवर्ष)	वर्ष के दौरान लाभार्थियों की संख्या (लगभग)
1.	2012-2013	257.00	8,800	22,000
2.	2013-2014	171.00	8,800	28,000
3.	2014-2015	446.50	8,800	23,000
4.	2015-2016	543.58	8,800	21,588
5.	2016-2017	638.81	8,800	23,614
6.	2017-2018	950.75	8,800	29,686

रेखाचित्र 6.4(i): वर्ष 2012-13 से 2017-18 के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ हेतु वर्षवार जारी किया गया अनुदान



वर्ष 2017-18 के दौरान विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में जेआरएफ के तहत 950.75 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। जेआरएफ के तहत प्रतिवर्ष 8800 स्लॉट हैं। वर्तमान में, 29,686 (लगभग) लाभार्थी जेआरएफ के तहत एम0फिल0/पी0एच0डी0 में अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिसम्बर, 2012 के बाद से सीधे जेआरएफ/एसआरएफ के खातों में ई-भुगतान करना आरंभ कर दिया है और 01 जुलाई, 2016 से पुराने सभी जेआरएफ/एसआरएफ अध्येतावृत्तियों का सीधे खाते में अंतरण कर भुगतान किया जा रहा है।

वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नवत उपलब्धियां रही हैं:-

1. सभी मामले प्रत्यक्ष लाभार्थी अंतरण के अंतर्गत आए हैं।
2. वर्ष के दौरान 24612 जेआरएफ/एसआरएफ को अध्येतावृत्ति भुगतान अंतरण किए गए हैं।

6.4(ii) विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) तथा शोध एसोशिएटशिप (आर.ए.)

एशिया/अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के विदेशी छात्र तथा शिक्षक, जो भारतीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों में एम.फिल./पी.एच.डी. करने के इच्छुक हैं, उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, चार वर्ष की अवधि के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति तथा शोध एसोशिएटशिप प्रदान करता है। वर्ष 2015-16 के दौरान कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति के लिए 58 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था तथा शोध एसोशिएटशिप के लिए 8 (निर्धारित अवधि की अध्येतावृत्ति) अभ्यर्थियों का चयन किया गया था।

वर्तमान में, इस योजना के तहत लगभग 60 विदेशी नागरिक पी.एच.डी./पोस्ट डाक्टोरल शोध कर रहे हैं।

कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति तथा शोध एसोशिएटशिप (विदेशी नागरिकों हेतु) को भुगतान किए गए अनुदानों का ब्योरा निम्नानुसार है

क्र. सं.	वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)	जेआरएफ + आरए हेतु उपलब्ध स्लॉटों की संख्या
1.	2012-2013	1.05	20+7
2.	2013-2014	0.42	20+7
3.	2014-2015	0.78	20+7
4.	2015-2016	0.97	20+7
5.	2016-2017	1.17	20+7
6.	2017-2018	1.07	20+7

वर्ष 2017-18 के दौरान जेआरएफ तथा आरए (विदेशी नागरिक) को 1.07 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया।

6.4(iii) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्षतावृत्तियां

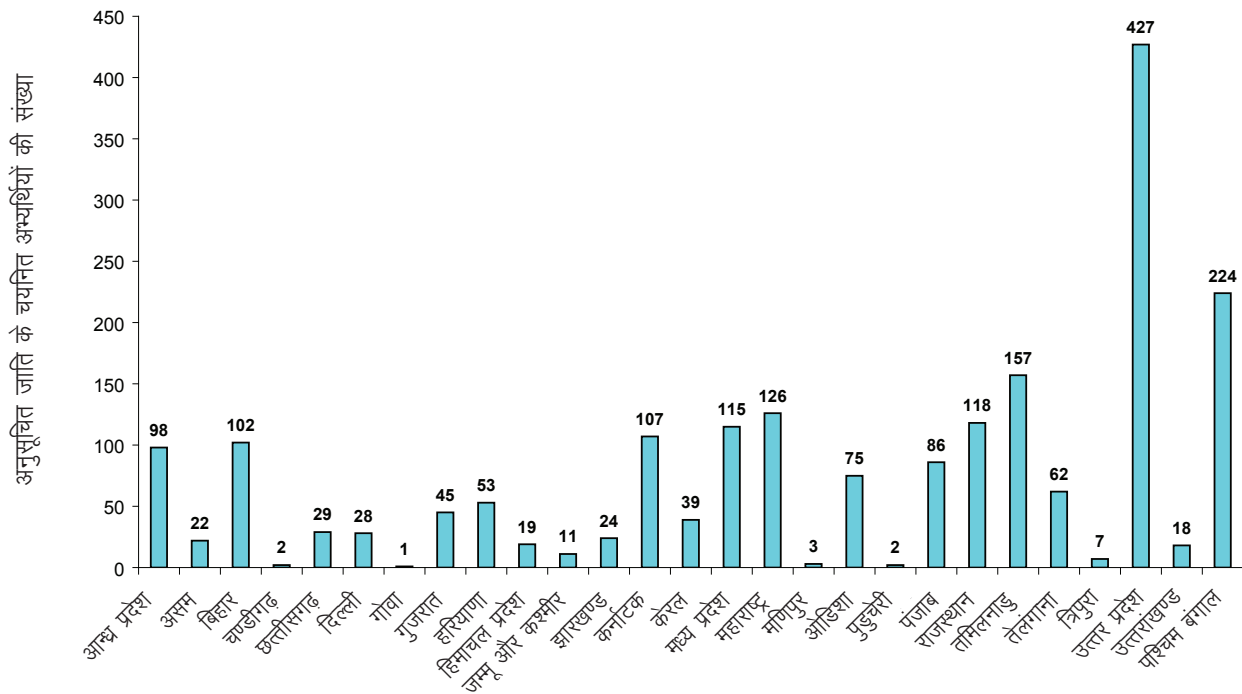
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2005 से अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रतिवर्ष 2000 स्लॉट उपलब्ध करवाकर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (जिसे पूर्व में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के नाम से जाना जाता था) को कार्यान्वित करने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है और इसे वित्तपोषित किया है ताकि उच्चतर शिक्षा में सामाजिक विषमता को कम किया जा सके। केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अनुसूचित जाति की श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है ताकि वे भाषाओं तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में उच्च अध्ययन तथा शोध कर सकें सकें ताकि वे एम0फिल0 तथा पी0एच0डी0 की उपाधि अर्जित कर सकें। इस अध्येतावृत्ति की अवधि पाँच वर्ष है।

तालिका 6.4(iii) : अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों की राज्यवार सूची को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से भारत सरकार के अनुसार-आबंटित स्लॉटों की संख्या	वर्ष (2017-18) के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	90	98
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	
3	अरुणाचल प्रदेश	0	
4	असम	22	22
5	बिहार	157	102
6	चण्डीगढ़	2	2
7	छत्तीसगढ़	29	29
8	दादरा और नागर हवेली	0	
9	दमन और द्वीव	0	
10	दिल्ली	28	28
11	गोवा	1	1
12	गुजरात	43	45
13	हरियाणा	49	53

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से भारत सरकार के अनुसार-आबंटित स्लॉटों की संख्या	वर्ष (2017-18) के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
14	हिमाचल प्रदेश	18	19
15	जम्मू और कश्मीर	9	11
16	झारखण्ड	38	24
17	कर्नाटक	103	107
18	केरल	38	39
19	लक्षद्वीप	0	
20	मध्य प्रदेश	110	115
21	महाराष्ट्र	119	126
22	मणिपुर	1	3
23	मेघालय	0	
24	मिजोरम	0	
25	नागालैण्ड	0	
26	ओडिशा	73	75
27	पुदुचेरी	2	2
28	पंजाब	84	86
29	राजस्थान	117	118
30	सिक्किम	0	
31	तमिलनाडु	142	157
32	तेलंगाना	58	62
33	त्रिपुरा	7	7
34	उत्तर प्रदेश	422	427
35	उत्तराखण्ड	18	18
36	पश्चिम बंगाल	220	224
	कुल	2000	2000

रेखाचित्र 6.4(iii): वर्ष 2017-18 के दौरान अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को अवार्ड की गई राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना की राज्य वार संख्या



वर्ष 2017-18 के लिए चयन, वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही किया गया था। रिपोर्टाधीन वर्ष 2017-18 के दौरान 215.98 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

6.4(iv) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रतिवर्ष 750 स्लॉट उपलब्ध करवाकर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना कार्यान्वित करने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है और इसे वित्तपोषित किया है ताकि उच्चतर शिक्षा में सामाजिक विषमता को कम किया जा सके। केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाती है ताकि वे भाषाओं तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में उच्च अध्ययन तथा शोध कर सकें ताकि वे एम0फिल0 तथा पी0एच0डी0 की उपाधि अर्जित कर सकें। इस अध्येतावृत्ति की अवधि पाँच वर्ष है।

वर्ष 2015-16 से अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को अध्येतावृत्ति अवार्ड करने हेतु स्लॉटों को 667 से बढ़ाकर 750 कर दिया गया है जिसमें पीवीटीजी और बीपीएल श्रेणी को प्राथमिकता दी गई है।

वर्ष 2017-18 तथा उसके पश्चात् चयन प्रक्रिया स्वयं जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा की जा रही है।

रिपोर्टाधीन वर्ष 2017-18 के दौरान चालू मामलों पर 28.18 करोड़ रुपए व्यय किया गया।

6.4(v) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्रतिवर्ष 756 स्लॉट उपलब्ध करवाकर केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् (i) मुस्लिम (ii) सिक्ख (iii) ईसाई (iv) बौद्ध (v) पारसी और (vi) जैन (वर्ष 2014 में सम्मिलित किया गया) के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को कार्यान्वित करने का कार्य वर्ष 2009 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा और इसे वित्तपोषित किया है। केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के चयनित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाती है ताकि वे भाषाओं तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में उच्च अध्ययन तथा शोध कर सकें ताकि वे एम0फिल0 तथा पी0एच0डी0 की उपाधि अर्जित कर सकें। इस अध्येतावृत्ति की अवधि पाँच वर्ष है।

तालिका 6.14 (v): अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत अध्येतावृत्ति अवार्ड करने हेतु स्लॉटों का राज्य-वार और समुदाय-वार संवितरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारत सरकार के अनुसार स्लॉटों का आवंटन और संवितरण						
		मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	कुल
1	आन्ध्र प्रदेश	12	3	X	X	X	X	15
2	अरुणाचल प्रदेश	X	X	X	X	X	X	4
3	असम	30	3	X	X	X	X	33
4	बिहार	50	X	X	X	X	X	50
5	छत्तीसगढ़	X	X	X	X	X	X	4
6	गोवा	X	X	X	X	X	X	4
7	गुजरात	18	2	X	X	2	1	23
8	हरियाणा	5	X	5	X	X	X	10
9	हिमाचल प्रदेश	X	X	X	X	X	X	4
10	जम्मू और कश्मीर	27	X	1	X	X	X	28
11	झारखण्ड	15	4	X	X	X	X	19
12	कर्नाटक	25	4	X	2	2	X	33
13	केरल	27	23	X	X	X	X	50
14	मध्य प्रदेश	16	2	1	1	4	X	24
15	महाराष्ट्र	33	4	1	19	4	1	62
16	मणिपुर	X	X	X	X	X	X	4
17	मेघालय	X	6	X	X	X	X	6
18	मिजोरम	X	X	X	X	X	X	4
19	नागालैण्ड	X	6	X	X	X	X	6

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारत सरकार के अनुसार स्लाटों का आवंटन और संवितरण						कुल
		मुस्लिम	इसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	
20	ओडिशा	5	5	X	X	X	X	10
21	पंजाब	3	2	49	X	X	X	54
22	राजस्थान	19	X	3	X	3	X	25
23	सिक्किम	X	X	X	X	X	X	4
24	तमिलनाडु	14	15	X	X	X	X	29
25	त्रिपुरा	X	X	X	X	X	X	4
26	उत्तर प्रदेश	102	2	3	1	3	X	111
27	उत्तराखंड	X	X	X	X	X	X	4
28	पश्चिम बंगाल	72	5	X	2	1	x	80
29	अंडमान और निकोबार	X	X	X	X	x	X	4
30	चंडीगढ़	X	X	X	X	X	X	4
31	दादरा और नगर हवेली	X	X	X	X	x	X	4
32	दमन और दीव	X	X	X	X	X	X	4
33	दिल्ली	8	2	2	X	1	X	13
34	लक्षदीप	X	X	X	X	X	X	4
35	पुदुचेरी	X	X	X	X	X	X	4
36	तेलंगाना	13	2	X	X	X	X	15
कुल योग		494	90	65	25	20	2	756

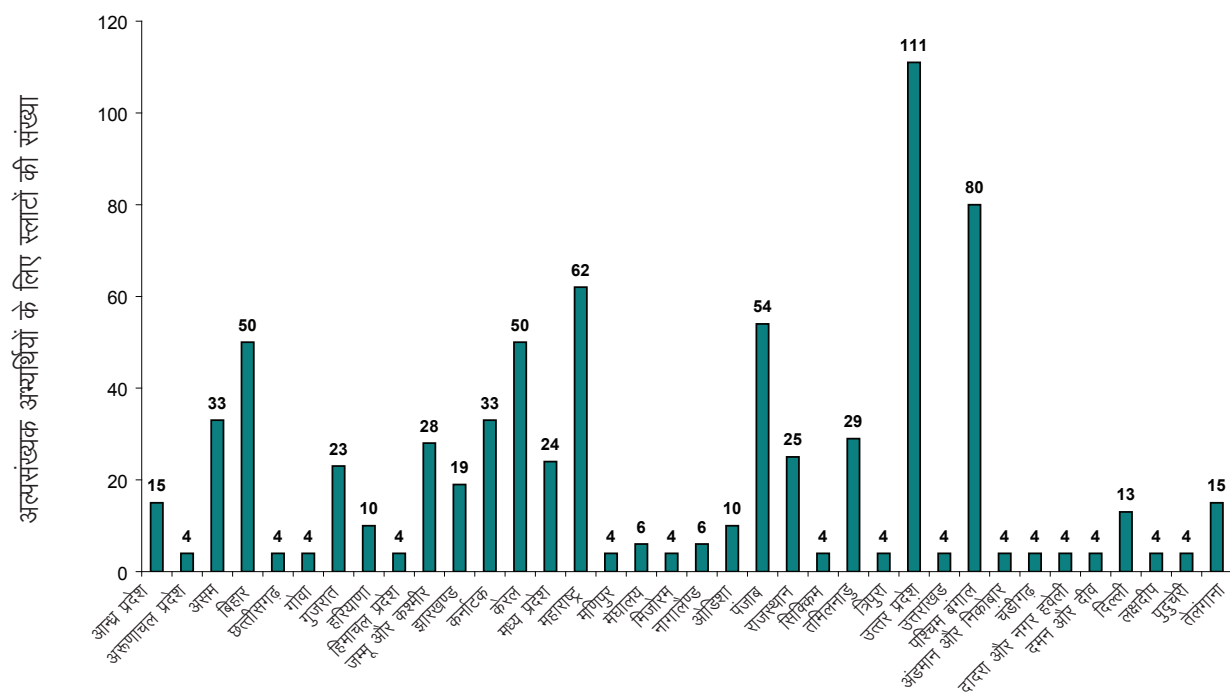
नोट: X = चार अध्येतावृत्तियों वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में समुदाय वार कोई संवितरण नहीं होगा। सभी आवेदनों को एक साथ मिलाकर निर्णय लिया जाएगा।

योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन होने के कारण रिपोर्टाधीन वर्ष 2017-18 के दौरान अध्येतावृत्ति के अवार्ड के लिए कोई चयन नहीं किया गया और ऐसी योजना को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी), भारत सरकार, नई दिल्ली पर डालने के लिए पहल की गई।

वर्ष 2017-18 के लिए चयन को वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही कर लिया गया।

रिपोर्टाधीन वर्ष 2017-18 के दौरान 97.45 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।

रेखाचित्र 6.4 (v) : अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत स्लाटों का राज्य वार चयन



6.4(vi) अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वित्तपोषित और कार्यान्वयन हेतु सौंपी गई योजना नामतः अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (रा0अ0) योजना को वर्ष 2014 से कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) के अभ्यर्थियों के लिए है जो विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी में पूर्णकालिक तथा नियमित एमफिल तथा पीएचडी उपाधि आदि उच्चतर अध्ययन करना चाहते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के शोध विद्वानों से सभी विषयों पर ऑनलाइन पद्धति से प्राप्त किए गए आवेदनों हेतु अध्येतावृत्ति अवार्ड करने हेतु 300 स्लॉट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के निशक्त श्रेणी के शोध विद्वानों को अध्येतावृत्ति अवार्ड करने हेतु 3 प्रतिशत स्लॉटों को आरक्षित करने का उपबंध है।

‘अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना’ के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी हेतु अध्येतावृत्ति के अवार्ड हेतु स्लाटों का संवितरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई अध्येतावृत्ति के अवार्ड हेतु स्लाटों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	12
2	अंडमान और निकोबार	1
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	23
5	बिहार	23
6	चंडीगढ़	1
7	छत्तीसगढ़	6
8	दादरा और नगर हवेली	1
9	दमन और दीव	1
10	दिल्ली	4
11	गोवा	2
12	गुजरात	13
13	हरियाणा	6
14	हिमाचल प्रदेश	2
15	जम्मू और कश्मीर	3
16	झारखण्ड	8
17	कर्नाटक	14
18	केरल	8
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	16
21	महाराष्ट्र	25
22	मणिपुर	2
23	मेघालय	0
24	मिजोरम	0
25	नागालैंड	0
26	ओडिशा	10
27	पुदुचेरी	2
28	पंजाब	6
29	राजस्थान	15
30	सिक्किम	2
31	तमिलनाडु	16

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई अध्येतावृत्ति के अवार्ड हेतु स्लाटों की संख्या
32	तेलंगाना	8
33	त्रिपुरा	3
34	उत्तर प्रदेश	45
35	उत्तराखण्ड	2
36	पश्चिम बंगाल	20
	कुल	300

योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन होने के कारण रिपोर्टाधीन वर्ष 2017-18 के दौरान अध्येतावृत्ति के अवार्ड के लिए कोई चयन नहीं किया गया और ऐसी योजना को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी), भारत सरकार, नई दिल्ली पर डालने के लिए पहल की गई है।

उपर्युक्त योजना स्कीम के अंतर्गत रिपोर्टाधीन वर्ष 2017-18 के दौरान **25.09 करोड़** रुपए का व्यय हुआ।

6.4 (vii) निशक्त छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वर्ष 2002 से निशक्त छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने हेतु अवसरों में वृद्धि करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, निशक्तता कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ने **निशक्त छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति** की योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व सौंपा है, जिससे वे एम.फिल. और पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त कर सकें। यह योजना, 01 अप्रैल, 2012 से लागू है। सभी विषयों हेतु प्रत्येक वर्ष 200 स्लॉट हैं जिसमें निशक्त छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना के तहत अध्येतावृत्ति अवार्ड करने के लिये अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 7½ प्रतिशत आरक्षण का उपबंध है।

तालिका 6.4 (vii) : निशक्त छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना के तहत अध्येतावृत्ति के अवार्ड हेतु राज्यवार स्लाटों का संवितरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	भारत सरकार के अनुसार स्लाटों के आबंटन की संख्या*
1	आन्ध्र प्रदेश	11
2	अंडमान और निकोबार	1
3	अरुणाचल प्रदेश	1
4	असम	5
5	बिहार	15
6	चंडीगढ़	1
7	छत्तीसगढ़	4
8	दादरा और नगर हवेली	1
9	दमन और दीव	1
10	दिल्ली	2
11	गोवा	1
12	गुजरात	9
13	हरियाणा	4
14	हिमाचल प्रदेश	2
15	जम्मू और कश्मीर	3
16	झारखण्ड	4
17	कर्नाटक	8
18	केरल	7

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	भारत सरकार के अनुसार स्लाटों के आबंटन की संख्या*
19	लक्षद्वीप	1
20	मध्य प्रदेश	12
21	महाराष्ट्र	13
22	मणिपुर	1
23	मेघालय	1
24	मिजोरम	1
25	नागालैंड	2
26	ओडिशा	8
27	पुदुचेरी	1
28	पंजाब	4
29	राजस्थान	12
30	सिक्किम	2
31	तमिलनाडु	14
32	तेलंगाना	
33	त्रिपुरा	1
34	उत्तर प्रदेश	30
35	उत्तराखण्ड	2
36	पश्चिम बंगाल	15
कुल		200

योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन होने के कारण रिपोर्टाधीन वर्ष 2017-18 के दौरान अध्येतावृत्ति के अवार्ड के लिए कोई चयन नहीं किया गया और ऐसी योजना को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी), भारत सरकार, नई दिल्ली पर डालने के लिए पहल की गई।

चयनित अभ्यर्थियों को अनुदान का भुगतान स्वयं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, निशक्तता कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है।

6.4 (viii): सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका अध्येतावृत्ति

महिलाओं की शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचारों को ध्यान में रखते हुए और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामाजिक विज्ञान में शोध के लिए स्वामी विवेकानंद एकल महिला बालिका अध्येतावृत्ति को आरंभ किया है ताकि उच्चतर शिक्षा की प्रत्यक्ष लागत, की विशेषरूप से ऐसी बालिकाओं के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके, जो केवल अपने परिवार की केवल एकल बालिकाएं हैं।

योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन होने के कारण रिपोर्टाधीन वर्ष 2017-18 के दौरान अध्येतावृत्ति के अवार्ड के लिए कोई चयन नहीं किया गया और ऐसी योजना को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी), भारत सरकार, नई दिल्ली पर डालने के लिए पहल की गई है।

वर्ष 2017-18 के दौरान 4.7 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। वर्ष 2017-18 के दौरान योजना के तहत 150 लाभार्थी थे।

6.4 (ix) बी0एस0आर0 अध्येतावृत्तियां (आरएफएसएमएस)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 'विज्ञान में प्रतिभावान छात्रों हेतु शोध अध्येतावृत्ति, "बीएसआर अध्येतावृत्ति योजना" ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना में पहले ही दी गई प्रक्रिया के माध्यम से विश्वविद्यालय के पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण हेतु चयनित हैं। बीएसआर योजना का उद्देश्य विज्ञान में पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिये उच्च अध्ययन

तथा शोध आरंभ करने हेतु प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अवसर उपलब्ध कराना है। बीएसआर अध्येतावृत्ति को वर्ष 2006 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- नेट अध्येतावृत्ति के साथ आमेलित कर दिया गया है।

अभ्यर्थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय/उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र/उच्च अध्ययन केन्द्र तथा विशेष सहायता विभाग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना में पहले ही दी गई प्रक्रिया के माध्यम से नियमित प्रवेश प्रक्रिया द्वारा विश्वविद्यालय के पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण करवाने हेतु चयनित हैं। प्रवेश के उपरांत पीएचडी हेतु पंजीकरण किया जायेगा। आज तक, सैप/गैर-सैप विभागों को 9355 अध्येतावृत्तियां आवंटित की गई हैं तथा 3775 कनिष्ठ शोध अध्येता कार्यरत हैं। दिसम्बर, 2013 से अध्येतावृत्तियां सीधे ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के माध्यम से संवितरित की जाती है (जिसमें अध्येतावृत्ति की राशि का सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरण किया जाता है)

वर्ष 2017-18 के दौरान 122.35 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

6.5 (i) पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

समाज के वंचित वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन का अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया है। उपाधि पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर इन छात्रवृत्तियों की अवधि दो/तीन वर्ष है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वर्गों के प्रत्याशियों के लिए स्लॉटों की संख्या प्रतिवर्ष 1000 है।

योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन होने के कारण रिपोर्टाधीन वर्ष 2017-18 के दौरान अध्येतावृत्ति के अवार्ड के लिए कोई चयन नहीं किया गया और ऐसी योजना को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी), भारत सरकार, नई दिल्ली पर डालने के लिए पहल की गई है।

वर्ष 2017-18 के दौरान 2578 लाभार्थी कार्यरत थे।

रिपोर्टिंग वर्ष 2017-18 के दौरान 3.21 करोड़ रुपए की राशि का व्यय हुआ।

6.5 (ii) एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

भारत सरकार द्वारा महिलाओं के स्तर को उठाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा मूलभूत शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाना शामिल है। इंदिरा गांधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना भी एक ऐसी ही योजना है जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए किए गए प्रत्यक्ष व्यय की प्रतिपूर्ति की जाए, विशेषरूप से ऐसी बालिकाओं के मामले में जोकि अपने-अपने परिवारों में एकमात्र संतान हैं।

इस योजना के उद्देश्य गैर-पेशेवर पाठ्यक्रमों में एकमात्र बालिका संतान के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए समर्थन तथा छोटे परिवार के मानदण्ड के महत्व को पहचान प्रदान करना है।

वर्ष 2017-18 के लिए चयन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

वर्ष 2017-18 के दौरान योजना के तहत 11532 लाभार्थी कार्यरत थे।

रिपोर्टाधीन वर्ष 2017-18 के दौरान 11.13 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

6.5 (iii) स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति

प्रतिभावान छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में समुचित प्रोत्साहन उपलब्ध करवाकर स्नातकोत्तर शिक्षा पद्धति के तहत शिक्षा प्राप्त करने हेतु आकर्षित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय में स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय रैंक धारकों हेतु स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति को आरंभ तथा कार्यान्वित किया है।

छात्रवृत्ति की अवधि 2 वर्ष होगी ताकि प्रत्येक विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले स्नातक स्तर के छात्र निष्णात उपाधि को जारी रख सकें। सभी विश्वविद्यालयों/उपाधि प्रदान करने वाले संस्थानों को बी.ए., बी.एस.सी. और बी.कॉम में सामान्य एवं ऑनर्स पाठ्यक्रमों में, संपूर्ण विश्वविद्यालय (महाविद्यालय के स्तर के अलावा) में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ताओं को सभी सम्बद्ध विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा रैंक संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने होंगे।

केवल उन सबद्ध विश्वविद्यालयों से रैंक धारकों पर विचार किया जाएगा जहां कम से कम 100 छात्र हैं और सम विश्वविद्यालयों/स्वायत्त/गैर-संबद्ध महाविद्यालयों में जहां कम से कम 25 छात्र स्नातकपूर्व स्तर पर परीक्षा में बैठे हों।

ब्योरा	छात्रवृत्ति की दर	छात्रवृत्ति की अवधि
छात्रवृत्ति	3,100/-रुपये प्रतिमाह की दर से	केवल दो वर्ष (केवल 20 माह) अर्थात् पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए

वर्ष 2017-18 के लिए चयन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

वर्ष 2017-18 के दौरान योजना के तहत 3842 लाभार्थी कार्यरत थे।

रिपोर्टाधीन वर्ष, 2017-18 के दौरान 2.71 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

6.5 (iv) गेट अर्हता प्राप्त एम.ई./एम.टेक./एम.फार्मा छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गेट/जीपीएटी अर्हता प्राप्त एम.ई./एम.टेक./एम. फॉर्मा पाठ्यक्रमों और समेकित दोहरी उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को लागू कर रहा है। योजना का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी शिक्षा को जारी रखने हेतु प्रतिभावान स्नातक उपाधि धारक युवा छात्रों को आकर्षित करने में मदद करना है।

योजना के आरंभ से तकनीकी कार्यक्रमों को चलाने वाले विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता हेतु प्रतिवर्ष 1200 छात्रवृत्तियों के लिये दावा प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान लाभार्थियों की संख्या

वित्त वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
2017-18	1001

रिपोर्टाधीन वर्ष 2017-18 के दौरान 23.38 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियां

6.6 (i) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए “ईशान उदय” नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विशेष रुचि दिखाई है। जीईआर में वृद्धि करने तथा उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा सत्र 2014-15 से उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु एक विशेष छात्रवृत्ति योजना “ईशान उदय” को आरंभ करने का निर्णय लिया है। योजना आरंभ करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकार तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय, उत्तर-पूर्व परिषद् शिलांग तथा अन्य हितधारकों के साथ व्यापक रूप से परामर्श किया।

वित्तीय सहायता का स्वरूप निम्नवत है:-

क्र. सं.	ब्योरा	दिनांक 01.12.2014 से छात्रवृत्ति की दर	छात्रवृत्ति की अवधि
1.	छात्रवृत्ति की राशि (सामान्य उपाधि के कार्यक्रमों के लिए)	5,400/- रुपए प्रतिमाह	स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए
2.	छात्रवृत्ति की राशि (चिकित्सीय और अर्ध-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों सहित तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों हेतु)	7,800/- रुपए प्रतिमाह	

तालिका 6.6 (i) : वर्ष 2017-18 के लिए 'उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु "ईशान उदय" नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना' के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने के संबंध में राज्य वार संवितरण

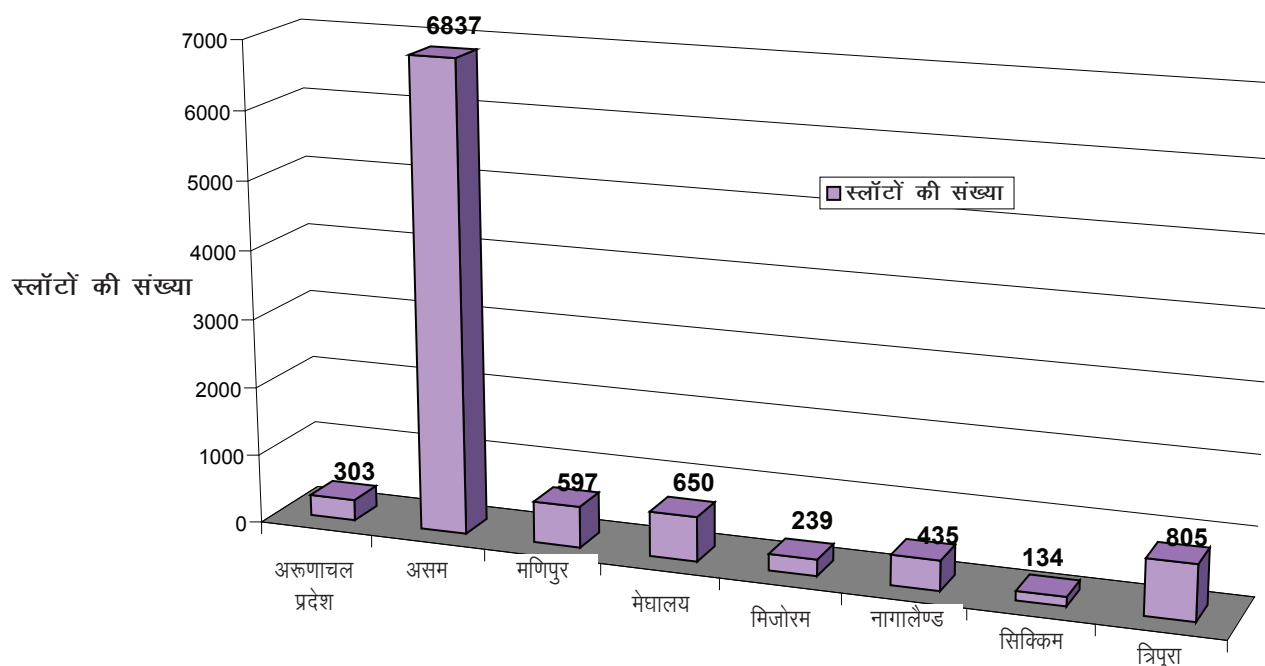
क्र. सं.	राज्य	स्लॉटों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	303
2	असम	6837
3	मणिपुर	597
4	मेघालय	650
5	मिजोरम	239
6	नागालैण्ड	435
7	सिक्किम	134
8	त्रिपुरा	805
कुल		10000

वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से चयन किया जाएगा।

वर्ष 2017-18 के दौरान योजना के तहत 20682 लाभार्थी थे।

रिपोर्टाधीन वर्ष, 2017-18 के दौरान 61.1 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

रेखाचित्र 6.6 (i): 'उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए "ईशान उदय" नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना' के तहत राज्यवार स्लॉटों की संख्या



6.1 से 6.6: वृहद शोध परियोजना, शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक, पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति, शोध अध्येतावृत्ति, स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति, स्नातकपूर्व छात्रवृत्ति योजनाओं का ब्योरा

क्रम सं.	योजना का नाम	योजना को प्रारंभ करने का वर्ष	प्रतिवर्ष स्लॉटों की संख्या	अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति की अवधि	लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 2017-18 के दौरान जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)
6.1	शिक्षकों हेतु वृहद शोध परियोजनाएं				1422	23.58
6.2	शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक					
6.2(i)	शोध अवार्ड		100	दो वर्ष	140	15.57
6.2(ii)	शोध वैज्ञानिक*	1983			57	2.88

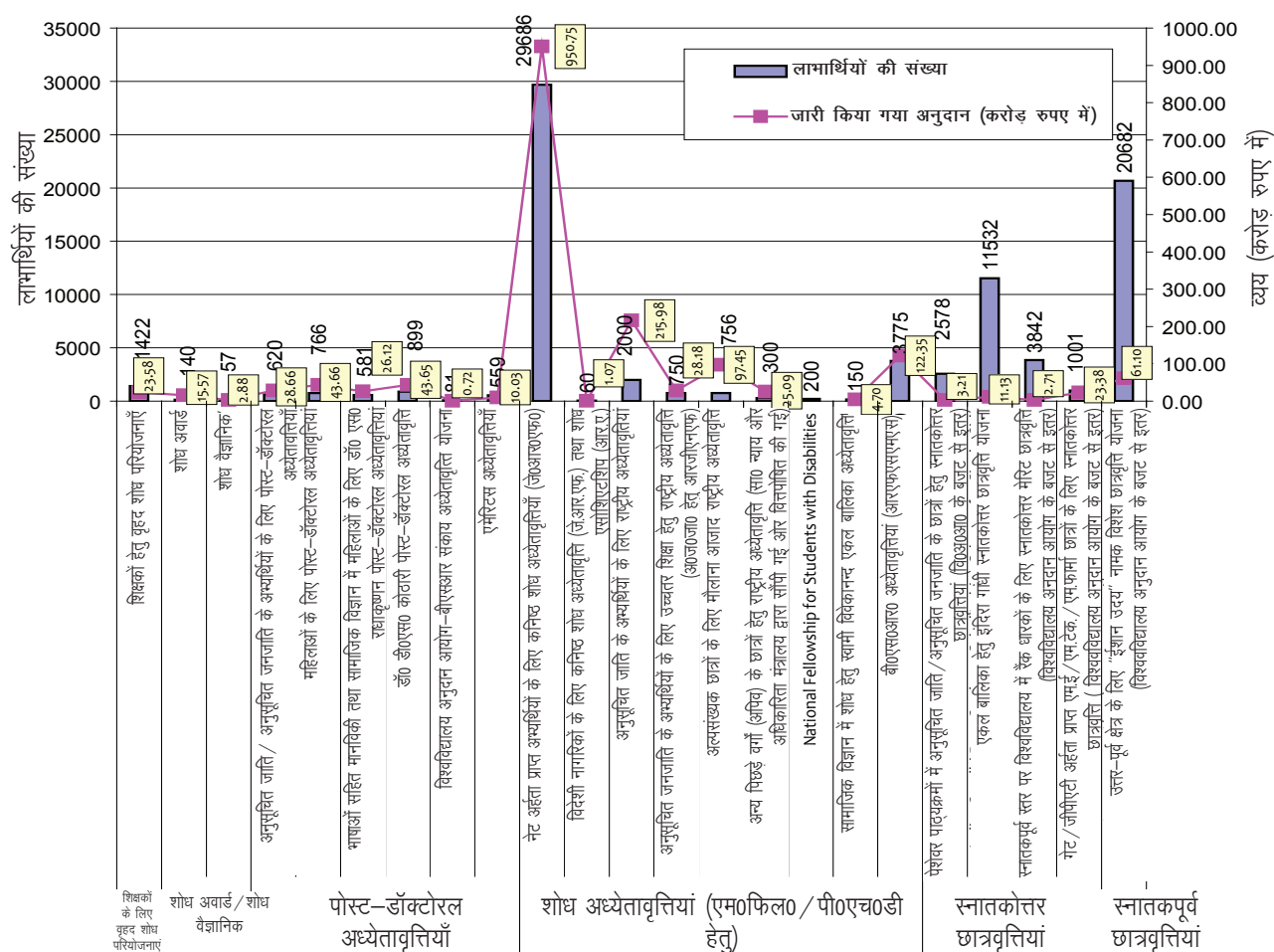
क्रम सं.	योजना का नाम	योजना को प्रारंभ करने का वर्ष	प्रतिवर्ष स्लॉटों की संख्या	अध्येतावृत्ति / छात्रवृत्ति की अवधि	लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 2017-18 के दौरान जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)
6.3 पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ						
6.3(i)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ	2006-07	100	पांच वर्ष	620	28.66
6.3(ii)	महिलाओं के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ	1998	100	पांच वर्ष	766	43.66
6.3(iii)	भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में महिलाओं के लिए डॉ० एस० राधाकृष्णन पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ	2014-15	200	तीन वर्ष	581	26.12
6.3(iv)	डॉ० डी०एस० कोठारी पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	2008-2009	500	तीन वर्ष	899	43.65
6.3(v)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति योजना	2010-11	(कोई अधिकतम सीमा नहीं)	तीन वर्ष	81	3.1
6.3(vi)	एमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ		किसी एक दिए गए समय पर दो वर्षों के लिए 200	दो वर्ष	559	10.03
6.4 शोध अध्येतावृत्तियाँ (एम०फिल० / पी०एच०डी हेतु)						
6.4(i)	नेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ (जे०आर०एफ०)	1957-58	8800	पांच वर्ष	29686	950.75
6.4(ii)	विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) तथा शोध एसोशिएटशिप (आर.ए.)	1957-58	20+7	चार वर्ष	60	1.07
6.4(iii)	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ	2005-2006	2000	पांच वर्ष	2000\$	215.98
6.4(iii) (क)	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (अ०ज०जा० हेतु आरजीएनएफ)	2005-06	750	पांच वर्ष	750\$	28.18
6.4(iv)	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (वर्ष 2009-2010 से आरंभ की गई नई योजना, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित की गई है)	2009-2010	756	पांच वर्ष	756\$	97.45
6.4(v)	अन्य पिछड़े वर्गों (अपिब) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सौंपी गई और वित्तपोषित की जाती है)	2014-15	300	पांच वर्ष	300\$	25.09
6.4(vi)	निशक्त छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निशक्तता विभाग द्वारा सौंपी गई और वित्तपोषित की गई)	2012-13	200	पांच वर्ष	200\$	
6.4(vii)	सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका अध्येतावृत्ति	2014-15	300	चार से पांच वर्ष	150	4.7
6.4(viii)	बी०एस०आर० अध्येतावृत्तियाँ (आरएफएसएमएस)	2006-07	1500	पांच वर्ष	3775	122.35
6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ						
6.5(i)	पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट से)	2006-07	1000	दो / तीन वर्ष	2578	3.21

क्रम सं.	योजना का नाम	योजना को प्रारंभ करने का वर्ष	प्रतिवर्ष स्लॉटों की संख्या	अध्येतावृत्ति/ छात्रवृत्ति की अवधि	लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 2017-18 के दौरान जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)
6.5(ii)	एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	2005-07	कोई सीमा नहीं	दो वर्ष	11532	11.13
6.5(iii)	स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट से)	2005-07	3000	दो वर्ष	3842	2.71
6.5(iv)	गेट/जीपीएटी अर्हता प्राप्त एम.ई./एम. टेक./एम.फार्मा छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट से)	लंबे समय से	1500	दो/ तीन वर्ष	1001	23.38
6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियाँ						
6.6(i)	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए "ईशान उदय" नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट से)	2014-15	10000	स्नातकपूर्व स्तर की पूर्ण अवधि के लिए	20682	61.1

\$ प्रति वर्ष स्लॉटों की संख्या

* योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बंद कर दिया गया है, केवल पुराने मामलों को ही वित्तपोषित किया जा रहा है। वर्तमान में, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में 57 शोध वैज्ञानिक कार्यरत हैं।

रेखाचित्र 6.1 से 6.6: वर्ष 2017-18 के दौरान लाभार्थियों की योजना-वार संख्या और किया गया व्यय (करोड़ रुपए में):



कृत्वबल की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिकार प्राप्त समिति के मार्गदर्शन में निम्नवत योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

6.9 (i) फ़ैकल्टी रीचार्ज प्रोग्राम (एफआरपी)

‘ऑपरेशन फ़ैकल्टी रीचार्ज’ को वर्ष 2011 में आरंभ किया गया है जिसके तहत 1000 संकाय के पदों का सृजन किया गया है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक विज्ञापन द्वारा भरा गया। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु जेएनयू में एक प्रकोष्ठ की भी स्थापना की जा चुकी है जिसमें प्रो० आर० पी० गांधी राष्ट्रीय समन्वयक तथा प्रो० सुदेश नागिया सहायक समन्वयक नियुक्त किये गये हैं। अब, एफआरपी प्रकोष्ठ को बीएसआर अनुभाग के साथ आमेलित कर दिया गया है। वर्तमान में, 373 संकाय अर्थात् आचार्य/सहायक आचार्य/सह आचार्यों का चयन किया जा चुका है जिसमें से 160 ने कार्य ग्रहण कर लिया है।

संकायों अर्थात् आचार्य/सहायक आचार्य/सह-आचार्य की नियुक्ति का कार्यकाल 5 वर्ष है जिसके पश्चात् सहकर्मी समीक्षा (पीयर-रीव्यू) की जायेगी। सैद्धांतिक रूप में “फ़ैकल्टी रीचार्ज” पदों को अधिवर्षिता की आयु (65 वर्ष) तक जारी रखा जा सकता है। पांच वर्ष के प्रत्येक कार्यकाल में मध्यावधि मूल्यांकन का उपबंध है।

वित्तीय सहायता: वेतन: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संकाय को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संकाय के समकक्ष परिलब्धियां प्राप्त होती हैं। **अतिरिक्त अनुदान:** संकाय पदधरियों को शोध हेतु 10.00 लाख रुपये तक का स्टार्ट-अप अनुदान प्राप्त होता है।

वर्ष अर्थात् 2017-18 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों से चयनित 122 चयनित संकायों को वेतन तथा स्टार्ट-अप अनुदान के लिए 12.95 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

आयोग ने दिनांक 2 सितम्बर, 2016 को हुई बैठक में आधारभूत वैज्ञानिक शोध की योजना के तहत भविष्य में एफआरपी को वापस लेने का संकल्प पारित किया।

6.9 (ii) नेटवर्किंग शोध केन्द्र: समर-विंटर स्कूल

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ नेटवर्किंग शोध केन्द्र की स्थापना की गई:

1. समय-समय पर चर्चा, कार्यशाला तथा ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन विद्यालयों के माध्यम से संकाय तथा शोध विद्वानों का शोध प्रशिक्षण तथा कौशल विकास।
2. संकाय एवं विभागों को उनके शोध कौशल में वृद्धि करने तथा उन्हें परामर्श प्रदान करने के लिए क्षमता निर्माण।
3. महत्वपूर्ण प्रयोग करने के लिए अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से शोधकर्ताओं को आमंत्रित करना तथा उन्हें सुविधा प्रदान करना।
4. अन्य संस्थानों/शोधकर्ताओं को गुणवत्तायुक्त शोध जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए विभाग की सूचना संसाधन सुविधा में वृद्धि करना।
5. विभाग के भीतर अत्याधुनिक शोध अवसंरचना तथा अन्य शोध सुविधाओं में वृद्धि करना तथा उनका निर्माण करना।

बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत नेटवर्किंग शोध केन्द्रों की स्थापना के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निम्नवत 10 विभागों को अनुमोदित किया गया है :

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विभाग	स्थापना का वर्ष
1.	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	जीव विज्ञान	2008
2.	कोलकाता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	रेडियो भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स	2008
3.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	रसायन	2008
4.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु	पदार्थ अभियांत्रिकी	2008
5.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई	रसायन अभियांत्रिकी	2008
6.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु	जीव विज्ञान का एक प्रभाग	2008
7.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	भेषज विज्ञान	2008
8.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	भौतिकी	2008

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विभाग	स्थापना का वर्ष
9.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	स्कूल ऑफ लाईफ साइंस	2008
10.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	भौतिकी	2014–2015

मूलभूत वैज्ञानिक शोध कार्यक्रम के तहत दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रथम चरण में 6 विश्वविद्यालयों/संस्थानों में 10 नेटवर्किंग संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गई है।

अधिकार प्राप्त समिति ने नेटवर्किंग संसाधन केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों/प्रस्तुतियों की संवीक्षा की है साथ ही प्रथम चरण के दौरान नेटवर्किंग संसाधन केन्द्रों के निष्पादन के आधार पर द्वितीय चरण के लिए 8 केन्द्रों को भी अनुमोदित किया।

क्रम संख्या	केन्द्रों का नाम	द्वितीय चरण के लिए आबंटित अनुदान (करोड़ रुपए में)
1.	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, तमिलनाडु में जीव विज्ञान में वि०अ०आ०-एन०आर०सी०	10.00
2.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद में रसायन विषय में वि०अ०आ०-एन०आर०सी०	10.00
3.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में भेषज विज्ञान में वि०अ०आ०-एन०आर०सी०	5.00
4.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में जीव विज्ञान में वि०अ०आ०-एन०आर०सी०	5.00
5.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु में जीव विज्ञान के विषय में वि०अ०आ०-एन०आर०सी०	10.00
6.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु में पदार्थ विज्ञान विषय में वि०अ०आ०-एन०आर०सी०	10.00
7.	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में भौतिक विज्ञान (रेडियो भौतिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स) में वि०अ०आ०-एन०आर०सी०	10.00
8.	रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई में रसायन विज्ञान में वि०अ०आ०-एन०आर०सी०	10.00

वर्ष 2017–18 के दौरान उपर्युक्त केन्द्रों के लिए कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

6.9 (iii) भर्ती हुए नये संकाय सदस्यों हेतु 'स्टार्ट-अप' अनुदान

इस योजना के तहत ऐसे सभी शिक्षक पात्र हैं, जो सहायक आचार्य के पद पर नये भर्ती हुए हों और जो पी०एच०डी० उपाधि धारक हों तथा जिनके अनुमोदित/उद्धृत जर्नलों में कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित हो चुके हों। विश्वविद्यालय की विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए मूलभूत विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संकायों में स्थायी पद के समक्ष विभाग/विश्वविद्यालयों में कार्यग्रहण करने की तिथि से छह माह के भीतर की अवधि के भीतर आवेदन करने वाले सहायक आचार्य, योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

- क) इस योजना के तहत सहायता की सीमा 10 लाख रुपए है।
- ख) अनुदान का उपयोग छोटे सामान, उपभोज्य सामग्रियों को क्रय करने, आकस्मिकताओं (अधिकतम 50,000/- प्रतिवर्ष), क्षेत्र कार्य (अधिकतम 50,000/- प्रतिवर्ष), यात्रा आदि के लिए किया जा सकता है।
- ग) अनुदान का उपयोग अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने के लिए अथवा परियोजना सहायक या शोध अध्येता की नियुक्ति के लिए नहीं किया जा सकता है।
- घ) इन शीर्षों के तहत निधियों की प्रमात्रा के बारे में प्रधान अन्वेषक द्वारा उसकी आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के 180 नए नियुक्त संकाय सदस्यों को 14.07 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

6.9 (iv) बीएसआर कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को 'मिड करियर अवार्ड'

मिड करियर अवार्ड योजना के तहत, एक शिक्षक को शोध कार्य करने के लिए 10 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं। अनुदान का उपयोग लघु उपकरणों, रसायनों, आकस्मिकताओं और क्षेत्र कार्यों के लिए किया जा सकता है।

शिक्षकों को एकमुश्त अनुदान देने का उद्देश्य उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में शोध को जारी रखने में मदद देना है। न्यूनतम पात्रता मानदंड निम्नानुसार है :-

- क) आवेदक ने सफलतापूर्वक 15 पूर्णकालिक अभ्यर्थियों के 05 पीएचडी शोध ग्रंथों की निगरानी की हो। जिनमें से 5 अभ्यर्थियों को पिछले 5 वर्षों में उपाधि प्राप्त हुई हो।
- ख) आवेदक ने राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय सरकार या निजी एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित कम से कम 5 प्रायोजित शोध परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
- ग) आवेदक द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को विश्वविद्यालय में कम से कम 3 वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए।
- घ) आवेदक द्वारा प्रकाशित पत्रों का संचयी प्रभाव कारक ≥ 30 होना चाहिए (थॉमसन रायटर्स के जर्नल उद्धरण रिपोर्ट के अनुसार)।

विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अपना शोध जारी रखने वाले 27 शिक्षकों को 2.32 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

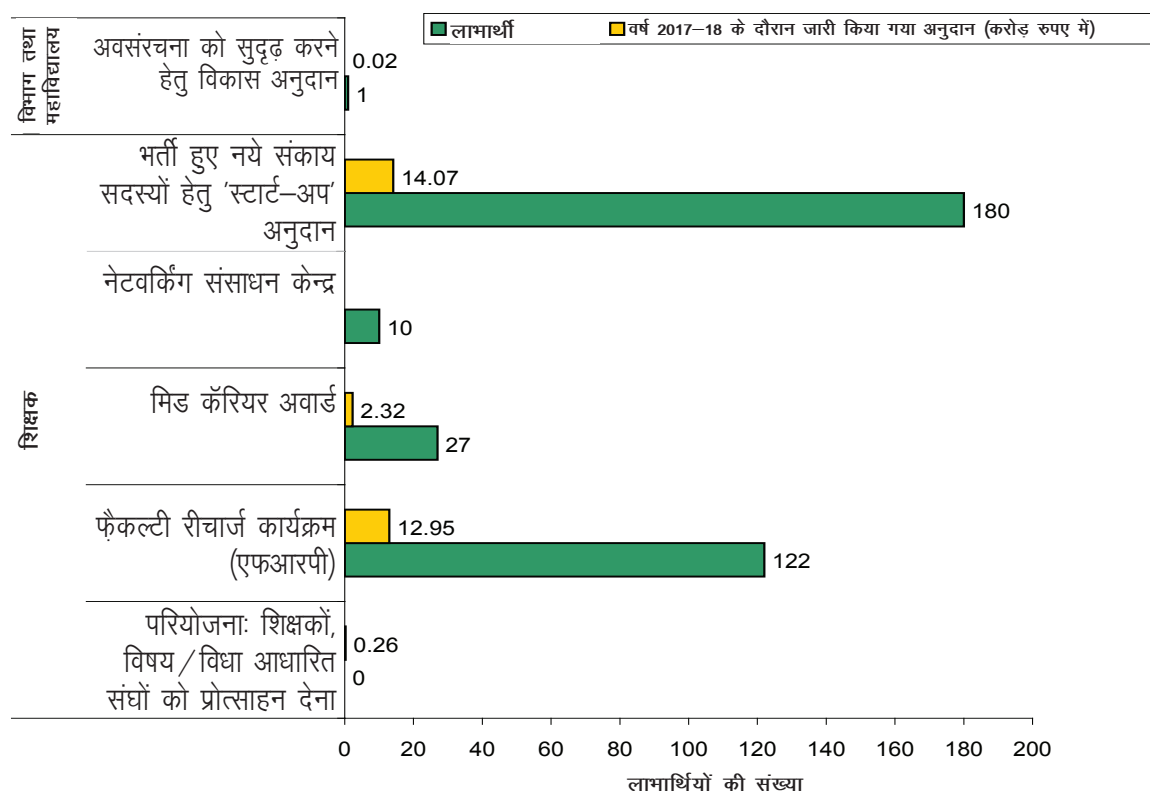
6.9 (v) महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विकास अनुदान

शोध में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान तथा अभियांत्रिकी विज्ञान के स्नातकोत्तर स्तर पर शोध सहित अन्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अपेक्षित ऊर्जा आपूर्ति, जलापूर्ति, सुरक्षा उपकरणों, प्रयोगशालाओं, कार्य करने हेतु मेज़ और अपेक्षित अन्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों विभागों को विकास अनुदान उपलब्ध करवाया गया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान एक विश्वविद्यालय के एसएपी-डीआरएस विभाग को अवसंरचनात्मक विकास अनुदान के रूप में 2.00 लाख रुपए का अनुदान जारी किया गया।

दिनांक 03 सितंबर, 2015 को आयोजित अपनी 71 वीं बैठक में अधिकार प्राप्त समिति ने विभिन्न बीएसआर योजनाओं के तहत अवसंरचनात्मक अनुदान को बंद करने का निर्णय लिया है।

रेखाचित्र 6.7 से 6.10 : वर्ष 2017-18 के दौरान शोध संवर्धन हेतु लाभार्थियों को जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)



► लिंग तथा सामाजिक समानता

- ❖ 7.1 भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास
- ❖ 7.2 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा निशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम
- ❖ 7.3 छात्र प्रवेश
- ❖ 7.4 छात्रावास में निवास कर रहे छात्र
- ❖ 7.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अनुशिक्षण योजनाएं
- ❖ 7.6 उच्चतर शिक्षा में श्रेणी-वार छात्र नामांकन
- ❖ 7.7 निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं
- ❖ 7.8 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ
- ❖ 7.9 विश्वविद्यालयों में सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशन की नीति के अध्ययन के लिए केन्द्रों की स्थापना

7.1 भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास

योजना के निम्नवत उद्देश्य हैं:-

- (i) शिक्षण, शोध तथा क्षेत्र कार्यवाही के माध्यम से महिला अध्ययन के विस्तार हेतु महिला अध्ययन केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- (ii) सामाजिक परिवर्तन, विकास तथा शोषण की प्रक्रियाओं के संबंध में महिलावादी दृष्टिकोण को उजागर करते हुए समाज के संबंध में शोध को बढ़ाने के लिए अंतर विषयक पद्धति तथा सिद्धांत को समझना।
- (iii) क्षेत्र कार्यवाही कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र की वास्तविकता के साथ लगातार संपर्क को बढ़ावा देना जिससे इसका उपयोग अकादमिक क्रियाकलापों में किया जा सके।

वर्तमान में, विभिन्न विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में “भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययन के विकास की योजना” के तहत 161 महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गई है।”

- आयोग की दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, ऐसे संस्थानों को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा जिनकी निष्पादन समीक्षा अभी प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से दिनांक 30 सितम्बर, 2017 के दौरान 6.62 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

7.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग के अलावा), अल्पसंख्यकों तथा निशक्त व्यक्तियों हेतु कार्यक्रम

भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों तथा विश्वविद्यालय/संस्थान में सभी स्तरों पर सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की सतत रूप से निगरानी कर रहे हैं।

भारत सरकार की नीति के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा, केन्द्र द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालय/समविश्वविद्यालयों को सहायक आचार्य, सह आचार्य तथा आचार्य के पद पर अनुसूचित जातियों को 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों को 7.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना अनिवार्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा शिक्षण पदों पर केवल सहायक आचार्य के स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देना अनिवार्य है।

केन्द्र द्वारा वित्तपोषित सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान अपने संबंधित संस्थानों में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के आदेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। राज्य विश्वविद्यालय तथा उनके घटक/संबद्ध महाविद्यालय तथा अन्य संस्थान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथा विहित आरक्षण के प्रतिशत का पालन करेंगे।

भारत सरकार ने एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 1 अक्टूबर, 2013 के पत्र संख्या 9-21/2012-एससी/एसटी के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस मामले में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया था और दिनांक 8 फरवरी, 2018 को आयोजित 529वीं बैठक में आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था और उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिनांक 11 अप्रैल, 2018 के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 1-19/2015 (एससीटी) के माध्यम से लिए एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी ब्यूरो को भेजा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एससी और एसटी निधियों के प्रबंधन के लिए अलग-अलग बैंक खाते खोले हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एफए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में इसके लिए एक निगरानी समिति भी गठित की है।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में एक समिति गठित की थी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यथावत् बनाए रखने और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिए गए परामर्श और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 फरवरी, 2018 के अपने अर्ध शासकीय पत्र संख्या 1-7/2017-सीयू.वी के माध्यम से सूचित किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार विभाग द्वारा दिनांक 25 जून, 2013 के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 12-60/2013-यूआई को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश, 2006 के अनुरूप संशोधित किया गया है, जो निम्नानुसार हैं: -

- (i) धारा 6 (ग) - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के मामले में सभी विश्वविद्यालय, समविश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा अन्य अनुदान सहायता प्राप्तकर्ता संस्थान तथा केन्द्र, शिक्षकों के सभी स्तरों, जैसा लागू हो, के लिए विभाग/विषय को एक इकाई मानते हुए रोस्टर प्रणाली का अनुसरण करेंगे।
- (ii) धारा 8 (क) (v) - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 05 मार्च, 2018 के पत्र संख्या एफ 1-5/2006 (एससीटी) के माध्यम से "रोस्टर को विभागवार विभाग/विषय के भीतर प्रत्येक श्रेणी, यथा { (उदाहरण के लिए) आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य } में पदों की कुल संख्या पर लागू किया जाएगा।"

भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 05 मार्च, 2018 के पत्र संख्या एफ 1-5/2006 (एससीटी) के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के पत्र संख्या एफ 1-5/2006 (एससीटी) के माध्यम से सूचित किया गया है कि भारत के संघ और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डब्ल्यूपी ए0 संख्या 43260/2016 में दिए गए दिनांक 07 अप्रैल, 2017 के निर्णय में अंतिम आदेश प्राप्त करने की मांग की गई। विवादित निर्णय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए पदों में आरक्षण के संबंध में केन्द्र सरकार की नीति से संबंधित है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 2006 के दिशानिर्देशों के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर, सार्वजनिक निधियों से वित्तपोषण तथा सहायता प्राप्तकर्ता केन्द्रीय विश्वविद्यालय/समविश्वविद्यालयों में लागू है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर संपर्क अधिकारी का नामांकन करने तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय/सम विश्वविद्यालय में पदों तथा सेवाओं में आदेशों के प्रवर्तन हेतु एक प्रकोष्ठ की स्थापना करने के संबंध में दिनांक 04 जनवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 43011/153/2010-स्था0 (आरएंडएस) के कार्यालय ज्ञापन की प्रति परिचालित की। कार्यालय ज्ञापन में आगे संपर्क अधिकारी के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का ब्योरा दिया गया है। विश्वविद्यालय/संस्थान से उनके महाविद्यालय के सभी घटक तथा संबद्ध महाविद्यालयों में इसे परिचालित करने तथा अनुवर्ती कार्यवाही करने का भी अनुरोध किया।

विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को विहित प्रारूप में आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट उपलब्ध कराने तथा वर्ष 2017-18 के लिए शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर पदों के साथ-साथ सभी स्तरों पर पाठ्यक्रमों तथा छात्रावास आवास में प्रवेश देने के संबंध में आंकड़ों की जानकारी देने का अनुरोध दिया गया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में स्थापित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अनुभाग, प्रवेश, शिक्षण तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षणोत्तर पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निशक्त अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लगातार, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव के निवारण के लिए सतत् रूप से प्रयासरत है। सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों से निम्नवत कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था:-

1. आधिकारिक/संकाय सदस्यों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ उनके सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव करने से बचना चाहिए।
2. विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय को अपनी वेबसाइट पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा जाति संबंधी भेदभाव की शिकायत करने के लिए एक पेज विकसित करना चाहिए साथ ही इस प्रयोजनार्थ कुल सचिव/प्राचार्य के कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर रखा जाना चाहिए। यदि प्राधिकरणों के ध्यान में ऐसा कोई मामला आता है तो चूक करने वाले अधिकारी/संकाय सदस्यों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए।
3. विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी अधिकारी/ संकाय सदस्य छात्र के किसी समुदाय या श्रेणी के विरुद्ध किसी प्रकार का भी भेदभावपूर्ण कार्य नहीं करे।
4. विश्वविद्यालय एक समिति का गठन करे जो की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों/ शिक्षकों तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंदों से प्राप्त भेदभाव की शिकायतों पर कार्यवाही करे।

विश्वविद्यालय/संस्थान को अपने अधिकारियों/संकाय सदस्यों को जातिगत भेदभाव की ऐसी घटनाओं पर कार्यवाही करने के समय अधिक संवेदनशील होना चाहिए तथा ई-मेल : sctsection@gmail.com या विहित प्रारूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को की गई रिपोर्ट भेजनी चाहिए।

वर्ष 2017-18 के दौरान शिक्षण, शिक्षणोत्तर पदों, छात्रों के प्रवेश तथा छात्रावास में निवास कर रहे छात्रों के संबंध में 31 केन्द्रीय, 91 राज्य सार्वजनिक, 15 सम विश्वविद्यालयों (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12ख के तहत) द्वारा जानकारी भेजी गई, जो निम्नवत है:-

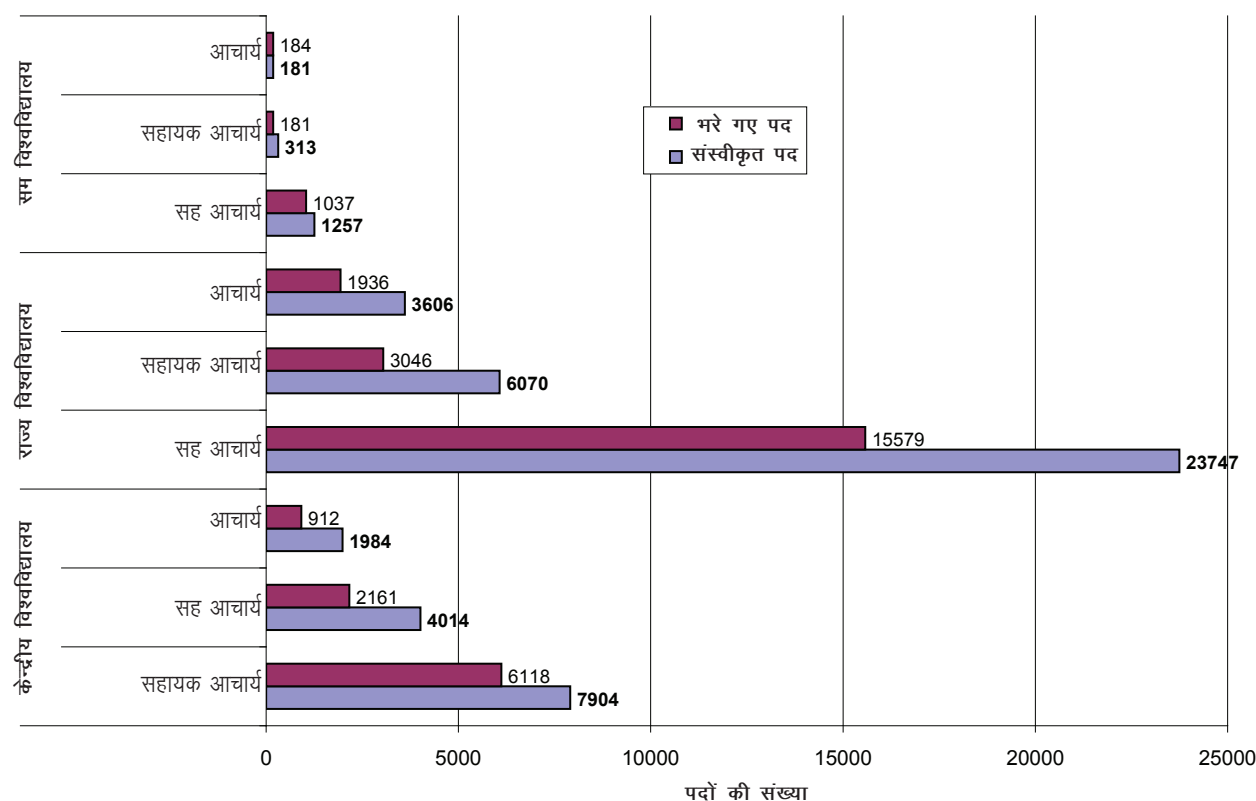
तालिका 7.2(i) शिक्षण से जुड़े कर्मचारिवृंद **: वर्ष 2017-18

विश्वविद्यालय का स्वरूप	पद	पदों की संख्या	भरे गए पदों की श्रेणीवार स्थिति					*कुल स्थानों में से		
		संस्वीकृत	सामान्य	अ0पि0व	अ0जा0	अ0ज0जा0	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	सहायक आचार्य	7904	4095	896	727	400	6118	125	1145	394
	सह आचार्य	4014	2006	3	113	39	2161	20	317	83
	आचार्य	1984	848	2	43	19	912	13	163	37
राज्य विश्वविद्यालय	सहायक आचार्य	23747	9073	3787	2111	608	15579	127	483	566
	सह आचार्य	6070	1919	712	356	59	3046	13	48	151
	आचार्य	3606	1350	394	170	22	1936	7	37	236
सम विश्वविद्यालय	सहायक आचार्य	1257	619	266	117	35	1037	12	8	23
	सह आचार्य	313	138	29	14	0	181	0	1	11
	आचार्य	181	168	12	4	0	184	1	2	4

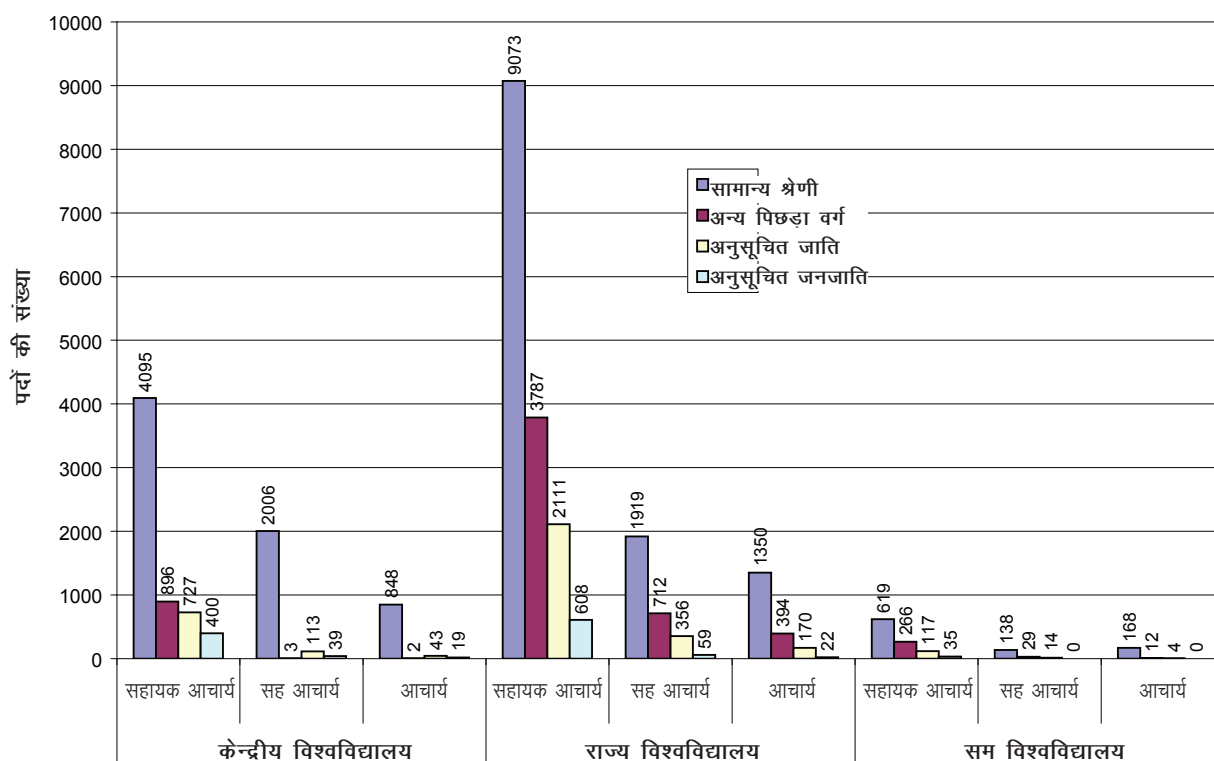
नोट: * विश्वविद्यालयों द्वारा यथा प्रस्तुत आंकड़े

** यह जानकारी 30 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 84 राज्य विश्वविद्यालय और 11 समविश्वविद्यालयों के संबंध में है।

रेखाचित्र 7.2(i): वर्ष 2017-18 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों में संस्वीकृत** तथा भरे गए** शिक्षण पदों की स्तरवार संख्या



रेखाचित्र 7.2 (i) (क) : वर्ष 2017-18 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों में भरे गए शिक्षण पदों का श्रेणीवार संवितरण



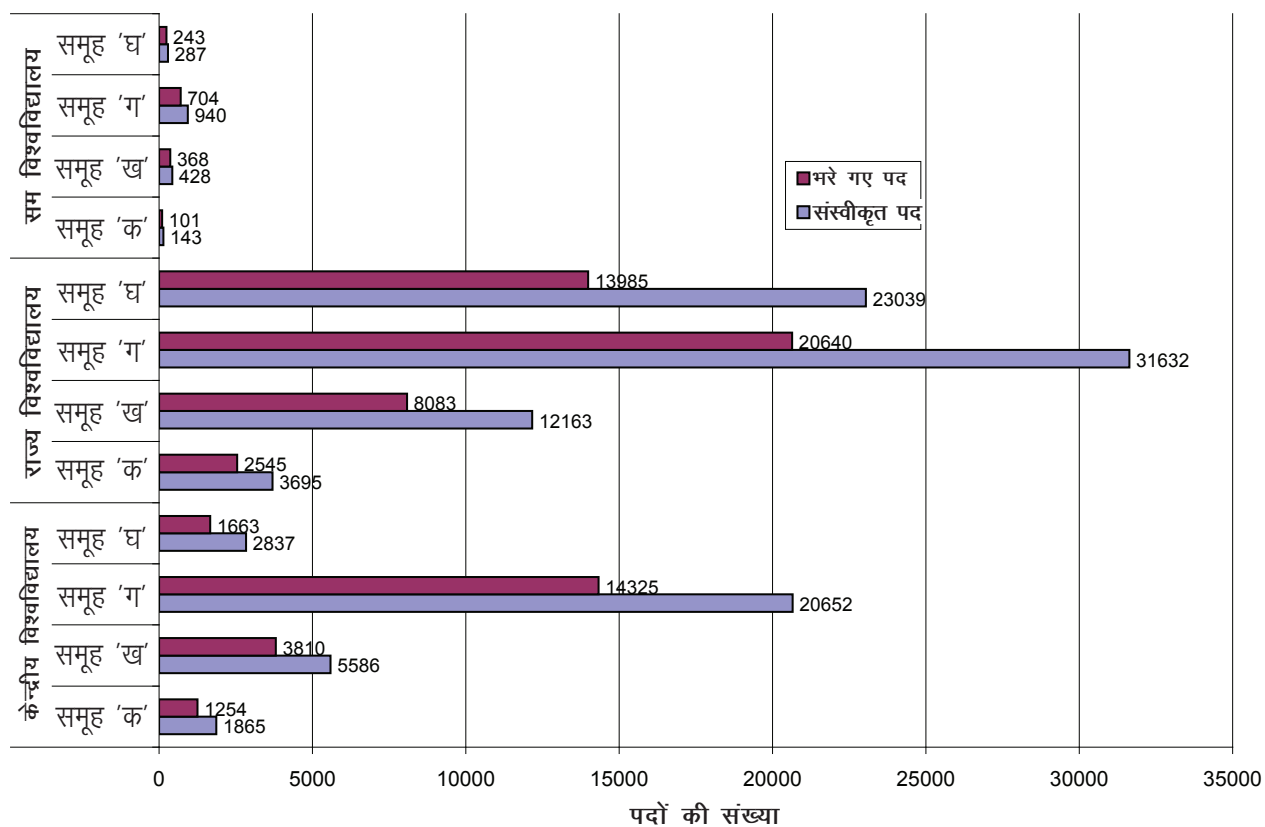
तालिका 7.2 (ii) : शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंद **: वर्ष 2017-18

विश्वविद्यालय का स्वरूप	पद	पदों की संख्या	भरे गए पदों की श्रेणीवार स्थिति					*कुल पदों में से		
		संस्वीकृत	सामान्य	अ0पि0व	अ0जा0	अ0ज0जा0	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	समूह 'क'	1865	924	120	110	100	1254	10	177	94
	समूह 'ख'	5586	2841	270	359	340	3810	15	857	298
	समूह 'ग'	20652	10754	1461	1262	848	14325	181	4579	899
	समूह 'घ'	2837	681	367	349	266	1663	14	48	220
राज्य विश्वविद्यालय	समूह 'क'	3695	1806	457	223	59	2545	17	76	53
	समूह 'ख'	12163	5218	1616	1151	98	8083	136	146	198
	समूह 'ग'	31632	11059	5518	3465	598	20640	373	522	553
	समूह 'घ'	23039	7027	3333	2962	663	13985	238	310	338
सम विश्वविद्यालय	समूह 'क'	143	60	27	11	3	101	0	2	2
	समूह 'ख'	428	202	125	36	5	368	0	0	2
	समूह 'ग'	940	373	172	132	27	704	14	6	12
	समूह 'घ'	287	57	75	103	8	243	0	0	0

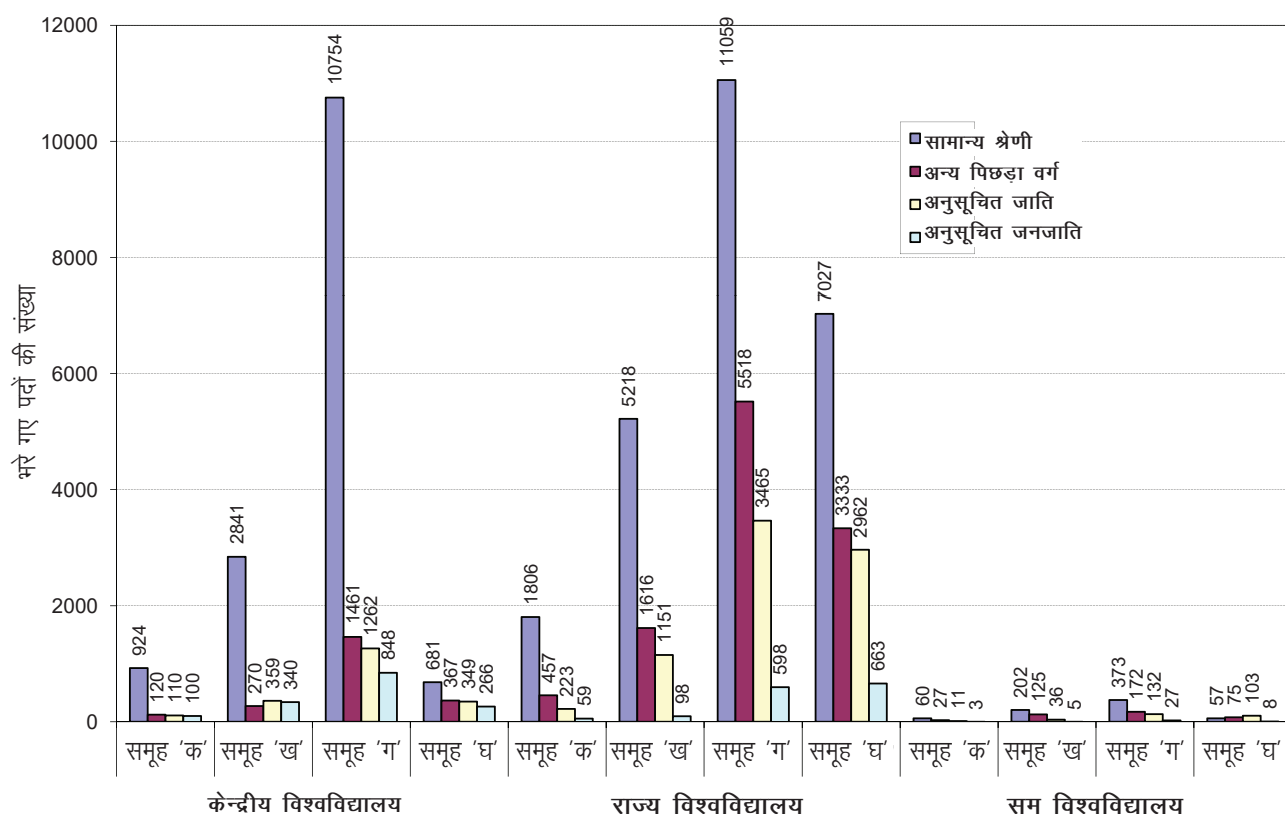
नोट: *विश्वविद्यालयों द्वारा यथा प्रस्तुत आंकड़े

** यह जानकारी 30 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 85 राज्य विश्वविद्यालयों और 11 समविश्वविद्यालयों के संबंध में है।

रेखाचित्र 7.2 (ii) : वर्ष 2017-18 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालयों में संस्वीकृत तथा भरे गए शिक्षणोत्तर पदों की स्तरवार स्थिति



रेखाचित्र 7.2(ii) (क) : वर्ष 2017-18 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों का श्रेणीवार संवितरण



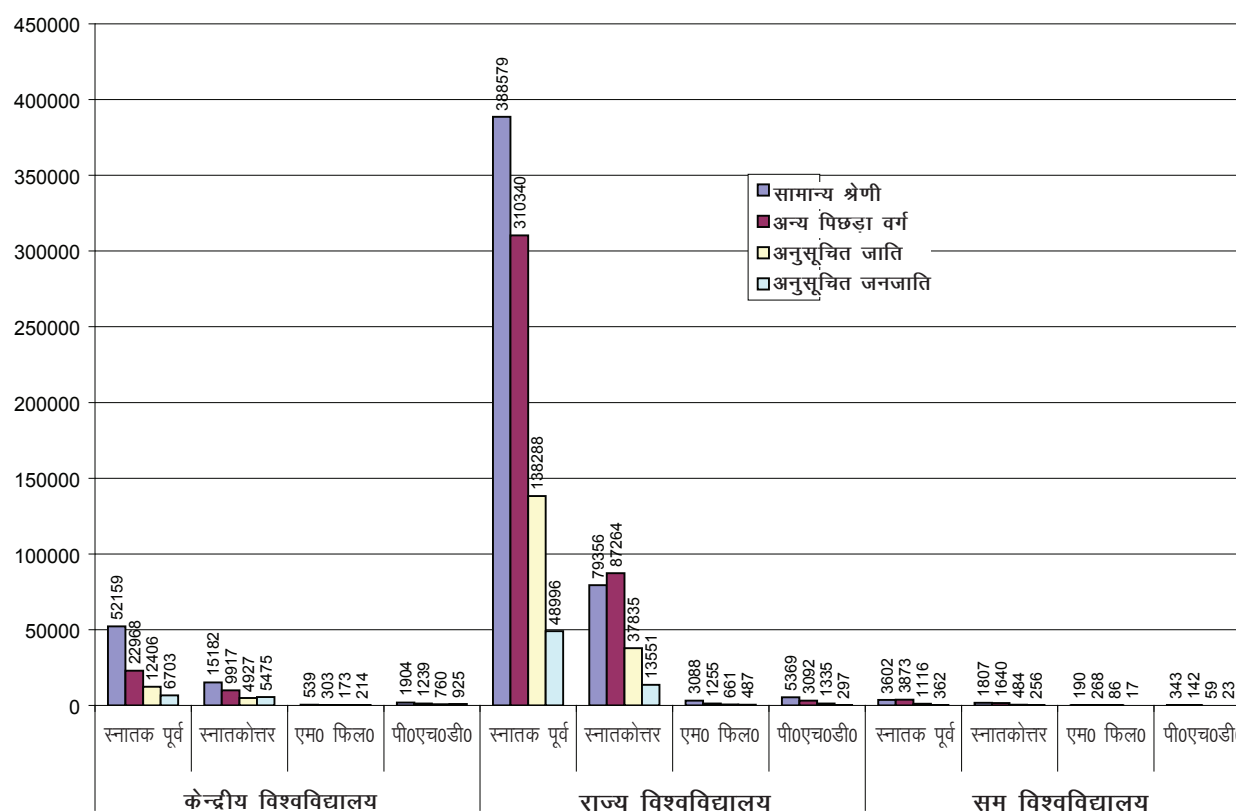
7.3 छात्र प्रवेश

7.3 : वर्ष 2017-18 के दौरान दाखिला प्राप्त करने वाले छात्रों की श्रेणीवार संख्या (प्रवेश** का प्रथम वर्ष)

विश्वविद्यालय का स्वरूप	स्तर	दाखिला प्राप्त करने वाले छात्रों की श्रेणीवार संख्या (प्रवेश का प्रथम वर्ष)							
		सामान्य	अ0पि0व	अ0जा0	अ0ज0जा0	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
		*कुल पदों में से							
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	स्नातकपूर्व	52159	22968	12406	6703	94236	1030	4718	3857
	स्नातकोत्तर	15182	9917	4927	5475	35501	423	3564	3696
	एम0 फिल0	539	303	173	214	1229	26	58	173
	पी0एच0डी0	1904	1239	760	925	4828	69	216	713
राज्य विश्वविद्यालय	स्नातकपूर्व	388579	310340	138288	48996	886203	2007	45175	32283
	स्नातकोत्तर	79356	87264	37835	13551	218006	1094	11298	6150
	एम0 फिल0	3088	1255	661	487	5491	29	120	481
	पी0एच0डी0	5369	3092	1335	297	10093	44	263	429
सम विश्वविद्यालय	स्नातकपूर्व	3602	3873	1116	362	8953	45	186	228
	स्नातकोत्तर	1807	1640	484	256	4187	10	46	67
	एम0 फिल0	190	268	86	17	561	2	4	15
	पी0एच0डी0	343	142	59	23	567	4	3	6

नोट: **यह जानकारी 26 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 82 राज्य विश्वविद्यालय और 12 समविश्वविद्यालयों के संबंध में है।

रेखाचित्र 7.3 : वर्ष 2017-18 के दौरान दाखिला प्राप्त करने वाले छात्रों की श्रेणीवार संख्या (प्रवेश का प्रथम वर्ष)

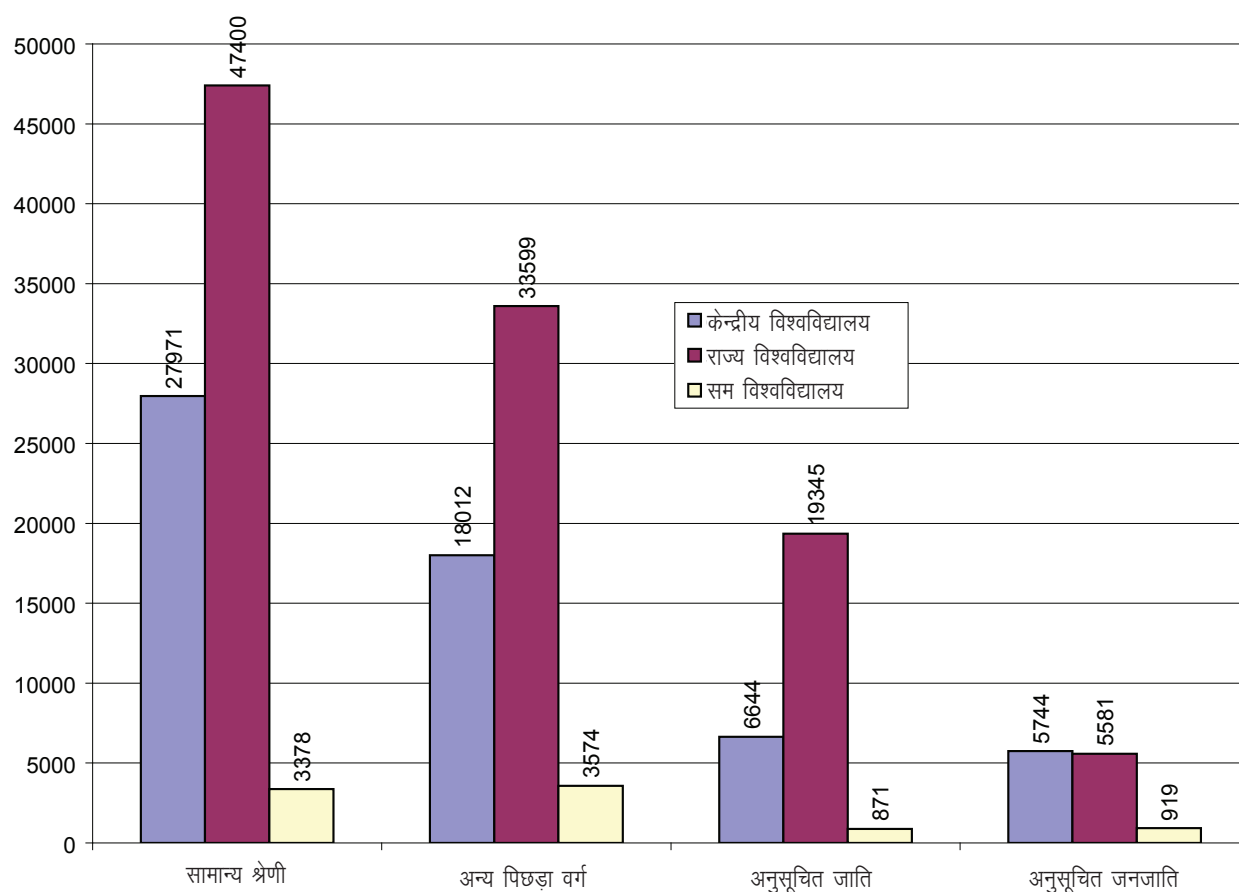


7.4 छात्रावास में निवास कर रहे छात्र

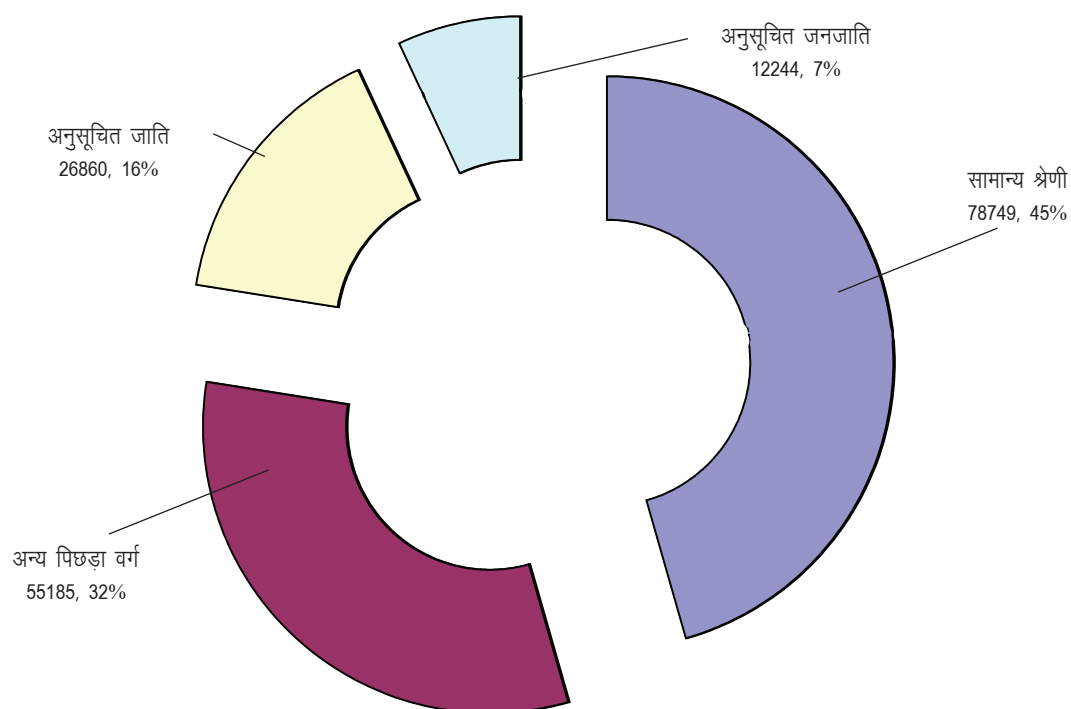
7.4 : छात्रावास में निवास कर रहे छात्रों के संबंध में ब्योरा (वर्ष 2017-18)

विश्वविद्यालय	आंकड़े उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	छात्रावासों की संख्या	दाखिला क्षमता	छात्रावास में रहने वाले छात्रों की संख्या					*कुल पदों में से संख्या		
				सामान्य	अ0पि0व	अ0जा0	अ0ज0जा0	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	25	375	59441	27971	18012	6644	5744	58371	1062	13861	4299
राज्य विश्वविद्यालय	72	480	113676	47400	33599	19345	5581	105925	457	2760	4805
सम विश्वविद्यालय	11	33	10371	3378	3574	871	919	8742	34	78	182

रेखाचित्र 7.4 (i) : वर्ष 2017-18 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालयों में निवास करने वाले छात्रों की श्रेणीवार संख्या



रेखाचित्र 7.4 (ii) : वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालयों में निवास करने वाले छात्रों का श्रेणीवार संवितरण



7.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग)/अल्पसंख्यकों हेतु अनुशिक्षण योजनाएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में विशेष अनुशिक्षण योजनाओं के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों के लिए सामाजिक समानता तथा सामाजिक आर्थिक उत्थान की दिशा में योगदान दे रहा है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभिक वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से महाविद्यालय को योजनागत अनुदान जारी किया गया था। वर्ष 2014-15 के पश्चात् विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के लिए अनुशिक्षण योजनाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आमेलित योजनाओं से हटाकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वतंत्र अनुभाग अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अनुभाग में अंतरित कर दिया गया है।

7.5(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण योजनाएं

आयोग ने वर्ष 1994 में स्नातकपूर्व (यूजी)/स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रों के लाभ हेतु उपचारी अनुशिक्षण को आरंभ किया था ताकि विभिन्न विषयों में उनके ज्ञान, शैक्षणिक कौशल तथा भाषायी प्रवीणता में सुधार किया जा सके तथा उसे सुदृढ़ बनाया जा सके तथा परीक्षा में समग्र निष्पादन में सुधार किया जा सके। वर्ष 2017-18 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण योजनाओं के तहत 3,90,000/- रुपए का अनुदान जारी किया गया।

7.5 (ii) : अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए नेट/ सेट हेतु अनुशिक्षण

आयोग ने वर्ष 2004-05 में नेट/ सेट हेतु अनुशिक्षण आरंभ किया था ताकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा राज्य पात्रता परीक्षा (सेट), जोकि किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में व्याख्याता बनने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, हेतु प्रशिक्षण दिया जा सके।

7.5 (iii) : अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं

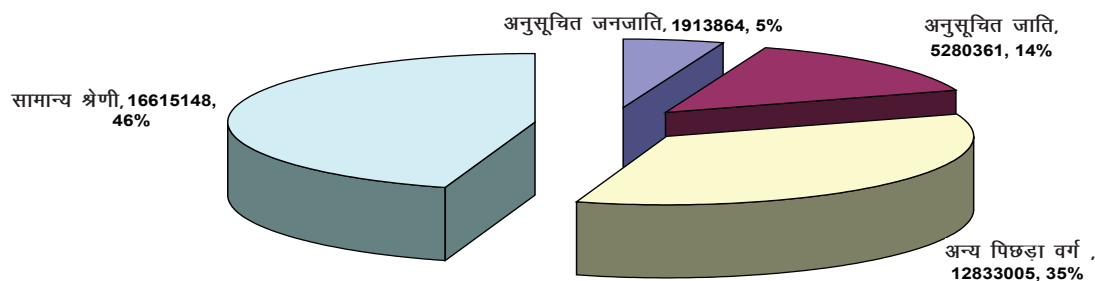
'क', 'ख', और 'ग' समूह की केन्द्रीय सेवाओं, राज्य प्रांतीय सेवाओं अथवा निजी क्षेत्र में समकक्ष स्तर का लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आयोग ने वर्ष 2004-05 में अनुशिक्षण की योजना आरंभ की। वर्ष 2017-18 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाओं की योजनाओं के तहत 1,42,750/- रुपए का अनुदान संस्वीकृत किया।

7.6 उच्चतर शिक्षा में छात्र नामांकन का श्रेणीवार संवितरण

वर्ष 2017-18 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट के अनुसार उच्चतर शिक्षा में श्रेणीवार छात्रों का नामांकन निम्नानुसार है:

श्रेणी	कुल छात्र नामांकन (सभी स्तरों पर)		
	पुरुष	महिला	कुल
अनुसूचित जाति	2774933	2505428	5280361
अनुसूचित जनजाति	1001989	911875	1913864
अन्य पिछड़ा वर्ग	6688668	6144337	12833005
सामान्य श्रेणी	8739085	7876063	16615148
कुल	19204675	17437703	36642378

रेखाचित्र 7.6: श्रेणीवार छात्र नामांकन (सभी स्तरों पर): उच्चतर शिक्षा : वर्ष 2017-18



अन्य पिछड़ा वर्ग: भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षण, शिक्षणोत्तर और प्रवेश में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रयास कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 3(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी अनुदान सहायता प्राप्त संस्थानों में **केवल ओबीसी के लिए सहायक आचार्य के स्तर पर शिक्षण में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए निर्देश जारी किया गया है।**

अल्पसंख्यक: अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सच्चर समिति के संबंध में प्रधानमंत्री महोदय का नया 15 सूत्री कार्यक्रम यथा—महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महाविद्यालयों में छात्रावासों और अन्य आधारभूत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए वर्ष 1995–1996 के दौरान आयोग ने महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए एक विशेष योजना आरंभ की थी (संख्या 378)। प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम और सच्चर समिति की सिफारिश के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में महिला छात्रावास के निर्माण को संस्वीकृति प्रदान की गई है। ऐसे महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दायरे में आते हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12ख के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के योग्य हैं, वह वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

7.7 : निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर समस्त विश्वविद्यालयों और सम-विश्वविद्यालयों को समस्त नीति-विषयक निर्णयों से अवगत कराया जाता रहा है जिनमें निशक्त व्यक्तियों के लिए दाखिले एवं रोजगार के संबंध में भारत सरकार द्वारा विहित आरक्षण नीतियाँ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस विषय में आयोग के स्तर पर जो भी निर्णय लिए गए हैं तथा जो दिशानिर्देश जारी हुए हैं, उन्हें भी कार्यान्वयन के लिए समस्त विश्वविद्यालयों को जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा, सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 2016 को भी विश्वविद्यालयों को परिपत्र द्वारा प्रेषित कर दिया गया था तथा उनसे अनुरोध किया था कि वे उनमें शामिल प्रावधानों का कड़ाई के साथ अनुपालन करें।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में आरक्षण— सरकार से सहायता प्राप्तकर्ता उच्चतर शिक्षा के सभी सरकारी संस्थान और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान निर्धारित निशक्तता वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कम से कम पांच प्रतिशत सीटों को आरक्षित करेंगे।

आरक्षण— प्रत्येक सरकार, प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में प्रत्येक पद के प्रत्येक समूह में संवर्ग की संख्या में कुल रिक्तियों के कम से कम चार प्रतिशत रिक्तियों को निर्धारित निशक्तता वाले दिव्यांग व्यक्तियों से भरेगी।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निशक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए योजनाएं भी कार्यान्वित कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रोजगार में निशक्त व्यक्तियों और विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करना अपेक्षित है।

7.7 (i) : विशेष आवश्यकताओं वाले निशक्त व्यक्तियों हेतु उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन)

एचईपीएसएन योजना का उद्देश्य मूल रूप से उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में एक परिवेश तैयार करना है ताकि निशक्त व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा ज्ञान अर्जन के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। निशक्त व्यक्तियों की सक्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करना, निर्माण करते हुए पहुंच में सुधार किए जाने को ध्यान में रखना, शिक्षण अनुभव को सम्पन्न बनाने के लिए उपस्कर का क्रय करना—इस योजना के तहत सहायता की बृहद श्रेणियां हैं।

7.7 (ii) : विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना (टीईपीएसई)

विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने (टीईपीएसई) योजना का उद्देश्य विशेष तथा समावेशी परिवेश में निशक्त छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा में विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम आरंभ करना है। योजना के अंतर्गत किसी एक निशक्तता के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ बी0एड0 तथा एम0एड0 उपाधि पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

7.7 (iii) : दृष्टिबाधित शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता

योजना को दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को रीडर तथा शिक्षण और अधिगम उपकरणों की सहायता से तथा ब्रेल पुस्तकें, रिकार्ड की हुई सामग्री आदि के क्रय हेतु रीडर भत्ते तथा निधियां उपलब्ध करवा कर शिक्षण तथा शोध कार्य जारी रखने के लिए तैयार करना

तथा ऐसे दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को शिक्षण, अधिगम तथा शोध हेतु विभिन्न सहायक उपकरणों का उपयोग कर आत्म निर्भर बनने में सहायता प्रदान करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना है। दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को 18,000/- रुपये प्रतिवर्ष का भत्ता प्रदान किया जायेगा।

7.8 : विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के प्रति अधिक प्रतिक्रियात्मक बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वंचित वर्गों के लिए नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करने तथा शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों में मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करने के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ (ई.ओ.सी.) का गठन करने की योजना तैयार की है। समान अवसर प्रकोष्ठ के कार्यालय की स्थापना हेतु 2.00 लाख रुपए का एकमुश्त अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

7.9: विश्वविद्यालयों में सामाजिक बहिर्करण एवं समावेशन की नीति के अध्ययन के लिए केन्द्रों की स्थापना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सामाजिक बहिष्करण के मुद्दे पर किए जाने वाले शोध को सहायता प्रदान करता है, जिसका सैद्धांतिक रूप से और नीतिगत रूप से महत्व है। इन योजनाओं के अनुसरण के लिए विश्वविद्यालयों में कई शिक्षण-सह-शोध केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

- योजना के प्रारंभ होने से लेकर आज तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में 35 केन्द्र स्थापित किए हैं और वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन केन्द्रों को 12.43 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है।

► प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा

- ❖ 8.1 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र
- ❖ 8.2 भारतीय युग प्रवर्तक समाज चिंतक

8.1 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र

आयोग ने वर्ष 1963 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रमों को आरंभ किया। यह केन्द्र निम्नवत मुख्य उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं;

- क. क्षेत्रों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत विशिष्टियों के संपूर्ण बोध को बढ़ावा देना;
- ख. उपनिवेशवाद के बाद के समाज के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र अध्ययनों के वैकल्पिक प्रतिमानों को बढ़ावा देना;
- ग. क्षेत्र और अन्य मुद्दों के संबंध में भारतीय परिप्रेक्ष्य में योगदान देना;
- घ. विशेषरूप से देश के आर्थिक, रणनीतिक तथा राजनीतिक हितों में नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराना;
- ङ. विश्व के क्षेत्रों के ज्ञान को बौद्धिक विधाओं का मुख्य अंग बनाना;
- च. अंतर्क्षेत्रीय तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए शोध करना।

8.1(क) अनुदानों का संवितरण (वर्ष 2017-18):

वर्ष 2017-18 के दौरान, 35 केन्द्र कार्य कर रहे थे तथा क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम के तहत 14 केन्द्रों को 2.37 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

तालिका: 8.1(ख) : वर्ष 2017-18 के दौरान क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की सूची

1	आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर, विशाखापत्तनम- 530003	सार्क अध्ययन केन्द्र
2	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी-221005	नेपाल संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
3	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय	इंडीक तथा एशियाई अध्ययन हेतु केन्द्र
4	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता - 700073	दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशियाई अध्ययन केन्द्र
5	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता - 700073	पाकिस्तान और पश्चिम एशियाई अध्ययन हेतु केन्द्र
6	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता - 700073	चीन और पड़ोसी देशों के अध्ययन हेतु केन्द्र
7	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़- 786004 (असम)	बांग्लादेश और म्यांमार संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
8	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली- 110007	अफ्रीकी अध्ययन संबंधी केन्द्र
9	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली- 110007	पूर्व एशिया अध्ययन विभाग
10	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा- 403206	लैटिन अमरीकी अध्ययन हेतु केन्द्र
11	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500046	भारतीय डायस्पोरा संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
12	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला- 171005	आस्ट्रेलियाई तथा न्यूजीलैंड संबंधी अध्ययन केन्द्र
13	जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, हमदर्द नगर, नई दिल्ली-110062	संघीय अध्ययन संबंधी केन्द्र
14	जामिया मिलीया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110025	पाकिस्तान संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
15	जामिया मिलीया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110025	मध्य एशियाई अध्ययन संबंधी केन्द्र
16	जामिया मिलीया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली- 110025	चीन संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र

17	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली- 110067	यूरोपीय अध्ययन संबंधी केन्द्र
18	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली- 110067	अफ्रीकी अध्ययन संबंधी केन्द्र (पूर्व में फ्रेंको फोन सब-सहारा अध्ययन के नाम से जाना जाता था)
19	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली- 110067	पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन हेतु केन्द्र, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय (खाड़ी)
20	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली- 110067	रूसी, मध्य एशियाई तथा पूर्वी यूरोपीय अध्ययनों हेतु केन्द्र
21	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली- 110067	आंतरिक एशिया संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
22	कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल, श्रीनगर- 190006, (जम्मू और कश्मीर)	मध्य एशिया के संबंध में अध्ययन केन्द्र
23	केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम 695034	कनाडाई अध्ययन संबंधी केन्द्र
24	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई- 400098	अफ्रीकी अध्ययनों हेतु केन्द्र
25	मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई- 400098	मध्य यूरेशियाई अध्ययन हेतु केन्द्र
26	मद्रास विश्वविद्यालय, चेपाक, चेन्नई- 60005	दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया अध्ययन हेतु केन्द्र
27	मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल- 795003	म्यांमार संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
28	मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल- 795003	मणिपुर संबंधी अध्ययन केन्द्र
29	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	समसामयिक चीनी अध्ययनों संबंधी केन्द्र (आईसीसीएस)
30	नार्थ बंगाल युनिवर्सिटी, पोस्ट बाक्स नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजा राम मोहनपुर, जिला दार्जिलिंग- 734013 (पश्चिम बंगाल)	हिमालय संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
31	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, सिल्वर जुबली कैम्पस, पुदुचेरी- 605014	सामुद्रिक अध्ययन हेतु केन्द्र
32	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर- 302004	दक्षिण एशियाई अध्ययन हेतु केन्द्र
33	एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई- 400020	कनाडाई संबंधी अध्ययन केन्द्र
34	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर-388120 (गुजरात)	भारतीय डायस्पोरा संबंधी केन्द्र
35	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति- 517502 (आंध्र प्रदेश)	दक्षिण एशियाई तथा प्रशांत क्षेत्र संबंधी अध्ययन केन्द्र

8.2 भारतीय युग प्रवर्तक समाज चिंतकों पर विशेष अध्ययन

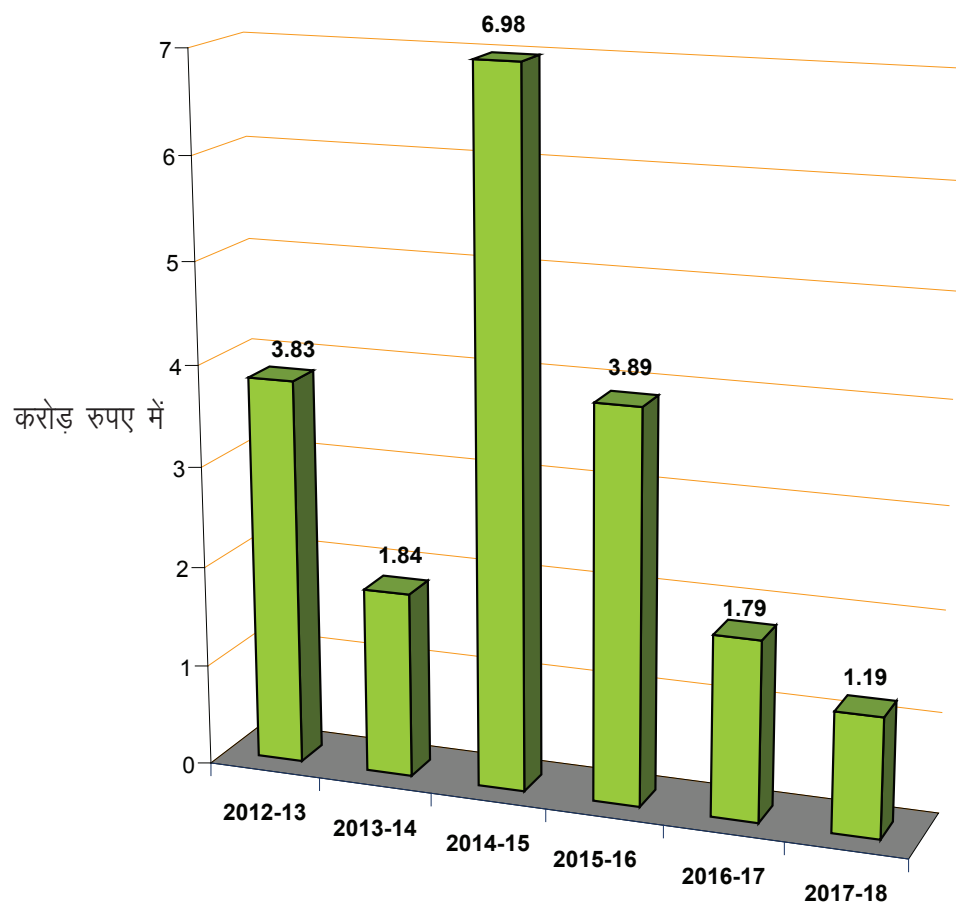
भारत में अनेक बुद्धिजीवी और महान नेता हुए हैं जिन्होंने अपने क्रान्तिकारी और उत्कृष्ट विचारों और कार्यों से न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने नवीन विचार विकसित किये तथा भारत को सांस्कृतिक तथा सदाचारी देश की पहचान प्रदान की है। शिक्षकों और विद्यार्थियों को उनके विचारों और कार्यों और अध्ययन शोध से परिचित कराने और उन्हें सृजनात्मक कार्यों के आधार पर अध्ययन, शोध तथा क्षेत्र कार्य आधारित विस्तार सेवा कार्यक्रमों में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है।

‘भारत के युगप्रवर्तक सामाजिक चिंतकों’ संबंधी योजना के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में 394 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गई है।

तालिका 8.2(i) : वर्ष 2012-13 से 2017-18 के दौरान वर्षवार भुगतान किए गए अनुदान (करोड़ रुपए में) का ब्योरा

2012-13	3.83 करोड़ रुपए
2013-14	1.84 करोड़ रुपए
2014-15	6.98 करोड़ रुपए
2015-16	3.89 करोड़ रुपए
2016-17	1.79 करोड़ रुपए
2017-18	1.19 करोड़ रुपए

रेखाचित्र 8.2 : वर्ष 2012-13 से 2017-18 के दौरान भारत के युग प्रवर्तक सामाजिक चिंतकों' संबंधी योजना के अंतर्गत वर्ष वार जारी किए गए अनुदान



- ❖ 9.1 ई-गवर्नेंस
- ❖ 9.2 आईसीटी के माध्यम से ई-शिक्षण
- ❖ 9.3 लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)
- ❖ 9.4 लोक शिकायत

► सूचना और संचार प्रौद्योगिकीयों का समेकन

9.1 ई-गवर्नेंस

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेषज्ञ समिति द्वारा योजनाओं के औचित्यकरण के तहत अंतिमरूप दिए जाने हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं से इतर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजनाओं का पुनर्द्वार/समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन को योजनाओं को अंतिमरूप दिए जाने पर विकसित किया जाएगा।

वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक पुनर्द्वार की गई नवीन वेबसाइट सहित एक निम्नवत वेब पोर्टल तैयार किया है।

- **नई वेबसाइट:** नए स्वरूप की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट: एक पुनर्द्वार की गई तथा अत्यंत अंतःक्रियात्मक, जानकारीप्रद तथा उपयोगकर्ता अनुकूल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाइट को दिसम्बर, 2017 में आरंभ किया गया था।
- **केन्द्रीय विश्वविद्यालय पोर्टल:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2007 में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की आयोजना, वित्तपोषण तथा समन्वित विकास के लिए एक समेकित पोर्टल विकसित तथा आरंभ किया है। पोर्टल की महत्वपूर्ण विशेषताओं में उत्पादकता में वृद्धि, बेहतर सम्प्रेषण, वित्त आबंटन/व्यय में पारदर्शिता और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एक सुदृढ़ संबंध तैयार करने की संभावना है।
विभिन्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सांख्यिकीय आंकड़ों यथा रिक्तियां, भर्ती हेतु पद, आयोजना, बजट, व्यय तथा निधियों के उपयोग के नियमित अद्यतनीकरण को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सुकर बनाया गया है। पोर्टल का उद्देश्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं के अनुरूप निधियों की आयोजना करने में विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करना है।
- **विश्वविद्यालय क्रियाकलाप निगरानी पोर्टल (यूएएमपी):** विश्वविद्यालय क्रियाकलाप निगरानी पोर्टल को हाल ही में वर्ष 2018 में आरंभ किया गया है ताकि समय-समय पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा की जाने वाली क्रियाकलापों/गतिविधियों के लिए एकल बिंदु के रूप में कार्य कर सके। यह पोर्टल विश्वविद्यालयों को उनके द्वारा की गई विभिन्न क्रियाकलापों/गतिविधियों के लिए ब्योरे को अद्यतन करने हेतु सुविधा प्रदान करेगा।

9.1 (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ई-कार्यालय कार्यान्वयन : ई-गवर्नेंस के भाग के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ई-कार्यालय को भी लागू किया गया है ताकि फाइलों की प्राप्ति और चालन, वेतन पर्ची का रखरखाव, ई-अवकाश, व्यक्तिगत जानकारी प्रणाली, कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी प्रणाली, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली आदि के संबंध में कागजरहित परिवेश तैयार किया जा सके।

9.2 आईसीटी के माध्यम से ई-शिक्षण

9.2 (क) स्नातकोत्तर विषयों के लिए ई-विषयवस्तु पाठ्यसामग्री तैयार करना

ई-स्नातकोत्तर पाठशाला : सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमई-आईसीटी) को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 'किसी भी समय किसी भी स्थान पर' पद्धति पर सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में आईसीटी की संभावना का लाभ उठाने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में परिकल्पना की गई है।

ई-पीजी पाठशाला नामक पहल के तहत विकसित की जा रही विषयवस्तु सामाजिक विज्ञान, कला, ललितकला, नैसर्गिक तथा गणित विज्ञान, भाषा विज्ञान तथा भाषा की सभी विधाओं में अलग-अलग विषयों में उच्च गुणवत्तायुक्त, पाठ्यचर्या आधारित और परस्पर प्रभावशील है। ई-पाठशाला हेतु अधिगम प्रबंधन प्रणाली (<http://epgp.inflibnet.ac.in/>) पर उपलब्ध है तथा मुक्त पहुंच हेतु उपलब्ध है तथा इन्फ्लिबनेट सर्वर पर होस्ट की गई है। अब तक विकसित की गई ई-विषयवस्तु की स्थिति को तालिका में दर्शाया गया है तथा ई-पीजी पाठशाला परियोजना दिनांक 30 सितम्बर, 2017 को समाप्त हो गई।

क्रम संख्या	पीआई/विषयवस्तु का ब्योरा	संख्या
1	पीआई की संख्या जिन्होंने विषयवस्तु का योगदान किया (आंशिक)	67
2	पत्रों (पाठ्यक्रम) की संख्या जिनके लिए विषयवस्तु का विकास किया जा रहा है	968
3	सर्वर पर अपलोड की गई स्टैटिक विषयवस्तु की संख्या	23834
4	अपलोड की गई वीडियो/स्व-शिक्षण सामग्रियों की संख्या	22038
5	इसमें शामिल संस्थानों/विश्वविद्यालयों की संख्या	40
6	शैक्षिक विशेषज्ञों की संख्या	3200 से अधिक

ई- विषयवस्तु मुक्त पहुंच के लिए उपलब्ध है तथा इस तक विश्वभर से पहुंच बनाई जा सकती है।

साइट तक पहुंच बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय विजिटर्स सहित विजिटर्स की कुल संख्या : अमेरिका से 16922 से अधिक विजिटर, ब्राजील से 6148 से अधिक विजिटर, चीन से 3621 से अधिक विजिटर, कनाडा से 2131 से अधिक विजिटर, आस्ट्रेलिया से 1526 से अधिक विजिटर, तथा अर्जेन्टाईना से 1400 से अधिक विजिटर। ई-पीजी पाठशाला वेबसाइट में दिनांक 19 मार्च, 2014 से विजिटर काउंट आरंभ किया गया था।

वर्ष 2017-18 के दौरान परियोजना (इन्फ्लिबनेट ई-विषयवस्तु) पर कुल 10,59,12,056/- रुपए (दस करोड़ उनसठ लाख बारह हजार और छप्पन रुपए की लागत आई)।

9.2 (ख) स्वयं प्लेटफार्म के लिए वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम:-

सरकार ने स्वयं पोर्टल भी आरंभ किया है जोकि संचार और सूचना प्रौद्योगिकीयों (आईसीटी) का उपयोग कर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक समेकित प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से, किसी भी छात्र के लिए देश में सर्वोत्तम शिक्षकों द्वारा पेशकश किए गए वर्चुअल पाठ्यक्रमों में शामिल होना संभव होगा जिसमें वह शिक्षक से बातचीत कर सकता है, परीक्षा दे सकता है, शैक्षिक क्रेडिट अर्जित कर सकता है तथा उन्हें अपने शैक्षिक रिकार्ड में अंतरित कर सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गैर-प्रौद्योगिकीय, स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय समन्वयक है। जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 तक 18 क्रेडिट तथा 42 गैर-क्रेडिट के लिए 60 एमओओसी, स्वयं प्लेटफार्म पर विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में क्रेडिट के अंतरण की व्यवस्था है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, प्रदर्शन कला तथा संबद्ध विषयों में वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की पहचान करने, प्रस्तावों की जांच करने तथा पाठ्यक्रम समन्वयकों को अनुमोदित करने के लिए एक शैक्षिक परामर्शदाता परिषद् तथा तीन शैक्षिक परामर्शदाता समितियों (विषयवस्तु विशेषज्ञ समितियों) का गठन किया।

इसे प्राप्त करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षणिक समाज तथा विश्वविद्यालयों से ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित किए कि उनके विचार से किन-किन वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को स्नातकोत्तर स्तर पर विकसित किया जा सकता है और प्राप्त हुए सुझावों के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तत्पश्चात् वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को विकसित करने के लिए संस्थानों/शैक्षणिक समाज से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शैक्षिक परामर्शदाता समितियों (एसएमईजी) ने जुलाई, 2019 से आरंभ होने वाले शिक्षा सत्र के लिए नए वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को विकसित करने के लिए 48 पाठ्यक्रमों को विकसित किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जुलाई, 2018 से आरंभ हुए शिक्षा सत्र में पेशकश किए जाने वाले 47 वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को चलाने का प्रस्ताव है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 02 फरवरी, 2018 से एआईसीटीई में देशभर के विश्वविद्यालयों से स्वयं समन्वयकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है ताकि इन समन्वयकों को विश्वविद्यालयों तथा इसके स्वयं समन्वयकों हेतु भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों के संबंध में संवेदनशील बनाया जा सके तथा प्रशिक्षित किया जा सके। कार्यशाला में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने प्रतिबद्ध वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की वेबसाइट अर्थात् <http://ugcmoocs.inflibnet.ac.in/> को आरंभ किया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान परियोजना (स्वयं हेतु एमओओसी) पर कुल 1,52,62,991.00 रुपए (एक करोड़ बावन लाख बासठ हजार नौ सौ नब्बे रुपए मात्र) की लागत आई।

9.3 लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आयोग से प्रत्येक प्रकार के अनुदान के सवितरण हेतु लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को कार्यान्वित किया है। लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) सरकारी लेन-देन के भुगतानों, लेखांकन और लेखा समाधानों के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जो मौजूदा अनेक स्टैण्डालोन प्रणालियों का समेकन करती हैं।

- आज की तिथि के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तीन योजनाओं यथा 0873, 0874 तथा 0875 के लिए पीएफएमएस के माध्यम से योजनागत निधियां प्राप्त कर रहा है तथा सीपीएसएमएस के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तदनुसार मैप किया जाता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी ब्यूरो में तीन नोडल अधिकारियों तथा मास्टर ट्रेनरों की पहचान की है जो पीएफएमएस के माध्यम से जारी किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों हेतु निर्बाध अंतरण के लिए कर्मचारियों को पीएफएमएस से अवगत कराएंगे तथा उन्हें प्रशिक्षित करेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत सभी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के लिए शतप्रतिशत अनुदानों का संवितरण पीएफएमएस के माध्यम से किया जाता है।

9.4 लोक शिकायत

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का समाधान करता है। ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त लोक शिकायतों के निवारण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न ब्यूरो/अनुभागों के लिए 20 यूजर आईडी तैयार किए हैं। सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पोर्टल पर उत्तर प्रस्तुत किए जाते हैं जहां शिकायतकर्ताओं की सूचनार्थ इन्हें उच्च अधिकारियों को भेजा जाता है। इसी प्रकार शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के निवारण के लिए ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त हुई शिकायतों का ऑफलाइन माध्यम से निवारण किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों से संबंधित मुद्दों, साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं के दर्जे के संबंध में समय-समय पर सार्वजनिक नोटिस जारी करता रहा है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का लोक शिकायत अनुभाग, शिकायतों के समय से निपटान हेतु सभी अनुभागों में लोक शिकायतों की स्थिति के संबंध में जानकारी प्रदान करता है।

► कौशल विकास संबंधी पहल

- ❖ 10.1 नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन नेटवर्क (एनएफक्यूएस) के तहत विअआ कौशल विकास योजनाएँ
- ❖ 10.2 सामुदायिक महाविद्यालय/ बी0 वोक0 उपाधि कार्यक्रम/ डीडीयू कौशल केन्द्र

10.1 एनएफक्यूएस के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कौशल विकास योजनाएँ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एनएफक्यूएस के तहत तीन योजनाएँ यथा सामुदायिक महाविद्यालय, बी0 वोक0 उपाधि कार्यक्रम, तथा दीन दयाल उपाध्याय ज्ञान अर्जन तथा कौशलयुक्त मानव सक्षमताओं तथा आजीविका केन्द्र (कौशल) को कार्यान्वित कर रहा है।

विशिष्ट एनएफक्यूएस स्तर के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कौशल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु पाठ्यचर्या संबंधी पहलुओं, आंकलन मानदंड तथा क्रेडिट प्रणाली के लिए निर्धारित क्रेडिट हैं जिन्हें किसी संस्थान द्वारा संबंधित विशिष्टताओं में प्रदान किए गए क्रेडिटों की समान संख्या के समतुल्य शैक्षिक योग्यता की समकक्षता के एक साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

10.1(क) वर्ष 2017–18 के दौरान कौशल विकास योजना संबंधी क्रियाकलाप/निष्कर्ष :

10.1(क) (i) कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के लिए आदर्श पाठ्यचर्या:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एनएसडीसी और संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) के परामर्श से 45 संभावित व्यापारों में क्वालीफिकेशन पैक (क्यू.पी.), राष्ट्रीय पात्रता मानदंड (एनओएस) आधारित पाठ्यचर्या विकसित की है। पेशकश किए जा रहे/पेशकश किए जाने हेतु प्रस्तावित यह पाठ्यक्रम, चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) के तहत क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम और कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम के लिए कौशल भंडार के विकल्प के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।

10.1(क) (ii) शिक्षा समाज— उद्योग जगत का सहयोग:

कौशल विकास योजनाओं को शिक्षा समाज—उद्योग जगत का सहयोग प्राप्त है, जहां शिक्षा समाज में उद्योगों के लिए उपयुक्त मंच प्रदान किया जाता है, जो अन्यथा नीतिगत प्रयासों के साथ भी वांछित तरीके से पूरा नहीं हो सकता था।

- अदानी पावर इंडस्ट्रीज (तिरुदा—नागपुर)
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (अहमदाबाद)
- वोल्वो— आइशर वाणिज्यिक वाहन लिमिटेड
- यामाहा ऑटोमोबाइल—टू व्हीलर्स
- दैनिक भास्कर— मीडिया क्षेत्र
- नागांव पेपर मिल्स, हिंदुस्तान पेपर कम्पनी लिमिटेड, असम
- आईएसटीवी टीवी चैनल, इम्फाल
- बाबीना हेल्थकेयर एंड होस्पिटैलिटी लिमिटेड

- अधीरा— एक्यूटेक सीएनसी उत्पाद, प्राइवेट लिमिटेड
- अरुण हाईटेक इंजीनियरिंग—फाउंड्री उपकरण

10.2(क) सामुदायिक महाविद्यालय (सीसी)

सामुदायिक महाविद्यालय कम लागत-उच्च गुणवत्तायुक्त की स्थानीय रूप से पेशकश करता है जिसमें कौशल विकास के साथ पारम्परिक पाठ्यचर्या कार्य शामिल है, जिसके माध्यम से शिक्षार्थी को सीधे रोजगार क्षेत्र में जाने अथवा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में जाने का अवसर प्रदान करता है। सामुदायिक महाविद्यालय अलग-अलग अवधि के ज्ञान-कौशल समिश्रण कार्यक्रम की पेशकश करता है जोकि स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं पर निर्भर होगा जिससे एनएसक्यूएफ के विभिन्न स्तर पर प्रमाणन प्राप्त होता है।

सामुदायिक महाविद्यालय की योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 7500 शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

10.2(क) (i) वर्ष 2017-18 के दौरान आबंटित की गई राशि तथा जारी किए गए अनुदान की स्थिति

योजना का नाम	संस्थानों का नाम	वर्ष 2017-18 तक आवंटन (करोड़ रुपए में)	वर्ष 2017-18 के दौरान जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)
सामुदायिक महाविद्यालय	199	169.74 रुपए	19.24 रुपए
प्रमाणपत्र	(स्व वित्तपोषित- 2)		
डिप्लोमा			
उच्च डिप्लोमा			

तालिका 10.2 (क) (ii) सामुदायिक महाविद्यालय योजना के तहत 199 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की सूची

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
आन्ध्र प्रदेश	
1.	आन्धा लोयोला कॉलेज, (स्वायत्त), विजयवाड़ा - 520008, कृष्णा जिला, आन्ध्र प्रदेश
2.	चौधरी एस.डी. सेंट थेरेसिया आटोनोमस कॉलेज फॉर वीमेन, सानिवारपूट पोस्ट एलूरु - 534003, पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश
3.	गर्वनमेंट कॉलेज (स्वायत्त) सेन्ट्रल जेल रोड, राजामुन्द्री, पूर्वी गोदावरी जिला 534001, आन्ध्र प्रदेश
4.	काकरपार्थी बी.एन. कॉलेज, विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)
5.	पीथापुर राजा कॉलेज, मेक्लॉरियन हाई स्कूल के सामने, काकीनाडा, ई.जी. जिला, आन्ध्र प्रदेश- 533001
6.	एस.वी.ए. गर्वनमेंट कॉलेज (एम0) पिटचतुर रोड, श्रीकालाहस्ती -517644, आन्ध्र प्रदेश
7.	श्री वेलागापुडी रामकृष्ण मेमोरियल कॉलेज, नाग्राम -542268, गूंटूर (जिला), आन्ध्र प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश	
8.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश
असम	
9.	ए.डी.पी. कॉलेज, साउथ हैबोरगांव, आरआरबी रोड, नागांव- 782002, असम
10.	बाहोना कॉलेज, पी.ओ. बाहोना जिला जोरहाट असम-785101
11.	दक्षिण कामरूप कॉलेज, मिर्जा, कामरूप-781125, असम
12.	जागीरोड कॉलेज, पी.ओ. जागीरोड, - जागीरोड, मोरीगांव, असम- 782410
13.	जेंगरीमुख कॉलेज, पीओ - जेंगरीमुख, माजुली, जोरहाट जिला, असम, पिन-785105
14.	नामरूप कॉलेज, पी. ओ. पर्वतपुर, जिला डिब्रूगढ़ (असम) पिन 786623
15.	नार्थ लखीमपुर कॉलेज, (स्वायत्त) खेलमती, नार्थ लखीमपुर- 787031, असम
16.	राहा कॉलेज, पी. ओ. राहा, जिला-नौगांव, पिन-782103, असम
17.	रुपाही कॉलेज, एट/पी. ओ. -रुपाही, जिला नागांव, पिन- 782125
18.	तिहू कॉलेज, तिहू, जिला नालबारी (असम)
*19.	उत्तर कामपूठ महाविद्यालय, गांव और पोस्ट बाक्स जगारा, जिला नलबारी, असम- 781310
20.	काछार कॉलेज, ट्रंक रोड, सिल्चर, पिन 788001 (असम)
21.	अभयपुरी कॉलेज, अभयपुरी, जिला बोंगाईगांव, असम -783384
22.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर, असम

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
23.	डिग्बोई कॉलेज, पी.ओ. डिग्बोई, जिला तिनसुकिया, असम- 786171
24.	दिखोमुख कॉलेज, पी.ओ. भोरोलुआ तिनाली, सिबसागर (असम)- 785664
25.	हाजी अफार अली कॉलेज, नागांव, असम
26.	जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, पी.ओ. बोको, पी.एस. बोको, जिला कामरूप- 781123 (असम)
27.	जोरहाट केन्द्रीय महाविद्यालय, केन्दुगुरि, पी.ओ. चेंगली गांव, जिला जोरहाट-785010 (असम)
28.	एल.टी.के. कॉलेज, पी.ओ. आजाद, जिला लखीमपुर- 787031 (असम)
29.	माधब चौधरी कॉलेज, बारपेटा, असम
30.	पीयूबी कामरूप कॉलेज, बेथाटा चारली, जिला कामरूप, असम- 781381
31.	एसबीएमएस कॉलेज, सॉलकुची, जिला कामरूप, असम
32.	साइंस कॉलेज, पीओ एवं जिला, कोकराझार, असम 783370
33.	सिबसागर कॉमर्स कॉलेज, जिला सिबसागर, पी.ओ. सिबसागर- 785640, असम
34.	सिबसागर गर्ल्स कॉलेज, सिबसागर टॉउन, पी.ओ. सिबसागर, जिला सिबसागर, असम- 785640
35.	तेजपुर विश्वविद्यालय, पो.ओ. नापाम, तेजपुर, जिला सोनितपुर, असम -784028
बिहार	
36.	गया कॉलेज, गया- 803001 (बिहार)
37.	गर्वनमेंट वूमैन्स कॉलेज, गरधानी बाग पीएस, जिला पटना (बिहार) 800002
38.	जे.डी. वूमैन्स कॉलेज, पटना
39.	लंघट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर- 842001 (बिहार)
40.	राजेन्द्र मिश्रा कॉलेज, तिवारी टोला, सहरसा (बिहार)
41.	रामा कृष्णा कॉलेज, मधुबनी (बिहार)
चंडीगढ़	
42.	डीएवी कॉलेज, सेक्टर 10, चंडीगढ़
छत्तीसगढ़	
43.	गर्वनमेंट डी.बी. गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, कालीबाडी चौक, छत्तीसगढ़
दिल्ली	
44.	महाराजा अग्रसेन कॉलेज, वसुन्धरा एन्कलेव, दिल्ली-110096
गुजरात	
45.	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन - 384265 गुजरात
46.	एन.एस. पटेल आर्ट्स कॉलेज, एन.एस. पटेल सर्किल, भालेज रोड आणंद, गुजरात - 388001
47.	प्रमुख स्वामी साइंस एंड एच.डी. पटेल आर्ट्स कॉलेज, सर्व विद्यालय कैम्पस, कादी रेलवे स्टेशन के सामने, जिला मैसाणा-382715, (उत्तरी गुजरात)
हरियाणा	
48.	आर्य कॉलेज, पानीपत
49.	दीनबन्धु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुरथल-131039 (सोनीपत)
50.	गीता विद्यामंदिर गर्ल्स कॉलेज मुरथल रोड, सोनीपत, हरियाणा
51.	गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, संतपुरा, यमुनानगर
52.	गुरु नानक खालसा कॉलेज, नियर फाऊनटेन चौक, सिटी सेंटर रोड, यमुनानगर -135001 (हरियाणा)
53.	गुरु नानक खालसा कॉलेज, रेलवे रोड, करनाल - 132001
54.	कन्या महाविद्यालय, खारखोदा, सोनीपत, हरियाणा
55.	केवीए डीएवी महिला कॉलेज, स्टेट रोड, करनाल, (हरियाणा)
56.	वाईएमसीए यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेक्टर-6, फरीदाबाद- 121006 (हरियाणा)
हिमाचल प्रदेश	
57.	गर्वमेंट कॉलेज, नालागढ़ जिला-सोलन हिमाचल प्रदेश, 174101
58.	श्री गुरु गोविंद सिंह जी गर्वमेंट कॉलेज, पोंटा साहिब (हिमाचल प्रदेश)
जम्मू और कश्मीर	
59.	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय, राजोरी, जम्मू और कश्मीर

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
60.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सांबा, जम्मू और कश्मीर – 181143
61.	गर्वमेंट कॉलेज फॉर वूमेन, परेड ग्राउंड, जम्मू 180001
	झारखण्ड
62.	ए.एस. कॉलेज, सत्संग नगर, बी. देवघर– 814112 (झारखण्ड)
63.	डोरांडा कॉलेज, कृष्णा सिंह पार्क के सामने, दोरन्दा, पी.ओ. हिन्नु, रांची, झारखण्ड
64.	के.बी. महिला महाविद्यालय, सिविल कोर्ट के निकट, हजारीबाग– 825301, झारखण्ड
65.	एस.एस.एल.एन.टी. महिला महाविद्यालय, लूबी सर्कुलर रोड, धनबाद– 826001, झारखण्ड
66.	टाटा कॉलेज, चैलबासा
	कर्नाटक
67.	बीएलडीईए न्यू आर्ट्स कालेज, तिकोटा– 586130 जिला बीजापुर (कर्नाटक)
68.	बीएमएस महिला महाविद्यालय, बुगले रॉक रोड, बासावनागुडी, बंगलुरु– 560004
69.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा, कर्नाटक
70.	गर्वमेंट रामनारायण चेलाराम्ज कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मेनेजमेंट रेस कोर्स रोड, बंगलुरु –560001
71.	जेएसएस बनशंकारी आर्ट्स, कॉमर्स एंड एस.के. गुब्बी साइंस कॉलेज, विद्यागिरी, धारवाड
72.	कनकदास शिक्षण समिति के.एस.एस. आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कॉलेज एंड पी.जी. सेंटर विद्यानगर, मसारी, गदक– 582101– (कर्नाटक)
73.	महारानी साइंस कॉलेज फॉर वूमेन, मैसूर
74.	श्रीमती भाग्यलक्ष्मी रात्तेली राम्पा महाराज फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, जललक्ष्मीपुरम, मैसूर – 570012
75.	श्रीमती वी.एच.डी. सेट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस, सेसाद्री रोड, बंगलुरु– 560001
76.	सेंट जोसेफ इवनिंग कॉलेज नम्बर 55 म्यूजियम रोड, बंगलुरु – 560025
77.	सेंट फिलोमेना कॉलेज (स्वायत्त) पी.पी. बॉक्स 30, बानीमन्ताप, मैसूर–570015, कर्नाटक
78.	तेरेसाई कॉलेज, बानू रोड, सिद्धार्थनगर, मैसूर – 570011
	केरल
79.	एसम्पशन कॉलेज, छंगनसेरी, पी.ओ. कोट्टायम जिला, केरल
80.	बिशप चूलापरम्बेली मेमोरियल कॉलेज फॉर वूमेन, कोट्टायम– 686001, केरल
81.	बिशप कुरियलचेरी कॉलेज फॉर वूमेन अमलागिरी पी.ओ.–कोट्टायम, केरल –686561
82.	कारमेल कॉलेज, माला, केरल – 680 732, थ्रिसूर–जिला, केरल
83.	गर्वमेंट कॉलेज, नाट्टाकॉम, पी.ओ. कोट्टायम–686013
84.	गर्वमेंट कॉलेज, अंटीगल (केरल)
85.	हेनरी बेकर कॉलेज, मेलुकावु (केरल)
86.	एमईएस कॉलेज, मारमपल्ली पो.ओ. नार्थ वाझाकुलम, अलुवा – 683107, केरल
87.	निवामान कॉलेज, थोडुपुझा, थोडुपुझाईस्ट पीओ, इदुक्की जिला, केरल– 685585
88.	पवनात्मा कॉलेज, मुरिकेसरी, इदुक्की जिला, केरल– 685604
89.	पोक्काया थंगल मेमेरियल गर्वमेंट कॉलेज, पेरिनाथलमाना, पाथीक्कारा– 679322, मालापुरम जिला, (केरल)
90.	प्रोविडेंस वूमेन कॉलेज, कालीकट
91.	श्री नीलकान्ता गर्वमेंट संस्कृत कॉलेज, पातम्बी, मेलेपाट्टम्बी पीओ. पालाक्काडा जिला, केरल पिन 679306
92.	श्री सी. अच्युतन मेनन गर्वमेंट कॉलेज, कुट्टनेल्लूर, थ्रिसूर– 680014 (केरल)
93.	सेंट मेरी कॉलेज, कुप्पाडी पी.ओ., सल्थन बाथेरी, वायान्ड जिला, केरल– 673592
94.	सेंट माईकल कॉलेज, माईथीथारा, चेरथाला, केरल
95.	सेंट टेरेसा कॉलेज (स्वायत्त), पार्क एवेन्यू, एर्णाकुलम –682011, केरल
96.	सेंट थॉमस कॉलेज, पाला, अरुणापुरम, कोट्टायम– 686574, केरल
97.	सेंट थॉमस कॉलेज, कॉलेज रोड, थ्रिसूर, केरल –680001
	मध्य प्रदेश
98.	डॉ. हरि सिंह गौड विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
99.	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर "कम्युनिटी सेंटर" विद्या विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर- 474011
100.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, सरस्वती विहार, पचपेदी, जबलपुर-482 001, मध्य प्रदेश
101.	शासकीय कन्या महाविद्यालय, दशहरा मैदान, बंधारी रोड, बदवानी-454551 (मध्य प्रदेश)
	महाराष्ट्र
102.	अहमदनगर कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नं. 21, स्टेशन रोड, अहमदनगर, 414 001, महाराष्ट्र
103.	अरविन्दबाबू देखमुख महाविद्यालय, पीओ-भरसिंगी, तालुक-नारखेड, नागपुर-441305, महाराष्ट्र
104.	भारतीय जैन संगठन आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, वाघोली रोड, बाकोरी फाटा, पुणे- 412207 (महाराष्ट्र)
105.	बिरला कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, कल्याण, ठाणे (महाराष्ट्र)
106.	दत्ताजी कदम आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, शिवाजी नगर, नियर शाहू पुटला, इचलकरजी-416115, जिला कोल्हापुर, तालुक हटकांगले, महाराष्ट्र
107.	धोते बंधु साइंस कॉलेज, कुडवा रोड, जिला गोंदिया- 441614 (महाराष्ट्र)
108.	डॉ० अम्बेडकर कॉलेज, दीक्षाभूमि, नागपुर
109.	जी एस टोम्पे आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, चांदूर, बाजार, जिला अमरावती, महाराष्ट्र -444704
110.	जी.डी.ए.बी. आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, किदवई रोड, जिला नासिक- 423203, महाराष्ट्र
111.	गुरु नानक कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, जी.टी.बी. नगर, मुम्बई- 400037, महाराष्ट्र
112.	जयसिंहपुर कॉलेज, जयसिंह नगर-416001, जिला कोल्हापुर
113.	के.टी.एस.पी. मंडल हुतात्मा राजगुरु महाविद्यालय, पुणे-नासिक हाइवे, नियर खेड पुलिस स्टेशन
114.	केआरटी आर्ट्स, बीएच कॉमर्स एंड एएम साइंस कॉलेज, नासिक (महाराष्ट्र)
115.	लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, 17, मल्हार पथ, सतारा - 415002 (महाराष्ट्र)
116.	मधुकरराव पवार आर्ट्स कॉलेज, मूर्तिजापुर, जिला अकोला (महाराष्ट्र)
117.	महात्मा गांधी आर्ट्स साइंस एंड लेट एन.पी. कॉमर्स, कॉलेज, एटवडसा रोड, तालुक अरमोरी, जिला गढ़चिरोली, महाराष्ट्र- 441208
118.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, (महाराष्ट्र)
119.	मतस्पोट्री शिक्षण संस्थान आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, मोतीबाग पलाईओवर ब्रिज के निकट, जालना- 431203 (महाराष्ट्र)
120.	एमएसएस आर्ट्स कॉलेज, तीर्थपुरी, जालना- 431209 (महाराष्ट्र)
121.	न्यू आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, मिरि रोड, शेवगांव, तालुक-शेवगांव, जिला-अहमदनगर (महाराष्ट्र)
122.	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, पोस्ट बॉक्स नं. 80, अमावीनगर, जलगांव, महाराष्ट्र - 425001
123.	पीडीइए बाबूरावजी घोलाप कॉलेज, संगवी, पुणे, 411027
124.	पद्मश्री विखे पाटिल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, लोनी केडी- 413713, राथाटा, अहमदनगर (महाराष्ट्र)
125.	प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, शिवाजीनगर, पुणे-411005
126.	सद्गुरु गाडगे महाराज कॉलेज, कराड़, जिला सतना, महाराष्ट्र
127.	शरदचन्द्र आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, पी-16, एमआईडीसी भूटीबोरी, जिला नागपुर- 441122
128.	शिक्षणमहर्षि डॉ० बापूजी सालुंके महाविद्यालय, पंधारपुर रोड, मिराज- 416410 (महाराष्ट्र)
129.	श्री आसारामजी भंडवालंदर आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, देवगांव, जिला औरंगाबाद- 431115, महाराष्ट्र
130.	श्री एस.एच. केलकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)
131.	श्री शिवाजी महाविद्यालय, शिवाजीनगर, बारशी-413 411 जिला सोलापुर (महाराष्ट्र)
132.	श्री वेंकटेश आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, दुएलगांव राजा, जिला बुलगाना (महाराष्ट्र) - 443204
133.	श्रीमती शकुन्तलाबाई धाबेकर महाविद्यालय, कारंजा (लेड) जिला वाशिम
134.	एसएनजेबी के.के.एच.ए. आर्ट्स, एस.एम.जी.एल. कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, नेमीनगर, चांदवाड, जिला नासिक- 423101 महाराष्ट्र
135.	विवेकानन्द आर्ट्स, सरदार डेलीपसिंग कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, समर्थनगर, औरंगाबाद- 431001, महाराष्ट्र
136.	विवेकानन्द कॉलेज, 2130, ई, ताराबाई पार्क कोल्हापुर, तालुक कारवीर जिला कोल्हापुर - 416003 महाराष्ट्र

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
मणिपुर	
137.	चनमबाम इबोम्बा (सी.आई) कॉलेज, बिशनुपुर जिला, मणिपुर
138	चूड़चन्द्रपुर कॉलेज, चूड़चन्द्रपुर (मणिपुर)
139.	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर- 795003
140.	पेटग्यू कॉलेज, उखरुल, मणिपुर- 795142
141.	सेंट कूला महिला महाविद्यालय, कोंगखाम्पेट, पी.ओ. एंड पी.एस.- नामबोल, बिशनुपुर, जिला मणिपुर - 795134
142.	वाईखोम मणि गर्ल्स कॉलेज, थोम्बई ओकरम, पी.ओ. एवं जिला थोबाल, मणिपुर- 795138
मिजोरम	
143.	पाचुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज, कॉलेज वेंग, आईजोल, मिजोरम- 796001
नागालैण्ड	
144.	दीमापुर गर्वमेंट कॉलेज, ओरिएंटल कालोनी, दीमापुर- 797112
145.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, जुनहेबोटो, नागालैण्ड
146.	साकुर मिशन कॉलेज, लैंडमार्क कालोनी, दीमापुर- 797112
147.	सेंट जोसेफ कॉलेज, जाखमा, पीओ बॉक्स-39, कोहिमा (नागालैण्ड)
ओडिशा	
148.	डी.डी. (स्वायत्त) कॉलेज, क्योझर- 758001
149.	फकीर मोहन (स्वायत्त) कॉलेज, बालासोर- 756001 (ओडिशा)
150.	गर्वमेंट (स्वायत्त) कॉलेज, भवानीपटना- 766001, जिला कालाहांड, ओडिशा
151.	गर्वमेंट (स्वायत्त) कॉलेज, राउरकेला-769004 (ओडिशा)
152.	खालीकोटे (स्वायत्त) कॉलेज, बरहामपुर, गंजम- 760001
153.	महाराजा पूर्ण चन्द्र कॉलेज, ताकतपुर, बारीपाड़ा, मयूरभंज- 757003, ओडिशा
154.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कथाजोडी कैम्पस, सेक्टर-13, सीडीए, कटक, ओडिशा
155.	विक्रम देव कॉलेज, जेपुर, कोरापूट- 764001, ओडिशा
पुदुचेरी	
156.	पुदुचेरी यूनिवर्सिटी कम्युनिटी कॉलेज, कालापेट, पुदुचेरी- 605014
पंजाब	
157.	बी.बी.के. डी.ए.वी. महिला कॉलेज लारेंस रोड, अमृतसर- 143001, पंजाब
158.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मन्सा रोड, भटिंडा- 151001, पंजाब
159.	डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स, गढ़शंकर- 144527
160.	गर्वमेंट मोहिन्द्रा कॉलेज, पटियाला- 147001
161.	गर्वमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, राखबाग, लुधियाना- 141001, पंजाब
162.	हंसराज महिला महाविद्यालय, महात्मा हंस राज मार्ग, जालंधर -144001, पंजाब
163.	जेसी डीएवी कॉलेज दसुया, होशियारपुर
164.	कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, फगवाड़ा- 144401
165.	लायलपुर महिला खालसा कॉलेज, जालंधर सिटी, पंजाब
166.	माता गुजरी कॉलेज, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब
167.	प्रेम चन्द मारकंडेय एस.डी. कॉलेज फॉर वूमन, नेहरू गार्डन रोड, जालंधर- 144001, पंजाब
168.	आर.आर. बाबा डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स, समध रोड, बटाला- 143505, पंजाब
169.	एस.सी.डी. गर्वमेंट कॉलेज, सिविल लाइन, लुधियाना- 141001
राजस्थान	
170..	बनस्थली विद्यापीठ, पी.ओ. बनस्थली विद्यापीठ- 304022, राजस्थान
तेलंगाना	
171.	जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज, मार्केट रोड, बेमुलवाड़ा- 505302, करीमनगर (जिला) तेलंगाना

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
तमिलनाडु	
172.	आया नादर जानकी अम्मल कॉलेज (स्वायत्त) श्रीविल्लीपुत्तूर रोड, सिक्कासी वेस्ट- 626124, वीरुधुनगर, तमिलनाडु
173.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरूर
174.	द्वारका दास गोवर्धनदास वैष्णव कॉलेज (स्वायत्त) नं. 833, पेरियाकुलम ईवीआर सलाई, अरुम्बाक्कम, चेन्नई
175.	जयराज अन्नापकिम कॉलेज फॉर वूमन, (स्वायत्त) पेरियाकुलम- 625501, थेनी जिला, तमिलनाडु- 625601
176.	लेडी डॉक कॉलेज मदुरई- 625002 (तमिलनाडु)
177.	मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, (स्वायत्त) ईस्ट तम्बाराम, चेन्नई 600059
178.	मदुरई इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, 9, अलगर कोवली रोड, मदुरई- 625002
179.	मनोमणियम सुन्दरनार यूनिवर्सिटी, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु
180.	नेशनल कॉलेज (स्वायत्त) डिंडीगुल रोड, करुमन्डपम, तिरुचरापल्ली- 620001, तमिलनाडु
181.	पीएसजीआर कृष्णाम्मल महिला महाविद्यालय, पीलामेडु, कोयम्बटूर- 641004
182.	सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज (स्वायत्त), तिरुचरापल्ली, तमिलनाडु
183.	श्री जी.वीजी. वीसालक्षी कॉलेज फॉर वूमन (स्वायत्त), उदूमलपेट
184.	श्री कालेश्वरी कॉलेज (स्वायत्त), ए. मीनाक्षीपुरम अनाईकुलटम, पोस्ट, सिक्कासी -626130, विरुधुनगर
185.	दि अमेरिकन कॉलेज, मदुरई, 625002, तमिलनाडु
उत्तर प्रदेश	
186.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, (उत्तर प्रदेश)
187.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)
188.	इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, गुरुघाट, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद- 211003
189.	एस.एस. खन्ना गर्ल्स कॉलेज, 179-डी, अत्तरसूया, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
190.	सेंट एंड्रयूस कॉलेज, जिला न्यायालय के सामने, गोरखपुर-273001, उत्तर प्रदेश
उत्तराखण्ड	
191.	एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी, चौरास कैंपस, श्रीनगर गढ़वाल- 249161 (उत्तराखण्ड)
192.	कुमाऊं यूनिवर्सिटी, स्लीपी हॉलो, नैनीताल- 263001 (उत्तराखण्ड)
पश्चिम बंगाल	
193.	आशुतोष महाविद्यालय, 92, श्यामाप्रसाद मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700026
194.	भास्कर कॉलेज, ए.टी- पो.ओ. दांतन पश्चिम मिदिनापुर-721426, पश्चिम बंगाल
*195.	सिटी कॉलेज, 102/1, राजा राममोहन सराय, कोलकाता-700 009 (पश्चिम बंगाल)
196.	डेरोजिओ मेमोरियल कॉलेज, राजाराहत रोड, गोपालपुर, नॉर्थ 24, परगना, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
197.	मायानागूरी कॉलेज, जलपाईगुड़ी, (पश्चिम बंगाल)
198.	मुगबेरिया गंगाधर महाविद्यालय, पीओ भूपतीनगर, जिला पूर्वी मिदिनापुर, पश्चिम बंगाल- 721425
*199.	सिल्दा चन्द्रा शेखर कॉलेज, पीओ सिल्दा, जिला पश्चिम मिदिनापुर- 721414

*मामले की जांच करने के लिए समीक्षा समिति द्वारा की गई किसी भी पूछताछ के संबंध में समिति का गठन किया जाएगा।

10.2 (ख) व्यवसाय स्नातक (बी0 वोक0) उपाधि कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालय-विश्वविद्यालयी शिक्षा के भाग के रूप में कौशल विकास आधारित उच्चतर शिक्षा पर एक योजना आरंभ की है जिससे एनएसक्यूएफ के तहत डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा के स्तर पर पार्श्व प्रवेश और एकाधिक निकास विकल्प के साथ व्यवसाय स्नातक (बी0वोक0) की उपाधि प्रदान की जाएगी। बी0वोक0 कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो स्नातकपूर्व स्तर पर अध्ययन प्रदान करते हैं जो विशिष्ट रोजगार भूमिकाओं और उनके एनओएस के साथ-साथ व्यापक आधार वाली सामान्य शिक्षा को भी शामिल करेंगे। इससे बी0 वोक0 पूर्ण करने वाले स्नातक समुचित रोजगार प्राप्त कर, उद्यमी बनकर और समुचित ज्ञान का सृजन कर भारत की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में सक्षम होंगे।

तालिका 10.2(ख) (i) वर्ष 2017-18 के दौरान संगत संस्थानों को आबंटित तथा जारी किये गए अनुदान की स्थिति निम्नानुसार है :-

योजना का नाम	कुल (महाविद्यालय / विश्वविद्यालय)	तीन वर्षों के लिए आबंटित अनुदान (करोड़ रुपए में)	जारी किया गया अनुदान (वर्ष 2017-18) (करोड़ रुपए में)
वी. वोक. उपाधि कार्यक्रम	162	241.06	14.55

तालिका 10.2(ख) (ii) वी0 वोक0 उपाधि प्रदान करने वाले 162 महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों की सूची

क्र. सं.	संस्थान का नाम
	आन्ध्र प्रदेश
1.	आन्ध्रा लोयोला कॉलेज, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश
2.	सी.एच. एस.डी. सेंट थेरेसिया आटोनोमस कॉलेज फॉर वीमेन, एलूरु, सानीवारापुपेट, पश्चिम गोदावरी, जिला, आन्ध्र प्रदेश
3.	पिथापुर राजा गवर्नमेंट कॉलेज, काकीनाडा
4.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति
5.	सेंट फ्रांसिस महिला कॉलेज, स्ट्रीट नं. 6, उमानगर, बेगमपेट, हैदराबाद
	असम
6.	अभयपुरी कॉलेज, पी. ओ. अभयपुरी, जिला बोंगाईगांव
7.	चैदूर कॉलेज, असम
8.	जागीरोड कॉलेज, पी.ओ. जागीरोड, मोरीगांव (असम)
9.	कालीयाबोर कॉलेज, पीओ कुवारीतोल, जिला नागांव, असम
10.	नाजिरा कॉलेज, नागा अली नाजिरा, सिबसागर, (असम)
11.	पीयूबी कामरूप कॉलेज, पीओ बैहाटा चारेली, कामरूप
12.	तेजपुर विश्वविद्यालय, पो.ओ. नापाम, जिला सोनितपुर, तेजपुर, असम- 784028
13.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर
14.	डी.के. कॉलेज मिर्जा, कामरूप
15.	मंगलदई कॉलेज, जिला दरंग, असम
16.	उत्तरी गुवाहाटी कॉलेज, कॉलेज नगर, गुवाहाटी
17.	रंगिया कॉलेज सुलाकुची, कामरूप, असम
18.	एसबीएमएस कॉलेज सुलाकुची, कामरूप, असम
	बिहार
19.	कलावती स्नातक महाविद्यालय, रानीगंज अररिया, बिहार- 854334
20.	केन्द्रीय दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय
	छत्तीसगढ़
21.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, छत्तीसगढ़
22.	पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
	चण्डीगढ़
23.	डीएवी कॉलेज, सेक्टर-10, चण्डीगढ़
	दिल्ली
24.	जीजस एण्ड मेरी कॉलेज, नई दिल्ली
25.	कालिन्दी कालेज, ईस्ट पटेल नगर, दिल्ली
	गुजरात
26.	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन- 384265 गुजरात
27.	एन.एस. पटेल आर्ट्स कॉलेज, आणंद
28.	प्रमुख स्वामी साइंस एंड एच.डी. पटेल आर्ट्स कॉलेज, सर्व विद्यालय, कैम्पस, जिला मैसाणा
29.	तोलांनी कॉमर्स कॉलेज, आदिपुर कच्छ, गुजरात
30.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
	हरियाणा
31.	अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़
32.	आर्य कॉलेज, जी.टी. रोड, पानीपत, हरियाणा
33.	केवीए डीएवी महिला कॉलेज, रेलवे रोड करनाल
34.	कन्या महाविद्यालय खारखोदा, सोनीपत

क्र. सं.	संस्थान का नाम
	जम्मू
35	केन्द्रीय विश्वविद्यालय जम्मू, त्रिकूटा नगर, जम्मू
36	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय
	झारखण्ड
37	सेंट जेवियर कॉलेज, रांची, डॉ. कामली बुल्के पथ, (पुरुलिया रोड), झारखण्ड
	कर्नाटक
38	ज्योति निवास कॉलेज (ए), होसूर रोड, बंगलुरु
39	महारानी लक्ष्मी अम्मान्नी महिला महाविद्यालय, बंगलुरु- 560012
40	माउंट कारमेल कॉलेज, स्वायत्त, 58, पैलेस रोड, बंगलुरु- 560052
41	सेंट जोसेफ कॉलेज (स्वायत्त) लालबाग रोड, बंगलुरु- 560027
42	तुमकुर विश्वविद्यालय, साइंस कॉलेज कैम्पस, बी.एच. रोड, तुमकुर
43	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक
44	बीएमएस कॉलेज फॉर वूमैन, बुगले रॉक रोड, बंगलुरु
45	सेन्ट फिलोमेन कॉलेज, बन्नीमनताप, मैसूर, कर्नाटक
	केरल
46	अल्फोंसा कॉलेज, कोट्टायम, केरल
47	कारमेल कॉलेज, माला, केरल
48	फारुख कॉलेज, कोझीकोड
49	कॉरीकोस इलायस कॉलेज, जिला- कोट्टयम, केरल
50	एमईएस कॉलेज, मारमपल्ली पो.ओ. नार्थ वाझाकुलम, अलुवा - 683107, केरल
51	सेंट एलबर्ट कॉलेज, एर्णाकुलम, कोच्चि
52	सेंट मेरी कॉलेज, कॉलेज रोड, थ्रिसूर- 680020
53	सेंट माईकल कॉलेज, चेरथाला, माईआथारा
54	सेंट थॉमस कॉलेज, पाला, अरुणापुरम
55	सेंट थॉमस कॉलेज, थ्रिसूर, केरल
56	सेंट ऑलोसियस कॉलेज, एल्थुरुथ, थ्रिसूर- 680611
57	सुल्लामुसालम साइंस कॉलेज
58	बिशप हर्बर कॉलेज, त्रिचिरापल्ली
59	सेन्ट बर्चामेन कॉलेज, चनगानाचेरी, केरल
60	सेन्ट थेरेसा कॉलेज, एर्नाकुलम, कोच्चि
	मध्य प्रदेश
61.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
	महाराष्ट्र
62	देवगिरि कॉलेज, औरंगाबाद, रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)- 4431005
63	धोते बंधु साइंस कॉलेज, तिरोरा रोड, जिला गोंदिया (महाराष्ट्र)- 441614
64	ध्यानोपासक शिक्षण मंडल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, परभनी- 431401
65	फरगसन कॉलेज, डेक्कन जिमखाना, पुणे, महाराष्ट्र
66	एच.आर. कॉलेज ऑफ कामर्स एंड इकोनामिक्स, चर्चगेट, मुंबई
67	जयसिंहपुर कॉलेज, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)
68	जे.एम. पटेल आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, भंडारा - 441904
69	जीवन विकास महाविद्यालय, थुगोनोदेव, तहसील नारखेड, जिला नागपुर- 431301
70	कमला कॉलेज, कोल्हापुर
71	कमला नेहरू महाविद्यालय, सक्करदारा स्कवेयर, उमरेर रोड, नागपुर- 4400024
72	खांदेश कॉलेज एजुकेशन सोसायटी मूलजी जेटा कॉलेज, जिला पेथ, जलगांव
73	केआरटी आर्ट्स, बीएच कॉमर्स एंड एएम साइंस कॉलेज, शिवाजी नगर, गंगापुर रोड, नासिक (महाराष्ट्र)
74	केवीपी किसान आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निकट, एट. पो. ताल, पारोला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र- 425111
75	लेट एसओडब्ल्यू कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय, जितूर रोड, पोस्ट बॉक्स नं. 34, परभनी- 431401
76	लोकनेते वेंकटराव हिरे आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज (महाराष्ट्र)
77	पी.ई.एस. मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, गणेशखिंद महाराष्ट्र- 411053

क्र. सं.	संस्थान का नाम
78	पीडीईए बाबूरावजी गोलप कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, नई सांगवी, पुणे
79	प्रो. रामकृष्ण मोरे आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, सेक्टर नं. 28, गंगानगर, प्राधिकरण, अकुरडी, पुणे – 411044, महाराष्ट्र
80	आरजे कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कामर्स, घाटकोपर रेलवे स्टेशन के सामने, मुंबई-400086
81	संगमनेर नगरपालिका आर्ट्स, डी.जे. मालपानी कॉमर्स एंड बी.एन. सारदा साइंस कॉलेज, पुणे नासिक हाइवे, घुलेवाडी, संगमनेर, अहमदनगर
82	शंकर महर्षि स्वर्गीय भास्करराव सिंधे आर्ट्स कॉलेज बुलढाना (महाराष्ट्र)
83	संत रामदास आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, घंसावांगी जिला, जालना
84	शरद चन्द्र आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, पी-16, एमआईडीसी बूटीबोरी, जिला नागपुर
85	सेंट जेवियर कॉलेज, महापालिका मार्ग, मुंबई- 400001
86	तुलजाराम चतुरचंद कॉलेज, बॉक्स नं. 51, ए.पी. तहसील-बारामती, जिला पुणे, पिन – 413102, महाराष्ट्र
87	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
88	विकास नाइट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, मुंबई
89	विवेकानन्द कॉलेज, 2130, ई, ताराबाई पार्क, तालुक कारवीर कोल्हापुर
90	वीएमवी कॉमर्स, जेएमटी आर्ट्स एंड जेजेपी साइंस कॉलेज, वर्धमाननगर, नागपुर (महाराष्ट्र)
91	वाधिरे कॉलेज, ए/पी : सासवाद, तहसील- पुरंदर, जिला पुणे, पिन 412301, महाराष्ट्र
92	वाईसीएसपी मंडल्स दादासाहेब दिगम्बर शंकर पाटिल आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, जलगांव (महाराष्ट्र)
93	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा
94	डिग्री कॉलेज ऑफ फिजीकल एजुकेशन, महाराष्ट्र
95	डॉ० अन्नासाहेब जीडी बंदेल महिला महाविद्यालय, जलगांव
96	जयहिन्द कॉलेज, ए० रोड, चर्च गेट, मुंबई
97	कोहिनूर आर्ट्स, कामर्स एंड साइंस कॉलेज, कुलटाबाद, औरंगाबाद
98	श्री शिवाजी कॉलेज अमरावती, शिवाजीनगर, मोरशी रोड, अमरावती
	मणिपुर
99	खा मणिपुर कॉलेज, मणिपुर
100	नाम्बोल एल. सनोई कॉलेज, नाम्बोल, विष्णुपुर, मणिपुर
101	नौराम बीराहरी कॉलेज, खुदराकापम इम्फाल, मणिपुर-795144
102	एस. कूला महिला महाविद्यालय, कोंगखाम्पेट, मणिपुर
103	सॉउथ ईस्ट मणिपुर कॉलेज, कोमलथाबी, पो.ओ. पल्लेल, चंदेल जिला, मणिपुर- 795135
104	थाउबाल कॉलेज, थाउबाल वांगमाताबा, डाकघर एवं पुलिस स्टेशन थाउबाल, 795138 मणिपुर
105	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल
106	श्री श्री गौड़गोविन्द बालिका महाविद्यालय, खुरई, पूर्वी इम्फाल, मणिपुर
107	मणिपुर महाविद्यालय, सिंगईमेई, इम्फाल, मणिपुर
	मिजोरम
108	मिजोरम विश्वविद्यालय
	नागालैण्ड
109	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, बागवानी विभाग, एसएसएसआरडी, मेदजीफेमा कैम्पस, मेदजीफेमा- 797106 नागालैण्ड
110	मार्डन कॉलेज, कोहिमा, नागालैण्ड
	पुदुचेरी
111	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, एमएएचई कैम्पस
	पंजाब
112	ए.एस. कॉलेज, समराला रोड, खन्ना जिला, लुधियाना- 141402, पंजाब
113	एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, महावीर मार्ग, जालंधर, पंजाब- 144004
114	बी.बी.के. डी.ए.वी. महिला कॉलेज लारेंस रोड, अमृतसर, पंजाब
115	दोआबा कॉलेज, विद्यालय मार्ग, देवी तालाब मंदिर के सामने, जालंधर सिटी, जिला जालंधर, पंजाब- 144004
116	गुरु नानक कॉलेज, बुढलाड़ा, मनसा, पंजाब-151502
117	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय कॉलेज, पट्टी, तरन तारन
118	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय कॉलेज, वरका, जिला- अमृतसर, पिन 143501
119	हंसराज महिला महाविद्यालय, महात्मा हंस राज मार्ग, जालंधर, पंजाब
120	कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, फगवाड़ा कपूरथला, पंजाब- 144401
121	खालसा महिला कॉलेज, अमृतसर

क्र. सं.	संस्थान का नाम
122	लायलपुर खालसा कॉलेज, जालंधर, पंजाब
123	माता गुजरी कॉलेज, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब— 140406
124	अमर शहीद बाबा अजीत सिंह जुझर सिंह मेमोरियल कॉलेज, ग्राम बेला, तहसील चमकौर साहिब, जिला रोपण, पंजाब
125	जीएचजी खालसा कॉलेज, लुधियाना
126	मुल्तानी मल मोदी कॉलेज, सुनामी गेट के सामने, पटियाला, पंजाब
127	शांति देवी आर्य महिला कॉलेज, बीना नगर, गुरुदासपुर, पंजाब
128	श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, आनंदपुर साहिब, पंजाब
राजस्थान	
129	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली
130	महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
तमिलनाडु	
131	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी, तमिलनाडु
132	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर — 608002 (तमिलनाडु)
133	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर — 641046, तमिलनाडु
134	मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, (स्वायत्त) ताम्बराम ईस्ट, चेन्नई—600059
135	पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, कोयम्बटूर
136	पीएसजीआर कृष्णम्मल महिला महाविद्यालय, पीलामेडु, कोयम्बटूर — 641004
137	सेंट जोसेफ महिला महाविद्यालय, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु
138	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस, कोयम्बटूर
139	लेडी डोएक कॉलेज, मदुरई, तमिलनाडु
140	लिटल फ्लावर कॉलेज, मदुरई, तमिलनाडु
141	पेरियार यूनिवर्सिटी, सलेम, तमिलनाडु
142	स्टेला मारिस कॉलेज, चिन्नई, चेन्नई, तमिलनाडु
143	विरुद्धनगर हिन्दू नाडर शांतिकुरा, नाडर महाविद्यालय, तमिलनाडु
तेलंगाना	
144	हिन्दी महाविद्यालय, ओयू रोड, हैदराबाद
त्रिपुरा	
145	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला
उत्तराखण्ड	
146	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, उत्तराखंड
147	कुमाऊ विश्वविद्यालय, मल्लीताल, नैनीताल
उत्तर प्रदेश	
148	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, (उत्तर प्रदेश)
149	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ, 226025 (उत्तर प्रदेश)
150	हामीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सुल्तानपुर भावा, नूरुउल्लाह रोड, इलाहाबाद— 211003
151	श्री अग्रसेन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुलेनाला, परमानंदपुर, वाराणसी
152	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ— 226007 (उत्तर प्रदेश)
153	धीरेन्द्र महिला स्नातकोत्तर कॉलेज, वाराणसी, उत्तरप्रदेश
154	स्कूल ऑफ मेनेजमेन्ट साइंस, कासिमपुर बिरुहा, डाकघर कासिमपुर, गोसाईगंज, लखनऊ
155	इलाहाबाद विश्वविद्यालय
156	इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, मुदठीगंज, इलाहाबाद
157	ईश्वर सरन डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
पश्चिम बंगाल	
158	आशुतोष महाविद्यालय, 92, श्यामाप्रसाद मुखर्जी रोड, कोलकाता— 700026, पश्चिम बंगाल
159	बेल्दा कॉलेज, पो.ओ. बेल्दा, जिला पश्चिम मिदिनापुर— 721424, पश्चिम बंगाल
160	डेरोजिओ मेमोरियल कॉलेज, परगना— 700136, पश्चिम बंगाल
161	महिषादल गिरी महाविद्यालय, रांगीबासन, डाकघर महिषादल, पूर्वी मिदिनापुर (पश्चिम बंगाल)
162	रामनगर कॉलेज पूर्वी मिदिनापुर, पश्चिम बंगाल— 721453

10.2 (ग) दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र

बड़े पैमाने पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता को समझते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का 'दीन दयाल उपाध्याय ज्ञान अर्जन और कुशल मानवीय सक्षमताओं और आजीविका के उन्नयन हेतु (कौशल) केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये केन्द्र व्यावसायिक शिक्षा को एक नए स्तर पर ले जाएंगे और डिप्लोमा और बी0 वोक0 उपाधि से इतर भी पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे। यह केन्द्र मात्र कौशल प्रदान करने पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे बल्कि उद्यमशीलता के लक्षण भी विकसित करेंगे। यह केन्द्र डिप्लोमा, उच्च डिप्लोमा, बी0वोक और स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तर में उच्च अध्ययन के संबंध में छात्र नामांकन के एक पैरामेट्रिकल संरचना को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। यह केन्द्र देश की उच्चतर शिक्षा प्रणाली और उद्योग के बीच समन्वय करेंगे ताकि वे विशेषज्ञता के क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में काम कर सकें।

तालिका 10.2 (ग)(i) संगत संस्थानों को आबंटित तथा जारी किए गए अनुदान की स्थिति नीचे दी गई है:-

योजना का नाम	कुल केन्द्र	वर्ष 2017-18 तक आबंटित अनुदान (करोड़ रुपए में)	जारी किया गया अनुदान (वर्ष 2017-18) (करोड़ रुपए में)
डीडीयू कौशल	63 (स्ववित्तपोषित 16)	170.45	3.15

10.2 (ग) (ii) डीडीयू कौशल केन्द्रों के लिए संस्तुत अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों की सूची

क्र. सं.	संस्थान का नाम
1.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग, विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश- 485334
2.	कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबुल श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर- 190006
3.	मार इवॉनियस कॉलेज, बेथनी हिल्स, नालन्धीरा, तिरुवनन्तपुरम- 695015
4.	डी.ए.वी. कॉलेज फॉर गर्ल्स, यमुना नगर, हरियाणा
5.	गुलाम नबी आजाद आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज बारशी तकाली, जिला अकोला-444401
6.	बी.वी.के. कॉलेज, द्वारकानगर, विशाखापत्तनम-530016
7.	पटकार्डी क्रिश्चियन कॉलेज, चूमूकेडिमा, साइथेकेमा, बीपीओ-पटकार्डी- 797103, दीमापुर, नागालैंड
8.	देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर- 452001
9.	जेएसएस कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, ऊंटी रोड, मैसूर- 570025
10.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा 282110, उत्तर प्रदेश
11.	भारथीदासन यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु
12.	सोनापुर कॉलेज, कामरूप, असम
13.	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केरल
14.	जामिया मिलिया इस्लामिया (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) मौलाना जामिया नगर, नई दिल्ली- 110025
15.	सीपी पटेल एंड एफएच शाह कॉमर्स कॉलेज, एनएस पटेल सर्कल, आनन्द, गुजरात
16.	श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस
17.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
18.	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
19.	रामनारायण रुइया कॉलेज, एलएन रोड, माटुंगा, मुंबई-400019
20.	कन्या महाविद्यालय, जालन्धर
21.	दि गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु
22.	नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
23.	जनरल शिवदेव सिंह दीवान गुरुबचन सिंह खालसा कॉलेज, पटियाला, पंजाब
24.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़, हरियाणा
25.	सेंट अलोसियस कॉलेज, मैंगलोर, कर्नाटक
26.	लोयोला कॉलेज, नुंगाबक्कम, चेन्नई- 600034
27.	देव समाज कॉलेज फॉर वूमेन, फिरोजपुर सिटी- 152002, पंजाब
28.	रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मेरठ
29.	रामानुजम कॉलेज, कालकाजी, नई दिल्ली
30.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, बाई-पास रोड, पलवल- 121102, हरियाणा

क्र. सं.	संस्थान का नाम
31.	आनन्द कॉलेज, कोर्ट रोड, हजारीबाग, झारखण्ड- 825301
32.	श्री शंकरा कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नं. 1, कालाडी- 683574, एर्णाकुलम जिला, केरल
33.	गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, चंडीगढ़
34.	एन.जी. (गर्वमेंट) कॉलेज, लाम्फेलपेट, मणिपुर
35.	एम.ई.एस. अबासाहेब गरवारे कॉलेज, कार्वे रोड, जिला पुणे, महाराष्ट्र
36.	सावित्रीबाई फूले, पुणे यूनिवर्सिटी, गणेशखिन्ड, पुणे
37.	धनमंजूरी कम्युनिटी कॉलेज (मणिपुर सरकार), इम्फाल, मणिपुर
38.	महिषादल राज कॉलेज, महिषादल, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम बंगाल- 721628
39.	श्री अग्रसेन पी.जी. कॉलेज और एजुकेशन, केशव विद्यापीठ समिति जामडोली, जयपुर
40.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
41.	तेंगाघाट कॉलेज, पीओ तेंगाघाट, जिला डिब्रूगढ़, पिन-786103, असम
42.	श्री मणिभाई विरानी, श्रीमती नवलबेन विरानी साइंस कॉलेज, योगीधाम गुरुकुल, कलावाड रोड- 360005, राजकोट, गुजरात
43.	सनातन धर्म कॉलेज, अम्बाला कैट, हरियाणा- 133001
44.	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय
45.	विवेकानन्द कॉलेज, कन्याकुमारी, तमिलनाडु
46.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
47.	सरदार भगत सिंह गर्वमेंट पीजी कॉलेज, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड

10.2 (ग) (iii) स्व-वित्त पोषित श्रेणी के तहत डीडीयू कौशल केन्द्रों हेतु संस्तुत संस्थानों की सूची

क्र. सं.	संस्थान का नाम
1.	डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, विलासपुर, छत्तीसगढ़
2.	आत्मीया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंस, योगीधाम गुरुकुल, कलावाड रोड, राजकोट- 360005, गुजरात
3.	एसजीटी विश्वविद्यालय, गुडगांव- बादली रोड, चन्दु-बुधेरा, गुडगांव, हरियाणा
4.	पद्मश्री इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड साइंस, नम्बर 149, पद्मश्री कैम्पस, कोमघट्टा, सुलीकेरे (पोस्ट), केंगेरी, बंगलुरु-60, कर्नाटक
5.	स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान समस्थानम् बंगलुरु- 560019
6.	अमृत विश्व विद्यापीठम्, अमृतपुरी कैम्पस, कल्पना, कोल्लम, केरल
7.	राजीव गांधी कॉलेज, शाहपुरा, भोपाल, मध्य प्रदेश
8.	सेचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेनेजमेंट, गाजापट्टी, ओडिशा
9.	डॉ. एन.जी.पी. आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
10.	एनएसएस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, साथ्य मेन रोड, एसएनएस काल्वी नगर, सर्वनामपट्टी पोस्ट, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
11.	श्री रामकृष्ण कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस फॉर वूमेन, 395, सरोजनी नायडू रोड, सिद्धापुथुर, कोयम्बटूर- 641044, तमिलनाडु
12.	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, एनाथूर, कांचीपुरम- 631561
13.	वी.ओ. चिदम्बरम कॉलेज, थूथुकुडी, तमिलनाडु
14.	श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, सरस्वती विहार, शिकारपुर- 202395, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश
15.	श्री जी बाबा इंस्टीट्यूट, सेमारी, छत्ता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश
16.	राजीव गांधी मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय राजमार्ग- 18, नेरावाडा क्रॉस रोड, नंद्याल- 581501, कुरनूल जिला, आन्ध्र प्रदेश

10.2 सारांश

एनएसक्यूएफ के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौशल विकास योजना की योजनावार स्थिति

(वर्ष 2013 से 2018 के दौरान)

सामुदायिक महाविद्यालय योजना का प्रारंभ-वर्ष 2013-14, बी0 वो. योजना का प्रारंभ-वर्ष 2014-15, कौशल केन्द्र योजना का प्रारंभ-वर्ष 2015-16

योजना	संस्थानों की संख्या	दाखिले की अनुमोदित संख्या	वर्ष 2017-18 तक कुल अनुदान (करोड़ रुपए में)	
			आबंटित	संवितरित
सामुदायिक महाविद्यालय (सीसी):	199 (एसएफ 02)	15550	169.74	115.45
बी0 वो. डिग्री कार्यक्रम:	162 (एसएफ 03)	19050	241.06	137.06

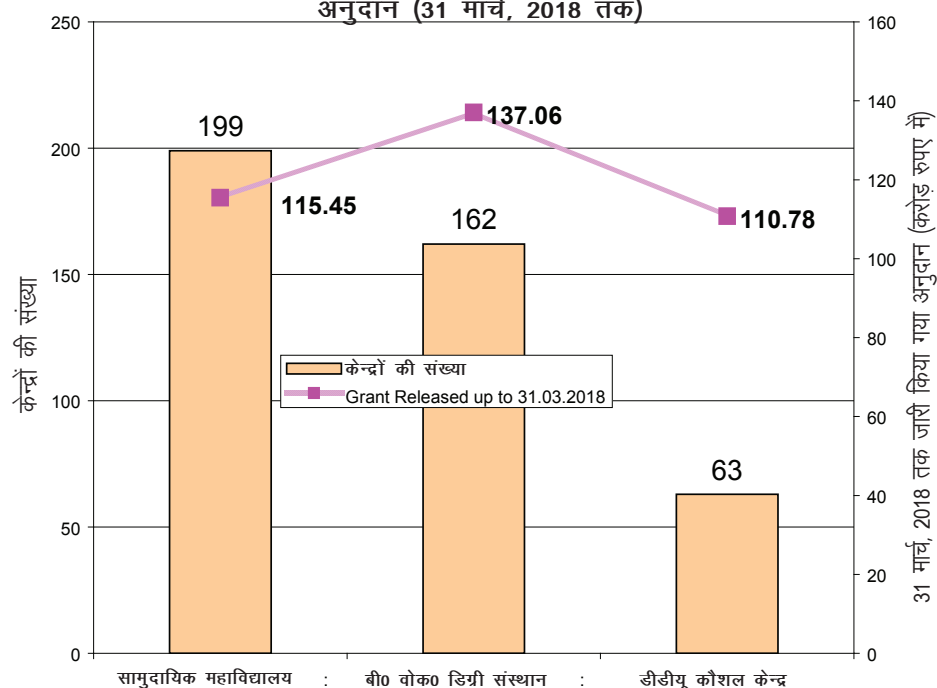
डीडीयू कौशल केन्द्र (के0के0):	63 (एसएफ 16)	8600	170.45	110.78
कुल	424	43200	581.25	363.29

सामुदायिक महाविद्यालय, बी.वोक. तथा डीडीयू कौशल केन्द्रों के लिए वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान जारी किए गए अनुदान का वर्षवार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

योजना	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सामुदायिक महाविद्यालय :	4.28	35.89	33.36	22.68	19.24
बी0 वोक0 डिग्री संस्थान :	--	80.64	31.87	10.00	14.55
डीडीयू कौशल केन्द्र :		--	98.70	8.93	3.15

रेखाचित्र 10.2: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कौशल विकास योजनाएं (एनएसक्यूएफ): केन्द्र: जारी किया गया अनुदान (31 मार्च, 2018 तक)



10.2 से 10.3: दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कौशल विकास केन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सामुदायिक महाविद्यालय	बी0वोक0 पाठ्यक्रम	डीडीयू कौशल केन्द्र	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह				
2	आन्ध्र प्रदेश	7	5	2	14
3	अरुणाचल प्रदेश	1			1
4	असम	27	13	2	42
5	बिहार	6	2		8
6	चण्डीगढ़	1	1	1	3
7	छत्तीसगढ़	1	2	1	4
8	दादरा और नागर हवेली				
9	दमन और दीव				
10	दिल्ली	1	2	2	5
11	गोवा				

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सामुदायिक महाविद्यालय	बी0वोक0 पाठ्यक्रम	डीडीयू कौशल केन्द्र	कुल
12	गुजरात	3	5	3	11
13	हरियाणा	9	4	5	18
14	हिमाचल प्रदेश	2		1	3
15	जम्मू और कश्मीर	3	2	1	6
16	झारखण्ड	5	1	1	7
17	कर्नाटक	12	8	4	24
18	केरल	19	15	3	37
19	लक्षद्वीप				
20	मध्य प्रदेश	4	1	3	8
21	महाराष्ट्र	35	37	6	78
22	मणिपुर	6	9	2	17
23	मेघालय				
24	मिजोरम	1	1		2
25	नागालैण्ड	4	2	1	7
26	ओडिशा	8		1	9
27	पुदुचेरी	1	1		2
28	पंजाब	13	17	3	33
29	राजस्थान	1	2	2	5
30	सिक्किम				
31	तमिलनाडु	14	13	10	37
32	तेलंगाना	1	1		2
33	त्रिपुरा		1		1
34	उत्तर प्रदेश	5	10	7	22
35	उत्तराखण्ड	2	2	1	5
36	पश्चिम बंगाल	7	5	1	13
	कुल	199	162	63	424

❖ 11.1 मुक्त और दूरस्थ शिक्षण/छात्र नामांकन

► मुक्त और दूरस्थ शिक्षा

11.1 मुक्त और दूरस्थ शिक्षण/छात्र नामांकन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 23 जून, 2017 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 को अधिसूचित किया तथा दिनांक 17 जुलाई, 2017 को यह उल्लेख करते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 को वर्ष 2018-19 से लागू किया जाएगा। तत्पश्चात्, भारत के राजपत्र में प्रथम संशोधन दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 को जारी किया गया तथा द्वितीय संशोधन दिनांक 06 फरवरी, 2018 को जारी किया गया।

शिक्षा सत्र वर्ष 2018-19 तथा उसके बाद से उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) से ओडीएल कार्यक्रमों हेतु ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित करने की प्रक्रिया आरंभ की गई।

तालिका 11.1 (क): वर्ष 2017-18 के लिए दूरस्थ शिक्षा पद्धति से कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सूची :

तालिका 11.1(क)

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	राज्य	विश्वविद्यालय/संस्थान का स्वरूप
1.	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय	आन्ध्र प्रदेश	राज्य विश्वविद्यालय
2.	आन्ध्र विश्वविद्यालय	आन्ध्र प्रदेश	राज्य विश्वविद्यालय
3.	गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेनेजमेन्ट (जीआईटीएम)	आन्ध्र प्रदेश	सम विश्वविद्यालय
4.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	आन्ध्र प्रदेश	सम विश्वविद्यालय
5.	रायलसीमा विश्वविद्यालय	आन्ध्र प्रदेश	राज्य विश्वविद्यालय
6.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालयम्	आन्ध्र प्रदेश	राज्य विश्वविद्यालय
7.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	अरुणाचल प्रदेश	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
8.	ऑल इंडिया मेनेजमेंट एसोसिएशन	दिल्ली	निजी संस्थान
9.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	दिल्ली	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
10.	इंस्टीट्यूट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट	दिल्ली	निजी संस्थान
11.	जामिया हमदर्द	दिल्ली	सम विश्वविद्यालय
12.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फेमली वेलफेयर	दिल्ली	सरकारी संस्थान
13.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	दिल्ली	सम विश्वविद्यालय
14.	टेक्नीया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज	दिल्ली	निजी संस्थान
15.	टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज	दिल्ली	सम विश्वविद्यालय
16.	दिल्ली विश्वविद्यालय	दिल्ली	केन्द्रीय विश्वविद्यालय

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	राज्य	विश्वविद्यालय / संस्थान का स्वरूप
17.	आईएफआईएम बिजनेस स्कूल	कर्नाटक	निजी संस्थान
18.	कुवेम्पू विश्वविद्यालय	कर्नाटक	राज्य विश्वविद्यालय
19.	मैंगलोर विश्वविद्यालय	कर्नाटक	राज्य विश्वविद्यालय
20.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी	कर्नाटक	राज्य विश्वविद्यालय
21.	स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान	कर्नाटक	राज्य विश्वविद्यालय
22.	आई. के. गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय	पंजाब	राज्य विश्वविद्यालय
23.	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी	पंजाब	राज्य निजी विश्वविद्यालय
24.	पंजाबी विश्वविद्यालय	पंजाब	राज्य विश्वविद्यालय
25.	पंजाब विश्वविद्यालय	चण्डीगढ़	राज्य विश्वविद्यालय
26.	यू0 पी0 राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय	उत्तर प्रदेश	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय
27.	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय	उत्तर प्रदेश	राज्य निजी विश्वविद्यालय
28.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
29.	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय	तमिलनाडु	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय
30.	तमिल विश्वविद्यालय	तमिलनाडु	राज्य विश्वविद्यालय
31.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा	तमिलनाडु	राष्ट्रीय महत्व का संस्थान
32.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट	उत्तर प्रदेश	सम विश्वविद्यालय
33.	आईएमटी डिस्टेन्स एंड ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट	उत्तर प्रदेश	निजी संस्थान
34.	इंटीग्रल युनिवर्सिटी	उत्तर प्रदेश	राज्य निजी विश्वविद्यालय
35.	तेजपुर विश्वविद्यालय	असम	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
36.	असम डॉउन टॉउन विश्वविद्यालय	असम	राज्य निजी विश्वविद्यालय
37.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	असम	राज्य विश्वविद्यालय
38.	असम डॉन बास्को विश्वविद्यालय	असम	राज्य निजी विश्वविद्यालय
39.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय	असम	राज्य विश्वविद्यालय
40.	कृष्णकान्त हान्डीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	असम	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय
41.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय	गुजरात	राज्य विश्वविद्यालय
42.	मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय
43.	जीवाजी विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश	राज्य विश्वविद्यालय
44.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश	राज्य विश्वविद्यालय
45.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश	राज्य विश्वविद्यालय
46.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	त्रिपुरा	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
47.	पंडित सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय	छत्तीसगढ़	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय
48.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	हरियाणा	राज्य विश्वविद्यालय
49.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय	हरियाणा	राज्य विश्वविद्यालय
50.	गुरु जम्भेश्वर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	हरियाणा	राज्य विश्वविद्यालय
51.	कश्मीर विश्वविद्यालय	जम्मू और कश्मीर	राज्य विश्वविद्यालय
52.	जम्मू विश्वविद्यालय	जम्मू और कश्मीर	राज्य विश्वविद्यालय
53.	कन्नूर विश्वविद्यालय, केरल	केरल	राज्य विश्वविद्यालय
54.	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई	महाराष्ट्र	सम विश्वविद्यालय
55.	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई	महाराष्ट्र	राज्य विश्वविद्यालय
56.	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नान्देड़	महाराष्ट्र	राज्य विश्वविद्यालय
57.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटिरियल मैनेजमेंट, नवी मुंबई	महाराष्ट्र	निजी संस्थान

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	राज्य	विश्वविद्यालय/संस्थान का स्वरूप
58.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक	महाराष्ट्र	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय
59.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई	महाराष्ट्र	सम विश्वविद्यालय
60.	वेलींगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट डेवलपमेंट एण्ड रिसर्च, मुंबई	महाराष्ट्र	निजी संस्थान
61.	सिम्बॉयसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, पुणे	महाराष्ट्र	निजी संस्थान
62.	भारती विद्यापीठ, पुणे	महाराष्ट्र	सम विश्वविद्यालय
63.	एमआईटी स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, पुणे	महाराष्ट्र	निजी संस्थान
64.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	महाराष्ट्र	राज्य विश्वविद्यालय
65.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	महाराष्ट्र	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
66.	डॉ० डी० वाई० पाटिल विद्यापीठ, पुणे	महाराष्ट्र	सम विश्वविद्यालय
67.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी	पुदुचेरी	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
68.	युनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड	राज्य निजी विश्वविद्यालय
69.	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	उत्तराखण्ड	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय
70.	देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार	उत्तराखण्ड	राज्य निजी विश्वविद्यालय
71.	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा	हरियाणा	राज्य विश्वविद्यालय
72.	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	बिहार	राज्य विश्वविद्यालय
73.	मगध विश्वविद्यालय, बिहार	बिहार	राज्य विश्वविद्यालय
74.	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना	बिहार	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय
75.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	ओडिशा	राज्य विश्वविद्यालय
76.	एशियन स्कूल ऑफ बिजनेस मेनेजमेंट, भुवनेश्वर	ओडिशा	निजी संस्थान
77.	जगन्नाथ विश्वविद्यालय	राजस्थान	राज्य निजी विश्वविद्यालय
78.	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय	राजस्थान	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय
79.	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय	राजस्थान	राज्य निजी
80.	नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	तेलंगाना	राज्य विश्वविद्यालय
81.	द इंग्लिश एण्ड फारेन लैंग्वेज यूनीवर्सिटी, हैदराबाद	तेलंगाना	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
82.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (एनआईआरडी) हैदराबाद	तेलंगाना	केन्द्र सरकार का संस्थान
83.	आईसीएफआई फाउंडेशन फॉर हॉयर एजुकेशन, हैदराबाद	तेलंगाना	सम विश्वविद्यालय
84.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
85.	पोट्टी श्रीमुलु तेलगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना	राज्य विश्वविद्यालय
86.	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय
87.	रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	राज्य विश्वविद्यालय
88.	कल्याणी विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	राज्य विश्वविद्यालय
89.	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	पश्चिम बंगाल	राज्य विश्वविद्यालय
90.	वर्धमान विश्वविद्यालय, वर्धमान	पश्चिम बंगाल	राज्य विश्वविद्यालय
91.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना	राज्य विश्वविद्यालय
92.	ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	ओडिशा	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय
93.	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, लाडनू	राजस्थान	सम विश्वविद्यालय
94.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद,	तेलंगाना	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
95.	युनिवर्सिटी ऑफ नार्थ बंगाल, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	राज्य विश्वविद्यालय
96.	डॉ० भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	राज्य	विश्वविद्यालय/संस्थान का स्वरूप
97.	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय	राजस्थान	राज्य निजी विश्वविद्यालय
98.	नॉर्थ ओडिशा युनिवर्सिटी, भुवनेश्वर	ओडिशा	राज्य विश्वविद्यालय
99.	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	राजस्थान	राज्य निजी विश्वविद्यालय
100.	बंगलुरु विश्वविद्यालय	कर्नाटक	राज्य विश्वविद्यालय
101.	डॉ० सी० वी० रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर	छत्तीसगढ़	राज्य निजी विश्वविद्यालय
102.	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनांशियल एनॉलिस्ट ऑफ इंडिया (आईसीएफएआई), देहरादून	उत्तराखण्ड	राज्य निजी विश्वविद्यालय
103.	केरल विश्वविद्यालय	केरल	राज्य विश्वविद्यालय
104.	कालीकट विश्वविद्यालय	केरल	राज्य विश्वविद्यालय
105.	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश	राज्य विश्वविद्यालय
106.	हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर	मध्य प्रदेश	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
107.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज़	महाराष्ट्र	सम विश्वविद्यालय
108.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय	ओडिशा	राज्य विश्वविद्यालय
109.	आईसीएफएआई – अगरतल्ला	त्रिपुरा	राज्य निजी विश्वविद्यालय
110.	एसएसटीआरए युनिवर्सिटी	तमिलनाडु	सम विश्वविद्यालय
111.	थापर विश्वविद्यालय	पंजाब	सम विश्वविद्यालय
112.	काकातिया विश्वविद्यालय, वारंगल	तेलंगाना	राज्य विश्वविद्यालय
113.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश	राज्य विश्वविद्यालय
114.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश	राज्य विश्वविद्यालय
115.	श्रीमति नाथीबाई दामोदर ठाकरसे (एसएनडीटी) महिला विश्वविद्यालय	महाराष्ट्र	राज्य विश्वविद्यालय
116.	सिक्किम मनीपाल विश्वविद्यालय	सिक्किम	निजी विश्वविद्यालय
117.	एमएटीएस विश्वविद्यालय	छत्तीसगढ़	निजी विश्वविद्यालय
118.	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश	निजी विश्वविद्यालय

11.1(ख) : छात्र नामांकन: मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम : वर्ष 2017-18

दूरदराज और दूरस्थ क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रहने वाले छात्र, जिनके लिए नियमित आधार पर विश्वविद्यालयों में पहुंच बनाना अभी भी एक स्वप्न बना हुआ है उनके लिए दूरस्थ शिक्षा, उपाधियां प्राप्त करने का एक उपयोगी माध्यम बन गया है। दूरस्थ नामांकन, उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन का 11 प्रतिशत है जिनमें से 42 प्रतिशत महिला छात्र हैं। (वर्ष 2017-18 की एआईएसएचई की रिपोर्ट)

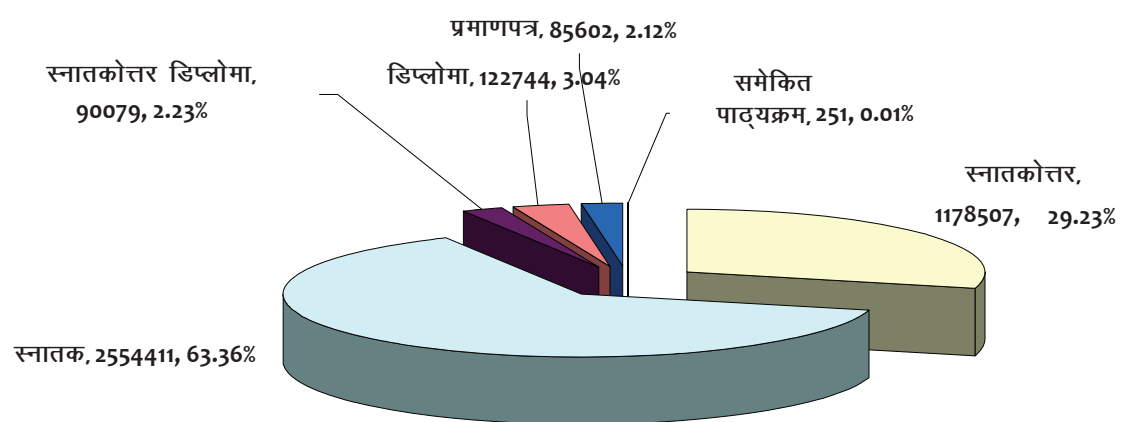
वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों में सभी स्तरों पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में 40.32 लाख छात्र नामांकित थे। छात्रों का स्तरवार संवितरण तालिका 11.1(ख) (i) में दिया गया है।

तालिका 11.1 (ख) (i) : स्तरवार छात्र नामांकन: मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम: वर्ष 2017-18

स्तर	पुरुष	महिला	कुल	कुल प्रतिशत
स्नातकोत्तर	612906	565601	1178507	29.23
स्नातक	1567538	986873	2554411	63.36
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	51658	38421	90079	2.23
डिप्लोमा	72223	50521	122744	3.05
प्रमाणपत्र	36313	49289	85602	2.12
समेकित	178	73	251	0.01
कुल	2340816	1690778	4031594	100.00

स्रोत: एआईएसएचई रिपोर्ट वर्ष 2017-18

तालिका 11.1(ख)(i) : वर्ष 2017-18 के दौरान मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में स्तरवार छात्र नामांकन





ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

www.ugc.ac.in